

केंद्रीय कार्यालय

Central Office

CO:IRD:2023:24:148

01.07.2023

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 Symbol – CENTRALBK	BSE Ltd. Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai -400001 Scrip Code – 532885
--	---

Madam/Dear Sir,

Sub: Revised Annual Report of the Bank for the Financial Year 2022-23.

With reference to the captioned subject, we have noticed inadvertent errors in the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2022-23.

Details are as under:-

1) Business Responsibility and sustainability Report 2022-23

Principle 7:- Name of affiliations with trade and industry chambers/associations are corrected.

2) Schedule 18 (Standalone Financials) - Correction in Issuer wise composition of Non SLR Investment as on 31.03.2023.

3) Revised Annual report is bilingual.

The Revised Annual Report of the Bank for FY 2022-23 is also available on the Bank's website under following web link:- <https://centralbankofindia.co.in/en/Annual-Reports>

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

CHANDRAKANT BHAGWAT

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: - A/a



अपनी निष्ठा को दृढ़ करते हुए
आपका भरोसा बनाए रखना

चुनौतियों को अवसरों में बदलना

**STRENGTHENING OUR CORE,
SECURING YOUR TRUST**

Transforming Challenges into Opportunities

ANNUAL REPORT

2022-23

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23



कृपया वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को डाउनलोड करने के लिए क्यू आर कोड स्कैन कीजिए

अपनी निष्ठा को दृढ़ करते हुए आपका भरोसा बनाए रखना

चुनौतियों को अवसरों में बदलना

विविध चुनौतियों के युग में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया दृढ़ और लचीला है। जैसे ही हम इन विकसित परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करते हैं, हम अपनी सीमाओं को अनुकूलित, विकसित और आगे बढ़ाते हैं। हम प्रगति को एक आदर्श बनाने के लिए प्रयास करते हैं, न कि अपवाद। चुनौतियों को वृद्धि और विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उठाया गया हर कदम एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम है। यह परिवर्तनकारी यात्रा हमारी निष्ठा को दृढ़ करने और आपके विश्वास को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।


हमारा लचीलापन हमारे मुख्य संचालन को दृढ़ करने, खुदरा और मध्य-बाजार(रैम) और कॉर्पोरेट क्रेडिट को संतुलित करने से उत्पन्न होता है। यह संतुलन, हमारी सतत विकास रणनीति का एक प्रमाण है, जो बाजार की अस्थिरता के प्रति हमारे मजबूत लचीलेपन को दर्शाता है।

आपका विश्वास बनाए रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण मौलिक मापदंडों को पार करना शुरू कर रहे हैं, जो पारदर्शिता और अखंडता के लिए हमारी प्रतिबद्धता का संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 2023 में ₹1582 करोड़ की वृद्धि और क्रमिक सकारात्मक शुद्ध लाभों में प्रतिफल हमारी वित्तीय मजबूती और पुनः आपके विश्वास को प्राप्त करने का संकेतक है।

चुनौतियों को अवसरों में बदलने के हमारे लोकाचार ने नवाचार को प्रेरित किया है। महिला लाभार्थियों के लिए सबसे कम ब्याज दर की पेशकश करने वाला उत्पाद गृहलक्ष्मी समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमने अपनी जनशक्ति को बढ़ाने, बेहतर ग्राहक-केंद्रित सेवाओं को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

जब हम भविष्य को अंगीकार करते हैं, तो हम अपने मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के हमारे संकल्प की पुष्टि करते हैं। इस यात्रा के केन्द्र में वह विश्वास है जो आपने हम पर रखा है, एक बंधन जिसे हम हर दिन मजबूत करने का प्रयास करते हैं। कठिन से कठिन समय को महानतम क्षणों में बदलने से परिभाषित हमारी यात्रा, हमारे अटूट विश्वास और लचीलेपन का प्रमाण है।

लोकाचार द्वारा निर्देशित, हम न केवल मूल्य प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, बल्कि अपनी रिटर्न ऑन एसेट्स (आरेए) और आरटीओ का प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे मेहनती प्रयास इष्टतम संसाधन आबंटन, कुशल जोखिम प्रबंधन और अभिनव पेशकश हैं जो बेहतर रिटर्न लाने का वादा करते हैं। इन दृढ़ कदमों के माध्यम से हम अपनी सामूहिक यात्रा को पुरस्कृत बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे सम्मानित हितधारकों के लिए निरंतर विकास और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं।



Please Scan the QR Code to download the Annual Report 2022-23

STRENGTHENING OUR CORE, SECURING YOUR TRUST

Transforming Challenges into Opportunities

In an era of diverse challenges, the Central Bank of India stands firm and resilient. As we navigate through these evolving landscapes, we adapt, evolve, and push our boundaries. We take strides to make progression a norm, and not an exception. Challenges are embraced as opportunities for growth and development, and every step taken is a stepping-stone towards a brighter future. This transformative journey underpins our commitment to strengthening our core and securing your trust.

Our resilience stems from fortifying our core operations, diligently balancing retail and mid-market (RAM) and corporate credit. This balance, a testament to our sustainable growth strategy, reflects our robust resilience to market volatility.

Securing your trust is central to us. We're beginning to transcend important fundamental parameters, indicating our commitment to transparency and integrity. Our return to sequential positive net profits, and exceeding INR1,582 crores in FY23, is an indicator of our return towards financial robustness and your regained trust.

Our ethos of transforming challenges into opportunities has spurred innovation. Cent GrahLaxmi, a product offering the lowest interest rate for women beneficiaries, exemplifies our commitment to inclusive growth. We've also focused on upskilling our manpower, ensuring improved client-centric services.

As we embrace the future, we reaffirm our commitment to our core principles and our resolve to transform challenges into opportunities. Central to this journey is the trust you've placed in us, a bond we strive to fortify every day. Our journey, defined by turning the hardest times into the greatest moments, is a testament to our unwavering faith and resilience.

Guided by this ethos, we not only aim to deliver value but also focus on strategies to enhance our Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). Our diligent efforts are directed towards optimal resource allocation, efficient risk management, and innovative offerings that promise to bring about superior returns. It is through these determined steps that we strive to make our collective journey a rewarding one, ensuring continued growth and prosperity for our esteemed stakeholders.





अनुक्रमणिका / Contents

रणनीति

निदेशक मंडल	08
कॉर्पोरेट सूचना	10
कार्यात्मक प्रभारी	11
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बारे में	12
कार्य-निष्पादन वैशिष्ट्य	14
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी का संदेश	16

STRATEGY

Board of Directors	254
Corporate Information	256
Functional Heads	257
About Central Bank of India	258
Performance Highlights	260
Message from the Desk of the MD and CEO	262



डिजिटल
परिवर्तन के माध्यम से
खुदरा ऋण को सशक्त बनाना

Powering
Retail Lending Through
Digital Transformation

24

सतत विकास के लिए हमारा
रणनीतिक रोडमैप

270

Our Strategic Roadmap
For **Sustainable Growth**



28

समावेशी ऋण और
समृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

274

Our Commitment to
Inclusive Lending and Prosperity



नोटिस NOTICE

निदेशक रिपोर्ट 2022 -23	49
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	53
निदेशकों के गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र	56
प्रबंधकीय चर्चा एवं विश्लेषण	57
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	94
सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के 17(8) के अंतर्गत प्रमाणपत्र	118
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	119
व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2022-23	121
बैंक लाभांश वितरण नीति	144
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (एकल)	145
एकल वित्तीय विवरण	154
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	211
समेकित वित्तीय विवरण	218
दिनांक 31.03.2023 पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण	253

16वीं वार्षिक समान्य बैठक नोटिस	32
Notice of 16 th Annual General Meeting	278

रिपोर्ट

Directors' Report 2022-23	295
Secretarial Audit Report	299
Certificate of Non-Disqualification of Directors	302
Management Discussion and Analysis	303
Corporate Governance Report	340
Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	364
Independent Auditor's Certificate	365
Business Responsibility and Sustainability Report 2022-23	367
Dividend Distribution Policy of Bank	390

वित्तीय

Independent Auditors' Report (Standalone)	391
Standalone Financial Statements	400
Independent Auditors' Report (Consolidated)	455
Consolidated Financial Statements	462
Pillar 3 (Basel III) Disclosures as on 31.03.2023	493

REPORTS

FINANCIALS

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

निदेशक मंडल



श्री एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



श्री आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 30.11.2022 से निदेशक नहीं है)



श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक



श्री राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक



श्री एम वी मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 01.12.2022 से)



डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
(दिनांक 11.04.2022 से निदेशक नहीं है)



श्री हार्दिक मुकेश शेट
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
(दिनांक 11.04.2022 से)



श्री पी जे थॉमस
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक



श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
आंशिक गैर-अधिकारिक निदेशक



श्री दिनेश पांगती
शेयरधारक निदेशक



श्री प्रियव्रत शर्मा
आंशिक गैर-अधिकारिक निदेशक
(दिनांक 08.05.2023 से)



कार्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री एम वी राव

श्री आलोक श्रीवास्तव

(दिनांक 30 /11/2022 से निदेशक नहीं है)

श्री विवेक वाही

श्री राजीव पुरी

श्री एम .वी.मुरली कृष्ण

(दिनांक 01/12/2022 से)

डा भूषण कुमार सिन्हा

(दिनांक 11/04/2022 से निदेशक नहीं है)

श्री हार्दिक मुकेश शेट (दिनांक 11 /04/2022 से है)

श्री पी जे थॉमस

श्री दिनेश पांगती

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी

श्री प्रियव्रत शर्मा (दिनांक 08/05/2023 से है)

लेखा परीक्षक

कृते छाजेड़ एवं दोशी

कृते ए.एस.के एवं कंपनी

(पुराना नाम- अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अंबार्डेकर)

कृते किशोर एवं किशोर

कृते ए.आर एवं कंपनी

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण

एजेंट इक्विटी शेयर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइ. लिमि.

सी- 101, 247 पार्क

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)

मुम्बई - 400083

दूरभाष -022-49186270

फैक्स - 022-49186060

ईमेल-आइडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बांडस के लिये (डिबेंचर)

एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड

कार्यालय नं 3 बी 3 तीसरी मंजिल "बी" विंग

गुनडेचा आनक्लेव परिसर को-ऑप सोसाइटी लिमि

खेरानी मार्ग साकीनाका, अंधेरी (पूर्व)

मुम्बई-400072

दूरभाष -022-28516021

ईमेल आइडी - helpdesk@mcsregistrars.com

बैंक के साथ पत्राचार के लिये पता

सहायक महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्री चंद्रकांत भागवत

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 9वीं मंजिल

चंद्रमुखी नरीमन पाइंट

मुम्बई - 400021

दूरभाष : 022 - 6638 7818 / 7575

ईमेल-आइडी: agmcompsec@centralbank.co.in/
investors@centralbank.co.in



कार्यात्मक प्रभारी (31.03.2023 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी	
1.	श्री सुनील अरोडा बी.कॉम(ऑनर्स)
मुख्य जोड़िम अधिकारी	
2.	श्री अश्विनी कुमार शुक्ला एम.एससी., एफ.आर.एम, सीएफपी
महाप्रबंधक	
3.	श्री उमेश कुमार सिंह बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी)सीएआईआईबी, डीआईपीआइएन टीआर,इंवेस्ट, आरएसके
4.	श्री ई रतनकुमार एम.टेक, बीई
5.	श्री स्मृति रंजन दाश एम.ए., सीएआईआईबी
6.	श्री के. सत्यनारायण एम.कॉम., पीजीडीआईटी, सीएआईआईबी
7.	श्री मुकुल एन. दंडिगे (मुख्य वित्त अधिकारी) बी.एससी, सीएआईआईबी
8.	श्री बी.एस.हरिलाल बी.एससी, सीएआईआईबी
9.	श्री मोहित कोडनानी बी.ई, सीएआईआईबी
10.	श्री विवेक कुमार बी.एससी., बीएड, एमएमएस, एमबीए, सीएआईआईबी
11.	श्री ए.डी.श्रीनिवास बी कॉम, सीएआईआईबी
12.	श्री वी.वी.नटराजन बी.एससी., पीजीडीएचआरएम, सीएआईआईबी
13.	श्री श्रीनिवास एस राव बीए, सीएआईआईबी, एमबीए (फायनेंस)
14.	श्री वास्ति वेंकटेश बी.एससी., सीएआईआईबी, एमबीए(बैंकिंग एवं फायनेंस)
15.	श्री जसविंदर सिंह साहनी एम एससी., सीएआईआईबी
16.	श्री शिव कुमार गुप्ता बी कॉम, एमए (इको) सीएआईआईबी
17.	श्री राजेश कुमार एम एससी., सीएआईआईबी, एमबीए
18.	श्री बी.बी.मुटरेजा बी.ए., सीएआईआईबी
19.	श्री टी.एस.बालाचंद्रन बी कॉम, सीएआईआईबी, एमबीए
20.	श्री सोहेल अहमद बी कॉम, सीएआईआईबी, आइसीडब्ल्यूए(आइएनटी)
21.	श्री शीशराम तुडंवाल बी कॉम, सीएआईआईबी
22.	श्री कुशल पाल एम.ए., सीएआईआईबी
23.	श्री के एस एन वी सुब्बा राव बी कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
24.	श्री राजेश वर्मा बी कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
25.	श्री वाय अनिल कुमार एम एससी., पीजीडीसीएस, एमसीए, सीएआईआईबी
26.	श्री अजय कुमार सिंह एमएससी, सीएआईआईबी
27.	श्री तारसेन सिंह जीरा एमबीए, सीएआईआईबी
28.	श्री धनंजय सिंह राठौर बी. एस सी सीएआईआईबी
29.	श्रीमती पॉपी शर्मा बी. एस सी.(आनर्स) एमबीए सीएआईआईबी
30.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल बी.एस सी डीबीएफ सीएआईआईबी
31.	श्री वेमगुला लक्ष्मण राव एमएससी.(कषि),
32.	श्री पी अनूप कुमार एमकाम सीएआईआईबी
कंपनी सचिव	
33.	श्री चंद्रकांत भागवत बी कॉम, एलएलबी, एसीएस एमबीए

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया: राष्ट्रीय गौरव और विश्वास का प्रमाण

एक सदी पहले 1911 में स्थापित, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के पुराने बैंकों में से एक है। विशेष रूप से, यह पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित था। बैंक की स्थापना, बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला के सपने का साकार होना था। इसके अतिरिक्त बैंक का सौभाग्य था कि बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोजशाह मेहता थे, जो वास्तव में 'स्वदेशी बैंक' का नेतृत्व कर रहे थे। सर सोराबजी पोचखानवाला ने बैंक को 'राष्ट्र की संपत्ति' और 'भारत की वास्तविक संपत्ति' के रूप माना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनता के विश्वास पर फलता-फूलता है और लोगों का बैंक होने पर गर्व करता है।

भारतीय वित्तीय परिदृश्य में शक्ति स्तंभ

भारत में कार्यरत एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय क्षेत्र के भीतर परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में लगातार विकसित हुआ है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ स्वयं को सरेखित करता है। हम कृषि, लघु उद्योगों और मध्यम और बड़े उद्योगों जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को सशक्त बनाने में सबसे आगे हैं।

पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में हमने अपने सह-उधार साझेदारों का विस्तार करने के लिए रणनीतिक पहल करते हुए देश भर में सात अतिरिक्त अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के साथ संबंधों को मजबूत किया। इसने हमारे सह-उधार गठबंधन को 14 मजबूत साझेदारियों तक बढ़ा दिया, जो सीधे-सीधे हमारी उधार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारी गतिशील प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन रणनीतिक साझेदारियों के पूरक के रूप में, हमने शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की हैं। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में जमा उत्पादों की

श्रृंखला शामिल है। जैसे, जमा एवं चालू खाते, प्रीन डिपॉजिट्स, सावधि जमाएं, मियादी जमाएं, आवर्ती जमा योजनाएं तथा लघु बचत योजनाएं

हम आवास, वाहन, संपत्ति, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षा, कृषि तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निर्मित ऋणों सहित विस्तृत ऋण श्रृंखला भी प्रदान करते हैं।

राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास यहां समाप्त नहीं होते। हमारे रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के तहत हम प्रोजेक्ट फाइनेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों को वित्तीयन, लघु अर्वाधि कॉर्पोरेट ऋण, अग्रिम, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, लाइन ऑफ क्रेडिट, निर्यात वित्त, विदेशी मुद्रा ऋण, बिल, क्रय/छूट/निगोसिएशन सुविधाएं / गैर-निधि आधारित सुविधाएं तथा विभिन्न उद्योग विनिर्दिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हैं। इसके अलावा हम क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड / गिफ्ट कार्ड, नकदी प्रबंधन, म्युच्युअल फंड डिपॉजिटरी, मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं प्रदान करते हैं।

हमारे व्यापक उधार और बैंकिंग सेवाओं के अलावा, हम बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। इनमें यूनिट

लिव्ड, होल लाइफ, बच्चे, मनी बैंक, एंडोमेंट, पेंशन, स्वास्थ्य संपत्ति, व्यक्तिगत, फायर, संधमारी, इंजिनियरिंग, मोटर, पैकेज, ट्रैवल और ग्रुप इश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ-साथ प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस भी शामिल हैं।

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के तहत, हम एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एसएमई एलएपी ऋण उत्पादों की पेशकश करते हैं। हमारे प्रयास इस वर्ष दर्ज की गई अग्रिमों में प्रभावशाली वृद्धि से नजर आते हैं, जो उधार प्रतिमानों को फिर से परिभाषित करने के लिए हमारे समर्पण और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हम वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, लगातार अपने देश की बेहतर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमारा विशाल नेटवर्क

सेन्दुरल बैंक ऑफ़ इंडिया वास्तव में देश भर में अपने व्यापक कवरेज के कारण 'अखिल भारतीय बैंक का प्रतीक है. एक व्यापक पदचिन्ह का दावा करते हुए, बैंक ने 28 राज्यों में से प्रत्येक के साथ एनसीटी दिल्ली सहित भारत के 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 7 में अपनी छाप छोड़ी है.

31 मार्च 2023 तक, सेन्दुरल बैंक ऑफ़ इंडिया देश भर में 18,204 ग्राहक टच पॉइंट

का नेटवर्क प्रदान करता है. इस प्रभावशाली नेटवर्क में 4,493 शाखाएं, 3,752 एटीएम और 9,959 बीसी आउटलेट की एक व्यापक प्रणाली शामिल हैं.

अपनी व्यापक भौगोलिक पहुंच के अलावा, बैंक ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी स्थानों में अपनी मजबूत उपस्थिति पर गर्व करता है. समावेशिता के प्रति यह प्रतिबद्धता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि हमारी 65.21% शाखाएं

रणनीतिक रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित हैं, जो राष्ट्र के हर कोने की सेवा करने के लिए हमारे समर्पण को रेखांकित करती हैं.



4,493

शाखाएं

3,752

सक्रिय ए टी एम

₹2,17,779 करोड़

अग्रिम (31 मार्च, 2023)

9,959


व्यवसाय प्रतिनिधि

₹3,59,296 करोड़



जमाएं (31 मार्च, 2023)

कार्य-निष्पादन वैशिष्ट्य

इस प्रभावशाली 112 वर्ष की यात्रा की अवधि में, आपके बैंक ने कई चुनौतियों का सामना किया है और कई बाधाओं को पार किया है, हर बार पहले की तुलना में अधिक मजबूत होकर उभरा है। अब, हम अर्थव्यवस्था में एक अनिवार्य योगदानकर्ता के रूप में विकसित होने की संभावना पर कार्यरत हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रत्येक व्यवसाय प्रभाग में हमारे मुख्य परिचालन लाभ लक्ष्यों को प्राप्त करने और परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) को बढ़ाने पर केंद्रित रहती है। लचीपालन और विकास की हमारी गाथा चुनौतियों से अबाधित, हमारे दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर जारी है।



(₹ करोड़ में)





प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश



एम वी राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



मैं विश्वस्त हूँ कि अपने सुस्पष्ट रणनीतिक फोकस, बेहतर कार्य निष्पादन एवं उच्च स्तरीय कार्यबल सहित हम भविष्य में उद्योग अग्रणी परिणाम प्रदान करेंगे

प्रिय हितधारक

मैं वित्त वर्ष 2022-23 हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ. यह वर्ष बैंक के लिए बहुत शानदार रहा और इस वर्ष सितंबर 2022 के महीने में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गया.

हम और अधिक लचीले तथा फिर से प्राणप्रतिष्ठित होकर उभरे और हमारी क्षमताओं में हमारा विश्वास न केवल हमारे आकड़ों में अपितु जो भरोसा हमारे ग्राहकों ने हम पर किया है, उसमें परिलक्षित होता है. मैं अपने ग्राहकों, साझेदारों, टीम सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा प्रदत्त सतत सहयोग जिससे यह संभव हो सका है के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. मैं वित्त वर्ष 2022-23 हेतु हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख वैशिष्ट्य यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ.

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2022-23 में विश्वभर में अस्थिरता बनी रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई कठिनाइयों का सामना पड़ा. उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया है. जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग के साथ लचीली बनी हुई है. सेवा क्षेत्रों ने मजबूत विकास दर्ज कराना जारी रखा जबकि वैश्विक मंदी और वर्ष के दौरान सामग्री की निरंतर ऊंची कीमतों के कारण विनिर्माण को झटका लगा. अधिकांश उन्नत देशों (ईई) के लिए मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. हालांकि, अमेरिका में मध्यम आकार

के बैंकों की विफलताओं की श्रृंखला ने संकेत दिया है कि केन्द्रीय बैंक नीतिगत दरों को रोकने संबंधी अपना रुख बदल सकते हैं.

अप्रैल, 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को संशोधित कर वर्ष 2022 में 2.8 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 3.0 प्रतिशत कर दिया. तीव्र मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दर वृद्धि की निरंतरता के कारण ईई धीमे हो गये हैं. वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.7 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2023 में 7.0 प्रतिशत और आगे वर्ष 2024 में 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान है.

वर्ष 2023 में ईई समग्र रूप से 1.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2022 में दर्ज की गई वृद्धि की तुलना में 140 आधार अंक कम है. यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर 0.8 रहने का अनुमान है जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी. वर्ष 2022 में तकनीकी मंदी से उबरने के बाद वर्ष 2023 में जापान की अर्थव्यवस्था का 1.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है.

विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की हिस्सेदारी 58.3 प्रतिशत है, और इनमें से चीन और भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2022 के लिए क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत है. रूस द्वारा वर्ष 2023 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराने की उम्मीद है. आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान एक "प्रकाशित पुंज" और वैश्विक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में होगी. आईएमएफ के द्वारा वर्ष 2023

तक भारतीय अर्थव्यवस्था का 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

घरेलू मोर्चे पर, एनएसओ ने वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। बाहरी मांग में कमी के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण उच्च ऋण वृद्धि जारी है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) अर्थव्यवस्था में मांग का संकेतक है। वर्ष 2021-22 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में पीएफसीई में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा आंकी गई निवेश मांग वर्ष 2021-22 में 14.6 की तुलना में सुधकर वर्ष 2022-23 में 11.4 प्रतिशत हो गयी।

केन्द्रीय बजट 2023-24, प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से अमृत काल के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसने इस वर्ष के लिए 7 प्राथमिकताओं की पहचान की है जैसे - समावेशी विकास, अंतिम स्थान तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण ने वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

उच्च ब्याज दर के पश्चवर्ती प्रभावों के साथ, भविष्य के दृष्टिकोण के लिए समग्र जोखिम संतुलित बना हुआ है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। मजबूत घरेलू मांग, रुपये में स्थिरता और सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के साथ लक्षित सीमा तक मुद्रास्फीति ये सभी सकारात्मक संभावनाएं हैं।

बैंक कार्य निष्पादन

व्यवसाय

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक का कारोबार वित्त वर्ष 2021-22 में 5,32,404 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.39% की वृद्धि के साथ ₹ 5,77,075 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 में बैंक की बिजनेस ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ 4.85% और एडवांस ग्रोथ 14.79% है। बैंक की जमा राशि 31 मार्च, 2023 को 3,59,296 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹ 16,406 करोड़ की वृद्धि के साथ 3,42,692 करोड़ रुपये थी।

कुल जमा राशि के प्रतिशत के रूप में कासा का हिस्सा 31 मार्च, 2023 को 50.39 प्रतिशत था, जो 31 मार्च, 2022 को 50.58 प्रतिशत था। 31 मार्च, 2023 को कुल अग्रिम 2,17,779 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 1,89,712 करोड़ रुपये था, जो साल-दर-साल आधार पर 14.79% की वृद्धि दर्ज करता है।

बैंक हमेशा एक अच्छी तरह से संतुलित संपत्ति मिश्रण बनाए रखने के लिए उत्सुक है, जिसमें कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्र शामिल हैं और साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन वित्त सहित अन्य खुदरा परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो ने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो वृद्धि के साथ 16.87% साल-दर-साल आधार पर 20.10%

की वृद्धि की। एमएसएमई को 39,899 करोड़ रुपये और कृषि को 42,110 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2021-22 के ₹ 5,742 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 6884 करोड़ रहा। बेहतर प्रदर्शन के साथ, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1,045 करोड़ की तुलना में ₹ 1,582 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया और साल-दर-साल आधार पर चौथी तिमाही के दौरान ₹ 310 करोड़ से ₹ 571 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय 2022-23 के दौरान ₹ 9,487 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,687 करोड़ हो गई, जबकि गैर-ब्याज आय 2022-23 के दौरान ₹ 2,968 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,084 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2021-22 में 3.21% की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) बढ़कर 3.64% हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक की जमा लागत 3.92% रही, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 3.86% थी।

आस्ति गुणवत्ता

एनपीए प्रबंधन और उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों को जुटाने पर बैंक के निरंतर प्रयास ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया। इस प्रकार, सकल एनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2022 को 14.84% की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक घटकर 8.44% हो गई और शुद्ध एनपीए प्रतिशत भी 31 मार्च, 2022 तक 3.97% से घटकर 31 मार्च, 2023 को 1.77% हो गई। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2022 को 86.69% से बढ़कर 31.03.2023 तक 92.48% हो गया, जिसने बैलेंस शीट को मजबूत किया है। हम 2023-24 के दौरान आईबीसी के तहत और उसके बाहर एनसीएलटी के माध्यम से कुछ बड़े एनपीए खातों के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। हम वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीए वसूली को अधिकतम करने, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने और शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए केंद्रित प्रयास जारी रखेंगे।

पूंजी

भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के समायोजन के बाद सीआरएआर 31 मार्च, 2023 तक 14.12% है, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 13.84% था।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने पर लगातार जोर दे रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अंतर्गत बैंक ने निम्नलिखित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया है-

- » कुल प्राथमिकता - 40% के मानदंड के मुकाबले एनबीसी का 54.48%
- » कृषि- 18% के मानदंड के मुकाबले एनबीसी का 21.98%

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

» छोटे और सीमांत किसान 9.50% के मानदंड के मुकाबले एएनबीसी का 11.57%

» दुर्बल वर्ग - मानक 11.50% के विपरीत एएनबीसी का 16.83%

वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 4,650.00 करोड़ के पीएसएलसी बेचे (सामान्य पीएस के तहत ₹ 1,000 करोड़ , लघु और सीमांत किसानों के तहत ₹ 2,950 करोड़ और सूक्ष्म उद्यमों के तहत ₹ 700 करोड़ . प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 2,072.18 करोड़ का बकाया आरआईडीएफ है, जिसमें से 31.03.2023 तक कृषि के ₹1,556.74 करोड़ है. ये उपलब्धियां वास्तव में समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

बैंक उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के साथ वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है.

बैंक ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी अच्छा प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्रमशः 21.21 लाख, 68.20 लाख और 19.40 लाख नामांकन किए गए हैं.

अखिल भारतीय उपस्थिति

31 मार्च, 2023 तक, बैंक की 18,204 ग्राहक टच पॉइंट के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है. इसमें 4,493 शाखाओं का नेटवर्क, 3,752 एटीएम और 9,959 बीसी आउटलेट शामिल हैं. अखिल भारतीय उपस्थिति में सभी 28 राज्य, 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीटी दिल्ली शामिल हैं.

ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में कुल शाखाओं के 65.21% के साथ बैंक की एक मजबूत ग्रामीण और अर्ध शहरी उपस्थिति है.

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के दौर में, बैंक ग्रहकों की बदलती आवश्यकताओं को पहचानता है और देश की युवा जनसंख्या आधार की आवश्यकताओं पूरा करता है.

तदनुसार, बैंक डिजिटल पदचिहनों और वैकल्पिक वितरण परिणाम स्वरूप चैनलों पर जोर देता है. परिणाम स्वरूप वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से लेनदेन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78.05% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78.12% हो गया.

मानव संसाधन

बैंक अपने कर्मचारियों और विभागों के लिए एक उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यक्तिगत क्षमता को अधिकतम किया जा सके और संगठनात्मक क्षमता का विस्तार किया जा सके. इस संबंध में बैंक ने योग्यता आधारित भूमिकाएं, निष्पादन आधारित पदोन्नति, अधिगम को प्रोत्साहित करने आदि जैसी सर्वोत्तम मानव संसाधन पद्धतियों को डिजाइन करने, विकसित करने और कार्यानिष्पादन करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं. एक ऐसे वातावरण के निर्माण की सुविधा के लिए जहां संगठन का प्रत्येक सदस्य व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण, कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहल, मेंटरशिप कार्यक्रम, उत्तराधिकार योजना (आईडीपी), मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की गई और समकालीन और साथ ही उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया, अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त लोगों की नियुक्ति, बैंक में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, आदि वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ मानव संसाधन हस्तक्षेप थे.

बैंक अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में संगठन का नेतृत्व करने की दृष्टि से कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास की भूमिका को संरक्षित करने और प्रथाओं को शुरू करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा.

एमएसएमई / लघु व्यवसायों / कांफ़ेरेटों हेतु कोविड-19 राहत

बैंक ने 2020-21 में की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई/छोटे व्यवसायों/कांफ़ेरेट्स को 2022-23 के दौरान अपना समर्थन देना जारी रखा है और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन 01, 02, 03, 04 का विस्तार किया है.

ईसीएसजीएस	स्वीकृतियों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपयों में)
ईसीएलजीएस 01	166644	3381.72
ईसीएलजीएस 01 का विस्तार	11978	942.55
ईसीएलजीएस 02	224	932.96
ईसीएलजीएस 02 का विस्तार	133	234.50
ईसीएलजीएस 03	479	412.67
ईसीएलजीएस 03 का विस्तार	346	712.07
ईसीएलजीएस 04	111	12.53

नई पहलें

“सफलता समापन नहीं है; विफलता घातक नहीं है: यह निरंतर बनाए रखने का साहस है जो मायने रखता है. बैंक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गया है. यह उत्साहजनक जुड़ाव, प्रतिबद्धता और लागू किए गए नए विचारों का परिणाम है. फिर भी, हम आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे और नई प्रक्रियाओं के अलावा नए उत्पादों और सेवाओं के साथ व्यवसाय को फलने-फूलने के लिए नवीन और भिन्न प्रकार के विचारों की परिकल्पना करना जारी रखेंगे. इस धारणा के साथ, सामने रखी गई कुछ नई पहल इस प्रकार हैं:

1. **तकनीकी परिवर्तन:** बैंक अपने ग्राहक आधार का लाभ उठाने और भविष्य के विकास को चलाने के लिए तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानता है. प्रौद्योगिकी वृद्धि में चल रहे प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से परिणाम मिलने की उम्मीद है. इस पहल का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, ग्राहक अनुभव को बढ़ाना और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समर्थन करना है.

डिजिटल पहल - बैंक ने डिजिटल परिवर्तन परियोजना (सेन्ट नियोज) शुरू की है और महत्वाकांक्षी योजनाओं में निम्नलिखित डिजिटल परिवर्तन यात्रा शामिल है:

- यूनिवर्सल ऐप (सेन्ट नियोज) - ऐप और वेब इंटरफेस के माध्यम से परिसंपत्तियों, देनदारियों, धन प्रबंधन, बाजार स्थान, कार्ड आदि पर विभिन्न सेवाओं की पेशकश की जाएगी.
- डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) - डीएलपी सीधे प्रक्रिया (एसटीपी), असिस्टेड और सेमी-असिस्टेड मोड में उधार देने का समर्थन करेगा.
- एकीकृत ग्राहक सेवा - ग्राहक सेवाओं, शिकायत हैंडलिंग, विपणन और बिक्री आदि के लिए आधुनिक ग्राहक सेवा. विभिन्न चैनलों पर कॉल, चैट/वॉयस बीओटी, आईवीआर, व्हाट्सएप आदि.
- एकीकरण मंच - आंतरिक और बाहरी प्रणालियों के बीच निर्बाध संचार के लिए मिडलवेयर प्लेटफॉर्म का उन्नयन. इस प्लेटफॉर्म के घटक भुगतान-हब, एपीआई गेटवे, मिडलवेयर और स्ट्रीमिंग हैं.
- संग्रहण प्रबंधन - प्रौद्योगिकी, कॉल सेंटर और फ्रीट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) सेवाओं के साथ एकीकृत संग्रहण प्रबंधन प्रणाली.

2. केंद्रीयकृत स्विफ्ट कक्ष :

सीमा पार बाहरी लेनदेन से निपटने में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

में केंद्रीकृत स्विफ्ट संचालन के लिए एक सेल की स्थापना की है. सभी सीमा पार लेनदेन हेतु एडी शाखा में वित्त व्यापार मॉड्यूल यानि एफएक्स 24 अधिकृत है. शाखा द्वारा एफएक्स 24 में लेनदेन के प्राधिकरण के बाद उत्पन्न स्विफ्ट संदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग में केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल में अधिकृत हैं. सेल दस्तावेजों की जांच करता है और विभिन्न दिशानिर्देशों जैसे नवीनतम कस्टम / डीजीएफटी दिशानिर्देशों / वाणिज्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के साथ आरबीआई के निर्देशों / फेमा विनियमों / आईसीसी नियमों / फेडाई नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

- बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है, जिसकी आय का उपयोग हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा.
- एसएमएस आधारित ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र जमा, निकासी और हस्तांतरण के लिए लागू किया गया.
- एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से शुरू किए गए संदिग्ध लेनदेन के वास्तविक समय विश्लेषण और ब्लॉकिंग के लिए एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया गया है. यह विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी लेनदेन को रोकने के लिए लागू किया गया है.
- शाखाओं में जाए बिना परेशानी मुक्त ग्राहक ऑन-बोर्डिंग के हिस्से के रूप में वीडियो केवाईसी (ऑनलाइन चैनल) के माध्यम से डिजिटल ग्राहक ऑन-बोर्डिंग शुरू की.

भावी पथ

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हमारे परिणामों के प्रकाश में, में शेयरधारकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी प्रसन्न व्यक्त करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि हमारे स्पष्ट रणनीतिक फोकस, बेहतर निष्पादन और उत्कृष्ट कार्यबल के साथ, हम भविष्य में उद्योग के अग्रणी परिणाम देना जारी रखेंगे.

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों में प्रबंधन के लिए उनके बहुमूल्य सहयोग दिशानिर्देशों एवं प्रदत्त सूचनाओं को रेखांकित करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ. मैं समय समय पर प्रदत्त सहयोग एवं दिशानिर्देशों हेतु भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, भारतीय बैंक सन्ध, स्टॉक एक्सचेंजों, ग्राहकों एवं शेयरधारकों को भी धन्यवाद देता हूँ.

मैं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ.

भवदीय,

एम वी राव

स्थान: मुंबई

तिथि: 24 मई, 2023



उन्मुक्त
डिजिटल मूमेंटम

डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से खुदरा ऋण को **शक्तिशाली बनाना**

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना(सेंट निओ) एक विश्वव्यापी ऐप, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एकीकृत ग्राहक सेवा और एक आधुनिक समावेशी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग में क्रांति ला रही है.



डिजिटल बदलाव को अपनाना

एक ऐसे युग में जहां प्रौद्योगिकी और बैंकिंग एक साथ विकसित हो रहे हैं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया(सीबीआई) इस बदलाव में सबसे आगे है और खुदरा ऋण में एक नया भविष्य बना रहा है, ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ, बैंक की प्रगतिशील डिजिटल परिवर्तन यात्रा ने फल देना शुरू कर दिया है, जीवन और व्यवसायों को समान रूप से बदलना शुरू कर दिया है.

एक नये युग की शुरूआत: डिजिटल पहलें और तकनीकी परिवर्तन

नवाचार के लिए सीबीआई की अथक खोज के कारण डिजिटल परिवर्तन परियोजना(सेंट निओ) का शुभारंभ हुआ. बैंक का व्यापक, एंड-टू-एंड डिजिटल परिवर्तन सार्वभौमिक ऐप(सेंट निओ) डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म(डीएलपी), एकीकृत ग्राहक सेवा और एक आधुनिक एकीकरण मंच के माध्यम से बैंकिंग अनुभव को फिर से परिभाषित कर रहा है. एक चुस्त संग्रह प्रबंधन प्रणाली डिजिटल सूट को पूरा करती है, जो प्रौद्योगिकी और मानव टचपॉइंट के साथ एक एकीकृत संग्रह प्रबंधन प्रणाली प्रदान करती है.

इस परिवर्तनकारी पहल से प्रेरित, सीबीआई डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने, डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों की खोज करने और पूर्व- अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण के अपने दायरे का विस्तार करने में प्रगति कर रही है. तकनीकी परिवर्तन को हिस्से के रूप में, कोर बैंकिंग समाधान, व्यापार जैसी महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाएं वित्त समाधान, ट्रेजरी समाधान, और ऋण जीवनचक्र प्रबंधन समाधान लागू किए गए हैं. जो कुशल और प्रभावी बैंकिंग संचालन का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

हम डिजिटल क्रांति को अपना रहे हैं, ग्राहक अनुभवों को सुखद बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से खुदरा ऋण में एक नया भविष्य बना रहे हैं.

खुदरा ऋण: डिजिटल लहर पर सवार



मार्च 2022 और मार्च 2023 के बीच, सीबीआई के खुदरा उधार व्यवसाय ने 20.10% की उल्लेखनीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का अनुभव किया. कुल खुदरा अग्रिम 52,226 करोड़ रुपये से बढ़कर 62,726 करोड़ रुपये हो गयी.

उन्मुक्त डिजिटल मूमेंटम


डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से खुदरा ऋण को
शक्तिशाली बनाना

सफलता की कल्पना: मार्च 2022 से मार्च 2023 तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में वर्ष- दर-वर्ष खुदरा बिक्री हुई, जो 52,226 करोड़ से 20+ % बढ़कर प्रभावशाली 62,726 करोड़ हो गई.

वित्त वर्ष 2023 के लिए आवास ऋण ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और शिक्षा ऋण क्रमशः 38793 करोड़ रुपये, 3248 करोड़ रुपये, 3644 करोड़ रुपये और 3625 करोड़ रुपये के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा थे. घर के स्वामित्व, वाहन अधिग्रहण और शिक्षा और व्यक्तिगत जरूरतों के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में बैंक के ठोस प्रयासों ने इस महत्वपूर्ण विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

Retail Loan Breakdown

(₹ in crore)



● आवास ऋण	38793
● ऑटो ऋण	3248
● व्यक्तिगत ऋण	3644
● शिक्षा ऋण	3625

मार्च 2022 और मार्च 2023 के बीच की अवधि में स्वीकृत खुदरा खातों की संख्या 201616 से बढ़कर 224769 हो गई, जिसमें कुल स्वीकृत ऋण राशि 11579 करोड़ से

बढ़कर 19730 करोड़ हो गई. यह खातों की संख्या और स्वीकृत ऋण राशि दोनों में 70.39 % की वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दर्शाता है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में खुदरा ऋण देने को प्रभावित करने वाली प्रमुख पहलें

डिजिटल पहलें	हमने क्या किया	कैसे इसने खुदरा ऋण को प्रभावित किया
डिजिटल परिवर्तन परियोजना(सेंट निओ)	सार्वभौमिक ऐप, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एकीकृत ग्राहक सेवा और बहुत कुछ शामिल करने वाली एक व्यापक पहल.	खुदरा ऋण उत्पादों और सेवाओं की डिजिटल पहुंच में वृद्धि, ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देना और ऋण प्रसंस्करण में तेजी लाना.
इंटरनेट बैंकिंग में सुधार	बढ़ी हुई सुरक्षा नियंत्रण और सुविधाओं के साथ उन्नत इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं.	खुदरा उधारकर्ताओं के लिए बेहतर ऑनलाइन अनुभव और सुविधा, अधिक ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देना
डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स	व्यवसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए डेटा माइनिंग क्षमताओं का लाभ उठाना	संभावित खुदरा उधारकर्ताओं की पहचान की, व्यक्तिगत पेशकश और प्रचार को सक्षम किया.
उन्नत आरटीजीएस/एनईएफटी	आरटीजीएस और एनईएफटी की 24X7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सेटअप.	खुदरा ग्राहकों के लिए निर्बाध लेनदेन क्षमताएं.

डिजिटल पहलें	हमने क्या किया	कैसे इसने खुदरा ऋण को प्रभावित किया
डिजिटल लौडिंग प्लेटफॉर्म	खुदरा परिसम्पत्ति ऋण के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी	सुव्यवस्थित और डिजिटलीकृत ऋण प्रक्रियाएं, ग्राहक अनुभव में सुधार और उधार क्षमताओं का विस्तार.
ऑटो निर्माताओं और बिल्डरों के साथ साझेदारी	अग्रणी कार निर्माताओं और बिल्डरों के साथ समझौता ज्ञापन.	घर और वाहन खरीद के लिए विशेष ऋण की सुविधा प्रदान की, जिससे खुदरा उधार पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ.
आपदा वसूली केंद्र	व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सेटअप.	आपदाओं के दौरान खुदरा ऋण सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान
वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग	वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग की यात्रा शुरू की.	ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल और तेज किया, ग्राहक सुविधा को बढ़ावा दिया और नए खुदरा खातों की वृद्धि में योगदान दिया.
डिजी फंड प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन	व्यापक निधि प्रबंधन और भुगतान निगरानी समाधान.	खुदरा ऋण लेनदेन में पारदर्शिता और परिचालन दक्षता में वृद्धि.
“पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण” (पीपीएल) डिजिटल मॉड्यूल	मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया.	मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया

दृष्टिकोण: डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर



निरंतर तकनीकी संवर्द्धन और ग्राहक- केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया डिजिटल बैंकिंग के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है.

जैसा कि हम आगे देखते हैं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया विकास को बढ़ावा देने और सेवा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रतिबद्धता ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित करने, प्रसंस्करण समय को कम करने और निर्बाध ग्राहक बैंकिंग अनुभव बनाने के हमारे चल रहे प्रयासों में परिलक्षित होती है.

हमारे रणनीतिक गठजोड़, सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों में भागीदारी, प्रभावी निधि प्रबंधन और ग्राहक- केंद्रित समाधानों पर लगातार ध्यान केंद्रित करना केवल हमारे मिशन के प्रति हमारे दृढ़ समर्पण को रेखांकित करता है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एक समय में एक परिवर्तन को आकार देने के अपने रास्ते पर है.



मानव पूंजी
को बढ़ाना:

सतत विकास के लिये हमारा रणनीतिक रोडमैप


जैसे- जैसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया भविष्य के बैंकिंग परिवेश को नेविगेट करता है, इसका ध्यान अपने मानव संसाधनों के महत्व पर लगातार केंद्रित रहता है। बैंक रणनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों को साकार करने में लोगों की भूमिका को पहचानता है, जो वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान किए गए व्यापक मानव संसाधन विकास पहलों में परिलक्षित होता है। इस फोकस को मजबूत करना भर्ती, पदोन्नति, कर्मचारी लाभ, विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत, सर्वांगीण दृष्टिकोण है, ये सभी एक लचीला, भविष्य लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

हमारे लोगों में निवेश करना बैंक के भविष्य में निवेश करना है। हमारी मजबूत मानव संसाधन रणनीति- जिसमें भर्ती, संवर्धन और एक अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण शामिल है, हमारे उधार व्यवसाय और विकास की आकांक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य को बढ़ावा देता है। हमारा मानना है कि व्यक्तिगत प्रगति ही सामूहिक सफलता की कुंजी है।

भविष्य की आकांक्षाओं के लिए कार्यबल की ताकत को बढ़ाना

मार्च 2023 के अंत तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 30,770 हो गई। अधिकारी, लिपिक और उप-कर्मचारी स्तरों पर वितरित यह वृद्धि, बैंक के उधार व्यवसाय की ज़रूरतों और इसकी विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की गई थी।

रणनीतिक भर्ती पहल के कारण 547 नए विशेषज्ञ अधिकारियों और 527 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति हुई और साथ ही उप-कर्मचारी और लिपिक श्रेणियों में अनुकंपा नियुक्तियाँ हुईं, जिसने बैंक की मानव पूंजी और समृद्ध किया।





बैंक ने सभी स्तरों और विषयों में एक व्यापक पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की, जिससे 795 क्लर्कों को स्केल -1 अधिकारियों और 2,779 अधिकारियों को उच्च ग्रेड और स्केल में पदोन्नत किया गया। साथ ही बैंक की निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानान्तरण नीति अखिल भारतीय

स्तर पर 724 अधिकारियों की जरूरतों को पूरा किया। कैरियर में उन्नति के लिए यह व्यापक दृष्टिकोण पेशेवर विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

30,770

मार्च 2023 के अंत में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल कर्मचारी शक्ति

547

वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंक द्वारा नियुक्त नए विशेष अधिकारी

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

मानव पूंजी बढ़ाना:

सतत विकास के लिए हमारा
रणनीतिक रोडमैप

एक पुरस्कृत कर्मचारी अनुभव विकसित करना

हमारा दृढ़ विश्वास है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यह लोकाचार हमारी व्यापक और विचारशील कर्मचारी लाभ योजना में परिलक्षित होता है, जिसे कार्यस्थल के भीतर और बाहर हमारे कर्मचारियों की भलाई और संतुष्टि का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्वास्थ्य और कल्याण हमारे लाभ कार्यक्रम में प्राथमिकता लेते हैं। हमने अतिरिक्त सुपर टॉप-अप सुविधा के साथ व्यापक चिकित्सा बीमा सहित चिकित्सा सुविधाएं और बीमा कवरेज प्रदान किया है। कॉर्पोरेट बफर और सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जैसी विशेष योजनाएं भी लागू की गई हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वपूर्ण बीमारी के खर्चों को पूरा किया जाता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा कवरेज प्राप्त होता रहता है।

हमारी वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन हमारे कर्मचारियों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं। हमने मृत कर्मचारियों के परिवारों को अंतिम संस्कार खर्च और अनुग्रह भुगतान के लिए राहत राशि बढ़ा दी है। हमने सेवारत स्टाफ सदस्यों के लिए कैटीन सब्सिडी सुविधाओं में वृद्धि की है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिनके बच्चे शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं।



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में, हम अपने लोगों को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में देखते हैं, और उनके विकास और कल्याण पर हमारा निरंतर ध्यान हमारी विकास की कहानी में परिलक्षित होता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रशंसा और उत्सव के माहौल को बढ़ावा देता है। उन्नत हॉलिडे और ट्रांजिट होम हमारे कर्मचारियों के लिए एक आरामदायक पलायन प्रदान करते हैं, जबकि स्वास्थ्य जांच और खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए आवंटन एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। यूनियनों के साथ खुली चर्चा और संशोधित

स्थानांतरण मानदंडों और पदोन्नति नीतियों के माध्यम से, हम लगातार एक सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी कल्याण हमारे संचालन के केंद्र में है, और यह ध्यान हमारे ग्राहकों की सेवा करने और हमारे विकास को चलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

निरंतर सीखने और विकास पर जोर देना

सेंट्रल राइज नामक महत्व (पीएमएस) को पहचानते हुए निरंतर सीखने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए और क्षमता निर्माण के लिए परियोजना को लागू किया गया है, हमने विकास किया है,

बैंक में अधिकारी और क्लर्क हैं। यह प्रणाली कर्मचारियों के लिए स्थापित विविध प्रशिक्षण पहलों को चुनने के लिए प्रावधान करती है, जो उनके प्रमाणपत्रों की भूमिका जैसे घटकों को एकीकृत करती है।

यह उन्हें पीएमएस टूल में उपयोगिता के सभी स्तरों पर पांच प्रमाणपत्र प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता का निर्माण करने और आवंटन, स्कोरकार्ड और समीक्षा करने की अनुमति देता है, जिससे एक वित्तीय वर्ष में ₹60,000 तक की कीमत को बढ़ावा मिलता है, हमारे संगठन. प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली और

विकास के अनुरूप उनके कौशल सेट को बढ़ाने के लिए निरंतर सुधार की एक व्यापक संस्कृति बैंकिंग की उभरती मांग. हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम पहुंच और प्रभावशीलता के मामले में उल्लेखनीय रूप से सफल रहे हैं. हमने अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण कॉलेजों और सीखने और विकास केंद्रों (सीएलडी) के माध्यम से विभिन्न विषयों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं. प्रभावशाली रूप से, इन संस्थानों की क्षमता उपयोग 114.43% तक पहुंच गया, जो हमारी मानव पूंजी को विकसित करने के हमारे मजबूत प्रयासों को दर्शाता है.

सीखने के परिदृश्य की बदलती गतिशीलता के साथ बने रहने के लिए, हमने ई-लर्निंग मॉड्यूल और वीडियो-आधारित शिक्षण की पेशकश करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है. हमारे कर्मचारी सेंट्रल स्वाध्याय ऐप के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी सुविधा और गति से सीखने में सक्षम बनाया जा सकता है. हमने मैकिन्से एंड कंपनी, एफएसआईबी, आईबीए, आईआईएम-ए, आईआईएम इंदौर, एक्सएलआरआई, एससीआई, आईआईबीएफ और जेबीआईएमएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी विशेष प्रशिक्षण पहल प्रदान करने के लिए शामिल किया है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नेतृत्व कौशल को सुधारना, पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और हमारे डिजिटल परिवर्तन उद्देश्यों का समर्थन करना है.

2,117

वित्त वर्ष 2023 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

31,523

वित्त वर्ष 2023 के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण के कुल घंटे



एक समावेशी कार्यबल बनाना

सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए, बैंक का कार्यबल सभी कैडरों में एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों सहित समाज के विविध स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करता है. समावेशिता के लिए यह प्रतिबद्धता विविध दृष्टिकोण और अनुभव सुनिश्चित करती है, एक समृद्ध, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देती है जो नवाचार और प्रगति को संचालित करती है.

835

बैंक में सभी कैडरों में दिव्यांग कर्मचारी

7,748

बैंक के कर्मचारियों की संख्या जो महिलाएं

एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कड़े दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करते हुए कार्यस्थल उत्पीड़न को रोकने

के उपायों को लागू किया है. सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों के निर्माण के माध्यम से, बैंक ने यौन उत्पीड़न के मामलों को सफलतापूर्वक संबोधित और हल किया है.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की मानव पूंजी विकसित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता कर्मचारी भर्ती, लाभ, विकास और समावेश के प्रति अपने व्यापक दृष्टिकोण में परिलक्षित होती है. जैसा कि बैंक एक आशाजनक भविष्य के लिए तैयार है, इसके लोगों की वृद्धि और कल्याण इसकी प्रेरक शक्ति बनी हुई है, जो इसकी विकास आकांक्षाओं और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.



समावेशन के माध्यम से
सशक्त विकास

समावेशी ऋण एवं समृद्धि हेतु हमारी प्रतिबद्धता

हम वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के साथ एक संस्था हैं, और वित्त वर्ष 2023 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में काफी प्रगति का प्रदर्शन किया है। यहां, हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बैंक की नवीन मानव-केंद्रित रणनीतियों ने भारत के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिदृश्य में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत किया है और हम भविष्य के विकास को बनाए रखने के लिए कैसे तैयार हैं।

14से अधिक साझेदारियों के लिए हमारे सह-उधार गठबंधनों को गहरा करके, हमने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अपने उधार कौशल को सक्रिय किया है। यह कदम केवल संख्यात्मक विकास से अधिक है - यह हमारे देश के आर्थिक विकास में उत्प्रेरक बनने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

उधार देने की पुनर्कल्पना

वित्तीय परिदृश्य अभूतपूर्व तरीके से विकसित हुआ है और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के दिग्गज संस्थानों में से एक, इस परिवर्तन में सबसे आगे खड़ा है. एक साहसिक परंतु रणनीतिक कदम के तहत, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 के दौरान अपनी सह- उधार साझेदारी को देश भर में सात अतिरिक्त अग्रणी गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के

साथ संबंधों को बढ़ावा दिया. इस रणनीतिक पैतरेबाजी ने आपके बैंक के सह उधार गठबंधन को 14 मजबूत साझेदारियों तक बढ़ा दिया, जो इसकी गतिशीलता और अपने ऋण क्षितिज का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

इन साझेदारियों की आधारशिला प्रमुख क्षेत्रों में ऋण बढ़ाने के महान प्रयासों में निहित है. भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)

द्वारा दिए गए निर्देशों में निहित पहल प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों में खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में फैली हुई है.

इन पहलों की प्रभावकारिता का प्रमाण इस वर्ष आपके बैंक द्वारा दर्ज किए गए अग्रिम में प्रभावशाली वृद्धि के साथ मेल खाता है. इन सह- उधार गठबंधनों को बढ़ावा देकर, आपका बैंक अपनी उधार देने की क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम था, जिससे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में इसकी स्थिति सुनिश्चित हुई. ये आंकड़े ऋण देने के प्रतिमानों को फिर से परिभाषित करने के लिए बैंक के समर्पण की पुष्टि करते हैं, जो समावेशी विकास के प्रति रणनीति, महत्वाकांक्षा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

अग्रणी एनबीएफसी और एचएफसी के साथ अपनी सह-उधार साझेदारी का विस्तार करके, हम उधार प्रतिमानों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक साथ आर्थिक विकास को आगे बढ़ावा दे रहे हैं.

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

समावेशन के माध्यम से सशक्त विकास

वित्तीय समावेशन को बढ़ाना

वित्तीय समावेशन, न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, लंबे समय से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए एक मुख्य जनादेश रहा है। इस वर्ष, आपके बैंक ने बाधाओं को तोड़ने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है, अग्रणी पहल की है, जो देश के बैंक रहित और कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं लाने का प्रयास करती है। यह एक ऐसा मिशन है जो उतना ही महत्वाकांक्षी है जितना कि यह आवश्यक है जो शब्दों को क्रियाशील रणनीतियों में बदलने के लिए आपके बैंक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया, सचेत रूप से उन व्यक्तियों और समुदायों को ऊपर उठाने की मांग की, जिनके पास पारंपरिक रूप से इन आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच थी। वित्तीय समावेशन के लेंस के तहत काम करते हुए, समावेशी विकास को चलाने के लिए आपके बैंक के प्रयासों ने बैंकिंग क्षेत्र की पारंपरिक बाधाओं को पार कर लिया है।

इस पहल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना था। बैंक ने मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों और यूएसएसडी- आधारित सेवाओं सहित विभिन्न डिजिटल समाधान शुरू किए, जो दूरदराज के क्षेत्रों में भी एक सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों ने भी नई बैंक आबादी के बीच जागरूकता और समझ को बढ़ावा दिया है।

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 103,000 करोड़ से अधिक तक पहुंचने वाले क्रेडिट परिनियोजन के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना



कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। इसे स्वीकार करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने किसानों और कृषि उद्यमों को समर्थन देने के लिए नवीन उपाय अपनाते हुए, इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपके बैंक ने 18% के मानक के मुकाबले कृषि ऋण के रूप में 21.98% एएनबीसी प्राप्त करके महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने कृषि ऋण प्रवाह को प्रेरित किया है। विशेष ऋण अभियान

आयोजित करने और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत पात्र किसानों के लिए फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है, जो किसानों को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। बैंक के प्रयास कृषि के प्रति उसके अटूट समर्पण को रेखांकित करते हैं।

वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास की शक्ति का उपयोग करना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी पहल करने में गर्व महसूस करता है। आपके बैंक ने विभिन्न राज्यों में 48 वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) और 46 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण और अर्द्ध - शहरी समुदायों में वित्तीय ज्ञान और कौशल में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

एफएलसीसी के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया व्यक्तियों तक पहुंचता है, महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद करता है और उनकी आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है, इसके साथ ही, आरएसईटीआई व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और स्व-रोजगार को बढ़ावा देता है।

इन क्षेत्रों में बैंक के मजबूत प्रयासों ने 2022-23 में 27,428 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 77% ने रोजगार हासिल किया या उद्यम स्थापित किया, जो इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शिक्षा और कौशल के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपने व्यवसायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ~676 लाख से अधिक लेनदेन के साथ वित्तीय समावेशन में अग्रणी है, और व्यापार की मात्रा में प्रभावशाली ~22% की वृद्धि हुई है, जो वंचित लोगों तक बैंकिंग लाने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतीक है।

इन प्रयासों के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के समर्पण ने ज्ञान और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर वित्तीय समावेशन की जड़ों को मजबूत किया है। वित्तीय साक्षरता पैदा करके और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देकर, आपका बैंक समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्यधारा की वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में सहायता करता है। यह सशक्तिकरण, शुद्ध बैंकिंग सेवाओं से आगे बढ़कर, वित्तीय रूप से समावेशी और न्यायसंगत भारत को बढ़ावा देने के लिए उनकी गहन प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 16वीं (सोलहवीं) वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 30 जून 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 स्थित बैंक के केन्द्रीय कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से, निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:-

मद संख्या 1.

दिनांक 31 मार्च 2023 को बैंक के लेखापरीक्षा एकल और समेकित तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023 को बैंक के एकल और समेकित लाभ एवं हानि खाते, खातों की इस अवधि में बैंक के कामकाज तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन करना तथा इन्हें स्वीकार करना.

विशेष व्यवसाय:-

मद संख्या 2.

बैंक के बोर्ड हेतु सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक मुकेश शेठ की नियुक्ति को मंजूरी देना.

विचार करने हेतु और यदि उपयुक्त हो तो निम्नलिखित को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह प्रस्तावित किया गया है कि सेबी के नियम 17 (1सी), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू और समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक मुकेश शेठ की नियुक्ति बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिकरण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के अंतर्गत एवं वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा.सं.6/2/2022-बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल 2022 के अनुसार दिनांक 11 अप्रैल 2022 से आगामी आदेश तक अनुमोदित किया गया है.”

मद संख्या 3.

बैंक के बोर्ड हेतु कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम वी मुरली कृष्ण की नियुक्ति को मंजूरी देना.

विचार करने हेतु और यदि उपयुक्त हो तो निम्नलिखित को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह प्रस्तावित किया गया है कि सेबी के नियम 17 (1सी), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू और समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम वी मुरली कृष्ण की नियुक्ति बैंकिंग कंपनी

(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा.सं.4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 नवम्बर 2022 के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से तीन वर्षों या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अनुमोदित किया गया है.”

मद संख्या 4.

बैंक के बोर्ड हेतु सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में प्रियव्रत शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी देना.

विचार करने हेतु और यदि उपयुक्त हो तो निम्नलिखित को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह प्रस्तावित किया गया है कि सेबी के नियम 17 (1सी), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू और समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार, बैंक के सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रियव्रत शर्मा की नियुक्ति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अंतर्गत एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा.सं.6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08 मई 2023 के अनुसार दिनांक 08 मई 2023 से तीन वर्षों या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अनुमोदित किया गया है.”

मद संख्या 5.

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न माध्यमों से ₹ 2500 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु विचार.

विचार करने हेतु और यदि उपयुक्त हो तो निम्नलिखित को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह प्रस्तावित किया गया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (योजना) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 एवं समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियों एवं प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन, भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(सेबी), एवं/अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी और ऐसे निबंधन, शर्तों और संशोधनों के अधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में विहित किए जाएं और जिन पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जाए और विनियमों अर्थात् सेबी (पूंजी जारी करना एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के अधीन, (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,

2015, अबतक यथा संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचनाएं/परिपत्र और अन्य सभी लागू कानूनों तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग करारों के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे "बोर्ड" कहा जाता है) को दी जाती है, इस कार्यकाल में पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल मानी जाएगी, जिसे बोर्ड ने इस प्रस्तावित द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित किया है या पुनः गठित कर सकता है, (अपनी शक्तियां व इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु) बनाने, पेशकश करने, जारी करने और आवंटित (जारी किए गए ऐसे भाग, फर्म आवंटन और/या प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित और व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए जिन्हें कानून द्वारा अनुमत किया जा सकता है) भारत में या विदेश में एक प्रस्ताव दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज के माध्यम से, ₹ 10 (रुपये दस मात्र) के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या जो ₹ 2500 करोड़ तक (केवल दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) एवं किसी भी परिस्थिति केंद्र सरकार का बैंक में अधिकृत पूंजी 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर, एक या अधिक किशतों में, एक या अधिक सदस्यों सहित, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय ("एनआरआई"), कंपनियां - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार ("क्यूआईबी"), विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआईआई"), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण या निवेशकों की किसी अन्य श्रेणी जो इक्विटी में निवेश करने के लिए अधिकृत हैं, मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की प्रतिभूतियां या उपर्युक्त के किसी भी संयोजन के अनुसार, जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जा सकता है।

"यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे निर्गम, जो प्रस्ताव या आवंटन योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से होगा, फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू (एफपीओ), राइट इश्यू अथवा उसके संयोजन में, इसमें अति-आवंटन विकल्प के साथ या उसके बिना योग्य संस्थान प्लेसमेंट शामिल हैं एवं इस प्रकार के ऑफर, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") और आरबीआई, सेबी और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों अथवा ऐसे समय या उस समय पर और ऐसे नियमों एवं शर्तों पर, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे आदि प्रावधानों के अनुसार निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन किया जाना चाहिए."

"आगे प्रस्तावित किया गया है कि बोर्ड के पास ऐसे कीमत अथवा कीमतों हेतु जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों अथवा अंडरराइटर्स अथवा अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्य नियमों एवं शर्तों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सेबी (आईसीडीआर)

विनियमों के संदर्भ में तय कर सकता है, एवं आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम कीमत, अन्य विनियम और अन्य सभी लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं।

"आगे प्रस्तावित किया गया है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बटके) विनियम, 1998 के प्रावधान, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्रावधान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या प्रतिबंधों के अधीन। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकरणों की आवश्यकता हो सकती है (इसके बाद सामूहिक रूप से "उपयुक्त प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) और ऐसी कोई भी अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या स्वीकृति (जिसे बाद में "अपेक्षित अनुमोदन" के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, समय-समय पर एक या अधिक किशतों में, इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा किसी अन्य प्रतिभूतियों में जारी, प्रस्ताव और आवंटन कर सकता है। जो बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या विनियम योग्य है, इस तरह से कि केंद्र सरकार किसी भी समय योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) (जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है) के लिए बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 51% हो। जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत, प्लेसमेंट दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/लेखन/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, निबंधन और शर्तों पर जो सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएं, के माध्यम से प्रावधान किया गया है."

"आगे प्रस्तावित किया गया है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के मामले में:

- ए. प्रतिभूतियों का आवंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के भीतर योग्य संस्थागत खरीदारों को होगा और ऐसी प्रतिभूतियों का पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 365 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।
- बी. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधान के अनुसरण में निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट पर शेयरों की पेशकश करने के लिए प्राधिकृत है।
- सी. प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार/ आरबीआई / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रस्ताव में लगाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों को उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और मंजूरी देने के समय जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार इसका आबंटन और सूचीबद्धीकरण किया जाएगा।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नए इक्विटी शेयर्स /प्रतिभूतियां जारी करना और उनका आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई की मंजूरी के अधीन होगा, जैसा कि लागू हो सकता है, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होगा।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश और बैठक) विनियम, 1998 संशोधित, के अधीन होंगे और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ सभी पारी पास के अनुसार रैंक किए जाएंगे और लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने के लिए के लिए पात्र होंगे।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि, ‘इक्विटी शेयर्स/ प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक पेशकश की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, जिसमें निवेशकों का वर्ग भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयर्स /प्रतिभूतियों की संख्या, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को उचित समझता है और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करता है, जो वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझ सकते हैं, और सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों को निपटाने के लिए निर्देश या निर्देश देने के लिए आदेश या निर्देश दे सकते हैं। निर्गम आय का निर्गम, आबंटन और उपयोग, और नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करना और प्रभावी करना, जैसा भी हो,

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि बोर्ड के किसी भी बुक रनर (ओं), लीड मैनेजर (ओं), बैंकरों (ओं), अंडरराइटर (ओं), डिपाजटरी (यों), रजिस्ट्रार (ओं), लेखापरीक्षक (ओं) और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है जो शेयर्स / प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकते हैं कमीशन,ब्रोकरेज,शुल्क या इसी तरह के माध्यम से ऐसे सभी संस्थानों और एजेंसियों को पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करने और निष्पादित करने के लिए भी अधिकृत हैं।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों और/या अन्य व्यक्तियों के परामर्श से, निवेशकों के वर्ग सहित जारी (ओं) के रूप और शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिन्हें शेयर / प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के वारंट का प्रयोग/मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या रद्द होने पर समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक बंद करने की तारीख तय करना और संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझता है .

“पुनः संकल्प किया गया कि इन शेयरों/प्रतिभूतियों में से जो भी अभिदत्त नहीं हैं, उसके पूर्ण विवेकाधिकार में बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने और कानून द्वारा अनुमत होने पर निपटाया जा सकता है।

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और शेयर्स / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को हल करने के लिए और आगे ऐसे सभी कार्य करने के लिए, विलेख, मामले और चीजें, सभी दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकते हैं, जो शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन की मांग किए बिना उचित, उचित या वांछनीय हो सकते हैं या अंत और इरादे के लिए अधिकृत किए बिना, शेयरधारकों को इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया गया माना जाएगा।”

“पुनः प्रस्तावित किया गया कि बोर्ड को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (ओं) या ऐसे अन्य अधिकारियों (ओं) या बोर्ड की समिति के सभी या किसी भी अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाए, जिसे वह उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

चंद्रकांत भागवत

स्थान : मुंबई
दिनांक: 6 जून, 2023

कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

नोट:

1. सेबी (लिसिंग दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण बैठक में लेनदेन किए जाने वाले व्यावसायिक मद संख्या 2 से 5 के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करना:

28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के अनुसरण में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 5 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों सहित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित, बैंक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 16 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित कर रहा है। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नोटिस में संलग्न नहीं है।

4. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अंशधारकों कि किसी भी बैठक में भाग लेने या मतदान न करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें इसे पारित किया गया था मूल प्रति के रूप में प्रमाणित न किया गया हो एवं कम से कम चार दिन पहले ई-मेल smird@centralbank.co.in के माध्यम से बैंक को भेजा गया हो। बैठक के लिए तय की गई तारीख सोमवार, 26 जून 2023 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले है।

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए बैठक स्थल का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

7. ईमेल आईडी और बैंक खाते का विवरण का पंजीकरण:

(ए) यदि शेयरधारक की ईमेल आईडी पहले से ही बैंक / उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट "आरटीए" / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जा रहा है

यदि शेयरधारक ने अपना ईमेल पता बैंक/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है या भविष्य में घोषित लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

(i) कृपया हमारी आरटीए की वेबसाइट पर लॉग इन करें, इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिंक www.linkintime.co.in > निवेशक सेवाओं के अंतर्गत ईमेल/ बैंक विवरण पंजीकरण - विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें।

या

(ii) शेयर्स के डीमैट मोड में रखे जाने के मामले में:

शेयरधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क कर सकता है और डीपी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत कर सकता है।

(iii) भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं और विधिवत भरे हुए आईएसआर -1 फॉर्म की भौतिक प्रति लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी -101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 को भेज कर बैंक के आरटीए के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं।

बी. वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को भेजी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते बैंक, डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जारी परिपत्र (यदि कोई संशोधित हो) के अनुसार इसकी वार्षिक आम बैठक वार्षिक आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी निवेशक संबंधों के तहत उपलब्ध होगी. स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड है।

सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं।

सी. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना दें:

ए. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी) को

बी. भौतिक रूप में धारित शेयरों हेतु: सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी- 1/पी/



सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 और अन्य रूपों में बैंक / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ने भौतिक शेयरधारकों को पत्र भेजे हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट ://www.https://www.centralbankofindia.co.in/ Letter-to-Physical-Shareholders.pdf पर भौतिक शेयरधारकों हेतु पत्र भी देख सकते हैं।

(डी). सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने केवल सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय जैसे कि डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; अदावाकृत सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण; अनुमोदन; विनिमय/ उप विभाजन/ विभाजन का प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्रतिभूति; यों के समेकन का प्रमाणपत्र संचरण; फोलियो/ और स्थानांतरण के लिए अपने परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी/ / आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2022./8 25 जनवरी 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनियों को डीमैटरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का आदेश दिया है। तदनुसार सदस्यों से निवेदन किया जाता है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आईएसआर-4 प्रपत्र जमा करके सेवा अनुरोध करें जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट ://www.https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Form ISR-4 पर उपलब्ध हैं। और बैंक के रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट की वेबसाइट downloads.html- web. linkintime.co.in/client//: https पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर उपलब्ध है। यह नोट करें कि किसी भी सेवा अनुरोध को फोलियो केवाईसी अनुपालन के बाद ही संसाधित किया जा सकता है।

(ई). सेबी ने 24 जनवरी 2022 की अपनी अधिसूचना के अंतर्गत

यह अनिवार्य कर दिया है कि संचरण और स्थानान्तरण अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में ही संसाधित किया जाएगा। उसी के मद्देनजर और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमैटरियलाइजेशन के लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयर को डीमैटरियलाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

(एफ). सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों के पास उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे प्रपत्र सं. एसएच-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को बदलना या रद्द करना चाहता है और एक नया नामांकन दर्ज करना चाहता है, और ऐसा कोई भी मामला हो, तो वह इसे प्रपत्र आईएसआर-3 में जमा कर सकता है। उक्त प्रपत्र बैंक की

वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/217707> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

8. पैन,केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अधिक्रमण में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-आरटीएमबी/पी/ सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारक और दावेदार वैध पैन, केवाईसी विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करेंगे:

क्र. सं.	प्रपत्र	उद्देश्य
1.	प्रपत्र आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्ट्रार/अपडेट करने के लिए
2.	प्रपत्र आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3.	प्रपत्र आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4.	प्रपत्र एसएच-13	नामांकन पत्र
5.	प्रपत्र एसएच-14	नामांकन का रद्दीकरण या परिवर्तन (यदि कोई हो तो)

सभी उपर्युक्त फार्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14] और उक्त सेबी परिपत्र बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध खण्ड में उपलब्ध हैं 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उद्धृत विवरण/ दस्तावेजों में से कोई एक (यानी पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे या आरटीए के पास उपलब्ध नहीं है, उन्हें उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार रोक दिया जाएगा

• पैन,केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को रोक लगाना.

ए) 01 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त पैरा में दिए गए दस्तावेज/विवरण में से कोई भी एक उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा अवरोधित कर दिया जाएगा

बी) सुरक्षा धारक जिनके फोलियो अवरोधित कर दिए गए हैं, वे पात्र होंगे:

• उपरोक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या

किसी सेवा अनुरोध का लाभ लेने के लिए

- 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अवरोधित हुए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए बैंक द्वारा सुरक्षा धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा.

सी) आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अवरोधित फोलियो को बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम 1988 अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक अवरोधित बने रहते हैं.

डी) उपरोक्त पैरा में दिए गए सभी दस्तावेजों /विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए अवरोधित फोलियो को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा .

9. ई- वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश इस प्रकार है:

ए) शेयरधारकों/सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के निर्देश:

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के पात्र है. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आए पहले पाए के आधार पर उपलब्ध होगी.

शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण पहले आए पहले पायें के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक/ सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रामिक समिति, स्टैकधारक संबंध समिति तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में पहले आये पहले पाये के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15(पंद्रह) मिनट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15(पंद्रह) तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित है.

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को 'इंस्टामीट' सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारकों/सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर बैठक में उपस्थित रहना होगा.

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <http://instameet.linkintime.co.in> डालें

"कंपनी" और "इवेंट" चुनें, "लॉगिन" पर क्लिक करें और निम्न विवरण पंजीकृत करें :

ए. डीपी आईडी/ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो सं. आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 अंकों वाला डीपी आईडी/ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी अथवा फोलियो संख्या प्रविष्ट करें.

बी. पैन: आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता संख्या प्रविष्ट करें .

सी. मोबाइल नंबर

डी. ई-मेल आईडी

2. गो टू मीटिंग पर क्लिक करें (अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए दर्ज की गयी है).

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राडबैंड से जुड़े टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान व्यवधान टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी स्पीड(अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) के इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें कि मोबाईल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाईल/ टैबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अतः उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों का कोई प्रश्न है या ई-वोटिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या टेलीफोन नं. 022-4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं.

- बी) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों/ सदस्यों को स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकरण करने हेतु अनुरोध:

वे शेयरधारक/सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं /प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपना नाम, डीमैट खाते का नंबर /फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ई-मेल: smird@centralbank.co.in पर 20 जून से, 2023, 10.00 पूर्वाह्न से 27 जून, 2023, 5.00 अपराह्न तक भेजकर स्वयं का स्पीकर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं.

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही बैठक के दौरान वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.



शेयरधारक जब अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तो उन्हें एक “स्पीकिंग क्रम सं.” प्राप्त होगी। अन्य शेयरधारक, बैठक के दौरान पैनलिस्ट से अपने प्रश्न सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पूछ सकते हैं। शेयरधारकों अनुरोध है कि वे स्पीकिंग क्रमांक को याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को स्विच ऑन करके पैनलिस्ट के साथ बातचीत शुरू करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक/ प्रबंधन के मॉडरेटर के द्वारा नाम व क्रमांक की घोषणा करने पर ही बोलें।

शेयरधारक/सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने प्रश्न अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ अग्रिम रूप से ईमेल: smird@centralbank.co.in पर 23 जून, 2023 को या उससे पहले भेज सकते हैं। बैंक द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

टिप्पणी:

वे शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है केवल वे ही बैठक के दौरान अपने विचार एवं प्रश्न व्यक्त कर सकते हैं। बैंक को अधिकार है कि वह वार्षिक सामान्य बैठक में समय की उपलब्धता के आधार पर स्पीकरों को प्रतिबंधित कर सकता है।

बैठक के दौरान आने वाली बाधाओं को टालने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरे के उपयोग करने की व अच्छी गति के इंटरनेट (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड गति) के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।

सी) वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान शेयरधारकों/सदस्यों को इंस्टामीट के माध्यम से वोट देने हेतु अनुदेश :

एक बार बैठक के दौरान संवीक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान सक्रिय होने के बाद, शेयरधारकों/सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार वोट दे सकेंगे :

- शेयरधारकों के वीसी पृष्ठ पर, ई-वोटिंग के लिए “कास्ट वोटिंग क्लिक करें”।
- डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या और इंस्टामीट के पंजीकरण के दौरान प्राप्त ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त / पंजीकृत ईमेल आईडी) प्रविष्ट करें और ‘जमा करें’ पर क्लिक करें।
- सफल लॉगिन के पश्चात, आपको “संकल्प विवरण” दिखेगा और उसी के सामने मतदान के लिए “पक्ष/विपक्ष” का विकल्प दिखाई देगा।
- अपने इच्छित विकल्प अर्थात “पक्ष / विपक्ष” का चयन करके अपना वोट दें। कट-ऑफ तिथि के अनुसार ‘पक्ष/विपक्ष’ के अंतर्गत शेयरों का क्रमांक (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) प्रविष्ट करें।
- इच्छानुसार उचित विकल्प पक्ष/विपक्ष चुनने के पश्चात व वोट देने के निर्णय के बाद “सुरक्षित रखें” पर क्लिक

करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “पुष्टि करें” पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए “बैक” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

- एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आप अपने वोट को संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकते।

टिप्पणी:

“इंस्टामीट” सुविधा के द्वारा वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में जो शेयरधारक/ सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए वर्जित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे।

वार्षिक सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया है, वे वार्षिक सामान्य बैठक में इंस्टामीट के माध्यम से उपस्थित रहने/ सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप instameet@linkintime.co.in पर ईमेल करें अथवा 022-4918 6175 पर कॉल करें।

10. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 44(1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित नियम 20 तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं। बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई- वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 “सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई गई ई-वोटिंग सुविधा” पर, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया को सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए सक्षम किया गया है, व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (“ईएसपी”) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें

रिमोट ई- वोटिंग की अवधि सोमवार, 26 जून, 2023 और गुरुवार 29 जून 2023 को सायं 5 बजे तक है। इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात शुक्रवार, 23 जून 2023 को भौतिक रूप से या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।

डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-मोटिंग और लॉगिन पद्धति के लिए प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है:-

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ul style="list-style-type: none"> यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत है तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। इस पर ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ खुलने के बाद, "लॉगिन के अंतर्गत "बेनिफिशल ओनर"" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस सेक्शन पर उपलब्ध है। तब एक नई स्क्रीन खुलेगी तब शेयरधारक को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्ससेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करने पर ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करे और शेयरधारक को ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तब पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। 'आईडीईएस पोर्टल पर या https://eservices, nadi.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण करें . एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। इस पर ई-सेवाओं का मुख्य पृष्ठ खुलने के बाद, "लॉगिन के अंतर्गत शेयरधारक / सदस्य" आइकन पर क्लिक करें, तब एक नई स्क्रीन खुलेगी। तब शेयरधारक को अपनी यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ अपना सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडारेक्ट किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है। बैंक या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल में सम्मिलित होने एवं बैठक के दौरान वोट करने के लिए वह ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर रिडायरेक्ट किया जाएगा
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ul style="list-style-type: none"> विद्यमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा ईजी / ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdalindia.com/myeasi/home/login या www.cdalindia.com है और नए सिस्टम मायसी पर क्लिक करें। ईसी / ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग में भी देख सकेंगे। मेन्यू में ई- वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता जो ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi.Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com मुख्य पृष्ठ पर एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है।

शेयरधारकों का प्रकार

लॉगिन विधि

व्यक्तिगत शेयरधारक(डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें

- शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं.
- लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे. एक बार जब वह ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करता है, तो उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए उन्हें ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

- इंटरनेट ब्राउजर खोलकर यूआरएल <https://instavotelinlinkintime.co.in> पर जाएँ "शेयर धारक" टैब के अंतर्गत "साइनअप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें:-

ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक / सदस्य, कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर+ फोलियो नंबर प्रदान करेंगे.

- पैन : पैन: अपना 10- अंकीय स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) / कंपनी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या यदि लागू हो का उपयोग करेंगे.

सी. जन्मतिथि / जन्म तिथि / निगमन तिथि प्रविष्ट करें(जैसा कि आपके डीपी/ कंपनी के साथ दर्ज किया गया है -तिथि / माह / वर्ष प्रारूप में)

डी. बैंक खाता संख्या: अपनी बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) प्रविष्ट करें, जैसा कि आपके डीपी कंपनी के पास प्रविष्ट है.

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले लेकिन उक्त 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किए गए शेयरधारक / सदस्य, ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर प्रदान करेंगे.
- अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष वर्ण (@!#\$%&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए.
- "कंफर्म" पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार हो गया है)

1. 'शेयर धारक' टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें

2. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.

3. सफल लॉगिन के बाद आप ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन देख पाएंगे. 'व्यू' आइकन चुनें.

4. ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा.

5. संकल्प विवरण देखें और अपने वांछित विकल्प पर 'पक्ष/विपक्ष' का चयन करके अपना वोट दें यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिजॉल्यूशन देखें' फाइल लिंक पर क्लिक करें).

6. वांछित विकल्प यानी पक्ष/ विपक्ष का चयन करने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

यदि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत 'लॉगिन' पर क्लिक करें और आगे 'फॉर्गेट पासवर्ड' पर क्लिक करें.
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड चुनें एवं चित्र सत्यापन कोड (कैप्चा) दर्ज कर. "सबमिट" पर क्लिक करें.

यदि शेयरधारक के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, जन्म तिथि / डीओआई लाभांश बैंक विवरण आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है और पुष्टि कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, न्यूनतम एक विशेष वर्ण (@!#\$%&*), न्यूनतम एक अंक, न्यूनतम एक अक्षर और न्यूनतम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)

नोट:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्ताव पर मतदान के लिए किया जा सकता है.

यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक / सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी पाजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें.

अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दें

1. सफल लॉग-इन के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का "इवेन्ट नंबर" चयन करें या देखें (सिलेक्ट/व्यू).
2. वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" का विकल्प दिखायी देगा. उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार "पक्ष/विपक्ष" का चयन कर अपना वोट दें.
कट ऑफ तारीख पर शेयर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) "फेवरअगेन्स्ट" में प्रविष्ट करें. आप "अलग रहना (अबस्टेन)" का विकल्प भी चुन सकते हैं, तो धारित शेयर्स "पक्ष/विपक्ष" के लिए नहीं गिने जायेंगे.
3. यदि आप पूरा प्रस्ताव विवरण देखना चाहते हैं, तो "व्यू रिज़ोल्यूशन फाइल लिंक पर क्लिक करें.
4. "पक्ष/विपक्ष" में से उचित विकल्प का चयन करने पर आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो 'सबमिट' पर क्लिक करें.

एक "कन्फर्मेशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हां (यस)" पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो "नहीं (नो)" पर क्लिक करें, अपने वोट में संशोधन करें.

5. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं है.
6. आप वोटिंग पृष्ठ पर "प्रिंट" विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का 'प्रिंट आउट' भी ले सकते हैं.

संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश:

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई आदि) एवं अभिरक्षकों एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में <https://instavote.linkintime.co.in> पर लॉगिन कर अभिरक्षक (म्युचुअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय) के तौर पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा.

उन्हें बोर्ड संकल्प /प्राधिकरण पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी आदि की एक स्कैन प्रमाणित प्रति भी अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ-साथ पीडीएफ प्रारूप में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ 'कस्टोडियन/ म्युचुअल फंड/कॉर्पोरेट निकाय' लॉगिन में जांचकर्ता को सत्यापित करने के लिए लॉगिन किया गया है।

- **सभी शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**
- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक किसी विशेष "इवेन्ट" के लिए प्रस्ताव (ऑ) पर मतदान करने तक किसी भी समय तक लॉगिन कर सकते हैं।
- कई फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क:

यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों / सदस्यों के पास डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल / सीडीएसएल के माध्यम से लॉ गिन से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं.



सीडीएसएल के लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का साथ डीमैट मोड में सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रतिभूतियां रखने वाले भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर व्यक्तिगत शेयरधारक सकते हैं या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- यदि भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों / सदस्यों / संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो कृपया <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें।
सहायता अनुभाग के तहत या enotices@linkintime.co.in को एक ईमेल करे या हमें कॉल करें: - टेलीफोन : 022 - 49186000.
- शेयरधारकों के मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 23 जून 2023 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। तथापि, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने पास रखे गए किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगी।
- एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 23 जून 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल के माध्यम से बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 23 जून, 2023 को शेयर रखता है, उल्लिखित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- इस नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी डाली गई है।
- एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।
- जांचकर्ता ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में उन वोटों को अनब्लॉक करेगा जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और अध्यक्ष के पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत अध्यक्ष को देगा।
- स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर डाले जाएंगे। और बैंक की

एजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किया जाएगा।

11. शेयरधारकों के रजिस्टर का समापन:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार 24 जून, 2023 से शुक्रवार, 30 जून, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

12. मतदान अधिकार :

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने पास रखे किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसके पास हाथ उठाने पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उसके पास उसके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

13. बैठक का परिणाम:

प्रस्ताव को एजीएम की तारीख को बैंक के प्रधान कार्यालय में पारित माना जाएगा, बशर्ते प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों।

14. बैठक की रिकॉर्ड की गई प्रतिलेख/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम की कार्यवाही बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जितनी जल्दी हो सके निवेशक संबंध अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

15. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई हिस्सा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इसलिए यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल पहला नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और बैठक में मतदान करने के लिए पात्र है।

16. शेयरधारक बैठक के लिए बैंक की वेबसाइट से वार्षिक रिपोर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं:

17. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते हैं कि शेयरों का भौतिक रूप में कारोबार नहीं किया जा सकता है और शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे अपने शेयरों को डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में बदलने का अनुरोध करते हैं। आप डीमैट सेवा प्रदान करने वाली निकटतम बैंक की शाखा में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमैट में परिवर्तित कर सकते हैं। डीमैट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची

बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीमैट फॉर्म में अपनी अंशधारिता को परिवर्तित करने से जुड़े विभिन्न लाभ हैं जैसे कि नुकसान से बचना, खराब डिलीवरी, तेजी से निपटान, पेपरलेस ट्रेडिंग, आदि। इसके अलावा, पता बदलने, बैंक जनादेश, नामांकन और लेनदेन के लिए अनुरोध के बारे में सूचना केवल उस एक ही स्थान पर दी जानी आवश्यक है यानी उस शाखा के साथ जहां आप अपना डीमैट खाता खोलते हैं, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनी / इकाई के शेयर हों।

18. अदावी लाभांश, यदि कोई तो:

शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है / या घोषित लाभांश प्राप्त नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या बैंक से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ब के अनुसार अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरण

की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक अथवा लावारिस लाभांश की राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी अपेक्षित है और उसके बाद बैंक को उसके संबंध में भुगतान का कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारक, जिनके बिना दावे वाले लाभांश आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए हैं, www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म नंबर IEPF-5 में IEPF प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है और बैंक की वेबसाइट पर निवेशक पृष्ठ के एफएक्यू पर वेबलिक <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/FAQ-for-shreholders.pdf> पर देखें।

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक एम शेट की नियुक्ति को अनुमोदित करना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या ईएफ नंबर 6/2/2022-बीओ दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से श्री हार्दिक मुकेश शेट को भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड में दिनांक 11.04.2023 से और अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक एम शेट की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) सामान्य बैठक के सचिवीय मानक नं 2 के साथ पठित पैरा 1.2.5 के संदर्भ में श्री हार्दिक एम शेट का संक्षिप्त विवरण इस व्याख्यात्मक विवरण में दिया गया है:

नाम	श्री हार्दिक एम शेट
डीआईएन	लागू नहीं
आयु	44 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	11 अप्रैल 2022
शैक्षणिक योग्यता	एमबीए (फायनेंस) और यूएससीपीए
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त विवरण	वर्तमान में, श्री हार्दिक मुकेश शेट वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्रालय में शामिल होने से पहले, श्री हार्दिक शेट कुछ बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) से जुड़े थे। उनके पास विविध क्षेत्रों में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रबंधन, कॉर्पोरेट क्रेडिट, शाखा संचालन और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें बड़ी टीम और विभिन्न शाखाओं को संभालने का अनुभव है। वह अपने साथ बैंकिंग उद्योग का समग्र दृष्टिकोण लेकर आए हैं।
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद	शून्य
अन्य कम्पनियों की समितियों कि सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
निदेशकों के बीच सम्बंधों का प्रकटीकरण	कोई सम्बंध नहीं
सूचीबद्ध संस्थायें जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है	शून्य

अन्य विवरणों के लिए जैसे कि वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या, आयोजित इक्विटी शेयर की संख्या और निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के निदेशकों में से कोई भी बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर उपरोक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री एम.वी.मुरली कृष्ण की नियुक्ति को अनुमोदित करना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम.वी. मुरली कृष्ण को पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01.12.2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है,

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री एम.वी.मुरली कृष्ण की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री एमवी मुरली कृष्ण का संक्षिप्त विवरण और आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पढ़ा गया है।

नाम	श्री एमवी मुरली कृष्ण
डीआईएन	09021111
आयु	55 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	1 दिसम्बर, 2022
शैक्षणिक योग्यता	बैंकिंग व फाइनेंस में एमबीए
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त विवरण	श्री मल्लादी वेंकट मुरली कृष्ण 1 दिसम्बर 2022 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में आने से पूर्व, उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया। श्री एमवी मुरली कृष्ण को बैंकिंग उद्योग में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ परिवीक्षा अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का व्यवसायिक बैंकिंग अनुभव है। श्री मुरली कृष्ण बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण - बड़े कॉर्पोरेट के प्रमुख थे। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे- कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण और कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एनआरआई व्यवसाय आदि तक फैली हुई है। बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शाखाओं से क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेशी क्षेत्र से कॉर्पोरेट कार्यालय तक काम किया। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रमुख, ग्रामीण और कृषि विभाग के प्रमुख और वित्तीय समावेशन विभाग के प्रमुख जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभाला है। श्री मुरली कृष्ण ने बीओबी कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और एएफसी लिमिटेड (कृषि वित्त निगम) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद	1. सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड (असूचीबद्ध कम्पनी)
अन्य कम्पनियों की समितियों कि सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
निदेशकों के बीच सम्बंधों का प्रकटीकरण	कोई सम्बंध नहीं
सूचीबद्ध संस्थाओं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है	शून्य

विवरणों के लिए ऐसा जैसे निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित रहें एवं इक्विटी शेयरों की संख्या आदि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें।

निदेशक मंडल सूचना में उल्लेखित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

बैंक के निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर उपरोक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

एजेंडा मद सं. 4

बैंक के बोर्ड में सीए वर्ग के अंतर्गत अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रियव्रत शर्मा की नियुक्ति का अनुमोदन करना.

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (जी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (9) के उप-खंड (2) के मद (बी) के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या एफ.एनओ.6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08.05.2023 को बैंक के बोर्ड में सीए श्रेणी के अंतर्गत गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रियव्रत शर्मा को नियुक्त किया गया है. 08.05.2023 से तीन साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक , इनमें से जो भी पहले हो तक लागू.

श्री प्रियव्रत शर्मा को बैंक के बोर्ड में सीए वर्ग के अंतर्गत गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए एजीएम में शेरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है.

संक्षिप्त प्रोफाइल का श्री प्रियव्रत शर्मा में शर्तों का विनियमन 36 (3) का सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित विनियम, 2015 के नियमों के अंतर्गत श्री प्रियव्रत शर्मा की संक्षिप्त रूपरेखा का इसके बाद व्याख्यात्मक विवरण दिया गया है.

नाम	श्री प्रियव्रत शर्मा
डीआईएन	06972771
आयु	52 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तारीख	08 मई, 2023
शैक्षणिक योग्यता	बीकॉम, एफसीए
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ	श्री प्रियव्रत शर्मा को अंकेक्षण, समुचित सावधानी, कराधान, वित्तीय योजना, कंपनी कानून के मामले, सूचना सिस्टम ऑडिट, फेमा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आदि क्षेत्रों में 27 वर्ष से अधिक का अनुभव है, श्री प्रियव्रत शर्मा , प्रियव्रत शर्मा एंड कंपनी, (सीए फर्म), जयपुर के साझेदार हैं.
अन्य कंपनियों में आयोजित निदेशक	1. ब्रह्म फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (असूचीबद्ध कंपनी)
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
निदेशकों एवं इंटर- एसई के मध्य संबंधों	कोई संबंध नहीं.
सूचीबद्ध इकाइयां, जिनसे पिछले 3 वर्ष में शून्य निदेशकों ने इस्तीफा दिया हो	शून्य

निदेशक मंडल सूचना में उल्लेखित साधारण संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

बैंक के निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर उपरोक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

मद सं. 5

विभिन्न माध्यमों जैसे क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकारिक मुद्दों के द्वारा इक्विटी पूंजी को ₹ 2500 करोड़ तक बढ़ाने पर विचार हेतु

बासेल तृतीय विनियम के अनुसार, बैंक को 5.50% का न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात साथ ही इक्विटी पूंजी के रूप में पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) का 2.50% में प्रपत्र का हिस्सेदारी पूंजी, 9.50% का टियर 1 अनुपात और कुल 11.50% का सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है .नियत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त करने हेतु बैंक को पूंजी की आवश्यकता होगी दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का सीआरएआर 14.12% (टियर I - 12.11% (सीसीबी सम्मिलित), टियर II - 2.01%) है।

वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य सीआरएआर बनाये रखने और बैंक में सार्वजनिक शोयधारिता बढ़ाने के लिए 12-14 % के व्यवसायिक प्रक्षेपण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने विभिन्न माध्यमों जैसे क्यूआईपी/एफपीओ/अधिकारिक मुहूर्तों के द्वारा इक्विटी पूंजी को ₹ 2500 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन विकल्पों का प्रयोग बैंक द्वारा आवश्यकता और प्रचलित बाज़ार स्थितियों पर आधारित होगा।

पूँजी उचित अनुमोदन के साथ भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और ऐसे बैंकिंग कंपनियों में निर्धारित अन्य प्राधिकरण (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंध और मिश्रित प्रावधान) योजना 1970 और सेबी के उपयुक्त दिशा निर्देशों / नियमों के द्वारा उठाई जाएगी।

निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में विभिन्न उल्लेख विकल्पों द्वारा ₹ 2500 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के लिए अपनी अनुमति दी थी।

31 मार्च, 2023 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.12% है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 10000/- करोड़ है। बैंक की शोयर पूंजी की प्रदत्त इक्विटी 31 मार्च, 2023 को ₹ 8680.93 करोड़ है। बढ़ी हुई पूंजी बैंक के सामान्य व्यवसाय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी।

विशेष प्रस्ताव ऐसे समय या समयों, ऐसी कीमत या कीमतों पर, और ऐसे निवेशकों के लिए जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे एक या अधिक किशतों में इक्विटी शोयर जारी करने के लिए बोर्ड को शक्तियाँ देने का प्रयास करता है। इक्विटी शोयर जारी करने के लिए विस्तृत नियम व शर्तें जब भी जारी की जाएंगी, तो बोर्ड द्वारा मर्चेन्ट बैंकरों, सलाहकारों और ऐसे अन्य अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, जिस पर बैंक द्वारा उपलब्ध बाज़ार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से पूर्वोक्त इक्विटी शोयरों के निर्गमन की स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

- इक्विटी शोयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तिथि सेबी (आईसीडीआर) अध्याय ८ के विनियम और/ या अन्य लागू विनियमों के अनुसार होगी, चाहे वह उस बैठक की तारीख हो जिसमें बोर्ड या उसकी पूंजी जुटाने वाली समिति इक्विटी शोयरों के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का फैसला करती है। इक्विटी शोयरों के प्रस्तावित

मुद्दे के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की प्राप्ति के अनुसार होगा।

- चूँकि प्रस्ताव का मूल्य बाद के चरण को छोड़कर तय नहीं किया जा सकता है, जारी किए जाने वाले शोयरों की कीमत बताना संभव नहीं है। हालाँकि यह सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 1998 के प्रावधानों के अनुसार होगा, जो समय-समय पर संशोधित या किसी अन्य दिशानिर्देश/ नियमों / के रूप में लागू या आवश्यक हो सकता है।
- पूरी तरह से भुगतान किए गए शोयरों का निर्गमन और आवंटन सेबी (आईसीडीआर) नियमों के अर्थ के अंतर्गत योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए किया जाएगा और यह आवंटन उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 365 दिन के अंतर्गत पूर्ण किया जाएगा।
- प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबंधक और अंडरराइटर और ऐसे अन्य प्राधिकरण या अधिकारियों जो आवश्यक हैं के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।
- प्रतिभूतियों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार जुटाई गई अधिक आवंटन सहित कुल राशि बैंकों की नेट वर्थ के 5 गुना से अधिक नहीं होंगी जो पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा शीट के अनुसार थी।
- योग्य संस्थान प्लेसमेंट के अंतर्गत आवंटित प्रतिभूति मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अलावा आवंटन जारी होने कि तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए आवंटि द्वारा नहीं बेचा जाएगा।
- बैंक, इसके प्रवर्तक या निदेशक आर्थिक अपराधी नहीं हैं।
- आबंटित इक्विटी शोयर सहित बैंक के सभी मायनों में पारी पासू रैंक वाले इक्विटी शोयरों के साथ हर तरह से समान रैंक वाले होंगे।

निदेशक मंडल सूचना में उल्लेखित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

बैंक के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी बैंक में अपनी शोयधारिता की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त प्रस्तावों में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
(चंद्रकांत भागवत)

दिनांक : 6 जून, 2023
जगह: मुंबई

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



व्यवसायिक विश्लेषण

	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22	मार्च 23
मद													
कुल व्यवसाय	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404	5,77,075
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%
कुल जमा	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	32,9973	34,2692	3,59,296
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%
कुल ऋण एवं अप्रिम	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%
निवेश	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)	(2.80%)
सीडी अनुपात	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63	60.86
आस्तियों पर आय	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%	0.44%

लाभप्रदता

	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22	मार्च 23
मद													
सकल आय	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)	14.96%
सकल व्यय	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)	13.55%
परिचालन लाभ	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%
शुद्ध लाभ/हानि	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1,045	1,582
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%	51.39%
निम (%)	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.64%
शुद्ध ब्याज आय	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%
गैर ब्याज आय	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73%	(14.32%)	(4.75%)	37.60%

*चालू वर्ष में वार्तिकरण की पुष्टि हेतु जहाँ भी आवश्यक है वहाँ मार्च 22 के आंकड़ों का पुनः परिकलन/पुनः समूहन किया गया है.

निदेशक रिपोर्ट 2022-23

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- » दिनांक 31 मार्च 2023 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 577075 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2022 को ₹ 532404 करोड़ था।
- » बैंक की कुल जमाराशि ₹ 359296 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2022 को ₹ 342692 करोड़ थी।
- » बैंक का कुल अग्रिम ₹ 217779 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च 2022 को ₹ 189712 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में कुल आय ₹ 29626 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में यह ₹ 25770 करोड़ थी।
- » बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹ 4084 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 2968 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 19.89% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 6884 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में रूपए ₹ 5742 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹ 1582 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है जबकि दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹ 1045 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹ 18.70 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में ₹ 17.52 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अनुसार) 14.12% रहा जिसमें टियर I - 12.11% एवं टियर II - 2.01% रहा। (बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है।)
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को नेटवर्क ₹ 25449.41 करोड़ रही।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के नगद वसूली में बेहतरी दर्शाते हुए (एनपीए की बिक्री सहित) ₹ 4213 करोड़ हो गई जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 3617 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम अनुपात में बेहतरी दर्शाते हुए 8.44% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को 14.84% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को निवल एनपीए अग्रिम अनुपात घटकर 1.77% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को 3.97% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधर कर 92.48% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को 86.69% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) बेहतरी दर्शाते हुए 3.64% रहा जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 3.21% था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में अस्थिरता पर प्रतिफल (आरओए) 0.44% रहा।
- » वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 103518.76 करोड़ रहा तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एनबीसी को ऋण के आधिक्य का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/ खरीद लेनदेन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 4650 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री की।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक का कृषि ऋण ₹ 42110 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 38635 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एमएसएमई अग्रिम पीएसएलसी के बिना ₹ 39199 करोड़ रहा और सिडबी में ₹ 275.21 करोड़ का तथा मुद्रा लिमिटेड में ₹ 23.60 करोड़ का निवेश है। वित्त वर्ष 2022-23 का पीएसएलसी ₹ 700 करोड़ है।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 62726 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 52226 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹ 38793 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 28.61% की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च 2023 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 61.83% रही।
- » बैंक ने देश के 9 राज्यों यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2) राजस्थान (1), ओडिशा (1) एवं असम (1) में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान आरएसईटीआई ने 960 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 27428 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया। इनमें से 21036 (अर्थात् 77%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते और स्ववित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है नियोजित अभ्यर्थियों को क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 12045 अर्थात् 57% रही।
- » बैंक के पास 31 मार्च 2023 तक 2 राज्यों के 23 जिलों में 1175 शाखा नेटवर्क के साथ 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- » बैंक में वित्त समावेशन के अंतर्गत 13142 बीसी एजेंट तैनात किए गए हैं। बैंक ने 997 शहरी वित्त समावेशन केन्द्र खोले हैं।
- » 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल ₹ 91 करोड़ रुपये आय हुई।
- » दिनांक 31 मार्च 2023 को 4493 शाखाओं के नेटवर्क जिसमें 65.21% (2930 शाखाएं) ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 3752 एटीएम, 9959 बीसी प्वाइंट तथा कुल 18204 टच प्वाइंट्स के साथ बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति है।

2. आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

	31.03.2023	31.03.2022	विचलन	(₹ करोड़ में) %
1 ब्याज आय	25542	22802	2740	12.01%
- अग्रिम	14922	11501	3421	29.75%
- निवेश	8715	9264	(549)	-5.92%
- अन्य	1905	2037	(132)	-6.48%
2 गैर ब्याज आय*	4084	2968	1116	37.60%
3 कुल आय (1+2)*	29626	25770	3856	14.96%
4 प्रदत्त ब्याज	13855	13315	540	4.06%
- जमाराशि	13388	12848	540	4.04%
- अन्य	467	467	-	-
5 परिचालन व्यय	8887	6713	2174	32.38%
- स्थापना	5604	3927	1677	42.70%
- अन्य	3283	2786	497	17.83%
6 कुल व्यय (4+5)	22742	20028	2714	13.55%
7 स्प्रेड (1-4)	11687	9487	2200	23.18%
8 परिचालन लाभ (3-6)*	6884	5742	1142	19.88%
9 प्रावधान*	5302	4152	1150	27.69%
10 कर के लिए प्रावधान	1063	672	391	58.18%
11. असाधारण मद (व्यय)	0	545	-	-
11 शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9-11)	1582	1045	537	51.39%

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है..

3. प्रावधान

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, लाभ और हानि खातों को प्रभारित ₹ 5302 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

	31.03.2023 (वि.व)	31.03.2022 (वि.व)	विचलन (₹ करोड़ में)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	681	(222)	406.76%
एनपीए के लिए प्रावधान*	3534	2454	44.01%
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	(222)	596	-137.25%
निवेश के लिए प्रावधान*	215	653	-67.08%
करों के लिए प्रावधान	1063	672	58.18%
अन्य	31	(1)	3200.00%
कुल	5302	4152	27.70%

4. लाभप्रदता अनुपात

	31.03.2023 (वि.व)	31.03.2022 (वि.व)
जमाओं की लागत	3.92	3.86
निधियों की लागत	3.97	3.92
अग्रिमों पर आय	7.61	6.57
निवेशों पर आय	6.26	6.27
निवेश पर आय (ट्रेडिंग लाभ सहित)	6.41	6.59
शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.64	3.21
लागत आय अनुपात	56.35	53.90

5. व्यवसायिक अनुपात

	31.03.2023 (वि.व.)	31.03.2022 (वि.व.)
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से ब्याज आय	7.67	6.65
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से गैर-ब्याज आय	1.53	0.87
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से परिचालन लाभ	2.26	1.67
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.61	0.30
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	18.70	17.15
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	7.42	3.38

*चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना / पुनर्समूहन किया गया है।

6. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

पूँजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे:

	31.03.2023 (वि.व.)	31.03.2022 (वि.व.)
	बासल-III	बासल-III
टियर -I	12.11%	11.48%
टियर -II	2.01%	2.36%
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	14.12%	13.84%

*जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सलाह दी है, बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूँजी अनुपात की गणना की है।

7. शुद्ध लाभ/हानि

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 1582 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 हेतु निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. लाभांश

बैंक के भविष्य के व्यवसाय परिचालन के लिए संसाधनों के संरक्षण दृष्टि से आपके निदेशकों ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

9. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन:

दिनांक 11 अप्रैल 2022 से श्री भूषण कुमार सिन्हा बैंक के निदेशक नहीं हैं। वे 14 मई 2018 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

दिनांक 11 अप्रैल 2022 से श्री हार्दिक मुकेश शेट सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30 नवम्बर 2022 को सेवानिवृत्त हुए।

श्री एम वी मुरली कृष्ण दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

श्री प्रियव्रत शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 08 मई 2023 से चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गए।

10. व्हिसल ब्लोअर नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का "सेन्ट्रल ई व्हिसल ब्लोअर" नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारी की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ महाप्रबंधक - मानव संपदा प्रबंधन विभाग को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

11. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्ति के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा था। बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी एससीबी के लिए संशोधित पीसीए ढांचे के अंतर्गत सभी मानकों को पूरा कर लिया है और बैंक भारतीय रि. जर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20 सितंबर, 2022 के अनुसार पीसीए से बाहर आया है

12. व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के आधार पर बोर्ड और गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं पूर्णकालिक निदेशकों सहित बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा 17 मार्च, 2023 को आयोजित एक अलग बैठक में किया गया।

इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन के लिए बनाए गए बोर्ड की समिति द्वारा किया जाता है। आगे, अनौपचारिक निदेशकों/ श्रेयधारक निदेशक आदि का निष्पादन मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

13. बोर्ड एवं इसकी उप- समितियां:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं इस हेतु आयोजित की गई बैठकें, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, के अनुसार आवश्यकतानुसार बोर्ड एवं उप-समितियों का गठन किया जाता है।

14. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वर्ष के दौरान की गई घोषणा

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस बात की पुष्टि करते हुए यह घोषित किया है कि सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 में वर्णित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करेंगे।

15. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 24ए और सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 के अनुसार दिनांक 08 फरवरी, 2019 को, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक ने कंपनी सचिव, मुंबई में सचिवीय ऑडिट का अभ्यास करने वाले मैसर्स एसजी एंड एसोसिएट्स (श्री गणेश गनपुले) को एक सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

16. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

सूचिबद्ध विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

17. व्यवसाय उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट :

व्यवसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है, इसके साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

18. लाभांश वितरण नीति:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है। नीति, बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है (www.Centralbankofindia.co.in)।

19. निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है; भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है; समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं। ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके। भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं।

लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर लेखे तैयार किए गए हैं।

आंतरिक वित्त नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गई है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से क्रियान्वित है।

20. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्पष्ट प्रलेखित प्रणाली तथा प्रथाओं का अपनाया है।

21. आभार:

निदेशक मंडल शेयर धारकों, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, ग्राहकों, निवेशकों, शेयर बाजार निवेशकों एवं अन्य शेयर धारकों के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
(एम वी राव)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 24 मई, 2023

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म संख्या एमआर - 3

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम संख्या 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.]

प्रति,
सदस्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके बाद बैंक कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है.

सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसमें हमें कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया.

बैंक की बहियों, कागजातों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए फार्मों और रिटर्नों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उचित सीमा तक है, तरीके से और यहाँ के तहत की गई रिपोर्टिंग के अधीन :

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रिटर्न दाखिल किए और अन्य रिकॉर्ड के साथ किताबों, कागजों, मिनट बुक्स, फॉर्मों की जांच की है

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक (समीक्षा के तहत अवधि के लिए लागू नहीं)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

- ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011:

- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021. (अवधि के तहत समीक्षा के लिए लागू नहीं).

हम आगे कहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में कोई घटना / कार्रवाई नहीं हुई: -

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021.
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंक और गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता की सूची शेयर) विनियम, 2013.
5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (लागू नहीं).
- बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते.

बैंक पर लागू होने वाले अन्य कानून निम्नलिखित हैं:

- ए) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949.
- बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इसके संशोधन.

सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970.

डी) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश का अनुपालन किया है एवं निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर वर्णित मानक आदि का अवलोकन किया है :

- 1) बैंक के निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या बल इसके 50% से कम है.
- 2) बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है.
- 3) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना आरबीआई के परिपत्र दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुपालन में नहीं है. इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक वित्त वर्ष 2022-23 में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 के तहत आवश्यकतानुसार आयोजित नहीं की गई थी.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

बैंक के निदेशक मंडल को बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (संशोधित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (संशोधित) की धारा 9 (3) के तहत विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है और उपर्युक्त के अलावा कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों, स्वतंत्र निदेशक और शेयरधारक निदेशक के उचित संतुलन के साथ गठित किया है. बैंक ने रिक्त पदों पर निदेशकों की नियुक्ति के मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया है.

हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है. बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत सरकार इसका प्रवर्तक है.

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना उपर्युक्त बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत निर्देशित है.

बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक को छोड़कर सभी निदेशकों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुरूप बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बैंक के मामलों का प्रबंधन / शासन निदेशक मंडल और उसके अधीन लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार गठित उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया है, जैसा कि सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होता है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं या कार्रवाइयों का पालन किया जो ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक पर प्रभाव डाल सकते हैं:

बैंक ने 07.05.2022 को .500 करोड़ के बेसल III अनुपालन टियर II बॉन्ड पर कॉल विकल्प को भुगतान किया है.

बैंक ने 28.09.2022 को 139.10 करोड़ रुपये के बेसल II के तहत टियर I परपेचुअल बॉन्ड पर कॉल विकल्प भुगतान किया है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित के कोई उदाहरण नहीं थे:

- i. सार्वजनिक/अधिकार/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी.
- ii. विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि.
- iii. विदेशी तकनीकी सहयोग.

**एसजी एंड एसोसिएट्स के लिए,
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़**

सुहास गनपुले

स्वामित्व

सदस्य संख्या – A12122

सीपी संख्या . 5722

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24.05.2023

यूडीआईएन : ए012122ई000369116

अनुलग्नक - I

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रति,
सदस्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

आज दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारी राय हमारी जिम्मेदारी है.
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे. सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में व्यवहार परिलक्षित होता है. हम मानते हैं कि हमने जिन प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक वास्तविक आधार प्रदान करते हैं.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है.
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, मानदंडों और मानकों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानदंडों और मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभाव का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

एसजी एंड एसोसिएट्स के लिए,
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़

सुहास गनपुले
स्वामित्व

सदस्य संख्या – A12122

सीपी संख्या . 5722

यूडीआईएन : ए012122ई000369116

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24.05.2023

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

निदेशकों की गैर - अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची ३ पैरा सी खंड (10) (1) के अनुसार)

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका मुख्य कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जो हमारे सामने. इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(1) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा कि आवश्यक समझा जाता है और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बैंक/कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय / वित्त मंत्रालय / भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी तरह के वैधानिक प्राधिकरण द्वारा वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है.

क्र सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1	श्री एम. वी. राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	6930826	01-03-2021
2	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	5123610	23-01-2019*
3	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	7490023	10-03-2021
4	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	7330989	10-03-2021
5	श्री एम वी मुरली कृष्ण	कार्यपालक निदेशक	9021111	01-12-2022
6	श्री भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यकारी - भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	8135512	14-05-2018**
7	श्री हार्दिक मुकेश शेट	गैर-कार्यकारी - भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	11-04-2022
8	श्री पी जे थॉमस	गैर-कार्यकारी - आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	28-09-2020
9	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	21-12-2021
10	श्री दिनेश पांगती	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	7517137	01-07-2021

* दिनांक 30.11.2022 से बैंक के निदेशक नहीं रहे

** दिनांक 11.04.2022 से बैंक के निदेशक नहीं रहे

नोट: बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं. इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया गया है जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और जिन निदेशकों के पास डीआईएन नहीं है, "लागू नहीं" का उल्लेख यहां ऊपर किया गया है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करना है. यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है.

एसजी एंड एसोसिएट्स के लिए,
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़

सुहास गनपुले

स्वामित्व

सदस्य संख्या - A12122

सीपी संख्या . 5722

यूडीआईएन : ए012122ई000369303

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24.05.2023

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी और रूस- यूक्रेन युद्ध के प्रभावों के बाद सुधार के चरण में है। हालांकि आपूर्ति सम्बंधी बाधाएं कम हो गई हैं, लेकिन तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। सम्पर्क गहन सेवाएं जो महामारी के दौरान काफी प्रभावित हुई थीं, वे मांग की साक्षी और प्रगति में सहयोगी रहीं। हालांकि, इनपुट लागत दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चीन लॉकडाउन के कारण आवश्यक इनपुट की उपलब्धता प्रभावित होने और वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होने के कारण विनिर्माण को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अप्रैल 2023 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2023 में 2.8 प्रतिशत और 2024 में 3.0 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से 2023 में 7.0 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, जो 2024 में 4.9 प्रतिशत तक गिर सकती है। रिपोर्ट में भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक "उज्ज्वल बिंदू" के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें 2023 में भारत की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 2022 में वैश्विक विकास में भारत की हिस्सेदारी 7.3 प्रतिशत थी।

वैश्विक आर्थिक मंदी मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 की चौथी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 1.1 प्रतिशत की मंदी का सामना किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2 फीसदी महंगाई दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए मई 2023 में अपनी नीतिगत दरों को बढ़ाकर 5-5.25 फीसदी कर दिया है। अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत की वार्षिक दर तक गिर गई है, जो उम्मीद से कम है और अप्रैल 2021 के बाद से सबसे कम है। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) मौद्रिक नीति के संचरण और आर्थिक गतिविधि, मुद्रास्फीति और वित्तीय विकास पर इसके प्रभाव को बारीकी से निगरानी करेगी।

यूरोप में यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ईसीबी) ने अपनी बेंचमार्क उधार लागत बढ़ाकर 3.25 प्रतिशत कर दी। लगातार पांच महीनों की गिरावट के बाद अप्रैल में यूरो जोन में वार्षिक मुद्रास्फीति बढ़कर 7 प्रतिशत हो गयी। मार्च 2023 में यूनाइटेड किंगडम में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरों में और बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। ब्रिटेन, ऊर्जा का शुद्ध आयातक होने के कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की दर में वृद्धि से अधिक प्रभावित है। यूरो क्षेत्र की वृद्धि 2023 में 0.8 प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है, इसी वर्ष ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 0.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

आईएमएफ ने 2023 के लिए जापान के विकास अनुमान को घटाकर 1.3 प्रतिशत कर दिया है, जो कमजोर बाहरी मांग और निवेश को दर्शाता है।

हालांकि, जापान की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च 2023 में 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पिछले साल तकनीकी मंदी के बाद वापसी का संकेत देती है। इस वृद्धि की गति का श्रेय सरकार द्वारा प्रदान की गई मूल्य राहत उपाय और मजबूत वेतन वृद्धि को दिया जा सकता है। जापान में मुख्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति मार्च 2023 में 3.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 2 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है, जबकि बैंक ऑफ जापान ने एक अति-सूलभ मौद्रिक नीति का रुख बरकरार रखा है।

विश्व जीडीपी में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की हिस्सेदारी 58.3 प्रतिशत है, जिसमें चीन का हिस्सा 18.5 प्रतिशत है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, ईएमडीई की वृद्धि दर 2023 में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है और 2024 में यह 4.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमान के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2022 से नीतिगत दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। मुद्रास्फीति कम हो गई है और मार्च 2023 में 5.6 प्रतिशत तथा अप्रैल 2023 में 4.7 प्रतिशत दर आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्षित सीमा के भीतर बनी हुई है, और स्थिर मांग और आपूर्ति की बाधाओं में कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है, मुद्रास्फीति के लक्ष्य सीमा के भीतर रहने का अनुमान है और भविष्य में कोई और दर वृद्धि की उम्मीद नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन को मापने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में मार्च 2023 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिवाली के बाद से आईआईपी लगातार बढ़ रहा है, जो औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर सुधार का संकेत देता है। अप्रैल में विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लचीलापन दर्शाता है।

मार्च 2023 के मध्य में भारतीय रुपये ने यूएसडी के मुकाबले 82.6 प्रति अमरीकी डालर तक पहुंचने गया है। वैश्विक बैंकिंग अस्थिरता के कारण चिंताएं पैदा हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप उभरते बाजारों की मुद्राओं पर तेज बिकवाली दबाव है। पूरे 2023 में असंतुलित चालू खाते, पूंजी की निकासी और आरबीआई की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है। मजबूत आयात मांग ने भी चालू खाते के घाटे में योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2023 में ज्यादातर महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) शुद्ध विक्रेता रहे। वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2022 में 45.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। कुल आयात में भी 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि पिछले वित्त वर्ष की 56.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम है।

बैंकिंग

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान एक चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य का सामना करने के बावजूद, बैंकिंग उद्योग ने लचीलापन दिखाया, संतोषजनक पूंजी बफर द्वारा समर्थित, और गैर-निष्पादित ऋण स्तरों को नियंत्रित किया। बैंकों ने इस अवधि के दौरान लाभप्रदता में वृद्धि देखी, जो मुख्य रूप से शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि से प्रेरित थी, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों ने निवेश पोर्टफोलियो पर सीमित प्रारंभिक प्रभाव डाला।

बैंक ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-खाद्य बैंक ऋण 9 सितंबर, 2022 तक बढ़कर 16.7% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया, जो मार्च 2022 के अंत में 9.7% था। यह मजबूत वृद्धि 2022-23 की दूसरी छमाही में भी बनी रही, जिसमें एक साल पहले 9.7% से मार्च 2023 के अंत तक गैर-खाद्य बैंक ऋण बढ़कर 15.4% हो गया। चूकि क्रेडिट वृद्धि ने कुल जमा वृद्धि को पार कर लिया, वृद्धिशील क्रेडिट-जमा अनुपात 100% से अधिक हो गया।

वित्त वर्ष 2022-23 में सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण में सुधार हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र में 13.4% ऋण वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की वृद्धि के बराबर थी, जो औसत से अधिक मानसून और कृषि ऋण लक्ष्यों में वृद्धि से प्रेरित थी। उद्योग ऋण पिछले साल के 1.5% से बढ़कर 11.4% हो गया, जिसमें बड़े उद्योग और एमएसएमई सेगमेंट में लगातार वृद्धि हुई। मांग में पुनरुत्थान के कारण दूसरी छमाही में प्रमुख उप-क्षेत्रों में निरंतर उच्च ऋण वृद्धि के साथ, खुदरा ऋण ने पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखा।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एससीबी की कुल जमा में तेजी से वृद्धि हुई, जो पर्याप्त ब्याज दर वृद्धि से प्रेरित थी, जो पिछले वर्ष (25 मार्च, 2022 तक) में 8.9% की वृद्धि की तुलना में 24 मार्च, 2023 तक 9.6% तक धीमी हो गई। बैंकों द्वारा सावधि जमा पर दरें बढ़ाने के कारण वर्ष के दौरान जमा वृद्धि में तेजी आई, हालांकि यह क्रेडिट वृद्धि से पीछे रह गया।

एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, समग्र गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अनुपात जून 2022 में घटकर 5.6% हो गया, जो एक साल पहले 7.5% था। दिसंबर 2022 में 6.5% से घटकर 4.5% हो गया, जो सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुधार दर्शाता है। मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के साथ, 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरें बढ़ीं। मई 2022 से फरवरी 2023 तक, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) सभी क्षेत्रों में बढ़ी। ऋण वृद्धि का पता लगाने के लिए खुदरा जमा को सुरक्षित करने के बैंकों के प्रयासों से दूसरी छमाही में खुदरा जमा दरों में अधिक तेजी से संचरण हुआ। प्रणालीगत तरलता में नरमी के बीच बैंकों ने 2022-23 की पहली छमाही के दौरान अपनी सावधि जमा दरों में भी वृद्धि की।

खुदरा और थोक दोनों को शामिल करते हुए नई जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मई 2022 से फरवरी 2023 तक 222 आधार अंक बढ़ी है। बैंकों ने शुरू में पहली छमाही के दौरान थोक जमा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह प्रवृत्ति दूसरी छमाही

में बदल गई, नई खुदरा जमा दरों (122 आधार अंक) में वृद्धि के साथ नई थोक जमा दरों (77 आधार अंक) में वृद्धि हुई। बकाया जमाराशियों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर को दिए जाने वाले प्रेषण में लगातार सुधार हुआ है, जो निश्चित दरों पर अनुबंधित सावधि जमाओं की लंबी परिपक्वता को दर्शाता है। मौजूदा सख्त चक्र में सावधि जमा दरों में वृद्धि, उधार दरों में वृद्धि से अधिक हो गई, जो जमाकर्ताओं से टिकाऊ धन की उच्च मांग का संकेत देती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ व्यापार विकास लक्ष्यों को पार किया

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यौरा	मार्च 22	मार्च 23	वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि
कुल कारोबार	532404	577075	8.39
कुल जमा (अंतर बैंक जमा सहित)	342692	359296	4.85
कासा जमा	172480	180312	4.54
कासा प्रतिशत	50.58	50.39	(19) बीपीएस
कुल अग्रिम	189712	217779	14.79
आरएमएम	125000	144735	15.79
कॉर्पोरेट	64712	73044	12.88
सीडी अनुपात	55.63	60.86	523 बीपीएस

व्यापार विकास के लक्ष्यों को पार किया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने वित्त वर्ष 2023 में अपने व्यापार विकास लक्ष्यों को पार करते हुए असाधारण परिणाम हासिल किए। बैंक का कुल कारोबार ₹532,404 करोड़ से बढ़कर ₹577,075 करोड़ हो गया, जो 8.39% की साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाता है। इसने व्यापार वृद्धि के लिए निर्देशन 8% से 10% से बेहतर प्रदर्शन किया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का उल्लेखनीय प्रदर्शन, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, तकनीकी परिवर्तन और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना बैंक को निरंतर सफलता के लिए प्रमुख दृष्टिकोण रहा है। विभिन्न पहलुओं में व्यापक दृष्टिकोण के साथ बैंक, विकास को बनाए रखने, लाभप्रदता में सुधार करने और अपने ग्राहकों को असाधारण सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। सीबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में ₹1,582 करोड़ का अपना सबसे अधिक रिकॉर्ड शुद्ध लाभ हासिल किया, जो 2010 में निर्धारित पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।

अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात

सीबीआई ने अग्रिमों में मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, कुल अग्रिम ₹189,712 करोड़ से बढ़कर ₹217,779 करोड़ हो गया, जो 14.79% की उल्लेखनीय वृद्धि दर को दर्शाता है। अग्रिम खंड के भीतर, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) श्रेणी में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो ₹125,000

करोड़ से बढ़कर ₹ 144,735 करोड़ हो गई, जो 15.79% की वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करती है। कॉर्पोरेट अग्रिमों ने भी अच्छी वृद्धि किया, जो ₹ 64,712 करोड़ से बढ़कर ₹ 73,044 करोड़ हो गया, जो 12.88% की वृद्धि दर को दर्शाता है। ऋण-जमा अनुपात 55.63% से बढ़कर 60.86% हो गया, जो इसकी जमा वृद्धि की तुलना में सीबीआई की बढ़ती उधार गतिविधियों को दर्शाता है।

मजबूत समग्र प्रदर्शन

आपके बैंक ने आरएम में 66.46% और कॉर्पोरेट सेगमेंट में 33.64% के साथ एक संतुलित क्रेडिट बुक बनाए रखी, जो लक्ष्य अनुपात से थोड़ा अधिक है। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.64% रहा, जो 3% से अधिक के लक्ष्य को पार कर गया। सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 8% से नीचे 8.44% के लक्ष्य से थोड़ा ऊपर रहीं, लेकिन शुद्ध एनपीए 1.77% पर अच्छी तरह से नियंत्रण में रहा। आपके बैंक ने 92.48% के मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) का प्रदर्शन किया, जो 92% से अधिक के लक्ष्य को पार कर गया। स्लिपेज अनुपात 1.62% पर कम बना रहा, जो 2% से 2.25% की अनुमानित सीमा से नीचे है। क्रेडिट लागत भी 0.83% पर उम्मीद से कम थी, जो 1% से 1.25% की लक्ष्य सीमा से नीचे थी।

आपका बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करता है, 1% से नीचे क्रेडिट लागत का लक्ष्य रखता है और मजबूत कॉर्पोरेट और एमएसएमई बही-खातों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। बैंक अपने ग्राहक आधार का लाभ उठाने और भविष्य के विकास को चलाने के लिए तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानता है। प्रौद्योगिकी वृद्धि में चल रहे प्रयासों से तीसरी तिमाही से परिणाम मिलने की उम्मीद है।

बैंक ने पीएसएलसी बिक्री, वसूली और अन्य विविध आय जैसे कारकों से प्रेरित शुल्क-आधारित आय में 25.40% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। बैंक शुल्क-आधारित आय और सेवा शुल्क स्थिर रहने की उम्मीद करता है।

आपके बैंक ने अपनी पुनर्संरचित पुस्तक में स्थिरता बनाए रखी है और एमएसएमई संग्रह पर मजबूत पकड़ रखी है। बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में लागत-से-आय अनुपात लगभग 53% से 55% होगा, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में 50% से नीचे आने का लक्ष्य है। यह नियोजित पहल के माध्यम से सकल एनपीए में कमी का अनुमान लगाता है। अपने ग्राहक आधार और प्रौद्योगिकी वृद्धि का लाभ उठाते हुए, सीबीआई का उद्देश्य अपनी स्थिति को मजबूत करना है।

संसाधन जुटाना

मार्च 2022 से मार्च 2023 की अवधि में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने विभिन्न जमा श्रेणियों में वृद्धि देखी। सीबीआई ने कुल जमा में 4.85% की वृद्धि हुई, जो ₹342,692 करोड़ से बढ़कर ₹359,296 करोड़ हो गया। विशेष रूप से, कासा जमा ₹172,480 करोड़ से बढ़कर ₹180,312 करोड़ हो गयी, जो 4.54% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्तमान जमा ₹16,515 करोड़ से बढ़कर ₹17,781 करोड़ हो गई, जो 7.67% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाती है। बचत जमा में भी वृद्धि हुई, जो ₹1,55,965

करोड़ से बढ़कर ₹1,62,531 करोड़ हो गई, जो 4.21% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

व्यौरा	मार्च22	मार्च23	राशि ₹ करोड़ में)
			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत
चालू	16515	17781	7.67
बचत	155965	162531	4.21
कुल कासा जमा	172480	180312	4.54
कासा प्रतिशत	50.58	50.39	(19) बीपीएस
कोर मियादी जमा	168556	177446	5.32
कुल कोर जमा	341036	357840	4.93
अंतर बैंक जमा	1656	1456	(12.08)
कुल जमा	342692	359296	4.85

कुल कासा जमा, जिसमें चालू और बचत जमा दोनों शामिल हैं, ₹1,72,480 करोड़ से बढ़कर ₹1,80,312 करोड़ हो गए, जो 4.54% की वृद्धि दर को दर्शाता है। हालांकि, कासा प्रतिशत, जो कुल जमा में कासा जमा के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, 50.58% से 50.39% तक थोड़ा कम हो गया, जो 19 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट दर्शाता है।

स्थायी सावधि जमाराशि, जमा की एक अन्य श्रेणी, ₹1,68,556 करोड़ से बढ़कर ₹1,77,528 करोड़ हो गई, जो 5.32% की वृद्धि दर को दर्शाती है।

स्थायी सावधि जमाराशि और कासा डिपॉजिट दोनों सहित कुल कोर डिपॉजिट ₹3,41,036 करोड़ से बढ़कर ₹3,57,840 करोड़ हो गए, जो 4.93% की वृद्धि दर को दर्शाता है। दूसरी ओर, इंटरबैंक जमा ₹1,656 करोड़ से घटकर ₹1,456 करोड़ हो गई, जो 12.08% की गिरावट को दर्शाती है।

नई पहल

ये नई पहल तकनीकी प्रगति, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन, राजस्व विविधीकरण, परिचालन दक्षता और जोखिम शमन पर सीबीआई के ध्यान के साथ संरेखित हैं। इन रणनीतियों को लागू करके बैंक का उद्देश्य अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाना, सतत विकास को चलाना और अपने ग्राहकों को असाधारण सेवा प्रदान करना है।

1. तकनीकी परिवर्तन: सीबीआई अपने ग्राहक आधार का लाभ उठाने और भविष्य के विकास को चलाने के लिए तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानती है। प्रौद्योगिकी वृद्धि में चल रहे प्रयासों से तीसरी तिमाही से परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, ग्राहक अनुभव को बढ़ाना और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समर्थन करना है।
2. आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना : सीबीआई परिसंपत्ति गुणवत्ता पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य ऋण लागत 1% से नीचे रहना। मजबूत कॉर्पोरेट और एमएसएमई पुस्तकों

को बनाए रखने के महत्व पर जोर देकर, बैंक का उद्देश्य जोखिमों को कम करना और एक संतुलित क्रेडिट पोर्टफोलियो सुनिश्चित करना है।

3. शुल्क आधारित आय वृद्धि: वित्त वर्ष 2023 में, सीबीआई ने शुल्क-आधारित आय में 25.40% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि पीएसएलसी बिक्री, बसूली और अन्य विविध आय जैसे कारकों से प्रेरित थी। आपका बैंक शुल्क-आधारित आय और सेवा शुल्क स्थिर रहने की उम्मीद करता है, जो राजस्व धाराओं में विविधता लाने पर उसके ध्यान को दर्शाता है।
4. पुनर्संचित बही प्रबंधन : सीबीआई अपनी पुनर्संचित पुस्तक में स्थिरता बनाए रखती है और एमएसएमई संग्रह पर मजबूत पकड़ रखती है। इस पहल में समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने और क्रेडिट जोखिमों को कम करने के लिए पुनर्संचित परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन और निगरानी शामिल है।
5. लागत-से-आय अनुपात अनुकूलन: सीबीआई का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में 50% से कम के लागत-से-आय अनुपात को लक्षित करके परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस पहल में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, संसाधन आबंटन को अनुकूलित करना और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत-बचत उपायों को लागू करना शामिल है।
6. सकल एनपीए में कमी: सीबीआई ने नियोजित पहल के माध्यम से सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी का अनुमान लगाया है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित और हल करके, आपके बैंक का लक्ष्य अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना और समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करना है।

विकासोन्मुख व्यवसाय को-लैडिंग

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने रणनीतिक रूप से अपनी उधार क्षमताओं को बढ़ाने और खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्रों के विकास का समर्थन करने के लिए कई पहलों को लागू किया। इन पहलों का उद्देश्य आपके बैंक की पहुंच को अधिकतम करना, ऋण तक पहुंच में सुधार करना और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

इमर्जिंग बिजनेस वर्टिकल की स्थापना: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों (आरएएम) में ऋण को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इमर्जिंग बिजनेस नामक एक समर्पित वर्टिकल पेश किया है, ताकि इन प्रमुख क्षेत्रों में कई तरीकों के माध्यम से अग्रिम की वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिसमें सह-उधार, पूल बायआउट और टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई इकाइयों की व्यापार प्रारंभियों की छूट शामिल है। इन तंत्रों का लाभ उठाकर, सीबीआई का उद्देश्य आरएएम क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और अपने ग्राहकों की विविध वित्तपोषण आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।

सह-उधार साझेदारी: आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप और प्राथमिकता क्षेत्र के तहत खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में उधार

गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सीबीआई ने देश में सात प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के साथ रणनीतिक सह-उधार साझेदारी की। ये साझेदारियां सीबीआई को उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को ऋण देने और इन विशेष संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं। सह-उधार मॉडल के माध्यम से, बैंक का उद्देश्य संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना, जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योग्य उधारकर्ताओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने देश में सात प्रमुख एनबीएफसी / एचएफसी के साथ सहयोग करके अपनी सह-उधार साझेदारी का विस्तार किया। इससे 31 मार्च, 2023 तक साझेदारी की कुल संख्या 14 हो गई। इन साझेदारियों का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र दोनों के भीतर खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में ऋण में वृद्धि करना है। इन सह-उधार साझेदारियों ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों के विकास और विस्तार का समर्थन करने में सक्षम बनाया है, समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया है और अपने ग्राहकों की विविध वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम वृद्धि पर इन सह-उधार पहलों का प्रभाव निम्नानुसार है:

खंड	2023 के दौरान	
	स्वीकृत राशि	31.03.2023 के अनुसार बकाया राशि
खुदरा	3694.32	4383.71
एमएसएमई	198.63	1916.22
कृषि	4.72	3.75
कुल	5619.27	6303.67

पूल बायआउट के कारण वर्ष के दौरान अग्रिमों में वृद्धि निम्नानुसार है

खंड	2023 के दौरान	
	स्वीकृत राशि	31.03.2023 के अनुसार बकाया राशि
खुदरा	1500.00	3516.81
एमएसएमई	200	161.97
कुल	1700	3678.78

इन सहयोगात्मक प्रयासों ने सीबीआई की ऋण पुस्तिका के विकास और विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थापित एनबीएफसी और एचएफसी के साथ मिलकर, आपके बैंक ने तालमेल का उपयोग किया है, अपने ग्राहक आधार का विस्तार किया है, और आरएएम क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार किया है।

आगे, सीबीआई सह-ऋण भागीदारों के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने, नवीन उधार मॉडल की खोज करने और खुदरा, कृषि

और एमएसएमई क्षेत्रों की वित्तपोषण आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल आपके बैंक की रणनीतिक दृष्टि, नियामक दायित्वों और समावेशी विकास और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसके निरंतर समर्पण के साथ संरेखित हैं।

टीआरडीएस प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन वैशिष्ट्य - 31 मार्च, 2023 तक

टीआरडीएस प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं:

- कुल कारोबार:** वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त कुल टर्नओवर ₹6098.94 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1972.10 करोड़ के टर्नओवर की तुलना में काफी वृद्धि दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि कॉर्पोरेट्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ट्रेडस प्लेटफॉर्म की बढ़ती स्वीकृति और अपनाने को दर्शाती है।
- श्रेणी के हिसाब से कारोबार:** ₹6098.94 करोड़ के कुल कारोबार में से ₹3338.79 करोड़ कॉर्पोरेट कैटेगरी में लेन-देन हुए, जबकि ₹2760.15 करोड़ पीएसयू श्रेणी के तहत मिले। ये आंकड़े कॉर्पोरेट संस्थाओं और पीएसयू दोनों द्वारा टीआईआरडीएस प्लेटफॉर्म की विविध भागीदारी और व्यापक उपयोग का संकेत देते हैं।
- कुल बकाया:** 31 मार्च, 2022 तक, टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर कुल बकाया राशि ₹1205.03 करोड़ थी। यह प्रचलित व्यवसायिक गतिविधि और व्यवसायिक प्राप्त के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने हेतु इस मंच की ताकत को दर्शाता है।

टीआरडीएस प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन सहज लेनदेन को सक्षम करने और व्यवसायों को बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कारोबार में पर्याप्त वृद्धि व्यापार प्राप्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए इस नवीन मंच पर बढ़ते विश्वास और निर्भरता को प्रदर्शित करती है।

ऋण वैशिष्ट्य

बैंक का कुल अग्रिम बढ़कर 31 मार्च, 2023 तक ₹217,779 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.79% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, ताजा कॉर्पोरेट क्रेडिट ₹42,579.24 करोड़ मंजूर किए गए। बैंक ने संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और क्रेडिट जोखिमों को प्रबंधित करने, अधिक प्रभावी प्रणाली और नियंत्रण तथा तेजी से निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ऋण नीति और मास्टर परिपत्रों को अद्यतन किया। बाजार में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी उधार खातों को बड़े एक्सपोजर ढांचे की विनियामक सीमाओं के तहत लाया गया। बैंक ने पात्र कॉर्पोरेट खातों के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट लाइन (सीजीईसीएल) को भी मंजूरी दी और पात्र कॉर्पोरेट खातों के लिए एकल रीस्ट्रक्चरिंग (ओटीआर) के नियामक ढांचे को लागू किया। ग्रीन चैनल की शुरुआत ने बैंक के साथ अपने संबंधों को सुव्यवस्थित करते हुए केंद्रीय कार्यालय में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत पहुंच प्रदान की। बैंक ने एए-रेटेड उधारकर्ताओं के लिए बढ़े हुए जोखिम के साथ अपने पोर्टफोलियो का पुनर्गठन किया

और बाहरी क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड करने की प्रक्रिया जैसी एक मानक संचालन लागू किया। ईबीएलआर से जुड़े आरओआई उत्पाद को 2 वर्ष से अधिक से लेकर 15 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया। इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों और अन्य सीसी/ओडी खाता धारकों को उपलब्ध कराई गईं। इथेनॉल आसवन परियोजनाओं की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश और एसओपी स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बैंक ने नए ऋण प्राप्त करने में आसानी के लिए एनबीजी दिशानिर्देशों और अधिग्रहण मानदंडों को संशोधित किया।

दक्षता वित्तपोषण सेल (ईईएफसी) की स्थापना की गई। 'बीईई' भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं/ गतिविधियों ("ईई फाइनेंसिंग") में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तदनुसार, ईईएफ सेल ने 28.10.2022 से कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग, केंद्रीय कार्यालय में कार्य करना शुरू कर दिया है।

ऋण निगरानी और नीति

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से एक महाप्रबंधक के नेतृत्व में क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी नामक एक विशेष वर्टिकल स्थापित किया है। प्रभावी ऋण निगरानी और नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है। विभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

बैंक की ऋण निगरानी गतिविधियों में कई प्रमुख प्रथाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें नियंत्रण कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में ऋण निगरानी समितियों की स्थापना, ऋण निगरानी मामलों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक मासिक आधार पर विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित उधार शक्तियों के प्रयोग का मूल्यांकन करता है। अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करने और उन्हें सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का मूल-कारण विश्लेषण किया जाता है। आपका बैंक ऋण समीक्षा तंत्र के अंतर्गत कवरेज और समापन स्थिति की निगरानी भी करता है। उधार खातों में स्टॉक ऑडिट के संचालन के माध्यम से इन्वेंट्री वैल्यूएशन और सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित की जाती है।

समय पर अद्यतन और उचित जोखिम मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए खातों की नियमित रूप से समीक्षा और नवीनीकरण किया जाता है। प्रतिभूतियों के अस्तित्व और बाजार मूल्य को मान्य करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। आपका बैंक प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संपाश्विक दस्तावेजों की पूर्णता और प्रवर्तनीयता की पुष्टि करता है। संभावित वित्तीय संकट की पहचान करने और शीघ्र समाधान की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से उधार खातों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की निगरानी की जाती है। ईडब्ल्यूएस देखने पर, आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, खातों को आगे की जांच के लिए लाल झंडी दिखा दी जाती है।

विशेष निगरानी एजेसियां (एएसएम) बड़े मूल्य के उधारकर्ता खातों के संचालन और लेनदेन की लगातार निगरानी करने के लिए लगी हुई हैं। क्रेडिट प्रसंस्करण और अनुमोदन केंद्र (सीपीएसी) क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रेडिट निर्णयों में शाखाओं को सशक्त बनाने और पूर्व-संवितरण गतिविधियों के सुव्यवस्थित सत्यापन की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं। ₹1.0 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले सभी एसएमए खातों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केंद्रीय कार्यालय में एक वॉर रूम संचालित किया जाता है। सूचीबद्ध कंपनियों सहित ऋण खातों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए एक प्रणाली वास्तविक व्यापार प्रदर्शन की निगरानी करती है।

साख सूचना कंपनियों और एनईएसएल को समय पर ऋण खाता विवरण प्रस्तुत करना। सीआरआईएलसी को डिफॉल्ट रिपोर्ट और उधार खातों की मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ सुनिश्चित किया जाता है। अग्रिमों से संबंधित विभिन्न विनियामक रिटर्न और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। आपका बैंक सरसाई के साथ सुरक्षा हित के पंजीकरण की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। अंत में, आरबीआई और भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार क्रेडिट-संबंधी नीतियां नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं। ये प्रथाएँ सामूहिक रूप से बैंक के भीतर प्रभावी ऋण निगरानी में योगदान करती हैं।

क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी वर्टिकल द्वारा की गई ये गतिविधियाँ क्रेडिट गुणवत्ता बढ़ाने, जोखिमों को कम करने और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र-


भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के बराबर क्रेडिट राशि, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2023 के लिए, बैंक के कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिमों का एएनबीसी में 54.48% हिस्सा था, जो 40% के नियामक मानदंड से अधिक था। यह आरबीआई द्वारा पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए सीबीआई की मजबूत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। अनिवार्य आवंटन को पार करके, आपका बैंक आर्थिक विकास का समर्थन करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), शिक्षा, आवास और अन्य क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अपना समर्पण प्रदर्शित करता है।

31.03.2023 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के तहत बैंक का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	वृद्धि (%)
1	प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	79987.91	88222.47	93886.50	103513.76	10.25
	एएनबीसी की उपलब्धि का प्रतिशत	45.07%	51.96%	44.08%	54.48	
2	कुल कृषि अग्रिम	34419.4	36206.99	38635.40	42110.35	8.99
	एएनबीसी की उपलब्धि का प्रतिशत	19.54%	21.32	19.79%	21.98	
3	एमएसएमई	29250.15	32356.43	34138.55	39898.83	16.87
4	शिक्षा ऋण	2341.42	2724.77	2485.20	2242.55	-9.76
5	आवास ऋण(₹25 लाख तक)	13939.37	16744.07	18503.23	19188.99	3.71
6	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	17.51	24.77	13.14	6.64	-49.46
7	नवीकरणीय ऊर्जा	0	2.35	2.25	1.40	-37.77
8	सामाजिक संरचना	7.22	153.15	104.40	58.87	-43.61
9	ऋण निर्यात	12.84	9.93	4.33	6.13	41.57


वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण परिनियोजन में वृद्धि देखी, जो ₹103,513.76 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹9,627.26 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिकता क्षेत्र में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) से अधिक उधार का लाभ उठाने के लिए, बैंक प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसीएस) से जुड़े बिक्री लेनदेन में लगा हुआ है। आपके बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 4,650.00 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी की सफलतापूर्वक बिक्री की, जिसमें सामान्य पीएसएल के तहत ₹1,000 करोड़, छोटे और सीमांत किसानों के तहत ₹2,950 करोड़ और सूक्ष्म उद्यमों के तहत ₹700 करोड़ शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक के पास 31 मार्च, 2023 तक विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को आवंटित ₹1556.74 करोड़ के साथ प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹2,072.18 करोड़ की बकाया ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) है। ये पहल और उपलब्धियाँ बैंक की उपलब्धियाँ जैसा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)



कृषि

विचाराधीन वित्तीय वर्ष में, कुल कृषि ऋण में ₹3,474.95 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 31 मार्च, 2022 को ₹38,635.40 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2023 तक ₹42,110.35 करोड़ हो गई। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र को समर्थन देने व किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के लिए कृषि ऋण का शुद्ध प्रतिशत 21.98% रहा, जो नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित 18% के निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया। यह उपलब्धि अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण दायित्वों को पूरा करने और कृषि उद्योग के विकास में योगदान देने के लिए बैंक के समर्पण को उजागर करती है।



आपका बैंक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की योजनाएँ प्रदान करता है। इन योजनाओं में शामिल हैं:

- **सेंट किसान क्रेडिट कार्ड:** यह योजना विभिन्न कृषि खर्चों जैसे फसलों की खेती, फसल के बाद के खर्च, उपज के विपणन और कृषि संपत्ति के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी के लिए एकल खिड़की ऋण सुविधा प्रदान करती है।
- **सेंट एग्री गोल्ड लोन:** बैंक द्वारा जारी किए गए स्वर्ण आभूषणों और सोने के सिक्कों को गिरवी रखकर कृषि और संबद्ध गतिविधियों में फसल उत्पादन और निवेश ऋण के लिए त्वरित वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।
- **सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज:** यह योजना परिक्रामी नकद ऋण और सावधि ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण देने पर केंद्रित है।

- डीएवाई-एनआरएलएम: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य एक मिशन मोड दृष्टिकोण के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करना है .
- सेंट एएमआई- (कृषि विपणन अवसंरचना) योजना: कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विपणन योग्य अधिशेष के प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक, प्रेडिग सुविधाओं, गुणवत्ता प्रमाणन और वैज्ञानिक भंडारण के साथ विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
- सेंट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड-नेट हाउस: यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी फसलों की संरक्षित खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
- सेंट डेयरी: दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है .
- सेन्ट एग्री क्लिनिक/एग्री बिजनेस: यह योजना उन व्यक्तियों को एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो आवश्यक योग्यता रखते हैं और योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं.
- सेंट फार्म मशीनरी: ट्रैक्टर, ट्रेलर और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद के लिए वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध हैं.
- सेंट किसान साथी: यह योजना ऋणी किसानों को साहूकारों और दलालों को देय बकाया राशि को कम करने में सहायता करती है.
- सेंट अनुसूचित जनजाति: अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
- सेंट पोल्ट्री: पोल्ट्री फार्म प्रतिष्ठान और इकाइयों का संचालन के लिए वित्त की पेशकश की जाती है .
- सेंट फिशरी: मछली पकड़ने की पारंपरिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
- सेंट एग्री इंफ्रा: यह योजना फसल कटाई के बाद के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से लंबी अवधि के ऋण वित्त प्रदान करती है.
- सेंट सोलार पीएम कुसुम योजना: यह योजना किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना की लिए किसानों के सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करती है.
- सेंट एनिमल हसबैंडरी इंफ्रा: डेयरी प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, और पशु चारा संयंत्र मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है .
- सेंट एफपीओ: यह योजना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक सहकारी समितियों (एफपीसी) को ₹75.00 करोड़ तक का वित्त प्रदान करती है..
- सेंट एफआईडीएफ: यह योजना फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करती है.
- सेंट पीएमएफएमई योजना: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
- सेंट कोल्ड स्टोरेज: योजना ₹50.00 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ कोल्ड स्टोरेज और गोदाम इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है .

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए की गई पहलों में विभिन्न विशेष ऋण अभियान शामिल हैं. सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं ने नए कृषि ऋणों को बढ़ावा देने और स्वीकृत करने के लिए मासिक मेगा क्रेडिट शिविरों का आयोजन किया. इसके अतिरिक्त, एसएचजीएस बैंक लिकेज के लिए विशेष क्रेडिट कैम्प आयोजित किए गए, जिससे स्वयं सहायता समूहों के लिए क्रेडिट तक पहुंच आसान हो गई. आपके बैंक ने फसल बीमा कवरेज के लिए ऑप्ट-इन विकल्प जमा करके "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" के तहत पात्र किसानों के लिए फसल बीमा कवरेज भी सुनिश्चित किया. कृषि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर जोर देने के साथ स्वयं सहायता समूहों के लिए निवेश ऋण और वित्तपोषण पर ध्यान दिया गया. ऋण प्रवाह बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा ग्राम-स्तरीय साप्ताहिक शिविर आयोजित किए गए. इन प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है.


वित्तीय समावेशन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है. आपके बैंक ने वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और अपने ग्राहकों की समग्र भलाई का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है. सेंट गृह लक्ष्मी योजना विशेष रूप से महिला ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे उन्हें संपत्ति का मालिक बनने का अवसर मिलता है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापक वित्तीय शिक्षा और व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक वित्तीय प्रभाव प्राप्त करना है. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक सेवानिवृत्त कर्मियों के बहुमूल्य योगदान को पहचानता है और ग्राहकों के लाभ के लिए उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाते हुए उन्हें सलाहकार के रूप में बोर्ड पर लाया है. सीबीआई आपके बैंक के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए "सम्मान दिवस" मनाता. बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके बैंक ने सेंट युवा उत्पाद पेश किया है, जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसमें आपका बैंक प्रीमियम लागत वहन करता है. सीबीआई कर्मचारी कल्याण योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच की पेशकश करके अपने कर्मचारियों की भलाई को भी प्राथमिकता देता है. इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अनुरूप, सीबीआई ने अपने कुल कार्यबल के 17% से अधिक को प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है, कौशल

विकास को बढ़ावा देने और युवा व्यक्तियों के लिए मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने के अवसर पैदा किए हैं। इन पहलों के माध्यम से, सीबीआई वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने, विभिन्न हितधारकों के योगदान को पहचानने और अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।


सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए 13,142 व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट को 24,311 गांवों में तैनात कर किया है। इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने शहरी समुदायों तक अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए 997 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं।

बैंक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पर्याप्त संख्या में लेन-देन किये हैं, जो इस प्रकार हैं:




व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से खोले गए वित्तीय समावेशन (एफआई) खातों में लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 563.35 लाख लेनदेन से बढ़कर 675.88 लाख लेनदेन हो गए हैं, जो 19.97% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि ग्राहकों द्वारा एफआई खातों के बढ़ते उपयोग और अपनाने को दर्शाती है, जो वित्तीय प्रभाव को बढ़ाने और कम सेवा वाले समुदायों को सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंक के प्रयासों की प्रभावशीलता को उजागर करती है।

(Amount in Crores)



व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से संचालित व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें मूल्य 31 मार्च 2022 तक ₹3285.77 करोड़ से

बढ़कर 31 मार्च 2023 तक ₹4001.86 करोड़ हो गया। यह 21.79% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। बीसी के माध्यम से व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि अपनी पहुंच का विस्तार करने और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में बैंक की रणनीति की सफलता पर प्रकाश डालती है।



व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या में साल-दर-साल 9.54% की वृद्धि हुई। खातों की संख्या 31 मार्च 2022 को 150.09 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 164.41 लाख हो गई। यह वृद्धि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बीसी मॉडल के माध्यम से बैंक रहित आबादी तक पहुंचने के बैंक के प्रयासों को दर्शाती है। बीसी की सेवाओं का लाभ उठाकर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और आबादी के एक बड़े वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सफल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधान मंत्री जन धन योजना (एफआई-पीएमजेडीवाई) पहल के तहत, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट्स के माध्यम से व्यवसाय में 21.79% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। कारोबार की मात्रा ₹.3285.77 करोड़ से बढ़कर ₹4001.86 करोड़ हो गई। यह वृद्धि बैंक की पहुंच का विस्तार करने और कम सेवा वाले क्षेत्रों और आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में बीसी मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
2. कुल वित्तीय समावेशन (एफआई) व्यवसाय में 18.62% की वृद्धि दर्ज की गई। कारोबार की मात्रा ₹5641.06 करोड़ से बढ़कर ₹6691.59 करोड़ हो गई। यह वृद्धि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और व्यक्तियों और समुदायों की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
3. पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई। पीएमजेडीवाई खातों में यह 86.24% से बढ़कर 88.59% हो गया और सभी सक्रिय पीएमजेडीवाई खातों में 93.15% से बढ़कर 94.96% हो गया। आधार सीडिंग निर्बाध लेनदेन और पहचान सत्यापन को सक्षम करके वित्तीय उद्योग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

31.03.2023 को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कुल नामांकन 31.03.2022 से अधिक की वृद्धि के साथ निम्न में हैं-

सामाजिक सुरक्षा योजना	वित्तवर्ष 2021-22	वित्तवर्ष 2022-23	वृद्धि%
पीएमजेजेबीवाई	19,23,653	21,21,789	10.29%
पीएमएसबीवाई	55,74,581	68,20,243	22.34%
एपीवाई	15,81,162	19,39,900	22.68%

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत कुल 15,097 मृत्यु दावों में से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 14,245 दावों का निपटान और भुगतान किया है। इसी प्रकार, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 4,568 मृत्यु दावों में से, आपके बैंक ने 3,302 दावों का निपटान और भुगतान किया है।

अग्रणी बैंक के तहत प्रदर्शन:

अग्रणी बैंक के रूप में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास आठ राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सिक्किम के 53 जिलों में जिम्मेदारी है। इन जिलों में हमारे कुल कारोबार का 50% से अधिक और हमारी शाखाओं का लगभग 25% हिस्सा है। अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को स्वतंत्र परिसर, वाहन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन और ईमेल आईडी सहित पर्याप्त स्टाफ, बुनियादी ढांचे और संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। जनता के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बैंक के उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में, हमने अपने अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्रदान किए गए वाहनों पर किसान क्रेडिट कार्ड, केंद्रीय कारीगर क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान और आधार जैसे उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की है।

हम वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के पूर्ण कार्यान्वयन, आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों) के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसानों के समूहों के गठन को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। ये पहलें उन क्षेत्रों में विकास और वित्तीय प्रेरणा को चलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं जहां हम लीड बैंक की जिम्मेदारी लेते हैं।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित सात राज्यों में 48 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, हमने केरल में ब्लॉक स्तर पर चार एफएलसीसी और बिहार के दरभंगा जिले में ब्लॉक स्तर पर पांच एफएलसीसी स्थापित किए हैं। ये केंद्र बड़े पैमाने पर अभियानों और व्यक्तिगत परामर्श सत्रों के लिए मंच के रूप में काम करते हैं, जो हमे व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने और उन्हें शिक्षित करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को

शिक्षित करना अपने आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने के लिए, हमने विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एफएलसीसी को पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एलसीडी स्क्रीन से लैस वाहनों से सुसज्जित किया है। यह हमें जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों के पास आवश्यक जानकारी तक पहुंच है और सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए समर्थन है। हम परामर्श सत्रों और गांव के दौरे के दौरान साक्षरता सामग्री, किट, किताबें और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और असम सहित देश भर के नौ राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। ये आरएसईटीआई ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरएसईटीआई ने कुल 960 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 27,428 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। इन उम्मीदवारों में से, 21,036 व्यक्तियों की एक उल्लेखनीय संख्या, 77% प्रशिक्षुओं के लिए लेखांकन, रोजगार सुरक्षित करने या बैंक ऋण, मजदूरी निपटान, या स्व-वित्तपोषण विकल्पों के समर्थन से अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम थे। इसके अलावा, व्यवस्थित उम्मीदवारों के लिए क्रेडिट लिंकेज 12,045 के एक उल्लेखनीय आंकड़े तक पहुंच गया, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के 57% का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपलब्धि ग्रामीण समुदायों में व्यक्तियों के बीच स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में हमारे प्रयासों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है। हमारे आरएसईटीआई के माध्यम से, हम इच्छुक उद्यमियों को उनके चुने हुए उद्यमों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्रों (एफएलसीसी) के संचालन को समर्थन और सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पहल की है। इन संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (सीबीआई-एसयूएपीएस) नामक एक समर्पित समाज/ट्रस्ट की स्थापना की है। यह सोसाइटी/ट्रस्ट आरएसईटीआई और एफएलसीसी के कामकाज और गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नियंत्रक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, बैंक ने समग्र मार्गदर्शन और पर्ववेक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है। परिषद में प्रबंध निदेशक और आपके बैंक के संरक्षक, कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष, और महाप्रबंधक सदस्य के रूप में यह परिषद आरएसईटीआई और एफएलसीसी के प्रभावी प्रबंधन और समन्वय को सुनिश्चित करने, उनके विकास और विस्तार को बढ़ावा देने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एमएसएमई:

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखाया है, जो इन महत्वपूर्ण व्यवसायों के वृद्धि व विकास का समर्थन करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। निम्नलिखित विशेषताएं और पहलें एमएसएमई की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में आपके बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं।

प्रदर्शन की विशेषताएं: माइक्रोक्रेडिट के लिए बैंक का समर्पण प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) पर विचार किए बिना एमएसई (माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज) को माइक्रोक्रेडिट के प्रभावशाली 58.68% हिस्से में स्पष्ट है। यह माइक्रोएंटरप्राइज की जरूरतों को पूरा करने पर आपके बैंक के केंद्रीकरण को प्रदर्शित करता है, जो एमएसएमई सेगमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने सूक्ष्म श्रेणी के तहत 28.75% की उल्लेखनीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर हासिल की है, जो सूक्ष्म उद्यमों के विकास और विस्तार का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि आपके बैंक की प्रभावी उधार रणनीतियों और सूक्ष्म उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पहलों को दर्शाती है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, आपके बैंक ने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 73.39% की सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। जबकि संवितरण लक्ष्य ₹6350 करोड़ निर्धारित किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने मार्च 2023 तक ₹4660.24 करोड़ का संवितरण प्राप्त किया। यह उपलब्धि सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को सुलभ और किरायायती ऋण प्रदान करने में बैंक के सक्रिय प्रयासों को दर्शाती है।

पहलें: सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने एमएसएमई क्षेत्र को और समर्थन देने एवं वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। आपके बैंक ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एमएसएमई को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार किया।

व्यवसायों के लिए निर्बाध वित्तीय प्रबंधन की सुविधा के लिए, आपके बैंक ने सेंट जीएसटी योजना की शुरुआत की, जो जीएसटी रिटर्न डेटा पर आधारित है। यह पहल व्यवसायों को उनके वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने और उनकी विकास संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उनके अनुरूप वित्तीय समाधानों का उपयोग करने के लिए उनके जीएसटी रिकॉर्ड का लाभ उठाने की अनुमति देती है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने नए एमएसई व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए कॉर्पोरेट डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) के साथ साझेदारी की है। ये सहयोग आपके बैंक को कॉर्पोरेट नेटवर्क का लाभ उठाने और संभावित एमएसएमई उधारकर्ताओं के व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं,

जिससे व्यापार विकास और विस्तार को बढ़ावा मिलता है।

आगे का रास्ता: आगे देखते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने एमएसएमई क्षेत्र को अपने समर्थन को और मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है। बैंक का उद्देश्य विशिष्ट एमएसएमई समूहों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को पहचानते हुए अनुकूलित उत्पादों के माध्यम से डस्टर-आधारित वित्त प्रदान करना है। यह दृष्टिकोण लक्षित वित्तीय समाधान सुनिश्चित करता है जो विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक सांद्रता की आवश्यकताओं के साथ संरेखित होता है। लीड जनरेशन को बढ़ाने और अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। ये साझेदारी संभावित एमएसएमई उधारकर्ताओं की पहचान करने और ऋण आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाएगी, जिससे व्यवसायों के लिए ऋण की त्वरित पहुंच आसान हो जाएगी।

होटल और पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण क्षमता को पहचानते हुए, आपका बैंक विशेष रूप से इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई एक नई योजना विकसित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय व्यवसायों की विकास क्षमता को अनलॉक करना है, जो क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सक्रिय रूप से आपूर्ति श्रृंखला वित्त के लिए एक मंच शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है, जो एमएसएमई की आपूर्ति श्रृंखलाओं के वित्तपोषण के लिए एक एकीकृत और कुशल समाधान प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म परिचालन दक्षता को बढ़ाएगा और एमएसएमई के लिए वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, जिससे आसान और तीव्र लेनदेन हो सकेगा।

बैंक एमएसएमई के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, ऋण प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, प्रसंस्करण समय कम करना और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करना है। इन पहलों और भविष्य की योजनाओं के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एमएसएमई के विकास को सशक्त बनाने और समर्थन देने, आर्थिक विकास को चलाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित है।

एमएसएमई व्यवसाय के सक्रिय उत्पाद-

1. सामान्य एमएसएमई (आईबीए प्रारूप)
2. सेंट बिजनेस
3. सेंट मुद्रा
4. सेंट मॉर्गेज व्यवसाय
5. सेंट सीजीईसीएल
6. पीएमईजीपी
7. सेंट जीएसटी
8. सेंट डब्ल्यूएचआर

9. सेंट टेक्सटाइल योजना
10. सेंट आर्थियस
11. सेंट शॉप
12. सेंट कांट्रेक्टर
13. सेंट प्रगति
14. एसआरटीओ (परिवहन ऑपरेटर)
15. सेंट व्हीकल व्यवसाय
16. सेंट संजीवनी
17. सेंट सेरामिक
18. सेंट रेंटल
19. स्टैंड अप इंडिया
20. एनयूएलएम
21. सेंट विवर मुद्रा
22. पीएम स्वनिधि
23. सेंट उपकरण फाइनेंसिंग योजना
24. सेंट बिजनेस गोल्ड लोन योजना
25. सेंट कल्याणी
26. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना- एमपी

27. कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
28. केंद्रीय लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
29. सेंट कस्टम हायरिंग सेंटर (एमपी)
30. अनुसूचित जाति के लिए ऋण वर्धन गारंटी योजना
31. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना - राजस्थान
32. सेंट ओपन मियादी ऋण
33. जगनअन्ना थोडू
34. सेंट गोल्ड ज्वैलरी मैन्यूफैक्चरिंग
35. व्यावसायिक वाहन डीडीआर एमपी
36. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विहरेता ऋण योजना

एमएसएमई व्यवसाय के बंद उत्पाद-

1. सेंट व्यापार
2. सेंट हैल्थकेयर
3. सेंट जीवक
4. मुख्यमंत्री मंत्री स्वरोजगार योजना (केवल एमपी)
5. मुख्यमंत्री मंत्री युवा उद्यमी योजना (केवल एमपी)
6. मुख्यमंत्री मंत्री कृषक उद्यमी योजना (केवल एमपी)

एमएसएमई प्रदर्शन

विवरण	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	वर्ष -दर-वर्ष %	वर्ष -दर-वर्ष %
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित विकास	पीएसएलसी के सहित विकास
सूक्ष्म उद्यम	16980	16980	21162	21862	24.62%	28.75%
एमएसई	31379	31379	35358	36058	12.68%	14.91%
एमएसएमई (पुनश्च)	34433	34433	39199	39899	13.84%	15.87%
कुल एमएसएमई	34433	34433	39199	39899	13.84%	15.87%

विवरण	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	वर्ष -दर-वर्ष %	वर्ष -दर-वर्ष %
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित विकास	पीएसएलसी के सहित विकास
अग्रिम में एमएसएमई का %	19.46%	19.46%	17.99%	18.32%	-1.47%	-1.14%
आरबीआई जनदेश (प्रधानमंत्री फोस)		31.03.2022 (लेखापरीक्षित)		31.03.2023 (लेखापरीक्षित)		लक्ष्य मार्च-23
सूक्ष्म उद्यमों में खातों की संख्या		867652		646806		954417
सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत खातों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि का %		-6.27%		-25.45%		10%

भारतीय रिजर्व बैंक अधिदेश (प्रधानमंत्री कार्य बल)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित) पीएसएलसी रहित	31.03.2022 (लेखापरीक्षित) पीएसएलसी सहित	31.03.2023 (लेखापरीक्षित) पीएसएलसी रहित	31.03.2023 (लेखापरीक्षित) पीएसएलसी सहित	लक्ष्य मार्च -23
पोर्टफोलियो (राशि)	31379	31379	35358	36058	लागू नहीं
दर वर्ष क्रेडिट विकास अंतर्गत एमएसई %	4.72%	4.72%	12.68%	14.91%	लागू नहीं
सूक्ष्म ऋण का %	54.11%	54.11%	58.68%	60.63%	लागू नहीं

दिनांक 31.03.22 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.22 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.23 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.23 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	एएनबीसी 31.03.2022 तक	एएनबीसी 31.03.2023 तक	मार्च-22 तक लक्ष्य की स्थिति	मार्च-22 तक लक्ष्य की स्थिति
पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	01-03-2022 (करोड़ में)	01-03-2023 (करोड़ में)	रहित- सहित पीएसएलसी (पीएसएलसी एएनबीसी का	रहित- सहित पीएसएलसी (पीएसएलसी एएनबीसी का 7.50%
16980	16980	21162	21862	167598	185261	10.13%	11.42 %
						10.13%	11.80 %

खुदरा ऋण

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के विकास में खुदरा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने विश्लेषित अवधि में मजबूत प्रदर्शन किया है। आपके बैंक का उद्देश्य खुदरा उधार उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके व्यक्तियों को सशक्त बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक, खुदरा क्षेत्र में 20.10% की साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि दर देखी गई, जिसमें कुल खुदरा अग्रिम ₹ 52,226 करोड़ से बढ़कर ₹ 62,726 करोड़ हो गया। यह पर्याप्त वृद्धि बाज़ार के अवसरों पर कब्जा करने और खुदरा ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में आपके बैंक की सफलता को दर्शाती है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी मजबूत बाजार स्थिति, ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए, क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखे हुये है। अभिनव उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके, ग्राहक सम्बन्धों को मजबूत करके, और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम प्रबंध प्रथाओं को बनाए रखते हुए, आपके बैंक का उद्देश्य इष्टम संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए खुदरा क्षेत्र में अपनी विकास गति को बनाए रखना है।

मार्च 2022 में, आपके बैंक ने ₹11,579 करोड़ की राशि के 201,616 खुदरा खाते स्वीकृत किए। मार्च 2023 तक, स्वीकृत खातों की संख्या बढ़कर 224,769 हो गई, जिसमें कुल राशि ₹19,730 करोड़ थी। यह खातों की संख्या में 11.48% और स्वीकृत ऋण राशि में 70.3% की महत्वपूर्ण वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त खुदरा क्षेत्र में बकाया राशि मार्च 2022 में ₹52226 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 में ₹62726 हो गई, जो साल-दर-साल 20.10% की वृद्धि दर का संकेत देती है।

खुदरा क्षेत्र के भीतर, आवास ऋण ने ₹ 38,793 करोड़ की राशि का एक बड़ा हिस्सा गठित किया, जो घर के स्वामित्व के लिए वित्तीय सहायता


प्रदान करने में आपके बैंक की सक्रिय भागीदारी को उजागर करता है। गृह स्वामित्व के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में बैंक की सक्रिय भागीदारी ₹3,248 करोड़ के मूल्य वाले ऑटो ऋण, वाहन स्वामित्व को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुल ₹3644 करोड़ के व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ₹ 3625 करोड़ की राशि के शिक्षा ऋण, छात्रों और उनके परिवारों की शैक्षणिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए आपके बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। खुदरा क्षेत्र में अन्य खुदरा ऋण भी सम्मिलित हैं, जिनकी कुल राशि ₹13,416 करोड़ है, जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, जीवन शैली व्यय और छोटे टिकट व्यक्तिगत वित्तपोषण जैसी विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने लगातार दो वर्षों तक हड़को द्वारा पीएमएवाई(यू)-सीएलएसएस योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचान सहित उल्लेखनीय प्रशंसा हासिल की है। मौजूदा ग्राहकों को क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग पर आपके बैंक के फोकस के परिणामस्वरूप स्वीकृत और वितरित राशियों में खुदरा ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खुदरा पोर्टफोलियो में 21.78% की साल-दर-साल वृद्धि का अनुभव किया, जो 100% उपलब्धि दर के साथ शिक्षा ऋण लक्ष्य को पार कर गया। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन डिजिटल लेंडिंग मॉड्यूल लॉन्च करने से मौजूदा ग्राहकों को पर्सनल लोन देने की प्रक्रिया आसान हो गई है। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, आपके बैंक ने सफलतापूर्वक खुदरा ऋण व्यवसाय उत्पन्न किया। डीएसए जैसे बिचौलियों को मजबूत करने ने बंधक आधारित खुदरा ऋणों के लिए सुराग पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा माइनिंग तकनीकों के उपयोग ने बिजनेस जनरेशन को और बढ़ाया है। मैसर्स टाटा मोटर्स और मैसर्स मारुति सुजुकी लिमिटेड के साथ रणनीतिक गठजोड़ व्यवस्था के माध्यम से, आपके बैंक ने बड़ी संख्या में चार पहिया वाहनों के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की।

विशेष अवसरों पर चलाए गए विशेष अभियानों के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए पर्याप्त व्यावसायिक विकास और विशेष लाभ हुआ. आपके बैंक ने विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं की समीक्षा की है और उनमें सुधार किया है, जिससे वे अधिक आकर्षक, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक अनुकूल बन गए हैं.

ये पहल खुदरा क्षेत्र के विकास के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता और असाधारण सेवा और ग्राहक केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए इसके समर्पण को उजागर करती हैं. बदलते पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने हुए, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, और एक मज़बूत जोखिम प्रबंधन ढांचे को बनाए रखते हुए, आपके बैंक का लक्ष्य खुदरा ऋण खंड में सतत विकास, लाभप्रदता और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना है.

ऋण बही में खुदरा ऋण का योगदान



31.03.2023 को खुदरा ऋणों में योजनावार योगदान (राशि करोड़ में):



समाधान:

आगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष, वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा अग्रिमों की वृद्धि के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है. विभाग ग्राहकों की मांग की बारीकी से निगरानी करने और उन्हें बाजार के रुझान और ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए उत्पादों की समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. नेक्स्टजेन ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजिटल लेंडिंग स्पेस को अपनाना एक प्रमुख फोकस है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो प्रत्याशित बाजार विकास और समकक्ष बैंकों के अनुरूप बढ़ता है, कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं.

1. मौजूदा खुदरा ऋण उत्पादों को उनके आकर्षण को बढ़ाने और उन्हें संभावित उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए लगातार पुनरीक्षित किया जाता है, आपके बैंक का लक्ष्य लागत कम करना और ब्याज की प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करना है, जो कि सहकर्मी बैंकों द्वारा पेश किए गए उत्पादों से मेल खाते हैं.
2. पूर्व स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण का दायरा, शुरू में केवल वेतन खाता रखने वाले ईटीबी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, यह अन्य ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जाएगा
3. आपका बैंक वाहन ऋणों को प्राथमिकता देगा और मिस टाटा मोटर्स और मैसर्स मारुति सुजुकी लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ आगे की व्यवस्था का लाभ उठाएगा. यह भी अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करने का इरादा रखता है ऐसा जैसा होंडा, मर्सिडीज बेंज, और हुंडई मोटर्स.
4. वित्तीय वर्ष 2022-23, ग्राहक डेटाबेस के सफल उपयोग के आधार पर, आपका बैंक विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक मॉडल के माध्यम से व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए अपनी मौजूदा डाटा माइनिंग क्षमताओं का बड़े पैमाने में लाभ उठाएगा.
5. व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लीड्स के साथ क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाएगा. आपके बैंक का लक्ष्य ग्राहकों को विभिन्न खुदरा उत्पादों को बढ़ावा देना है.
6. ग्राहकों के व्यापक डिजिटल पदचिह्न का लाभ उठाने और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बैंक के खुदरा उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों का पता लगाया जाएगा.
7. वित्त वर्ष 2023-24 में, आपके बैंक की योजना बिल्डर नेटवर्क के माध्यम से सीधे आवास ऋण प्राप्त करने के लिए गोदरेज और पिरामल जैसे प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ विशिष्ट टाई-अप व्यवस्था स्थापित करने की है. एंड-टू-एंड लीड जनरेशन के लिए इन बिल्डरों के साथ एकीकरण पर भी विचार किया जाएगा.
8. आपका बैंक बिल्डर संघों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा और आवास ऋण व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए टियर II, टियर III और टियर .V शहरों में समर्पित बैंक प्रदर्शनियों का आयोजन करने का लक्ष्य रखता है.
9. चौपहिया वाहन खंड में ऋण देने की सुविधा के लिए प्रमुख चौपहिया कार निर्माताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी की जाएगी. आपका बैंक पहले ही मैसर्स मारुति सुजुकी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन कर चुका है और अन्य प्रमुख कार निर्माण कंपनियों के साथ उन्नत चर्चा कर रहा है.
10. आपका बैंक फिनटेक कंपनियों के साथ शुरू से अंत तक एकीकरण शुरू करेगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुदरा संपत्ति खंड में ऋण देने की दिशा में एक कदम है. एंड-यूजर लेंडिंग के लिए फोर-व्हीलर सेगमेंट में एक अग्रणी फिनटेक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन वर्तमान में प्रगति पर है.

11. विशेष रूप से इन संस्थानों के कर्मचारियों को ऋण देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों, संस्थानों, के साथ अनुकूलित खुदरा संपत्ति उत्पादों के लिए गठजोड़ स्थापित करने के आक्रामक प्रयास किए जाएंगे.

इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का उद्देश्य अपने विकास की गति को बनाए रखना, अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करना और अपने खुदरा ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करना है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में विदेशी मुद्रा कारोबार देश भर में 64 अधिकृत डीलर ('बी' श्रेणी) शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है, साथ ही मुंबई में एक एकीकृत ट्रेजरी शाखा 'ए' श्रेणी शाखा के रूप में कार्यरत है. परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने हेतु, आपका बैंक प्रभावी धन प्रबंधन और परिचालन सुविधा के लिए मुंबई में एक केंद्रीकृत डीलिंग रूम रखता है. इसके अतिरिक्त, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत ट्रेजरी शाखा, मुंबई में एक केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल संचालित होता है.

आपका बैंक अपने निर्यातक और आयातक ग्राहकों को व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. एकीकृत ट्रेजरी शाखा में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग भारत में विदेशी आवक प्रेषण की सुविधा देता है, जिससे बचत खाता धारकों को 10,000 अमरीकी डालर तक का प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त होता है. निर्यातकों के बीच बैंक की सुविधाओं और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत भर में विभिन्न निर्यातकों की बैठकें आयोजित की गईं. वित्त वर्ष 2022-23 में, एनआरआई के लिए विशेष रूप से उत्सव के अवसरों के दौरान विशेष अभियानों की व्यवस्था की गई थी.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के साथ इंटरबैंक प्लेसमेंट के माध्यम से विदेशी मुद्रा निधि भी नियोजित करता है. 31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक ने इस तरह के प्लेसमेंट के माध्यम से 16,426 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा कोष नियोजित किया है.

आपके बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2023 को ₹4,176 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह ₹4,389 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.85% की कमी दर्शाता है. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापारिक व्यापार विदेशी मुद्रा का कारोबार ₹52,661 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के ₹34,715 करोड़ की तुलना में 51.70% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है.

31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक में एनआरआई जमा राशि ₹5,275 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2022 के ₹5,448 करोड़ से 3.18% कम है. 31 मार्च, 2022 तक 226.24 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है.

ट्रेजरी, फंड और निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की संरचना इस प्रकार है:

(₹ में करोड़)

क्र. संघटन सं.	31.03.2023	31.03.2022
1 एसएलआर	103203.62	105841.66
2 गैर - एसएलआर	39449.27	40917.60
कुल	142652.89	146759.26

बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने 31 मार्च, 2023 तक अपने निवेश पोर्टफोलियो को ₹142,653 करोड़ पर बनाए रखा है, जिसमें गैर-एसएलआर और गैर-हस्तांतरणीय सरकारी शामिल हैं. भारत का पुनर्पूजीकरण बांड ₹19,580 करोड़. यह 31 मार्च, 2022 तक ₹146,759 करोड़ की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है.

वर्ष में सीपीआई मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल 2022 में 7.79% तक पहुंच गई, जो उच्च खाद्य और कमोडिटी की कीमतों के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से प्रेरित थी. पूरे वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के ऊपरी मानक स्तर से ऊपर रही.

मुद्रास्फीति के दबावों के जवाब में, आरबीआई ने मई 2022 से कुल 250 आधार अंकों की दर से प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि की एक श्रृंखला लागू की. इसके अलावा फिक्स रिवर्स रेपो की तुलना में 40 आधार अंकों की अधिक दर पर मानक जमा सुविधा की शुरुआत ने पिछले वर्ष के अप्रैल से 290 आधार अंकों की प्रभावी दर वृद्धि में योगदान दिया.

इन विकासों के परिणामस्वरूप, सरकारी सुरक्षा (जीसेक) प्रतिफल सभी और वक्र में बढ़ा, 10-वर्षीय बेंचमार्क जून 2022 में 7.69% के चरम स्तर पर पहुंच गया, जबकि 31 मार्च, 2022 को 6.84% के समापन स्तर की तुलना में. ये समायोजन अपने निवेश पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने और चुनौतीपूर्ण ब्याज दर वातावरण को नेविगेट करने के लिए बैंक के प्रयासों को दर्शाता है.

ट्रेजरी आय का स्नैपशॉट

(₹ में करोड़)

विवरण	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23
लाभ पर बिक्री का निवेश	491	273
लाभ पर अदला-बदली लेन-देन	199	303
लाभांश आय	8	8
लाभ हानि पर पुनर्मूल्यांकन पर निवेश	(277)	2
खजाना आय	421	586

31 मार्च, 2023 को 6.84% की तुलना में 31 मार्च, 2023 को दस वर्षीय बेंचमार्क उपज 7.31% पर बंद होने के कारण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेजरी लाभ ₹491 करोड़ से घटकर ₹273 करोड़ हो गया हालांकि, ट्रेजरी आय ₹421 करोड़ से बढ़कर ₹586 करोड़ हो गई। 2021-22 में 6.27% से 2022-23 में 6.26% के मामूली परिवर्तन के साथ, निवेश पर प्रतिफल (व्यापार लाभ को छोड़कर) अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

प्रतिफल के सख्त होने के प्रभाव को कम करने के लिए, आपके बैंक ने बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और पीवी01 (₹ करोड़ में) को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। मार्च 2023 तक, संशोधित अवधि और 01 मार्च 2022 के 1.62 और 6.38 की तुलना में क्रमशः 1.53 और 4.40 थी। यह कमी फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स (टी-बिल) में निवेश बढ़ाकर और एफएस पोर्टफोलियो की हेजिंग द्वारा हासिल की गई थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक ने केंद्र और राज्य सरकार ₹15037 करोड़ की प्रतिभूतियों को हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) से एफएस में और ₹14,913 करोड़ की प्रतिभूतियों को एफएस से एचटीएम में स्थानांतरित करके आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन किया। इस रणनीतिक समायोजन ने बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन और विनियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखण की अनुमति दी।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/संगठनात्मक ढांचा

जोखिम प्रबंधन प्रणाली अब बैंक में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम और पिलर III। जोखिमों के तहत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/प्रथाओं की निगरानी करती है। समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और जोखिम मॉडल का मूल्यांकन करती है ताकि बाजार के विकास के साथ तालमेल बना रहे और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी कर सके। समिति कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मापदंडों के अनुपालन की नियमित निगरानी भी करती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर, बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें ऊपर से सदस्य शामिल हैं। प्रबंधन टीम विभिन्न बैंक परिचालनों के तहत जोखिम के स्तर का आकलन और निगरानी करने के लिए ये समितियां साल भर नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और जहां आवश्यक हो, उचित शमन उपाय शुरू करती हैं।

बैंक ने सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में 'जोखिम प्रबंधक' के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक के स्तर के अधिकारियों की पहचान की है। जोखिम प्रबंधक क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के 'विस्तारित शाखा' के रूप में

कार्य करते हैं। बैंक ने बैंक में जोखिम के नियंत्रण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की पहचान की है।

बैंक के पास एक अच्छी तरह से प्रलेखित एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

मध्य कार्यालय बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न की नियमित समीक्षा करके और जोखिम सीमा, अवधि सीमा, प्रतिपक्ष सीमा और अन्य संवेदनशील मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समीक्षाएँ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं।

जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आपका बैंक वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर) और अवधि अंतर विश्लेषण जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। ये उपकरण अल्पावधि में बैंक की लाभप्रदता और लंबी अवधि में इक्विटी मूल्य के लिए संभावित जोखिमों को मापने और कम करने के लिए निरंतर आधार पर कार्यरत हैं।

बाजार जोखिम के लिए बेसल III दिशानिर्देशों के अनुरूप, आपके बैंक ने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजी प्रभार का अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने और बाजार जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लगातार लागू किया जाता है।

व्यापक जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। यह नीति बैंक के पोर्टफोलियो के भीतर बाजार जोखिम की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करती है। ट्रेजरी संचालन के लिए प्रतिपक्ष की सीमा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समायोजित की जाती है।

एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता वाली एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी बाजार जोखिम में विकास की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह समिति बाजार जोखिम के प्रति बैंक के जोखिम की निगरानी और मूल्यांकन करती है और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी, एसएमई एवं कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऋणियों की साख का आकलन करने हेतु एक व्यापक रेटिंग मॉडल लागू किया है। ये रेटिंग मॉडल प्रत्येक उधारकर्ता से जुड़े ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने और विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए रेटिंग मॉडल के अलावा, आपके बैंक ने रेटिंग मॉडल भी विकसित किए हैं, जिन्हें स्कोरकार्ड के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से खुदरा ऋणों की ग्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मॉडल आपके बैंक को व्यक्तिगत खुदरा उधारकर्ताओं की साख का

आकलन करने और उनके ऋणों के लिए उचित जोखिम रेटिंग निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं।

क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एमडी और सीईओ के नेतृत्व में, बैंक के भीतर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में विकास की देखरेख और निगरानी करती है। यह समिति नीतियों को निर्धारित करने, ऋण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करने और ऋण जोखिम को कम करने के लिए सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके अलावा, आपके बैंक ने एसएसएस समाधान का उपयोग करके पूंजी गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। यह कार्यान्वयन आपके बैंक को अपनी पूंजी पर्याप्तता गणनाओं को बढ़ाने और विनियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाता है, जिससे मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित एक मजबूत परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि आपके बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफाइल और जोखिम की क्षमता के अनुरूप परिचालन जोखिमों को प्रबंधित करने और मापने के लिए एक व्यापक प्रणाली है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करती है। समिति जोखिम पहचान, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग विधियों सहित परिचालन जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियों और उपकरणों की समीक्षा और अनुमोदन करती है। यह धोखाधड़ी, निकट चूक, गैर-अनुपालन घटनाओं, उल्लंघनों और प्रणालीगत सुधारों का भी विश्लेषण करता है, परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रण और शमन प्रस्तुत करता है।

नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, आपके बैंक ने एक नया उत्पाद अनुमोदन नीति ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने, नए उत्पादों या गतिविधियों को शुरू करने से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

आपके बैंक ने व्यवधान की स्थिति में उत्पादों और सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवसाय निरंतरता योजना भी विकसित की है। यह योजना बैंक के व्यवसाय निरंतरता उद्देश्यों के साथ को संरेखित करते हुए व्यवधानों का सामना करने और उनसे उबरने हेतु परिचालन प्रक्रियाओं और पूर्वनिर्धारित क्षमताओं की रूपरेखा तैयार करती है।

डेटा संग्रह एवं रिपोर्टिंग के संदर्भ में, आपके बैंक ने परिचालन जोखिम से संबंधित हानि घटना डेटा और निकट चूक घटनाओं के संग्रह के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान (आईआरएमएस) के तहत एक घटना प्रबंधन मॉड्यूल (आईएमएम) लागू किया है। यह आपके बैंक को सक्रिय जोखिम प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम की घटनाओं को ट्रैक और

विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

एमडी एवं सीईओ के नेतृत्व में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति परिचालन जोखिम प्रबंधन में विकास की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति सुनिश्चित करती है कि बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रथाएं प्रभावी हैं, विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, और बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों का समर्थन करती हैं।

पूंजी योजना

बैंक के पास एक मजबूत आईसीएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) नीति है। बैंक ने अपना जोखिम लेने का क्षमता ढांचा तैयार किया है और बेसल III मानदंडों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर और ऊपर पूंजी अनुपात बनाए रखने का इरादा रखता है। अनुमानों की तुलना में पूंजी की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

संपत्ति और देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में आस्ति एवं देयता समिति (एएलएम) कार्य बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम को मापने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एएलएम का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए लाभप्रदता को अधिकतम करना है।

आस्ति एवं देयता समिति (एएलएम) बैंक की तरलता की स्थिति और बाजार से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल का आकलन और निगरानी करने के लिए 17 बार आस्ति एवं देयता समिति की बैठक हुई।

विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, एएलएम कार्य जमाराशियों पर ब्याज दरों के निर्धारण के साथ-साथ आधार दर, सीमांत निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर), रेपो रेट लिक्विड रेट (आरबीएलआर) और बाहरी बेंचमार्क लिक्विड रेट (ईबीएलआर) तय करने के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने जमा ब्याज दरों, आधार दर, आरबीएलआर, ईबीएलआर, और एमसीएलआर में बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए कई बार संशोधन किए।

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देशों का पालन करता है। एलसीआर, जो अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की क्षमता को मापता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 302.34% की औसत एलसीआर के साथ 100% की सीमा से ऊपर रहा। इसी तरह, एनएसएफआर, जो बैंक के धन स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता का आकलन करता है, 31 मार्च, 2023 तक 161.50% के एनएसएफआर के साथ 100% की न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर रहा।

एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली आस्ति एवं देयता समिति, तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन में विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि आपका बैंक विनियामक दिशानिर्देशों

का पालन करते हुए और मजबूत तरलता की स्थिति बनाए रखते हुए लाभप्रदता और जोखिम प्रबंधन के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाए रखे।

बेसल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा लागू किया है। आपके बैंक ने बेसल III मानदंडों को अपनाया है और क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का पालन करता है। पूंजी पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए बाजार जोखिम के लिए परिचालनात्मक जोखिम और मानकीकृत अवधि विधि।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण नीति, संपादक प्रबंधन नीति, संपत्ति और देयता प्रबंधन नीति, मॉडल जोखिम नीति, मॉडल जैसी विभिन्न नीतियां स्थापित की हैं। सत्यापन नीति, क्रेडिट समीक्षा नीति, इंटरग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) नीति, और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी)। इन नीतियों को बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है और विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष (एफआरएमसी)

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सेल (एफआरएमसी) धोखाधड़ी की संदिग्ध या पुष्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी की संदिग्ध या पुष्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप बैंक के बॉन्ड, प्रतिष्ठा और आस्तियों को नुकसान या क्षति से बचाने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करके बैंक के व्यवसाय में तेजी आने की स्थिति में धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने की दृष्टि से कार्य करता है।

सेल में धोखाधड़ी की रोकथाम करने, इसका पता लगाने और शमन करने का मजबूत वातावरण है। यह सभी संदिग्ध मामलों (डिजिटल/ एटीएम धोखाधड़ी को छोड़कर) के संबंध में जांच रिपोर्ट एकत्र करता है, मूल कारणों के लिए धोखाधड़ी का विश्लेषण करता है, देखी गई सामान्य विशेषताओं को संकलित करता है और निवारक कदम सुझाता है। यह बैंक द्वारा आरबीआई को घोषित धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करता है और आरबीआई के लिए धोखाधड़ी के मामलों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। धोखाधड़ी की घटनाओं के खिलाफ सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सेल हमारे कर्मचारियों के बीच हाल ही में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के तौर- तरीकों को साझा करता है और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाता है।

बैंक ने एक लेनदेन निगरानी समाधान यानी एंटरप्राइज वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया है, जो धोखाधड़ी का पता लगाने, उसकी निगरानी करने और रोकथाम का समाधान है। यह वास्तविक समय/ लगभग वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन में संदिग्ध

पैटर्न की निगरानी करता है जो लेनदेन को मंजूरी देने या ब्लॉक करने के लिए बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया करने की सुविधा देता है।

सैम और वसूली

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक सुपरिभाषित वसूली नीति लागू की है। इस नीति में एनपीए की निगरानी, अनुवर्ती उपायों को लागू करने, समझौता निपटान की खोज, सरफेसी अधिनियम का पालन करने, प्रवर्तन एजेंसियों की नियुक्ति, वसूली के लिए पोर्टफोलियो आवंटित करने, स्विस चैलेंज विधि के माध्यम से एआरसी को संपत्ति की बिक्री की सुविधा और इरादतन चूक के मामले को ठीक करने सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने एनपीए वसूली और उन्नयन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

	31-03-2023	31-03-2022
नकद रिकवरी	4213	3617
अपग्रेडेशन	658	1337
सकल एनपीए	18386	28156
शुद्ध एनपीए	3592	6675
सकल एनपीए%	8.44	14.84
शुद्ध एनपीए%	1.77	3.97

एनपीए समाधान में और सहायता के लिए, बैंक ने दो एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू किया। विशेष ओ.टी.एस योजना 31 मार्च, 2022 तक ₹2.00 लाख तक के ग्राहक जोखिम वाले एसबी और सीडी (डीए3/हानि) में एनपीए/ओडी पर लागू थी, और उसी तारीख को एनपीए के रूप में वर्गीकृत सभी खातों पर लागू थी, जिसमें पीडब्ल्यूओ/दो खाते भी शामिल थे। ग्राहक जोखिम ₹ 10 करोड़ तक। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा की परवाह किए बिना सभी एनपीए खातों के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण के तहत एक ओटीएस योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2915 करोड़ की राशि के प्रस्तावों को ₹2129 करोड़ में निपटाया गया।

बैंक ने 100% नकद आधार पर स्विस चैलेंज मेथड के माध्यम से एआरसी को सफलतापूर्वक 4 एनपीए खाते बेचे, जिसके परिणामस्वरूप ₹165 करोड़ की नकद वसूली हुई और एनपीए में ₹314 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, 97 खातों को इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया था, और सरफेसी अधिनियम के तहत, बैंक ने 1373 संपत्तियों की नीलामी की, 191 संपत्तियों की बिक्री की और ₹367.22 करोड़ कमाए।

बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक ₹6525.60 करोड़ की कुल बकाया राशि के साथ 21 खातों में अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने इन खातों के लिए ₹4963.56 करोड़ के कुल प्रावधान को अलग रखा है।

इसके अलावा, बैंक ने आरबीआई के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के अनुपालन में 10 खातों में संकल्प योजनाओं को अनुमोदित और कार्यान्वित किया. इन खातों पर 31 मार्च, 2023 तक ₹1930.09 करोड़ बकाया राशि थी. बैंक ने इन खातों हेतु कुल ₹686.05 करोड़ का प्रावधान किया है.

एनपीए समाधान के प्रयासों को मजबूत करने हेतु, बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ₹1500 करोड़ और उससे अधिक के बैंकिंग जोखिम वाले खातों के लिए अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए. समाधान योजनाओं को आरबीआई के दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र के अनुपालन में विधिवत अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था. बैंक ने एनपीए की बारीकी से दैनिक निगरानी बनाए रखी और कानूनी कार्रवाइयों और सरफेसी-आधारित वसूली पहलों की नियमित समीक्षा की. प्रगति का आकलन करने और मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु फील्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई.

इसके अतिरिक्त, बैंक की क्षेत्रावसूली टीम ने शाखा के कर्मचारियों के सहयोग से, व्यक्तिशः एनपीए उधारकर्ताओं से ₹10 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि की वसूली हेतु संपर्क किया.

बैंकेश्योरेंस

आपके बैंक के भीतर बैंकेश्योरेंस अनुभाग जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जिम्मेदार है और इन सेवाओं के लिए कमीशन प्राप्त करता है. आपके बैंक के पास आईआरडीएआई का कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस है, जो 31 मार्च, 2025 तक वैध है, जो इसे बीमा वितरण गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है.

क्रं	बीमा कंपनी	वर्ग
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	जीवन बीमा
2.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा
3.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गैर-जीवन बीमा
4.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गैर-जीवन बीमा

2015 के नए आईआरडीएआई नियमों के अनुसार, जिसे "ओपन आर्किटेक्चर" के रूप में जाना जाता है, आपके बैंक ने जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों में काम करने वाली कई बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है.

यहाँ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कामकाज की झलकियाँ दी गई हैं:

- आपके बैंक ने सफलतापूर्वक 66,509 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹78.86 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.
- गैर-जीवन बीमा कारोबार में, आपके बैंक ने ₹12.27 करोड़ का कमीशन अर्जित करते हुए 248,089 पॉलिसी बेचीं.

- बैंकेश्योरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹91.13 करोड़ थी.
- आपके बैंक के पास 2,578 निर्दिष्ट व्यक्तियों की एक समर्पित टीम है जो बैंक के लिए सक्रिय रूप से बैंकेश्योरेंस व्यवसाय का स्रोत है.

डिपॉजिटरी सेवाएं

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) से एक व्यवस्था के साथ बैंक एक डिपॉजिटरी सहभागी है. सभी परिचालन केंद्रीकृत हैं, और फोर्ट मुंबई में स्थित हमारी नोडल शाखा, पूंजी बाजार सेवा शाखा के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं. प्रमुख केंद्रों की शाखाएँ खाते खोलने, खरीदने और बेचने, शेयरों को गिरवी रखने और भौतिक प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं. बैंक में 28899 डीमैट खाताधारक हैं.

पूंजी बाजार सेवा शाखा मुंबई में विशेष रूप से एसबीए, डीमैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंट के भुगतान और दलालों को ऋण/गारंटी की सुविधा आदि जैसी पूंजी बाजार सुविधाओं की पेशकश के लिए खोली गई थी, और फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मासिक आधार पर आयोजित की जाती है. 10 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले एनपीए उधारकर्ताओं से डीमैट और एसबीए के लिए वसूली नियंत्रण शाखा के लिए शाखा कर्मचारियों के साथ क्षेत्रावसूली टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा रहा है.

ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) सॉफ्टवेयर ओएलएओ के साथ प्रारंभ की गई थी. साथ ही, बैंक ने हमारे डीमैट ग्राहक के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ टाई-अप में 3 इन 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा लागू की है,

डिजिटल भुगतान और लेनदेन बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने विभिन्न चैनलों में महत्वपूर्ण डिजिटल लेनदेन देखे हैं. यूपीआई लेनदेन की दैनिक औसत संख्या 55.47 लाख थी, जो इस भुगतान पद्धति की लोकप्रियता और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाती है. इसी तरह, आईएमपीएस लेनदेन की दैनिक औसत संख्या 3.94 लाख थी, जो तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा और दक्षता को दर्शाता है. इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन की दैनिक औसत संख्या 0.45 लाख थी, जबकि मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की दैनिक औसत संख्या 0.42 लाख थी, जो डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है.

पीओएस/ई-कॉम लेनदेन ने 1.12 लाख की दैनिक गिनती दर्ज की, जो खुदरा खरीद के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग को उजागर करता है. 31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक के पास इंटरनेट बैंकिंग के लिए कुल 98.54 लाख, मोबाइल बैंकिंग के लिए 57.67 लाख और यूपीआई के लिए 24.50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जो बढ़ते डिजिटल ग्राहक आधार को दर्शाता है.

आपके बैंक के पास 31 मार्च, 2023 तक विभिन्न स्थानों पर 2,154 पीओएस टर्मिनल स्थापित थे, जिससे ग्राहक आसानी से कार्ड-आधारित भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 1,000 सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क (एसएसपीबीपीके) को ग्राहकों की उनके खाते की जानकारी तक पहुंच की सुविधा के लिए तैनात किया गया था।

आपके बैंक ने कुल 3,752 एटीएम का संचालन किया, जिनमें से 54.55% ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में स्थित हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। वर्ष के दौरान औसत एटीएम अपटाइम लगभग 96.92% था, जिससे विश्वसनीय और निर्बाध नकद निकासी सेवाएं सुनिश्चित हुईं। आपके बैंक के पास 31 मार्च, 2023 तक 2.83 करोड़ का डेबिट कार्ड आधार था, जिससे ग्राहकों को आसानी से अपने फंड का उपयोग करने में मदद मिली।

क्रेडिट कार्ड संचालन में, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ भागीदारी की है। वित्तीय वर्ष के अंत तक, 2.40 लाख सह-ब्रांडेड कार्ड जारी किए गए थे, जो ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान विकल्प और लाभ प्रदान करते थे।

आगे देखते हुए, आपके बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई पहलों की रूपरेखा तैयार की है। इनमें सुरक्षित ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए वर्चुअल कार्ड की शुरुआत, गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बेहतर बिल भुगतान कार्यक्षमता, भारत और सिंगापुर के बीच फंड ट्रांसफर के लिए यूपीआई पे नाउ का कार्यान्वयन शामिल है। यूपीआई123 फीचर कार्यान्वयन, लेन-देन प्राप्त करने के लिए यूपीआई लाइट, और यूपीआई का उपयोग करके बैंक के एटीएम से नकद निकासी के लिए आईसीसीडब्ल्यू जारी करना।

इसके अलावा, आपके बैंक की शाखाओं में अतिरिक्त सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क लगाने की योजना है, एक एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों और संस्थानों को भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के लिए व्हाइट लेबल समाधान प्रदान करने और मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्मों में लगातार कार्यक्षमता में सुधार करने की योजना है, अपने ग्राहकों के लिए एक सहज और उन्नत डिजिटल बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करना।

सूचना प्रौद्योगिकी:

सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने परिचालन का समर्थन करने और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक आईटी बुनियादी ढांचे की स्थापना को प्राथमिकता दी है। आपके बैंक का आईएसओ-प्रमाणित डाटा सेंटर और मजबूत आईटी अवसंरचना परिचालन दक्षता और त्वरित ग्राहक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉल्यूशन और लोन लाइफसाइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशन जैसी महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाओं को आवश्यक बिजनेस एनेबलर्स के रूप में लागू किया गया है।

शून्य डेटा हानि के साथ व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने एक व्यापक आपदा रिकवरी केंद्र और एक नियर-साइट सेटअप स्थापित किया है। आपके बैंक की आंतरिक नीति और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमित डिजास्टर रिकवरी (डीआर) अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसी चरम स्थितियों के दौरान भी, आपके बैंक के उन्नत नेटवर्किंग सेटअप और निरंतर निगरानी ने शाखा अलगाव और नेटवर्क आउटेज को कम किया है।

स्विफ्ट सिस्टम को नया रूप दिया गया है और अतिरिक्त सुविधाओं से लैस नवीनतम संस्करण में अद्यतन किया गया है। आपके बैंक ने हाल ही में उन्नत सुविधाओं और सुरक्षा नियंत्रणों की पेशकश करते हुए खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए संशोधित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। नियामक निर्देशों का पालन करते हुए 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी सेटअप को भी अद्यतन किया गया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक और कर्मचारी सेवा आवश्यकताओं के साथ-साथ नियामक दायित्वों का पालन करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इनमें धन-शोधन निवारण (एएमएल), एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट (एसबीए), एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस), धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) का कार्यान्वयन, केंद्रीयकृत ई-टीडीएस प्रबंधन समाधान, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) शामिल हैं। आपके बैंक ने प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए टीआईएन 2.0 भी लागू किया है और एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया पेश की है।

आपका बैंक सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, आधार डेटा कैप्चर करते समय वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रायोजक बैंक के रूप में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि आरआरबी तकनीकी प्रगति और कोर बैंकिंग कार्यों से लाभान्वित हों।

व्यापक निधी प्रबंधन और भुगतान निगरानी के लिए, आपके बैंक ने डिजी फंड प्रबंधन समाधान लागू किया है। इसके अलावा, मौजूदा डेटा वेयरहाउस समाधान को सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास समाधान में अद्यतन किया जा रहा है जो डेटा वृद्धि को संभाल सकता है और आपके बैंक की एमआईएस/विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी व्यावसायिक रणनीति के तहत “डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन” नामक एक प्रमुख पहल कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य एक यूनिवर्सल ऐप के माध्यम से पारंपरिक व्यापार मॉडल को डिजिटल में परिवर्तित करना है जो जमा, अग्रिम, भुगतान और धन प्रबंधन जैसे व्यापक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। आपका बैंक इन डिजिटल सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म खरीदने और अपने ग्राहक सेवा और बीमा प्लेटफॉर्म को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रारंभिक कदम के रूप में, आपके बैंक ने ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग अनुभव को बढ़ाते हुए, वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑन-बोर्डिंग यात्रा शुरू की है।

आईटी गर्वनेंस:

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रभावी आईटी गर्वनेंस के महत्व को पहचानता है और आईटी गतिविधियों के उचित निरीक्षण और शासन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित समितियों की स्थापना की है। बोर्ड ने आईटी रणनीति और जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन किया है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि मजबूत आईटी शासन पद्धतियां मौजूद हैं। ये समितियाँ आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं, आईटी जोखिमों का मूल्यांकन करती हैं और आईटी से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

सुझाए गए आईटी निर्णय लेने में आपके बैंक का समर्थन करने के लिए, एक आईटी संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभिन्न व्यवसायिक कार्यक्षेत्रों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जो विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता को एक साथ लाते हैं। आईटी संचालन समिति आपके बैंक के उद्देश्यों और व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त आईटी पहलों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में आपके बैंक की सहायता करती है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की आईटी संगठनात्मक संरचना को इसके आकार, पैमाने और व्यवसायिक गतिविधियों की मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी और विकास, आईटी परिचालन, आईटी आश्वासन और आपूर्ति और संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं। आईटी विभाग के भीतर प्रत्येक कार्यात्मक वर्टिकल का नेतृत्व अनुभवी और प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारी करते हैं जो नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आईटी विभाग का नेतृत्व महाप्रबंधक के पद के एक शीर्ष कार्यकारी द्वारा किया जाता है, जो उप महाप्रबंधकों और सहायक महाप्रबंधकों द्वारा समर्थित होता है। यह नेतृत्व टीम आईटी रणनीतियों, नीतियों और परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निष्पादन को सुनिश्चित करती है। वे आईटी विभाग के दिन-प्रतिदिन के परिचालन की देखरेख करते हैं और पूरे संगठन में आईटी पहलों के कार्यान्वयन को संचालित करते हैं।

सूचना सुरक्षा

आपके बैंक ने अपनी सूचना प्रणाली और ग्राहक डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 जैसे नियामक दिशानिर्देशों और प्रमाणन मानकों का निरंतर अनुपालन किया जा रहा है। कर्मचारियों/ग्राहकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पहल की जा रही है।

लीवरेजिंग टेक्नोलॉजीज - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नई पहल:

- 1) जमा, आहरण और अंतरण के लिए एसएमएस आधारित ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया गया।
- 2) मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस के माध्यम से चेक बुक जारी करना और सक्रिय करना।

- 3) सकारात्मक वेतन प्रणाली
- 4) प्रत्यक्ष कर संग्रह (टिन 2.0)
- 5) एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से शुरू किए गए संदिग्ध लेनदेन को रियल टाइम विश्लेषण और ब्लॉक करने के लिए एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएमएस) लागू किया गया है। यह विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए लागू किया गया है।
- 6) सरसाई (CERSAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार सीबीएस सिस्टम में ग्राहकों के केवायसी (KYC) डेटा को कैप्चर करने और मान्य करने के लिए केंद्रीकृत केवायसी रजिस्ट्री (CKYCR) को लागू किया।
- 7) वीडियो केवाईसी (ऑनलाइन चैनल) के माध्यम से डिजिटल ग्राहक ऑन-बोर्डिंग शुरू किया, बिना शाखाओं में आए परेशानी मुक्त ग्राहक ऑन-बोर्डिंग के हिस्से के रूप में।
- 8) सेंट मोबाइल में निम्नलिखित ग्राहक सेवा पहल किए गए
 - o फॉर्म 16 और ब्याज प्रमाणपत्र (ई-सर्टिफिकेट) जनरेट करने का विकल्प।
 - o निधि अंतरण में दिनांक और समय का समावेश रसीद।
 - o डी-रजिस्टर और लॉयल्टी पुरस्कार विकल्प सम्मिलित।
 - o असमिया, बंगाली और पंजाबी भाषाओं को जोड़ा गया।
 - o सेंट 555/ 999 जमा खाते में शामिल हैं ओपनिंग ड्रॉपडाउन।
 - o सेंट मोबाइल ऐप में लॉगइन करने पर, एक पॉप अप प्रदर्शित होता है, जिसमें डेबिट कार्ड ऑफर्स दिखाए जाते हैं।
- 9) **कार्डों का टोकनाइजेशन** - आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यापारियों को ग्राहकों के कार्ड नंबर स्टोर करने की अनुमति नहीं है। कार्ड नंबर के बजाय, वे टोकन (कार्ड नेटवर्क द्वारा उत्पन्न) संग्रहित करेंगे। एटीएम स्विच में टोकन-आधारित लेनदेन को संभालने के लिए आवश्यक परिवर्तन शामिल किए गए हैं। इसे ग्राहकों के कार्ड विवरण की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। सभी तीन कार्ड नेटवर्कों के लिए टोकनाइजेशन पूरा कर लिया गया है जैसे रुपये, वीजा और मास्टरकार्ड।

डिजिटल पहलें:

बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (सेंट नियो) शुरू किया है और महत्वाकांक्षी योजनाओं में निम्नलिखित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा शामिल है:

- यूनिवर्सल ऐप (सेंट नियो) - ऐप और वेब इंटरफेस के माध्यम से संपत्ति, देनदारियों, धन प्रबंधन, मार्केट प्लेस, कार्ड आदि पर विभिन्न सेवाओं की पेशकश की जाएगी।
- डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) - डीएलपी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी), असिस्टेड और सेमी-असिस्टेड मोड्स में कर्ज देने में मदद करेगा।

- एकीकृत ग्राहक सेवा - ग्राहकों की सेवाओं के लिए आधुनिक ग्राहक सेवा, शिकायत प्रबंधन, विपणन और बिक्री, अन्य के अलावा, विभिन्न प्रकार के चैनलों पर कॉल, चैट/वॉयस बीओटी, आईबीआर, व्हाट्सएप, अन्य के अलावा,
- इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म - आंतरिक और बाहरी सिस्टम के बीच निर्बाध संचार के लिए मिडलवेयर प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना इस प्लेटफॉर्म के घटक पेमेंट-हब, एपीआई गेटवे, मिडलवेयर और स्ट्रीमिंग हैं।
- संग्रह प्रबंधन - प्रौद्योगिकी, कॉल सेंटर और फुट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) सेवाओं के साथ एकीकृत संग्रह प्रबंधन प्रणाली।

लेखापरीक्षा और निरीक्षण

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया जोखिम प्रबंधन को अत्यधिक महत्व देता है और इसने अपनी शाखाओं और कार्यालयों में जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया है। आपका बैंक जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) दृष्टिकोण अपनाता है, जहां आंतरिक लेखापरीक्षक समग्र जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर प्रत्येक शाखा का मूल्यांकन करते हैं और तदनुसार जोखिम रेटिंग प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 4518 में से कुल 4376 शाखाएं आरबीआईए के अधीन थीं और उनकी रेटिंग की गई थी। 31 मार्च, 2023 तक, रेटिंग से पता चला कि 2698 शाखाओं को मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया था, 1633 शाखाओं को कम जोखिम के रूप में, 43 शाखाओं को उच्च जोखिम के रूप में और 2 शाखाओं को बहुत अधिक जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

इस वित्त वर्ष के दौरान 35 क्षेत्रीय कार्यालयों, 12 अंचल कार्यालयों, 17 केंद्रीय कार्यालय के विभागों, 2 आरआरबी, और 5 अनुषंगियों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई। ये ऑडिट प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं और स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करते हैं।

समवर्ती ऑडिट शाखा संचालन की सटीकता और अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च, 2023 तक कुल 1,157 शाखाओं/कार्यालयों को सनदी लेखाकारों या बैंक अधिकारियों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कवर किया गया था। इसमें सामान्य शाखाएँ, एसएसबी, सीपीएसी, सीओ विभाग, करेंसी चेस्ट, एडी शाखाएँ, सरकारी व्यवसाय के लिए नोडल शाखाएँ और उच्च जोखिम वाली शाखाएँ शामिल हैं। समवर्ती ऑडिट आपके बैंक के कुल कारोबार का लगभग 58.63% और कुल अग्रिमों का 70.47% कवर करते हैं। आपके बैंक ने इन लेखापरीक्षाओं को करने के लिए आरबीआई द्वारा श्रेणी I, II, III, और IV के रूप में वर्गीकृत सनदी लेखाकार फर्मों की एक विविध श्रेणी को शामिल किया है।

नियमित समवर्ती लेखापरीक्षा के अलावा, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियमित समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कवर नहीं की गई शाखाओं के आंतरिक/कार्यालय खातों के लेन-देन की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं। आरबीआई द्वारा वर्गीकृत सनदी लेखाकार और लेखापरीक्षा फर्मों सहित कुल 362 समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए थे।

आय बुकिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, आपका बैंक सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखा परीक्षकों और अन्य अधिकारियों को शामिल करते हुए एक वार्षिक राजस्व जांच अभ्यास आयोजित करता है। यह अभ्यास हर साल 1 मार्च से 10 मार्च तक होता है।

नियामक और आंतरिक अनुपालन आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 755 शाखाओं का अनुपालन ऑडिट किया गया, जो आपके बैंक की सख्त अनुपालन संस्कृति में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक केवाईसी अनुपालन लेखापरीक्षा सहित शाखाओं में अनुपालन का आकलन करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण और ऑडिट करता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पात्र खातों में समय-समय पर कानूनी ऑडिट और शीर्षक विलेखों का पुनः सत्यापन करके आरबीआई के निर्देशों का भी अनुपालन करता है। यह आपके बैंक के संचालन की सत्यनिष्ठा और वैधता सुनिश्चित करता है।

योजना, विकास एवं परिचालन विभाग:

शाखा विस्तार :

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान खोली/विलय/बंद की गई शाखाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.सं	श्रेणी	31.03.2022 की स्थिति	31.03.2023 की स्थिति
1	ग्रामीण	1604	1600
2	अर्ध शहरी	1330	1330
3	शहरी	783	769
4	मेट्रो	811	794
कुल		4528	4493

आपके बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। यहाँ प्रमुख पहलें हैं:

आपके बैंक का कॉल सेंटर ग्राहकों को इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों कॉल सुविधाएं प्रदान करता है। कॉल करने वालों को इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) के माध्यम से 16 सेवाओं की पेशकश करने के लिए इसे अद्यतन किया गया है। मौजूदा टोल-फ्री नंबर (1800 22 1911) के अलावा, आपके बैंक ने दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान के मामले में वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने के लिए अतिरिक्त नंबर (1800 202 1911 टोल-फ्री और 022 4190 3900 टोल नंबर) पेश किए हैं।

पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष नंबर (1800203 1911) प्रदान किया गया है। कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान करता है। कॉल सेंटर के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित व्यक्तियों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ग्राहक 24/7 आधार पर कॉल सेंटर के माध्यम से अपने खातों या डेबिट कार्ड के लिए डेबिट फ्रीज का अनुरोध कर सकते हैं। बकाया कृषि, खुदरा

और एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रोएक्टिव आउटबाउंड आईवीआर ब्लास्टर सेवाओं को पांच भाषाओं में लागू किया गया है। विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए) वाले खातों से भुगतान के संग्रह के लिए रिमाइंडर सेवाओं के लिए बीट कॉलिंग का उपयोग किया जाता है।

आपका बैंक आईवीआर के माध्यम से अपने और बैंक के अन्य खातों के साथ-साथ ऋण खातों में धन हस्तांतरण के लिए सेवाएं प्रदान करता है। पेंशनरों को कॉल सेंटर के माध्यम से अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए याद दिलाया जाता है, और आपका बैंक वी-केवाईसी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करता है।

आपके बैंक ने अपने वेब पोर्टल के माध्यम से अपने शिकायत प्रबंधन समाधान को नया रूप दिया है, जिससे ग्राहक कभी भी, कहीं भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए चेक बुक और एटीएम कार्ड की होम डिलीवरी शुरू की गई है। चेक बुक को एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। क्लोनिंग या परिवर्तन द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान पेश किया गया है, जिससे ग्राहक अपने जारी किए गए चेक के कुछ बुनियादी विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सकारात्मक भुगतान की जानकारी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और शाखा नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है।

पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से डीएसबीएस (डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज) पहल के तहत, 100 केंद्रों पर स्थित ग्राहक मामूली शुल्क पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विभिन्न चैनलों के माध्यम से बुक किया जा सकता है, और एक डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र एकत्र करेगा।

ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या एसएमएस चैनलों के माध्यम से अपने खातों के लिए नामांकन कर सकते हैं। पीपीएफ खाते अपनी पसंद की किसी भी शाखा में या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खोले जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को मोबाइल बैंकिंग या किसी भी शाखा के माध्यम से खोला जा सकता है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। टिन2.0 के तहत कर संग्रह सभी शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है।

छोटी बचत योजनाओं हेतु गृह शाखा परिवर्तन अब सीबीएस (कोर बैंकिंग समाधान) के माध्यम से जमा खातों के समान ही संभव है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग लागू किया गया है, और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पुनः केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) किया जा सकता है। ग्राहकों को उनके खातों के निष्क्रिय या निष्क्रिय होने से पहले और बाद में एसएमएस सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-मैट्रेट की सुविधा प्रदान की जाती है। अन्य बैंकों के बचत खातों में जमा राशि हेतु अधिदेश पंजीकरण भी उपलब्ध है।

राजभाषा

राजभाषा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गैर-सरकारी संगठनों और नगर अधिकारिक कार्यान्वयन समितियों जैसे विभिन्न कार्यालयों से राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करना शामिल है। पुरस्कार राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में हमारे कार्यालयों के प्रयासों और उपलब्धियों को इंगित करते हैं।

- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कार:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पुरस्कार
1.	आंचलिक कार्यालय, पटना	प्रथम
2.	नराकास (बैंक) भोपाळ (हमारे संयोजन प्रथम कार्यरत)	प्रथम
3.	नराकास (बैंक) पणजी (हमारे संयोजन प्रथम कार्यरत)	प्रथम
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, संबलपुर (वित्तीय प्रथम वर्ष 2021-22 के लिए)	प्रथम
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, संबलपुर (वित्तीय द्वितीय वर्ष 2021-22 के लिए)	द्वितीय
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर	द्वितीय

- पुरस्कार: गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त

हमारे बैंक ने महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीयकृत बैंक आशीर्वाद राजभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में हमारे बैंक के महत्वपूर्ण प्रयासों को इंगित करत है। इसे साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था आशीर्वाद ने प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक को राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट कार्य के लिए 'दुष्यंत सम्मान' से सम्मानित किया गया। यह मुंबई स्थित साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पासवान-ए-अदब द्वारा प्रदान किया गया था।

इसके अलावा, हमारे महाप्रबंधक (राजभाषा), श्री स्मृति रंजन दास ने प्रतिष्ठित आशीर्वाद राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार हमारे कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने में श्री दास के बहुमूल्य सहयोग और योगदान की सराहना करते हुए आशीर्वाद संस्था द्वारा प्रदान किया गया।

- नराकास पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, हमारे विभिन्न कार्यालयों ने संबंधित नगर अधिकारिक कार्यान्वयन समितियों से सम्मानित

नरकास पुरस्कार प्राप्त किए. इन पुरस्कारों ने अपने संबंधित स्थानों में राजभाषा को बढ़ावा देने और लागू करने में हमारे कार्यालयों के उत्कृष्ट प्रयासों और उपलब्धियों को इंगित किया दी.

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर	प्रथम
2	क्षेत्रीय कार्यालय, देवरिया	प्रथम
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली	प्रथम
4	आनंद शाखा - गांधी नगर क्षेत्र	प्रथम
5	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर	प्रथम
6	आंचलिक कार्यालय, पटना	प्रथम
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या	प्रथम
8	क्षेत्रीय कार्यालय, धनबाद	प्रथम
9	क्षेत्रीय कार्यालय, अकोला	प्रथम
10	आंचलिक कार्यालय, दिल्ली	प्रथम
11	क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर	प्रथम
12	आंचलिक कार्यालय, दिल्ली हिन्दी ई पत्रिका द्वितीय सेन्ट्रलवाणी	
13	क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ हिन्दी ई पत्रिका सेंट द्वितीय मंगल	
14	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	द्वितीय
15	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	द्वितीय
16	क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	द्वितीय
17	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	द्वितीय
18	आंचलिक कार्यालय, चेन्नई	द्वितीय
19	आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	द्वितीय
20	बड़वानी शाखा	द्वितीय
21	शालीमार शाखा	द्वितीय
22	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	तृतीय
23	क्षेत्रीय कार्यालय, सुरत	तृतीय
24	शिवपुरी शाखा (भोपाल अंचल)	तृतीय
25	क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना	तृतीय
26	क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद	तृतीय
27	आंचलिक कार्यालय पुणे,	तृतीय
28	क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबटूर	तृतीय
29	नागरकोइल शाखा	तृतीय
30	क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली	तृतीय
31	क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर	तृतीय
32	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	प्रोत्साहन
33	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	प्रोत्साहन
34	खम्माम शाखा (वारंगल अंचल)	प्रोत्साहन
35	देवास शाखा	प्रोत्साहन
36	क्षेत्रीय कार्यालय, संबलपुर	प्रोत्साहन
37	बर्नपुर शाखा	उन्नायक पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, हमारे बैंक के राजभाषा विभाग ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए और राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया. जिसके वैशिष्ट्य निम्न है:

- राजभाषा सम्मेलन: हमारे बैंक ने दिल्ली में 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' का आयोजन किया, जहां सुश्री अंशुली आर्य, आईएएस, सचिव (राजभाषा) और श्री बी. एल मीणा, निदेशक (राजभाषा) जैसे विशिष्ट अतिथियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. सम्मेलन में "कंठस्थ" पर एक विशेष व्याख्यान के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा शामिल थी.
- राजभाषा सेमिनार: श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी अंचल) की उपस्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी द्वारा राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया.
- राजभाषा प्रदर्शनियां: हमारे बैंक ने दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा प्रदर्शनी की मेजबानी की, जहां भाषाई क्षेत्रों क, ख और ग का प्रतिनिधित्व करने वाले चार मंडप स्थापित किए गए. इसके अतिरिक्त, हमारे विभिन्न कार्यालयों ने हिंदी भाषा और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली 312 प्रदर्शनियों का आयोजन किया.
- ई-पुस्तकों का प्रकाशन: हमारे बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों, एनपीए प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग और विज्ञापन सहित विविध बैंकिंग विषयों पर 12 ई-पुस्तकें प्रकाशित कीं. इन ई-पुस्तकों का उद्देश्य हमारे हितधारकों को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करना है.
- ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म: हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'सेंट सरल' ई-लर्निंग किताबें, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उड़िया सहित 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री प्रदान करती हैं.
- अखिल भारतीय हिंदी प्रतियोगिताएं: राजभाषा के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें निबंध प्रतियोगिताएं, सेंटमेल प्रतियोगिताएं और हिंदी गीत गायन प्रतियोगिताएं शामिल हैं.
- उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान: देश भर में पांच अंचल और 12 राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
- द्विभाषी और हिंदी इन-हाउस पत्रिकाओं का प्रकाशन: हमारा बैंक नियमित रूप से द्विभाषी हाउस पत्रिका 'सेंट्रलाइट' और त्रैमासिक हिंदी इन-हाउस पत्रिका 'सेंट्रल मंथन' प्रकाशित करता है. इसके अतिरिक्त, हमारे आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय नियमित अंतराल पर ई-पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं.
- विशेष कार्यक्रम: हिंदी को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय अवसरों को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा लता मंगेशकर के गीतों का एक कार्यक्रम, डॉ. अंबेडकर की जयंती से संबंधित एक ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिता, विश्व हिंदी दिवस समारोह और हमारे कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल थीं.

- हिंदी पोस्टर: हमारे विभिन्न कार्यालयों ने 225 हिंदी पोस्टर जारी किए जिनमें हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संदेश, कहावतें, उद्धरण और दिशानिर्देश दिए गए हैं।
- नराकास का संयोजक: हमारा बैंक अकोला, भोपाल, देवरिया, गोलाघाट, ग्वालियर, लखीमपुर, मदुरै, पणजी, रायपुर, ठाणे और उदलगुडी जैसे शहरों में स्थित 11 नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

विपणन

हमारे बैंक के विपणन विभाग ने असाधारण प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है और पूरे वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खुदरा, एमएसएमई और कासा सेगमेंट पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, विभाग ने ग्राहक जुड़ाव को सफलतापूर्वक संचालित किया है और बैंक के विकास और बाजार में उपस्थिति में योगदान दिया है। नेतृत्व प्रबंधन और निगरानी बढ़ाने के लिए, एक अत्याधुनिक विपणन पोर्टल विकसित किया गया था, जो विपणन अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों और प्रशासनिक कार्यालयों को मजबूत उपकरण और क्षमता प्रदान करता है। इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म ने कुशल ट्रेकिंग और लीड्स के अनुकूलन की सुविधा प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि कोई अवसर न छूटे।

हमारी समर्पित मार्केटिंग टीम के प्रयासों से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने कुल मिलाकर 11,690 लीड्स जुटाए, जिनकी कुल राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,193 करोड़ है। यह असाधारण उपलब्धि संभावनाओं को मूल्यवान व्यवसायिक संबंधों में पहचानने और परिवर्तित करने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता का एक वसीयतनामा है। वास्तव में, उत्पन्न कुल लीड्स में से प्रभावशाली 8,800 को सफलतापूर्वक रूपांतरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,447 करोड़ का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य प्राप्त हुआ..

इसके अलावा, मिस्ड कॉल सुविधा की शुरुआत हमारी लीड प्राप्त की पहलों के लिए एक मूल्यवान जोड़ साबित हुई। जुलाई 2021 में लॉन्च होने के बाद से, इस सेवा को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 859 लीड शाखाओं को भेजी गई है। इन आशाजनक लीडों की राशि ₹292 करोड़ है, और सावधानीपूर्वक अनुवर्ती और पोषण के माध्यम से, उनमें से 545 को सफलतापूर्वक मूर्त व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया गया, जो कुल मिलाकर ₹226 करोड़ हुई। डिजिटल मार्केटिंग की शक्ति को अपनाते हुए, हमारी मार्केटिंग टीम ने प्रभावशाली अभियान शुरू किए जो हमारे लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुए। विभिन्न डिजिटल चैनलों का लाभ उठाकर, वे प्रभावी रूप से संभावित ग्राहकों तक पहुंचे और उन्हें शामिल किया, जिससे हमारी बाजार पहुंच का विस्तार हुआ और नए व्यवसायिक अवसरों के द्वार खुले हैं।

विपणन विभाग के भीतर निरंतर सीखने और विकास को प्राथमिकता दी गई है। फील्ड पदाधिकारियों, विशेष रूप से विपणन अधिकारियों को नवीनतम उपकरणों, तकनीकों और रणनीतियों से लैस करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। उनके व्यवसायिक विकास में इस निवेश ने न केवल उनकी क्षमताओं को बढ़ाया बल्कि यह भी सुनिश्चित

किया कि वे हमारे ग्राहकों और बाजार की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए, आपके बैंक ने मार्केटिंग टीम के भीतर शीर्ष 10 त्रैमासिक प्रदर्शनकर्ताओं को समारोहपूर्वक सम्मानित किया। उनके असाधारण योगदान को पहचानने के लिए प्रशंसा पत्र जारी किए गए और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को पुरस्कृत करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किए गए। सटीक और समय पर प्रदर्शन की निगरानी ने मार्केटिंग टीम के प्रयासों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचनात्मक स्लाइड और मिस्ड कॉल पर व्यापक डेटा के माध्यम से, टीम ने दैनिक प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी की और क्षेत्रीय कार्यालयों और विपणन अधिकारियों के साथ प्रमुख मेट्रिक्स साझा किए। इस वास्तविक समय की जानकारी ने शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए लक्षित क्रियाओं को सक्षम किया।

आगे देखते हुए, आपके बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर 4,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य रखा गया है। विपणन विभाग इस मील के पत्थर को पार करने और बैंक की सफलता और बाजार नेतृत्व को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल मार्केटिंग विभाग

आज के तेज-तरार और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक परिदृश्य में, प्रतिस्पर्धा से आगे रहना सर्वोपरि है। एक प्रमुख रणनीति जो गेम-चेंजर साबित हुई है वह डिजिटल मार्केटिंग है। विशाल दर्शकों तक पहुंचने और इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाने की क्षमता के साथ, आज व्यवसाय ग्राहकों के साथ इस तरह जुड़ सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। पारंपरिक विज्ञापन विधियों के विपरीत, डिजिटल मार्केटिंग संभावित ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षित करने हेतु एक लागत प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करती है। अधिक सुव्यवस्थित और लक्षित डिजिटल मार्केटिंग अभियानों की तुलना में प्रिंट विज्ञापनों, टीवी विज्ञापनों या होर्डिंग से जुड़े खर्च काफी अधिक हो सकते हैं। यह लागत दक्षता व्यवसायों को उनके आकार की परवाह किए बिना, अपने मार्केटिंग बजट को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने और बेहतर ब्याज दर प्राप्त करने की अनुमति देती है।

डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या इंटरनेट के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली रणनीतियों और युक्तियों की एक श्रृंखला शामिल है। यह व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों के साथ कई तरह से जुड़ने का अधिकार देता है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ), सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और पेड विज्ञापन शामिल हैं। इन डिजिटल चैनलों का उपयोग करके, व्यवसाय एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं, अपने ग्राहकों के साथ जुड़ सकते हैं और रूपांतरण बढ़ा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य लाभों में से एक इसकी वास्तविक समय में अभियानों की प्रभावशीलता को ट्रैक करने और मापने की क्षमता है। एनालिटिक्स और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से, व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों की प्राथमिकताओं, व्यवहारों और जुड़ाव स्तरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह

डेटा-चलित दृष्टिकोण निरंतर अनुकूलन और सुधार की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि विपणन प्रयास ग्राहकों की अपेक्षाओं और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

डिजिटल मार्केटिंग के स्पेक्ट्रम के अंतर्गत विभिन्न तरीके हैं, जो इस प्रकार हैं-

- सर्च इंजन अनुकूलन (एसईओ)
- सर्च इंजन मार्केटिंग (एसईएम) और पे-पर-क्लिक (पीपीसी)
- सोशल मीडिया मार्केटिंग (एसएमएम)
- ब्लॉगिंग
- वीडियो मार्केटिंग
- ईमेल मार्केटिंग
- इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और अन्य,

डिजिटल मार्केटिंग और यह व्यवसायों के संचालन के तरीके को कैसे प्रभावित करता है

- **ग्राहक कनेक्ट** - डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ब्रांड और दर्शकों के बीच आसान और त्वरित संचार सक्षम किया है। यह वैश्विक दर्शकों से जुड़ने में भी मदद करता है।
- **सामग्री वितरण** - हर दिन संगठन- सोशल मीडिया, ईमेल, एप्लिकेशन, न्यूज लेटर्स आदि के माध्यम से दर्शकों के साथ बड़ी सामग्री साझा कर सकता है। इस तरह संगठन अपने संदेश को बड़े दर्शकों तक आसानी से पहुंचा सकता है।
- **ग्राहक सूचना** - तकनीक की मदद से, संगठन ग्राहकों के डेटा को ट्रैक कर सकता है। डेटा का विश्लेषण हमें ग्राहकों की पसंद और वरीयताओं को जानने में मदद कर सकता है। जिसके आधार पर हम महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं।
- **नवाचारों को प्रोत्साहित करें** - डिजिटल मार्केटिंग अभिनव तरीके से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करती है। जब बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, तो एक अभिनव दृष्टिकोण रखने से ब्रांडों की अलग पहचान बनती है।

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों में उपस्थिति के साथ हमारे बैंक ने आज सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूप स्थापित किया है। आगे बढ़ते हुए, बैंक नए युग के तकनीकी जानकार मिलेनियल्स और जेन-जी ग्राहकों की पसंदीदा पसंद बनने के अपने प्रयास में एक ब्रांड धारणा विकसित करने के अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों के लिए एक प्रोत्साहन देने की इच्छा रखता है। वित्त वर्ष 2022-23 में हमारे बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल सर्च इंजन पर खुदरा योजनाओं, एमएसएमई योजनाओं, मिस्ड कॉल सुविधा, ऑनलाइन बचत खाते पर डिजिटल मार्केटिंग अभियानों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

निम्नलिखित अभियानों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल सर्च इंजन पर डिजिटल रूप से निष्पादित किया गया:

- गृह ऋण (सेंट होम लोन, सेंट गृह लक्ष्मी)

- शिक्षा ऋण (सेंट विद्यार्थी, आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए सेंट विद्यार्थी ऋण)
- वाहन ऋण
- फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऋण के लिए मिस्ड कॉल सुविधा
- एमएसएमई अभियान (सेंट संजीवनी, सेंट व्हीकल बिजनेस लोन, सेंट जीएसटी लोन, सेंट बिजनेस लोन, सेंट टेक्सटाइल लोन, ज्वैलरी मैनुफैक्चरर लोन)
- ऑनलाइन बचत खाता

इन अभियानों में उत्पन्न कुल इम्प्रेशन की संख्या 9,13,67,733 थी, क्लिकों की कुल संख्या 6,78,856 थी और उत्पन्न लीड्स की कुल संख्या 2,47,721 थी।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया आज डिजिटल मार्केटिंग का सबसे प्रमुख रूप बन गया है। हमारे बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की शुरुआत डिजिटल मीडिया की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और इन प्लेटफॉर्म पर हमारे उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के विचार के साथ हुई थी। इसने हमारे बैंक को मौजूदा और संभावित ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की है। हमने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सोशल मीडिया की मदद से, हम ओआरएम (ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन) नामक टूल के साथ मौजूदा और संभावित ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों की मदद करने और उन्हें हल करने की निरंतर प्रक्रिया में हैं।






नीचे सोशल मीडिया गतिविधियों के वैशिष्ट्य दिए गए हैं:

- विभाग द्वारा और सहकर्मी विभागों से प्राप्त विचारों पर प्रतिदिन रचनाएँ बनाई और पोस्ट की जा रही हैं।
- विभाग ने डीएफएस, एनपीसीआई, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य सरकारी संस्थानों के विभिन्न अभियान चलाए हैं।
- ग्राहकों को हमारे उत्पादों/योजनाओं की विशेषताओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न ब्रांड वार्तालाप अभियान चलाए गए हैं।
- हमारे एडीसी (वैकल्पिक वितरण चैनल)के लिए विभिन्न अभियानों का समन्वय किया गया।
- ब्रांड जागरूकता पैदा करने और संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं की जानकारी प्रसारित की गई।
- आजादी का अमृत महोत्सव, डीएफएस और अन्य सरकारी विभागों के तहत विभिन्न गतिविधियों पर पोस्ट बनाए गए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकेएम हैशटैग के साथ साझा किए गए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता अभियान और #आरबीआई कहता है अभियान में भाग लिया।
- विशेष अभियान 2.0 -डीएफएस द्वारा स्वच्छता ड्राइव में भाग लिया।
- माह मई 2021 में ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एवं शिकायतों के तत्काल

निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

- हमारे सोशल हैंडल में टिप्पणियों/प्रश्नों/शिकायतों को हमारे ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन (ओआरएम) टूल की मदद से मॉडरेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया में उपयुक्त उत्तर पोस्ट किए जा रहे हैं।
- हमें प्रतिदिन औसतन 200 से 250 शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका समाधान उसी दिन कर दिया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में, हमें अपने ग्राहकों से 310 सराहना मिली, जिनकी चिंताओं का समाधान किया गया।
- अलग-अलग विभागों से संबंधित शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए उनके पास ले जाया जा रहा है।

31/03/2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स/लाइक:

-  - 2,02,406 फॉलोअर्स
-  - 162350 फॉलोअर्स
-  - 8652 फॉलोअर्स
-  - 12517 फॉलोअर्स
-  - 22000 फॉलोअर्स

ब्रांडिंग, उत्पाद विपणन और कॉर्पोरेट संचार में आपके बैंक की पहलों की निगरानी के लिए एस विभाग जिम्मेदार है। विभाग ने देश भर में ब्रांडिंग प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और ब्रांडिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा स्थापित की है।

ट्रैफिक बैरिकेड्स, नो पार्किंग बोर्ड, पुलिस बूथ, वॉल पेंटिंग्स, बसों, ट्रेनों, स्थानीय केबल चैनलों और एफएम रेडियो जैसी पारंपरिक ब्रांडिंग विधियों के अलावा, विभाग ने ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में भी कदम रखा है।

एस टीम ने गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण और डिजिटल उत्पादों सहित बैंक के उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख गतिविधियों और प्रायोजन कार्यक्रमों का संचालन किया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल/सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया और एटीएम जैसे विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग बैंक की पेशकशों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए किया गया है।

प्रासंगिकता सुनिश्चित करने और परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने, आपके बैंक को एक गतिशील और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए विभाग का ध्यान लगातार सभी ब्रांडिंग प्रयासों को फिर से परिभाषित और पुनः परिभाषित करने पर है। पूरे वर्ष के दौरान, बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में दृश्यता बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई प्रचार गतिविधियाँ की गईं।

रणनीतिक ब्रांडिंग और प्रचार पहलों में संलग्न होकर, विभाग का उद्देश्य बैंक की बाजार स्थिति को मजबूत करना, अपनी ब्रांड छवि को बढ़ाना और अपने ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा करना है।

बैंक के विपणन प्रयासों में प्रायोजन, विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें शामिल हैं:

प्रायोजन:

- विभिन्न संगीत कार्यक्रमों और सांस्कृतिक का प्रायोजन आयोजन
- कॉलेज के त्योहारों और खेल प्रतियोगिताओं का प्रायोजन
- व्यापार मेलों और सम्मेलनों का प्रायोजन
- सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का प्लेटिनम प्रायोजन
- कैसर स्क्रीनिंग और वैश्विक संगीत त्योहारों का प्रायोजन

विज्ञापन और मीडिया:

- प्रमुख टेलीविजन चैनलों और रेडियो पर विज्ञापन के स्टेशन
- अखबारों और पत्रिकाओं में विज्ञापन छापें
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग अभियान
- विशेष प्रकाशनों और सांख्यिकीय डेटा रिपोर्ट में विज्ञापन
- प्रमुख स्थानों पर जिंगल और बैनर के माध्यम से प्रचार

सामुदायिक व्यस्तता:

- नुककड नाटकों और भित्ति चित्रों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता अभियान
- सामाजिक कारणों और पहलों के लिए समर्थन
- महत्वपूर्ण घटनाओं और वर्षगांठ का समारोह

जनसंपर्क विभाग ने प्रभावी संचार बनाए रखने और बैंक की छवि और प्रतिष्ठा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पहलों के माध्यम से, जनसंपर्क विभाग ने पारदर्शी संचार को बढ़ावा देने, हितधारक संबंधों को मजबूत करने और उद्योग में बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को क्रियान्वित किया:

प्रेस विज्ञप्तियाँ और मीडिया एंगेजमेंट: विभाग नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभागों से महत्वपूर्ण अद्यतन और घोषणाएं मीडिया और जनता को प्रभावी ढंग से सूचित की जा रही हैं। इसने अंतर्दृष्टि प्रदान करने और प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा जैसे उल्लेखनीय घटनाओं के दौरान प्रेस वार्ता और विश्लेषक बैठक की सुविधा प्रदान की।

मीडिया भागीदारी: बैंक के संदेशों की पहुंच का विस्तार करने के लिए, जनसंपर्क विभाग ने समाचार चैनलों, समाचार एजेंसियों और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी और लाइसेंसिंग समझौते स्थापित किए। इसने आपके

बैंक को व्यापक दर्शकों तक सूचना प्रसारित करने और मीडिया परिदृश्य में इसकी दृश्यता बढ़ाने में सक्षम बनाया।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

हमारे बैंक में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हमारे व्यापार दर्शन का एक अभिन्न अंग है। हम न केवल अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों बल्कि व्यापक समुदाय और समाज के आर्थिक विकास में योगदान देने और कल्याण में सुधार करने में विश्वास करते हैं। हम सामाजिक कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारे सीएसआर प्रयासों में मुख्य रूप से विश्वसनीय संगठनों और समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की सेवा के लिए समर्पित ट्रस्टों के साथ सहयोग करना शामिल है। इन साझेदारियों के माध्यम से, हम अपने संसाधनों को उन पहलों की ओर मोड़ते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और समग्र सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं।

हम गरीबी के चक्र को तोड़ने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के महत्व को समझते हैं। शिक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करके, हम वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए कल्याण और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहलों में योगदान करते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के समय, हम प्रभावित समुदायों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए अपना समर्थन देते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, हम अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और समाज के समग्र कल्याण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारी सीएसआर पहल के माध्यम से, हम उन समुदायों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करते हुए एक सार्थक अंतर लाने का प्रयास करते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। हम समाज को वापस देने और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित हैं।

सतर्कता

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान, हमारे बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से प्राप्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया। इस वर्ष के अभियान का विषय था "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत।" सप्ताह भर चलने वाला अभियान 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शुरू की गई गतिविधियां और पहल सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निवारक उपायों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं। निम्नलिखित हाइलाइट्स राष्ट्रव्यापी आयोजित विभिन्न अभ्यासों और गतिविधियों को सारांशित करते हैं:

- कार्यशालाएं और संवेदीकरण कार्यक्रम: कुल कर्मचारियों, रिश्तेदारों और हितधारकों के लिए 244 कार्यशालाएं और संवेदीकरण

कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य प्रतिभागियों को संगठनात्मक नीतियों, प्रक्रियाओं और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करना था।

- प्रतियोगिताएं और वाद-विवाद: वाद-विवाद, वॉकथॉन प्रतियोगिताएं और निबंध प्रतियोगिताएं स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए 17 विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 863 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।
- ग्राम सभाएँ: देश भर में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय 2,339 ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं। इन सभाओं का उद्देश्य आम जनता के बीच भ्रष्टाचार के खतरों और लोक प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
- आकर्षक गतिविधियाँ: 50 वॉकथॉन, 2 क्रिकेट मैच, एक नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़ नाटक), बाइक रैली, प्रदर्शनी और मानव श्रृंखला गतिविधि सहित विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हमारे बैंक से जुड़े विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए थे।
- बच्चों के लिए वीडियो प्रतियोगिता: सभी केंद्रों पर स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए एक वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 379 उत्साही बच्चों ने भाग लिया।
- "सेंट विजिल" पत्रिका का विमोचन: मुंबई में केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान, हमारे एमडी और सीईओ, श्री एम. वी. राव द्वारा "सेंट विजिल" नामक एक ई-जर्नल का विमोचन किया गया। इस पत्रिका में सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित विषयों पर लेख, देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें और मीडिया क्लिप शामिल हैं।
- टाउन हॉल बैठकें: प्रमुख स्थानों पर टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें ग्राहकों, स्टाफ सदस्यों और आरबीआई, सीबीआई, पुलिस विभाग के विशेष आमंत्रितों के साथ-साथ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इन बैठकों ने सतर्कता जागरूकता पर दर्शकों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान कई प्रणालीगत सुधार लागू किए गए। इनमें ऑनलाइन एसआईआर (औचक निरीक्षण रिपोर्ट) पोर्टल के माध्यम से औचक निरीक्षण अभ्यास का स्वचालन, निगरानी बढ़ाने के लिए शाखा प्रबंधकों के केबिनो में सीसीटीवी निगरानी की स्थापना, ऑफसाइट निगरानी प्रक्रिया में अलर्ट के लिए अद्यतन, और फील्ड अधिकारियों के बीच ई-उपार्जन प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

मानव सम्पदा प्रबंधन

मार्च 2023 के अंत तक, बैंक के कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के 30,289 की तुलना में बढ़कर 30,770 हो गई।

- अधिकारी: मार्च 2023 के अंत में अधिकारियों की संख्या 16,521 थी, जो पिछले वर्ष की संख्या 16,248 की तुलना में मामूली वृद्धि दर्शाती है।
- लिपिक: लिपिकों की संख्या 9,060 थी, जो पिछले वर्ष की गणना 8,415 से अधिक थी।

- अधीनस्थ-कर्मचारी: अधीनस्थ-कर्मचारी श्रेणी में 5,189 कर्मचारी शामिल थे, जो पिछले वर्ष की संख्या 5,626 की तुलना में थोड़ा कम हो गया.

श्रेणी	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च- 23
अधिकारी	16686	16563	16565	16248	16521
लिपिक	11766	10356	9761	8415	9060
अधीनस्थ कर्मचारी	7041	6562	6009	5626	5189
कुल योग	35675	33481	32335	30289	30770

भर्ती और पदोन्नति:

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अपने कार्यबल को बढ़ाने के लिए नई भर्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

- विशेषज्ञ अधिकारी	बैंक ने 547 नए विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति की.
- परिवीक्षाधीन अधिकारी	कुल 527 प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती की गई थी.
- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति:	इसके अतिरिक्त, बैंक ने अनुकंपा के आधार पर 85 सब-स्टाफ और 137 क्लर्कों को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया.

पदोन्नति के संदर्भ में, बैंक ने वर्ष के दौरान सभी पैमानों और विषयों में एक व्यापक पदोन्नति प्रक्रिया का आयोजन किया. इसमें अंतर-स्तरीय और अंतर-संवर्ग पदोन्नति शामिल थी, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च संवर्गों और वेतनमानों में प्रगति करने में मदद मिली. पदोन्नति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 795 क्लर्कों को स्केल-1 अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया और 2,779 अधिकारियों को उच्च ग्रेड और वेतनमान में पदोन्नत किया गया. बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर 724 अधिकारियों के स्थानांतरण अनुरोधों पर भी विचार किया.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्टाफ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की शुरुआत की. इनमें 2,100 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, 1,000 क्लेरिकल स्टाफ और 358 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए इंडेंट देना शामिल है. इसके अलावा, बैंक ने मुख्यधारा श्रेणी में 50 मुख्य प्रबंधकों और 200 वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए पार्श्व भर्ती प्रक्रिया शुरू की. इस पहल का उद्देश्य संगठन के भीतर महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए अनुभवी व्यवसायिकों को लाना है.

इसके अलावा, बैंक ने सेन्ट नियोजन परियोजना के लिए नियमित आधार पर 136 विशेषज्ञ अधिकारियों और 11 मुख्यधारा के अधिकारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जो बैंक द्वारा शुरू की जाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है.

कौशल विकास का समर्थन करने और शिक्षता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और बैंक की अनुमोदित शिक्षता नीति के अनुपालन के लिए, बैंक ने पूरे भारत में 5,000 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की पहल की. इस पहल का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को बैंकिंग क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना है.

कर्मचारी लाभ:

कर्मचारी लाभ की श्रेणी के तहत, बैंक ने अपने कर्मचारियों की भलाई और संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है. यहां प्रमुख पहलों का सारांश दिया गया है:

- आपके बैंक ने व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और बीमा कवरेज प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है. आंचलिक मुख्यालय में डॉक्टरों के वेतन और दवाओं की कीमत सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. आपके बैंक ने सुपर टॉप-अप सुविधा के विकल्प के साथ कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज का नवीनीकरण किया है. प्रमुख बीमारी खर्चों को संबोधित करने के लिए, आपके बैंक ने चिकित्सा बीमा कार्यक्रम के तहत कॉर्पोरेट बफर योजना लागू की है. इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निरंतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है.
- वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के संदर्भ में, आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों की सहायता हेतु कई उपाय किए हैं. अंतिम संस्कार खर्च और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए राहत राशि बढ़ा दी गई है. सेवारत स्टाफ सदस्यों के लिए कैटीन सस्मिडी सुविधाओं में वृद्धि की गई है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों के लिए अधिक सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय सहायता उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिनके बच्चे विशेष आवश्यकता या विकलांग हैं. आपका बैंक उन कर्मचारियों को भी पुरस्कृत करता है जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करते हैं. इसके अलावा, 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त लोगों और उनके पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. सभी पात्र कर्मचारियों हेतु प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से भी प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है, और बोनस भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के अनुसार किया जाता है.
- कर्मचारी कल्याण और मनोरंजक गतिविधियाँ बैंक की पहल के महत्वपूर्ण पहलू हैं. हॉलिडे होम्स और ट्रांजिट होम्स को अपग्रेड किया गया है, जिससे कर्मचारियों के रहने की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके. आपके बैंक ने स्वास्थ्य जांच सुविधा फिर से शुरू की है, जिससे कर्मचारियों को निर्धारित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति मिलती है. स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के लिए खेल, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के संचालन के लिए धन आवंटित किया गया है. सद्भावना और प्रशंसा के एक संकेत के रूप में, आपका बैंक कर्मचारियों को उत्सव के अवसर पर मिठाई या मेवे के पैकेट वितरित करता है.
- स्थानांतरण नीतियां और यूनियनों के साथ विचार-विमर्श सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं। अधिकारियों के करियर पथों, पदोन्नति नीतियों और स्थानांतरण मानदंडों के संबंध में यूनियनों के साथ संयुक्त चर्चा हुई है। आपके बैंक ने उपयुक्त आवास हासिल करने के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लिपिक कर्मचारियों के लिए किराया प्रतिपूर्ति सुविधा और अधिकारियों के लिए बढ़ी हुई किराया सीमा शुरू की है। पुरस्कार कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थानांतरण मानदंडों और पदोन्नति नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए यूनियनों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

- प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में, आपके बैंक ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित अपने कर्मचारियों को सहायता प्रदान की है। बाढ़ राहत ऋण कार्यक्रम के माध्यम से, जिन कर्मचारियों के घर और घरेलू सामान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें ₹1,00,000 की अधिकतम सीमा के साथ एक महीने के सकल वेतन के बराबर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

कुल मिलाकर, कर्मचारी कल्याण और जुड़ाव के लिए बैंक की प्रतिबद्धता चिकित्सा सुविधाओं, बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन, मनोरंजक गतिविधियों और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सहायता के प्रावधान के माध्यम से स्पष्ट है। ये पहलें अपने कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल और सहायक कार्य वातावरण बनाने के लिए बैंक के समर्पण को दर्शाती हैं।

कर्मचारी विकास:

बैंक ने प्रदर्शन प्रबंधन, सीखने और विकास, क्षमता निर्माण और निष्पादन जुड़ाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को लागू किया है। ये व्यापक पहलें और कार्यक्रम प्रदर्शन प्रबंधन, निरंतर सीखने और विकास, क्षमता निर्माण, कर्मचारी जुड़ाव और संगठन के भीतर विकास और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यहाँ इन पहलों का सारांश दिया गया है:

- आपके बैंक ने अधिकारियों और क्लर्कों के लिए एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है जिसे सेंट्रल राइज प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस परियोजना में पीएमएस टूल में भूमिका आवंटन, स्कोरकार्ड और समीक्षा उपयोगिता जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार के विकास के आंकड़ों के आधार पर व्यापार मेट्रिक्स के लिए लक्ष्य निर्धारण पूरा कर लिया गया है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक जनशक्ति नियोजन उपकरण विकसित किया गया है। इसके अलावा, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए नौकरी परिवार सर्वेक्षण आयोजित किया गया है।
- सीखने और विकास के संदर्भ में, आपके बैंक ने अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण कॉलेजों और सीएलडी (सीखने और विकास के लिए केंद्र) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें विषयों और नौकरी परिवारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ई-लर्निंग मॉड्यूल प्रदान किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रमों के विविध चयन की पेशकश करते हैं। इसके अलावा, आपके बैंक ने वीडियो-आधारित शिक्षण की शुरुआत की है, जहां रिकॉर्डेड प्रशिक्षण कक्षाएं सेंट स्वाध्याय ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण कॉलेजों और सीएलडी का क्षमता उपयोग प्रभावशाली 114.43% तक पहुंच गया है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए,

100% अधिकारियों और 71.39% पुरस्कार कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

- नेतृत्व कौशल और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए आपके बैंक द्वारा विशेष प्रशिक्षण पहल की गई है। इन पहलों में मैकन्से एंड कंपनी, एफएसबी, आईबीए, आईआईएमए, आईआईएम इंदौर, एक्सएलआरआई, एएससीआई, आईआईबीएफ और जेबीआईएमएस जैसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रम शामिल हैं। आईटी अधिकारियों के लिए डिजिटल परिवर्तन प्रशिक्षण और महिला एसएम (वरिष्ठ प्रबंधकों) और प्रबंधकों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईआईएम, एएससीआई, एनआईबीएम, सीएबी, फेडाई, आईआईबीएफ, सीओआरडीईएक्स, एसएचआरएम और एफआईएमएमडीए जैसे संस्थानों के सहयोग से बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- क्षमता निर्माण को और मजबूत करने के लिए, आपके बैंक ने कर्मचारियों को अपने प्रमाणन चुनने के लिए एक प्रावधान प्रदान किया है, जिससे उन्हें एक वित्तीय वर्ष में ₹ 60,000/- तक के पांच प्रमाणपत्रों का पालन करने की अनुमति मिलती है। एनआईबीएम (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट) और केंट बिजनेस स्कूल, यूके द्वारा संचालित वरिष्ठ बैंकरों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय प्रमुखों की पहचान की गई है। इसके अलावा, लेखा परीक्षकों और सीपीएसी (क्रेडिट नीति और लेखा परीक्षा सेल) अधिकारियों के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित की गई है। आपके बैंक ने “इनफॉर्मेशन ऑन रन” नामक पत्रक के माध्यम से भी सूचना का प्रसार किया है, जो कर्मचारियों के लिए रेडी रेकनर के रूप में काम करता है।
- नेतृत्व कौशल और व्यवसायिक विकास को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने क्षेत्रीय प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए आमने-सामने कार्यकारी कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 6-9 महीनों की अवधि के सत्रों की योजना है।
- एचसीएम (मानव संपदा प्रबंधन) नीतियों और प्रथाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारी जुड़ाव और एचआरडी (मानव संसाधन विकास) ऑडिट सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों में मानव संसाधन विकास संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव, प्रदर्शन प्रबंधन, सीखने और विकास, करियर विकास और कर्मचारी संतुष्टि जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणाम संगठन के भीतर सुधार और उत्तोलन की ताकत के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे।
- ज्ञान हस्तांतरण और निरंतर विकास की सुविधा के लिए स्केल VII और VI अधिकारियों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनुभवी अधिकारी अपने सहयोगियों को सलाह देते हैं, आमने-सामने बातचीत और अन्य सीखने की गतिविधियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों और कौशल विकास का समर्थन करते हैं।
- आपके बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक इंटर्नशिप नीति भी शुरू की है, जो उम्मीदवारों को व्यावहारिक ज्ञान और छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करती है। इंटर्न बैंकिंग उद्योग का अवलोकन प्राप्त करते हैं और उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता और वरीयता के अनुरूप विशिष्ट विभागों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं।

औद्योगिक संबंध

पूरे वर्ष के दौरान, आपके बैंक के भीतर औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी बने रहे, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण तैयार हुआ।

संकट प्रबंधन योजना और समिति गठन:

संकट की स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, बैंक द्वारा एक संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) अपनाई गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों वाले एक कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई यह योजना तीन दिनों से अधिक समय तक चलने वाली उद्योग-व्यापी हड़तालों के प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। सीएमपी कार्यान्वयन के भाग के रूप में, केंद्रीय कार्यालय में चार महाप्रबंधकों वाली एक संकट प्रबंधन निगरानी समिति की स्थापना की गई थी।

नोडल अधिकारी और दिशानिर्देश:

हड़ताल के प्रभाव का आकलन करने के लिए, संकट प्रबंधन ढांचे को लागू करना, परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करना, एक मजबूत सार्वजनिक सूचना सिस्टम स्थापित करना और स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के साथ समन्वय करते हुए, आपके बैंक ने अंचल कार्यालयों में सहायक महाप्रबंधक (परिचालन) और क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक (परिचालन) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये नोडल अधिकारी केंद्रीय कार्यालय में संकट प्रबंधन निगरानी समिति के मार्गदर्शन में काम करते हैं। उनकी भूमिका अपने संबंधित क्षेत्रों/क्षेत्रों में स्थिति का विश्लेषण करना, संकट प्रबंधन योजना के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करना और बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल के प्रभाव को कम करना है।

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति:

संकट प्रबंधन प्रयासों के समन्वय के लिए अंचल और क्षेत्रीय स्तरों पर नोडल अधिकारियों के अलावा समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये अधिकारी हड़ताल से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने और संकट के दौरान वैकल्पिक वितरण चैनलों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बैंक की संकट प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करती है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

कर्मचारी प्रशासन

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष: राष्ट्र के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता के प्रदर्शन में, सेंट्रलाइट लोगों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹ 3.90 लाख का योगदान दिया। इस योगदान का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के कल्याण का समर्थन करना है, उनकी भलाई के लिए हमारी चिंता को प्रदर्शित करना है।

अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि का भुगतान: आपके बैंक ने योग्य व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्तियों के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान किया। कुल 12 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें ₹ 70,30,041/- की राशि वितरित की गई।

अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति: आपके बैंक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान व्यक्तियों का समर्थन करने की आवश्यकता को पहचानते हुए अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्तियों की सुविधा भी दी। इस अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से कुल 137 क्लर्क और 85 अधीनस्थ कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति की गई, वित्त वर्ष 2023 में कुल 222 नियुक्तियां हुईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच):

आपका बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को सख्ती से प्रतिबंधित करता है और "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" में उल्लिखित दिशानिर्देशों को लागू किया है। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की गई है।

यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की स्थिति: 31 मार्च, 2023 तक, आपके बैंक को महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 10 मामलों का इस वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, वर्ष के अंत में एक मामला लंबित रह गया। इस लंबित मामले को बाद में 20 अप्रैल, क्रमांक 2023 को हल किया गया, जिससे उचित कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित किया जा सके। आपका बैंक यौन उत्पीड़न के किसी भी मामलों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने और निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

आपका बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी वर्गों के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का निष्ठापूर्वक पालन करता है। आपके बैंक कार्यबल सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। आपके बैंक ने सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्देश फरवरी 1, 2019 से सीधी भर्तियों में "अधिक रूप से कमजोर वर्ग" के लिए लागू आरक्षण को भी लागू कर दिया है।

आपके बैंक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी लेता है। यह कक्ष सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाता है और उपायों को क्रियान्वित करता है। केंद्रीय कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सेल के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाता है। आपका बैंक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर रखता है, जो बैंक की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। कल्याण संगठनों - समय पर बैठकें संचालित की जाती हैं। और संघों के साथ समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की देखरेख और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ.

अजू बाला ने चंडीगढ़ और लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया। इसी तरह का दौरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला और अन्य सदस्यों द्वारा किया गया था, जिन्होंने बैंक के केंद्रीय कार्यालय में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की और निगरानी की। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के संपर्क अधिकारियों ने वर्ष 2020 और 2021 के आरक्षण रोस्टरों का सत्यापन किया, जिसे बाद में बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन/फेडरेशन को 7 लाख की राशि आवंटित की गई थी।

31 मार्च, 2023 तक आपके बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
अधिकारी	3042	1482	4972
लिपिक	1711	870	2404
अधीनस्थ- कर्मचारी	1769	474	1399

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन संख्याओं में अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अनुसूचित जाति- 552, अनुसूचित जनजाति- 299, और अन्य पिछड़ा वर्ग- 804 नई भर्ती की। अनुसूचित जाति-513, अनुसूचित जनजाति-153 और अन्य पिछड़ा वर्ग- 760 कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

सहायक और संयुक्त उद्यम

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावशाली कार्यानिष्ठादन किया है। कंपनी का प्रबंधन के अंतर्गत (एयूएम) ₹1,415.50 करोड़ की आस्तियाँ थीं। पिछले वर्ष की तुलना में 22.07% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि कंपनी की सफल ऋण गतिविधियों और बढ़ते ग्राहक आधार का प्रमाण है।

लाभप्रदता के संदर्भ में, सेंट बैंक होम फाइनेंस ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 23 के लिए परिचालनमात्मक लाभ बढ़कर ₹ 41.88 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.98% की वृद्धि दर्शाता है। कर के बाद शुद्ध लाभ में भी उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जो ₹ 26.76 करोड़ तक पहुंच कर, 33.07% की वृद्धि कर गया।

कंपनी ने अपने ऋण देने के संचालन में उल्लेखनीय मील का पत्थर प्राप्त किया। प्रतिबंधों में 104% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसकी राशि, पिछले वर्ष की 271.07 करोड़ रुपये की तुलना में, 553.15 करोड़ रुपये थी। संवितरण में भी भारी उछाल आया, जो 503.33 करोड़ रुपये, 103%

की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये आंकड़े कंपनी की उधार रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन और अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को उजागर करते हैं।

सेंट बैंक होम फाइनेंस ने आस्ति गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया है सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) अनुपात 3.56% रहा, जो पिछले वर्ष के 5.09% के साथ उल्लेखनीय सुधार था। इसके अलावा, शुद्ध एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 2.63% से बढ़कर 2.53% हो गया। ये सुधार कंपनी की प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कंपनी की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति 20.84% के पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के साथ मजबूत बनी हुई है, जो 15% की विनियामक आवश्यकता से अधिक है। यह ठोस पूंजी आधार कंपनी के संचालन को बनाए रखने और भविष्य की विकासात्मक पहलों का समर्थन करने की क्षमता सुनिश्चित करता है।

सेंट बैंक होम फाइनेंस ने बजाज आलियांज के साथ साझेदारी के माध्यम से गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करके अपने कारोबार में विविधता लाई। इस रणनीतिक कदम ने कंपनी को रूपये कमाने में सक्षम बनाया, कमीशन आय में रूपये 8.43 लाख अपने परिचालन के एक अतिरिक्त राजस्व भाग में जोड़ा।

आईएफआरसी अभिसरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 22 मार्च, 2019 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति (आरबीआई/ 2018-19/146 डीबीआर.बीपी.बीसी. नं. 29/21.07.001/2018-19), में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधनों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था। परिणामतः आरबीआई ने अगली सूचना तक बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन को स्थगित करने का फैसला किया। हालांकि, आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुपालन में, हमारा बैंक छमाही आधार पर आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एस फाइनेंशियल जमा करना जारी रखता है।

भविष्य में इंड एस के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आपके बैंक ने एक इंड एस सलाहकार की सेवाएं ली हैं और एक समर्पित कोर इंड एस टीम की स्थापना की है। यह टीम वर्तमान में इंड एस के लिए निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हमारे मौजूदा आईटी सिस्टम में आवश्यक परिवर्तनों के विश्लेषण में शामिल है। जबकि बैंकों में इंड एस का क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है, हम इसे अंतिम रूप से अपनाने और आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई और भारत सरकार के अद्यतन और निर्देशों की निगरानी करना जारी रखेंगे।

तुलन पत्र

31 मार्च 2023 तक

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 तक (₹ लाखों में)
ए इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	2	2,500.00	2,500.00
(बी) रिजर्व और अधिशेष	3	16,383.71	13,707.64
		18,883.71	16,207.64
2 गैर-चालू देनदारियां			
(ए) दीर्घावधि उधार	4	72,559.34	57,880.22
(बी) आस्थगित कर देनदारियां	3a	1,075.45	607.40
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	5	2,244.39	3,656.34
		75,879.18	62,143.96
3 वर्तमान देनदारियां			
अल्पावधि उधार	6	41,453.93	31,100.86
(बी) व्यापार देनदारियां			
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	7	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	7	239.47	107.04
(सी) दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता	8	12,995.22	11,052.33
(डी) अन्य चालू देनदारियां	9	745.90	404.41
(ई) अल्पकालिक प्रावधान	10	218.12	199.24
		55,652.64	42,863.88
कुल		1,50,415.53	1,21,215.48
बी आस्तियां			
1 गैर-चालू आस्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	11	37.69	30.60
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11b	209.27	-
(बी) गैर-चालू निवेश	12	4,837.13	3,173.77
(सी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13	1,21,995.79	97,251.31
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	14	976.96	330.80
		1,28,056.84	1,00,786.48
2 चालू आस्तियां			
(ए) नकद और नकद समकक्ष	15	2,222.55	1,325.75
(बी) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	16	19,564.67	18,717.16
(सी) अन्य चालू आस्तियां	17	571.47	386.09
		22,358.69	20,429.00
कुल		1,50,415.53	1,21,215.48

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1

एनएचबी/ आरबीआई के अनुसार खातों और प्रकटीकरण के लिए नोट्स 24

लाभ - हानि विवरण

मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	टिप्पण	वर्षांत 31 मार्च 2023 तक (₹ लाखों में)	वर्षांत 31 मार्च 2022 तक (₹ लाखों में)
ए आय			
1 परिचालन से राजस्व	18	14,092.92	12,300.01
2 अन्य आय		-	-
3 कुल आय (1+2)		14,092.92	12,300.01
बी व्यय			
4 (ए) कर्मचारी लाभ व्यय	19	1,132.45	943.58
5 (बी) वित्त लागत	20	7,625.33	6,892.50
6 (सी) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	11a	11.56	13.50
7 (डी) अन्य खर्च	21	1,135.35	870.67
8 (ई) मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	22	11.11	491.78
9 (एफ) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		607.02	302.27
10 (जी) बढ़े खाते में डालना		10,522.82	9,514.30
11 कुल खर्च (4+5+6+7+8+9+10)		9514.30	10,813.66
सी कर पूर्व लाभ और असाधारण मर्दे (3-11)		3,570.10	2,785.71
डी असाधारण मर्दे			
जोड़ें:- असाधारण मर्दे	24	-	-
कम:- पूर्व अवधि समायोजन		(14.63)	(6.15)
इ कर पूर्व लाभ / (नुकसान)		3,584.73	2,791.86
एफ कर व्यय:			
(ए) चालू वर्ष कर व्यय		442.40	770.97
(बी) पिछले वर्षों के कर के लिए प्रावधान		(1.78)	44.05
(सी) उपर्युक्त के अलावा वर्तमान वर्ष की आस्थगित कर देयताएं/(संपत्तियां)		398.75	(181.71)
(डी) वर्तमान वर्ष के विशेष प्रारक्षित निधि पर आस्थगित कर देयताएं		69.30	147.63
कर व्यय		780.94	496.88
जी सतत परिचालन से लाभ (ई- एफ)		2,010.92	1,466.97
एच वर्ष के लिए लाभ			
(ईबीआईटीडीए को बताए बिना लाभ और हानि का विवरण)		2,676.06	2,010.92
आई आय प्रति शेयर करना (का रु.10/- प्रत्येक):			
ए) बेसिक		10.70	8.04
बी) डायल्यूटेड		10.70	8.04
जे एनएचबी/ आरबीआई के अनुसार खातों और प्रकटीकरण के लिए नोट्स	24		

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें डिबेंचर/प्रतिभूति ट्रस्टीशिप, निष्पादक और ट्रस्टीशिप और निजी/धर्मार्थ न्यास का प्रबंधन शामिल है। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीशिप गतिविधियों में संलग्न होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन के संदर्भ में, सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर 1.62 करोड़ के कर के बावजूद शुद्ध लाभ हासिल किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज 1.06 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कंपनी ने अपनी निष्पादक ट्रस्टीशिप सेवाओं में की है, पिछले वित्तीय वर्ष में 35.22 लाख की तुलना में 49.91 लाख की फीस अर्जित की। हालाँकि, इसकी डिबेंचर और प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से शुल्क में कमी आई थी, जो पिछले वर्ष के 81.42 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 62.98 लाख थी। कंपनी ने 239.23 की अन्य आय अर्जित की, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 178.16 लाख से अधिक था। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में दस्तावेजों के सुरक्षित अभिरक्षा सेवाओं से 0.34 की फीस अर्जित की, जो पिछले वर्ष 0.10 लाख थी। ये आकड़े विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, जो इसकी कमाई में वृद्धि और उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की कुल आय 352.46 लाख रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 294.90 लाख से वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना 324.50 पर की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 212.62 से वृद्धि दर्शाती है। यह मीट्रिक प्रति शेयर के आधार पर कंपनी की लाभ प्रदत्ता को दर्शाता है और इसके शेयरधारकों के लिए आय उत्पन्न करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का वित्तीय अद्यतन आय में वृद्धि और बेहतर लाभप्रदता के साथ ट्रस्टीशिप सेवाओं के क्षेत्रों में अपने मजबूत प्रदर्शन को उजागर करता है। ये परिणाम अपने ग्राहकों को मूल्यवान ट्रस्टीशिप प्रदान करने में कंपनी की विशेषज्ञता और सफलता को दर्शाता है।

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

तुलन पत्र

31 मार्च 2023 के अनुरूप

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2023 के अनुरूप	31 मार्च 2022 के अनुरूप
I. इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	1	500.00	500.00
(बी) आरक्षित और अधिशेष	2	3,050.43	3,038.18
2 गैर चालू देयताएं			
(ए) अन्य दीर्घावधि देनदारियों	3	70.76	72.50
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	6.82	3.96
3 चालू देयताएं			
(ए) अन्य चालू देनदारियां	5	1,107.01	603.73
(बी) अल्पावधि प्रावधान	6	0.68	1.09
कुल		4,735.70	4,219.44
बी आस्तियां			
1 गैर चालू आस्तियां			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	7		
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण		3.99	2.39
(ii) अमूर्त संपत्तियां		0.30	0.40
(iii) पूंजी कार्य - प्रगति पर		-	-
(बी) गैर-चालू निवेश	8	597.60	597.63
(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	9	3.02	1.45
(डी) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	2,035.67	1,883.34
2 चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश	11	-	-
(बी) व्यापार प्राप्तियां	12	3.62	8.81
(सी) नकद और नकद समकक्ष	13	2,005.61	1,610.20
(डी) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	85.89	115.24
कुल		4,735.70	4,219.44

लाभ - हानि विवरण

मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	टिप्पण	वर्षांत	वर्षांत
		31 मार्च 2023 तक (₹ लाखों में)	31 मार्च 2022 तक (₹ लाखों में)
आय			
परिचालन से राजस्व	15	113.23	116.74
अन्य आय	16	239.23	178.16
कुल आय (I+2)		352.46	294.90
व्यय			
(क) कर्मचारी लाभ व्यय	17	73.63	80.65
(ख) वित्त लागत	18	0.68	1.58
(ग) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	19	76.64	69.68
कुल व्यय		150.95	151.91
.... कर पूर्व लाभ/हानि	(I- II)	201.51	142.99
V. कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		41.00	36.57
(2) आस्थगित कर		-1.57	0.24
(3) पूर्व वर्ष कर व्यय		-0.17	-0.12
V. अवधि के लिए लाभ/ हानि		39.26	36.69
VI. प्रति शेयर आय	(III-IV)	162.25	106.30
₹ 1000/- प्रत्येक के बराबर मूल्य के इक्विटी शेयर			
(ए) बेसिक (₹- में ₹)			
ए) डाइल्यूटिड (₹-में ₹)		324.5	212.62
		324.5	212.62

इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड

जाम्बिया स्थित इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड जाम्बिया गणराज्य के सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% जाम्बिया सरकार की ओर से औद्योगिक विकास निगम (आईडीसी) सरकारी स्वामित्व निवेश वाली कंपनी के पास है, जो 1984 में बनी, आपका बैंक कैलेंडर वर्ष के आधार पर कार्यारम्भ करता है। 31 दिसंबर 2022 तक हमारे बैंक के पास प्रत्येक मूल्य क्वाचा 1 के कुल 83200000 शेयर हैं। आपके बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में जमाराशियों में 29.83% की बढ़ोतरी (कुल 9949.62 मिलियन क्वाचा) और अग्रिम राशियों में 42.25% की बढ़ोतरी (कुल 4172.66 मिलियन क्वाचा) कर महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाया है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपका बैंक जाम्बिया में छठा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए, आपके बैंक ने क्वाचा 508.95 मिलियन (आईएन आर 230.71 करोड़ के समतुल्य) का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसके अलावा, हमें वर्ष 2022 में इंडो जाम्बिया बैंक से आईएन आर 6.45 करोड़ का शुद्ध लाभांश प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

31.03.2023 तक अलेखापरीक्षित :

(₹ करोड़ में)

मुख्यालय एवं राज्य सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	जिलों की संख्या एवं शाखाएं	कुल जमा	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	17850.29	12175.96	2149.23	32.36
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	5/ 143	4172.73	3263.26	148.46	58.01

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य अपने व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का पालन करना और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के विश्वास को बढ़ाना है। बैंक ने सर्वोत्तम प्रथाओं और सुशासन के मानकों को अपनाया है जिनकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों ने बेहतर कार्य निष्पादन और शेयरधारकों के विश्वास में वृद्धि के कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किंतु बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करता है, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपकरणों का अधिग्रहण और

हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के अनुरूप किया गया है। बैंक के व्यवहार और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं। जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथासंशोधित, आरबीआई दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2022-23 के दौरान, बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	31.03.2023 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड की समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों का निदेशकता	क्या 10.08.2022 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री एम. वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक)	01.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, आइटीएस, एसआरसी, बिआईजी, सीएससी, एचआर, एआरसी, सीआरसी, सीआर आईडब्ल्यूडी और एनसीबी	एमसीबी, एलबीएफसी, सीएससी, बिआईजी, सीएससी, एचआर, एमआरस, सीआरसी, सीआर आईडब्ल्यूडी और एनसीबी	यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस को. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया	हां.
2.	श्री विवेक वाही	कार्य पालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	10.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एमसीबी, एलबीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएससी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	1)इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड	हां

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	31.03.2023 को धारित बैंक के ड्रिक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड की समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों का निदेशकता	क्या 10.08.2022 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	10.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एमसीबी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	1)सेंट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड	हां
4.	श्री एम वी मुरली कृष्ण	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	01.12.2022 से	12025	बैंकिंग	एमसीबी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	1)सेंट बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड	नहीं
5.	श्री हार्दिक मुकेश शेट	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	11.04.2022 से	शून्य	बैंकिंग और वित्तीय	एचआर, आरएमसी, एलवीएफसी, आईटीएस, बीसी, एमआरसी, पीई	शून्य	शून्य	हां
6.	श्री पी जे थॉमस	आरबी- आई द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	28.09.2020 से	शून्य	बैंकिंग और वित्तीय	एमसीबी, एसीबी	शून्य	शून्य	नहीं
7.	श्री दिनेश पांगती	शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	01.07.2021 से	100	वित्तीय	एसीबी, एसआरसी, एनआरसी, आरएमसी, एलवीएफसी, आईटीएस, एमआरसी, पीई, सीआर आईड ब्लूडी एंड एनसीबी	एसीबी	शून्य	हां
8.	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानो	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	21.12.2021 से	शून्य	वित्त	एसीबी, एसआरसी, एनआरसी, आरएमसी, एलवीएफसी, आईटीएस, एमआरसी, पीई, सीआर आईड ब्लूडी एंड एनसीबी	आईटीएस, एसआरसीआरएमसी एन एंड आरसी, पीई	शून्य	हां

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं।

एसीबी	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
सीएसी	क्रेडिट स्वीकृति समिति
सीआरसी	पूँजी संवर्धन समिति
सीएससी	ग्राहक सेवा समिति
एचआर	मानव संसाधन समिति
आईटीएस	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एलवीएफसी	बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति
एमसीबी	बोर्ड की प्रबंधन समिति

एमआरसी	वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति
एन एंड आरसी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
पीई	प्रदर्शन मूल्यांकन समिति
आरएमसी	जोखिम प्रबंधन समिति
एसआरसी	हितधारक संबंध समिति
वीआईजी	सतर्कता समिति

सीआरआईडब्लूडी एंड एनसीबी इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और असहयोगी घोषित करने की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में हुए बदलाव :

दिनांक 11.04.2022 से श्री भूषण कुमार सिन्हा बैंक के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.05.2018 से बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री हार्दिक मुकेश शेट को भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2022 से बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री आलोक श्रीवास्तव, दिनांक 30.11.2022 को बैंक से सेवानिवृत्त होने के कारण बैंक के कार्यकारी निदेशक नहीं रहे।

श्री एम.वी. मुरली कृष्ण को सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2022 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैंक के वर्तमान निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

1. श्री एम वी राव प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जन्म तिथि 03.07.1965)

श्री एम.वी राव ने 1 मार्च, 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री राव तीन साल से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

कृषि में स्नातकोत्तर, श्री राव ने अपने करियर की शुरुआत तत्कालीन इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से की थी। उनके पास तीन दशकों से अधिक के नेतृत्वकारी एवं व्यवसायिक बैंकिंग का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक फैली हुई है, जिसमें कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल आस्तियां, ट्रेजरी प्रबंधन, मानव संसाधन, क्रेडिट पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजिक एसेट्स मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन आदि शामिल हैं।

केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक की कार्यावधि के दौरान, श्री राव ने सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक की विलय प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूर्ण किया।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन और पिछले छह वर्षों से लगातार हानि दर्शाने के बाद भी बैंक को लाभप्रदता में वापस लाने का संपूर्ण श्रेय श्री राव को दिया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उभरने के लिए कई भविष्यवादी पहलों के साथ बैंक परिवर्तन की प्रक्रिया में है।

निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक होने के अलावा, श्री राव बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, मुंबई और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरडीएआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं।

2. श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 15.09.1965)

श्री विवेक वाही ने 10 मार्च, 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण करने से पहले, वह बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक थे।

उन्होंने एनआईटी, कुरुक्षेत्र से बी.टेक पूरा करने के बाद 1990 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग (बैंक ऑफ इंडिया) में कार्यग्रहण किया।

उनके पास बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे ब्रांच बैंकिंग, ओवरसीज डीलिंग रूम, हेडिंग लार्ज कॉर्पोरेट्स क्रेडिट शाखा, जोनल मैनेजर, ट्रेजरी हेड, फील्ड महाप्रबंधक आदि में काम करने का व्यापक बैंकिंग अनुभव है। उन्हें व्यवसाय मिश्रित मानदंड पर सबसे बड़े अंचल, बैंक के मुंबई साउथ जोन के आंचलिक प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने बैंक के उत्तरी क्षेत्र जिसके अंतर्गत 6 राज्य आते हैं, के फील्ड महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

3. श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 14.06.1963)

श्री राजीव पुरी ने 10 मार्च, 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले, वे पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री राजीव पुरी वाणिज्य में स्नातकोत्तर और एमबीए (वित्त) हैं। उन्होंने आईआईटीबी से ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा भी किया है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। वह आईआईएम-बी (बीबीबी-एलडीबी) 9 माह का प्रशिक्षण के पूर्व छात्र भी हैं। वे विविध अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर हैं और उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, एवं आंचलिक प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई पुरस्कार मिले हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट, कृषि, खुदरा ऋण एवं वित्तीय समावेशन प्रभाग जैसे बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व किया।

4. श्री एम वी मुरली कृष्ण, कार्यपालक निदेशक
(जन्म तिथि 01.08.1967)

श्री एम वी मुरली कृष्ण ने 01 दिसंबर, 2022 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले, वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री एम.वी. मुरली कृष्ण बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए हैं। उन्होंने परिवीक्षा अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ अपना करियर शुरू किया, उन्हें तीन दशकों से अधिक का नेतृत्वकारी एवं पेशेवर बैंकिंग अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों यथा- कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण और कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एनआरआई व्यवसाय आदि तक विस्तारित है।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शाखाओं से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेशी क्षेत्र से कॉर्पोरेट कार्यालय तक सभी स्थानों पर काम किया। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रमुख, ग्रामीण और कृषि विभाग के प्रमुख और वित्तीय समावेशन विभाग के प्रमुख जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभाला। श्री एम.वी. मुरली कृष्ण ने बीओबी कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और एफएफसी लिमिटेड (कृषि वित्त निगम) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

5. श्री हार्दिक मुकेश शेट , भारत सरकार द्वारा नामांकित निदेशक (जन्म तिथि 19.05.1980)

श्री हार्दिक मुकेश शेट को भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया था। वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं।

वह एमबीए (वित्त) और यूएस सीपीए हैं। मंत्रालय में शामिल होने से पहले, उनके पास लगभग 19 वर्षों का बैंकिंग अनुभव था, जिसमें उन्होंने जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रबंधन, कॉर्पोरेट क्रेडिट, दूसरों के बीच प्रशासन और शाखा संचालन सहित विभिन्न कार्यों में 'कुछ बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ काम किया है। उन्हें अपने अधीन बड़े आकार की टीम और विभिन्न शाखाओं को संभालने का अनुभव है। वह अपने साथ बैंकिंग उद्योग के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण लेकर आये हैं।

6. श्री पी जे थॉमस, भारतीय रिजर्व बैंक नामांकित निदेशक (जन्म तिथि 02.01.1959)

श्री पी जे थॉमस को भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2020 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया था। वह बी.एससी (ऑनर्स) के साथ विज्ञान में स्नातक हैं और बैंकिंग और वित्त में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक अधिकारी के रूप में जाने से पहले उन्होंने एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ एक बैंक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और क्षेत्रीय

निदेशक, आरबीआई, बंगलुरु सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। आरबीआई में अपने 36 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उनका केंद्रीय कार्यालय में बैंकिंग विनियमन और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग पर्यवेक्षण का लंबा अनुभव था। उन्होंने कुआलालंपुर, मनीला, फ्रैंकफर्ट और बासेल में अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अलावा न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के फेडरल रिजर्व में विनियमन और पर्यवेक्षण में विदेशी प्रशिक्षण में भाग लिया था। वह पहले एक निजी क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निदेशक मंडल में थे।

7. श्री दिनेश पांगती, शेयरहोल्डर निदेशक
(जन्म तिथि 27.02.1962)

श्री दिनेश पांगती को 01.07.2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।

दिनेश पांगती को विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त है।

उन्हें वित्त के क्षेत्र में अनुभव है। उन्होंने एलआईसीएचएफएल एमसी लिमिटेड और एलाआईसी म्यूचुअल फंड आस्ति प्रबंधन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है। उन्हें विभिन्न पदों पर जीवन बीमा व्यवसाय में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी है।

8. श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 26.02.1959)

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी को भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

वे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से वाणिज्य, सांख्यिकी, लागत, उद्योग, आधुनिक वित्त और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। वर्तमान में, वे सरस्वती स्कूल, जूनागढ़ (गुजरात) के अध्यक्ष हैं। वह गिरनार यात्राधाम विकास मंडल, जूनागढ़ के सदस्य और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वित्तीय सलाहकार भी हैं। इससे पहले, उन्होंने निदेशक, गुजरात पर्यटन निगम और अध्यक्ष, स्थायी समिति, नगर निगम, जूनागढ़ के रूप में कार्य किया। वे इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा " भारत ज्योति पुरस्कार", नेशनल डेवलपमेंट फोरम द्वारा " ग्लोबल इंडियन ऑफ़ ईयर पुरस्कार" और कई संस्थानों से पुरस्कारों से सम्मानित हैं।

9. श्री प्रियव्रत शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(जन्म तिथि 25.11.1970)

भारत सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के तहत श्री प्रियव्रत शर्मा को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तारीख से तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री प्रियव्रत शर्मा, वाणिज्य में स्नातक, फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) हैं। उनके पास ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, टैक्सेशन, वित्तीय नियोजन, कंपनी लॉ मामलों, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फेमा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आदि के क्षेत्र में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। श्री प्रियव्रत शर्मा एंड कंपनी, (सीए फर्म), जयपुर के पार्टनर हैं। वह " ब्रह्म फेडरेशन ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री" के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

बी) बोर्ड की बैठकों का संचालन

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तिथियों पर 10 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

09.05.2022	30.09.2022	18.01.2023
27.06.2022	20.10.2022	17.03.2023
25.07.2022	03.12.2022	
05.09.2022	26.12.2022	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	10	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	6	6	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	10	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	10	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	3	4	01.12.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक मुकेश शेट	9	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री पी जे थॉमस	10	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि	10	10	01.04.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	10	10	01.04.2022- 31.03.2023

सी) बोर्ड की समितियों का विवरण

आज की तारीख तक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और स्वयं बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित नियमों/विनियमों और निर्देशों के तहत बोर्ड की कुल 15 समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का विवरण इस प्रकार है:-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति
- ऋण अनुमोदन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- हितधारक संबंध समिति
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- सतर्कता समिति
- सिद्धांत मूल्यांकन समिति
- मानव संसाधन समिति
- वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति
- पूँजी संवर्धन समिति
- इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और असहयोगी घोषित करने की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति

भारत सरकार ने दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में एक विशेष प्रावधान (खंड 14ए) सम्मिलित करते हुए संशोधन किया, जो है:

“जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसी भी समिति का अनुमोदन अथवा समीक्षा की आवश्यकता होती है और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या गतिविधि कर सकता है.”

उपर्युक्त के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को किसी भी कार्य या गतिविधि को करने के लिए, या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा करने के संबंध में बोर्ड की एक समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिसे कानून द्वारा करना आवश्यक है, बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी समिति की बैठक के लिए ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण कोरम पूरा नहीं किया जा सकता है।

i) बोर्ड की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है। समिति भौतिक महत्व के विभिन्न व्यावसायिक मामलों पर विचार करती है जैसे उच्च मूल्य ऋण

प्रस्ताव, समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय, परिसर, निवेश आदि की मंजूरी आदि.

31.03.2023 तक, इसमें 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यपालक निदेशक और रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल थे.

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 15 बार बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर हुईं:

02.05.2022	28.06.2022	21.09.2022	09.12.2022	20.02.2023
23.05.2022	16.07.2022	19.10.2022	26.12.2022	18.03.2023
18.06.2022	12.08.2022	05.11.2022	17.01.2023	27.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	15	15	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	9	9	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	15	15	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	15	15	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	6	6	01.12.2022- 31.03.2023
श्री पी जे थॉमस	15	15	01.04.2022- 31.03.2023

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन 31.01.2012 से किया गया है. समिति ने ₹ 100 करोड़ से ₹ 400.00 करोड़ तक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए और समूह की कंपनियों/ उधारकर्ताओं के लिए ₹200 करोड़ से ₹ 800 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव तथा ₹ 10 करोड़ और ₹50 करोड़ से अधिक के घाटे (सेक्रिफाइज़) वाले प्रस्तावों को समझौता / बट्टे खाते में डालना आदि के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया. समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और जोखिम प्रबंधन, ऋण, लेखा / वित्त और ऋण निगरानी और नीति के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की 23 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:

08.04.2022	11.07.2022	14.09.2022	13.12.2022	21.02.2023
26.04.2022	18.07.2022	12.10.2022	22.12.2022	27.03.2023
10.05.2022	11.08.2022	27.10.2022	04.01.2023	31.03.2023
24.05.2022	02.09.2022	15.11.2022	17.01.2023	
22.06.2022	09.09.2022	29.11.2022	01.02.2023	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	23	23	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	15	15	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	23	23	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	23	23	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	8	8	01.12.2022- 31.03.2023

iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित, बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. लेखा परीक्षा समिति के कार्य संदर्भ निम्नानुसार हैं:

अंतर- शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अनुवर्ती कार्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना;

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा के दायरे की समीक्षा करना और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले लॉन फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों पर सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में और बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करना;

खातों, लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करना;

प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा करना और लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण समायोजन की समीक्षा करना;

मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता

किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना;

आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;

वित्तीय विवरणों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की विधिक आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन;

वर्ष के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित त्रैमासिक परिणामों और लेखापरीक्षित परिणामों की बोर्ड की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई एवं अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया.

ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा किसी भी वैधानिक, संविदात्मक या नियामक आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक हो सकते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, एसीबी केवल गैर कार्यकारी निदेशकों का गठन करेगा. एसीबी का कोरम 3 सदस्यों का होगा. दिनांक 31.03.2023 को, लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

1	श्री दिनेश पांगती	अध्यक्ष
2	श्री पी.जे. थॉमस	सदस्य
3	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 11 बार बैठकें हुईं:

09.05.2022	27.06.2022	05.09.2022	20.10.2022	16.01.2023
23.05.2022	25.07.2022	30.09.2022	03.12.2022	18.01.2023
				16.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखापरीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्री दिनेश पांगती	11	11	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	7	7	01.04.2022- 30.11.2022
श्री हार्दिक मुकेश शेट*	10	11	01.04.2022- 17.03.2023
श्री पी जे थॉमस	11	11	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	11	11	01.04.2022- 31.03.2023
श्री विवेक वाही **	4	4	01.12.2022- 17.03.2023

* 17.03.2023 से पुनर्गठन के कारण लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे.

** सदस्य 01.12.2022 से 17.03.2023 तक. दिनांक 17.03.2023 से इसके पुनर्गठन के कारण लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे.

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, आरएमसीबी का गठन गैर-कार्यकारी सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होगी. आरएमसीबी का फोरम तीन सदस्यों का होगा. आगे, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 निर्धारित करता है कि आरएमसीबी में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा. आरएमसीबी की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करेंगे.

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य:-

- » समिति बैंक के समक्ष आने वाले जोखिमों के संबंध में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों दृष्टिकोण अपनाएगी.
- » दीर्घकालिक हित और निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, यह बैंक के जोखिम सिद्धांतों को स्पष्ट और सक्रिय रूप से अद्यतन करेगी

- » परिचालन को सुसंगत करने की दृष्टि से यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगा और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए यथेष्ट संस्थाओं को निर्देश / दिशानिर्देश जारी करेगा।
- » समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रयासों और दिशानिर्देशों के अभिसरण के लिए शीर्ष समिति होगी। यह बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांत को स्पष्ट करने और दिशानिर्देश प्रदान करने के तहत बैंक के जोखिम प्रोफाइल को स्पष्ट करने पर बोर्ड के दिशानिर्देश प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी। यह बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता को इंगित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए बैंक के जोखिम के बारे में तक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगी।
- » यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि वे जोखिम सिद्धांतों तथा जोखिम प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। यह संगठनात्मक व्यापक जागरूकता और जोखिम प्रबंधन नीतियों की सराहना का सृजन और निर्माण भी करेगा। बैंकों के परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शक सिद्धांत की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही समिति नीति के अनुपालन के निगरानी के लिए समय-समय पर सूचना की समीक्षा करेगी।

- » पूरे बैंक में एएलएम के मुद्दों के बारे में जागरूकता और मूल्यसंवर्धन पैदा करना। बैंक की वांछित जोखिम वरीयताओं एवं बैलेंस शीट प्रोफाइल को बनाए रखने हेतु बैलेंस शीट संरचना, वित्त पोषण संरचना मूल्य निर्धारण एवं कॉर्पोरेट योजना के क्षेत्रों में उचित दिशानिर्देशों का उपयोग करना।
- » जोखिम प्रबंधन और आधारित पर्यवेक्षण के कार्यों को समाप्त करने के लिए स्थापित किए गए निर्देशात्मक तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना।
- » समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:

14.06.2022 20.08.2022 22.11.2022 16.03.2023

31.03.2023 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1.	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	अध्यक्ष
2.	श्री एम वी राव	सदस्य
3.	श्री हार्दिक मुकेश शेट	सदस्य
4.	श्री दिनेश पांगती	सदस्य

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही*	4	4	01.04.2022- 17.03.2023
श्री राजीव पुरी*	4	4	01.04.2022- 17.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण*	1	1	01.12.2022- 17.03.2023
श्री हार्दिक मुकेश शेट	3	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	4	4	01.04.2022- 31.03.2023

* 17.03.2023 से पुनर्गठन के कारण जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहे।

v) बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई 2004.15 डीबीएस.नंबर 1004/23.04.01ए/2003-04 दिनांक 14 जनवरी 2004 के तहत बड़े मूल्य की धोखाधड़ी जिसमें रुपये 1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि शामिल है, की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया था, जबकि लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रख सकती है।

समिति का प्रमुख कार्य ₹1 करोड़ एवं अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है ताकि-

- (1) प्रणालीगत कमियां यदि कोई हो जो धोखाधड़ी को कायम रखने में मदद करती है की पहचान हो और उसे दूर करने के उपाय तैयार किए जा सकें।

- (2) बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर, यदि कोई है, तत्संबंधी कारणों का पता लगाया जा सके।
- (3) सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, और वसूली की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके तथा
- (4) सुनिश्चित हो कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो बिना समय हानि के स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई पूरी की जाती है।
- (5) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की जा सके।

(6) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों को लागू किया जाये जिन्हें प्रासंगिक माना जा सकता है।
समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 6 बार बैठक हुई:

07.04.2022 23.05.2022 12.07.2022 30.09.2022
22.11.2022 16.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	6	6	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	5	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	6	6	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	6	6	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	1	1	01.12.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक मुकेश शेट	6	6	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	6	6	01.04.2022- 31.03.2023

टिप्पणी - श्री दिनेश पांगती को समिति में 17.03.2023 को सम्मिलित किया गया।

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक आधार पर सुधार का समर्थन करने के उद्देश्य से डॉ. एस. एस. तारापुर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित लोक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति के साथ पठित 14 अगस्त 2004 के पत्र की सलाह के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था।

समिति की भूमिका:

- बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना।
- बैंकों में लोक सेवाओं पर कार्यविधि और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी स्तरों पर ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए अभिनव उपाय शुरू करना।

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बार निम्नलिखित तिथियों में आयोजित हुई:

14.06.2022 20.08.2022 22.11.2022 16.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	1	1	01.12.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एलवीआर प्रसाद (आमंत्रित)	3	4	12.04.2022- 31.03.2023

vii) बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

आईटी गवर्नेंस के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया कि बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी कार्यप्रणाली /योजना दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है और सदस्यों के रूप में न्यूनतम दो निदेशकों के साथ एक विशेष बोर्ड कार्यप्रणाली समिति का निर्माण भी सुनिश्चित करना चाहिए, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आईटी कार्यप्रणाली समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होने की आवश्यकता होगी, जबकि कम से कम एक सदस्य को मार्गदर्शक प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन में पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। निदेशक मंडल के द्वारा बाद में समिति का दायरा व्यापक किया गया था।

भूमिकाएं और उद्देश्य

- i) आईटी कार्यप्रणाली और नीति दस्तावेजों को मंजूरी.
- ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है.
- iii) अनुसमर्थन करना कि व्यवसायिक कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीतिक के अनुरूप है.
- iv) यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और तत्संबंधी दिशा सही है.
- v) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी, व्यवसाय को समुचित महत्व प्रदान हो.
- vi) सुनिश्चित करना कि निवेश, जोखिमों और लाभों के मध्य संतुलन प्रदान करता है और यह बजट स्वीकार्य है.
- vii) संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च- स्तरीय दिशा निर्देश प्रदान करना.
- viii) बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना.

- ix) आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों की प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना.
- x) आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का आकलन करना उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (जैसे जोखिम, फंडिंग या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित).
- xi) पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुकला को डिजाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके.
- xii) बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना, और यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के हेतु संसाधन हैं.
- xiii) आईटी प्रसिद्धांत मापन और व्यवसाय में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

14.06.2022 05.09.2022 17.11.2022 15.02.2023

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	3	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	1	1	01.12.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक मुकेश शेठ	3	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
प्रो एन बालाकृष्णन (आमंत्रित)	4	4	01.04.2022- 31.03.2023

viii) हितधारक संबंध समिति

शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक के पास शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर-प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति आदि से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों के निवारण के लिए बैंक द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों / शिकायतों का अब तक जवाब निवारण किया गया है. प्रासंगिक सूचना प्राप्त होने पर, निवेशकों की शिकायतों को आम तौर पर सात दिनों के भीतर दूर किया जाता है. समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, गैर-कार्यकारी निदेशक, हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के अध्यक्ष हैं. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को एक वर्ष के बाद बदल दिया जाता है.

वर्ष 2021-22 के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

14.06.2022	05.09.2022	17.11.2022	16.03.2023
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दिखाया गया है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति की अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	3	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	1	1	01.12.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि	4	4	01.04.2022- 31.03.2023

वर्ष 2022-23 (01.04.2022 से 31.03.2023) के लिए निवेशक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	शून्य
2	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने / शेयरों की प्राप्ति न होने के लिए पत्र	शून्य
3	लाभांश वारंटों की गैर प्राप्ति	शून्य
4	वार्षिक रिपोर्ट / ईजीएम सूचना की प्राप्ति न होना	शून्य
5	धनवापसी आदेश की गैर प्राप्ति	शून्य
6	अस्वीकृत डीआरएफ की अप्राप्ति	शून्य
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	3
8	प्राप्त कुल शिकायतें	3
9	उपस्थित / समाधान की गई कुल शिकायतें	3
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	शून्य

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशकों की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस सुधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संचार संख्या. एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या आरबीआई / डीबीआर / 2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर. एट सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड समिति प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक ने 30.09.2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति का विलय करके एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया, जिसमें बोर्ड में से न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल थे जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, जिससे बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रसिद्धांत से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू की जा सके. दिनांक 31.03.2022 को, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि, सदस्य के रूप में श्री दिनेश पांगती और समिति में सदस्य का एक पद रिक्त था.

वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई..

x) सतर्कता समिति

सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय प्रश्नों की तिमाही आधार पर समीक्षा करने के लिए बैंक के पास सतर्कता समिति है. समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समिति के सदस्यों के रूप में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

28.06.2022	05.09.2022	22.11.2022	17.03.2023
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक शेठ	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री पी जे थॉमस	4	4	01.04.2022- 31.03.2023

*सुनील अरोड़ा, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बोर्ड की सतर्कता समिति की बैठक में भाग लिया।

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति

संसाधनों के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संचार एफ. सं. 9/18/2009- आईआर दिनांक मार्च 2012 के माध्यम से बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 30.10.2013 को किया गया था।

समिति का कार्यक्षेत्र

समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे:

1. पंचवर्षीय जनशक्ति योजना और इसकी वार्षिक समीक्षा
2. उत्तरोत्तर पदग्रहण योजना के लिए, महत्वपूर्ण और नेतृत्व पदों की त्रैमासिक समीक्षा,
3. अभिचिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए, अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अभिचिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से संभावित अभिचिन्हित उत्तराधिकारियों की तिमाही मॉनिटरिंग कार्यवाही।
4. अन्य कोई मानव संसाधन मुद्दे, जिन्हें अध्यक्ष / एमडी और सीईओ / ईडी द्वारा महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है, जो एचआर नीतियां, व्यक्तिगत मुद्दे या पंचाट कर्मचारियों के द्विपक्षीय मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, पंचाट कर्मचारियों की बहुसंख्यक यूनियन के साथ, अधिकारियों से सम्बंधित द्विपक्षीय नीतिगत मुद्दे इत्यादि का निपटान करने हेतु समिति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होगा।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 5 बार बैठकें आयोजित हुईं:

14.06.2022	20.08.2022	17.11.2022	26.12.2022	15.02.2023
------------	------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	5	5	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	5	5	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	4	5	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	2	2	01.12.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक एम शेठ	5	5	01.04.2022- 31.03.2023
श्री. एस सेनगुप्ता (आमंत्रित)	2	2	03.12.2022- 31.03.2023
श्री आर. कृष्णास्वामी (आमंत्रित)	1	2	03.12.2022- 31.03.2023

xii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति का गठन बैंक की तनावग्रस्त संपत्तियों और एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में किया गया था।

भूमिकाएं और उद्देश्य

- 1) वसूली में प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना, वसूली के सभी संभावित विकल्पों की जांच करना और उसे लागू करना।
- 2) विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) की स्थिति का विश्लेषण करना और स्लीपेज को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना।

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित हुईं:

23.05.2022 20.08.2022 22.11.2022 17.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम.वी. राव	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2022- 30.11.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री एम वी मुरली कृष्ण	1	1	01.12.2022- 31.03.2023
श्री. हार्दिक एम शेट	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	4	4	01.04.2022- 31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि	4	4	01.04.2022- 31.03.2023

xiii) पूंजी संवर्धन समिति

बैंक के पास बोर्ड की पूंजी संवर्धन समिति है जो बैंक के लिए टियर 1 और टियर 2 दोनों पूंजी तय करने और संवर्धन करने के लिए है और इसके संबंध में सभी सक्रिय कदम उठाती है. वर्ष के दौरान सीआरसी समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी थी. समिति में बैंक के पूर्णकालीक निदेशकगन सम्मिलित है.

xiv) असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा करने के लिए समीक्षा समिति

दिनांक 22 दिसंबर, 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई/ 2014-15/362 डीबीआर सं सीआईडी बीसी 54/20.16.064/2014-15 के अनुसार असहयोगी उधारकर्ता की घोषणा करने के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था. समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य शामिल हैं.

समिति की भूमिका एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करना है और जिसमें गैर-सरकारी उधारकर्ता के रूप में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किसी खाते के वर्गीकरण के लिए सदस्यों के रूप में क्रेडिट निगरानी और वसूली शामिल हैं. वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 17.11.2022 को आयोजित की गई.

xv) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए समिति के आदेश की समीक्षा करने के लिए समिति

1 जुलाई 2015 की भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना आरबीआई/2015-16/100 के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था. समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी और सदस्य के रूप में दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करने में समितियों की भूमिका रहती है और इसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए सदस्य के रूप में महाप्रबंधक-ऋण, ऋण निगरानी और वसूली शामिल है.

वर्ष के दौरान, समिति की 5 बार बैठक हुई:

07.04.2022 23.05.2022 10.08.2022 17.11.2022
17.03.2023

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	5	5	01.04.2022-31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	5	5	01.04.2022-31.03.2023
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि	5	5	01.04.2022-31.03.2023

निदेशक मंडल ने दिनांक 17.03.2023 को हुई अपनी बैठक में श्रृंखला (xiv) और (xv) में उल्लिखित समितियों के विलय को एक ही समिति - जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की घोषणा की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की समिति में अनुमोदित किया.

xvi) बोर्ड की प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक और आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था. समिति में गैर सरकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार के नामित निदेशक एवं शेयरधारक निदेशक समिति के सदस्यों के रूप में शामिल थे.

सम्प्रेषण के संदर्भ में एफ.सं. 6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के संदर्भ में निदेशक मंडल एक वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर गैर-आधिकारिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

गैर-सरकारी निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड निम्नलिखित हैं -

i) व्यवसायिक और नैतिक आचरण

- ए. विधि, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना
- बी. बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना
- सी. आवश्यक और उचित देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग
- डी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों के टकराव से बचाव
- ई. स्वयं या रिश्तेदार, भागीदारों या सहयोगियों को अनुचित प्रतिफल या लाभ से बचना
- एफ. वाणिज्यिक रहस्य और बाजार सम्बंधी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी सहित सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना

ii) बैंक में योगदान

- ए. बोर्ड और समिति की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास
- बी. जहां आवश्यक हो, उचित स्पष्टीकरण या व्याख्या की मांग करना
- सी. बैठकों और टिप्पणियों में बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन
- डी. बेहतर निर्णय लेने और बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान
- ई. बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर प्रतिक्रिया की समय सीमा

समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर वर्ष के दौरान 2 बार बैठकें की:

27.06.2022	17.03.2023
------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है::

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	2	2	01.04.2022- 31.03.2023
श्री हार्दिक एम शेठ	2	2	01.04.2022- 31.03.2023
श्री दिनेश पांगती	2	2	01.04.2022- 31.03.2023

3. निदेशकों को पारिश्रमिक

गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक/गैर- कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने पर प्रति बैठक ₹40,000/- एवं मंडल की विभिन्न उप-समितियों की बैठकों में ₹ 20000/- का भुगतान किया गया।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण और निदेशकों जो भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है निदेशक मंडल एवं समितियों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹10,000/- और ₹5,000 की अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने पर को बैठक शुल्क के रूप में ₹12,00,000/- (बारह लाख रुपये मात्र) और बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में भाग लेने पर ₹24,55,000 (रुपये चौबीस लाख पचपन हजार केवल) का भुगतान किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान बैठक फीस का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक	वित्त वर्ष 2022-23 हेतु प्रदत्त बैठक फीस (राशि ₹ में)
श्री दिनेश पांगती	12,55,000
श्री पी जे थॉमस	10,20,000
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	13,80,000

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की मानव संसाधन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए श्री एस. सेनगुप्ता को ₹40,000/- और श्री आर. कृष्णास्वामी को ₹20,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया और बोर्ड की आईटी योजना समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोफेसर एन बालाकृष्णन को ₹80,000/- का बैठक फीस का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते और भत्तों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है।

क्र.	नाम	रुपये लाख में
1.	श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	41.23
2.	श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (30.11.2022 तक)	25.27
3.	श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक	34.33
4.	श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक	36.81
5.	श्री एम. वी. मुरली कृष्ण, कार्यपालक निदेशक (01.12.2022 से)	10.05
कुल		147.69

4. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार श्री चंद्रकांत भागवत, सहायक महाप्रबंधक / कंपनी सचिव, बैंक द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध, के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

5. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट हेतु मैसर्स एसजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न की गई है..

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू, अधिमाम्य निर्गम आदि से प्राप्त आय

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई नया पूंजी संवर्धन नहीं किया गया।

7. संचार माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) और लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी समाचार पत्रों, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तरुण भारत, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम के साथ-साथ विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण, वित्तीय प्रदर्शन पर प्रेस विज्ञप्ति और अधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां भी बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर अपलोड की गईं। सभी आवश्यक अनुपालन / फाइलिंग जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट घोषणाएँ, मीडिया रिलीज़ इत्यादि, प्रसार के लिए बीएसई कॉर्पोरेट अनुपालन और सूचीकरण केंद्र ('लिस्टिंग सेंटर') और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।

8. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Code%20of%20conduct%20for%20Bank's%20BOD%20and%20Senior%20Management%202023-24.pdf> लिंक के तहत उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र अनुबंध में दिया गया है।

बैंक ने अपने निदेशकों और नामित कर्मचारी के लिए बैंक की सुरक्षा में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए एक आचार संहिता भी तैयार की है, इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Code%20of%20conduct%20for%20Bank's%20BOD%20and%20Senior%20Management%202023-24.pdf> लिंक के तहत उपलब्ध है।

9. अन्य प्रकटन

- बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कम्पनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है। जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। वर्ष के दौरान बैंक के साथ गैर-कार्यकारी निदेशकों का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।
- बैंक में यह एक स्थापित प्रथा है कि जब निदेशक या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है तो बोर्ड और बोर्ड की अन्य उप समितियों के विचार-विमर्श में निवेशक भाग नहीं लेते हैं। वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ सम्भावित टकराव हो सकता है।
- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बंधित किसी भी मामले में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई थी बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तुओं में कारोबार नहीं किया है और इसलिए "कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों" पर जानकारी शून्य है।
- बैंक जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरो की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) समाधान के तहत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता

है . बैंक का “ सेंट ई-व्हिसिल ब्लोअर” नाम का एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें कर्मचारी एवं निदेशक अपनी पहचान बताए बिना अनाचार की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि महाप्रबंधक- केंद्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण को पता होगी. निदेशक और कर्मचारी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी को रोकने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. किसी भी कर्मचारी को कार्मिक लेखा समिति में सम्पर्क करने के लिए मना नहीं किया गया है.

- बैंक ने सेबी (सूचीकरण, बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की निर्धारित अपेक्षाओं को लिस्टिंग एग्रीमेंट के साथ पठित आवश्यकताओं का इस प्रकार अनुपालन किया है की इन विनियमों और समझौतों की आवश्यकताएं, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश, प्रावधान, विनियम या निर्देश के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं.
- बकाया वैश्विक डिपॉज़िटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉज़िटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य.
- जहां बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनिवार्य रूप से आवश्यक बोर्ड की किसी भी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था - शून्य.
- हम सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची v के उप पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं .
- किसी भी निदेशक का बैंक के किसी अन्य मौजूदा निदेशकों के साथ कोई सम्बंध नहीं है.
- निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं.
- विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के

बैंक के सभी ऋण लिखतों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या बैंक की किसी भी योजना या बैंक के प्रस्ताव के लिए जिसमें फंड जुटाना शामिल है, चाहे भारत मे हो या विदेश में. प्रासंगिक वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान मिली संशोधन के समय बैंक द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:-

स्तर निर्धारक संस्था	आईपीडीआई	बेसल III अनुपालन टियर II बांड (31.03.2023 अनुसार)
क्रिसिल	लागू नहीं	क्रिसिल ए+/सकारात्मक (पुष्टि की गई) (आउटलुक स्थिर से सकारात्मक अपग्रेड किया गया)
आईसीआरए	लागू नहीं	आईसीआरए ए+/ सकारात्मक (पुष्टि की गई) (आउटलुक स्थिर से सकारात्मक अपग्रेड किया गया)
इंडिया रेटिंग	लागू नहीं	आईएंडडी - / स्थिर (इंडिया एए- / नेगेटिव से अपग्रेडेड रेटिंग)

उपयोग का विवरण – पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने और मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ जुटाया जाता है. जुटाई गई धनराशि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा रहा है. हालांकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई पूंजी नहीं जुटाई.

- “मैटिरियल” कम्पनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है www.centralbankofindia.co.in पर “इंवेस्टर रिलेशन” <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES%202023-24.pdf>
- सम्बंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर “इंवेस्टर रिलेशन” <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/RELATED%20PARTY%20TRANSACTIONiles/Divided%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई, जिसका साम्बिधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिय कुल शुल्क ₹35.47 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) था.
- <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Directors-traning-programmes-for-year-2022-23.pdf> के अंतर्गत निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर टैब के तहत अपलोड किया गया.
- प्रेक्टिस कर रहे एक कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

टिप्पणियां-

(1) सेबी के आदेश 06.10.2022 और आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 09.01.2023 के आदेशानुसार ब्रिक्वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग पर विचार नहीं किया गया है.

(2) एक्वाइट रेटिंग्स ने बैंक के अनुरोध पर एक्वाइट एए-/स्थायी की दीर्घावधि रेटिंग को वापिस ले लिया है क्योंकि यह अप्रयुक्त थी.

बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन उस सीमा तक किया है, कि क्लॉज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन न हो.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष 2022- 23 के लिए स्थिति

वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	6
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5
प्रकरणों की कुल संख्या	11
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	10
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या (लंबित 1 प्रकरण का दिनांक 20.04.2023 को निस्तारण कर दिया गया है)	1

10. विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर कार्यकारी अध्यक्ष को संस्था के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने के लिए एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी.	जी हां, कार्यान्वयन किया गया
2.	गत छः माह की महत्वपूर्ण घटनाओं वित्तीय कार्यानिष्ठादन के सार से साथ ली अर्द्धवार्षिक घोषणा शेरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने 30.09.2022 को समाप्त छमाही और 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे हैं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अलावा, वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी अपलोड किए गए थे साथ ही 30.09.2022 को समाप्त छमाही और 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम भी शेरधारकों को ईमेल किए गए थे.
3.	कंपनी गैर-अनिवार्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था अपना सकती है	बैंक के पास गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरण हैं
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

11. सामान्य शेरधारक सूचना

बैंक की 16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक:

दिन एवं तिथि : शुक्रवार, 30 जून, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बैंक के प्रधान कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैंक का संभावित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से

- वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बंधित है
- बही बंदी की तिथि: शनिवार 24 जून, 2023 से शुक्रवार 30 जून, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित)

3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई थी।

12. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम सभा की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय किया गया
1. पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	10 अगस्त, 2022, प्रातः 11:00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो वीडियो (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	1. 31 मार्च 2022 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2022 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया।
2. चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	10 अगस्त, 2021, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	1. 31 मार्च 2021 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया। 2. 31.03.2021 को शेयर प्रीमियम खाते से संचित हानियों का विनियोग - विशेष संकल्प
3. असाधारण सामान्य बैठक	18 मई, 2021, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	10 रुपये के अंकित मूल्य के 280,53,76,972 इक्विटी शेयरों का ₹ 17.11 मूल्य पर निर्गम। ₹ 4800 करोड़ भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर जारी करना - विशेष संकल्प
4. तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	7 अगस्त, 2020, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	1. 31 मार्च 2020 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता तुलन पत्र व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया 2. एफपीओ / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी संग्रहण की मंजूरी - विशेष संकल्प

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

13. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण:

बैंक के शेयर बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभाय टावर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड(एनएसई) “ एक्सचेंज प्लाफा” , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, (पूर्व), मुंबई - 400 051	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	INE483A01010

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिसरी नोट्स (टियर-II कैपिटल) की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए हैं. संबंधित बकाया विवरण इस प्रकार है:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टियर-II बांड - 31.03.2023 को पूंजी की स्थिति

श्रृंखला विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएनआई	रेटिंग
बेसल III अनुपालित श्रृंखला I	08.11.2013	1000.00	आईएनआई 483A09260	क्रिसिल ए+
बेसल III अनुपालित श्रृंखला III	29.03.2019	500.00	आईएनआई483A09286	क्रिसिल ए+
बेसल III अनुपालित श्रृंखला IV	30.09.2019	500.00	आईएनआई83A08023	क्रिसिल ए+/ आयसीआरए ए+
बेसल III अनुपालित श्रृंखला V	20.03.2020	500.00	आईएनआई 483A08031	क्रिसिल ए+/ आईएंडडी ए-
कुल		2500.00		

ये सभी बॉन्ड बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. बैंक ने एक्सचेंज को 2022-23 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

*सेबी के आदेश दिनांक 06.10.2022 और आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 09.01.2023 के मद्देनजर ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग नहीं ली गई है.

बाजार मूल्य डेटा:

मासिक उच्च एवं निम्न दर और एनएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या(एनएसई निफ्टी के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) निम्नानुसार है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	निम्न कीमत (₹)	शेयरों की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2022	21.55	18.35	58821014	18114.65	16824.70
मई 2022	19.25	16.50	53881471	17132.85	15735.75
जून 2022	19.15	16.25	32574756	16793.85	15183.40
जुलाई 2022	19.15	16.25	43169016	17172.80	15511.05
अगस्त 2022	20.55	17.65	88046485	17992.20	17154.80
सितंबर 2022	23.40	19.00	185445219	18096.15	16747.70
अक्टूबर 2022	21.02	18.95	80730436	18022.80	16855.55
नवंबर 2022	27.02	20.10	482434379	18816.05	17959.20
दिसंबर 2022	41.80	24.20	1580329790	18887.60	17774.25
जनवरी 2023	33.65	27.45	202910261	18251.95	17405.55
फ़रवरी 2023	30.60	24.80	109579912	18134.75	17255.20
मार्च 2023	27.85	22.25	4879864	17799.95	16828.35

मासिक उच्च और निम्न दर एवं बीएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या (सेंसेक्स के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) निम्नानुसार हैं:

माह	बीएसई			सेंसेक्स	
	अधिकतम मूल्य (₹)	निम्न कीमत (₹)	शेयरों की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2022	21.55	18.35	12202069	60845.10	56009.07
मई 2022	19.90	16.50	10452654	57184.21	52632.48
जून 2022	19.10	16.10	6119947	56432.65	50921.22
जुलाई 2022	19.05	16.40	5475980	57619.27	52094.25
अगस्त 2022	20.55	17.65	11024511	60411.20	57367.47
सितंबर 2022	23.50	18.65	24769388	60676.12	56147.23
अक्टूबर 2022	21.20	19.00	9939970	60786.70	56683.40
नवंबर 2022	27.20	20.10	59091149	62701.40	60425.47
दिसंबर 2022	41.80	24.20	170118497	63583.07	59754.10
जनवरी 2023	33.65	27.35	23571060	61343.96	58699.20
फ़रवरी 2023	30.60	24.80	10640128	61682.25	58795.97
मार्च 2023	27.81	22.25	13966668	60498.48	57084.91

14. शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन वापसी आदेश, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियों को हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और पूछताछ/शिकायतों के लिए, शेयरधारकों/निवेशकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से संपर्क करें:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क,
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम),
मुंबई - 400 083
दूरभाष: 022-4918 6270
फैक्स: 022-4918 6060
ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
कार्यालय नं 3, बी 3, तीसरी मंजिल, बी विंग
गुंडेचा ऑनक्लेव परिसर को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,
खेमानी मार्ग, साकी नाका,
अंधेरी (ई), मुंबई - 400 072
दूरभाष: 022 - 2851 6021
ईमेल आईडी: helpdeskmmum@mcsregistrars.com

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, भूतल मंजिल,
17, आर. खेमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001
दूरभाष: 022-4080 7000
फैक्स: 022-66311776
ई-मेल आईडी: itsl@idbitrustee.com

बैंक के साथ पत्राचार के लिए पता:

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
9 बी मंजिल, चंदरमुखी,
नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021
दूरभाष: 022- 6638 7575/7818
फैक्स सं.: 022- 2283 5198
ईमेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in;
investors@centralbank.co.in

15. शेयरधारिता का संवितरण

i) 31.03.2023 को शेयरधारिता का वितरण (डी पी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर)

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	338326	79.8572%	39552350	0.4556%
501-1000	36686	8.6592%	31079609	0.3580%
1001-2000	20317	4.7955%	31805765	0.3664%
2001-3000	8502	2.0068%	22413797	0.2582%
3001-4000	4145	0.9784%	14977832	0.1725%
4001-5000	4501	1.0624%	21702649	0.2500%
5001-10000	7501	1.7705%	54785064	0.6311%
10001 और ऊपर	3686	0.87%	8464622366	97.5082%
कुल	423664	100.00%	8680939432	100.00%

ii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है।

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाले विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
भारत जीवन बीमा निगम	227021558	2.6152

iii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है।

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाले विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
शून्य	शून्य	शून्य

iv) 31.03.2023 को शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	होल्डिंग का %
	डीमैट	भौतिक	डीमैट	भौतिक		
केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
जनता	302528437	34336	415014	86	302562773	3.4854
जीवन बीमा निगम (बीमा कंपनियां)	227021558	0	1	0	227021558	2.6152
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	15935346	90	758	1	15935436	0.1836
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	17226614	0	42	0	17226614	0.1984
हिंदू अविभाजित परिवार	9878867	0	5566	0	9878867	0.1138
जी आई सी और इसकी सहायक कंपनियां	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
अनिवासी भारतीय	2994407	121600	1174	1	3116007	0.0359
समाशोधन सदस्य	350596	0	68	0	350596	0.004
म्यूचुअल फंड्स	15140783	0	12	0	15140783	0.1744
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1575707	0	868	0	1575707	0.0182
बॉडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप	797339	0	44	0	797339	0.0092
न्यास	136496	0	13	0	136496	0.0016
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	12464	0	3	0	12464	0.0001

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	होल्डिंग का %
	डीमैट	भौतिक	डीमैट	भौतिक		
राष्ट्रीयकृत बैंक	32876	0	2	0	32876	0.0004
वैकल्पिक निवेश नीधि-III	163125	0	1	0	163125	0.0019
गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	19417	0	2	0	19417	0.0002
वित्तीय संस्थाएं	300	0	1	0	300	0.00
विदेशी निवेशक संस्थाएं	44812	0	1	0	44812	0.0005
सरकारी कंपनियां	700	0	1	0	700	0.00
कुल :	8680783406	156026	423576	88	8680939432	100

v) लॉक-इन शेयरों का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.	शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
1.	भारत के राष्ट्रपति	2805376972	34.72
2.	जनता	0	0
	कुल	2805376972	34.72

vi) डिपॉजिटरी रसीदों (डीआर) का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के अंतर्गत आने वाले शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
		शून्य	शून्य	शून्य

vii) डिपॉजिटरी रसीदों (डी आर) की धारिता को दर्शाने वाला विवरण जहां अंतर्निहित शेयर शेयरों की कुल संख्या के 1% से अधिक हैं.

क्र.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर के अंतर्गत आने वाले शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग
			शून्य	शून्य

viii) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में किया जा रहा है. बैंक ने डिमैटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पहले ही करार कर लिया था.

31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा धारित डीमैट और भौतिक रूप में शेयरों का विवरण (डी पी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर) निम्नानुसार है:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
भौतिक	88	156026	0.0018%
एनएसडीएल	135531	401567954	4.6259%
सीडीएसएल	288045	8279215452	95.3723%
कुल	423664	8680939432	100.00%

ix) भौतिक धारिताओं का डिमैटरियलाइजेशन - एक विशेष अनुरोध

हम शेरधारकों से अपनी भौतिक धारिताओं को डिमैट करने का अनुरोध करते हैं। डिमैटरियलाइजेशन के लिए, शेरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं जहां वे डिमैट खाते रखते हैं डिमैटरियलाइजेशन के लाभ इस प्रकार हैं:

- झंझट मुक्त अंतरण
- शेर प्रमाण नष्ट होने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और त्वरित जमा
- नामांकन सुविधा
- एसबीए/आईपीओ, आदि के माध्यम से सीधे आवेदन

जिन शेरधारकों ने अपने शेरर्स, भौतिक रूप से /डिमैट स्वरूप में रखे हैं और उन्होंने अब तक बैंक के आरटीए/उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, भारत सरकार के 'ग्रीन इनिशिएटिव' में सहायता देने हेतु, उनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी पीओडी-1 पी/ परिपत्र/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अधिक्रमण में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/पी/ परिपत्र/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारक और दावेदार वैध पैन, केवाईसी विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करेंगे:

क्र.सं.	प्रपत्र	उद्देश्य
1.	प्रपत्र आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/अपडेट करने के लिए
2.	प्रपत्र आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूत धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3.	प्रपत्र आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4.	प्रपत्र एसएच-13	नामांकन पत्र
5.	प्रपत्र एसएच-14	नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन (यदि कोई हो तो)

उपर्युक्त सभी फार्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14] और उक्त सेबी परिपत्र बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध खण्ड में उपलब्ध हैं 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उद्धृत विवरण/ दस्तावेजों में से कोई एक (यानी पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे या आरटीए के पास उपलब्ध नहीं है, उन्हें उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार रोक दिया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे सहायक दस्तावेजों के साथ यथाशीघ्र विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म बैंक के आरटीए में जमा करें।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को रोक लगाना

ए) 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त पैरा में दिए गए दस्तावेज/विवरण में से कोई भी एक उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा अवरोधित कर दिया जाएगा

बी) सुरक्षा धारक जिनके फोलियो अवरोधित कर दिए गए हैं, वे पात्र होंगे:

- ✓ उपरोक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए
- ✓ इस तरह के फ्रीज हुए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान, 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा.. बैंक द्वारा प्रतिभूत धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

सी) आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अवरोधित फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक अवरोधित बने रहते हैं।

डी) उपरोक्त पैरा में दिए गए सभी दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए अवरोधित फोलियो को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा.

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है, एक व्यवसायिक कंपनी सचिव नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी के साथ कुल स्वीकृत पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा करता है. यह लेखापरीक्षा प्रत्येक तिमाही में किया जाता है और इसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध होते हैं. लेखापरीक्षा यह पुष्टि करता है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी डीमैट रूप में शेयरों की कुल संख्या (एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ धारित) और भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है.

x) अदावाकृत उचंत खाते में शेयर:

सूचीकरण करारों के खंड 5ए के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक "अदावाकृत उचंत खाते" में बकाया शेयर निम्नानुसार हैं:

क्र. विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	कुल बकाया शेयर
(i) शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाते में बकाया शेयर	233	32,853
(ii) वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
(iii) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
(iv) शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	233	32,853

नोट - इन शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरोधित रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करते

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 शेयर बाजार के साथ सूचीबद्धता करार के साथ पठित, के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन में जारी प्रमाण पत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध तंत्र ने बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है..

स्थान : मुंबई
दिनांक : 24 मई, 2023

ए/-
एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय 2015 के विनिमय 17(8) के अंतर्गत प्रमाणपत्र

प्रति, निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- (ए) हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है तथा हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- (i) इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा ऐसा कोई विवरण नहीं है, जो भ्रामक है.
- (ii) ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं.
- (बी) हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- (सी) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं और यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के संबंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है. तथा हमने लेखा

परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है, अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

- (डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है.
- (i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन.
- (ii) लेखांकन नीतियों में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं और इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है और,
- (iii) धोखाधड़ियों की अहम घटनाएँ, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो तो

(मुकुल एन. दंडिगे)
महाप्रबंधक -
एफएंडए एवं सीएफओ
स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2023

(एम वी राव)
प्रबंध निदेशक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मेसर्स **छाजेड एंड दोशी**
सनदी लेखाकार
101 हबटाउन सोलारिस,
एन एस फडके मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई - 400 063

मेसर्स/ **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर - ई (न्यू), अलीगंज लखनऊ - 226 024.

मेसर्स **ए एस के एंड कं.**
(पहले अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बार्डेकर)
सनदी लेखाकार
501, मिराज आर्केड , गणेश मंदिर के सामने
ऑफ फडके रोड, डोम्बीवली(पूर्व), मुंबई - 421 201

मेसर्स **ए.आर. एंड कं.**
सनदी लेखाकार
ए-403, गायत्री अपार्टमेंट एअरलाइन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
प्लॉट नं 27, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन के क्रम में

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

- यह प्रमाणपत्र हमारे सहबद्धतापत्र दिनांक 07 सितंबर, 2022 की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
- इस प्रमाणपत्र में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का विवरण जैसा कि नियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्धारित है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015) के विनियमन 46(2) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी, ई, ("सूचीबद्धता) विनियम") यथासंशोधित शामिल है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक का निदेशक मंडल और प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंक लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की तैयारी सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करता है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी परीक्षा उपर्युक्त सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करनेके लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
- सूचीकरण विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार , यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्रदान करें कि क्या बैंक ने 31 मार्च , 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट संशोधित 2016. ("मार्गदर्श टिप्पणी") के अनुसार अपनी परीक्षा आयोजित की। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा संप्लिप्तता की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाले फर्मों के लिए लागू गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी)1 की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं, गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन किया है।

राय

- हमारी उपरोक्त जांच और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने विनियम 17 से 27 और खंडों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46(2) के बी) से (i) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी को छोड़कर:
 - लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) (ए) के तहत आवश्यक बैंक के केंद्रीय बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थीं।
 - लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1)(बी) के तहत बैंक के पास स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य नहीं थे।

iii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना आरबीआई के 26 अप्रैल, 2021 के परिपत्र और लिस्टिंग नियमों के विनियमन 19 के अनुपालन में नहीं है. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, जैसा कि सेबी लिस्टिंग नियमों के विनियमन 19 के तहत आवश्यक है.

9. हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

उपयोग का प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र को बैंक के सदस्यों को केवल इस उद्देश्य के लिए संबोधित और प्रदान किया जाता है कि बैंक सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता का पालन कर सकें, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथ में यह हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं.

कृते **छाजेड एंड दोशी**

सनदी लेखाकर

एफ.आर.नं. 101794डब्ल्यू

कृते **ए एस के ए एंड कंपनी**

सनदी लेखाकर

एफ.आर.नं. 122063डब्ल्यू

(सीए नितेश जैन)

भागीदार

एम.नं. 136169

यूडीआईएन :23136169बीजीडब्ल्यूएक्सकेजी7722

(सीए सुहास अम्बेकर)

भागीदार

एम.नं. 101373

यूडीआईएन :2310137बीजीडब्ल्यूजेडब्लूएम3532

कृते **किशोर एंड किशोर**

सनदी लेखाकर

एफ.आर.नं. 000291एन

कृते **ए.आर.एंड कंपनी**

सनदी लेखाकर

एफ.आर.नं. 002744सी

(सीए अखिलेश के माथुर)

भागीदार

एम.नं. 509176

यूडीआईएन :23509176बीजीडब्ल्यूजेडबीडी6951

(सीए अनिल गौड़)

भागीदार

एम.नं. 017546

यूडीआईएन :23017546बीजीडब्ल्यूआईएमई5458

दिनांक : 08 जून 2023

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2022-23

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. विवरण

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
3. निगमन का वर्ष	1911
4. पंजीकृत कार्यालय का पता	चंद्रमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
5. कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	चंद्रमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
6. ईमेल आईडी	investors@centralbank.co.in
7. टेलीफोन	+91 22 6638 7777
8. वेबसाइट	www.centralbankofindia.co.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022-23
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है
11. प्रदत्त पूंजी	₹ 8680.94 करोड़
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	पॉपी शर्मा महा प्रबंधक फोन नंबर: +91 22 6638 7880 ईमेल आईडी – gmhrd@centralbank.co.in
13. रिपोर्टिंग सीमा	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर हैं और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित है

II. उत्पाद/सेवाएँ

14. व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण

क्र.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसायिक गतिविधि का विवरण	कुल कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय व्यवसायिक बैंक द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100

15. संस्था द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद / सेवाएँ

क्र.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान %
1.	वित्तीय सेवाएं - वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंकों और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सहबद्ध है)	64191	100

III. परिचालन-

16. स्थानों की संख्या जहाँ संस्था के कारखाने और / या परिचालन स्थल / कार्यालय स्थित है

अवस्थान	कारखानों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	18204	18204
अंतरराष्ट्रीय		निरंक	निरंक

* संस्था बैंक है और इसलिए कोई निर्माण गतिविधि नहीं करता है.

**शाखाएं, एटीएम, बीसी आउटलेट (4493 + 3752 + 9959) भी शामिल हैं.

17. संस्था द्वारा प्रदत्त सेवा के अधीन बाज़ार

ए. अवस्थानों की संख्या

अवस्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	अखिल भारतीय
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	निरंक

बी. इकाई के कुल व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

लागू नहीं

सी. ग्राहकों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी-

हमारा बैंक उन ग्राहकों के साथ संव्यवहार कर रहा है जो जमाकर्ता, उधारकर्ता, सेवा प्रदाता, सरकारी सेवा प्रदाता, आदि जैसी किसी भी व्यवस्था में बैंक से जुड़े हैं।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन पर विवरण -

ए. कर्मचारी (दिव्यांग जन सहित):-

क्र.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	30770	23022	74.82	7748	25.18
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	00	00	00	00	00
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	30770	23022	74.82	7748	25.18

बी. कुल दिव्यांग जन कर्मचारी:-

क्र.	विवरण	कुल(ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	835	671	80.36	164	19.64
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	00	00	00	00	00
3.	कुल दिव्यांग जन कर्मचारी (डी + ई)	835	671	80.36	164	19.64

19. महिलाओं की भागेदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व –

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मण्डल	8	निरंक	निरंक
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	11	1	9.09%

20. स्थायी कर्मचारियों हेतु कुल आवर्ती दर –

	वित्तीय वर्ष 2021			वित्तीय वर्ष 2022			वित्तीय वर्ष 2023		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	1.4%	2.1%	1.7%	2.4%	2.5%	2.5%	1.4%	0.68%	1.04%

V. धारक, अनुषंगी और सहबद्ध कंपनियों (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (ए) 31 मार्च 2023 तक

क्र.	नाम (ए)	सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित संस्था, बैंक की व्यवसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है ₹ (हाँ/नहीं)
1.	सेन्ट बैंक गृह वित्तीय लिमिटेड	अनुषंगी	64.40	नहीं
2.	सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	अनुषंगी	100.00	नहीं
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
4.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
5.	इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.00	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है : नहीं

(ii) व्यवसाय (₹ में): 29625.60 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (₹ में): 25449.41 करोड़

(iv) वित्तीय वर्ष 23 के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि - निरंक

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी व्यवसाय संचालन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के तहत किसी भी सिद्धांतों (सिद्धान्त 1 से 9) पर शिकायतें/व्यथाएँ

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	व्यथा निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वर्ष में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/en	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relations	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relations	3	0	लागू नहीं	3	0	लागू नहीं
कर्मचारी	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/en	241	196	लागू नहीं	139	93	लागू नहीं
आर्थिक हित भागीदार	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/en	-	-	-	-	-	-
ग्राहकों सहित अन्य (बैंक पोर्टल+एटीएम+सीपी-जीआरए एमएस+आइएन-जीआरएएमएस+एमएसए-मई+रीटेल)	हाँ https://www.centralbankofindia.co.in/pdf/CUSTOMER-GRIEVANCEREDRESSAL-POLICY31.01.2012.pdf	146352	2116		183566	923	

24. संस्था के आर्थिक उत्तरदायी व्यवसाय संचालन के विषयों का अवलोकन:

क्र. स.	चिह्नित आर्थिक विषय	दर्शाएं जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम हो तो, अनुकूल बनाने या जोखिम कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएं)
1.	वित्तीय सेवाएं देने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़	अवसर	फिनटेक उन उपभोक्ताओं की अगली पीढ़ी को सक्षम और सशक्त बना रहा है जो उच्च तकनीक प्रेमी हैं और जिनके पास अधिक वित्तीय साक्षरता है, लेकिन उनके पास समय की कमी है. ये ग्राहक चलते फिरते सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. है. एल्गोरिदम पर आधारित क्रेडिट निर्णयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, ई-डॉक्यूमेंटेशन के लिए एपीआई, और सिस्टम इटीयेशन जैसे सक्षमकर्ताओं के साथ कोई भी बैंक वांछित सेवाएं प्रदान कर सकता है और अपनी संपत्ति / देवताएं के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता है.	यद्यपि गतिविधि में निहित जोखिम हैं. हालांकि उचित जोखिम शमन के साथ जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता	यहां तक कि बिना बिक एवं मोटर संरचना के भी पूरे ईको सिस्टम में वित्तीय सेवाएं अधिक सहजता से प्रदान करने एवं अपनी आस्तियां / देयता पोर्टफोलियों के विस्तार में किसी भी बैंक के लिये सहायक होगा:
2.	सतत विकास लक्ष्य - "ग्रीन फिक्ड डिपाजिट"	अवसर	ग्रीन डिपॉजिट्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को सीधे समर्थन देने वाली परियोजनाओं में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी को बढ़ाता है और हमारे जमाकर्ताओं को ऐसे वित्तीय उत्पादों को चुनने के लिए सशक्त करेगा जो पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.	ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश विशेष दरों पर की जाती है जो अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट दरों से ऊपर हैं.	सकारात्मक: जलवायु परिवर्तन से अपने पर्यावरण की रक्षा करना समय की मांग है. अतः देश भर में ग्रीन डिपॉजिट को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं.
3.	ग्रीन फाइनेंसिंग	अवसर	सरकार अक्सर सभी के लिए एक अधिक सतत भविष्य प्राप्त करने हेतु एक ढांचे की तरह एसडीजी को नियोजित करती है और कंपनियों उन एसडीजी के साथ जुड़ने के लिए कॉरपोरेट लक्ष्य निर्धारित कर रही है. व्यापारियों और बिक्री प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन (इसेंटिव) प्रदान करके व्यापारियों को और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के लिए प्रोत्साहित करना इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर जीवाश्म ईंधन वाहन ऋण की तुलना में कम ब्याज भार्ज करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाना	जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती हरित आवास, हरित वाहन वित्तपोषण आदि. जैसे हरित वित्त के विविध पूल तक पहुंच	सकारात्मक: एक समृद्ध ग्रीन पोर्टफोलियों बनाने की अपार संभावनाएं

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के नौ सिद्धांतों पी1-पी9 को संदर्भित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से स्वयं ईमानदारी के साथ संचालन और शासन करना चाहिए.
पी 2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार प्रदान करना चाहिए कि वो सतत और सुरक्षित हो.
पी 3	व्यवसायों को उनके अपने आर्थिक हितधारी सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान और उनका कल्याण करना चाहिए.
पी 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए.
पी 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना और उनको बढ़ावा देना चाहिए.
पी 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और सुधार के प्रयास करने चाहिए.
पी 7	जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे व्यवसायों को ध्यान देना चाहिए कि यह जिम्मेदार और पारदर्शी हो
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए.
पी 9	व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए.

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचना, नीतियां और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना है

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. ए. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के अपने मूल तत्वों और प्रत्येक सिद्धांत को कवर करती है. (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
बी. क्या नीति, मंडल द्वारा अनुमोदित हो चुकी है? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सी. यदि उपलब्ध हो तो, नीतियों के लिए वेब लिंक	https://www.centraibankofindia.co.in// कुछ नीतियां बैंक की आंतरिक नीतियों का समामेलन कर सकती है जिसमें सभी आंतरिक हितधारकों को पहुंच है और बैंक की वेबसाइट पर नीतियों को दर्शाया गया है.								
2. क्या इकाई ने नीतियों को प्रक्रिया में बदला है (हां/नहीं)	हां. बैंक ने लागू नीतियों को प्रक्रिया में बदला है और उन्हें बैंक द्वारा की जाने वाले गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में अनुकूलित किया है.								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके आर्थिक हित भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हां/नहीं)	हां. बैंक की आचार संहिता व्यापक स्तर पर उपर्युक्त सिद्धांतों को अपनाती है और बैंक अपने हितधारकों से अपने सभी लेन-देन में इसका पालन करने की अपेक्षा करता है.								
4. आपकी इकाई द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणन / लेबल / मानकों (जैसे वन प्रबंधक परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट, एलायंस, ट्यूस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) को अपनाए गया और प्रत्येक सिद्धांत को माना गया	लागू नहीं								
5. निर्धारित समय-सीमा के साथ इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और प्रयोजन, यदि कोई हो	उपरोक्त नीतियों के तहत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है. हालांकि, इन सिद्धांतों का अनुपालन हमारी प्रतिबद्धता और लक्ष्य है.								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ उन कारणों को पूरा नहीं करने की स्थिति में इकाई का निष्पादन.	लागू नहीं.								

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का विवरण (इस प्रकटीकरण के प्रस्तुती के संदर्भ में सूचीबद्ध ईकाई लचीली है)									
बैंक का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। ईएसजी मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता इसके मूल सिद्धांतों में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है, जो इसके संचालन के सभी पहलुओं में निहित हैं। दयालुता, निष्पक्षता, प्रभावोत्पादकता और दक्षता बैंक के मूल आदर्श हैं। बैंक के अनुसार, अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन मानक एक महत्वपूर्ण साधन हैं। मानव अधिकारों के लिए सम्मान बैंक के मौलिक और मूल मूल्यों में से एक है। बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन न केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है, बल्कि एक व्यावसायिक जोखिम भी है। अपनी उधार नीतियों में, बैंक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर विवेक सम्मत प्रयासों को बढ़ा रहा है।									
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.				श्री राजीव पुरी					
				कार्यपालक निदेशक					
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थायीत्व संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है/र (हां नहीं). यदि हां, तो विवरण दें.				हां, सभी समितियां अपनी कार्यसूची विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्थायित्व संबंधी मुद्दों को देखती हैं.					
10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण									
समीक्षा के लिए विषय	संस्था द्वारा कृत गए सिद्धांतों की समीक्षा और आवृत्ति								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक प्रथा के रूप में, बैंक की बीआर नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर विभाग प्रमुखों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं.								
वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सिद्धांतों की प्रासंगिकता, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	बैंक लागू होने वाले मौजूदा नियमों का अनुपालन कर रहा है.								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है? (हां/ नहीं)यदि हां तो एजेंसी का नाम बताएं									

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए जाने चाहिए - लागू नहीं

अनुभाग सी: सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से इकाई का संचालन और शासन करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक			
खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों की के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	3	प्रशिक्षण के तहत शामिल सभी सिद्धांत.	87.50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	5	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ नेतृत्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण/सम्मेलन	100.00%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	2109	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ व्यवहार संबंधी पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण	86.75%

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक इकाईयों से साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने / अर्धदंड/दंड/ पुरस्कार/ कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (इकाई या निदेशकों/केएसपीएस द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी: सेबी विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और ईकाई की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार ईकाई, सामग्रियों के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मुद्रा				
एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों के नाम	राशि (रूपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	अधिमानित (हाँ/नहीं)
दंड /जुर्माना	दंड / जुर्माना/ समझौता	प्रशमन शुल्क, यदि किसी का बैंक द्वारा भुगतान किया गया है तो वह बैंक की महत्व / आर्थिक नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है. इस संबंध में शेयर बाज़ार के प्रकटन को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है.		
समझौता				
प्रशमन शुल्क				
गैर - मौद्रिक				
एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों के नाम		मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील की गई (हाँ/नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में उद्घाटित मामलों में से, उन मामलों में अपील / पुनर्विचार अनुरोध का विवरण जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गयी है.

मामले का विवरण	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति के लिए एक वेब-लिक प्रदान करें.

हाँ. एक मुखबिर नीति है और यह बैंक के आंतरिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

यह नीति कदाचार, धोखाधड़ी, लापरवाही, गवन, पद का दुरुपयोग, आदि संबंधी किसी भी कार्य की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित और गोपनीय मंच प्रदान करती है. इसके अलावा बैंक के पास आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी नीति है.

हमारी मुखबिर नीति बैंक के आचार संहिता का विस्तार है जिसका उद्देश्य अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देना, विश्वास पैदा करना एवं प्रतिशोध के विना वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी और/या कदाचार और/या बैंक की आचार संहिता उल्लंघन जैसे अनैतिक व्यवहार के मामले में अपनी चिंताओं को प्रकट करने हेतु मुखबिर नीति के अपने निर्णय के बारे में कर्मचारियों को सशक्त महसूस कराना है.

मुखबिर नीति संबंधी विवरण निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Vigil.pdf> बैंक व्यवसाय के संचालन में और अपने सभी हितधारकों के साथ उच्चतम नैतिक मामलों सहित लागू सभी कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी समग्र नीति है.

आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी नीति को निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है.

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

5. निदेशकों / के एम पी / कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी :

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	11*	32*
कामगार	शून्य	शून्य

* अभियोजन अनुमति के लिए प्राप्त कुल सीबीआई मामले (बैंक से स्वीकृत या अस्वीकृत)

6. हित संघर्ष संबंधी शिकायतों का विवरण :

	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हित संघर्ष संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	---	शून्य	--
के एम पी के हित संघर्ष संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	---	शून्य	--

7. भ्रष्टाचार और हित संघर्ष संबंधी मामले के संबंध में जुर्माना / दंड / नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा की गयी सुधारात्मक कारवाई का विवरण प्रदान करें:

शून्य

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर आर्थिक हित भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत सम्मिलित किए गए आर्थिक हित भागीदारों की आयु (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
शून्य	शून्य	शून्य

2. क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधन के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएँ हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें.

बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में व्यवसाय करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण और हित संघर्ष पर भी एक व्यापक नीति है.

इस नीति को निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है.

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents / ANNEX?_I_CODE OF ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

सिद्धांत 2 - व्यवसाय द्वारा ऐसे उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो स्थायी एवं सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा क्रमशः शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर कुल निवेश की तुलना में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत . लागू नहीं
- बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, उपरोक्त की प्रासंगिकता काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कैपेक्स तक ही सीमित है. वित्त वर्ष 22 में, कैपेक्स ने आई टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर खर्च किया, जिससे बैंक की बढ़ी हुई डिजिटल पहल की सुविधा कुल राजस्व का 1.68% थी. डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अधिक से अधिक अपनाने से न केवल संचालन की क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि कागज की खपत में भी काफी कमी आती है.

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण में सुधार का पिछला विवरण
शोध एवं विकास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. ए. क्या संस्था के पास स्थायी संसाधनों हेतु प्रक्रियाएँ हैं? हाँ
बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत आवक को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

सभी खरीद पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से की जाती है.

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट हेतु उसके उपयोग के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्वर्तन और निपटान हेतु अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं का विवरण दें - लागू नहीं

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है ? (हां/नहीं). यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इसके समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें. - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (LCA) किया है ?

नहीं

यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	कुल योगदान का %	टर्नओवर	किस सीमा तक के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन किया गया था	स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हां/नहीं)	परिणामों को सार्वजनिक किया गया था (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब लिंक प्रदान करें.
------------	----------------------	-----------------	---------	---	---	--

लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो संक्षेप में उसका वर्णन करें और उसे कम करने के लिए की गई संक्षेप कार्रवाई का विवरण दें. - लागू नहीं
3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत. - लागू नहीं
4. उत्पादों के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाई गई है. - लागू नहीं
5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में) - लागू नहीं

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें उनके आर्थिक हित धारक भी शामिल हैं

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्न द्वारा संरक्षित कर्मचारियों का %											
	कुल (ए)		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिन में देखभाल की सुविधा	
	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ई)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)		
स्थायी कर्मचारी												
पुरुष	23022	23022	100	23022	100	0	0	23022	100	00	00	
महिला	7748	7748	100	7748	100	7748	100	0	0	00	00	
कुल	30770	30770	100	30770	100	7748	100	23022	100	00	00	

बी. श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण: लागू नहीं

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

फायदे	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं /लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं /लागू नहीं)
पीएफ	9782 (31.79%)	लागू नहीं	हां	11461(37.83%)	लागू नहीं	हां
उपदान	30774(100%)	लागू नहीं	लागू नहीं	30289(100%)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पेशन	9700(31.52%)	लागू नहीं	लागू नहीं	11342 (37.44%)	लागू नहीं	लागू नहीं
एनपीएस	20992(68.21%)	लागू नहीं	हां	18832 (62.17%)	लागू नहीं	हां

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, इकाई के परिसर/कार्यालय में दिव्यांग कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की पहुँच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांगजन के सहज आवागमन के लिए रैंप/लिफ्ट हैं। हमारी अधिकतर शाखाएँ / कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या उसमें दिव्यांगजन के लिए लिफ्ट और बुनियादी ढाँचा है

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें

हां, दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारे बैंक ने “समान अवसर नीति” तैयार की है जो अलग-अलग दिव्यांगजन पर विशेष ध्यान देती है और इसका उद्देश्य है दिव्यांगजन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सृजन करना भी है। उनके लिए किसी भी तरह के भेदभाव से उक्त काम करने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समान अवसर नीति आयु, रंग, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, या उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के बैंक के सभी दिव्यांगजन कर्मचारियों पर लागू होती है।

नीति को निम्नलिखित लिंक https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	99.37%	लागू नहीं	
महिला	100%	99.69%		
कुल	100%	99.45%		

6. क्या निम्नलिखित के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्रियाविधि का संक्षेप में विवरण दें.

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो क्रियाविधि का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगार के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ (बैंक के पास अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुपरिभाषित और संरचित शिकायत निवारण तंत्र है)
स्थायी कर्मचारी के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त संघ या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सदस्यता :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कार्मिक (ए)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों / कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कार्मिक (सी)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	30770	27662	89.89	30289	27446	90.61
- पुरुष	23022	20655	89.71	22915	20613	89.95
- महिला	7748	7007	90.43	7374	6833	92.66

8. कर्मचारियों व कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)		स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों		कौशल उन्नयन पर	कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर आगे ले जाए		कौशल उन्नयन पर	
	सं.(बी)	%(बी/ए)	सं.(सी)	%(सी/ए)	सं.(ई)		%(ई/डी)	सं.(एफ)	%(एफ/डी)	
पुरुष	23022	5030	21.84	25669	111	22915	4561	20	84065	366
महिला	7748	2305	29.74	9695	125	7374	2278	31	18905	256
कुल	30770	7335	23.83	35365	115	30289	6839	22.6		

9. कर्मचारियों एवं कार्मिकों के कार्य निष्पादन और करियर के विकास कि समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23* वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22* पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)*	संख्या (बी)	%(बी/ ए)	कुल (सी)*	संख्या (डी)	%(डी/ सी)
पुरुष	12353	00	..	12322	10813	87.75
महिला	4168	00	..	3926	3401	86.63
कुल	16521	00	..	16248	14214	87.48

* उपरोक्त आंकड़े केवल अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में है क्योंकि बैंक में अधिकारी कर्मचारियों के लिए पीएमएस लागू होता है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएमएस लॉन्च किया गया है.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं), यदि हां, तो कवरेज इस तरह की व्यवस्था की ?

व्यवसाय की प्रकृति के कारण कोई व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम नहीं हैं. हालाँकि, बैंक ने आग की घटना के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय अपनाए हैं. बैंक अग्नि सुरक्षा घटना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे निकासी अभ्यास, अग्निशामक यंत्रों/ अग्निशामन उपकरणों का उपयोग. बैंक ने कार्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा मार्शल नियुक्त किए हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे चिकित्सा आपात स्थिति/ घटना के मामले में कार्य कर सकें. मार्शलों को सुरक्षा किट और प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सा किट प्रदान की गई है.

बी. कार्य से संबंधित जोखिमों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती है ?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर लागू नहीं होता है.

सी. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से बचाने की प्रक्रिया हैं ? (हां/नहीं)

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर लागू नहीं होता है.

डी. इकाई के कर्मचारियों/कार्मिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां नहीं)

बैंक के सभी कर्मचारी आई बी ए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं. बीमा राशि के ऊपर और अधिक व्यय भी कॉर्पोरेट बफर के तहत कवर किए जाते हैं, उपलब्धता और इसके नियमों एवं शर्तों के अधीन.

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में :

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख - व्यक्ति का घंटों में काम)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य – संबंधित चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम कार्य – संबंधित या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें

बैंक के सभी कर्मचारियों को आई बी ए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो 10वीं द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत परिभाषित कॉर्पोरेट बफर की सुविधा भी है.

ड्यूटी के दौरान लगी चोटों के मामले में, चिकित्सा बीमा योजना के तहत कवर नहीं किए गए अन्य सभी खर्च बैंक द्वारा वहन किए जाते हैं. ऐसे कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान विशेष अवकाश भी प्रदान किया जाता है.

13. कर्मचारियों और कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणी
कार्य स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्षभर का आकलन:

किसी भी क्षेत्र/आंका द्वारा किसी भी अधिकारी के दौरे की ऐसी कोई घटना सूचित नहीं किया गया.

% आपके कारखानों और कार्यालयों में से, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्षों के द्वारा)

स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय कार्य करने की स्थिति	शून्य
	शून्य

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य, सुरक्षा के उपाय एवं कार्य करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताएं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

फायर ड्रिल, निकासी सुरक्षा, शाखा सुरक्षा आदि से संबंधित सुरक्षा का कार्य प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में किसी भी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज का विस्तार करती है ?

(कामगार)(हाँ/नहीं). - लागू नहीं

(ए) कर्मचारियों(हाँ/नहीं) - हाँ, मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर बैंक तत्काल मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में ₹40000/- राशि प्रदान करता है, इसके साथ ही, बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों एवं शर्तों के आधार पर मृतक कर्मचारी के जीवन साथी/आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे सकता है. सेवान्त लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेज्युटी, अवकास नकदीकरण आदि प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाते हैं. बैंक ऐसे विकल्पों का प्रयोग करने में परिवार की सहायता करता है.

(बी) कामगार (हाँ/नहीं) - लागू नहीं

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक हित भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है.

लागू नहीं

3. ऐसे कर्मचारियों/कार्मिकों कि संख्या प्रदान करना, जिन्हें कार्य से संबन्धित दुर्घटना/ अस्वस्थता/ मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है (जैसे कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों को क्यू 11 के अंतर्गत सूचित किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है.

अस्वस्थता/चोट से संबन्धित आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है क्योंकि इससे होने वाले किसी भी व्यय का निपटान समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है.

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जो उचित रोजगार में पुनर्वास किया गया हो या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया हो	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगारों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- क्या संस्था निरंतर रोजगार परक योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के समापन के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता कार्यक्रम उपलब्ध करवाती है? - हां, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार पश्चात जीवन के प्रबंधन सेवानिवृत्ति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था और आयोजन हेतु किया जाता है.
- आर्थिक हित भागीदरों के मूल्यांकन का विवरण:

	आर्थिक हित भागीदरों का % (ऐसे भागीदरों के साथ किए गए व्यापार के वैल्यू के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय	निरंक
कार्य-दशा	निरंक

- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन और आर्थिक हित भागीदरों की कार्य-दशा से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें. **लागू नहीं**

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए एवं उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक				
1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें. ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, हालांकि, जो लोग हमारे बैंकिंग उत्पाद या सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें कर्मचारी और शेयरधारक शामिल हैं, उन्हें हितधारक माना जाता है.				
2. आपकी संस्था हेतु महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति.				
हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के माध्यम (ई-मेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचनापट्ट वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/ छमाही/ त्रैमासिक/अन्य) – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम बैठक, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक/तिमाही वित्तीय और निवेशक बैठकों/सम्मेलन	बार-बार और आवश्यकता आधारित	-
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, अखबार विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक सामान्य बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय और निवेशक बैठकें/ सम्मेलनों	बार-बार और आवश्यकता आधारित	बैंक के विकास के लिए अद्यतन रहना
ग्राहक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	बार-बार और आवश्यकता आधारित	बेहतर सेवाएँ और मार्केटिंग
चैनल भागीदार और प्रमुख भागीदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्र, ईमेल के माध्यम से नियमित आधार पर जुड़ते हैं. बैठकें मासिक/द्वि-मासिक/त्रैमासिक आधार पर या जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जाती हैं	<ul style="list-style-type: none"> बैंक का प्रदर्शन जोखिम और अनुपालन के मुद्दे और इसको कम करने के लिए किए गए उपाय.
भारत सरकार	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्र, ईमेल के माध्यम से नियमित रूप से जुड़ते हैं. जरूरत पड़ने पर बैठकें होती हैं.	<ul style="list-style-type: none"> बैंक का प्रदर्शन नियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन.
समुदाय और गैर सरकारी संगठन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

- आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रिया का विवरण प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है.
विभिन्न बैठकों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक और अन्य विषयों पर हितधारकों और बैंक के बीच परामर्श होता है.

- क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है (हां /नहीं). यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सूचनाओं को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था.
जहां भी संभव हो, शेयरधारकों की सूचना और सुझावों को नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है.
- कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे जुड़ने के उदाहरणों और उनके लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें. लागू नहीं

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए .

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति(यो)पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	30770	3880	12.60%	30289	3637	12%
स्थायी के अतिरिक्त	00	00	00	00	00	00
कुल कर्मचारी	30770	3880	12.60%	30289	3637	12%

मजदूर

स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	30770	30770	100%	30289	30289	100%
पुरुष	23022	23022	100%	22915	22915	100%
महिला	7748	7748	100%	7374	7374	100%
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में :

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	279519	निरंक	निरंक
(गैर-आधिकारिक और शेयरधारक निदेशकों की बैठक शुल्क को छोड़कर)	11	224362.22	निरंक	निरंक
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	22855	77836.21	7590	73428.74

- क्या आपके पास कोई संपर्क बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसके कारण किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या विषयों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? नहीं
- मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक अपने सभी हितधारकों और कर्मचारियों के साथ व्यापार करने और व्यवहार करने में उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने कार्यबल के लिए उनके जाति, लिंग, कार्य, पदनाम आदि का भेद किए बिना एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकारों के मंच पर प्राप्त अभ्यावेदन को क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाता है।

बैंक ने प्राप्त सभी अभ्यावेदन की तिमाही आधार पर समीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। बैंक की आचार संहिता, व्यावसाय संहिता और हित संघर्ष पर भी नीति है और उक्त नीति के प्रावधान में किसी भी विचलन के लिए "शून्य सहिष्णुता" है।

- कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021 - 22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	5	1	लंबित शिकायतों का निपटान दिनांक 20.04.2023 को किया गया	12	6	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल मजदूरी	0	0	0	0	0	0
भत्ते	0	0	0	0	0	0
अन्य मानवाधिकार संबंधी मामले	0	0	0	12	6	0

- भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र।

यौन उत्पीड़न निवारक (पॉश) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में समिति का गठन किया गया है।

- क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? हाँ
- वर्ष हेतु मूल्यांकन :

	आपके कारखानों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तृतीय पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	निरंक
जबरन / अनिच्छुक श्रमिक	निरंक
यौन उत्पीड़न	निरंक
कार्यस्थल पर भेदभाव	निरंक
भत्ते	निरंक
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	निरंक

नेतृत्व संकेतक

- मानवाधिकार समस्याओं / शिकायतों के समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारंभ की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण। मानवाधिकार समस्याओं / शिकायतों के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण।

बैंक सभी स्टाफ सदस्यों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने सहित समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। लिंग, राष्ट्रियता, धर्म, विकलांगता, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव से संबंधित मुद्दे बैंक की नीतियों और प्रावधानों के अनुसार घटना के प्रकृति के आधार पर स्वतंत्र और तटस्थ जांच के अधीन हैं तथा बैंक की नियामक शर्तें और लागू नियमों के अनुसार इनका हल निकाला जा रहा है।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, क्या संस्था का परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांग लोगो की आसान आवाजाही हेतु रैम्प/लिफ्ट है . हमारी अधिकांश शाखाएँ/कार्यालय या तो भूतल पर स्थित है या इनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट और आधारभूत सुविधाएँ है.

4. आर्थिक हित भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

आपके कारखानों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया
(संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा)

बाल श्रमिक	निरंक
जबरन / अनिच्छुक श्रमिक	निरंक
यौन उत्पीड़न	निरंक
कार्यस्थल पर भेदभाव	निरंक
भत्ते	निरंक
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	निरंक

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें. - लागू नहीं

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत का विवरण (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा घनत्व निम्नलिखित प्रारूप में :

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल बिजली खपत (ए)	627.03 लाख किलोवाट	597.03 लाख किलोवाट
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	627.03 लाख किलोवाट	597.03 लाख किलोवाट
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा घनत्व (कुल बिजली की खपत / टर्नओवर रुपये में)	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार(पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं(डी सी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएँ हैं ? (हाँ या नहीं), यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं. यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें. नहीं
3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:
- बैंक द्वारा पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग उद्देश्यों तक ही सीमित है. कार्यालय परिसर में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं निगम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यालयों और शाखाओं से घरेलू अपशिष्ट को जल निकायों में न जाने दिया जाए .
4. क्या इकाई ने शून्य तरल विकास के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके व्याप्ति और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें.
नहीं
5. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (उत्सर्जन स्कोप 1 और स्कोप 2) और इसकी सघनता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **लागू नहीं**
7. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें. **लागू नहीं**
8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल अपशिष्ट उत्पन्न		
प्लास्टिक कचरा (ए)	*	*
ई-अपशिष्ट (बी)(र लाख में)**	5.45	806.55
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (ई)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (जी)		
अन्य उत्पन्न गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (सरचना के आधार पर ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों में)		
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	5.45	806.55

* अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाता है.

** वजन के हिसाब से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप वर्णन करें. अपने उत्पादन और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाए गए पद्धतियों का वर्णन करें.
दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाता है. उपयोग किए गए उपकरण नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. हमारे उत्पादों में खतरनाक और जहरीले रसायनों का कोई उपयोग नहीं होता है.
10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / के आस-पास संचालन / कार्यालय है जहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति / मंजूरी आवश्यक हो, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें: **लागू नहीं**
11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण: **लागू नहीं**
12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं). यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **हां**

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) विघटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
अक्षय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		

कुल बिजली खपत (डी)	लाख किलोवाट	597.03 लाख किलोवाट
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	597.03 लाख किलोवाट	597.03 लाख किलोवाट

2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
नियत स्थान और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) अन्य स्रोत का जल		
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		

कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)

- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): **लागू नहीं**
- कृपया निम्न प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी सघनता का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
- उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**
- यदि इकाई ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही ऐसी पहल के परिणाम प्रदान करें: **लागू नहीं**
- क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें.

हां, हमारे बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी/डीआर नीति है और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधितों को परिचालित किया जाता है. प्रत्येक विभाग ने अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों की पहचान की है और किसी भी घटना / आपदा के मामले में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाई है. डीआर व्यवस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं. प्रत्येक शाखा ने दो नजदीकी शाखाओं की पहचान की है और उनसे लिंक किया है और आरओ द्वारा माप किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित शाखा की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को परिपत्र संख्या 2986 दिनांक 04.02.2022 के तहत तत्काल शुरू किया जा सके. महत्वपूर्ण प्रणालियों के मजबूत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डीआर अभ्यास किए जा रहे हैं. डीआर अभ्यास के परिणाम को रिकॉर्ड किया जाता है और उचित उपचार/ रिकवरी के उपाय करने के लिए संबंधित कार्यक्षेत्रों को साझा किया जा रहा है.

8. इकाई के आर्थिक हित से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें. इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं.

9. आर्थिक हित भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था. लागू नहीं

सिद्धांत 7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या- 9
बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो इकाई का सदस्य / से संबद्ध है.

क्र. स.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडियन बैंक एसोसिएशन	राष्ट्रीय
2	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान	राष्ट्रीय
3	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	राष्ट्रीय
4	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	राष्ट्रीय
5	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	राष्ट्रीय
6	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
7	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
8	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय
9	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

प्राधिकरण का नाम	मामले का सार	कृत सुधारात्मक कार्रवाई
		निरंक

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण -

क्र.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की पैरवी के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है ₹ (हाँ/ हाँ)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य कृपया स्पष्ट निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	केवाईसी-एएमएल नीति		हाँ	वार्षिक	https://www.centralbankofindia.co.in/en
2.	सरकारी व्यापार नीति		हाँ	वार्षिक	
3.	चेक संग्रहण नीति		हाँ	वार्षिक	
4.	बैंक जमा पर नीति		हाँ	वार्षिक	
5.	सुरक्षित जमा लाकर पर नीति		हाँ	वार्षिक	
6.	रिकार्ड रखाव नीति		हाँ	वार्षिक	
7.	मृतक जमाकर्ताओं के दावे के निपटान और सुरक्षित जमा लाकरों सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं की वापसी और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए नीति	बैंक की आंतरिक नीति	हाँ	वार्षिक	
8.	वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांग/ अक्षम खाताधारकों के लिए नीति		हाँ	वार्षिक	
9.	मुआवजा नीति		हाँ	वार्षिक	
10.	ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र पर नीति		हाँ	वार्षिक	
11.	ग्राहक अधिकार नीति		हाँ	वार्षिक	

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईई) का विवरण . लागू नहीं
2. निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन(आर एंड आर)कार्यक्रम चलाये जा रहे है . लागू नहीं
3. समुदाय की शिकायतों पावती और उनका निवारण करने वाले तंत्र का वर्णन करें .
4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना सामग्री का प्रतिशत (मात्रा के आधार पर कुल सूचनाओं में धारित सूचना) ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1): किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की सूचना नहीं दी गई है.
2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: लागू नहीं
3. (ए) क्या आपके पास अधिमाम्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? हाँ
(ख) आप किन सीमांत /कमजोर समूहों से प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म और लघु उद्यम

(ग) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है? ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: **उपलब्ध नहीं है**
- बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है. **उपलब्ध नहीं है**
- सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: **उपलब्ध नहीं**

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और जिम्मेदार तरीके से उनका सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें.

शिकायत निवारण तंत्र

बैंक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया गया है. शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानना और परिभाषित किया गया है. शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र और सभी स्तरों पर मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाई गई हैं.

शिकायत निवारण नीति:

नीति का उद्देश्य उचित सेवा प्रदान करने और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं के मामलों को कम करना और ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है. समीक्षा तंत्र को उत्पाद और सेवा देने में कमियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए.

वेबसाइट पर ग्राहक सहायता विवरण :-

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कॉल सेंटर विवरण, इंटरनेट बैंकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और भीम ऐप, एनईएफटी देखभाल टीम, पेंशन के लिए नोडल अधिकारी, बैंकिंग लोकपाल, ग्राहक सेवा और क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय में शिकायत निवारण नोडल अधिकारी को अद्यतन किया है. इसके लिए वेबलिक निम्नानुसार https://www.centralbankofindia.co.in/en/customer_care.

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक लॉगिन <https://centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin> के माध्यम से भी शिकायत जा सकती हैं.

- सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर जिसके बारे में जानकारी अपेक्षित है:

कुल आवर्त के प्रतिशत के रूप में	
कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और सही उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
डाटा गोपनीयता	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना						
प्रतिबंधक व्यापार प्रथाएं	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार	-	-	-	-	-	-
आचरण	-	-	-	-	-	-
अन्य	146352	2116	सबका निपटान कर दिया गया है	183566	923	सबका निपटान कर दिया गया है

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापसी के उदाहरणों का विवरण – लागू नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डाटा से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा या नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध है तो पॉलिसी का वेब-लिक प्रदान करें .

हां, चूंकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है और वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है .

6. संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें विज्ञापन और आवश्यक सेवाएं देने, साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता; ग्राहक की डाटा गोपनीयता, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरण द्वारा दंड / कृत कार्रवाई

साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों में शामिल हैं:

- डिजिटल लेनदेन के लिए 2एफ ए
- ग्राहकों को एसएमएस
- सतर्क निगरानी

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें).

ए) वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/en>,

बी) "सेंट मोबाइल" नाम से प्ले स्टोर (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.centralbank>) और ऐप स्टोर (<https://app.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>), पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन उपलब्ध है

सी) "सेंट मोबाइल" नाम से प्ले स्टोर(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.cbiepassbook>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/cent-m-passbook/id950604171>) पर मोबाइल पासबुक एप्लीकेशन उपलब्ध है

डी) "भीम सेंट यूपीआई" नाम से प्ले स्टोर (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.centralbankup>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/bhim-cent-upi/id1282995874>) पर मोबाइल यूपीआई एप्लीकेशन उपलब्ध है

ई) हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से यूट्यूब Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), ट्विटर (https://twitter.com/centralbank_in), फेसबुक (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), लिंक्डइन (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) और इंस्टाग्राम (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/>)

एफ) हमारे बैंक का टोल-फ्री नंबर 1800 22 1911

2. उपभोक्ताओं को उत्पाद और/ या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम

हम उपभोक्ताओं को बैंक उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठा रहे हैं:

ए) ग्राहकों को फ़ेसबुक, लिंकडइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा युक्तियों के बारे में सूचित किया जाता है.

बी) जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया जाता है.

सी) ग्राहकों को बैंक से एसएमएस के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता संदेश प्राप्त हो रहे हैं.

डी) बैंक ग्राहकों को लेनदेन संबंधी एसएमएस/ओटीपी एसएमएस प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता युक्तियाँ प्राप्त होती हैं.

एफ) विभिन्न सुरक्षा जागरूकता सूचनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है.

3. उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के व्यवधान/अत्यावश्यक सेवाएं बंद करने के जोखिम संबंधी सूचना देने के लिए तंत्र उपलब्ध है

तकनीकी कारणों से किसी भी व्यवधान के बारे में ग्राहकों को एसएमएस या मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है.

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद के ऊपर उत्पाद की अनिवार्य सूचना प्रदर्शित करती है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें.
नहीं

क्या आपकी इकाई ने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई या सम्पूर्ण इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया था? (हां /नहीं)

हाँ

5. डाटा उल्लंघनों से संबंधित निम्न जानकारी प्रदान करें:

ए. प्रभाव के साथ-साथ डाटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या - अभी तक कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई

बी. ग्राहक की व्यक्तिशः पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डाटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

बैंक की लाभांश वितरण नीति

बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनायी है और बैंक की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है

<https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>

मेसर्स छाजेड़ एंड दोशी
सनदी लेखाकार
101, हबटाउन सोलारिस, एन एस फड़के मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुम्बई - 400069

मे. किशोर एंड किशोर
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर ई (न्यू)
अलीगंज, लखनऊ- 226024

मेसर्स ए एस के ए एंड कंपनी
(पुराना नाम- अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अंबेर्डेकर)
सनदी लेखाकार
501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने, ऑफ फड़के
रोड, डोम्बीवली (पूर्व) - मुंबई 421201

मे. ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
ए-404, गायत्री अपार्टमेंट
एअरलाइन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी प्लॉट नं 27,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति, सदस्यगण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("मूल बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिये समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें शामिल हैं:

- हमारे द्वारा मूल बैंक की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी
- एक अनुषंगी- सेंट बैंक फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- एक अनुषंगी- सेंट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- 2 अनुषंगी (i) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (ii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण - अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित
- एक संयुक्त उद्यम-इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड के अलेखा परीक्षित खाते की वित्तीय विवरणियां शामिल हैं.

मूल बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को "समूह" कहा जाता है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी, इस तरह देते हैं जो भारत में आम तौर पर

स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, और

- 31 मार्च, 2023 को समूह के समेकित तुलन पत्र, उस पर किये गये नोट के साथ पढ़ा गया एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, जिसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके.
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिये समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है.
- समेकित नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिये सही और निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है. नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, (आईसीएआई) के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के लिये प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिये एक उचित आधार प्रदान करता है.

विशेष मामलें

- हम ध्यान आकर्षित करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणोंकी अनुसूची 18 का नोट नं 5.11 ₹.821.95 करोड़ की पारिवारिक पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में ध में है. मूल बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि खाते में ₹.164.40 करोड़ की राशि का शुल्क लिया है और शेष असंशोधित व्यय को



भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105डीओआरएसीसी. आरईसी 57/21.04.018/2021-22 के अनुसार आगे बढ़ाया गया है।

- (बी) आस्थगित कर के सम्बंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 का नोट संख्या 4.8, जिसमें समय के अंतर से उत्पन्न सम्भावित कर लाभों के सम्बंध में मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई कर समीक्षा के आधार पर, शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्ति 31 मार्च 2023 को रु.5798.91 करोड़ (31 मार्च 2022 को रु.6862.05 करोड़) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- (सी) इस वर्ष कर्मचारियों को प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन या प्रोद्भवन आधार के लेखांकन के सम्बंध में विवरणी का नोट 4.1 जो पिछले वर्षों में नकद आधार पर किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 104.24 करोड़ की कमी आई है।

(डी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 5.15, जो कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितताओं का वर्णन करती है और समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन करती है जो भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है।

इस सम्बंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मामले, सम्पूर्ण समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किये जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित होंगे।

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. गैर निष्पादक अग्रिम की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से सम्बंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 2 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है। गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है।

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिये प्रावधान प्रबंधन द्वारा किये गये अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है। पुनर्गठित खातों में प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिये प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किये गये आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन अभी का समूहकी वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:

- » हमने अग्रिमों से सम्बंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से सम्बंधित भारतीय रिजर्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है।
- » हमने एनपीए को चिन्हित करने एवं तत्सम्बंधी आय की कटौती और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है और उसे समझा है।
- » हमने अग्रिमों से सम्बंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम सम्बंधित प्रावधानों के सम्बंध में मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिये प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/ ऐप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है।
- » मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने,
- » उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तिकरण की समय पर पहचान की है:
- » इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं।
- » हम आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी के (परिवर्तनों के ज्ञापन) के सम्बंध में सम्बंधित शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

2. निवेश

समूह के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, डेबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिये उपलब्ध और व्यापार के लिये रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत है। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (वित्तीय विवरणियों को अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)।

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/सूचनायें जैसे कि (फाइनेंशियल ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिये निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।

इसलिये निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

- » निवेशों की तरफ हमारे लेखक परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों / आदेशों के संदर्भ के साथ अनावश्यक निवेशकों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण / मूल्यहास से संबंधित मूल लेखा प्रतिक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा परिचालन प्रभावित का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:
- » अनाज निवेशकों की पहचान मूल्यांकन वर्गीकरण प्रावधानीकरण और निवेश पर मूल्यहास से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमें बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आकलन किया है और उसे समझा है।
- » भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशकों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है।
- » हमने एनपीसीआई के पहचान की प्रक्रिया और आय के कदम रूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आकलन एवं मूल्यांकन किया है।
- » हमने स्वतंत्र पूर्ण रूप से पुनः परिकलन करने प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनाई है।
- » हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का पर्यटन पर वर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

रूपानिती

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय



मूल लेखापरीक्षा मामले

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -

समूह की परिचालन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्युशन्स(सीबीएस) तथा अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है एवं लेनदेनों को बृहत मात्रा को नियंत्रित करती है।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिये है।

बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिये उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डीआईटी) विभाग है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है और इस पर हमारे लेखापरीक्षा के मूल लेखा परीक्षा मामले में विचार किया गया है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली का पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखा परीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे हैं सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखा परीक्षक परीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से:

- » हमने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी निरंतर नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है।
- » हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावित की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विविध अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है।
- » हमने लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रति कारी नियंत्रण अथवा आंकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रतिक्रियाओं या जहां कोई असंबोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे:

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों एवं आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 14 एवं अनुसूची 18 की नोट संख्या 4.10)

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव एवं कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

हमने प्रावधानीकरण हेतु प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं एवं अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित है। हम मुख्य रूप से उन धारणाओं एवं अनुमानों पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं।

हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है तथा इस तरह के मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और / या संचार से प्राप्त संचार की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है। विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उस पर अनुवर्ती कार्रवाइयों और दावों/मुकदमों की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और विकास से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर अंतिम देयता में अमल में आने की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबंधन से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना होता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने हेतु कुछ भी नहीं है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं तथा यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें मामले को उन लोगों को सूचित करना आवश्यक है जो गवर्नेंस से प्रभावित हों और लागू विधि एवं विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करें।

गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और समेकित वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन तंत्र की जिम्मेवारी

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समूह का समेकित नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण हैं और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने, कार्यशील संस्था के तौर पर निरंतर बने रहने हेतु बैंक की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए समूह का संबंधित

निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक समूह का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा। जब तक ऐसा करने के सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। समूह का संबंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियाँ, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन समेकित

वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि

» समेकित वित्तीय विवरणियों के विषयों अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।

» लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है।

» प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

» लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर एवं प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।



» प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

» समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने हेतु, जिस समूह के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, एवं जिनकी वित्तीय जानकारी का हमने लेखा-जोखा किया है। उसके भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं हेतु, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है। ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय वक्तव्यों में गलत बयानों का परिमाण है। जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (र) अपने पूंजी कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ग) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेंस प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन गवर्नेंस प्रभारित लोगों को भी बचन देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा, पर उचित रूप से माना जा सकता है,

गवर्नेंस प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. इन समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(ए) हमने मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1507 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक ₹ 2,07,308 करोड़ की कुल संपत्ति एवं ₹6,763 करोड़ का कुल राजस्व उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन

शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है।

(बी) हमारे पूंजी के संचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 2966 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च 2022 तक कुल संपत्ति ₹90,252 करोड़ एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹5393 करोड़ दर्शाते हैं।

(सी) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया, जिनके 31 मार्च, 2023 की उस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण ₹47.36 करोड़ की कुल संपत्ति, कुल राजस्व ₹3.52 करोड़, परिलक्षित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(डी) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया, जिनके 31 मार्च, 2023 की उस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण ₹1504.11 करोड़ की कुल संपत्ति एवं कुल राजस्व ₹140.93 करोड़, परिलक्षित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

(ई) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹31.36 करोड़ के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, 2 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :-

प्रबंधन द्वारा हमें स्पष्टीकरण दिया गया, ये वित्तीय विवरण समूह से सम्बंधित नहीं हैं।

(एफ) समेकित वित्तीय विवरणों से समूह के दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 47.43 करोड़ के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों से माना गया है। संयुक्त उद्यमों के सम्बंध में, जिनकी वित्तीय विवरणों को हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन

सहयोगियों के सम्बंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापारीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।
10. ऊपर पैरा 6 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा आवश्यक है और उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - बी) हमारे संज्ञान में आए लेन-देन, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं : और
 - सी) समूह के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

कृते- छाजेड एण्ड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 10179 डब्ल्यू

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
एम. नं. 136169
यूडीआईएन 23136169BGWXJM2286

कृते किशोर एण्ड किशोर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 000291 एन

सीए अखिलेश के माथुर
भागीदार
एम नं. 509176
यूडीआईएन 23509176BGWZAW3371

स्थान : मुंबई
दिनांक : अप्रैल 29, 2023

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

- ए) हमारी राय में, समूह द्वारा विधिक रूप से अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं जो हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
- बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित कैश फ्लो विवरणियां, खाते की सम्बंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत समूह के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है; तथा
- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं: इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

वास्ते ए आर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 122063डब्ल्यू

(सी ए सुहास अम्बेदकर)
भागीदार
एम. नं. 101373
यूडीआईएन: 23101373BGWJWF5899

कृते ए आर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 002744सी

सीए अनिल गौर
भागीदार
एम नं. 017546
यूडीआईएन: 23017546BGWILS1797

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2023 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च -2023 का समाप्त वर्ष (₹)	31-मार्च -2022 को समाप्त वर्ष (₹)
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	8,68,09,394	8,68,09,394
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	20,53,57,912	18,86,84,669
अल्प संख्य ब्याज	2ए	6,73,138	5,76,992
जमा राशियां	3	3,59,77,51,185	3,43,16,45,666
उधार राशियां	4	8,33,39,157	7,66,33,015
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	9,68,66,360	8,85,72,023
योग		4,07,07,97,146	3,87,29,21,759
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	6	27,43,29,199	38,03,36,980
बैंकों के पास जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	16,66,90,249	15,06,32,393
निवेश	8	1,36,56,93,837	1,40,77,45,413
ऋण एवं अग्रिम	9	2,03,89,32,569	1,69,04,15,429
अचल आस्तियां	10	4,77,66,959	4,95,53,768
अन्य आस्तियां	11	17,72,95,437	19,41,48,880
समेकन पर ख्याति		88,896	88,896
योग		4,07,07,97,146	3,87,29,21,759
आकस्मिक देयताएं	12	1,32,46,50,988	1,79,60,88,335
संग्रह हेतु बिल		11,03,90,656	11,37,50,285

उपर्युक्त संदर्भित समेकित तुलनपत्र का अभिन्न अंग है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च - 2023 को (₹)	31-मार्च - 2022 को (₹)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	25,65,71,000	22,90,33,395
अन्य आय	14	4,08,44,939	2,96,74,897
योग		29,74,15,939	25,87,08,292
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	13,90,51,019	13,36,08,786
परिचालन व्यय	16	8,90,99,979	7,27,70,729
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		5,31,71,633	4,16,83,773
योग		28,13,22,631	24,80,63,288
एसोशिएट्स को (आय/हानि) में हिस्सेदारी		7,90,621	1,84,501
अल्यांश ब्याज से पूर्व वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		1,68,83,929	1,08,29,505
घटाएं : अल्यांश ब्याज		96,145	71,589
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		1,67,87,784	1,07,57,916
जोड़े : समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		1,42,581	(18,74,09,075)
जोड़े : लाभ/(हानि) का समायोजन		(11,45,41)	18,72,42,173
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		39,55,503	26,12,100
अन्य आरक्षित में अंतरण		18,89,,806	78,36,181
ए. निवेश आरक्षित		13,32,997	12,55,267
बी. राजस्व आरक्षित		-	-
सी. स्टाफ कल्याण कोष		9,300	-
डी. बीमा कोष		-	-
ई. प्रस्तावित लाभांश – समता शेयर पूंजी		-	-
एफ. लाभांश पर कर		-	-
जी. विशेष आरक्षित धरा 36(1) (viii) के अंतर्गत		-	-
एच. रा.आ.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष प्रारक्षित पर आस्थगित कर देयता का विनियोग		-	-
i. निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित		5,47,509	65,80,920
सरकारी / प्रस्तावित लाभांश में अंतरण		-	-
तुलन पत्र में लाया गया शेष		1,09,70,515	1,42,581
योग		1,68,15,824	1,05,90,862
प्रति शेयर आय (₹ में) – मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		1.93	1.24
प्रति शेयर आय (₹ में) – डाल्युटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		1.93	1.24

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ वं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए.नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए.सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए.अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए.अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2023 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 23 को		31-मार्च - 22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची . : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
निगमित पूंजी :	8,68,09,394		8,68,09,394	
(इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
8680939432 इक्विटी शेयर (गत वर्ष)				
प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर (केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 8080391687 इक्विटी शेयर सहित)				
कुल		8,68,09,394		8,68,09,394
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	2,33,71,231		2,07,59,131	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	39,55,503		26,12,100	
		2,73,26,734		2,33,71,231
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,74,39,226		1,61,83,965	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	13,32,997		12,55,261	
		1,87,72,223		1,74,39,226
III. पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,71,49,449		3,79,22,815	
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
घटाये : राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि में अंतरण	6,53,596		2,32,128	
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		5,41,238	
		3,64,95,853		3,71,49,449
IV. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	7,46,66,327		24,19,62,271	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन/ समायोजन	-		1,99,46,230	
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		18,72,42,174	
		7,46,66,327		7,46,66,327
V. अन्य प्रारक्षित निधियां				
ए) विशेष प्रारक्षित निधियां धारा 36 (1)(viii)	13,61,546		13,61,546	
		13,61,546		13,61,546
VI. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) विनियोग उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	65,80,920		-	

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -23 को		31-मार्च -22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
जोड़ें :- वर्ष के दौरान समायोजन	5,47,509		65,80,920	
घटायें :- वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		71,28,429		65,80,920
ii) प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,13,846		1,13,846	
जोड़ें :- वर्ष के दौरान समायोजन	9,300		-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन / समायोजन	-		-	
घटायें :- वर्ष के दौरान कटौती	-	1,23,146	-	1,13,846
ii) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,78,59,543		2,73,18,305	
जोड़ें : पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अंतरण	6,53,596		5,41,238	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-		-	
(* जोड़ें : आरंभिक शेष समायोजन	-		-	
जोड़ें/घटायें: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
		2,85,13,139		2,78,59,543
VII. लाभ-हानि खाते में शेष		1,09,70,515		1,42,581
कुल		20,53,57,912		18,86,84,669
(*) यह समायोजन मुख्यतः क्षेत्र. बैं. के पिछले लेखापरिक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया . पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षेत्र. बैं. के अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किया गया था.				
अनुसूचित 2 ए : अल्पांश ब्याज				
उस तारीख को अल्पांश ब्याज जबसे प्राथमिक/अनुषंगी संबंध स्थापित हुए	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि / कमी	6,48,638		5,52,492	
तुलन पत्र की तारीख को अल्पांश ब्याज		6,73,138		5,76,992
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंक से	98,44,694		1,03,37,153	
ii) अन्य से	17,74,74,505		16,50,66,866	
		18,73,19,199		17,54,04,019
II. बचत बैंक जमा		1,62,53,14,529		1,55,96,51,980
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	68,57,251		77,57,952	
ii) अन्य से	1,77,82,60,206		1,68,88,31,715	
		1,78,51,17,457		1,69,65,89,667
योग (I,II और III)		3,59,77,51,185		3,43,16,45,666
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,59,77,51,185		3,43,16,45,666
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -23 को		31-मार्च -22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	-		7,23,139	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	4,06,99,157		2,68,78,876	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉण्ड्स (गौण ऋण)	-		-	
v) अपर टियर (ii) बॉण्ड्स	-		-	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	-		13,91,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल (III) बॉण्ड्स (टीयर (II))	2,50,00,000		3,00,00,000	
		8,33,39,157		7,66,33,015
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		8,33,39,157		7,66,33,015
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	94,93,095		1,11,47,968	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	19,468.00		1,90,081	
III. उपचित ब्याज	89,15,697		77,45,822	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	7,84,38,100	9,68,66,360	6,94,88,152	8,85,72,023
कुल		9,68,66,360		8,85,72,023
अनुसूची 6: भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		1,50,01,105		1,45,54,493
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	16,52,98,094		13,67,22,487	
अन्य खातों में	9,40,30,000		22,90,60,000	
		25,93,28,094		36,57,82,487
कुल (I और II)		27,43,29,199		38,03,36,980
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
क) चालू खातों में	4,05,075		2,64,777	
ख) अन्य जमा खातों में	24,676		36,243	
		4,29,751		3,01,020
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
क) बैंकों के पास	-		-	
ख) अन्य संस्थाओं के पास	-		6,40,128	

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -23 को		31-मार्च -22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
		-		6,40,128
कुल..... I		4,29,751		9,41,148
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	20,02,668		10,62,153	
बी) अन्य जमा खातों में	16,42,57,830		14,86,29,092	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल. II		16,62,60,498		14,96,91,245
कुल. (I + II)		16,66,90,249		15,06,32,393
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश :				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,03,03,86,822		1,05,53,81,537	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	74,05,592		88,33,691	
iv) डिबेंचर्स एवं बांड्स	31,90,42,322		33,78,44,148	
v) एसोसिएट्स	41,79,213		6,39,854	
vi) अन्य				
ए) यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स इत्यादि.	22,66,922		31,07,519	
कुल I		1,36,32,80,871		1,40,58,06,749
II. भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) एसोसिएट्स	24,12,966		19,38,664	
iii) अन्य निवेश	-		-	
कुल II		24,12,966		19,38,664
कुल (I और II)		1,36,56,93,837		1,40,77,45,413
III. भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,42,39,75,024		1,46,55,29,898	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	6,06,94,153		5,97,23,149	
शुद्ध निवेश		1,36,32,80,871		1,40,58,06,749
IV भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	24,12,966		19,38,664	
घटायें : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		24,12,966		19,38,664
कुल		1,36,56,93,837		1,40,77,45,413
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	30,9,41,503		2,40,31,721	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	79,06,06,898		70,15,80,440	
iii) मीयादी ऋण	1,21,73,84,168	2,03,89,32,569	96,48,03,268	1,69,04,15,429
कुल (i,ii तथा iii)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -23 को		31-मार्च -22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,81,72,28,464		1,57,07,97,055	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	75,94,346		1,32,94,746	
iii) आरक्षित	21,41,09,759	2,03,89,32,569	10,63,23,628	1,69,04,15,429
कुल (i,ii तथा iii)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	96,68,04,431		86,38,51,917	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	2,40,71,293		4,14,01,906	
iii) बैंक	2		53,224	
iv) अन्य	1,04,80,56,843	2,03,89,32,569	78,51,08,382	1,69,04,15,429
कुल (i,ii, iii और iv)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
*जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया है.				
अनुसूची 10 ; अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत और पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,88,11,918		4,91,01,269	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	17,394		25,445	
कुल	4,88,29,312		4,91,26,714	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	-		3,14,796	
कुल	4,88,29,312		4,88,11,918	
इस दिनांक को मूल्यहास	99,17,382		91,65,015	
कुल. I		3,89,11,930		3,96,46,903
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	3,65,83,009		3,53,41,109	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	31,77,913		23,47,271	
कुल	3,97,60,922		3,76,88,380	
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	15,70,812		11,05,370	
कुल	3,81,90,110		3,65,83,010	
इस दिनांक को मूल्यहास	2,93,35,081		2,66,76,145	
कुल. II		88,55,029		99,06,865
कुल. (I + II)		4,77,66,959		4,95,53,768
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).		-		-



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -23 को		31-मार्च -22 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. उपचित ब्याज	2,00,13,999		2,17,85,964	
III. कर का अग्रिम भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	4,26,64,929		3,96,36,119	
IV. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,28,747		2,25,424	
V. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
VI. आस्थगित कर आसितयां	5,78,81,749		6,85,59,904	
VII. अन्य	5,65,06,013		6,39,41,469	
		17,72,95,437		19,41,48,880
कुल		17,72,95,437		19,41,48,880
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		12,48,708		14,20,497
बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		5,72,68,896		6,05,04,173
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		1,26,58,798		26,89,347
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		1,10,82,31,495		1,59,08,50,230
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	9,19,06,778		8,83,87,515	
बी) भारत के बाहर	52,11,840		58,26,051	
		9,71,18,618		9,42,13,566
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		2,21,49,908		2,43,01,093
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है.		2,59,74,565		2,21,09,429
कुल		1,32,46,50,988		1,79,60,88,335

रणनिती

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग की अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	31मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	15,02,53,615	11,59,98,697
II. निवेशों पर आय	8,71,84,229	9,26,60,400
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों के शेष राशि पर ब्याज	1,44,38,269	1,23,81,061
IV. अन्य	46,94,887	79,93,237
कुल	25,65,71,000	22,90,33,395
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,78,69,428	1,42,47,404
II. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	1	91,365
घटायें : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	13,396.00	361
III. विनिमय लेन-देनों से लाभ	30,34,878	19,92,437
घटायें : विनिमय लेन-देनों से हानि	-	-
IV. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	27,36,829	49,10,035
घटायें : निवेशों की बिक्री से हानि	-	326
V. निवेशों के पुनर्मूलयांकन पर लाभ	24,811.00	-
घटायें : निवेशों के पुनर्मूलयांकन पर लाभ	-	27,68,771
VI. ए) लीज वित्त आय	-	-
बी) लीज प्रबंध शुल्क	-	-
सी) अतिदेय व्यय	-	-
डी) लीज किराया प्राप्ति पर ब्याज	-	-
VII. विविध		
ए. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं एशोसिएट्स से लाभांश के रूप में अर्जित आय	64,454.00	65,103
बी. अन्य	1,71,27,934	1,11,38,011
कुल	4,08,44,939	2,96,74,897



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	13,42,73,336	12,87,87,024
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	10,57,783	8,54,849
III. अन्य	37,19,900	39,66,913
कुल	13,90,51,019	13,36,08,786
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	5,61,56,968	4,48,21,474
II. किराया, कर एवं बिजली	52,85,758	48,32,319
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	3,30,635	2,66,105
IV. विज्ञापन एवं प्रचार – प्रसार	1,75,363	1,33,946
V. ए) लीज सम्पत्ति के अलावा बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास	38,59,798	29,67,646
बी) लीज सम्पत्ति पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	10,258	6,632
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	3,54,756	3,08,704
VIII. विधि प्रभार	2,73,403	1,90,637
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,37,895	9,49,677
X. मरम्मत एवं रखरखाव	14,74,942	16,20,903
XI. बीमा	44,14,494	42,80,664
XII. गुडविल का परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	1,58,25,709	1,23,92,022
कुल	8,90,99,979	7,27,70,729

राजिनीती

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

ए. पृष्ठभूमि

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत एक कॉर्पोरेट निकाय है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक का प्रमुख व्यवसाय व्यक्तिगत, वाणिज्यिक संस्थानों, बड़े कॉर्पोरेट, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को अपने उत्पादों की विस्तृत शृंखला और वित्तीय सेवाएं प्रदान कराना है। भारत में व्यवसाय इसकी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में लिस्टिड है।

ए. तैयार करने का आधार :

इसके साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां के साथ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पुनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निदेशन 2010, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी. प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधन के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को यह विश्वास होता है कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं। आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकता है। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के मध्य अंतर की गणना उस वर्ष में की जाती, जिस वर्ष के परिणाम ज्ञात / कार्यविन्त होते हैं।

सी. समेकन प्रक्रिया

समेकित वित्तीय विवरणों को समूह (2 अनुषंगियों एवं 3 एसोशिएट के साथ 02 क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों सहित) निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां
- इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 " समेकित वित्तीय विवरणों " के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंत : समूह शेषों / लेन - देनों, गैर वसूले लाभ / हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं

इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

- अनुषंगियों में निवेश, जहां समूह के पास 20 ₹ अथवा उससे अधिक के मतदान का अधिकार प्राप्त है, इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 " समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन " के इक्विटी प्रणाली के शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया गया है तथा इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियां, स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं / अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन एसोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

- एसोशिएट्स अर्थात इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष है। ऐसे मामले जिनमें एसोशिएट्स का लेखांकन वर्ष, मूल बैंक से भिन्न है तो, लेखापरीक्षित अवधि के लिए लाभ / हानि का आनुपातिक हिस्सा एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित आनुपातिक लाभ / हानि का हिस्सा लिया जाता है।

- यह समेकित वित्तीय विवरणियां, समान परिस्थितियों में समान लेनदेन एवं अन्य अवसरों के लिए एकल लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार की जाती है तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के समान रीति से यथासम्भव प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्यांश ब्याज शेषों में निम्न शामिल हैं :

- अनुषंगी में किए गए निवेश की तारीख को अल्प शेषों के कारण इक्विटी की राशि, जिस दिन अनुषंगी में निवेश किया गया, एवं
- मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध के अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी के संचलन में अल्प शेषों के हिस्से।

(डी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख पर आस्तियों और देयताओं (अनुषंगी देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्ट की गई आय और व्यय पर विचार करने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतरों को उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/ घोषित होते हैं।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

नकद और नकद के समतुल्य

नकद और नकद के समतुल्य जिसमें हस्ते नकदी और एटीएम में राशि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि, अन्य बैंकों के पास जमा राशि और काल एंव अल्पावधि सूचना की राशि शामिल है।

2. राजस्व मान्यता

ए मूल बैंक

2.1 सामान्य

ए) नियामक प्रावधानों के अनुसार जिन आय को नकद आधार पर लेखा में लिया जाता है को छोड़कर आय / व्यय को आम तौर पर उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों का अनुसरण करते हुए, जो मद कुल आय / कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हों, के बन्ध में पूर्वावधि प्रकटीकरण बनाया जाता है।

सी) अतिदेय जमा पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

2.2 निवेश से आय :

ए) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश की बिक्री का लाभ (कुल लागू करें एवं " वैधानिक आरक्षित खाते " में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक राशि) " आरक्षित पूंजी खाते " में विनियोजित किया जाता है

बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में फेस वैल्यू के छूट पर निवेश करने से हुए आय (व्याज को छोड़कर), को निम्नानुसार माना जाता है :

(i) ब्याज भारित प्रतिभूतियों पर इसे निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक का लेख किया जाता है।

(ii) जीरो - कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे लगातार यील्ड के आधार पर प्रतिभूति के मुराद बैलेंस से अधिक का लेखा किया जाता है।

सी) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश अर्जन करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

डी) "अन्य आय" के प्राप्ति होने पर प्रतिभूति रसीदों के उपरी भाग को माना जाता है

2.3. वित्तीय आस्तियों की बिक्री :

बिके हुए वित्तीय आस्तियों की पहचान निम्न है :

ए) विक्रय किये गए एन.पी.ए. का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उल्लिखित दिशा - निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस. सी.) / आस्तियों के पुनर्निर्माण की कंपनी (ए.आर.सी.) को बेचती है, तो इसे अपने बही से हटा देती है।

बी) अगर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) / आस्तियों के पुनर्निर्माण की कंपनी (ए. आर. सी.) को विक्रय करने की कीमत नेट बुक वैल्यू (एन. पी. वी.) से कम हो तो, अंतर राशि की भरपाई उस वर्ष के लाभ और हानि खाते से की जाती है।

सी) अगर विक्रय नकद आधार पर नेट बुक वैल्यू से अधिक पर

किया गया हो तो अधिशेष को विक्रय के वर्ष के लाभ और हानि खाते में की जाती है।

2.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्रों पर कमीशन, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार पर समानुपातिक रूप से मान्य होते हैं। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर मान्यता दी जाती है।

2.5 अन्य

ए) आयकर रिफंड पर ब्याज की गणना आयकर विभाग से धनवापसी आदेश (शों) / सूचन की प्राप्ति और बैंक द्वारा स्वीकृति पर की जाती है।

बी) अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

वी) अनुषंगियां

ए) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड के मामले में, अनुषंगियों, ऋण और अग्रिम पर आय की पहचान राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर की जाती है।

बी) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड के मामले में, अनुषंगियों, शुल्क से आय और अन्य शुल्क जैसे लॉगिन शुल्क, अतिदेय पर दंडात्मक ब्याज, पूर्व भुगतान शुल्क, आयकर रिफंड ब्याज और अन्य आय आदि को रसीद के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सी) सेंट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी के मामले में, एक्जीक्यूटिव ट्रस्टीशिप व्यवसाय के संबंध आय ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन की घटना पर अर्जित की जाती है। डिबेंचर और सिक्योरिटी ट्रस्टीशिप सेवाओं से राजस्व को अवधि के आधार पर मान्यता दी जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब लगाया जाता है, सिवाय सूट दायर और / या बीआईएफ कंपनियों के डिबेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से आय को छोड़कर, जो रसीद के आधार पर होता है।

3. अग्रिम:

ए. मूल बैंक

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों / निदेश - पत्रों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को क्रियाशील और गैर - क्रियाशील वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न हैं:

ए) सावधि ऋण को गैर - क्रियाशील आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है, अगर मूलधन का ब्याज और / अथवा क्रिस्ट 90 से अधिक की समयावधि तक अतिदेय रहे।

बी) एक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को एक गैर - निष्पादित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर खाता



अनियमित रहता है , अर्थात यदि बकाया राशि 90 दिनों की अवधि के लिए लगातार स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से अधिक है , या अगर इसमें लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं है ,

या यदि जमा की गई राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर लिए पर्याप्त नहीं है.

सी) खरीदे गए / छूट वाले बिलों को गैर - निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है.

डी) कृषि अग्रिमों को गैर - निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि , (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए , जहां मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो ; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए ,जहां मूलधन या ब्याज एक फसल के मौसम के लिए अतिदेय रहता है.

3.2 गैर - निष्पादित आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक , संदिग्ध और हानिपूर्ण आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है :

ए) सब - स्टैंडर्ड / उप - मानक : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए गैर - निष्पादित रही है .

बी) संदेहास्पद: एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए सब - स्टैंडर्ड श्रेणी में बनी हुई है .

सी) हानि : एक ऋण परिसंपत्ति जहां नुकसान की पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गई है .

3.3 एनपीए के लिए प्रावधान नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं , जो निम्न निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं:

सब स्टैंडर्ड / उप-मानक:

- कुल बकाये पर 15% का सामान्य प्रावधान
- प्रारम्भिक तौर से असुरक्षित ऋणों के एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान है. (अर्थात प्रतिभूति का योग्य मूल्य स्वीकृत ऋण के 10% से अधिक न हो)
- अवसंरचना अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित ऋण जहां निश्चित सुरक्षोपाय जैसे- 20% कि एस्करो खाते उपलब्ध हैं.

संदेहास्पद आस्तियां :

- सुरक्षित अंश :

एक वर्ष तक 25%

एक से तीन वर्षों तक 40%

तीन वर्षों से अधिक 100%

- असुरक्षित अंश 100%

हानि संपत्ति 100%

3.4 अग्रिमों को कुल प्रावधानों (एनपीए के मामले में), अप्राप्त ब्याज, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि और सीजीटीएसआई/ईसीजीसी आदि से प्राप्त दावों को दर्शाया गया है.

3.5 पुनर्चित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित है कि पुनर्चना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच के अंतर को संबंधित ऋणों/अग्रिमों के प्रावधानसहित को लेते हुए किया जाए. उपरोक्त से उत्पन्न होने वाले उचित मूल्य और ब्याज बलिदान में कमी के लिए प्रावधान, अग्रिमों से घटाया गया है.

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक संपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए जाते हैं. ये प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में " अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य " शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं और शुद्ध एनपीए की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है.

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को एनपीए खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो.

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खातों में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है.

3.9 पहचान कि गई कमजोर और/या मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट संपत्तियों में नियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.

3.10 गैर - निष्पादित खातों में आंशिक वसूली (आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित) को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- मूल बकाया / अनियमितताएं
- गैर-पोषित ब्याज

iii. आंशिक बट्टे खाते में डाला गया मूल

iv. वह ब्याज जो न लगा हो

v. गैर-पोषित शुल्क

मुकदमा दायर/सरफेसी/ रि कॉल किए गए खातों के मामले में,

वसूली निम्नलिखित क्रम में की जाती है:

i. बही-खाते में बकाया राशि

ii. गैर-पोषित ब्याज

iii. आंशिक बट्टे खाते में डाला गया मूल

iv. वह ब्याज जो न लगा हो

v. गैर-पोषित शुल्क

हालांकि, जहां किसी भी उधारकर्ता खाते को पहले की तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज में जमा किया जाता है इअर्थात. दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), योजनावद्ध ऋण पुनर्गठन , दीर्घ कालिक परियोजना के ऋण की

लचिली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में बदलाव (बाहरी योजनावद्ध ऋण पुनर्संरचना योजना में जमा किया जाता है),

II सहायक कंपनियों

ए) सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सहायक कंपनी के मामले में, ऋण और अग्रिमों पर प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बी) सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सहायक कंपनी के मामले में, गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मामले को छोड़कर ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां ब्याज की गणना वसूली पर की जाती है। ऋणों में, चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त होती है जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल होता है। ब्याज की गणना महीने की शुरुआत में बकाया राशि पर की जाती है। संपूर्ण ऋण वितरित होते ही ईएमआई शुरू हो जाती है। ईएमआई के शुरू होने तक, ईएमआई से पहले का मासिक ब्याज लिया जाता है। एनपीए के मामले में वसूली पहले अतिदेय ईएमआई के ब्याज हिस्से के लिए और उसके बाद अतिदेय ईएमआई के मूल हिस्से के लिए विनियोजित की जाती है।

4 देश विशेष के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान:

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार विशिष्ट प्रावधानों को मिलाकर, प्रावधानों को किसी खास देश (स्वदेश के अलावा) के लिए भी बनाया जाता है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् तुच्छ, निम्न, मध्यम, उच्च, अति-उच्च, प्रतिबंधित और साखरहित और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों का निर्धारण, यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (कुल), कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। प्रावधान "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में परिलक्षित होता है।

5. निवेश:

ए) मूल बैंक

निवेश का हिसाब निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लगाया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

5.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवेशों को "परिपक्वता तक धारित (एचएफटी)", "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" और "बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के लिए, निवेशों को तुलनपत्र में अनुसूची 8 के निम्न शीर्षकों रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के तहत, भारत में निवेश को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) डिबेंचर और बांड

ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं; और

एफ) अन्य (वाणिज्यिक कागजात और म्युचुअल फंड की इकाइयां आदि)

भारत के बाहर निवेश को आगे 3 श्रेणियों के तहत

वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) सहायक और संयुक्त उद्यम

सी) अन्य निवेश

5.2 वर्गीकरण का आधार:

किसी निवेश का वर्गीकरण खरीद के समय निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

ए) परिपक्वता तक धारित: जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) ट्रेडिंग के लिए धारित: खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मुख्य रूप से पुनर्विक्रय के लिए रखे गए निवेश को "ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध: निवेश, जो उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें "बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डी) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का हस्तांतरण: एक निवेश को खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

ई) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और प्रायोजित संस्थानों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है सिवाय उन निवेशों के जो बाद में निपटान की दृष्टि से विशेष रूप से अधिग्रहित और धारित किए गए हैं। ऐसे निवेशों को एफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 मूल्यनिर्धारण :

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और कीमत का निर्धारण भारयुक्त औसतन कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है।

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त प्रोत्साहन, फ्रंट-एंड फीस आदि को निवेश की लागत से घटाया जाता है।

बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन या कर जैसे व्यय को प्रभारित किए जाएंगे।



सी) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए भुगतान/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

ए) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: इसके अंतर्गत वर्गीकृत निवेश श्रेणी को अधिग्रहण लागत पर ले जाया जाता है। परिपक्वता की शेष अवधि में अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य की अधिकता को परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम के ऐसे परिशोधन को व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (भारत और विदेश में) ऐतिहासिक लागत पर मूल्यवान हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक निवेश के लिए, अस्थायी प्रकृति के अलावा, कमी के लिए एक प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्य वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर लगाया जाता है।

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का अलग-अलग बाजार मूल्य या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य और प्रत्येक समूह के शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए (अर्थात् (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) के लिए और शुद्ध प्रशांसा प्रदान की जाती है नजरअंदाज किया जाता है।

सी) निवेशों के अंतर श्रेणी अंतरण की स्थिति में मूल्यांकन नीति:

i) एचएफटी/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण हस्तांतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के निचले स्तर पर किया जाता है। इस तरह के हस्ता-तरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

ii) एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। हस्तांतरण पर, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में प्रदान किया जाता है।

डी) प्रतिभूति रसीद जारी करने के एवज में प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय संपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन:

i) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश, वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित बही मूल्य घटाकर प्रावधान) के निम्न पर मान्यता प्राप्त है; और (ग) एसआर का मोचन मूल्य।

ii) एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर संबंधित योजना में उपकरणों को सौंपी गई वित्तीय संपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त शुद्ध संपत्ति मूल्य को ऐसे मूल्यांकन के लिए गिना जाता है। निवेश।

ड) खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

5.4 निवेश (एनपीआई):

निवेशों को " वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2021 " (संशोधित) और " आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड " के आधार पर प्रदर्शनकारी और गैर-निष्पादक के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.:

ए) अगर ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है तो यह वरीयता शेरों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

बी) इक्विटी शेरों के मामले में, किसी कंपनी के शेरों में निवेश की स्थिति में नवीनतम बैलेस शीट की अनुपलब्धता होने रू.1 प्रति कंपनी का मूल्य होगा। उन इक्विटी शेरों को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

सी) बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि उसी उधारकर्ता/संस्था द्वारा प्राप्त किसी क्रेडिट सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति और इसके विपरीत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डी) डिबेंचर/बांड में निवेश, जिन्हें अग्रिम माना जाता है, भी निवेश पर लागू एनपीआई मानदंडों के अधीन हैं।

5.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक आरबीआई के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत और बाजार सहभागियों के साथ भी पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के लिए एक समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेने का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को खरीदकर उधार देने वाले फंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ए) रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट ट्राई-पार्टी रेपो (टीआरईपीएस) डीलिंग और सेटलमेंट के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

बी) हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही रेपो/रिवर्स रेपो खातों और विपरीत प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित होती है।

सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं. रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों के साथ शेष राशि और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा) के तहत वर्गीकृत किया गया है.

डी) आरबीआई के साथ एलएएफ के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

II अनुषंगियां

अनुषंगियों के मामले में, निवेशो को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेश निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किए जाते हैं और गैर-चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं. यदि मूल्य में हास स्थायी प्रकृति का है तो हास के लिए लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है.

6. डेरिवेटिव्स :

बैंक डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करता है, जैसे कि ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप बैलेंस शीट / ऑफ-बैलेंस शीट परिसंपत्तियों और देनदारियों या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हेजिंग करने के लिए.

6.1 हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित संपत्ति/देयताएं बाजार के हिसाब से चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है.

बी) हेज के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव अनुबंधों को प्रोद्धवन के आधार पर दर्ज किया जाता है. हेज कॉन्ट्रैक्ट्स को मार्केट के हिसाब से मार्क नहीं किया जाता है, जब तक कि अंडरलाइंग एसेट्स/लायबिलिटीज को भी मार्केट टू मार्क नहीं किया जाता है.

सी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को स्वैप के शेष संविदात्मक जीवन या संपत्ति/देयताओं के शेष जीवन से कम पर मान्यता दी जाती है.

6.2 ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव की गणना निम्नानुसार की जाती है:

ए) एमसीएक्स-एसएक्स और एनएसई के एक्सचेंज दिशानिर्देशों के अनुसार करेंसी फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स को दैनिक आधार पर बाजार में चिन्हित किया जाता है.

बी) मार्क टू मार्केट लाभ या हानि दैनिक आधार पर मार्जिन खाते में क्रेडिट/डेबिट द्वारा हिसाब में लिया जाता है और इसे अंतिम निपटान पर बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है.

सी) ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतराल पर बाजार में चिन्हित किया जाता है. बाजार के किसी भी नुकसान को बुक किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को शुद्ध आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

डी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के तहत आय/व्यय के रूप में तुरंत दर्ज किया जाता है.

7. विदेशी मुद्रा से जुड़े- लेनदेन:

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर विदेशी मुद्रा राशि पर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है.

7.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (" एफईडीआईआई ") क्लोजिंग (स्पॉट/फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक आइटम, जो ऐतिहासिक लागत पर ले जाए जाते हैं, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किए जाते हैं.

विदेशी मुद्रा में नामित आकस्मिक देनदारियों को एफईडीआईआई क्लोजिंग स्पॉट दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है.

7.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्थान और अग्रिम अनुबंधों को निर्दिष्ट परिपक्वता के लिए एफईडीआईआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

7.4 विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और तुलनपत्र तिथि पर अदत्त हैं, क्लोजिंग स्पॉट रेट पर मूल्यांकित किए गए हैं. इस तरह के वायदा विनियम संविदाओं की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है.

7.5 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर वे मूल रूप से दर्ज किए गये थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

7.6 मुद्रा फ्यूचर्स ट्रेडों में जोखिम की स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में दर्शाए जाते हैं.

8. अचल आस्तियां और मूल्यहास:

I. मूल बैंक

8.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर लागत पर ले जाया जाता है.

लागत में खरीद की लागत के साथ सभी व्यय जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत, कर और उपयोग करने से पहले संपत्ति पर किए गए व्यावसायिक शुल्क शामिल है.

8.2 उपयोग में लाई गई संपत्तियों पर बाद में किए गए व्यय (खर्चों) को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी संपत्तियों या उनकी कार्य और क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है.

8.3 अचल संपत्तियों का " लिखित मूल्य विधि " के तहत निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास किया जाता है (उन कंप्यूटरों के अलावा जो " सीधी रेखा पद्धति " पर मूल्यहास कर रहे हैं):

ए. अनुमानित काल के आधार पर अलग-अलग दरों पर परिसर

ए) फर्नीचर, लिफ्ट, सेफ वॉल्ट 10%

बी) वाहन सन्यंत्र और मशीनरी 20%

सी) एयर कंडीशनर, कूलर, टाइपराइटर आदि 15%

डी) सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर 33.33%

(एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण वर्ष के दौरान राजस्व से चार्ज किया जाता है)

8.4 अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है।

8.5 99 वर्षों से अधिक के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि माना जाता है और 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को लीजहोल्ड भूमि के रूप में माना जाता है। लीजहोल्ड भूमि की लागत लीज की अवधि में परिशोधित की जाती है

8.6 जहां भूमि और परिसर की कीमत को अलग करना संभव न हो, समग्र कीमत पर मूल्यहास लगाया जाता है।

8.7 संपत्ति के मामले में, जो पुनर्मूल्यांकित की गयी है, मूल्यहास/परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास/परिशोधन की राशि को 'पुनर्मूल्यन आरक्षित' से स्थानांतरित कर 'राजस्व और अन्य भंडार' में जमा किया जाता है।

8.8 30 सितंबर तक की गई सम्पत्ति में वृद्धि के लिए मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए एवं उसके बाद की गई वृद्धि के लिए मूल्यहास छ्माही प्रदान किया जाता है।

30 सितंबर से पहले बेची गई संपत्ति पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है और 30 सितंबर के बाद बेची गई संपत्तियों पर आधे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

8.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्तियों पर विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उसके बाद पुन-मूल्यांकित संपत्तियों का मूल्यांकन हर तीन वर्षों में किया जाता है।

8.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

8.11 पुनर्मूल्यांकन के समय आकलित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का मूल्यहास किया जाता है।

II. अनुबंधियां

ए. अचल संपत्तियों को अधिग्रहण कि लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। लागत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के सभी खर्च शामिल हैं।

बी. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ में निर्दिष्ट दरों पर अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, प्रबंधन द्वारा सहायक कंपनी सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़कर संपत्ति के आर्थिक जीवन को 5 वर्ष ध्यान में रखते हुए मूर्त संपत्तियों को तदनुसार परिशोधित किया गया है।

9 पट्टे:

पट्टों को जहां स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार द्वारा बनाए रखा जाता है, एएस 19 के अनुसार ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (इस तरह के पट्टे पर पट्टे के भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर एएस 19 के अनुसार पट्टे की शर्तों पर मान्यता दी जाती है।

10 संपत्तियों की हानि:

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो, तो अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूली को परिसंपत्ति द्वारा सृजित किए जाने वाले संभावित भावी निवल रियायती नकदी प्रवाहों कि वहन राशि की तुलना द्वारा मापा जाता है।

यदि ऐसी संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा संपत्ति कि वहन राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है।

11. कर्मचारी लाभ:

11.1 कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया जाता है वर्ष में कर्मचारी लाभ अर्जित किए जाते हैं।

11.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

11.3 परिभाषित लाभ योजनाएं :

बैंक ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है

ए. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवनवृत्ति पर या रोजगार के दौरान मृत्यु पर या रोजगार समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में है। सेवा के प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन पांच साल की सेवा पूरी होने पर उपलब्ध हैं।

बैंक एक स्वतंत्र बाह्य बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासी द्वारा प्रशासित निधि में आवधिक अंशदान करता है।

बी. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या रोजगार की समाप्ति पर नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में है। निहित नियमानुसार विभिन्न चरणों में होता है। पेंशन देयता की गणना वार्षिक रूप से किए गए एक स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक पेंशन विनियमों के तहत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक निधि में समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अंशदान की आवश्यकताएं हो सकती हैं।

सी. परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमाकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमाकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत पहचाना मान्यता दी जाती है और आस्थगित नहीं किया जाता है।

डी. जब योजना के लाभों में परिवर्तन किया जाता है, या जब किसी योजना में कटौती की जाती है या निपटान होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या समझौते पर लाभ या हानि, लाभ या हानि को लाभ/हानि खाते में दर्शाया जाता है

परिभाषित लाभ योजना के तहत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयता जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान बीमाकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के तहत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयता जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान बीमाकिक लाभ/हानि तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

ई. बीमाकिक लाभ/हानि को उस वर्ष में पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं।

11.4 परिभाषित योगदान योजना :

भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व इस निर्धारित योगदान तक ही सीमित है। यह योगदान लाभ हाई खाते से प्रभारित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एक निर्धारित योगदान योजना है जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिनकी बैंक में नियुक्ति दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद हुई है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित भुगतान तक सीमित है। यह योगदान लाभ हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

12. आय पर करों के लिए लेखांकन

आयकर व्यय बैंक द्वारा पदत चालू कर या अस्थगित कर व्यय की सकल राशि है, वर्ष के लिए कर के प्रावधान में क्रमशः आयकर

अधिनियम, 1961 और लेखांकन मानक 22- " आय पर करों के लिए लेखांकन " के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है।

अस्थगित कर को एक अवधि में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के अनुसार माना जाएगा जो एक या अधिक बाद की अवधि में प्रत्यावर्तित होने में सक्षम होती है।

अस्थगित कर संपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाने पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इस तरह के आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के साथ जोड़ा जा सकता है।

अस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इसकी प्राप्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा की जाती है। विवादित कर देनदारियों को मूल्यांकन अपीलीय कार्यवाही की अंतिमता के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है और ऐसे समय तक उन्हें आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

13. विविध अनावंटित आय और आगम

सहायक कम्पनी गार्डहोल्डिंग्स एनमे १०० के मामले में, लाभार्थियों की ओर से प्राप्त राशि जिनके लाभार्थियों के बारे में विवरण का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी राशियों को नाममात्र के खाते में " विविध पक्ष दावा न किए गए लाभांश/व्याज " और " प्रतिभूतियों के विमोचन पर अनावंटित/दावा न किए गए आय " में दर्ज किया गया है।

जैसे ही भुगतानकर्ता से लाभार्थियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है, राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिकता और आकस्मिक संपत्ति

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, " प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति " के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व होता है, और इसका परिणाम एक संभावित परिणाम होता है। दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

14.2 कोई प्रावधान मान्य नहीं है :

ए. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी, जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं होगी; या

बी. कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि:

- यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी; या

ii. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है. इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव है- के लिए प्रदान किया जाता है.

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया जाता है.

14.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

15. विशेष भंडार

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(ग)(नग) के तहत बनाए गए राजस्व और रिजर्व विशेष सहित अन्य रिजर्व सम्मिलित है. बैंक के निदेशक मंडल ने रिजर्व के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पुष्टि की है कि इसका विशेष रिजर्व से निकासी का कोई इरादा नहीं है..

16. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17- "खंड रिपोर्टिंग" के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है.

17. प्रति शेयर आय

ए. बैंक भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस 20- "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर बुनियादी और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है.

बी. प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय उस संभावित कमजोर पड़ने को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग या परिवर्तित किया जा सकता है. प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए.नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए.सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए.अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए.अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

अनुसूची 18 : समेकित वित्तीय लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी में शामिल अनुषंगियां एवं एसोशिएट्स

1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से "दि ग्रुप" से संदर्भित किया गया है) एवं 3 एसोसिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि के शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2023 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2022 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2. अनुषंगियां तथा एसोसिएट्स में जिन वित्तीय विवरणियों का समेकन के लिए उपयोग किया गया है, उनको उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयारी की गई है अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2023 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. को छोड़कर, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. और लाभ की हिस्सेदारी दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर ली गई है. इंडो जाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाई गई लेखा नीतियों के अनुसार तैयार की गई है. प्रबंधन के अभिमत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है.

1.3. एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ/हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/घटाया गया है.

1.4. अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आस्तियों और देनदारियों का बेमेल होता है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

1.5. सहायक कंपनियों में से किसी एक कम्पनी के वित्तीय निवेश की लेखापरीक्षा मूल बैंक के लेखापरीक्षक के अलावा किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और अन्य सहायक वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित होते हैं उन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है. दो सहयोगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मूल बैंक के लेखापरीक्षक के अलावा एक लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है और एक जेबी बिना गैर-लेखापरीक्षित और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित होता है.

2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोसिएट द्वारा समान लेन देन के लिए अलग अलग लेखा नीतियां अपनाई गयी हैं, समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में यह महत्वपूर्ण नहीं है.

3. मूल बैंक

3.1. पूंजी :

3.1.1 दिनांक 31.03.2023 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹8680.94 करोड़ है, भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी पूंजी नई नहीं लगाई है. बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की शेयरधारिता 93.08% है.

3.1.2. संचित हानि का व्यतिरेक

6 सितंबर, 2021 को बैंक ने शेयरधारकों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के विरुद्ध 31 मार्च, 2021 को ₹ 18724.2174 करोड़ की संचित हानि को समायोजित किया है.

3.2. बहियों का मिलान / समाधान

3.2.1 मूल बैंक अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया शेष/ प्रविष्टियों का मिलान करने की प्रक्रिया के अधीन है.

दिनांक 31 मार्च 2022 को आईबीआर खाते का निवल शेष ₹1.95 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट), और दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹19.01 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) था.

3.2.2. निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है:

- » अंतर शाखा कार्यालय शेष
- » उच्चत खाते
- » समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते

- » नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- » एटीएम से संबंधित शेष
- » सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते एवं अन्य शेष
- » कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अद्यतन
- » अचल आस्ति

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3. आय कर :

- 3.3.1. वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद किया गया है.
- 3.3.2. बैंक के विरोध में दावों को आकस्मिक देयताओं ड अनुसूची 12 के तहत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें मूल बैंक की विवादित आयकर देनदारी के लिए ₹5726.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6050.22 करोड़) शामिल हैं. विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में हुए अनुकूल निर्णयों के आधार पर कराधान की विवादित राशि का प्रावधान बैंक द्वारा आवश्यक नहीं माना जाता है. उक्त विवादित बकाया के भुगतान/समायोजन अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं. 31 मार्च 2023 तक विवादित सेवा कर मामला ₹7.64 करोड़ है.
- 3.3.3. भारत सरकार ने दिनांक 20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 (" अधिनियम ") में धारा 115बीएए सम्मिलित किया है जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (अर्थात् 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है.

3.4. अग्रिम/प्रावधान :

नर्सिंग /पुनर्वास/ पुनगठन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यांकनों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

3.5. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धारा 46 की (उप धारा-1) के साथ पठित धारा 47 (ए) की उपधारा-(1) के खंड (सी) के संदर्भ में ₹0.36 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का जुर्माना लगाया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 51 की धारा (1) ग्राहकों के खातों में अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफल के विवादास्पद के साथ (शैडो रिहर्सल) गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

लेखा मानकों का अनुपालन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया गया है.

4.1 लेखा मानक - 5 " अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें, और लेखा नीतियों में परिवर्तन "

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लेखा को छोड़कर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, पीएलआई को नकद आधार पर और वित्तीय वर्ष 2022-23 से पीएलआई को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता था. लेखा नीति में इस बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 104.24 करोड़ रुपये की कमी आई है.

4.2. लेखांकन मानक 9 - राजस्व पहचान

मूल लेखा नीति संख्या 9 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.3. लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

4.3.1. सुपरिभाषित लाभ योजना :

i. परिभाषित लाभ योजना, कर्मचारी की पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नलिखित तालिकाएं मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित पेंशन योजनाओं और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निर्धारित करती हैं.

मद	(राशि ₹ करोड़ में)			
	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2022 परिभाषित लाभ दायित्व का प्रारंभ	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
वर्तमान सेवा लागत	85.97	82.63	107.84	100.62
ब्याज लागत	1177.21	1012.96	109.69	103.25
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	821.95	0.00	0.00
वास्तविक हानियाँ (लाभ)	909.56	301.95	(15.07)	100.23
प्रदत्त लाभ	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व का अंतिम शेष	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2022 के उचित मूल्य का प्रारम्भिक शेष	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1133.25	1074.53	110.79	98.93
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1327.65	976.98	231.29	252.11
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(103.69)	98.07	(54.23)	45.41
मार्च 31, 2023 के उचित मूल्य का अंतिम शेष	16483.92	15807.88	1637.42	1630.51
तुलन पत्र में मान्य राशि				
31 मार्च, 2023 को निधिबद्ध दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20
31 मार्च, 2023 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(16,483.92)	(15,807.88)	1,637.42	(1,630.51)
गैर परिलक्षित सेवा लागत	0.00	(277.43)	0.00	0.00
कमी/ (अतिरिक्त)	245.08	152.12	14.30	99.69
शुद्ध देयताएँ / (आस्ति)	245.08	152.12	14.30	99.69
लाभ एवं हानि खाते में अभिचिन्हित शुद्ध लागत				
चालू सेवा लागत	85.97	82.63	107.83	100.62
पिछली सेवा लागत- मान्यता प्राप्त	657.56	544.52	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,177.21	1,012.96	109.69	103.25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1,133.26)	(1,074.53)	(110.79)	(98.93)
वर्ष के दौरान अभिचिन्हित शुद्ध उपचित हानियाँ/(लाभ)	1,013.25	203.88	39.17	54.82

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
अनुसूची 16 में शामिल " कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान " में परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत	1,800.74	769.47	145.90	159.76
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल तथा वास्तविक प्रतिफल का मिलान				
योजना आस्तियों पर उपचित प्रतिफल	1,133.26	1,074.53	110.79	98.93
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(103.69)	98.07	(54.24)	45.41
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,029.57	1,172.60	56.55	144.34
तुलन पत्र में अभिचिन्हित शुद्ध देयता / (आस्ति) का प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष का मिलान				
1 अप्रैल, 2022 को शुद्ध देयता/ (आस्ति) का प्रारम्भिक शेष	(228.01)	359.63	99.69	192.05
लाभ एवं हानि खाते में अभिचिन्हित खर्च	1800.74	769.47	145.90	159.76
कर्मचारियों का अंशदान	(1327.65)	(976.98)	231.29	252.11
तुलन पत्र में अभिचिन्हित शुद्ध देयता/(आस्तियाँ)	245.08	152.12	14.30	99.69

दिनांक 31 मार्च, 2023 को पेंशन निधियों तथा उपदान निधि की योजना आस्तियों के तहत निवेश निम्नानुसार है -

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन फंड	उपदान फंड
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.31	1.01
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.95	37.56
ऋण प्रतिभूतियाँ, मनी मार्केट प्रतिभूतियाँ तथा बैंक जमा राशियाँ	19.70	30.26
म्युच्युअल निधियाँ	3.55	6.83
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	57.47	24.27
अन्य	0.02	0.07
कुल	100.00	100.00

मूल बीमांकिक अनुमान	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
बट्टाकृत दर	7.40	7.25
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित	7.40	7.25
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
पेंशन बढ़ोत्तरी दर	4.00	4.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

मूल बीमांकिक अनुमान

	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
बढ़ाकृत दर	7.40	6.90
योजना आस्तियों पर प्रतिफल का अपेक्षित दर	7.40	6.90
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

योजना में अधिशेष / कमी

(राशि ₹ करोड़ में)

उपदान योजना	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि					
वर्ष के अंत में देयताएँ	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42
अंतर	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30
तुलन पत्र में गैर परिलक्षित राशि (गत सेवा लागत के संदर्भ में)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30

अनुभव समायोजन

तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)

योजना में अधिशेष / कमी (राशि ₹ करोड़ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

पेंशन योजना	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
तुलन पत्र में मान्य राशि					
वर्ष के समाप्ति पर देयताएँ	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00
वर्ष समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92
अंतर	(400.04)	482.18	359.63	429.55	245.08
तुलन पत्र में अमान्य राशि (गत सेवा लागत के संबंध में)	0.00	0.00	0.00	277.43	0.00
तुलन पत्र में मान्य राशि	(400.04)	482.18	359.63	152.12	245.08
तुलन पत्र में मान्य राशि (गत सेवा लागत के संबंध में)	0.00	0.00	0.00	544.52	277.43

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुभव समायोजन

तुलन पत्र में मान्य राशि	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
योजना देयताएँ(लाभ)/हानि पर	422.24	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87
योजना आस्ति(हानि)/लाभ पर	(72.66)	346.19	276.30	98.07	1,013.25

अगले वर्ष के लिए पेंशन और उपदान निधि में अपेक्षित अंशदान क्रमशः ₹245.08 करोड़ तथा ₹14.30 करोड़ है।

ii. परिभाषित योगदान योजना :

बैंक के पास से सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ सुपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जिन्होंने बैंक में दिनांक 1.4.2020 को या उसके बाद कार्य ग्रहण किया है. यह योजना एनपीए द्वारा पेंशन रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट ऑथोरिटी के तत्वाधान के अंतर्गत आती है. नेशनल सिव्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमि. (एनएसडीएल) के एनपीएस हेतु सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नियुक्त किया है. वर्ष में 2021-22 के दौरान, बैंक ने ₹244.48 करोड़ का अंशदान दिया है. (पिछले वर्ष ₹146.97 करोड़ था)

iii. कर्मचारियों की भविष्य निधि

बैंक ने पीएफ विकल्प योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए नियुक्ता अंशदान पर वर्ष के दौरान ₹0.96 करोड़ और इसी वर्ष ₹1.12 करोड़ के व्यय की पहचान की है

iv. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवित्तीय दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक ने अवकाश नकदीकरण खर्चों का उपचित आधार पर मूल्यांकन किया है और ₹78.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹43.24 करोड़) के व्यय अभिचिन्हित किए हैं.

आस्तियां एवं देयताएं

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	1070,33,08,807	991,63,07,002
शुद्ध देयता (आस्तियां)	-	-
निवल देयता (आस्ति)	1070,33,08,807	991,63,07,002

वित्तीय अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
रियायती दर	7.45%	6.90%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
25 एवं अधिक	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012-14) तालिका

आईएएलएम (भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर) की नमूना दर

आयु (वर्षों में)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

बी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

1. एएस 15(संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - सेवानिवृत्ति लाभ

आस्तियां और देयताएं

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व	2,74,04,770	3,05,03,237
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
निवल देयता (संपत्ति)	2,74,04,770	3,05,03,237

वित्तीय अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
बढ़ाकृत दर(प्रति वर्ष)	7.40 %	6.90 %
मुद्रास्फीति दर(प्रति वर्ष)	0.00 %	0.00 %
अपेक्षित वापसी दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
25 और उससे कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 और उससे ज़्यादा	2.50%	2.50%

मृत्यु दर : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012 -14)तालिका

नमूना दरें (भारतीय बीमित जीवन मृत्यु) आईएएलएम

आयु (वर्ष)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. एएस 15(संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट- दीर्घ सेवा लाभ

आस्तियां और देयताएं

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व	1,21,30,154	1,18,22,548
योजित संपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
निवल देयता (संपत्ति)	1,21,30,154	1,18,22,548

वित्तीय अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
बढ़ाकृत दर(प्रति वर्ष)	7.40 %	6.90 %
मुद्रास्फीति दर(प्रति वर्ष)	0.00 %	0.00 %
अपेक्षित वापसी दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दर

Age Band	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
25 और उससे कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 और उससे ज़्यादा	2.50%	2.50%

मृत्यु दर : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012 -14)तालिका

नमूना दरें (भारतीय बीमित जीवन मृत्यु) आईएएलएम

आयु (वर्ष)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(22-23)	वि.व(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

4.4 लेखा मानक 17 - समूह की खंड रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देशों के अनुसार बैंक ने कोष परिचालन निगम / थोकबैंकिंग खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी. कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है.

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित है -

- » कोषागार
- » निगम / थोकबैंकिंग
- » खुदरा बैंकिंग
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम की प्रकृति पर आधारित बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली और प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है-

- » ट्रेजरी - ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार शामिल है. ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल हैं.
- » कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग - कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट/पार्टनरशिप फर्म कंपनियां और वैधानिक निकाय जो रिटेल बैंकिंग और स्ट्रुक्चर्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा के तहत शामिल नहीं हैं, की उधार गतिविधियों में इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है.
- » खुदरा बैंकिंग - खुदरा बैंकिंग खंड में सभी खुदरा शाखाएँ शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ जैसे इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना शामिल है. रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ सीमा तक के सभी एक्सपो. जर शामिल हैं (फंड आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर सहित) जो ओरिएंटेशन उत्पाद ग्रैनुलैरिटी मानदंड और व्यक्तिगत एक्सपो. जर के अधीन हैं. इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं.
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय- उपरोक्त (i) से (iii) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड में वर्गीकृत किया गया है.

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
विवरण										
राजस्व	10974.59	11626.75	6564.56	5263.81	11815.46	8288.21	2.22	1.35	29356.83	25180.12
परिणाम	2585.67	2528.46	1226.84	(2288.70)	(1172.81)	1075.23	1.24	0.28	2640.94	1315.27
अनाबंटित व्यय									41.09	429.54
परिचालन लाभ									2682.03	1744.81
आयकर									1072.70	680.31
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	69.45	11.29
निवल लाभ									1678.78	1075.79
अन्य सूचना :										
खंडवार आस्तियां	184294.75	197643.37	77326.32	66602.32	131141.05	107873.07	8.88	8.88	392771.00	372127.64
अनाबंटित आस्तियां									14308.71	15164.54
कुल आस्तियां									407079.71	387292.18
खंडवार दायित्व	179578.72	191840.34	73563.83	64083.77	124708.58	103811.85	11.85	6.81	377862.98	359742.77
अनाबंटित दायित्व									0.00	0.00
कुल दायित्व									377862.98	359742.77

* खंड राजस्व और व्यय को खंड संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है , जहां प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है.

चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

समूह के पास केवल एक भौगोलिक खंड है जो कि घरेलू खंड है

4.5. लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबन्धित पार्टि प्रकटीकरण - संबन्धित पार्टि (मूल बैंक की)

4.5.1. संबन्धित पार्टियों की सूची

4.5.1.1. दिनांक 31.03.2023 को प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
मूल बैंक		
i.	श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii.	श्री आलोक श्रीवास्तव (30.11.2022 तक)	कार्यपालक निदेशक
iii.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iv.	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक
v.	श्री एम वी मुरली कृष्ण (01.12.2022 से)	कार्यपालक निदेशक

क्र. सं.	नाम	पदनाम
अनुषंगियां		
सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज़ लि.		
i.	श्री एस. वेंकटरमन (16.06.2022 तक)	प्रबंध निदेशक
ii.	श्री सुनील कुमार नायक (19.07.2022 से)	प्रबंध निदेशक
iii.	श्रीमती आरती शर्मा	कंपनी सचिव
सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड		
i.	श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक
ii.	श्री सचिन सुधाकर	महाप्रबंधक
iii.	श्री आशीष श्रीवास्तव	कंपनी सचिव
iv.	श्री एस सी मेहता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
v.	श्री एस सी मेहता	मुख्य वित्तीय अधिकारी

4.5.1.2. संबन्धित पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

नाम	पदनाम	(राशि ₹ करोड़ में)	
		प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
मूल बैंक		31.03.2023	31.03.2022
श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.41	0.32
श्री आलोक श्रीवास्तव (30.11.2022 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.25	0.29
श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	0.34	0.27
श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	0.37	0.28
श्री एम वी मुरली कृष्ण (01.12.2022 से)	कार्यपालक निदेशक	0.10	0.00
सहायक			
सीएफएसएल		0.05	0.23
श्री एस. वेंकटरमण (16.06.2022 को एमडी के पद से पदत्याग)	प्रबंध निदेशक	0.05	0.23
श्री सुनील कुमार नायक (19.07.2022 को एमडी के पद पर नियुक्ति)	प्रबंध निदेशक	0.18	0.001
श्री एच वी कामदार (30.04.2021 को सेवानिवृत्त)	कंपनी सचिव	-	0.02
श्रीमती आरती शर्मा (1.05.2021 से केएमपी पद पर)	कंपनी सचिव	0.08	0.07
सीबीएचएफएल			
श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक	0.30	0.25
श्री सचिन सुधाकर	महाप्रबंधक	0.30	0.20
श्री सुयोग्य चन्द्र मेहता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	0.15	0.07
श्री आशीष श्रीवास्तव	कंपनी सचिव	0.12	0.05

नोट: एएस-18 के अनुच्छेद 9 के अनुरूप- " आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण, सहायक कंपनियों और सहयोगी उद्यमों के साथ लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित लेनदेन से संबंधित कोई भी खुलासा करने की छूट देता है.

इसके अलावा, केएमपी और के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति में लेनदेन एएस -18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में केएमपी का खुलासा नहीं किया गया है.

4.6. लेखा मानक - 19 "पट्टे"

- बैंक के परिसर का पुनर्मूल्यांकन 31.03.2021 को बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए किया गया था, जो बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और मूल्य में 881.96 करोड़ की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.
- संपत्ति के मामले में, जिसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास लाभ और हानि खाते में प्रभारित पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और मार्च 2023 (पिछले वर्ष 2021-22 54 12) के लिए पुनर्मूल्यांकित राशि 65.36 करोड़ के कारण वृद्धिशील मूल्यहास की

राशि है "पुनर्मूल्यांकन भंडार" से स्थानांतरित कर "राजस्व और अन्य भंडार" में जमा किया गया।

- iii. बैंक द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि 31.03.2021 को बाजार मूल्य सहित 8.99 करोड़ (पिछले वर्ष 8.02 करोड़) शामिल है, जिसका लिखित मूल्य शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है, जिसकी पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है और बैंक के पास अभी भी अपने कार्यालय हैं / इन भूमियों पर भवन और खाली भूमि जो बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त 31.03.2021 को बाजार मूल्य में 13.72 करोड़ शून्य के रूप में लिखित मूल्य के साथ जहां पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, पट्टे के नवीनीकरण के लिए अधिकारियों के साथ बात चल रही है।
- iv. एएस -19 के अनुसार, परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारियों के आवास शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं।

i) दिनांक 31.03.2023 को गैर लागू करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए देयता शून्य है।

ii) 31.03.2023 (पिछले वर्ष 357.07 करोड़ रुपए) को परिचालन पट्टों के लिए पी एंड एल खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि 392.02 करोड़ है।

v. अतिरिक्त प्रकटीकरण

बैंक द्वारा प्राप्त परिसर में स्वयं की 37.13 करोड़ की संपत्ति शामिल है, जिसके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी चल रही हैं। प्रतिभूति के निस्तारण पर अर्जित की गई ₹ 37.13 करोड़ की संपत्ति का टाइटल बैंक के पक्ष में नहीं है क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

4.7. लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की गई है

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	1678	1076
भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	8,680,939,432	8,680,939,432
प्रति शेयर मूल आय (₹)	1.93	1.24
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	1.93	1.24
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10

4.8. लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

महत्वपूर्ण प्रावधान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और सीईटी1 में स्थगित कर संपत्ति (डीएटी) को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के समय अंतर के अनुमान के आधार पर आरबीआई कर समीक्षा की गई है और 31 मार्च 2023 को स्थगित कर संपत्ति देनदारियों के घटक के रूप में 5798.91 करोड़ रुपए की पहचान की गई है।

31 मार्च 2023 के अनुसार स्थगित कर संपत्ति/देयता के घटक निम्न रूप से है:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)			
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
मूल बैंक				
व्यापार हानि	2270.61	1655.92		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	374.02	346.52		
लोनो और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3945.44	5728.37		
आयकर वापसी पर ब्याज			40.96	26.94
अर्जित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं			699.00	760.96
आईटी अधिनियम 1961 की धारा 36(र)(नग) के तहत विशेष आरक्षित			34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास			16.26	45.90
अनुषंगी:-				
सेंट बैंक होम फ़ायनेन्स लिमिटेड				
अग्रिमों पर प्रावधान	5.97	9.58	0.00	0.00
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	0.01	0.01	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
अन्य	0.23	0.10	1.63	1.12
आइटी अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	0.00	0.00	15.33	14.64
सेंट बैंक होम फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एनईटी)	0.12	0.06	0.00	0.00
कुल	6596.40	7740.56	808.12	884.50
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	5788.28	6856.06	-	-

स्थगित कर संपत्ति में कुल हास 2022-23 के लिए 1067.78 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 683.27 करोड़ रुपए) लाभ एवं हानि खाते के तहत पहचाने गए.

4.9. लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की संपत्ति के एक बड़े हिस्से में वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं, जिन पर संपत्ति की हानि पर लेखा मानक -28 लागू नहीं है. प्रबंधन की राय में 31 मार्च, 2023 को मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों पर कोई भौतिक हानि नहीं है

4.10. प्रावधान आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति (मूल बैंक के) पर लेखा मानक -29

4.10.1. प्रावधान और आकस्मिकतायें

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रावधान और आकस्मिकताओं का ब्यौरा पी एंड एल खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है	31.03.2023	31.03.2022 *
निवेश (एनपीआई) पर प्रावधान/मूल्यहास	214.59	646.74
एनपीए के प्रति प्रावधान	3534.31	2461.55
मानक संपत्ति के प्रति प्रावधान	680.54	(222.47)
कर के लिए प्रावधान	1063.14	672.13
पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	(221.81)	595.94
अन्य प्रावधान	30.80	(1.57)
कुल	5301.57	4152.32

5. अन्य प्रकटीकरण:-

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सहायक कम्पनी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 135 के अंतर्गत ₹ 0.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.51 करोड़) सामाजिक उत्तदायित्व के लिए खर्च किए हैं.

5.2 प्रोवीजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(राशि करोड़ में)

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2023	31.03.2022
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	8.44	14.84
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम	1.77	3.97
तकनीकी राइट ऑफ के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	92.48	86.69
तकनीकी राइट ऑफ के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	80.47	76.29

5.3 सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी, अपने ग्राहकों की ओर से ट्रस्टी - लाभार्थी संबंध पर एक प्रत्ययी क्षमता में शेरों, सुरक्षा और अचल संपत्तियों की प्रकृति में निवेश रखती है, जो निदेशक मंडल की राय में पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं और उचित रूप से दर्ज किया गया है और ऐसे न्यासी संबंध से उत्पन्न होने वाले सभी कर्तव्य पर्याप्त रूप से पूर्ण क्षेत्र हैं.

- 5.4 सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी, ने विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त लाभांश, ब्याज और अन्य निगमित लाभों को स्थानांतरित या आवंटित नहीं किया है, जिसकी राशि ट्रस्ट / लाभार्थी को 2.06 करोड़ रुपये है, जिसकी राशि ट्रस्ट / लाभार्थी को 2.06 करोड़ रुपये है, जिसकी ओर से निवेश पोर्टफोलियो ट्रस्टशिप सेवाओं के तहत आयोजित किया जाता है. उक्त राशि 31.03.2022 को 1.79 करोड़ रुपये थी और 31.03.2023 तक बढ़कर 2.06 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह, इसने संबंधित ट्रस्ट / लाभार्थी को 0.18 करोड़ रुपये की राशि के शेयरों / डिबेंचर की बिक्री / मोचन आय को स्थानांतरित या आवंटित नहीं किया है. वही 2005-06 से बकाया है. इसने उपरोक्त निधियों के लंबे समय से अपने बैंक के चालू खाते में रखा है.
- 5.5 31 दिसंबर 1988 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.57/62-88 के अनुसार रशून्य का अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र उधार लिया गया है, तदनुसार इन्हें मूल बैंक के अग्रिमों से समायोजित किया गया है इन उधारों के विरुद्ध रशून्य की ब्याज आय को मान्यता दी गई है.
- 5.6 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

मूल बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2011 के आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस. सीओ.आईटीसी.बीसी.संख्या 6/31.02.008/2010-11 के अनुसार नीतियां बनाई गई है.निदेशक मंडल द्वारा पिछली बार 17.03.2023 को हुई बैठक में नीतियों की समीक्षा की गई थी.

- 5.7 मूल और अनुषंगी कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी, जिसकी समेकित वित्तीय विवरणों के सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो भौतिक नहीं हैं आईसीएआई द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

- 5.8 एनसीएलटी प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण

आरबीआई के परिपत्र संख्या दिनांक 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 और आगे, डीबीआर संख्या बीपी.15199य21.04.048/2016-17 और डीबीआर संख्या बीपी.1906/21.04.048/2017-18 इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए क्रमशः बैंक कुल 6316.13 करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 तक 6406.10 करोड़ रुपये) (एफआईटीए के 127.90 करोड़ रुपये सहित) (निवेश सहित कुल बकाया का 100%) के कुल प्रावधानों को रखती है.

- 5.9 माल और सेवा कर के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत पर आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और आरबीआई/2020-21/17 डीओआर संख्या बीपी.बीसी/4//21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020, 31 मार्च, 2023 को एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है.

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में
23298	2478.29

- 5.10 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 13 जून, 2017 के अपने पत्र में उच्च शुद्ध एनपीए और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए सुधारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए बैंक को रखा है. बैंक ने पीसीएफ ढांचे मानदंडों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया था. भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितंबर 2022 को अपने संप्रेषण सीओ.डीओएस.एसईडी.संख्या एस3988/01.040य2022-233 के माध्यम से हमारे बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया है.

- 5.11 बैंकों के कर्मचारियों की परिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

आरबीआई ने अपने दिनांक 4 अक्टूबर 2021, परिपत्र संख्या : आरबीआई /2021-22/105

डीओआरएसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 को विस्तृत किया है, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को परीशोधित करने की अनुमति दी गई है, न्यूनतम के अधीन हर साल कुल राशि का 1/5 वां व्यय किया जा रहा है. बैंक द्वारा प्राप्त इक्विटरीयल वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी के लिए परिवार पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता 821.95 करोड़ रुपये पर आ गई है. बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार इसे परीशोधित करने का विकल्प चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि के खाते में 821.95 करोड़ रुपये में से 544.52 करोड़ रुपये की राशि वसूली है. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹164.40 करोड़ वसूले है. ₹113.03 करोड़ के संतुलित व्यय को उप-वर्ष में आगे बढ़ाया गया है. चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्धलाभ पर असम्बद्ध पेंशन देयता का परिणामी व्यय 73.53 करोड़ रुपये (करों का कुल) है.

5.12 अन्य संपत्तियों और अन्य देनदारियों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
अनुसूची 5 अन्य देनदारियां-iv-5 “अन्य”(प्रावधानों सहित) के तहत कोई भी वस्तु कुल संपत्ति के 1% से अधिक है	शून्य	शून्य
अनुसूची 11 अन्य संपत्ति - vi “अन्य” के अंतर्गत किसी संपत्ति में कोई वस्तु कुल संपत्ति के 1% से अधिक है	शून्य	शून्य
अनुसूची 14-vii “अन्य विविध आय” इस शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वस्तु कुल आय का 1% से अधिक है	वसूली करके 1282.59 करोड़ रुपए खाते में ले गये जो कि कुल आय का 4.33% है	वसूली करके 331.53 करोड़ रुपए खाते में ले गये जो कि कुल आय का 1.29% है
अनुसूची 16-XII “अन्य खर्च” इस शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वस्तु कुल आय के 1% से अधिक है	शून्य	एटीएम इंटरचेंज शुल्क 281.14 रुपए का भुगतान किया गया जो अन्य व्यय का 1.09% है

भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना वायरस(कोविड-19) महामारी के प्रकोप परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है ,कोविड-19 महामारी किस हद तक बैंकों के वित्तीय परिणाम को प्रभावित करेगा, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा जो अत्यधिक अनिश्चित हैं. कोविड - 19 महामारी के कारण आई अनिश्चितता को देखते हुए , बैंक भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है जो भविष्य में विकास के आधार पर बैंकों के संचालन और इसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है जो कि अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है.

5.13 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्षों के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेठ
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

		(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	2,761.10	1,763.26
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	385.98	296.76
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	214.10	368.87
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	3,540.38	3,101.21
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	680.65	(217.55)
	अन्य मदों (शुद्ध)के लिए प्रावधान	(190.67)	235.53
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि (शुद्ध)	1.34	(9.10)
	उप योग	7,392.88	5,538.98
II	समायोजन के लिए:		
	जमाओं में वृद्धि (कमी)	16,610.56	12,836.26
	उधार में वृद्धि / (कमी)	670.62	1,903.64
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	148.79	1,794.86
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(38,392.11)	(14,753.67)
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	3,979.60	7,374.60
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	1,111.09	(695.82)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(307.77)	277.70
	उप योग	(16,179.22)	8,737.57
	परिचालनात्मक गतिविधियों में शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(8,786.34)	14,276.55
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	3.62	24.38
	अचल आस्तियों की खरीद	(212.28)	(157.76)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(208.66)	(133.38)

रजिस्ट्री

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	-	-
	शेयर आवेदन राशि	-	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	-	-
डी	निवल नकद में वृद्धि और नकद समकक्ष (ए + बी + सी) या (एफ - ई)	(8,995.00)	14,143.17
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	38,033.70	32,188.10
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	15,063.24	6,765.67
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (ई)	53,096.94	38,953.77
एफ	वर्ष के समाप्ति में नकद और नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	27,432.92	38,033.70
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	16,669.02	15,063.24
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (एफ)	44,101.94	53,096.94

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है जैसा कि लेखांकन में निर्धारित किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर मानक -3.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्षों के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

श्री आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

श्री राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

श्री एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रिटेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार बैंक के पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण

उक्त विवरण बैंक के वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Baswl-Disclosure/Final_BASEL-III-Disclosures-as-on%2031.03.2023-final%20%281%29.pdf

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

मे. छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
101, हबटाउन सोलारिस, एन एस फडुके मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुम्बई - 400069

मे. किशोर एंड किशोर
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर ई (न्यू)
अलीगंज, लखनऊ- 226024

मे. ए एस के ए एंड कंपनी
(पुराना नाम- अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अंबार्डेकर)
सनदी लेखाकार
501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने, ऑफ फडुके
रोड, डोम्बीवली (पूर्व) - 421201

मे. ए.आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
ए-404, गायत्री अपार्टमेंट
एअरलाइन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी प्लॉट नं 27,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
मुंबई.

लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 का एकल तुलन पत्र, एकल लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोटिस तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं जिसमें इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, इस दिनांक पर प्रधान कार्यालय, 12 अंचलों एवं

- 1 विशेष एकीकृत ट्रेजरी शाखा का हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किया गया।
- 20 शाखाओं का हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किया गया।
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 1507 शाखाओं का लेखापरीक्षित किया गया।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। तुलना पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी में 2966 शाखाएँ, जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थी, की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। अलेखापरीक्षित इन शाखाओं में अग्रिमों का 24.65 प्रतिशत, जमाओं का 44.21 प्रतिशत, ब्याज आय का 29.45 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 42.05 प्रतिशत विद्यमान है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) तथा बैंक को अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

- एकल तुलन पत्र एवं उस पर प्रस्तुत टिप्पणियों के साथ पठित यह पूर्ण एवं उचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं। इसे समुचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 हेतु यह बैंक की स्थिति को वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से प्रदर्शित कर सके।
- एकल लाभ हानि खाता, उस पर प्रस्तुत टिप्पणियों से साथ, उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित करता है, तथा
- एकल नकदी प्रवाह विवरण, उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है।

अभिमत का आधार

- हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है, नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और जिन्हें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों तथा बैंकिंग विनियमनकारी अधिनियम, 1949 के धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है, और हमारे द्वारा अपने अन्य सभी नैतिक उत्तरदायित्वों तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और एक वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का जोर

- हम निम्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं :
 - परिवार पेंशन को संशोधित किए जाने पर उत्पन्न ₹ 821.95 करोड़ की अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरणियों नोट सं. 14(h) हैं। बैंक द्वारा ₹ 164.40 करोड़



की राशि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित की गई है और ₹113.30 करोड़ की शेष अपरिशोधित राशि को भारिबैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई / 2021-22/105 डीओआरएसीसी.आ.ईसी 57/ 21.04.018 /2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार अग्रेषित कर दिया है.

- बी) आस्थगित कर के संबंध में विवरण के नोट संख्या 15 (जी), जिसमें समय के अंतर से उत्पन्न होने वाले संभावित कर लाभों के संबंध में बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई कर समीक्षा के आधार पर, 5798.91 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को 31 मार्च 2023 तारीख को मान्यता दी गई है. (31 मार्च 2022 को 6862.05 करोड़)
- सी) वर्ष के दौरान प्रोद्भव आधार पर कर्मचारियों को प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन के लेखांकन के संबंध में विवरण के नोट संख्या 15 (ए), जो कि पिछले वर्षों में नकद आधार पर किया जा रहा था,

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 2 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है.

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है. पुनर्गठित खातों में प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का समूह की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है.

जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 104.24 करोड़ की कमी आई.

- डी) नोट संख्या 4 (एच), जो कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितताओं का वर्मन करती है और समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रबंधन के प्रभाव के मूल्यांकन करती है जो भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है.

इस संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है. मूल लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमारे द्वारा बैंक का मूल लेखापरीक्षा मामला माना गया है, जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जायेंगे.

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है.

विशेष रूप से :

- हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारिबैंक सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है.
- हमने एनपीए को चिन्हित करने एवं तत्सम्बन्धी आय की कटौती और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है.
- हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम / एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है.

मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों द्वारा उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्यमें अवक्षय को समय से पहचाना गया है.

- उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिस्कीकरण की समय पर पहचान की है.
- समय - समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड -19 विनियामक पैकेज के अनुसार अस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं.

मूल लेखापरीक्षा मामले

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

- हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी परिवर्तन ज्ञापनों पर विश्वास जताते हैं।

2. निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल है जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।

निवेशकों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित आय प्राप्त न होने एवं उन पर प्रावधान का पहचान न जाना भारिबैंक के प्रासंगिक परिपत्रों / दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारिबैंक द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिसमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएँ जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/ एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों को वित्तीय विवरणियाँ, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएबी इत्यादि शामिल है।

आरबीआई के आदेशों के अनुसार, कुक्च निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है, तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।

इसलिए, निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।

निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भारिबैंक के परिपत्रों/ आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई)की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण /मूल्यहास से संबंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से :

- अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से संबंधित भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है।
- भारिबैंक के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन द्वारा भारिबैंक के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है।
- हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनु रूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है।
- हमने, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है।
- हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

मूल लेखापरीक्षा मामले

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग

बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।

बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डीआईटी) विभाग है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है और इस पर हमारे लेखापरीक्षा में मूल लेखा परीक्षा मामले में विचार किया गया है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से :

- हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है।
- हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान / संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है।
- हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रिय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे :

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 13 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 20 .i)

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर संदिग्ध / अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से उन अनुमानों निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं।

हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई और उपलब्ध रिकार्ड और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम दायित्व में बदलने की संभावना। हाल के आदेशोंकी जाँच और / या उनके प्राप्त संचार की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

एकल वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबन्धतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूजी पर्याप्त ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपयुक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राप्त यह सूचना अयथार्थ प्रतीत होती है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध कुछ नहीं करना है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी।

एकल वित्तीय विवरणियों हेतु गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामले तथा प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी:

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के तहत लागू लेखांकन मानकों तथा प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक एकल वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और बैंक का एकल नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन

नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण हैं और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के रूप में निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने। कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए बैंक के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक बैंक का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो।

बैंक का संबंधित निदेशक मंडल बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि एकल वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं।

- एकल वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।



- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना.

लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है. तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है.

- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या एकल वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है.

एकल विवरणी में एक विषयी अर्थार्थ की महत्ता है जो वैयक्तिक अथवा समग्र रूप से इसे संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों के एक तर्कसंगत अनुभवी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र कि योजना बनाने और हमारे कार्य परिणामों का मूल्यांकन करने और (ग) वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित अर्थार्थ विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और विचार करते हैं. गुणात्मक घटकों का विचार करते हैं.

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमिया शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेस द्वारा आरोपित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि जिन पर का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में बताया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा, जहां लागू हो पर उचित रूप से प्रभाव डालते हैं.

गवर्नेस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं.

- हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक

प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

अन्य मामले

8. हमने 1507 शाखाओं के वित्तीय विवरणियों/ सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जो बैंक के वित्तीय विवरणियों में शामिल हैं और इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचनाओं से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कुल संपत्ति रु. 207308 करोड़, कुल आय रु. 6763 करोड़ होने की जानकारी मिलती है, जैसाकि वित्तीय विवरणों में माना गया है. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इन शाखाओं द्वारा अग्रिमों का 34.16 प्रतिशत, जमाओं का 51.10 प्रतिशत, गैर-निष्पादक आस्तियों का 19.30 प्रतिशत तथा आय का 40.23 प्रतिशत कवर किया जाता है. इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.
 9. लेखापरीक्षा करने के दौरान हमारे द्वारा 2966 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित विवरणियों जिन्हें संबंधित शाखा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है और जिनकी 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं से कुल रु. 90252 करोड़ की परिसंपत्तियां और कुल आय रु. 5393 करोड़ परिलक्षित होता है. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इन अलेखापरीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिमों का 24.65 प्रतिशत, जमाओं का 44.21 प्रतिशत और गैर-निष्पादक अस्तियों का 13.43 प्रतिशत और 32.08 आय कवर की गई है.
- उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय आशोधित नहीं है.

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. एकल तुलन पत्र एवं एकल लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है. उपर्युक्त पैरा 5 से 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे जानकारी एवं विश्वास हेतु हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, और उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - बी) बैंक के व्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं वे बैंक की शक्तियों के अनुसार है; तथा
 - सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई है.

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए हेतु रिपोर्टिंग दायित्व ढू पर संबंधित पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जो इसके पश्चात भारिबैंक द्वारा जारी संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पठित है, के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्टानुसार मामलों पर हम पुनः रिपोर्ट करते हैं

- ए) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों का इस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारिबैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं है.
- बी) वित्तीय व्यवहारों अथवा मामलों पर कोई निष्कर्ष अथवा टिप्पणियाँ नहीं हैं, जिनका बैंक के काम-काज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
- सी) चूँकि, बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतएव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है.
- डी) खातों के रख-रखाव और उससे संबद्ध अन्य मामलों से संबंधित कोई स्थितियाँ, आपत्तियाँ या प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं हैं.
- ई) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) के आलोक में, बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में प्रस्तुत

की गई है. 31 मार्च, 2023 हेतु वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैठक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट एक असंशोधित राय व्यक्त करती है.

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

- ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.
- बी) इस रिपोर्ट द्वारा सरोकार रखने वाले तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता, और नकदी प्रवाह विवरणियाँ, खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है.
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषितकी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे उनके साथ द्वारा समुचित सरोकार रखा गया है, तथा
- डी) हमारे राय में, एकल तुलन-अञ्ज, एकल लाभ और हॉइ खाता और एकल नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं है.

कृते **छाजेड एंड दोशी**
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 101794डब्ल्यू

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
एम.नं. 136169
यूडीआईएन :23136169बीजीडब्ल्यूएक्सजेएल 7351

कृते **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 000291एन

(सीए अखिलेश के माथुर)
भागीदार
एम.नं. 509176
यूडीआईएन :23509176बीजीडब्ल्यूझेडएवी5876

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल 2023

कृते **ए एस के ए एंड कंपनी**
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 122063डब्ल्यू

(सीए सुहास अम्बेकर)
भागीदार
एम.नं. 101373
यूडीआईएन :2310137बीजीडब्ल्यूजेडब्ल्यूई4209

कृते **ए.आर.एंड कंपनी**
सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 002744सी

(सीए अनिल गौड़)
भागीदार
एम.नं. 017546
यूडीआईएन :23017546बीजीडब्ल्यूआईएलपी9549

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 11 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट")

1. हमने 31 मार्च, 2023 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और उस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना है जो बैंक की नीतियों के दृढ़ अनुपालन सहित व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे पूंजी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल

हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, विद्यमान भौतिक दुर्बलता संबंधी जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत सूचना के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, अन्य मामलों संबंधी नीचे पैराग्राफ में संदर्भित हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) यह की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

अभिमत

6. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों संबंधी पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, पर बैंक का पर्याप्त नियंत्रण है।

अन्य मामले

7. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक, यह 106 (एक सौ छह) शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन

कृते छाजेड एंड दोशी

सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 101794डब्ल्यू

(सीए नितेश जैन)

भागीदार
एम.नं. 136169
यूडीआईएन :23136169बीजीडब्ल्यूएक्सजेएल 7351

कृते किशोर एंड किशोर

सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 000291एन

(सीए अखिलेश के माथुर)

भागीदार
एम.नं. 509176
यूडीआईएन :23509176बीजीडब्ल्यूझेडएवी5876

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 अप्रैल 2023

प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों /सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया. बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ ओआरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है. इस संबंध में हमारे सुझाव बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते ए एस के ए एंड कंपनी

सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 122063डब्ल्यू

(सीए सुहास अम्बेकर)

भागीदार
एम.नं. 101373
यूडीआईएन :2310137बीजीडब्ल्यूजेडब्लूई4209

कृते ए.आर.एंड कंपनी

सनदी लेखाकर
एफ.आर.नं. 002744सी

(सीए अनिल गौड़)

भागीदार
एम.नं. 017546
यूडीआईएन :23017546बीजीडब्ल्यूआईएलपी9549

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 के अनुसार

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष ₹
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	8,68,09,394	8,68,09,394
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	20,42,79,672	18,84,57,659
जमा राशियां	3	3,59,29,64,686	3,42,69,19,375
उधार राशियां	4	8,11,87,478	7,47,43,610
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	9,64,13,598	8,72,94,974
कुल		4,06,16,54,828	3,86,42,25,012
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि		27,43,29,198	38,03,36,974
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		16,66,67,335	15,06,06,268
निवेश		1,36,58,34,760	1,40,78,69,475
अग्रिम		2,02,98,43,065	1,68,17,35,000
अचल आस्तियां	10	4,77,62,762	4,95,50,429
अन्य आस्तियां	11	17,72,17,708	19,41,26,866
कुल		4,06,16,54,828	3,86,42,25,012
आकस्मिक देयताएं	12	1,32,45,34,193	1,79,59,77,498
संग्रहण हेतु बिल		11,03,90,657	11,37,50,285
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17	-	-
लेखांकन के नोट	18	-	-

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:
स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

सी.ए सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च-2023 को (₹)	31-मार्च-2022 को (₹)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	25,54,18,923	22,80,16,476
अन्य आय	14	4,08,37,083	2,96,84,840
कुल		29,62,56,006	25,77,01,316
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	13,85,50,976	13,31,48,828
परिचालन व्यय	16	8,88,67,355	7,25,80,987
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		5,30,15,663	4,15,23,220
कुल		28,04,33,994	24,72,53,035
III. पूर्व अवधि मद से पहले के वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
घटाएं : पूर्व अवधि मद			
पूर्व अवधि मद के बाद वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		1,58,22,012	1,04,48,281
आगे लाया गया लाभ/(हानि)			
कुल		1,58,22,012	1,04,48,281
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		39,55,503	26,12,100
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		5,47,509	65,80,920
आरक्षित पूंजी		13,32,997	12,55,261
निवेश आरक्षित निधि		9,300	
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि			
कर्मचारी कल्याण कोष			
राजस्व आरक्षित निधि			
प्रस्तावित लाभांश - बरीयता पूंजी			
लाभांश कर			
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		99,76,703	
हानियों को शेरर प्रीमियम के विरुद्ध समायोजित किया गया			
कुल		1,58,22,012	1,04,48,281
ईपीएस (मूल और डाइल्यूटेड) ₹ में (नाममात्र मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		1.82	1.27
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों के लिए नोट्स	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ और हानि खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए.नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:
स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

सी.ए.सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए.अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए.अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

तुलन पत्र की अनुसूचियां

31 मार्च 2023 के अनुरूप

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
प्रत्येक रु. 10/- 1000,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक रु. 10/- (गत वर्ष 1000,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	8,68,09,394		8,68,09,394	
इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर (गत वर्ष के 5875562460 इक्विटी शेयर) सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 8080391687 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5275014715 इक्विटी शेयर)				
कुल		8,68,09,394		8,68,09,394
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,32,48,079		2,06,35,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	39,55,503		26,12,100	
		2,72,03,582		2,32,48,079
II. प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,74,39,228		1,61,83,968	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,32,997		12,55,260	
		1,87,72,225		1,74,39,228
III. पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,71,49,448		3,79,22,814	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाएँ: राजस्व प्रारक्षित निधियों में अंतरण	6,53,596		5,41,238	
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		2,32,128	
		3,64,95,852		3,71,49,448
IV. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	7,46,66,328		24,19,62,271	
घटाएँ: वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते के शेष में अंतरण	-		18,72,42,173	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		1,99,46,230	
		7,46,66,328		7,46,66,328
V. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		10,00,000		10,00,000
VI. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i. निवेश परिवर्तनीय प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	65,80,920		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,47,509		65,80,920	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन (अनुसूची 18 का नोट 2ए देखें)	-		-	



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
ii. निवेश प्रारक्षित निधियां		71,28,429		65,80,920
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	1,13,846		1,13,846	
जोड़ें : पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों से अंतरण	9,300		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
		1,23,146		1,13,846
iii. राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,82,59,810		2,77,18,572	
जोड़ें:पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों से अंतरण	6,53,596		5,41,238	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	-		-	
घटाये : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
		2,89,13,406		2,82,59,810
VII. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		99,76,703		-
कुल		20,42,79,672		18,84,57,659
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	98,44,694		1,03,37,153	
ii) अन्य से	17,78,05,030		16,51,49,281	
		18,76,49,724		17,54,86,434
II. बचत बैंक जमाराशियां		1,62,53,14,528		1,55,96,51,980
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	47,20,164		62,23,208	
ii) अन्य से	1,77,52,80,269		1,68,55,57,753	
		1,78,00,00,433		1,69,17,80,961
कुल		3,59,29,64,686		3,42,69,19,375
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,59,29,64,686		3,42,69,19,375
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	-		839	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	3,85,47,478		2,57,11,771	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	-		-	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	-		-	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	-		13,91,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉन्ड्स (टीयर II)	2,50,00,000		3,00,00,000	
		8,11,87,478		7,47,43,610
II. भारत के बाहर उधार राशियां		-		-
कुल		8,11,87,478		7,47,43,610
उपर्युक्त I और II में सुरक्षित उधार सम्मिलित है		निरंक		निरंक

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		94,93,094		1,11,47,968
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		19,468		1,90,081
III. उपचित ब्याज		88,83,232		77,44,537
IV. आस्थगित कर देयता		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		7,80,17,804		6,82,12,388
कुल		9,64,13,598		8,72,94,974
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा रुपये सहित)		1,50,01,104		1,45,54,487
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	16,52,98,094		13,67,22,487	
अन्य खातों में	9,40,30,000		22,90,60,000	
		25,93,28,094		36,57,82,487
कुल		27,43,29,198		38,03,36,974
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	4,01,113		2,57,604	
बी) अन्य जमा खातों में	5,724		17,291	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		6,40,128	
		4,06,837		9,15,023
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	20,02,668		10,62,153	
बी) अन्य जमा खातों में	16,42,57,830		14,86,29,092	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		16,62,60,498		14,96,91,245
कुल		16,66,67,335		15,06,06,268
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,03,00,04,109		1,05,50,89,160	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	74,05,595		88,33,691	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	31,89,82,562		33,77,84,388	
v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थाओं में	67,00,687		25,79,832	
vi) अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स म्यूच्युअल फंड यूनिट्स आदि)	22,66,922		31,07,519	
		1,36,53,59,875		1,40,73,94,590

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेश में अनुबंधित और/अथवा एसोसिएट्स		4,74,885		4,74,885
कुल		1,36,58,34,760		1,40,78,69,475
* भारत में निवेश				
निवेशों का कुल मूल्य	1,42,60,54,028		1,46,71,17,739	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	6,06,94,153		5,97,23,149	
शुद्ध निवेश		1,36,53,59,875		1,40,73,94,590
** भारत के बाहर निवेश				
कुल मूल्य	4,74,885		4,74,885	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		4,74,885		4,74,885
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	3,09,41,503		2,40,31,721	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	79,22,28,112		70,22,91,110	
iii) मीयादी ऋण	1,20,66,73,450		95,54,12,169	
कुल		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,80,31,15,772		1,55,92,58,701	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	75,94,346		1,32,94,746	
iii) आरक्षित	21,91,32,947		10,91,81,553	
कुल		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	96,55,61,814		86,05,76,958	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	2,40,71,293		4,14,01,906	
iii) बैंक	2		53,224	
iv) अन्य	1,04,02,09,956		77,97,02,912	
कुल		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,88,11,918		4,91,01,269	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	17,394		25,445	
कुल	4,88,29,312		4,91,26,714	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	-		3,14,796	
कुल	4,88,29,312		4,88,11,918	
आज तक का मूल्यहास	99,17,382		91,65,015	
कुल		3,89,11,930		3,96,46,903

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	3,65,50,165		3,53,05,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	31,75,811		23,46,422	
कुल	3,97,25,976		3,76,52,401	
वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	15,70,747		11,02,236	
कुल	3,81,55,229		3,65,50,165	
इस दिनांक को मूल्यहास	2,93,04,397		2,66,46,639	
कुल		88,50,832		99,03,526
कुल (I एवं II)		4,77,62,762		4,95,50,429
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	2,00,03,448		2,17,76,858	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	4,26,12,315		3,96,32,629	
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प	2,28,747		2,25,424	
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त गैर बैंकिंग आस्तियां				
V. आस्थगित कर आस्तियां	5,79,89,094		6,86,20,500	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
VII. अन्य	5,63,84,104		6,38,71,455	
कुल		17,72,17,708		19,41,26,866
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		12,48,708		14,20,497
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांगर (31 मार्च 2022 को रू.39764221 (000 छोड़कर) की तुलना में 31 मार्च 2023 को रू.51697716 (000 छोड़कर) की अपील सहित		5,72,68,896		6,05,02,246
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		1,26,58,798		26,89,347
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		1,10,82,31,495		1,59,08,50,230
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	9,19,06,778		8,83,87,515	
बी) भारत के बाहर	52,11,840		58,26,051	
		9,71,18,618		9,42,13,566
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		2,21,49,908		2,43,01,093
VI. अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		2,58,57,770		2,20,00,519
कुल		1,32,45,34,193		1,79,59,77,498

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

विवरण	(000 को छोड़कर)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (₹)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज और लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	14,92,15,975	11,50,06,591
II. निवेशों पर आय	8,71,50,871	9,26,35,596
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	1,44,38,269	1,23,81,061
IV. अन्य को	46,13,808	79,93,228
कुल	25,54,18,923	22,80,16,476
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,78,68,585	1,42,47,404
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	27,31,959	49,10,035
III. निवेशों के पुनर्मुल्यांकन पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	24,811	(27,68,771)
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (शुद्ध)	(13,396)	91,365
V. विनिमय व्यवहारों पर लाभ (शुद्ध)	30,34,878	19,92,437
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश	79,454	80,103
VII. विविध आय	1,71,10,792	1,11,32,267
कुल	4,08,37,083	2,96,84,840
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	13,38,78,269	12,84,76,515
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	10,02,473	7,17,858
III. अन्य	36,70,234	39,54,455
कुल	13,85,50,976	13,31,48,828
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	5,60,39,653	4,47,19,052
II. किराया, कर एवं बिजली	52,70,766	48,17,519
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	3,29,020	2,65,002
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,74,027	1,31,795
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	38,58,573	29,66,139
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	8,783	5,164
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,52,812	3,07,403
VIII. विधिक प्रभार	2,55,299	1,77,675
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,36,169	9,47,807
X. मरम्मत एवं रखरखाव	14,73,110	16,21,188
XI. बीमा	44,14,464	42,80,618
XII. अन्य व्यय	1,57,54,679	1,23,41,625
कुल	8,88,67,355	7,25,80,987

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

ए. पृष्ठभूमि

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्ताक्षरण) अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत एक निकाय कारपोरेट है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। इसका प्रमुख व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े निगमों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। बैंक का व्यापार भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

बी. तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण, परिसर के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर ऐतिहासिक लागत आधार के लिए चालू अवधारणा और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के सभी भौतिक पहलुओं के आधार पर चल रहे अवधारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) और घोषणाएं और भारत में बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

सी. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम एवं अनुमानों के मध्य अंतर की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिस वर्ष के परिणाम ज्ञात / समझ होते हैं।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. नगद एवं नगद समतुल्यों में हाथ में नगदी, एटीएम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर पैसा शामिल है।

2. राजस्व मान्यता

2.1 सामान्य

सामान्यतः आय व्यय का आम तौर पर उपचय आधार पर लेखा किया जाता है, अलावा इसके कि आय को नियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर हिसाब में लिया जाए।

2.2 निवेशों से आय

ए) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ (लागू करों का शुद्ध और "सांविधिक आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि" को "पूजी आरक्षित खाता" में विनियोजित किया जाता है।

बी) अंकित मूल्य पर छूट से प्राप्त की गई परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) निम्नानुसार चिन्हित की है

(i) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, इसे केवल बिक्री / मोचन के समय ही मान्यता दी जाती है।

(ii) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक के लिए हिसाब में लिया जाता है।

सी) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है..

डी) अपसाइड ऑन सिक्योरिटी रसीदों को 'अन्य आय' के रूप में प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

2.3. वित्तीय संपत्तियों की बिक्री

बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

ए) एनपीए की बिक्री का हिसाब आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जब बैंक अपनी वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो उसे बहियों से हटा दिया जाता है...

बी) (यदि एससी/ एआरसी को की गई बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर होती है, तो कमी को बिक्री के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

सी) यदि बिक्री नकद आधार पर निवल बही मूल्य से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

2.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्रों पर कमीशन, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी अवधि के दौरान उपचय आधार पर समानुपातिक रूप से मान्य होते हैं। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर दर्शाया जाता है।

2.5 अन्य

ए) आयकर रिफंड पर ब्याज की गणना रिफंड आदेशों/ आयकर विभाग से सूचना तथा बैंक द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर की जाती है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान किया गया है।

3. अग्रिम:

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, ऋण और अग्रिमों को निष्पादक एवं गैर-निष्पादक में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सावधि ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के हेतु अतिदेय है।

बी) ओवरड्राफ्ट या नकद क्रेडिट को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि खाता "अनियमित" रहता है, अर्थात्, यदि बकाया राशि 90 दिनों की अवधि के हेतु लगातार स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से अधिक है, या यदि 90 दिनों के लिए लगातार कोई क्रेडिट नहीं हैं, या यदि क्रेडिट पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

सी) खरीदे/छूट वाले बिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

डी) कृषि अग्रिमों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या एक फसल मौसम हेतु ब्याज अतिदेय है

3.2 गैर-निष्पादित आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) अवमानक : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए गैर-निष्पादित बनी हुई है।

बी) संदिग्ध : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिये अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।

सी) हानि: एक ऋण परिसंपत्ति जहां हानि की पहचान की गई है लेकिन राशि पूर्णतः बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

3.3 एनपीए के लिए प्रावधान नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जो नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम प्रावधान के अधीन है ..

अवमानक आस्तियां

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान

ii. एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो शुरू से ही असुरक्षित हैं (अर्थात् जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य शुरू से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है.)

iii. अवसंरचना अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां कुछ सुरक्षा उपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध है- 20%

संदिग्ध आस्तियां :

- रक्षित भाग	एक वर्ष तक 25%
	एक से तीन वर्ष 40%
	तीन साल से अधिक -100%
अरक्षित भाग	100%
हानि आस्तियां :	100%

3.4 अग्रिमों को प्रावधानों (एनपीए के मामले में) अप्राप्त ब्याज, विविध प्रकार के उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि और सीजीटीएसआई / ईसीजीसी से प्राप्त दावे आदि को मिला कर दिखाया गया है।

3.5 पुनर्चित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि पुनर्चना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर सर्वाधिक प्रावधान के अलावा ऋणों/अग्रिमों प्रदान किया जाए. उनयुक्त मूल्य में कमी और ब्याज में कमी, यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में देयताएं और प्रावधान अन्य शीर्षक के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए पर पहुंचने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक निष्पादन आस्ति के रूप में खाते को पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के समक्ष वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.9 पहचानी गई कमजोरी और/या मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशिष्ट परिसंपत्तियों में नियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं

3.10 गैर-निष्पादित खाते में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

i) मूल अतिदेय/ अनियमितताएं.

ii) अप्राप्त ब्याज

iii) आंशिक बट्टे खाते

iv) अग्रभारित व्याज

v) अप्राप्त प्रभार

वाद दायर/सरफेसी/रिकॉल किये गये खातों के मामले में वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:



- बही खाता बकाया राशि
- अप्राप्त ब्याज
- आंशिक बढ़े खाते
- अप्रभारित ब्याज
- अप्राप्त प्रभार

हालांकि, जहां किसी भी उधारकर्ता खाते को किसी पूर्व तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज में जमा किया जाता है (अर्थात तनावग्रस्त आस्तियां (एस4ए) की सतत संरचना के लिए योजना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना के बाहर)

4. देश के एक्सपोजर के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रत्येक देशीय एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, नगण्य, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देशीय एक्सपोजर (नेट) कुल फंडेड एसेट्स के 1% अधिक नहीं है, तो ऐसे देशीय एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है. यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है.

5. निवेश:

निवेश की गणना निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

5.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम), "ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएम) ("और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

अनुसूची 8 में तुलन पत्र में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को भारत में और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

प्रत्येक श्रेणी के तहत, भारत में निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स
- डिबेंचर्स और बांड्स
- सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान;

तथा

एफ) अन्य (वाणिज्यिक पत्र और म्युचुअल फंड की इकाइयां आदि)

भारत के बाहर के निवेशों को आगे 3 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अनुषंगी और संयुक्त उद्यम

सी) अन्य निवेश

5.2 वर्गीकरण का आधार:

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है.

ए) परिपक्वता तक धारित : बैंक जो निवेश परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है उसे "परिपक्वता" तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है..

बी) ट्रेडिंग के लिए धारित: निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए रखे जाते हैं, उन्हें "ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध: निवेश, जो उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

डी) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण: एक निवेश को खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता

ई) सहायक कंपनियों में निवेश, संयुक्त उद्यमों और प्रायोजित संस्थानों को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अलावा उन निवेशों के, जिन्हें विशेष रूप से इसके बाद के निपटान की दृष्टि से अधिग्रहित किया जाता है. ऐसे निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

5.3 मूल्यांकन:

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत धारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की जाती है.

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन राशि, फ्रंट-एंड शुल्क आदि, निवेश की लागत से कम हो जाते हैं.

बी) ब्रोकरेज, फीस, कमीशन या प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए करों जैसे खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते से लिया जाता है.

सी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त गत अवधि ब्याज प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है.



ए) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत / बुक वैल्यू की परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन किया जाता है. प्रीमियम के इस तरह के परिशोधन को निवेश पर आय के रूप में माना जाता है.

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (भारत और विदेश में) ऐतिहासिक लागत पर मूल्यवान होती हैं. प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से, अस्थायी प्रकृति के अलावा, कमी के लिए प्रावधान किया गया है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्य वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) पर लगाया जाता है..

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को अलग-अलग बाजार मूल्य या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य और प्रत्येक समूह के शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. प्रत्येक श्रेणी के लिए (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियां, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) (अन्य) के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध अभिमूल्यन की उपेक्षा की जाती है.

सी) निवेशों के अंतर श्रेणी हस्तांतरण की स्थिति में मूल्यांकन नीति:

i) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण हस्तांतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है. इस तरह के हस्तांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है.

ii) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अधिग्रहण मूल्य/बुक वैल्यू पर किया जाता है. हस्तांतरण पर, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एएससी), परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री पर प्रतिभूति रसीद जारी करने के मामले में मूल्यांकन

i) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से

प्राप्त सुरक्षा प्राप्ति में निवेश, (i) वित्तीय परिसंपत्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) (यानी बही मूल्य से प्रावधान घटाकर); और (ii) एसआर का मोचन में से जो कम हो, के अनुसार मान्यता प्राप्त है.

ii) एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआरएस का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबंधित योजना में लिखतों को सौंपे गए वित्तीय आस्तियों की वास्तविक बसूली तक सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त निवल परिसंपत्ति मूल्य को ऐसे के मूल्यांकन के लिए गिना जाता है.

ई) ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहन लागत पर किया जाता है.

5.4 निवेश (एनपीआई):

“वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशा), 2021 (यथा संशोधित)” और “आय की गणना पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड” के आधार पर प्रदर्शन और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नानुसार हैं:

ए) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है. वही वरीयता श्रेणियों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है.

बी) इक्विटी श्रेणियों के मामले में, किसी कंपनी के श्रेणियों में निवेश की स्थिति में उनका मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी माना जाता है और नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण, उन इक्विटी श्रेणियों को एनपीआई के रूप में माना जाएगा.

सी) बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, जहां एक ही उधारकर्ता/संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विपरीत.

डी) डिबेंचर / बांड में निवेश, जिसे अग्रिम माना जाता है, निवेश के लिए लागू एनपीआई मानदंडों के अधीन भी हैं.

5.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक आरबीआई तथा बाजार सहभागियों के साथ तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पुनर्खरीद तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेन-देन करता है. पुनर्खरीद लेन-देन में प्रतिभूतियों को बेच कर उधार, इस समझौते के साथ लिया जाता है कि उन प्रतिभूतियों को पुनः खरीद जायेगा. दूसरी ओर रिवर्स पुनर्खरीद लेन-देन में प्रतिभूतियों को खरीद कर उधार दिया जाता है.

ए) रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट ट्राई-पार्टी रेपो (ट्रेप) डीलिंग और



सेटलमेंट के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

बी) हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री खरीद लेनदेन जैसे मामलों में हस्तांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही रेपो / रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित होती है।

सी) उपरोक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं। रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

डी) एलएएफ के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर खर्च/अर्जित ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक को व्यय/राजस्व के रूप में लेखा किया जाता है।

6. डेरिवेटिव्स:

बैंक तुलन पत्र/बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करता है।

6.1 हेजिंग के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकित किया गया है:

ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियां/देयताएं बाजार के लिए चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि खाते में लाभ/ हानि को मान्यता दी जाती है।

बी) बचाव के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न अनुबंधों को उपचित आधार पर दर्ज किया जाता है। हेज संविदाओं को बाजार में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता जब तक कि अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार दर पर अंकित नहीं किया जाता है।

सी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या परिसंपत्तियों / देनदारियों की शेष अवधि से कम पर दर्शाया जाता है।

6.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

ए) एमसीएक्स एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है।

बी) मार्क टू मार्केट लाभ हानि को मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा / नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होता है।

सी) ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर मक टू मार्केट किए जाते हैं। किसी भी तरह की मार्क टू मार्केट हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।

डी) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन:

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) क्लोजिंग (स्पॉट/फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक वस्तुएं, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित आकस्मिक देनदारियों को फेडाई क्लोजिंग स्पॉट दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है।

7.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

7.4 विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, क्लोजिंग स्पॉट रेट पर मूल्यांकित हैं। इस तरह के फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या लूट को अनुबंध के जीवन में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

7.5 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

7.6 करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडों में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि लाभ और हानि खाते में पहचाने जाते हैं।

8. अचल संपत्ति और मूल्यहास:

8.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत, कर और संपत्ति के उपयोग से पहले पेशेवर शुल्क शामिल हैं।

8.2 उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय (व्ययों) का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।

8.3 अचल संपत्तियों का मूल्यहास 'अवलिखित मूल्य पद्धति' के तहत निम्नलिखित दरों पर किया जाता है (कंप्यूटरों को छोड़कर जोकि सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास किए गए):

ए) परिसर अनुमानित जीवन काल के आधार पर निर्भर - परिवर्तनीय दरों पर

बी) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष 10

सी) वाहन, प्लॉट एवं मशिनरी- 20%

डी) वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि - 15%

ई) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर - 33.33%

(एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष के दौरान राजस्व में प्रभारित किया जाता है)

8.4 अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है.

8.5 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

8.6 जहां भूमि और परिसर की लागत को अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास समग्र लागत पर किया जाएगा.

8.7 संपत्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकन राशि पर प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है. पुनर्मूल्यांकन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन की राशि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से स्थानांतरित की जाती है और "राजस्व और अन्य रिजर्व" में जमा की जाती है.

8.8 संपत्ति में वृद्धि पर मूल्यहास, 30 सितंबर तक पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और उसके बाद किए गए परिवर्धन पर अर्द्ध वार्षिक मूल्यहास प्रदान किया जाता है. छमाही के लिए 30 सितंबर से पहले बेची गई संपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है और 30 सितंबर के बाद बेची गई संपत्ति पर अर्द्ध वार्षिक के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है.

8.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्ति पर विचार करता है. पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है इसके बाद हर तीन साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है..

8.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है.

पुनर्मूल्यांकित संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लगाया जाता है लाभ और हानि खाते में और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व को विनियोजित किया गया.

8.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल पर पुनर्मूल्यांकन की गई संपत्ति का मूल्यहास किया जाता है.

9. पट्टे:- पट्टों जहां जोखिम और स्वामित्व के अधिकार पट्टेदार द्वारा वहन किया जाता है, को ए एस-19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. ऐसे पट्टे पर पट्टा भुगतानों को लेखा मानक 19 के अनुसार पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर

लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

10. संपत्ति की हानि:

अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यह आवश्यक होता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली योग्यता को आस्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले भावी शुद्ध रियायती नकदी प्रवाहों के लिए किसी आस्ति की अग्रणीत राशि की तुलना द्वारा मापा जाता है. यदि ऐसी परिसंपत्तियों को हानिकृत माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है.

11. कर्मचारी लाभ:

11.1 कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों उपचित किया गया है..

11.2 लघु अवधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

11.3 परिभाषित लाभ योजनाएं:

बैंक ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं.

ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह लाभ निहित कर्मचारियों को साविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन सेवासमाप्ति पर या सेवा काल के दौरान मृत्यु पर, या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है बशर्ते कर्मचारी द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की गयी हो. बैंक एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासियों द्वारा प्रशासित निधि में आवधिक अंशदान करता है.

बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. निहित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर या कर्मचारियों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर या कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति पर नियमों के अनुसार मासिक भुगतान से यह लाभ मिलता है. नियमानुसार विभिन्न चरणों में निहित होता है. पेंशन देयता की गणना प्रतिवर्ष किये गये एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है. और बैंक समय समय पर निधि में ऐसे अतिरिक्त योगदान करता है जो पेंशन विनियमों के तहत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक हो.



सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन पत्र शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत दर्शाया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

डी) जब योजना के लाभों में परिवर्तन किया जाता है, या जब किसी योजना में कटौती की जाती है या निपटान होता है, कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या निपटान पर लाभ या हानि, लाभ में तुरंत पहचाना जाता है या हानि खाता जब योजना में संशोधन होता है या जब कटौती या निपटान होता है।

परिभाषित लाभ योजना के तहत दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए देयता जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

इ) बीमांकिक लाभ/हानि की पहचान उस वर्ष में की जाती है जब वे उत्पन्न होते हैं।

11.4 परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। योगदान को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है

12. आय पर कर के लिए लेखांकन:

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्ष के लिए कर के प्रावधान में कर अधिनियम, 1961 और लेखा मानक 22 के अनुसार - क्रमशः "आय पर करों के लिए लेखांकन" आय के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है

आस्थगित कर को कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच के समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है जो एक अवधि में उत्पन्न होती है और एक या अधिक बाद की अवधि में वापसी करने में सक्षम होती है। आस्थगित कर संपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जाएगी।

आस्थगित कर संपत्तियों को अनबशोषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने पर केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात के पुख्ता सबूतों से समर्थित आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के खिलाफ महसूस किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इसकी प्राप्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा की जाती है। विवादित कर देनदारियों को मूल्यांकन/अपीलीय कार्यवाही की अंतिमता के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है और ऐसे समय तक उन्हें आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

13.1 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब उसके पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और इसका परिणामस्वरूप दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, साथ ही दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

13.2 निम्न हेतु कोई प्रावधान मान्य नहीं है:

ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं है; या

बी) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि:

i) यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की दायित्व तय करने के लिए आवश्यकता हो अथवा

ii) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

13.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड प्वाइंट्स का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।

13.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

14. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व और अन्य रिजर्व में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत बनाए गए प्रारक्षित निधि शामिल हैं. बैंक के निदेशक मंडल ने प्रारक्षित निधि के निर्माण को मंजूरी देने और इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसका प्रारक्षित निधि से आहरण का कोई इरादा नहीं है.

15. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है.

16. प्रति शेयर आय:

- ए) बैंक भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "एस 20 - प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है, प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है.
- बी) जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया जाता है या वर्ष के दौरान उन्हें परिवर्तित किया जाता है तब संभावित डाइल्यूशन के कारण प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय दर्शाई जाती है. प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि
निदेशक

कृते छाजेड एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए.नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए.सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए.अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए.अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुसूची-18: खातों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी :

ए) विनियामक पूंजी की संरचना

क्र.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
		31-मार्च-2023 को	31-मार्च-2022 को
1.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	20,099.54	17,049.44
2.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	शून्य	शून्य
3.	टियर 1 पूंजी (i+ii)	20,099.54	17,049.44
4.	टियर 2 पूंजी	3,334.76	3,510.43
5.	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)	23,434.30	20,559.87
6.	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	1,65,934.44	1,48,506.29
7.	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	12.11%	11.48%
8.	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	12.11%	11.48%
9.	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	2.01%	2.36%
10.	जोखिम भारित आस्ति की पूंजी(सीआरएआर)(कुल पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	14.12%	13.84%
11.	लीवरेज अनुपात	4.73%	4.25%
12.	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत(नोट-1)	93.08%	93.08%
13.	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
14.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
15.	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य

नोट: 1. वित्तीय वर्ष 31.03.2023 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रूपये 8,680.94 करोड़ है। भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई नयी पूंजी प्रदान नहीं की गई है। भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की शेयरधारिता बैंक में 93.08% है।

बी) आरक्षित निधि से आहरण:-

वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खातों में प्रारक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया है।

2. परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन

ए) 31 मार्च, 2023 तक की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों की नियत मरदों की परिपक्वता संरचना :

जमाएँ	दिन 1	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक से अधिक और 1 वर्ष और 3 वर्ष और 5 वर्ष	2 महिने से अधिक से अधिक और 6 और 3 वर्ष और 5 वर्ष	3 महिने से अधिक से अधिक और 6 और 3 वर्ष और 5 वर्ष	6 महिने से अधिक से अधिक और 3 वर्ष और 5 वर्ष	1 वर्ष से अधिक से अधिक और 3 वर्ष और 5 वर्ष	3 वर्ष से अधिक से अधिक और 3 वर्ष और 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक से अधिक और 3 वर्ष और 5 वर्ष	कुल
जमाएँ	चालू वर्ष	1,311.55	2,376.65	2,802.90	4,480.05	9,042.61	8,621.61	13,472.65	27,091.36	163,227.91	65,484.08	61,385.10	359,296.47
	पिछला वर्ष	1,516.87	2,940.12	2,888.41	4,588.65	8,893.78	8,636.28	12,890.58	24,895.30	154,125.01	62,862.65	58,454.28	342,691.94
अग्रिम	चालू वर्ष	2,529.18	1,374.65	1,576.61	5,997.23	2,425.41	6,461.41	7,031.48	17,481.67	92,283.09	16,828.40	48,995.17	202,984.31
	पिछला वर्ष	1,310.10	408.20	544.90	2,570.13	3,543.48	3,195.04	5,233.16	10,404.10	90,440.66	16,139.71	34,384.02	168,173.50
निवेश	चालू वर्ष	39,115.63	975.37	673.49	3,371.22	4,277.62	1,036.88	1,929.70	9,748.60	16,739.45	21,385.58	37,329.95	136,583.48
	पिछला वर्ष	42,936.96	1,022.77	1,533.68	331.59	4,485.87	1,054.03	2,607.41	6,143.02	14,123.63	22,811.90	43,736.08	140,786.95
उधार #	चालू वर्ष	3.97	1,764.00	100.69	-	100.69	261.91	410.40	974.49	1,984.36	17.12	1.12	5,618.75
	पिछला वर्ष	3.28	-	64.77	-	64.77	67.81	245.33	534.28	3,349.06	5.96	-	4,335.26
विदेशी मुद्रा आस्तियां	चालू वर्ष	30.01	3,061.65	274.60	15,802.31	-	5,122.99	13,615.23	8,170.13	176.34	0.16	-	46,253.43
	पिछला वर्ष	611.07	847.09	202.83	6,886.57	-	7,844.80	23,491.25	47,715.46	79.51	0.61	-	87,679.20
विदेशी मुद्रा देयता	चालू वर्ष	63.31	2,924.37	1,358.93	19,480.74	129.69	6,487.89	17,900.09	12,817.58	1,362.38	0.16	-	62,525.15
	पिछला वर्ष	320.27	1,155.33	42.28	6,953.63	-	8,148.53	22,304.46	47,682.45	1,023.44	39.91	-	87,670.29

नोट: - # टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा।

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक एक अभाग्रस्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलएएस) का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अत्यधिक गंभीर चलनिधि तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिनों की अवधि में नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)

अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	तिमाही समाप्ति 30.06.2022		तिमाही समाप्ति 30.09.2022		तिमाही समाप्ति 31.12.2022		तिमाही समाप्ति 31.03.2023	
	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारत मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां								
1 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		128,120		116,581		105,549		106,207
नकदी बहिर्वाह								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से और जमा, जिनमें से:								
(i) स्थिर जमाएं	165,423	8,271	164,904	8,245	164,738	8,237	167,247	8,362
(ii) कम स्थिर जमाएं	143,077	14,308	144,828	14,483	146,013	14,601	148,598	14,860
3 असुरक्षित थोक निधियां जिसमें:								
(i) परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) गैर-परिचालनात्मक जमाएं(सभी प्रतिपक्षकार)	31,290	13,311	30,126	12,776	29,082	12,327	30,823	12,951
iii) आरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4 रक्षित थोक निधियन		0		0		0		0
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से								
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपाश्रिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	10,166	10,166	17,921	17,921	20,653	20,653	14,977	14,977
(ii) ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) ऋण और चलनिधि सुविधाएं	1,638	1,291	1,407	1,332	1,362	1,333	1,457	1,414
6 अन्य संबिदात्मक निधियन दायित्व	3,575	3,575	4,640	4,640	4,202	4,202	3,326	3,326
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	180,374	8,779	163,011	7,913	139,687	6,753	125,701	6,044
8 कुल नकद बहिर्वाह		59,701		67,310		68,106		61,934
नकदी प्रवाह								
9 रक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)	27,674	0	10,817	0	1,268	0	0	0
10 पूर्णतः कार्यनिष्पादन एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,802	2,802	866	866	2,117	2,117	2,854	2,854
11 अन्य नकदी प्रवाह	21,523	20,051	26,806	25,966	31,273	29,540	22,891	21,882
12 कुल नकद अंतर्वाह	51,999	22,853	38,489	26,832	34,658	31,657	25,745	24,736
	कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य	
13 कुल एचक्यूएलए		128,120		116,581		105,549		106,207
14 कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		36,847		40,478		36,451		37,199
15 चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		347.71%		288.01%		289.57%		285.51%

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपत्र सं आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर. नं बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015, औसत भारत और भाररहित राशियों की गणना सामान्य दैनिक औसत लेकर की गयी है. बैंक ने जनवरी 2023 से मार्च 2023 की तिमाही के लिए 90 सूचना बिन्दु पर विचार किया है.

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम	व्याख्यात्मक नोट
ए. एलसीआर परिणाम के मुख्य संचालक और एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	<p>एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) एलसीआर के प्रमुख संचालकों में से एक है; एचक्यूएलए के बड़े हिस्से में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), एफएलएलसीआर और अतिरिक्त एसएलआर निवेश के तहत तरलता प्राप्त करने की सुविधा शामिल है. नकद बहिर्वाह एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक है. नकदी बहिर्वाह के मुख्य घटक कम स्थिर खुदरा जमा, अन्य कानूनी इकाई से वित्त पोषण और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी बहिर्वाह हैं. एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक नकद अंतर्वाह है. नकदी प्रवाह के मुख्य घटक प्रतिपक्ष और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी प्रवाह द्वारा अंतर्वाह हैं.
बी. अंतर-अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन	लागू नहीं
सी. एचक्यूएलए की संरचना	<p>एचक्यूएलए में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> स्तर 1 की संपत्ति में अधिशेष एसएलआर निवेश में (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, क्रॉस के विरुद्ध भार ग्रस्त संपदा एवं आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल आदि के लिए गिरवी रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के लिए निवल) शामिल है और आरबीआई के परिपत्र संख्या के अनुसार. आरबीआई/2022- 2023/25 डीओआर.एलआरजी. आरईसी 19/21.04.098/2022-2023 दिनांक18/04/2022 के अनुसार एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल का 2% और एनडीटीएल (एफएलएलसीआर) का 16% सामिल हैं, और आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2022-23/141 एलआरजी.आरईसी के अनुसार एसडीएफ के तहत आरबीआई के पास बैंकों द्वारा ओवरनाइट बैलेंस रखा गया है. स्तर 2 ए की संपत्ति में राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बांड, राज्य बिजली वितरण कंपनियों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी बांड, वित्त कंपनियों और एए- और उससे ऊपर की रेटिंग वाले निजी कॉर्पोरेट्स के बांड को छोड़कर, जिसमें वित्त कंपनियां शामिल नहीं हैं स्तर 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर बीबीबी- से ए+ की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स के बांड शामिल हैं. स्तर 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर निफ्टी/सेंसेक्स के शेयर भी शामिल हैं.
डी. निधियन स्रोतों की एकाग्रता	<p>बैंक प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष , प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/साधन और प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा ("महत्वपूर्ण" को बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है) से अपने वित्त पोषण की निगरानी करके धन की एकग्रता को संबोधित करता है.</p>
ई. व्युत्पन्न एक्सपोजर और संभावित संपाश्विक कॉल	<p>बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> ओटीसी डेरिवेटिव्स <ol style="list-style-type: none"> फॉरवर्ड करेंसी स्वैप ब्याज दर स्वैप एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स <ol style="list-style-type: none"> करेंसी फ्यूचर्स ब्याज दर फ्यूचर्स <p>संभावित संपाश्विक कॉल तब सक्रिय होते हैं जब लेनदेन एक्सचेंज होता है अथवा उसका निपटान केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है और ये गारंटीकृत होने के साथ-साथ प्रतिपक्ष पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) हस्ताक्षरित किया होता है.</p> <p>वर्तमान में, बैंक के पास किसी भी प्रतिपक्ष के साथ ऋण सहायता अनुबन्ध नहीं है. इसलिए कोई संभावित संपाश्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगी.</p> <p>करेंसी फ्यूचर्स और इंटररेस्ट रेट फ्यूचर्स के तहत व्यापार के एक्सपोजर के लिए बैंक संपाश्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन बनाए रखता है और इसे एक्सपोजर की मात्रा और बाजार में अस्थिरता के आधार पर बनाए रखा जा रहा है.</p>

रणनीति

संरचना

रिपोर्ट

वित्तीय

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम

व्याख्यात्मक नोट

	सभी इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जा रहा है जो कि एक प्रतिपक्ष (सीसीपी) है. इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड के गारंटीकृत निपटान के लिए बैंक सीसीआईएल के साथ संपाश्रिक (जी- सेक) के रूप में मार्जिन बनाए रखता है.
	मार्जिन की मात्रा अनावरण की मात्रा और संबंधित बाजारों में अस्थिरता पर निर्भर करती है. और जब भी इसके लिए मांग किया जाता है अतिरिक्त मार्जिन को विनिमय/सीसीपी के साथ बनाए रखा जाता है.
एफ. एलसीआर में मुद्रा बेमेल	सम्भाव्य मुद्रा बेमेल को रोकने के लिए, एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा को "महत्वपूर्ण" तब कहलाती है जब उस मुद्रा में भारत कुल देयताएं बैंक की कुल देनदारियों का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है, बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा "महत्वपूर्ण" में एक्सपोजर नहीं है.
जी. तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की मात्रा और समूह की इकाइयों के बीच बातचीत	बैंक में चलनिधि प्रबंधन एएलएम और ट्रेजरी टीम द्वारा केंद्रीकृत निगरानी की जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम और अन्य कार्यात्मक इकाइयों के बीच बातचीत निर्बाध है.
एच. एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है.	कोई भी नहीं
आई अन्य सूचना	ऋण तथा तरलता प्रतिबद्धता सहित अन्य देयताओं पर भी तदनुसार ध्यान दिया गया है .

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही को सामान्य एलसीआर 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के 311.32% के प्रति 258.51 था तथा 100% नियामक

निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता के काफी ऊपर है. 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही को सामान्य एचक्यूएलए 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के 1,28,085 करोड़ के प्रति 106,207.00 था .

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही को सामान्य एलसीआर 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के 360.81% के प्रति 302.34% है .

सी) शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात: (यह केंद्रीय वैधानिक लेखापरीक्षक के द्वारा लेखापरीक्षित नहीं है)

शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) पर दिशानिर्देश जारी किए हैं . यह दिशानिर्देश 01 अक्टूबर 2021 से लागू हैं . एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलनपत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखें . एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है . एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन-और-ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और फंडिंग स्थिरता को बढ़ावा देता है .

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया. "स्थिर वित्त पोषण" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय अबाध पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है जो एक वर्ष है. किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधिकरण की राशि में उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसकी तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोजर भी शामिल हैं. उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैसल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशानुसार कुल विनियामक पूंजी एवं खुदरा के ग्राहकों, लघु व्यवसाय ग्राहकों और गैर-वित्त निगमित ग्राहकों के द्वारा जमा के माध्यम से संचालित किया जाता है. अपेक्षित स्थिर फंडिंग (आरएसएफ) के मुख्य संचालक एक वर्ष या उससे अधिक के अवशिष्ट परिपक्वता (रेसिड्यूअल मैच्योरिटी) के साथ अभाषित निष्पादित ऋण (अनएनकम्बर्ड लोन) हैं .

भारतीय रिजर्व बैंक ने देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (जैसे जमा, असुरक्षित एवं सुरक्षित थोक उधार), अनडॉन प्रतिबद्धता, व्युत्पन्न संबंधित एक्सपोजर (डेरिवेटिव रिलेटेड एक्सपोजर) और समान अबाध के भीतर ऑफसेट के साथ आस्ति परिपक्वता से अंतर्वाह जैसी तनावप्रस्त परिदृश्य के लिए रनऑफ फैक्टर्स निर्धारित किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में अपेक्षित न्यूनतम एनएसएफआर 100% है .

बैंक का रोकड़ जोखिम प्रबंधन, बोर्ड की ओर से अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पॉलिसी के तहत शासित होती हैं . आस्ति देयता समिति (एएलसीओ), बैंक की जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमा के अनुपालन के साथ बैंक की तरलता एवं व्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्णयकारी इकाई (डिसीजन मेकिंग यूनिट) है .



एएलएफआर विवरण	मार्च 2023		दिसम्बर 2022		दिसम्बर 22		जून 2022		
	शेष परिपक्वता का अतिथारित मूल्य & एक वर्ष एक वर्ष	राशि करोड़ में	शेष परिपक्वता का अतिथारित मूल्य & एक वर्ष एक वर्ष	राशि करोड़ में	शेष परिपक्वता का अतिथारित मूल्य & एक वर्ष एक वर्ष	राशि करोड़ में	शेष परिपक्वता का अतिथारित मूल्य & एक वर्ष एक वर्ष	राशि करोड़ में	
	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं	
19 गैर वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों को ऋण और संचय, केंद्रीय बैंको तथा सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण निगमों-	-	68,835.94	54,795.39	63,236.44	50,422.86	59,008.11	47,208.53	51,802.29	41,499.09
20 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समान जोखिम धार के साथ	-	18,575.81	12,074.28	16,640.56	10,816.36	14,741.80	9,582.17	12,664.27	8,231.78
21 निष्पादित आवासीय बंधक ऋणों	-	25,387.21	16,501.69	24,264.27	15,771.78	22,382.80	14,548.82	21,004.12	13,652.68
22 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 55% से कम या समान जोखिम धार के साथ	-	25,387.21	16,501.69	24,264.27	15,771.78	22,382.80	14,548.82	21,004.12	13,652.68
23 वे प्रतिभूतियां जो खाल नहीं है और एकत्रित डेबिट प्रतिभूतियों सहित एएलएफआर के रूप में अभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 अन्य अस्थियां 05 से 29 की परिधि का धार)	-	49,816.01	106,153.38	47,844.98	132,158.16	101,644.26	121,487.69	33,171.54	138,419.94
25 स्वर्ण सहित वस्तुगत व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए धारित भांडिन के रूप में दर्ज अस्थियां और संपत्तियों के डिफॉल्ट ऋण में भागदान	-	10,682.01	9,079.71	13,581.97	11,544.67	8,381.82	7,124.55	6,728.56	5,719.28
27 एएलएफआर अस्थियां	-	59.99	59.99	-	-	-	-	-	-
28 दर्ज की गईं फिन भांडिन को कटौती से पहले एएलएफआर व्युत्पन्न देनातरियां	-	25.95	25.95	-	50.62	113.67	113.67	87.29	87.29
29 अन्य सभी अस्थियां उत्पन्न श्रेणी में शामिल नहीं है	-	49,816.01	95,385.43	47,844.98	120,562.86	93,148.77	114,249.47	33,171.54	116,579.00
30 ऑफ-बैलेंस शीट में कुल	-	111,390.26	3,698.80	142,612.59	4,583.80	155,448.53	4,967.54	223,209.23	6,989.57
31 एएलएफआर (14+15+16+24+30)	-	213,238.27	213,238.27	-	211,238.60	-	196,634.76	-	208,547.33
32 शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (%)	-	-	161.50	-	163.58	-	171.70	-	158.07

3. निवेश
क. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना: 31.03.2023 के अनुसार

	भारत में न निवेश				भारत के बाहर निवेश			कुल निवेश		
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर डिवेंचर एवं बॉण्ड	अनुबंधित एवं संयुक्त उद्यम	अन्य कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अन्य कुल निवेश			
परिपक्वता तक धारित										
सकल	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	106,963.25	-	47.49	107,010.74
घटाएं: गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान शुद्ध	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	106,963.25	-	47.49	107,010.74
बिक्री के लिए उपलब्ध										
सकल	23,901.47	-	2,836.63	6,099.68	-	2,712.41	35,550.20	-	-	35,550.20
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान शुद्ध	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	6,050.39	-	-	6,050.39
	23,698.26	-	752.05	5,006.33	-	43.18	29,499.81	-	-	29,499.81
व्यापार के लिए धारित										
सकल	91.96	-	-	-	-	-	91.96	-	-	91.96
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान शुद्ध	91.96	-	-	-	-	-	91.96	-	-	91.96
कुल निवेश										
सकल	103,203.62	-	2,844.17	32,991.61	670.07	2,895.93	142,605.40	-	47.49	142,652.89
घटाएं: गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	6,069.42	-	-	6,069.42
	103,000.41	-	759.59	31,898.26	670.07	226.69	136,535.99	-	47.49	136,583.47

(राशि ₹ करोड़ में)

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2023 तक भारग्रस्त प्रतिभूतियां शामिल हैं	अंकित मूल्य
सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक(कॉलेटरल)/मार्जिन- टीआईपीएस	9,849.00
सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ प्रतिभूति, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस	4,623.00
रेपो के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ प्रतिभूति	8,500.00
कुल	22,972.00



निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्रः
31.03.2023 के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	भारत में न निवेश				भारत के बाहर निवेश			कुल निवेश
	सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियां	अन्य श्रेयर डिवेंचर एवं बॉण्ड	अनुबंधित एवं संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	अन्य	भारत में कुल निवेश (बी)	
परिपक्वता तक धारित								
सकल	72813.03	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	47.49	100804.08
घटाएं: गैर-निष्पादक (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध	72813.03	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	47.49	100804.08
विक्री के लिए उपलब्ध								
सकल	33042.53	2979.99	7044.88	-	2901.69	45969.10	-	45969.10
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	332.60	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.17	-	5972.17
शुद्ध	32709.94	875.83	6226.69	-	184.47	39996.93	-	39996.93
व्यापार के लिए धारित								
सकल	(13.91)	-	-	-	-	(13.91)	-	(13.91)
घटाएं: मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	0.14	-	-	-	-	0.14	-	0.14
शुद्ध	(14.05)	-	-	-	-	(14.05)	-	(14.05)
कुल निवेश								
सकल	105841.66	2987.53	34596.63	257.98	3027.97	146711.77	47.49	146759.26
घटाएं: गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	332.74	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.31	-	5972.31
शुद्ध	105508.92	883.37	33778.44	257.98	310.75	140739.46	47.49	140786.95

(राशि ₹ करोड़ में)

अंकित मूल्य	अंकित मूल्य
14,744.00	14,744.00
5,816.00	5,816.00
3,530.00	3,530.00
24,090.00	24,090.00

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2023 तक भारग्रस्त प्रतिभूतियां शामिल हैं

सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक(कॉलेटरल)/मार्जिन- टीआरपीएस

सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ प्रतिभूति, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस

रपो के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ प्रतिभूति

कुल

बी. निवेश का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. मद सं	वर्षांत 31.03.2023	वर्षांत 31.03.2022
i) निवेश पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष	5972.31	5237.63
बी) 07 जून 2019 आरबीआई परिपत्र* के अनुसार एनपीआई के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु प्रारंभिक शेष	47.90	-
सी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1206.90	884.53
डी) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	341.11	0.00
ई) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	816.58	149.85
एफ) अंतिम शेष	6069.42	5972.31
ii) निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
प्रारंभिक शेष	658.09	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	54.75	658.09
घटाएं: ड्रॉ डाउन (ऋण राशि)	0.00	-
अंतिम शेष राशि	712.84	658.09
iii) एफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश की अंतिम शेष राशि	35642.15	45955.19
iv) एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2%	1.43

नोट:* भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07 जून 2019 के अनुसार एनपीआई के लिए अतिरिक्त प्रावधान का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष से नेटिंग के लिए किया गया है।

सी. एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री और हस्तांतरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण का मूल्य (एचटीएम श्रेणी से/से प्रतिभूतियों के एकमुश्त हस्तांतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्राप्त अनुमति के अनुसार, बैंकों द्वारा लेखा वर्ष की शुरुआत में यह अनुमति प्राप्त, पूर्व-घोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बुक वैल्यू के 5% से अधिक नहीं था।

डी. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. विवरण सं.	31.03.2023	31.03.2022
ए) प्रारंभिक शेष	2653.79	1936.51
बी) 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	684.26	1004.00
सी) उपर्युक्त अवधि के दौरान हास	1071.22	286.72
डी) अंतिम शेष	2266.83	2653.79
ई) किया गया कुल प्रावधान	2261.67	2577.01

4. आस्तियों की गुणवत्ता :

ए) अग्रियों का वर्गीकरण एवं किये गये प्रावधान

	मानक				गैर-निष्पादित				कुल			
	कुल मानक अग्रिम		उप-मानक		संदिग्ध		हानि		कुल गैर-निष्पादित			
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022		
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए	161556	147636	3098.30	5274.61	22185.95	20466.84	2871.97	3535.51	28156.22	29276.96	189712.22	176912.96
प्रारंभिक शेष									4075.72	4717.93	4075.72	4717.93
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन									13845.69	5838.67	13845.69	5838.67
घटाए : वर्ष के दौरान कमी									18386.25	28156.22	21777.82	189712.22
अंतिम शेष	199392	161556	2346.22	3098.30	10408.13	22185.95	5631.89	2871.97				
निम्न के कारण सकल एनपीए में कटौतें:												
i) उत्रयन									658.14	1337.14	658.14	1337.14
ii) वसूली (उन्नत खतों से प्राप्त वसूली को छोड़कर)									2929.30	3266.03	2929.30	3266.03
iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बड़े खाते									9856.46	0.00	9856.46	0.00
iv) ऊपर (iii) अग्र बड़े खाते									401.79	1235.50	401.79	1235.50
प्रावधान (चालनिधी प्रावधानों को छोड़कर)												
धारितावधानों की प्रारंभिक शेष राशि	1624.94	1029.83	674.87	842.55	17258.39	15098.85	2532.6	3207.79	20465.86	19149.48	22090.80	20179.31
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान									3962.29	3723.97	4423.85	3723.97
घटाए : अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन / बड़े खाते ऋण									10773.24	2407.59	10773.24	2407.59
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	2086.50	1541.08	843.76	674.87	7960.5	17258.39	4850.65	2532.6	13654.91	20465.86	15741.41	22006.94
शुद्ध एनपीए												
प्रारंभिक शेष									6675.17	9036.45	6675.17	9036.45
जोड़े : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन									3134.41	2932.09	3134.41	2932.09
घटाए : वर्ष के दौरान कमी									6217.86	5293.37	6217.86	5293.37
अंतिम शेष									3591.72	6675.17	3591.72	6675.17
अस्थायी प्रावधान												
प्रारंभिक शेष												0
जोड़े : वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधान									0	0	0	100.56
घटाए : वर्ष के दौरान कम की गई राशि												0
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष												0
तकनीकी बड़े खाते तथा उनमें की गई वसूली												
तकनीकी/विवेकसम्मत खातों का प्रारंभिक शेष									21992.41	22478.36	21992.41	22478.36
जोड़े : तकनीकी/विवेकसम्मत बड़े खाते का प्रारंभिक शेष									9856.46	0	9856.46	0
उप-शेष (ए)									31848.87	22478.36	31848.87	22478.36
घटाए : वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी / विवेकसम्मत खातों में की गई वसूली									1227.24		1227.24	
घटाए : उत्रयन										0.16		485.95
घटाए : नियमित बड़े खातों में रूपांतरण										1219.35		
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष (ए-बी)									29402.12	21992.41	29402.12	21992.41

* नियमित बड़े खातों में रूपांतरण इसमें ₹149.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹128.70 करोड़), ईसीजीसी दावा आवेदन राशि ₹19.13 करोड़ शामिल है.

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2023	31.03.2022
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	8.44	14.84
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम	1.77	3.97
तकनीकी बड़े खातों के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	92.48	86.69
तकनीकी बड़े खातों के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	80.47	76.29



बी. क्षेत्रवार अग्रिम तथा सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र*	31.03.2023			31.03.2022		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिका प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	42,110.35	5,038.79	11.97	39,153.93	6,052.84	15.46
	फार्म क्रेडिट	38,289.59	4,718.76	12.32			
बी)	उद्योग	16,390.21	1,548.30	9.45	13,564.33	2,334.56	17.21
	अन्य उद्योग	4,886.78	445.50	9.12			
	टेक्सटाइल	2,455.03	260.80	10.62			
	मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद	2,136.41	193.47	9.06			
	इंजीनियरिंग	1,982.19	90.44	4.56			
सी)	सेवाएं	23,581.66	2,662.35	11.29	20,576.70	3,071.52	14.93
	व्यपार	11,398.28	1,151.59	10.10			
	अन्य सेवाएं	11,065.87	1,402.63	12.68			
डी)	वैक्तिक ऋण	21,431.54	859.76	4.01	22,210.89	1,226.73	5.52
	आवास ऋण	19,188.98	505.30	2.63			
	शिक्षा ऋण	2,242.55	354.46	15.81			
	कुल-योग (i)	103,513.76	10,109.20	9.77	95,505.85	12,685.65	13.28
ii)	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	-	-	-	-	-	-
बी)	उद्योग	56,662.52	2145.38	3.79	53765.74	8062.99	15.00
	अन्य उद्योग	24,914.49	34.25	0.14			
	आधारभूत संरचनाएं	22950.38	1178.59	5.14			
सी)	सेवाएं	16,308.26	5460.31	33.48	10425.82	6411.57	61.50
	डीएफआई अर्थात् सिडबी और नाबार्ड	6099.97	0.00	-			
डी)	वैक्तिक ऋण	41,294.46	671.36	1.63	30014.79	996.01	3.32
	आवास ऋण	19,604.02	238.82	1.22			
	अन्य वैयक्तिक ऋण	17,060.00	356.00	2.09			
	उप-योग (ii)	1,14,265.24	8,277.05	7.24	94206.35	15470.57	16.42
	योग (i + ii)	2,17,779.36	18386.25	8.44	189712.20	28156.22	14.84

दिनांक 31.03.2023 को बही ऋणों द्वारा प्राप्त अग्रिमों की कुल बकाया राशि (एफबी इ एनएफबी) ₹ 26307.34 करोड़ है (31.03.2022 तक 15847.89 करोड़ के मुकाबले)।

पिछले वर्ष के लिए उप-क्षेत्र और उद्योग वार एक्सपोजर लागू नहीं थे।

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

डी) समाधान योजना और पुनर्संरचना के विवरण:

i. आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार अग्रिमों की पुनर्संरचना

समाधान योजना और पुनर्संरचना के अधीन अग्रिमों का आस्ति वर्गीकरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	ऋणियों की संख्या	बकाया राशि	ऋणियों की संख्या	बकाया राशि
मानक	2	1334.33	3	1852.35
उप-मानक	-	-	-	-
संदेहपूर्ण	8	3476.16	4	2496.33
कुल	10	4810.49	7	4348.68

ई) परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन.

31 मार्च 2022 को समाप्त प्रक्रिया वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी के संबंध में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर. एसीसी.आरईसी. संख्या 74/21.04.018/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 में वर्णित शर्तों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं एनपीए के प्रावधान में विचलन के लिए कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है.

एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी 51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 (यथा संशोधित) के अनुसार ऋण खातों (एसएमए एवं एनपीए) के हस्तांतरण को प्रकटीकरण.

जी) इस दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋण (एसएमए) का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी राशि ₹ करोड़ में	ए आर सी		अनुमत हस्तांतरण के लिए		अन्य स्थानान्तरण के लिए	
	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	4	1		निरंक		निरंक
हस्तांतरित ऋण का कुल मूलधन बकाया	313.75	41.91		निरंक		निरंक
भारत औसत अवशिष्ट अवधि		34 माह		निरंक		निरंक
ऋण का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	0.00		निरंक		निरंक
कुल प्रतिफल	164.75	13.21		निरंक		निरंक
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	41.60	327.93		निरंक		निरंक

i. बैंक ने किसी विशेष रूप से उल्लेखित खाते और ऋण को डिफॉल्ट रूप से स्थानांतरित नहीं किया है.

ii. चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई ऋण अर्जित (एनपीए) नहीं किया गया है.

iii. चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान कोई मानक संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है.

i) असाइनमेंट/नोवेशन और ऋण भागीदारी के माध्यम से प्राप्त मानक परिसंपत्तियों का विवरण :

i. पूल बायआउट

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त तिमाही
1. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	150491.00	162184
2. कुल बकाया	1020.00	1315.95
3. भारत औसत परिपक्वता	38.25	19.46
4. भारत औसत धारण अवधि	6.74	3.86
5. लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा	10%	10%
6. मूर्त प्रतिभूति का कवरेज	95.29%	100%
7. रेटेड ऋणों का रेटिंग वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. को-लेंडिंग

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त तिमाही
1. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	56846	13272
2. कुल बकाया	5106.02	1500.21
3. भारत औसत परिपक्वता (महीनों में)	175.00	204
4. भारत औसत धारण अवधि	0.00	0
5. लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा	20%	20%
6. मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज	87%	100%
7. रेटेड ऋणों का रेटिंग वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

vi. 1.03.2023 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों की सौपी गई वसूली रेटिंग, 31.03.2023 को बैंक प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में ₹.2335.13 करोड़ का निवेश धारित कर रहा है:

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति रसीदों की रेटिंग	31.03.2023 वही मूल्य	31.03.2022 वही मूल्य
आर1	3.08	31.38
आर2	156.68	236.90
आर3	60.69	18.34
आर4	17.18	34.23
आर5	31.56	2007.33
रेटिंग वापस लिया गया	2065.93	155.52
कुल योग	2335.13	2483.70

जी. धोखाधड़ी खाते

आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2015-16/376/डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-17 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी और प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	533	1243
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	1108.57	773.36
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि* (₹ करोड़)	1108.57	773.36
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से जमा किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

*वसूली/एफआईटीएल बैलेस आदि की कुल राशि, जिसके लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ई. कोविड-19 से संबंधित दवाब का समाधान :

i. 31,03,2023 को समाधान ढांचे 1.0 और 2.0 के तहत पुनर्रचित खातों के संबंध में प्रकटीकरण

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछली छमाही के अंत में स्थिति	(राशि ₹ करोड़ में)			
		(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में स्लिप हुआ	(ए) का छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) को छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि***	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण #	1835.54	58.47	निरंक	18.20	1758.87
कॉर्पोरेट व्यक्ति	1160.92	77.32	निरंक	87.61	995.99
जिसमें से एमएसएमई	354.14	77.32	निरंक	35.89	240.93
अन्य	2469.55	231.88	निरंक	168.34	2069.33
कुल	5466.01	367.67	निरंक	274.15	4824.19

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

** इसमें वे खाते शामिल हैं जहां अनुरोध 30 सितम्बर, 2021 तक प्राप्त हुआ और बाद में लागू किया गया. नए जोड़े गए व उन्नयित किए गए खातों के समायोजन के बाद प्रकटीकरण में ग्राहक-वार एक्सपोजर लिया गया है।

*** अवधि के दौरान एक्सपोजर में कुल परिवर्तन सहित.

व्यक्तिगत ऋण, रिटेल अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। कोविड-19 महामारी बैंक के वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। अनिश्चितता को देखते हुए, कोविड-19 महामारी के कारण, बैंक भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है जो भविष्य में बैंक के संचालन और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है, जो उन घटनाओं पर निर्भर करता है जो उस वित्तीय विवरण के अनुमोदित तारीख से भिन्न हो सकते हैं।



पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2023 को पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण																						
बैंक का नाम: सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया																						
क्र. पुनर्चित का प्रकार →																						
सिडीआर व्यवस्था के तहत																						
एएसई ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के तहत																						
अन्य																						
कुल																						
क्र. स.	परिसंपत्ति वर्गीकरण विवरण →	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल						
1	वित्त वर्ष के 01 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (शुरुआती आंकड़े)*#	0	0	7	1	8	31521	6290	2957	977	41745	44457	1845	4274	123	50699	75978	8135	7238	1101	92452	
	उधारकर्ताओं को																					
	बकाया शेष	0.00	0.00	407.49	122.03	529.52	3274.20	360.13	359.27	43.67	4037.28	5519.61	86.88	5023.98	2179.65	12810.12	8793.81	447.01	5790.74	2345.36	17376.92	
	उस पर प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26	3.17	3.30	0.00	27.73	29.85	1.13	2.42	0.00	33.40	57.66	4.30	5.72	0.00	67.68	
2	वर्ष के दौरान नव पुनर्गठित उधारकर्ताओं को	0	0	0	0	0	1	150	36	3	189	150	37	3	0	190	150	37	3	0	190	
	संख्या																					
	बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	15.67	1.54	159.02	176.22	15.67	3.33	159.02	0.00	178.02	15.67	3.33	159.02	0.00	178.02	
	उस पर प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.08	0.00	0.85	0.77	0.08	0.00	0.00	0.85	0.77	0.08	0.00	0.00	0.85	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित उधारकर्ताओं को मानक श्रेणी में उन्नत	0	0	-1	0	-1	463	-407	-47	-9	0	427	-392	-34	-1	0	890	-799	-82	-10	-1	
	संख्या																					
	बकाया शेष	0.00	0.00	-43.93	0.00	-43.93	37.55	-33.72	-3.27	-0.56	0.00	125.10	-14.25	-66.91	-0.01	43.93	162.65	-47.97	-114.11	-0.57	0.00	
	उस पर प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	-0.40	-0.09	0.00	0.00	0.17	-0.08	-0.09	0.00	0.00	0.66	-0.48	-0.18	0.00	0.00	
4	पुनर्गठित मानक अंशिम जिनका उधारकर्ताओं को उच्च प्रावधान करना पड़ा और/अथवा वित्त वर्ष के अंत में अंतरिक जोखिम भारिता और उसके कारण अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अंशिमों में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	संख्या																					
	बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उस पर प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का अवचयन	0	0	0	0	0	-6739	6130	128	481	6739	-2852	2426	373	53	2852	-9591	8556	501	534	9591	
	संख्या																					
	बकाया शेष	0	0	0	0	0	-3.96	3.51	0.46	0	3.96	-0.9	0.89	0.01	0	0.9	-4.86	4.4	0.47	0	4.86	
	उस पर प्रबंधन	0	0	-3	2	-1	-1763	-4938	4759	880	-7801	-2670	-1399	-21	895	-6047	-4433	-6337	4735	1777	-13849	
6	वित्त वर्ष के दौरान बड़े खातों में गए पुनर्गठित खातों	0	0	-303.73	161.04	-142.69	-248.56	-269	91.61	164.38	-876.97	-491.12	-64.59	-3,647.10	3,120.33	-1,933.70	-739.68	-333.59	-3,859.22	3,445.75	-2,953.36	
	संख्या																					
	बकाया शेष	0	0	0	0	0	23482	7076	7797	2329	40684	38512	2516	4595	1070	47693	62994	9592	12395	3402	88383	
	उधारकर्ताओं को																					
7	31.03.2021 को पुनर्चित खाता (अंतिम आंकड़े)																					
	संख्या																					
	बकाया शेष#																					
	उस पर प्रबंधन**																					
	कुल																					
	59.82	283.08	342.9	2447.79	580.23	524.37	225.11	3777.5	4318.04	139.44	1562.65	5927.67	11947.81	6765.83	719.68	2146.84	6435.86	16068.21				
	0	0	0	0	0	0	20	4.68	6.62	0	31.3	23.15	1.01	1.73	0	25.88	49.7	5.69	8.34	0	63.73	

मानक पुनर्गठित अंशिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भारत को अंकित नहीं करते हैं (यदि लागू नहीं)

** धारित प्रावधान सेट्रिफाइज़ प्रावधान आंकड़ा है

31.03.2023 को अंतिम बकाया शेष वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि / वसूली के बाद है. इसमें आंकड़े में भी शामिल है.

ii. एमएसएमई उधारकर्ताओं को पुनर्संचित खातों पर प्रकटीकरण:

“वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा छूट प्राप्त एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत” आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर सं बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर सं. बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 और आरबीआई/2020-21/17 डीओआर सं. बीपी.बीसी/4/21.04/2020-21 दिनांक 6 अगस्त 2020 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2023 को एमएसएमई पुनर्संचित खातों का विवरण निम्नलिखित है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
23298	2478.29

मानक पुनर्संचित खाते का एक्सपोजर. बैंक ने स्टैंडर्ड पुनर्संचित खातों पर 5% और 10%, जो भी लागू हो, पर अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखा है.

आई. एनसीएलटी प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण:

खातों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या के अनुसार डीबीआर सं बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत, बैंक ने 31 मार्च 2023 के लिए ₹6316.13 करोड़ (31 मार्च 2022 के लिए ₹6406.10 करोड़) (निवेश सहित कुल बकाया का 100%) की दर से (31 मार्च 2023 को ₹127.90 करोड़ के एफआईटीएल सहित) का कुल प्रावधान किया है.

जे. दबावग्रस्त आस्तियों का

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2018-19/ 203 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 को दबावग्रस्त संपत्ति के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें आरबीआई के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकताएं भी शामिल हैं. 31 मार्च, 2023 को ऐसे मामलों में बकाया ₹ 1602.59 करोड़ (31 मार्च, 2022 के लिए ₹ 1757.84 करोड़) है और आरबीआई के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को ₹ 251.26 करोड़ (31 मार्च, 2022 के लिए ₹ 435.37 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान किया है और 31 मार्च, 2023 को कुल ₹ 1116.67 करोड़ (31 मार्च, 2022 के लिए ₹ 1092.32 करोड़) का प्रावधान रखा है.

के. आईएलएफएस और आईएलएफएस संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/175 बीआर.बीपी.बीसी.सं.37/21.04.048/2018-19 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार 31.03.2022 को स्थिति इस प्रकार है

(राशि ₹ करोड़ में)				
बकाया राशि	(1) में से, एक्सपोजर की कुल राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए है और एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है.	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	विवरण
1	2	3	4	5
193.31	-	193.31	193.31	आईएलएफएस एफआईएन सीपी
16.49	-	16.49	16.49	आईएलएफएस ईक्यू
2.47	-	1.02	1.02	न्यू तिरुपुर
212.27	-	210.82	210.82	कुल

एल. प्रतिचक्रिय प्रावधान बफर

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
ए प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	0	47.34
बी लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रिय प्रावधानों की मात्रा	0	
सी लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि.	0	47.34
डी प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि	0	निरंक

एम. मानक अस्तियों पर प्रावधान

मदें	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2086.50	1624.94

एन. बड़े एक्सपोजर ढांचे पर प्रकटीकरण:

जिन खातों में बैंक के टियर-1 पूंजी पर आधारित किसी व्यक्ति और समूह खाते के संबंध में बड़े एक्सपोजर ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

प्रतिपक्षकारों के लिए बड़े एक्सपोजर (एकल और साथ ही जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूह) बैंक के पात्र पूंजी आधार. (31.03.2023 तक टियर 1 पूंजी ₹ 20099.54 करोड़)

(राशि ₹ करोड़ में)				
क्र सं	उधारकर्ता/ग्राहक नाम *	क्या कनेक्टेड काउंटर पार्टियों के सिंगल (एस) या ग्रुप (जी) हैं	एक्सपोजर राशि	टियर 1 पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर ₹20099.54 करोड़
शून्य				

ओ. अमूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित ऋणों और अग्रिमों का विवरण अर्थात अधिकार लाइसेंस प्राधिकरण आदि जो अनुसूची -9 में असुरक्षित के रूप में दिखाया गया है: निरंक

5. एक्सपोजर

ए) रियल एस्टेट में एक्सपोजर

श्रेणी	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i) आवासीय मार्गेंज	43911.97	29376.53
आवासीय संपत्ति पर बंधक के द्वारा पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है. (व्यक्तिगत आवास प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने में पात्र है उन्हें अलग से बताया जाएगा) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी. रियल एस्टेट संपदा	14518.35	13484.79
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	2692.08	1696.14
वाणिज्यिक रियल एस्टेट के मार्गेंज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि)		



(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2023	31.03.2022
(iii) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएँ भी शामिल होगी. मार्गेज आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		
- आवासीय	0.00	0.00
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट	0.00	0.00
(बी) अप्रत्यक्ष निवेश		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश	11680.01	2048.40
कुल रियल एस्टेट में एक्सपोजर	58284.06	33305.57

बी. पूंजी बाजार एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है.	406.45	408.71
ii) शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम	1.01	1.58
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है.	0.00	0.00
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपादक प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बॉन्डों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा निधि अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है. डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों यानी जहाँ शेयर / परिवर्तनीय बॉन्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं करती है.	120.53	28.73
(v) स्टॉक ब्रोकर्स को रक्षित और अरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटिया.	484.39	292.35
vi) कॉर्पोरेट को शेयर/ बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों के प्रत्यक्ष के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण.	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.00
x) जोखिम पूंजी निधि सम्बन्धित सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	437.86	471.22
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	1450.24	1202.59

राजनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

सी. जोखिम श्रेणी-वार देशीय एक्सपोजर

जोखिम श्रेणी	31 मार्च (2023) को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च (2023) को धारित प्रावधान	31 मार्च (2022) को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च (2022) को धारित प्रावधान
नगण्य	224.30	निरंक	15300.57	निरंक
निम्न	242.12	निरंक	351.35	निरंक
औसतन निम्न	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
औसतन	62.44	निरंक	3.76	निरंक
औसतन उच्च	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उच्च	1.42	निरंक	22.38	निरंक
अत्यधिक	3.30	निरंक	56.08	निरंक
वर्जित	5.27	निरंक	निरंक	निरंक
ऑफ-क्रेडिट	0.33	निरंक	निरंक	निरंक
कुल	539.18	निरंक	15734.15	निरंक

चूंकि विदेशी मुद्रा लेन-देन के संबंध में वर्ष के लिए बैंक का निवल निधिबद्ध एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% से कम है, इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

डी. अरक्षित अग्रिम

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
बैंक के कुल अरक्षित अग्रिम	20737.90	14416.76
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है।	निरंक	निरंक
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	निरंक	निरंक

ई. फैक्ट्रिंग एक्सपोजर:

31.03.2023 अथवा 31.03.2022 को कोई फैक्ट्रिंग एक्सपोजर नहीं है।

एफ. इंटर-ग्रुप एक्सपोजर

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
इंटर-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1316.91	1099.69
शीर्ष -20 इंटर-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1316.91	1099.69
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंटर-ग्रुप-एक्सपोजर का प्रतिशत	0.42%	0.40%
इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई का विवरण यदि कोई हो	निरंक	निरंक

जी. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

बैंक ने मुद्रा प्रेरित क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए बोर्ड की अनुमोदन नीति और प्रक्रिया तैयार की क्रेडिट सुविधा की उत्पत्ति और समीक्षा के समय तैयार किए गए क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापन (कार्यकारी संक्षिप्त) में आवश्यक विवरण शामिल हैं जैसे कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, जिसमें से बचाव की स्थिति और यदि बचाव नहीं किया गया है, तो उधारकर्ता कैसे कवर करने की योजना बना रहा है।

ग्राहकों के मुद्रा एक्सपोजर के विदेशी हिस्से के अन-हेज्ड हिस्से पर प्रावधान तिमाही आधार पर किया जाता

बोर्ड की अनुमोदन नीति के अनुसार, 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष और उससे अधिक के विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े सभी अग्रिमों को तब तक हेज किया जाना अनिवार्य है जब तक कि सक्षम अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। हालांकि निम्नलिखित मामलों में हेजिंग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है

- जहां विदेशी मुद्रा ऋण वित्त निर्यात के लिए बढ़ाया जाता है, हेजिंग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे ग्राहकों ने ऋण राशि को कवर करने के लिए प्राप्तियों को उजागर किया

- जहां विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा ऋण बढ़ाया जाता है।

- 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष से कम विदेशी मुद्रा ऋण वाले अग्रिमों के संबंध में.
- उन कॉर्पोरेट्स के मामले में जिन्हें "ए" और उससे अधिक रेट किया गया है, सक्षम प्राधिकारी हेजिंग के लिए जोर दिए बिना विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े अग्रिमों की अनुमति दे सकता है.
- जो ग्राहक ऊपर निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें नकद मार्जिन प्रदान करने की आवश्यकता होगी, यदि वे अन-हेज्ड एक्सपोजर की अवधि के लिए प्रचलित वायदा प्रीमियम की सीमा तक एक्सपोजर को खुला रखना पसंद करते हैं.

प्रावधान का संचलन निम्नानुसार है:-

विवरण	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रावधान खातों का प्रारंभिक शेष	4.18	3.53
लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा (विनिमय अंतर सहित)	3.43	0.65
लेखा वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	0.00	0.00
प्रावधान खातों में अंतिम शेष	7.61	4.18

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को, 80 बीपीएस प्रावधानों को आकर्षित करने वाले उधारकर्ताओं के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के खिलाफ बैंक के क्रेडिट एक्सपोजर की राशि ₹ 4604.40 करोड़ थी. इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 87.04 करोड़ है, जबकि इस अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 10 करोड़ है.

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक/2022-23/131 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च 2023 तक ₹ 7.61 करोड़ का प्रावधान कर रहा है. (पिछले वर्ष ₹. 4.18 करोड़)

श्रेणी	31.03.2023	31.03.2022
अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	9,375.38	8118.03
उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से घोषणा के आधार पर, बैंक ने आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/ 2013-14 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अपने घटकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति देयता का अनुमान लगाया है और बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिमों को ध्यान में रखा है और तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए हैं.	7.61	4.18

एच. एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमाएं:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था.

6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण:
ए. जमा का संकेद्रीकरण:

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
		(राशि ₹ करोड़ में)
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	14559.22	12342.17
बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	4.05%	3.60%

बी. अग्रिमों का संकेद्रीकरण**

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
		(राशि ₹ करोड़ में)
शीर्ष 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (क्रेडिट एक्सपोजर)	35269.83	32719.97
कुल अग्रिम (क्रेडिट एक्सपोजर)	298649.76	254575.14
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	11.81%	12.85%

**आरबीआई मानदंडों के अनुसार प्रदर्शित क्रेडिट एक्सपोजर

सी) एक्सपोजर का संकेद्रीकरण**

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	37574.72	34890.24
कुल एक्सपोजर	316640.07	273978.20
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	11.87%	12.73%

**प्रदर्शित क्रेडिट एवं निवेश एक्सपोजर

डी) एनपीए का संकेद्रीकरण

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	13895.20	13962.04
कुल सकल एनपीए में शीर्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	29.08%	27.84%

7. डेरिवेटिव्स

ए) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

क्र. विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	5625.00	3530.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि	63.71	2.90
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेद्रीकरण	निरंक	निरंक
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य	63.71	2.90

ब्याज दर स्वैप की प्रकृति एवं शर्तें:

प्रलेख	प्रकृति	संख्या	सांकेतिक मूल्य	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	97	1760.00	एमआईबीओआर	नियत भुगतान प्रति परिवर्तनीय प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	109	1585.00	एमआईबीओआर	नियत भुगतान प्रति परिवर्तनीय प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	147	2280.00	एमआईबीओआर	परिवर्तनीय भुगतान प्रति नियत प्राप्य

बी) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स

क्र. विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
i) वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii) 31 मार्च 2022 को बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii) बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv) बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य (लिखत वार)	शून्य	शून्य

सी) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण:

I) गुणात्मक जोखिम एक्सपोजर

- i. बैंक में ओवर द काउंटर (ओटीसी) मान दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स के साथ-साथ ब्याज दर फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेड्ड डेरिवेटिव्स में भी डील करता है. बैंक द्वारा निपटाए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप है. बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव यूएसडी, आईएनआर और क्रॉस करेंसी स्वैप हैं. बैंक के ग्राहकों को उनके एक्सपोजर को हेज करने के लिए उत्पादों की पेशकश की जाती है और बैंक ऐसे एक्सपोजर को कवर करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों में भी प्रवेश करता है. बैंक द्वारा डेरिवेटिव का उपयोग व्यापार के साथ-साथ बैलेंस शोर मदों को लिंग दोनों के लिए किया जाता है.
- ii. डेरिवेटिव लेनदेन में बाजार जोखिम होता है अर्थात ब्याज दरों / विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव और क्रेडिट जोखिम के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली संभावित हानि यानी बैंक को संभावित नुकसान यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स हेतु नीति" बाजार जोखिम मानदंड (नुकसान सीमा, कट-लॉग ट्रिगर, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, कार्यकाल की अवधि) निर्धारित करती है. संबंध, सीमाएं और ग्राहक उपयुक्तता और नीति की उपयुक्तता (सीएस) आदि) व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करने के लिए क्रेडिट जोखिम को केवल नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके नियंत्रित किया जाता है. प्रतिपक्षकारों को दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्षकार के साथ आईएसडीए समझौता करता है.
- iii. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है, बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम को पहचान करता है, मापता है, निगरानी करता है. इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीसी) को नीति निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करता है.
- iv. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्य रूप से अस्तियों व देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है.
- v. अधिकांश स्वैप अच्छी रेटिंग वाले काउंटरपार्टी बैंकों के साथ किए गए थे.
- vi. डेरिवेटिव लेनदेन में स्वैप शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है, स्वैप को व्यापार या बचाव व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- vii. डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं अंतरबैंक प्रतिभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष जोखिम सीमा स्वीकृत की जाती है. इसी तरह. केवल उन्हीं कॉर्पोरेट्स के साथ डेरिवेटिव सौदे किए जाते हैं जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत है. डेरिवेटिव लेनदेन के लिए, संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला-दर- मामला आधार पर क्रेडिट प्रतिबंधों की शर्तों के एक भाग के रूप में निर्धारित की जाती हैं. ऐसी संपार्श्विक आवश्यकताओं को सामान्य क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है. बैंक कुछ मामलों में जोखिम कम करने के उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है

रूपरेखा

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
i)	डेरिवेटिव्स मूल धन राशि)				
ए)	बचाव व्यवस्था के लिए	22743.18	1760.00	21920.47	1200.00
बी)	व्यापार के लिए	58657.64	3865.00	24901.37	2330.00
ii)	बाजार मूल्य की स्थिति				
ए)	आस्ति (+)	457.57	63.71	664.30	16.72
बी)	देयता (-)	480.90	38.10	561.87	13.82
iii)	ऋण एक्सपोजर	1628.02	54.80	936.44	353.00
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)		0.01		0.01
ए)	हेजिंग पर डेरिवेटिव्स	लागू नहीं	0.71	लागू नहीं	0.44
बी)	व्यापार पर डेरिवेटिव्स	लागू नहीं	0.28	लागू नहीं	0.02
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100* पीवी01 मनाया गया				
ए)	हेजिंग पर	- अधिकतम-0.71 न्यूनतम -0.47		- अधिकतम-0.44 न्यूनतम -0.01	
बी)	व्यापार पर	- अधिकतम-0.28 न्यूनतम -0.01		- अधिकतम-0.02 न्यूनतम -0.01	

प्लेन वनिला फॉरवर्ड करार.

ii. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कोई स्थान नहीं लिया है.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर नीति हमारे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्तमान में हमारे बैंक का इस खंड के तहत कोई एक्सपोजर नहीं है.

9. ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित

बैंक ने बैलेंस शीट एसपीवी से कोई ऑफ फ्लोट नहीं किया था.

10. जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	1085.73	837.35
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	209.65	258.53
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	24.83	10.15
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	1270.55	1085.73

11. शिकायतों का प्रकटीकरण:
ए) ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी :

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	384	162
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	28399	28413
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	28289	28191
	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	494	384
लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	4832	5911
	5.1 उक्त 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	4610	5543
	5.2 उक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	222	367
	5.3 उक्त 5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	02	01
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अवॉर्डों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं.

डी) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच आधार:

शिकायतों के आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 31.03.2023					
एटीएम लेनदेन	539	117953	(-)23.97	1622	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	8	6602	300.12	16	0
शाखा आदि में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं.	22	6878	233.56	98	0
खाता खोलने/खाता-सामान्य बैंकिंग के संचालन में कठिनाई	7	74	(-)95.16	2	0
ऋण और अग्रिम	6	1011	51.80	36	0
अन्य	341	13834	(-)38.50	342	0
कुल	923	146352		2116	0
वित्त वर्ष 31.03.2022					
एटीएम लेनदेन	4219	155153	(-) 18.40	539	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	3	1650	(-) 33.60	8	0
शाखा आदि में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं.	3	2062	(-) 3.87	22	0
खाता खोलने/खाता-सामान्य बैंकिंग के संचालन में कठिनाई	2	1529	(-) 13.57	7	0
ऋण और अग्रिम	2	666	(+) 20.87	6	0
अन्य	152	22506	(+) 33.47	341	0
कुल	4381	183566		923	0

ई) निवेशकों की शिकायतें:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	3	3
3	वर्ष के दौरान निवारण	3	3
4	वर्ष के अंत में लंबित	0	0

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता - ग्राहक सुरक्षा पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए 22 अप्रैल 2022 को ₹ 0.36 करोड़ का जुर्माना लगाया था. इसे 31 मार्च, 2022 को प्रदान किया गया था और 28 अप्रैल, 2022 को आरबीआई को जुर्माने का भुगतान किया गया था.

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.03.2023	31.03.2022
श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.41	0.32
श्री आलोक श्रीवास्तव (30.11.2022 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.25	0.29
श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	0.34	0.27
श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	0.37	0.28
श्री एम वी मुरली कृष्ण (01.12.2022 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक	0.10	0.00
कुल		1.47	1.16

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस - 18 - "संबंधित पार्टि प्रकटीकरण" के पैरा 9 के अनुरूप सहायक और सहयोगी उद्यमों के साथ लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है.

इसके अलावा, एएस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा

14. अन्य प्रकटीकरण

i. व्यवसायिक अनुपात

क्र. सं.	मदें	31.03.2022	31.03.2021
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	7.07%	6.65 %
(ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय **	1.13%	0.87%
(iii)	जमा की लागत	3.92%	3.86 %
(iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन **	3.64%	3.21 %
(v)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ***	1.90%	1.67%
(vi)	आस्ति पर प्रतिफल ***	0.44%	0.30%
(vii)	व्यवसाय (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी **** (₹ करोड़ में)	18.45 करोड़	17.15 करोड़
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.05	0.03

ii. बैंकएश्योरेंस व्यवसाय:

उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क / ब्रोकरेज का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा.

बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन	66509	78.86	97299	63.75
गैर-जीवन	248089	12.27	239907	10.61
कुल	314598	91.13	337206	74.36

सी. मार्केटिंग और वितरण

बैंक द्वारा कोई मार्केटिंग और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) नहीं किया गया है.

डी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में प्रकटीकरण

श्रेणी	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
पीएसएलसी माइक्रो इंटरप्राइज	700.00	0.00
पीएसएलसी कृषि	0.00	0.00
पीएसएलसी सामान्य	1000.00	10500.00
पीएसएलसी सूक्ष्म एवं सीमांत कृषक	2950.00	5028.00
कुल	4650.00	15528.00

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं: इस अनुसूची में इसके बाद लेखांकन मानक-29 के अनुसार किए गए प्रकटीकरण का नोट संख्या 15 (i) देखें.

एफ) आईएफआरएस कन्वर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (इंडस्ट्रीज एएस) का कार्यान्वयन

आरबीआई ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से अगले नोटिस तक इंडस्ट्रीज एएस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। हालांकि, आरबीआई को सभी बैंकों को हर छमाही में प्रोफार्मा इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक प्रबंधन द्वारा अनुमोदन के बाद प्रत्येक छमाही में आरबीआई प्रोफार्मा इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधान	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
i) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	431.32	448.98
ii) डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया		

v. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय परिशोधन पर प्रकटीकरण :-

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई / 2021-22 / 105 DORACC.REC.57 / 21.04.018 / 2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर

2021 के माध्यम से बैंकों को कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के साथ शुरू होने वाले 5 (पांच) वर्षों से अधिक नहीं है, हर साल खर्च की जा रही कुल राशि के न्यूनतम 1/5 वें के अधीन. बैंक द्वारा प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन पोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता ₹ 821.95 करोड़ निर्धारित की गई है. बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार इसे परिशोधित करने का विकल्प चुना है और ₹ 544.52 करोड़ की राशि का शुल्क लिया है. शेष ₹ 113.03 करोड़ के गैर-परिशोधित व्यय को बाद के वर्षों में आगे बढ़ाया गया है. चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ पर गैर-परिशोधित पेंशन देयता का परिणामी प्रभाव ₹ 73.53 करोड़ (करोड़ों का निवल) है.

आई) बहियों समतुलन / मिलान:

ए) अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल खातों की विभिन्न खातों में बकाया शेषों/प्रविष्टियों का मिलान, मूल बैंक करने की प्रक्रिया में है.

31 मार्च, 2023 को आईबीआर खाते का शुद्ध शेष ₹ 1.95 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है और 31 मार्च, 2022 को ₹ 19.01 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है.

बी) निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है:

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- उचंत खाते
- समाशोधन और अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- एटीएम विभाग से संबंधित शेष
- सेंट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते और अन्य शेष
- कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डेटा/सिस्टम अद्यतन
- अचल आस्ति

प्रबंधन का मत है कि इनका खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा.

जे) अन्य परिसंपत्ति और अन्य देनदारियों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण :

विवरण	वि.व.(22-23)	(राशि ₹ करोड़ में) वि.व.(21-22)
“अनुसूची 5 अन्य देनदारियां-IV-5 “अन्य (प्रावधानों सहित)” के तहत कोई भी मद कुल संपत्ति के 1% से अधिक है”	निरंक	निरंक
“अनुसूची 11 अन्य संपत्ति- VI अन्य परिसंपत्तियों में “अन्य” के तहत कोई भी वस्तु कुल संपत्ति के 1% से अधिक है”	निरंक	निरंक
“अनुसूची 14-VII “अन्य विविध आय” इस शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक है”	₹ 1282.59 करोड़ से बढ़े खाते में डाले गए खातों में प्राप्त वसूली जो 4.33 है	₹ 331.53 करोड़ से बढ़े खाते में डाले गए खातों में प्राप्त वसूली जो अन्य कुल आय का 1.29% है.
“अनुसूची 16-XII “अन्य व्यय” इस शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक है”	निरंक	₹ 281.14 का एटीएम इंटरचेंज शुल्क का भुगतान किया गया, जो अन्य व्ययों की 1.09 % है

15. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं

ए) लेखांकन मानक - 5 “अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुएं, और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन”

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के बाद तैयार किए गए हैं जैसा कि कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लेखांकन को छोड़कर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों में पालन किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, पीएलआई की गणना नकद आधार पर की गई थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 से पीएलआई की गणना एकुरल आधार पर की गई है. लेखांकन नीति में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर से पहले लाभ में ₹ 104.24 करोड़ की कमी आई है.

बी) लेखांकन मानक-15 “कर्मचारी लाभ”:

परिभाषित लाभ योजनाएं, कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

बैंक द्वारा नियुक्त किए स्वतंत्र एक्ज्युअरी द्वारा उपचित मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं और

ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निम्नलिखित सारिणी में दी गई है :-

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)			
	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2022 को परिभाषित लाभ दायित्व का प्रारंभ	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
चालू सेवा लागत	85.97	82.63	107.84	100.62
ब्याज लागत	1177.21	1012.96	109.69	103.25
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	821.95	0.00	0.00
उपचित हानियां (लाभ)	909.56	301.95	(15.07)	100.23
भुगतान किया गया लाभ	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व का अंतिम शेष	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1133.25	1074.53	110.79	98.93
नियुक्ता द्वारा अंशदान	1327.65	976.98	231.29	252.11
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(103.69)	98.07	(54.23)	45.41
31 मार्च 2023 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	16483.92	15807.88	1637.42	1630.51
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि				
निधिबद्ध दायित्व का वर्तमान मूल्य	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
31 मार्च, 2023 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(16483.92)	(15807.88)	1637.42	(1630.51)
गैर परिलक्षित पूर्ववर्ती सेवा लागत	0.00	(277.43)	0.00	0.00
कमी/(आधिक्य)	245.08	152.12	14.30	99.69
देयता/(आस्ति)	245.08	152.12	14.30	99.69
लाभ और हानि में अभिचिन्हित शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	85.97	82.63	107.83	100.62
अभिचिन्हित पूर्व सेवा लागत	657.56	544.52	0.00	0.00
ब्याज लागत	1177.21	1012.96	109.69	103.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	(1133.26)	(1074.53)	(110.79)	(98.93)
वर्ष के दौरान अभिचिन्हित शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	1013.25	203.88	39.17	54.82



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारी को भुगतान एवं प्रावधान"	1800.74	769.47	145.90	159.76
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न और वास्तविक रिटर्न का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	1133.26	1074.53	110.79	98.93
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(103.69)	98.07	(54.24)	45.41
योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न	1029.57	1172.60	56.55	144.34
बैलेंस शीट में अभिचिन्हित ओपनिंग और क्लोजिंग निवल देयताएं/ (एएसईटी) का समाधान				
1 अप्रैल, 2022 को निवल देयता/(आस्ति) खोलना	(228.01)	359.63	99.69	192.05
लाभ और हानि में अभिचिन्हित व्यय	1800.74	769.47	145.90	159.76
नियोक्ता का अंशदान	(1327.65)	(976.98)	231.29	252.11
तुलन पत्र में अभिचिन्हित निवल देयता/(आस्तियां)	245.08	152.12	14.30	99.69

31 मार्च, 2023 को पेंशन निधियों और ग्रेच्युटी निधियों की योजना आस्तियों के तहत निवेश इस प्रकार हैं-

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	0.31	1.01
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	18.95	37.56
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमाराशियां	19.70	30.26
म्यूचुअल फंड	3.55	6.83
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	57.47	24.27
अन्य	0.02	0.07
कुल	100.00	100.00

विवरण	पेंशन योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
प्रमुख बीमांकिक अनुमान		
बढ़ाकृत दर	7.40	7.25
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	7.40	7.25
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
पेंशन बढ़ोत्तरी दर	4.00	4.00
संग्रहण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर	आईएएलएम(2012-14)	

विवरण	उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
प्रमुख बीमांकिक अनुमान		
बट्टाकृत दर	7.40	6.90
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	7.40	6.90
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर	आईएएलएम(2012-14)	

योजना में आधिक्य/कमी

उपदान योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
वर्ष के अंत में देयता	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42
अंतर	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30

अनुभव समायोजन	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
योजना देयताएं (हानि)/लाभ	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)
योजना आस्ति हानि)/लाभ	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)

योजना में आधिक्य/कमी

पेंशन योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
वर्ष के अंत में देयता	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92
अंतर	(400.04)	482.18	359.63	429.55	245.08
तुलन पत्र में गैर परिलक्षित राशि (पिछले सेवा लागत के संदर्भ में)	0.00	0.00	0.00	277.43	0.00
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	(400.04)	482.18	359.63	152.12	245.08
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि (पिछली सेवा लागत)	0.00	0.00	0.00	544.52	277.43

अनुभव समायोजन	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	422.24	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	(72.66)	346.19	276.30	98.07	1,013.25

अगले वर्ष के लिए पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि में अपेक्षित अंशदान क्रमशः ₹ 245.08 करोड़ एवं ₹ 14.30 करोड़ है।

ii. परिभाषित अंशदान योजना :

बैंक की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) 01/04/2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीर्पिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 2021-22 के दौरान, बैंक ने ₹ 244.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 146.97 करोड़) का योगदान दिया है।

iii. कर्मचारी भविष्य निधि :-

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 0.96 करोड़ और संबंधित वर्ष ₹ 1.12 करोड़ के व्यय को अभिचिह्नित किया है, पीएफ विकल्प योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए नियोजित योगदान का खाता यानी पीएफ ऑप्टीज

iv. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवित्तीय दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय के लिए ₹ 78.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43.24 करोड़) के व्यय की पहचान की है

एस15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - विशेषाधिकार अवकाश लाभ

आस्ति एवं देयताएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व	1070,33,08,807	991,63,07,002
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
निवल दायित्व (आस्ति)	1070,33,08,807	991,63,07,002

वित्तीय अनुमान

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
बट्टा दर	7.45%	6.90%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु सीमा	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
25 व उससे नीचे	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 व उससे ऊपर	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) तालिका

आईएएलएम (इंडियन एश्योर्ड लाइफ मॉर्टैलिटी) का सांकेतिक मूल्य

बी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

1. एस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - विशेषाधिकार अवकाश लाभ आस्ति एवं देयताएं

आई ए एल एम (भारतीय सुनिश्चित जीवन नश्वरता) की प्रतिदर्शी दरें

आयु (वर्षों में)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

बी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी कल्याण
1. ए एस 15 (संशोधित 2005) के अनुरूप वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट- सेवानिवृत्ति लाभ
आस्ति एवं देयताएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व	2,74,04,770	3,05,03,237
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
निवल दायित्व (आस्ति)	2,74,04,770	3,05,03,237

वित्तीय अनुमान

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
बढ़ा दर (पी ए)	7.40 %	6.90 %
मुद्रा स्फ़ीति दर (पी ए)	0.00 %	0.00 %
अनुमानित रेट ऑफ़ रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु सीमा	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
25 व उससे नीचे	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 व उससे ऊपर	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) तालिका
आईएएलएम (इंडियन एश्योर्ड लाइफ मॉर्टैलिटी) का सांकेतिक मूल्य आयु (वर्षों में)

आयु	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. ए एस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - दीर्घावधि सेवा लाभ
आस्ति एवं देयताएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
परिभाषित लाभ दायित्व	1,21,30,154	1,18,22,548
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	0	0
निवल दायित्व (आस्ति)	1,21,30,154	1,18,22,548

वित्तीय धारणाएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
बढ़ा दर (पी ए)	7.40 %	6.90 %
मुद्रा स्फ़ीति दर (पी ए)	0.00 %	0.00 %
अनुमानित रेट ऑफ़ रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दर

आयु सीमा	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
25 व उससे नीचे	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 व उससे ऊपर	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) तालिका

आईएएलएम (इंडियन एश्योर्ड लाइफ मॉर्टैलिटी) का सांकेतिक मूल्य

आयु (वर्षों में)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(22-23)	वि.व.(21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

सी) लेखांकन मानक 17 -

खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय निर्धारित किया है. द्वितीय रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: -

- ट्रेजरी
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- रिटेल बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली, प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. ट्रेजरी -

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है. ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है.

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट / पार्टनरशिप फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की उधार गतिविधियाँ शामिल हैं जो रिटेल बैंकिंग और स्ट्रेस्ट एसेट मैनेजमेंट ब्रांच के तहत शामिल नहीं हैं. इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है.

iii. रिटेल बैंकिंग -

रिटेल बैंकिंग खंड में रिटेल शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को उधार गतिविधियां शामिल हैं. रिटेल बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, जो अभिविन्यास उत्पाद ग्रैनुलैरिटी मानदंड और व्यक्तिगत एक्सपोजर के अधीन हैं. इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय -

(i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

द्वितीय (भौगोलिक खंड)

(i) घरेलू परिचालन - भारत की परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय

(iii) विदेशी परिचालन - बैंक का एकमात्र जांबिया संयुक्त उद्यम

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	व्यवसाय खंड (एकल)									
	ट्रेजरी		कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
आय	10,974.59	11,626.75	6,564.56	5,263.81	11,701.76	8,188.86	-	-	29,240.91	25,079.42
परिणाम	2,585.67	2,528.46	1,226.84	(2,288.70)	(1,208.26)	1,047.66	-	-	2,604.25	1,287.42
अनाबंटित व्यय									41.09	429.54
परिचालन लाभ									2,645.34	1,716.96
आय कर									1,063.14	672.13
असाधारण लाभ /हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ									1,582.20	1,044.83
अन्य सूचना										
खंड आस्तियां	184,294.75	197,643.37	77,326.33	66,602.32	130,251.75	107,018.70	-	-	391,872.83	371,264.39
अनाबंटित आस्तियां									14,292.65	15,158.11
कुल आस्तियां									406,165.48	386,422.50
खंड देयताएं	179,578.72	191,840.34	73,563.83	64,083.77	123,914.02	102,971.69	-	-	377,056.57	358,895.80
अनाबंटित देयताएं									-	-
कुल देयताएं									377,056.57	358,895.80

* जहां कहीं प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है वहां खंड राजस्व और व्यय की खंड सम्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है. वर्तमान वर्गिकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को समूहीकृत किया गया है.

डी) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

1) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

नाम	पदनाम
i) श्री एम.बी. राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii) श्री आलोक श्रीवास्तव (30.11.2022 तक)	कार्यपालक निदेशक
iii) श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iv) श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक
v) श्री एम.बी. पुरली कृष्ण (01.12.2022 से)	कार्यपालक निदेशक





II. अनुषंगियाँ

नाम

- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
- सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

III. सहयोगी -

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
- इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया

परिश्रमिक विवरण के संबंध में संबंधित पार्टि प्रकटीकरण के संबंध में नोट संख्या 13 में उल्लेख किया गया है।

ई) लेखांकन मानक - 19 "लीज़"

- मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2023 बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट और निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात रू. 881.96 करोड़ की कीमत में बढ़ोतरी को पुनर्मूल्यांकन संरक्षित खाता में जमा किया गया।
- आस्तियों के मामले में जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन राशि पर लगाया गया है और बढे मूल्यहास की राशि को आकलित करके मार्च 2023 की पुनर्मूल्यांकन राशि रू.65.36 करोड़ (पिछले वर्ष 2021-22 में रू. 54.12 करोड़) को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व ' से अंतरित कर 'राजस्व एवं अन्य रिजर्व' में जमा किया गया है।
- बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि की दिनांक 31.03.2021 को बाजार मूल्य सहित रू.8.99 करोड़ थी (पिछले वर्ष रू. 8.02 करोड़) . जिसका अवलेखित मूल्य शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है. जिसकी पट्टे की भूमि समाप्त हो चुकी है, और अभी भी इन जमीनों पर बैंक के कार्यालय है, और खाली भूमि में बैंक द्वारा 31.03.2021 को बाजार मूल्य 13.73 करोड़ रुपये है. जिसका रिटें डाउन मूल्य शून्य है. जहाँ लीज़ अवधि समाप्त हो चुकी है. और लीज़ नवीनीकरण लिए प्राधिकरण से बात की जा रही है.
- एस-19 के अनुसार परिचालित पट्टा जिसमें प्राथमिक रूप से कार्यालय और कर्मचारी आवास शामिल है, उनका नवीनीकरण बैंक के विकल्प पर है;
 - गैर रद्द करने योग्य परिचालनात्मक पट्टे पर लिए गए परिसरों पर देयताएं दिनांक 31.03.2023 को शून्य है.
 - दिनांक 31.03.2023 को लाभ-हानि खाते में परिचालनात्मक पट्टे के लिए पट्टा भुगतान की राशि रू.392.02 करोड़ है (पिछले वर्ष रू.357.07 करोड़) .

v. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

बैंक द्वारा लिए गए परिसर में बैंक की अपनी संपत्ति सहित रू.37.13 करोड़ शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं प्रगति पर है.

रू.37.13 करोड़ की संपत्तियां जो प्रतिभूतियों के निपटान के लिए प्राप्त की गई है उनका हक बैंक के पक्ष में नहीं है, जैसा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शोयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शोयर आय निम्नानुसार हुई है :

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शोयर धारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध हानि. (₹करोड़ में)	1582.20	1044.83
भारत औसत इक्विटी शोयर (संख्या)	868,09,39,432	823,51,53,502
प्रति शोयर मूल आय (₹)*	1.82	1.27
प्रति शोयर डायल्यूटेड आय(₹) *	1.82	1.27
प्रति शोयर सांकेतिक आय (₹)*	10	10

जी) लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

- अनुसूची 12 के तहत बैंक के विरुद्ध दावों में शामिल मूल बैंक की विवादित आयकर देयताओं की आकस्मिक देनदारियां ₹.5726.89 (पिछले वर्ष 6050.22) को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. इसमें बैंक और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई अपीलें शामिल हैं. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामलों के पक्ष में अनुकूल निर्णयों के कारण कराधान की विवादित राशि के लिए प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है. उक्त विवादित देयों के भुगतान / समायोजन को अन्य आस्तियां (सूची 11) में शामिल किया गया है. विवादित सेवा कर मामला दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹. 7.64 करोड़ था.
- भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 (“अधिनियम”) में 115 बीएए खण्ड जोड़ा है. कराधान नियमों (संशोधित) अध्यादेश 2019, दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार घरेलू कंपनियों को गैर- परिवर्तनीय विकल्प और निश्चित शर्तों के साथ दिनांक 01 अप्रैल 2019 से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करेंगी. बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है. और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (यानि 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीईटी 1 को परिगणना को में आस्थागित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च 2023 को ₹. करोड़ आस्थागित कर आस्तियों के रूप अभिचिन्हित किए गए है. दिनांक 31 मार्च, 2023 को आस्थागित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

विवरण	आस्थागित कर आस्तियाँ		आस्थागित कर देयताएं	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
व्यवसाय हानि	2270.61	1655.92		
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	374.02	346.52		
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	3945.44	5728.37		
आयकर वापसी पर ब्याज			40.96	26.94
अर्जित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं			699.00	760.96
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि			34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर हास			16.26	45.90
योग	6590.07	7730.81	791.16	868.74
शुद्ध आस्थागित कर देयताएं	5798.91	6862.05		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2022-23 के लिए आस्थागित कर आस्तियों में कुल कमी ₹.1063.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 683.63 करोड़ अभिचिन्हित की गई है.

एच) लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2023 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर- लेखांकन मानक 29

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास (शुद्ध)	214.59	646.74
एनपीए हेतु प्रावधान	3534.31	2461.55
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	680.54	(222.47)
कर हेतु किए गए प्रावधान	1063.14	672.13
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(221.81)	595.94
अन्य प्रावधान	30.80	(1.57)
कुल	5301.57	4152.32

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया , पुनर्वर्गीकृत / पुनःवर्गीकृत किया गया है .

जे) अतिरिक्त प्रकटीकरण:-

- बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र दिनांक 31.03.2023 को बकाया- वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष में भी बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय किसी मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का मामला सामने नहीं आया है;

iii. सूचना सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31, 02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार नीतियां बनाई है. बैंक के प्रबंधन द्वारा इन नीतियों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 17.03.2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

के) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 13 जून 2017 के पत्र के माध्यम से उच्च निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत रखा है. बैंक ने पीसीए ढांचे के मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन किया. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सीओ.डीओएस.एसईडी.स.एस. 3988/14.01040/2022-23 दिनांक 20 सितंबर, 2022 के माध्यम से बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के ढांचे से हटा दिया है.

एल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय किसी मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी के मामले सामने नहीं आया है;

एम) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश डीबी ओडी स. बीजीबीसी 57/62-88 दिनांक 31 दिसंबर 1988 के अनुसार अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) शून्य राशि का ऋण दिया गया है. तदनुसार इन्हें बैंक के ऋण से समायोजित किया गया है. इन उधार राशियों के विरुद्ध शून्य ब्याज आय हुई है.

एन) एफएस और एचएफटी में स्प्रेडिंग के संबंध में हुए एमटीएम हानियां का प्रकटीकरण

यह आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2017-18/200 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18 दिनांक 15 जून 2018 के संदर्भ में है। एफएस और एचएफटी में निवेश पर मार्क टू मार्केट (एमटीएम) नुकसान के लिए प्रावधान हेतु विकल्प के संबंध में सरकार प्रतिभूतियां के लाभ में तीव्र बढ़सेत्तरी पर: शून्य

ओ) वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023



स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	31-03- 2023	31-03- 2022
			(₹ करोड़ में)
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	2,645.34	1,716.96
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	385.86	296.61
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	214.10	368.87
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	3,312.50	3,057.49
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	680.54	(222.47)
	अन्य मदों (शुद्ध)के लिए प्रावधान	31.29	276.30
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि (शुद्ध)	1.34	(9.13)
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(7.95)	(8.01)
	उप योग	7,263.02	5,476.62
II	समायोजन के लिए:		
	जमाओं में वृद्धि (कमी)	16,604.53	12,718.99
	उधार में वृद्धि / (कमी)	644.39	2,005.72
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	231.32	1,742.89
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(38,123.31)	(14,652.34)
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	3,989.37	7,426.61
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	894.46	(735.62)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(297.96)	285.45
	उप योग	(16,057.20)	8,791.70
	परिचालनात्मक गतिविधियों में शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(8,794.18)	14,268.32
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	3.62	24.37
	अचल आस्तियों की खरीद	(212.07)	(157.67)
	सहयोगी /अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	7.95	8.01
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(200.50)	(125.29)

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03- 2023	31-03- 2022
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)		
	शेयर आवेदन राशि	-	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	-	-
डी	निवल नकद में वृद्धि और नकद समकक्ष (ए + बी + सी) या (एफ - ई)	(8,994.68)	14,143.03
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	38,033.70	32,187.84
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	15,060.63	6,763.46
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (ई)	53,094.33	38,951.30
एफ	वर्ष के समाप्ति में नकद और नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	27,432.92	38,033.70
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	16,666.73	15,060.63
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (एफ)	44,099.65	53,094.33

टिप्पणियाँ:

- उक्त नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किए अनुसार "इनडायरेक्ट मेथड" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम.वी.मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम शेट
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि
निदेशक

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.101794 डब्ल्यू

कृते ए.एस.के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.122063 डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.000291 एन

कृते ए.आर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.002744 सी

सी.ए.नितेश जैन
भागीदार
एम.नं.136169
यूडीआईएन:

सी.ए.सुहास अंबेकर
भागीदार
एम.नं.101373
यूडीआईएन:

सी.ए.अखिलेश के.माथुर
भागीदार
एम.नं.509176
यूडीआईएन:

सी.ए.अनिल गौड़
भागीदार
एम.नं.017546
यूडीआईएन:

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2023



Board of Directors



Shri M V Rao
*Managing Director &
Chief Executive Officer*



Shri Alok Srivastava
*Executive Director
(ceased to be Director on 30.11.2022)*



Shri Vivek Wahi
Executive Director



Shri Rajeev Puri
Executive Director



Shri M V Murali Krishna
*Executive Director
(w.e.f. 01.12.2022)*



Dr. Bhushan Kumar Sinha
Government Nominee Director
(ceased to be Director on 11.04.2022)



Shri Hardik Mukesh Sheth
Government Nominee Director
(w.e.f. 11.04.2022)



Shri P J Thomas
RBI Nominee Director



Shri Pradip Pranlal Khimani
Part-time Non-Official Director



Shri Dinesh Pangtey
Shareholder Director



Shri Priavrat Sharma
Part-time Non-Official Director
(w.e.f. 08.05.2023)

Corporate Information

Board of Directors

Shri M V Rao

Shri Alok Srivastava

(Ceased to be Director on 30.11.2022)

Shri Vivek Wahi

Shri Rajeev Puri

Shri M V Murali Krishna (w.e.f 01.12.2022)

Dr. Bhushan Kumar Sinha

(Ceased to be Director on 11.04.2022)

Shri Hardik Mukesh Sheth (w.e.f. 11.04.2022)

Shri P J Thomas

Shri Dinesh Pangtey

Shri Pradip Pranlal Khimani

Shri Priavrat Sharma (w.e.f. 08.05.2023)

Auditors

M/s Chhajer & Doshi

M/s A S K A & Co. (Formerly M/s Ambekar Shelar
Karve & Ambardekar & Co.)

M/s Kishore & Kishore

M/s A.R. & Co.

Registrar and Share Transfer Agents

For Equity Shares

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai - 400 083.

Tel. : 022-4918 6270

Fax : 022-4918 6060

E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For Bonds (Debentures)

MCS Share Transfer Agent Limited

Office No.3B3, 3rd Floor "B" Wing,
Gundecha Onclave Premises Co-op Society Ltd.,
Kherani Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai - 400 072.

Tel. : 022-2851 6021

E-mail ID : helpdesk@mcsregistrars.com

Address for Coresspondence with the Bank

AGM / Company Secretary and Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat

Central Bank of India, 9th Floor,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

Tel : 022 - 6638 7818 / 7575

E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in/
investors@centralbank.co.in

Functional Heads (As on 31.03.2023)

CVO		
1.	Shri Sunil Arora	B.COM. (HONS.)
CRO		
2.	Shri Ashwini Kumar Shukla	B.SC., FRM, CFP
General Managers		
3.	Shri Umesh K Singh	B.E. (COM. SC & ENGG), CAIIB, DIPIN TR, INVST, RSK
4.	Shri E.Ratankumar	M.TECH., B.E.
5.	Shri Smruti Ranjan Dash	M.A., CAIIB
6.	Shri K Satyanarayanan	M.COM., PGDIT, CAIIB
7.	Shri Mukul N Dandige <i>(Chief Financial Officer)</i>	B.SC., CAIIB
8.	Shri B.S. Harilal	B.SC., CAIIB
9.	Shri Mohit Kodnani	B.E., CAIIB
10.	Shri Vivek Kumar	B.SC., B.ED., MMS, MBA, CAIIB
11.	Shri A.D.Srinivas	B.COM., CAIIB
12.	Shri V V Natarajan	B.SC., PGDHRM, CAIIB
13.	Shri Srinivasa S Rao	B.A., CAIIB, MBA(FINANCE)
14.	Shri Vasti Venkatesh	B.SC., CAIIB, MBA (BANKING & FINANCE)
15.	Shri Jaswinder Singh Sawhney	M.SC., CAIIB
16.	Shri Shiv Kumar Gupta	B.COM., M.A (ECO), CAIIB
17.	Shri Rajesh Kumar	M.SC, CAIIB, MBA
18.	Shri B.B.Mutreja	B.A., CAIIB
19.	Shri T.S.Balachandran	B.SC., CAIIB, MBA
20.	Shri Sohail Ahmad	B.COM., CAIIB, ICWA (INT)
21.	Shri Shishram Tundwal	B.COM.,CAIIB
22.	Shri Kushal Pal	M.A., CAIIB
23.	Shri K S N V Subba Rao	B.COM., LLB, CAIIB
24.	Shri Rajesh Verma	B.COM., LLB, CAIIB
25.	Shri Y Anil Kumar	M.SC., PGDCS, MCA, CAIIB
26.	Shri Ajay Kumar Singh	M.SC., CAIIB
27.	Shri Tarsem Singh Zira	MBA, CAIIB
28.	Shri Dhananjay Singh Rathour	B.SC., CAIIB
29.	Smt. Poppy Sharma	B.SC., (HONS.), MBA, CAIIB
30.	Shri Satish Kumar Agarwal	B.SC., DBF, CAIIB
31.	Shri Vernagula Lakshman Rao	M.SC. (AG.)
32.	Shri P Anup Kumar	M.COM., CAIIB
Company Secretary		
33.	Shri Chandrakant Bhagwat	B.COM., LLB, ACS, MBA

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

About Central Bank of India



Central Bank of India: A Testament to National Pride and Trust

Established over a century ago, in 1911, the Central Bank of India stands tall as one of the earliest banks in the country. Uniquely, it was the first Indian commercial bank entirely owned and operated by native citizens. This significant milestone was the realization of the aspirations of its founder, Sir Sorabji Pochkhanawala. Additionally, the bank was privileged to have Sir Pherozeshah Mehta as its first Chairman, leading the truly 'Swadeshi Bank'. Sir Sorabji Pochkhanawala, filled with immense pride, lauded the bank as the 'property of the nation' and 'India's genuine asset'. He emphatically stated that the Central Bank of India thrives on public trust and prides itself on being the people's bank.

A Pillar of Strength in India's Financial Landscape

As a commercial bank operating in India, Central Bank of India has persistently evolved in response to the changes within the financial sector, aligning ourselves with the guidelines set by the Reserve Bank of India and the Government of India. We remain at the forefront of empowering key sectors of the economy such as agriculture, small-scale industries and medium and large industries.

Over the past fiscal year 2022-23, we undertook strategic initiatives to expand our co-lending partnerships, strengthening ties with seven additional leading Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs) nationwide. This increased our co-lending alliance to 14 robust partnerships, marking our dynamic commitment to enhancing our lending capabilities across the board.

Complementing these strategic partnerships, we have launched several Self Employment Schemes

to foster employment opportunities for the educated youth. Our product portfolio includes an array of deposit products such as savings and current accounts, green deposits, time deposits, fixed deposits, recurring deposit schemes, and small saving schemes. We also offer a comprehensive array of loans, including housing, vehicle, property, personal, senior citizens, education, agricultural, as well as those tailored for micro, small and medium enterprises.

Our efforts to bolster the nation's economic development do not stop there. In our retail and corporate banking spaces, we extend project finance, infrastructure funding, financing to infrastructure investment trusts, short-term corporate loans, advances, working capital facilities, lines of credit, export finance, foreign currency loans, bills purchase/discount/negotiation facilities, non-fund-based facilities, and various industry-specific facilities. Moreover, we provide credit, debit, prepaid/gift cards, cash management, mutual funds, depository, mobile and internet banking, and ATM services.

In addition to our broad lending and banking services, we offer an extensive range of insurance products, encompassing life, general, and health insurance. These include unit-linked, whole life, children, money back, endowment, pension, health, property, personal, fire, burglary, engineering, motor, package, travel, and group insurance products, as well as protection and retirement solutions.

Under our strategic partnership with IIFL Home Finance Limited, we offer SME LAP loan products under the priority sector for MSME borrowers. Our efforts resonate with the impressive growth in advances we have recorded this year, reflecting our dedication to redefine lending paradigms and commitment to inclusive growth.

At Central Bank of India, we remain committed to the cause of financial inclusion and socio-economic development, continually striving to serve our nation better.

Our Vast Network

The Central Bank of India truly epitomizes an 'All-India Bank' due to its comprehensive coverage across the nation. Boasting an extensive footprint, the bank has left its mark in each of the 28 states, as well as in 7 of the 8 Union Territories in India, including NCT Delhi.

As of March 31, 2023, the Central Bank of India offers a network of

18,204 customer touch points across the country. This impressive network consists of 4,493 branches, a robust fleet of 3,752 ATMs, and an extensive system of 9,959 BC Outlets.

In addition to its broad geographical reach, the Bank takes pride in its robust presence in rural and semi-urban locales. This commitment to inclusivity is demonstrated by the

fact that 65.21% of our branches are strategically situated in rural and semi-urban centres, underscoring our dedication to serve every corner of the nation.



4,493

Branches

3,752

ATMs in Service

₹2,17,779 crore

Advances (31st March 2023)

9,959


Business Correspondent Agents

₹3,59,296 crore



Deposits (31st March 2023)

Performance Highlights

Over the span of an impressive 112-year journey, your Bank has navigated through turbulent waters and surmounted numerous obstacles, each time re-emerging more resilient than before. Now, we stand on the precipice of evolving into an indispensable contributor to the economy. As we move ahead, our steadfast commitment remains focused on achieving our core operating profit targets across each business division, and enhancing our Return on Assets (ROA). Our saga of resilience and growth continues, unimpeded by challenges, bolstered by our steadfast resolve.



(₹ in Crore)



STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Message from the desk of the MD and CEO



M V Rao
Managing Director and CEO



I am confident that with our clear strategic focus, superior execution and top-notch work force, we will continue to deliver industry-leading results in the future.

Dear Stakeholders,

I am delighted to present the Annual Report of your Bank for Financial Year (FY) 2022-23. This year has been a remarkable year for the Bank and Bank has come out from RBI's PCA framework in the month of September, 2022.

We emerged more resilient and reinvigorated, and our confidence in our capabilities is reflected not only in our numbers but also in the trust that our customers have placed in us. I am grateful to our customers, partners, team members, and other stakeholders for their relentless collaboration to make this happen. I am presenting here highlights of the performance of our Bank for FY 2022-23.

Economic Outlook

The year 2022-23 was full of volatility across the world with global economy experiencing several shocks. Central banks across advanced and emerging economies raised interest rates slowing down the global economy. Indian economy has remained resilient with robust domestic demand. Service sector continued to register strong growth while manufacturing suffered a setback due to global slowdown and high commodity prices prevalent during the year. Inflation remains still a

concern for most Advanced Countries (AEs). However, series of mid-size bank failures in US has signaled that central banks might shift their stance towards pause of policy rates.

The International Monetary Fund (IMF) Report released in April 2023, revised down the growth of the global economy to 2.8% in 2022 and 3.0 % in 2024. AEs have slowed down due to series of rate hikes to tackle sticky inflation. Global inflation is expected to moderate slowly to 7.0 % in 2023 from 8.7 % in 2022 and further to 4.9 % in 2024.

AEs as a whole are expected to grow by 1.3 % in the year 2023, 140 basis points lower than the growth recorded in the year 2022. The growth rate of Euro area is expected to be 0.8 % while UK economy will contract by 0.3 % in 2023. Japan is estimated to grow at 1.3 % in 2023 after rebounding from technical recession in the year 2022.

The Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) share in the world GDP is 58.3% and among these, China and India accounts for 18.5 % and 7.3 % share, respectively, for the year 2022. Russia is expected to report 0.7 % growth in year 2023. India is identified as a "bright spot" in the world economy and a key contributor to global growth in the coming years. Indian economy is projected to grow at 5.9 % in 2023 by IMF.

On Domestic front, NSO estimated GDP to expand by 7.2% in 2022-23. High credit growth continues to drive strong domestic demand amid slowing external demand. The Private Final Consumption Expenditure (PFCE) is an indicator of demand in the economy. PFCE increased by 7.5% in the year 2022-23 over 11.2% growth in 2021-22. Investment demand measured by Gross Fixed Capital Formation (GFCF) grew by 11.4% in 2022-23 from high base of 14.6% growth in 2021-22.

Union budget 2023-24, focuses on achieving vision for the Amrit Kaal through technology-driven and knowledge-based economy. It has identified 7 priorities for this year such as -Inclusive Development, Reaching the Last Mile, Infrastructure and Investment, Unleashing the Potential, Green Growth, Youth Power and Financial Sector. The finance ministry's Economic Survey has projected economic growth of India to be 6.5 % in the 2023-24.

Overall risks to the future outlook remain balanced, with after-effects of high interest rate evident more than ever and fears of contagion have risen in the global economy. Strong domestic demand, stability in rupee and capital expenditure by government and private sector with inflation under targeted range are positive possibilities.

Performance of the Bank

Business

During the Financial Year 2022-23, the Business of the Bank stood at ₹5,77,075 crore as compared to ₹5,32,404 crore in the Financial Year 2021-22 on 8.39% growth on YoY basis. Bank's business growth has remained robust in FY 2022-23, with deposit growth of 4.85% and advances growth of 14.79%. The Deposit of the Bank stood at ₹3,59,296 crore on March 31, 2023 as against ₹3,42,692 crore on March 31, 2022 with a growth of ₹16,604 crore.

The CASA share as a %age of Total Deposits stood at 50.39% on March 31, 2023 as against 50.58% on March 31, 2022. Total Advances stood at ₹2,17,779 crore in March 31, 2023 as against ₹1,89,712 crore in March 31, 2022 registering growth of 14.79% on YoY basis.

The Bank is always keen to maintain a well balanced assets mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education and Vehicle finance. Notable, Bank's MSME portfolio has shown growth of 16.87% with Retail loan portfolio growth

by 20.10% on YoY basis. Advances to MSMEs stood at ₹39,899 crore and Agriculture at ₹42,110 crore.

Financial Performance

The Operating Profit of the Bank stood at ₹6,884 crore in financial year 2022-23 as against ₹5,742 crore in financial year 2021-22. With improved performance, the Bank earned net profit of ₹1,582 crore as against ₹1,045 crore for financial year 2022-23 over financial year 2021-22 and from ₹310 crore profit to ₹571 crore profit during fourth quarter on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹11,687 crore from ₹9,487 during 2022-23 whereas Non Interest Income stood at ₹4,084 crore from ₹2,968 crore during 2022-23. Net Interest Margin (NIM) improved to 3.64% during financial year 2022-23 as compared to 3.21% in the financial year 2021-22. The Bank's Cost of Deposits stood at 3.92% during the financial year 2022-23 as against 3.86% during the financial year 2021-22.

Asset Quality

The consistent effort of the Bank on NPA management and garnering high quality assets improved the asset quality. Thus, gross NPA %age reduced to 8.44% as of March 31, 2023 compared to 14.84% as of March 31, 2022 and also Net NPA %age was brought down to 1.77% as on March 31, 2023 from 3.97% as of March 31, 2022. The Bank's Provision Coverage Ratio improved to 92.48% as on 31.03.2023 from 86.69% as on 31.03.2022 which has strengthened the Balance Sheet. We are expecting resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC and outside during 2023-24. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2023-24.

Capital

CRAR after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India is 14.12% as on March 31, 2023 as compared to 13.84% as on March 31, 2022.

Priority Sector and Financial Inclusion

Bank is continuously emphasizing on meeting various goals under national priorities. Under various national priorities, Bank has credibly achieved the mandated targets as follows :-

- » Total Priority – 54.48% of ANBC against norm of 40%
- » Agriculture – 21.98 % of ANBC against norm of 18%

Message from the desk of MD and CEO

- » Small and Marginal Farmers – 11.57% of ANBC against norm of 9.50%
- » Weaker Section – 16.83 % of ANBC against norm of 11.50%

During the year Bank sold PSLCs worth ₹4,650.00 crores under Priority Sector (₹1,000 crores under General PS, ₹2,950 crores under Small and Marginal Farmers and ₹700 crores under Micro Enterprises). There is outstanding RIDF to the tune of ₹2,072.18 crores under Priority Sector of which ₹1,556.74 crores under Agriculture as on 31.03.2023.

These achievements indeed speak of the Bank's commitment to inclusive nation building.

Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion with key interventions in offering appropriate financial products, making use of technology and enhancing financial literacy.

Bank also performed well under social security schemes launched by the Government of India. 21.21 Lakhs, 68.20 Lakhs and 19.40 Lakhs enrolments have been done under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana, respectively.

Pan India Presence

As on 31st March, 2023, Bank has a Pan India presence with 18,204 Customer Touch Points. This includes a network of 4,493 branches, 3,752 ATMs and 9,959 BC Outlets. The Pan India presence covers all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi. The Bank has a strong Rural and Semi Urban presence with 65.21% of total branches in Rural and Semi Urban Centers.

Digital Banking & Alternate Delivery Channels

In the age of information and technology, the Bank recognizes the changing needs of the customers and caters to the needs of the young demographic base of the country.

Accordingly, the Bank gives thrust on digital footprints and alternate delivery channels.

As a result of this, the share of digital transactions through alternate delivery channels increased from 78.05% for FY 2021-22 to 78.12% for FY 2022-23.

Human Resources

Bank is committed towards creating a productive work environment for its employees and departments so as to maximize individual potential and expand organizational capacity. In this regard bank had taken various steps towards Designing, Developing and Implementing Best HR Practices like Competency based Roles, Performance based promotions, incentivizing learning's etc. to facilitate the creation of an environment where each member of the organization is able to contribute their best for augmentation of Business Growth.

Employee Engagement Survey, Capacity Building Initiatives to enhance capabilities of staffs, Mentorship Program, Succession Planning (IDPs), HR Policies Reviewed and made contemporary as well as user friendly, Engagement of Retirees on contractual basis, Engagement of Apprentices in the Bank, etc were some of the HR Interventions initiated during the Year.

Bank will continue its efforts towards aligning the HRD role with the evolving environment and initiating practices benefitting employees with a view to leading the organization in advancing its corporate objectives.

Covid-19 Relief for MSMEs/Small Businesses/ Corporates

Bank has continued extending its support during 2022-23 through various Government schemes launched in 2020-21 to MSMEs / Small Businesses / Corporates and extension of Guaranteed Emergency Credit Line 01, 02, 03, 04 to protect them from hardships caused due to the Covid-19 pandemic.

ECLGS	Number of Sanctions	Amount sanctioned (₹ in crore)
ECLGS 01	1,66,644	3,381.72
Extension of ECLGS 01	11,978	942.55
ECLGS 02	224	932.96
Extension of ECLGS 02	133	234.50
ECLGS 03	479	412.67
Extension of ECLGS 03	346	712.07
ECLGS 04	111	12.53

New Initiatives

“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” Bank has turned corner and came out from RBI’s PCA framework during the FY 2022-23. This is due to vigorous engagement, commitment and new ideas implemented. Nevertheless, we will not be complacent and continue to thrive to envisage new and fresh ideas to keep the business flourish with new products and services besides fresh processes. With this impression, few of the new initiatives put forward are as follows:-

1. Technological Transformation:

Bank recognizes the need for technological transformation to leverage its customer base and drive future growth. On-going efforts in technology enhancement are expected to yield results starting from the third quarter of FY 2023-24. This initiative aims to improve operational efficiency, enhance customer experience, and support digital banking services.

Digital Initiatives – Bank has initiated Digital Transformation Project (Cent NEO) and the ambitious plans covers following Digital Transformation Journey:

- i) Universal App (Cent NEO) - Various services shall be offered on Assets, Liabilities, Wealth Management, Market Place, Cards etc, through App and Web interfaces.
- ii) Digital Lending Platform (DLP) - The DLP shall support lending in Straight Through Process (STP), Assisted and Semi-Assisted modes.
- iii) Integrated Customer Care - Modern Customer Care for Customer Services, Grievance Handling, Marketing & Sales etc. on variety of channels Call, Chat/Voice BoTs, IVR, WhatsApp etc.
- iv) Integrations Platform - Upgrading the middleware platform for seamless communication between internal and external systems. The components of this platform are Payment-hub, API Gateway, Middleware and Streaming.
- v) Collections Management - Unified collections management system with Technology, Call Centre and Feet On Street (FOS) services.

2. Centralised SWIFT Cell:

For ensuring better compliance in handling the Cross Border Outward Transactions, Bank has set-up a cell for Centralised SWIFT operations at International Division in the financial year 2022-23. All the cross border transactions are authorized at AD branch

level in Trade Finance Module i.e FX24. The SWIFT messages generated after authorization of transaction in FX24 by branch are authorized at Centralised SWIFT Cell at International Division. The cell scrutinize the documents and ensure the compliance with the various guidelines viz. latest custom/ DGFT guidelines/ Ministry of commerce guidelines along with RBI directions/ FEMA regulations / ICC rules / FEDAI rules etc.

3. Bank has launched Green Fixed Deposits, proceeds of which will be utilized towards funding green projects.
4. SMS Based Customer Feedback Mechanism implemented for Deposit, Withdrawal and Transfer.
5. Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) has been implemented for Real Time Analysis and Blocking of suspicious transactions initiated through Alternate Channels like ATM, Internet banking, Mobile Banking and UPI. It is implemented to prevent fraudulent transactions done through various delivery channels
6. Initiated Digital Customer On-boarding through Video KYC (online channel) as part of hassle free customer on-boarding without visiting Branches.

Way Forward

In light of our results for FY 2022-23, I must express my joy for meeting shareholders expectation. “I am confident that with our clear strategic focus, superior execution and top-notch work force, we will continue to deliver industry-leading results in the future”.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in our endeavors. I also thank the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, IBA, Stock Exchanges, Customers and all stakeholders for their support and guidance from time to time.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2023.

With best wishes,

Yours sincerely,

M V Rao

Place: Mumbai

Date: May 24, 2023



Unleashing
Digital Momentum:

Powering Retail Lending Through *Digital Transformation*

Central Bank of India's Digital Transformation Project (Cent NEO) is revolutionizing banking through a Universal App, Digital Lending Platform, Integrated Customer Care, and a modern Integrations Platform.



Embracing the Digital Shift

In an era where technology and banking continue to evolve together, Central Bank of India (CBI) stands at the forefront of this change, forging a new future in retail lending. Anchored by a commitment to enhancing customer experience, operational efficiency, and digital service capabilities, the Bank's progressive digital transformation journey has begun to bear fruit, transforming lives, and businesses alike.

The Dawn of a New Era: Digital Initiatives and Technological Transformation

CBI's relentless pursuit of innovation led to the launch of the Digital Transformation Project (Cent NEO). The Bank's comprehensive, end-to-end digital transformation is redefining the banking experience through the Universal App (Cent NEO), the Digital Lending Platform (DLP), the Integrated Customer Care, and a modern Integrations Platform. An agile Collections Management system completes the digital suite, providing a unified collections management system fortified with technology and human touchpoints.

Fuelled by this transformative initiative, CBI has been making strides in leveraging data analytics, exploring digital marketing strategies, and expanding its scope of pre-approved personal loans. As part of the technological transformation, significant IT projects such as Core Banking Solutions, Trade Finance Solutions, Treasury Solutions, and Loan Lifecycle Management Solutions have been implemented, paving the way for efficient and effective banking operations.

We are embracing the digital revolution, forging a new future in retail lending through our unwavering commitment to enhancing customer experiences, driving operational efficiency, and adopting cutting-edge digital technologies.

Retail Lending: Riding High on the Digital Wave



Between March 2022 and March 2023, CBI's retail lending business experienced a remarkable year-on-year growth rate of 20.10%. The total retail advances swelled from ₹52,226 crore to a commendable ₹62,726 crore, reflecting the Bank's agility in capturing market opportunities and meeting the evolving needs of its retail customers.

Unleashing Digital Momentum: | Powering Retail Lending Through **Digital Transformation**


Visualizing Success: The Year-on-Year Retail Advances Growth in Central Bank of India from March 2022 to March 2023, Climbing 20+% from ₹52,226 Crore to an Impressive ₹62,726 Crore.

Housing loans, auto loans, personal loans, and education loans formed a considerable part of the retail lending portfolio for FY2023, amounting to ₹38,793 crore, ₹3,248 crore, ₹3,644 crore, and ₹3,625 crore, respectively. The Bank's concerted efforts in making financial assistance available for home ownership, vehicle acquisition, and funding education and personal needs played a crucial role in driving this significant growth.

Retail Loan Breakdown

(₹ in crore)

3,625, 7%
3,644, 7%
3,248, 7%
38,793, 79%



● Housing Loans	38793
● Auto Loans	3248
● Personal Loans	3644
● Education Loans	3625

The period between March 2022 and March 2023 saw the number of sanctioned retail accounts increasing from 201,616 to 224,769, with the total loan amount sanctioned swelling

from ₹11,579 crore to ₹19,730 crore. This represents a robust year-on-year growth of 70.39% in both the number of accounts and the sanctioned loan amount.

Key IT Initiatives Impacting Retail Lending in Central Bank of India

Digital Initiatives	What we did	How it impacted our Retail Lending
Digital Transformation Project (Cent NEO)	An extensive initiative encompassing Universal App, Digital Lending Platform, Integrated Customer Care, and more.	Enhanced digital accessibility of retail lending products and services, promoting customer convenience and expediting loan processing.
Revamped Internet Banking	Enhanced Internet banking services with increased security controls and features.	Improved online experience and convenience for retail borrowers, promoting more online transactions.
Data Mining & Analytics	Leveraging data mining capabilities to identify business opportunities.	Identified potential retail borrowers, enabling personalized offerings and promotions.
Upgraded RTGS/NEFT	Upgraded setup to ensure 24x7 availability of RTGS and NEFT.	Seamless and uninterrupted transaction capabilities for retail customers.

Digital Initiatives	What we did	How it impacted our Retail Lending
Digital Lending Platforms	Partnership with fintech companies for retail asset lending.	Streamlined and digitalized lending processes, improving customer experience and expanding lending capabilities.
Partnerships with Auto Manufacturers & Builders	MOUs with leading car manufacturers and builders.	Facilitated specialized lending for home and vehicle purchases, thereby expanding the retail lending portfolio.
Disaster Recovery Centre	Comprehensive setup to ensure business continuity.	Minimal disruption to retail lending services during calamities.
Customer onboarding via Video KYC	Introduced Customer onboarding Journey through Video KYC.	Simplified and expedited the onboarding process, promoting customer convenience and contributing to an increase in new retail accounts.
Implementation of Digi Funds Management Solution	Comprehensive fund management and payment monitoring solution.	Enhanced transparency and operational efficiency in retail lending transactions.
"Pre-Approved Personal Loan" (PAPL) Digital Module	A streamlined process for providing personal loans to existing customers.	Improved customer satisfaction and increased the number of personal loans provided.

Outlook: Striding Towards a Digital Future



With continuous technological enhancements and a customer-centric approach, Central Bank of India is committed to shaping the future of digital banking.

As we look ahead, Central Bank of India remains committed to leveraging technology and digital initiatives to fuel growth and improve service delivery. This commitment is reflected in our ongoing efforts to automate loan processing, reduce processing times, and create seamless customer banking experiences.

Our strategic tie-ups, participation in the government's financial inclusion initiatives, effective fund management, and consistent focus on customer-centric solutions only underscore our steadfast dedication to our mission. The future is digital, and at CBI, we are well on our way to shaping it, one transformation at a time.

Enhancing
Human Capital:

Our Strategic Roadmap For **Sustainable Growth**

As the Central Bank of India navigates the banking landscape of the future, its attention remains steadfastly focused on the importance of its human resources. The Bank recognizes the pivotal role its people play in realizing strategic business objectives, which is reflected in the comprehensive Human Resources Development initiatives undertaken during FY2023. Bolstering this focus is a robust, well-rounded approach to recruitment, promotion, employee benefits, development, and administrative procedures, all of which underpin the Bank's commitment to creating a resilient, future-ready workforce.



Investing in our people is investing in the Bank's future. Our robust Human Resource strategy - encompassing recruitment, promotion, and nurturing a conducive work environment - fuels our mission to excel in our lending business and growth aspirations. We believe in individual progress as the key to collective success.

Bolstering Workforce Strength for Future Aspirations

The Central Bank of India's staffing strength increased to 30,770 by the end of March 2023. This increase, distributed across officer, clerical, and sub-staff levels, was engineered to meet the needs of the Bank's lending business and its growth aspirations.

Strategic recruitment initiatives led to onboarding of 547 new Specialist Officers and 527 Probationary Officers, along with compassionate appointments in the sub-staff and clerical categories, further enriching the Bank's human capital.

The Bank conducted an extensive promotion process across scales and disciplines, leading to 795 clerks being promoted to Scale-I officers and 2,779 officers to higher grades and scales. Alongside, the Bank's fair and transparent transfer policies attended

to the needs of 724 officers on a pan-India basis. This comprehensive approach to career advancement is a testament to the Bank's commitment to fostering an environment conducive to professional growth.

30,770

The total staff strength of the Central Bank of India as of the end of March 2023

547

New Specialist Officers recruited by the Bank during FY2023



Enhancing
Human Capital:

Our Strategic Roadmap for
Sustainable Growth

Cultivating a Rewarding Employee Experience

We firmly believe that our people are our greatest asset at the Central Bank of India. This ethos is reflected in our comprehensive and thoughtful Employee Benefits scheme, designed to support our staff's well-being and satisfaction within and beyond the workplace.

Health and wellness take precedence in our benefits program. We have provided medical facilities and insurance coverage, including comprehensive medical insurance with an additional Super Top-up facility. Special schemes such as the Corporate Buffer and the Retirees' Group Health Insurance Policy have also been implemented, ensuring that significant ailment expenses are catered for and that retired employees continue to receive medical coverage.

Our financial assistance and incentives further reinforce our commitment to our employees' welfare. We have enhanced the relief amount for funeral expenses and ex gratia payments to the families of deceased employees. We've increased canteen subsidy facilities for serving staff members and provided financial assistance for employees with special needs children. Rewards are also offered to employees whose children excel academically.



At the Central Bank of India, we see our people as our greatest asset, and our relentless focus on their development and well-being is reflected in our growth story.

The Central Bank of India fosters an environment of appreciation and celebration. Upgraded Holiday and Transit Homes provide a relaxing escape for our employees, while health check-ups and allocations for sports, cultural, and recreational activities promote a balanced lifestyle. Through open discussions with unions

and revised transfer norms and promotion policies, we continuously strive to maintain a harmonious work environment. Employee welfare is at the heart of our operations, and this focus strengthens our commitment to serving our customers and driving our growth.

A Strong Emphasis on Continuous Learning and Development

Recognizing the importance of continuous learning and development, the Bank has instituted diverse training initiatives to build capacity and drive performance across all levels of our organization. A comprehensive Performance Management System

(PMS) called the Central RISE Project has been implemented for officers and clerks. This system integrates components such as role allocation, scorecards, and review utility in the PMS tool, fostering a culture of continuous improvement and growth.

Further bolstering our commitment to capacity building, we have made provisions for employees to choose their certifications. This allows them to pursue up to five certifications worth up to ₹60,000 in a fiscal year, enhancing their skill sets in line with the evolving demands of the banking

sector. Our training programs have been remarkably successful in terms of reach and effectiveness. We have conducted courses covering various topics through our Officers' Training Colleges and Centres for Learning and Development (CLDs). Impressively, the capacity utilization of these institutions reached 114.43%, demonstrating our robust efforts to develop our human capital.

To keep up with the changing dynamics of the learning landscape, we have harnessed technology to offer e-learning modules and video-based learning. Our employees can access various courses through the Cent Swadhyay App, enabling them to learn at their convenience and pace. We have also engaged reputable institutions such as McKinsey & Company, FSIB, IBA, IIM-A, IIM Indore, XLRI, ASCI, IIBF, and JBIMS to deliver specialized training initiatives. These programs aim to hone leadership skills, foster professional development, and support our digital transformation objectives.



Creating an Inclusive Workforce

In keeping with the government's reservation policy, the Bank's workforce represents a diverse spectrum of society, including SCs, STs, OBCs, and differently-abled individuals across all cadres. This commitment to inclusivity ensures diverse perspectives and experiences, fostering a prosperous, inclusive culture that drives innovation and progress.

835

Differently-abled employees at the Bank across all cadres

7,748

The staff strength of the Bank who are Women

Ensuring a Safe and Respectful Work Environment

Adhering to stringent guidelines under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, the Bank has implemented measures to prevent workplace harassment, ensuring a safe and respectful environment for

all employees. Through the creation of internal complaint committees at all administrative offices, the Bank has successfully addressed and resolved instances of sexual harassment.

The Central Bank of India's steadfast commitment to developing its human capital is reflective in its comprehensive approach towards employee recruitment, benefits, development, and inclusion. As the Bank gears up for a promising future, the growth and well-being of its people continue to be its driving force, underpinning its growth aspirations and commitment to excellence.

2,117

Number of Training Programs Conducted during FY2023

31,523


Total Hours of Training Provided during FY2023



Empowering Growth
Through Inclusion:

Our Commitment to *Inclusive Lending and Prosperity*

We are an institution with a long-standing tradition of fostering financial inclusion and economic growth, and have demonstrated considerable progress in extending its services across priority sectors in FY2023. Here, we highlight how the bank's innovative human-centric strategies have strengthened its position in India's competitive banking landscape and how we are poised to sustain future growth.



By deepening our co-lending alliances to more than 14 partnerships, we have energized our lending prowess into the priority sector. This move is more than just numerical growth - it represents our commitment to being a catalyst in our nation's economic development.

Reimagining Lending

The financial landscape has evolved in unprecedented ways, and Central Bank of India, one of the country's stalwart institutions, stands at the forefront of this transformation. In an audacious yet strategic move, your Bank amplified its co-lending partnerships during the fiscal year 2022-23, fostering ties with seven additional leading Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and

Housing Finance Companies (HFCs) nationwide. This strategic manoeuvre swelled your Bank's co-lending alliance to 14 robust partnerships, a testament to its dynamism and commitment to expanding its lending horizons.

The cornerstone of these partnerships lies in the noble pursuit of enhancing lending in key sectors. Rooted in the guidelines given by the Reserve

Bank of India (RBI), the initiatives extend across the Retail, MSME, and Agriculture sectors within both priority and non-priority domains.

The proof of these initiatives' efficacy resonates with the impressive growth in advances recorded by your Bank this year. By fostering these co-lending alliances, your Bank was able to bolster its lending capabilities, ensuring its position as a pivotal contributor to the nation's economic development. The numbers attest to the bank's dedication to redefining lending paradigms, reflecting a triumph of strategy, ambition, and commitment toward inclusive growth.

By expanding our co-lending partnerships with leading NBFCs and HFCs, we are redefining lending paradigms, fostering inclusive growth, and propelling economic development together.



Empowering Growth Through Inclusion:

Elevating Financial Inclusion

Financial inclusion, a critical pillar of equitable socio-economic development, has long been a core mandate for the Central Bank of India. This year, your Bank has redoubled its efforts in breaking down barriers, pioneering initiatives that seek to bring financial services to the unbanked and underbanked regions of the country. It's a mission that's as ambitious as it is essential, symbolising your Bank's commitment to transforming words into actionable strategies.

In the fiscal year 2022-23, the Central Bank of India significantly extended financial services to far-flung areas of the country, consciously seeking to uplift individuals and communities who traditionally had limited access to these essential services. Operating under the lens of financial inclusion, your Bank's efforts to drive inclusive growth have transcended the conventional constraints of the banking sector.

One key strategy to fuel this initiative was leveraging digital technology's power. The Bank rolled out various digital solutions, including mobile banking applications and USSD-based services, designed to provide a seamless banking experience even in remote areas. Financial literacy programs have also fostered awareness and understanding among the newly banked population.

With credit deployment under the priority sector reaching more than ₹103,000 Crore, Central Bank of India illustrates its unwavering commitment to fostering economic growth and financial inclusion.

Empowering the Agriculture Sector



Agriculture remains an integral pillar of India's economy. Recognizing this, Central Bank of India has intensified its focus on this sector, adopting innovative measures to support farmers and agricultural enterprises. Your Bank has made significant strides, achieving a commendable 21.98% of ANBC as agricultural credit against a norm of 18%.

Central Bank of India has driven multiple initiatives to boost

agricultural credit flow. The focus has been organising special credit campaigns and facilitating access to credit for self-help groups, thereby promoting growth and self-reliance in the agricultural sector. In addition, Central Bank of India ensures crop insurance coverage for eligible farmers under the "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana," offering a vital safety net to farmers. The Bank's efforts underline its unwavering dedication to agricultural development and rural prosperity.

Harnessing the Power of Financial Literacy and Skill Development

The Central Bank of India takes pride in pioneering initiatives to impart financial literacy and boost skill development. Your Bank has set up 48 Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) and 46 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in various states, working tirelessly to improve financial knowledge and skills in rural and semi-urban communities.

Through FLCCs, Central Bank of India reaches out to individuals, providing crucial financial education, helping them make informed decisions, and enhancing their economic well-being. Simultaneously, RSETIs conduct extensive training programs, fostering entrepreneurship and self-employment in rural areas.

The bank's robust efforts in these areas have successfully trained 27,428 candidates in 2022-23, of whom 77% secured employment or established ventures, illustrating the effectiveness of these programs. Central Bank

of India remains steadfast in its commitment to empowering individuals through education and skills, contributing to the nation's socio-economic development.

Central Bank of India is leading the charge in financial inclusion, with over ~676 lakh transactions through our business correspondents, and an impressive ~22% growth in business volume, symbolising our relentless efforts to bring banking to the underserved.

Central Bank of India's dedication to these efforts has strengthened the roots of financial inclusion by democratizing access to knowledge and economic opportunities. By instilling financial literacy and fostering entrepreneurial skills, your Bank aids in integrating a sizeable portion of society into the mainstream financial system. This empowerment, transcending beyond pure banking services, signifies their profound commitment to fostering a financially inclusive and equitable India.

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th (Sixteenth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 30th June, 2023 at 11.00 a.m. (IST) at Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business:

Ordinary Business:-

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the financial year ended 31st March 2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:-

Item No 2

To approve the appointment of Shri Hardik Mukesh Sheth as Government Nominee Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Shri Hardik Mukesh Sheth, as Government Nominee Director of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11th April, 2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 11th April, 2022 and until further orders, be and is hereby approved."

Item No.3

To approve the appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

as amended from time to time, the appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive Director of the Bank under Section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 01st December, 2022 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.4

To approve the appointment of Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Priavrat Sharma as Part-time non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of the Bank under Section 9(3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref F.No.6/8/2022-BO.I dated 08th May, 2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 08th May, 2023 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.5

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹2500 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights Issue.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in

granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) upto the value of ₹2500 crore (Rupees Two Thousand Five Hundred Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placements (QIP), follow-on-Public Issue (FPO), Rights issue or in combination thereof, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or

times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may Wbe prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

STRATEGY
NOTICE
REPORTS
FINANCIALS

- A. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution.
- B. The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its

absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank or a Committee of Board as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: June 6, 2023

(Chandrakant Bhagwat)

Place: Mumbai

Company Secretary &
Compliance Officer

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 setting out the material facts in respect of the Business Item Nos.2 to 5 to be transacted at the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):

Pursuant to General Circular No.10/2022 dated 28th December, 2022, read with other relevant Circulars including General Circular No.20/2020 dated 05th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Bank is convening the 16th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA and SEBI Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed,

has been sent to the Bank through e-mail at smird@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 26th June 2023.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.
6. Since the AGM will be held through VC/OAVM, the route map of venue of meeting is not annexed to this notice.
7. **Registration of email ID and Bank Account details:**

(a) In case the Shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case, the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/ Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/ Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

OR

(ii) In the case of Shares are held in Demat mode:

The Shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

(iii) For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending physical copy of duly filled-in ISR-1 form to Link Intime India Pvt Ltd, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.

(b) The Notice of the Annual General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/ Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated 5th January, 2023 (as amended if any). Members may note that the Notice of Annual General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and

BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

- (c) Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.
- For shares held in electronic form to their Depository Participants (DPs)
 - For shares held in physical form to the Bank/ Registrar and Transfer Agent in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023. The Bank has sent letters to physical shareholders for furnishing the required details. Members may also refer to letter sent to physical shareholders on Bank's website <https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/217707>.
- (d) Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in dematerialized form only while processing service requests viz. Issue of duplicate securities certificate; claim from unclaimed suspense account; renewal/ exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR -4, the format of which is available on the Bank's website at https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Form_ISR-4.pdf and on the website of the Bank's Registrar and Transfer Agents, Link Intime India Private Ltd. at <https://web.linkintime.co.in/client-downloads.html>. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant.
- (e) SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised

to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or RTA, for assistance in this regard.

- (f) As per the provisions of SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in Form ISR-3 as the case may be. The said forms can be downloaded from the Bank's website <https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/217707>. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical form.

8. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. Accordingly, it is once again reiterated that all holders and claimants of physical securities shall furnish valid PAN, KYC details, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

S. No	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on bank's website www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) is not available with us/RTA, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

- **Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.**

- The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA
- The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:
 - to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above
 - for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular
- Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
- The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/ details as in para above.

9. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

a) Instructions for Shareholders/Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding,

Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

- Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>>

Click on "Login", Select the "**Company**" and "**Event Date**" and register with your following details: -

 - DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
 - PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
 - Mobile No.
 - Email ID
- Click "Go to Meeting" (You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting).

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

b) Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **e-mail: smird@centralbank.co.in from 20th June, 2023 at 10.00 am to 27th June, 2023 at 5.00 Pm.**

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive “speaking serial number” once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panelist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: smird@centralbank.co.in on or before 23rd June, 2023. The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

c) Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutinizer during the meeting, shareholders/

members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

- i. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting “Cast your vote”.
- ii. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on ‘**Submit**’.
- iii. After successful login, you will see “Resolution Description” and against the same the option “Favour/ Against” for voting.
- iv. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. “Favour/Against” as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under ‘Favour/ Against’.
- v. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on “Save”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “Confirm”, else to change your vote, click on “Back” and accordingly modify your vote.
- vi. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case, the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

10. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated

December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on "e-voting facility provided by Listed Companies", e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider ("ESP") thereby not only facilitating

seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period begins on Monday, 26th June, 2023 at 10.00 a.m. and ends on Thursday 29th June 2023 at 05.00 p.m. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd June 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below::

❖ **Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-**

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<ul style="list-style-type: none"> If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdEASDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ul style="list-style-type: none"> Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants	<ul style="list-style-type: none"> Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in Physical mode.	<ol style="list-style-type: none"> Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> Click on “Sign Up” under ‘SHARE HOLDER’ tab and register with your following details: - <ul style="list-style-type: none"> A. User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company. B. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. C. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format) D. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded ‘C’ and ‘D’, shall provide their Folio number in ‘D’ above Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). Click “confirm” (Your password is now generated).

Type of shareholders	Login Method
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab. 3. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on 'Submit'. 4. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select 'View' icon. 5. E-voting page will appear. 6. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). 7. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

❖ **Cast your vote electronically**

- i. After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
- ii. On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
- iii. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
- iv. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
- v. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
- vi. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

❖ **Guidelines for Institutional shareholders:**

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are

required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**' login for the Scrutinizer to verify the same.

❖ **General Guidelines for all shareholders:**

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

- The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e Friday, 23rd June 2023. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/ her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 23rd June 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.
- Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd June, 2023, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.
- S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

11. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday 24th June, 2023 to Friday, 30th June, 2023 (both days inclusive).

12. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than

the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

13. Outcome of Meeting:

The resolutions shall be deemed to be passed at the Head Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

14. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

15. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

16. Shareholders may also access the Annual Report from the Bank's website for the Meeting.

17. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into

Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

18. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend declared are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this report and FAQ of investor page on Bank's website under the following web link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/FAQ-for-Shareholders.pdf>

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 2

To approve the appointment of Shri Hardik M Sheth as Government Nominee Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref No eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11.04.2022 has appointed Shri Hardik Mukesh Sheth as the Nominee Director of Government of India on the Board of Central Bank of India with effect from 11.04.2022 and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Hardik M Sheth as the Government Nominee Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Shri Hardik Mukesh Sheth in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	Shri Hardik Mukesh Sheth
DIN	Not Applicable
Age	44 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	11 th April, 2022
Education Qualifications	MBA (Finance) and US CPA
Brief resume including expertise in specific functional areas	Presently, Shri Hardik Mukesh Sheth is working as Director with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Prior to joining the Ministry, Shri Hardik Sheth was associated with few multinational as well as Public Sector Bank (State Bank of India). He has more than 18 years of experience in diversified areas. He has worked across various functions, including Risk Management, Credit Management, Corporate Credit, Branch Operations, and Administration. He has an experience of handling large team sizes and various branches under himself. He brings with him a holistic view of the Banking industry.
Directorships held in other companies	Nil
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 3

To approve the appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. M.V. Murali Krishna has been appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from 01.12.2022 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Shri M.V. Murali Krishna in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Name	Shri M.V. Murali Krishna
DIN	09021111
Age	55 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	1 st December, 2022
Education Qualifications	MBA in Banking and Finance
Brief resume including expertise in specific functional areas	<p>Shri Malladi Venkat Murali Krishna joined as Executive Director of Central Bank of India with effect from 01st December, 2022.</p> <p>Prior to joining Central Bank of India, he worked as Chief General Manager of Bank of Baroda. Shri M.V. Murali Krishna has more than 31 years of experience in Banking industry. He began his career with Bank of Baroda as Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles.</p> <p>Shri Murali Krishna was Head of Corporate & Institutional Credit – Large Corporate at Bank of Baroda.</p> <p>His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, International Operations, Rural and Agriculture Banking, Financial Inclusion, NRI business etc</p> <p>During his long stint in the Banking Industry, he worked from branches to regional offices and from overseas territory to corporate office. He successfully handled the responsibilities such as Head of Large Corporate, Head of International Operations, Head of Rural & Agriculture Department and Head of Financial Inclusion Department. Shri Murali Krishna also held position as a Director on the Board of BOB Capital Finance Ltd, Baroda Gujarat Gramin Bank and AFC Ltd (Agriculture Finance Corporation).</p>
Directorships held in other companies	1. Cent Bank Financial Services Limited (Unlisted Company)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 4

To approve the appointment of Shri Priavrat Sharma as Part time Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref No F.No.6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023 has appointed Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank w.e.f 08.05.2023 for a period of three years and until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank.

Brief profile of Shri Priavrat Sharma in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Name	Shri Priavrat Sharma
DIN	06972771
Age	52 Years
Nationality	Indian
Date of Appointment	08 th May, 2023
Education Qualifications	B.Com, FCA
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Priavrat Sharma is having experience of more than 27 years in area of Audit, Due Diligence, Taxation, Financial planning, Company Law matters, Information system Audit, FEMA, Management Consultancy etc., Shri Priavrat Sharma is Partner of Priavrat Sharma & CO, (CA Firm), Jaipur.
Directorships held in other companies	1. Brahm Federation of Commerce and Industry (unlisted Company)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the director has resigned in the past three years	Nil

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Item No.5**To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹2500/ crore through various modes like QIP/FPO/ Rights Issue.**

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). The CRAR of the Bank during the FY 2022-23 is 14.12% (Tier I – 12.11% (includes CCB), Tier II – 2.01%)

Keeping in view of increase in Business projection of 12%-14%, to maintain health CRAR in F.Y. 2023-24 and to increase public shareholding in Bank, Bank has decided to raise the equity capital aggregate upto ₹2500 Crore through various modes like QIP/FPO/Rights Issue. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.

The said equity capital will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.

The Board of Directors at their meeting held on 29th April, 2023 had given their approval to raise an capital upto ₹2500/- crore through the different available options.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2023 is 14.12%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, ₹10000/- crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2023 is ₹ 8680.93 Crore.

The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VI of the SEBI

(ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

- As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required
- The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 365 days of the date of passing the above Resolution;
- The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- The eligible securities allotted under the qualified institutions placement shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment except on recognised Stock exchange.
- The Bank, its Promoter or Directors is not a fugitive economic offender.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: June 6, 2023

Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)Company Secretary &
Compliance Officer



BUSINESS ANALYSIS

PARAMETERS	(₹ In crores)												
	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21	MAR.22	MAR.23
Total Business	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	532,404	5,77,075
YoY Growth	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%
Total Deposits	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	342,692	3,59,296
YoY Growth	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%
Total Loans &													
Advances	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779
YoY Growth	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%
Investments	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653
YoY Growth	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)	(2.80%)
CD Ratio	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63	60.86
Return on Assets	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%	0.44%

PROFITABILITY

PARAMETERS	(₹ In crores)												
	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21*	MAR.22	MAR.23
Gross Income	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626
YoY Growth	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)	14.96%
Gross Expenses	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742
YoY Growth	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)	13.55%
Operating Profit	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884
YoY Growth	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%
Net Profit/Loss	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1,045	1,582
YoY Growth	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%	51.39%
NIM (%)	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.64%
Net Interest Income	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687
YoY Growth	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%
Non Interest Income	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084
YoY Growth	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73%	(14.32%)	(4.75%)	37.60%

* Figures of March22 have been recalculated/regrouped wherever necessary to conform the current year classification

Directors' Report 2022-23

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2023.

1. Performance Highlights:

- » Total Business of the Bank stood at ₹ 577075 crore as at March 31, 2023 compared to ₹ 532404 crore as at March 31, 2022.
- » Total Deposits stood at ₹ 359296 crore as against ₹ 342692 crore in March 31, 2022.
- » Total Advances of the Bank stood at ₹ 217779 crore as against ₹ 189712 crore in March 31, 2022.
- » Total Income for the financial year ended March 31, 2023 was ₹ 29626 crore as compared to ₹ 25770 crore for the financial year ended March 31, 2022.
- » Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 4084 crore for the financial year ended March 31, 2023 compared to ₹ 2968 crore for the financial year ended March 31, 2022.
- » Operating Profit of the Bank increased to ₹ 6884 crore for the financial year ended March 31, 2023 as compared to ₹ 5742 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2022 showing increase of 19.89%.
- » The Bank has earned Net Profit of ₹ 1582 crore for the financial year ended March 31, 2023 as compared to Net profit of ₹ 1045 crore during previous financial year ended March 31, 2022.
- » Business per employee increased to ₹ 18.70 crore during the financial year ended March 31, 2023 from ₹ 17.52 crore in the previous financial year ended March 31, 2022.
- » Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 14.12% @ with Tier I at 12.11% and Tier II at 2.01% for the financial year ended March 31, 2023. (@Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India.
- » Net worth stood at ₹ 25449.41 crore as on March 31, 2023.
- » Cash Recovery (including sale of NPA & written off accounts) improved to ₹ 4213 crore in the financial year ended March 31, 2023 as compared to ₹ 3617 crore in the previous financial year ended March 31, 2022.
- » Gross NPA to Gross Advances improved to 8.44% as on March 31, 2023 from 14.84% as on March 31, 2022.
- » Net NPA to Net Advances reduced to 1.77% as on March 31, 2023 as against 3.97% as on March 31, 2022.
- » Provision Coverage Ratio improved to 92.48% as on March 31, 2023 from 86.69% as on March 31, 2021.
- » Net Interest Margin (NIM) improved to 3.64% in the financial year ended March 31, 2023 as compared to 3.21% in the Financial Year ended March 31, 2022.
- » Return on Assets (ROA) is 0.44% for the Financial Year ended March 31, 2023.
- » The credit deployment under priority sector stood at ₹ 103518.76 crore during FY 2022-23. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 4650 crore under PS Advances.
- » Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 42110 crore for the financial year ended March 31, 2023 as against ₹ 38635 crore for the previous financial year ended March 31, 2022.
- » MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2023 stood at ₹ 39199 crore without PSLC and Investment in SIDBI is ₹ 275.21 crore and Mudra limited is ₹ 23.60 crore. PSLC for the FY 2022-23 is 700 crore.
- » Retail Loans increased to ₹ 62726 crore in financial year ended March 31, 2023 from ₹ 52226 crore in financial year ended March 31, 2022.
- » Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 38793 crore for the financial year ended March 31, 2023, registering y-o-y growth of 28.61%. Housing Loan Portfolio constitutes 61.83% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2023.
- » There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Odissa(1) and Assam(1). During the year 2022-23, the RSETIs conducted 960 training programmes and imparted training to 27428 candidates. Out of this, 21036 (i.e. 77%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 12045 i.e. 57%.
- » Bank has 2 RRBs as on 31st March 2023 in 2 states covering 23 districts with a network of 1175 branches.
- » Under Financial Inclusion, Bank deployed 13142 BC Agents. Bank has opened 997 Urban Financial Inclusion centres.
- » Total earning from Bancassurance business is ₹ 91 crore for the financial year ended March 31, 2023.
- » Bank is having pan India presence with network of 4493 branches with 65.21 % (2930 branches) in rural & semi-urban areas, 3752 ATMs and 9959 BC Points with total 18204 Touch Points as on 31st March 2023.

2. Income & Expenditure:

Details of income and expenditure for the financial year 2022-23 are given hereunder:

	(₹ in Crores)			
	31.03.2023	31.03.2022	Variation	%
1 Interest Income	25542	22802	2740	12.01%
– Advances	14922	11501	3421	29.75%
– Investments	8715	9264	(549)	-5.92%
– Others	1905	2037	(132)	-6.48%
2 Non Interest Income*	4084	2968	1116	37.60%
3 Total Income (1+2)*	29626	25770	3856	14.96%
4 Interest Expended	13855	13315	540	4.06%
– Deposits	13388	12848	540	4.04%
– Others	467	467	-	-
5 Operating Expenses	8887	6713	2174	32.38%
– Establishment	5604	3927	1677	42.70%
– Others	3283	2786	497	17.83%
6 Total Expenses (4+5)	22742	20028	2714	13.55%
7 Spread (1-4)	11687	9487	2200	23.18%
8 Operating Profit (3-6)*	6884	5742	1142	19.88%
9 Provisions*	5302	4152	1150	27.69%
10 Provisions For Tax	1063	672	391	58.18%
11 Exceptional Item (expenses)	0	545	-	-
12 NET PROFIT/(LOSS) (8-9-11)	1582	1045	537	51.39%

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

3. Provisions:

Details of Total Provisions of ₹ 5302 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2022-23 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

	(₹ in Crores)		
	31.03.2023 (FY)	31.03.2022 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	681	(222)	406.76%
Provisions for NPAs*	3534	2454	44.01%
Provisions for Restructured Accounts	(222)	596	-137.25%
Provision on Investments*	215	653	-67.08%
Provisions for Taxes	1063	672	58.18%
Others	31	(1)	3200.00%
Total	5302	4152	27.70%

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

4. Profitability Ratios:

	(In percentage)	
	31.03.2023 (FY)	31.03.2022 (FY)
Cost Of Deposit	3.92	3.86
Cost Of Funds	3.97	3.92
Yield On Advances	7.61	6.57
Yield on Investments	6.26	6.27
Yield On Investment (Including Trading profit)	6.41	6.59
Net Interest margin	3.64	3.21
Cost To Income Ratio	56.35	53.90

5. Business Ratios:

	(In percentage)	
	31.03.2023	31.03.2022
	(FY)	(FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.67	6.65
Non-Interest Income to AWF	1.53	0.87
Operating Profit to AWF	2.26	1.67
Return on Average Assets	0.61	0.30
Business Per Employee (₹ in crore)	18.70	17.15
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	7.42	3.38

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

6. Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR):

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2023 (FY)*	31.03.2022 (FY)
	Basel-III	Basel-III
Tier-I	12.11%	11.48%
Tier-II	2.01%	2.36%
Capital Adequacy Ratio	14.12%	13.84%

*As advised by RBI in its risk assessment report, Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India

7. Net Profit/Loss:

The Bank has earned net profit amounting to ₹ 1582 crore during the financial year ended March 31, 2023. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2022-23.

8. Dividend:

With a view to conserve resources for future business operations of the Bank, your Directors do not recommend any dividend for the financial year 2022-23.

9. Changes in the Board during the year:

Shri Bhushan Kumar Sinha ceased to be Director of the Board of the Bank w.e.f 11.04.2022 who was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f 14.05.2018.

Shri Hardik Mukesh Sheth was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Government of India w.e.f 11.04.2022.

Shri Alok Srivastava, ceased to be Executive Director of the Bank on account of superannuation from the services of Bank on 30.11.2022.

Shri M.V Murali Krishna was appointed as Executive Director of the Bank by the Government of India w.e.f 01.12.2022.

Further, Shri Priavrat Sharma was appointed as Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant Category by the Government of India w.e.f 08.05.2023

10. Whistle Blower Policy:

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Resources Department. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

11. Prompt Corrective Action:

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank has fulfilled all parameters under revised PCA framework for SCBs issued by RBI and Bank has come out of PCA vide RBI Press Release dated 20th September, 2022.

12. Performance Evaluation of The Directors and the Board:

In terms of Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the performance of the Board as whole and non-independent directors was evaluated by the Independent Directors in a separate Meeting held on 17th March, 2023.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by Board of Directors on annual basis.

13. Board and Its Sub-Committees:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

14. Declaration by Independent Directors during the Year:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

15. Secretarial Audit:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. S.G. & Associates (proprietor Mr. Ganesh Ganpule), Practicing Company Secretaries, Mumbai as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2022-23. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

16. Management's Discussion and Analysis Report:

Pursuant to Regulation 34 read with Schedule V to the Listing Regulations, Management's Discussion and Analysis for the year under review is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

17. Business Responsibility and Sustainability Report:

Business Responsibility and Sustainability Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed to this report and also hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in).

18. Dividend Distribution Policy:

In accordance with the Regulation 43A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated a Dividend Distribution Policy. The policy has been displayed on the Bank's website at (www.centralbankofindia.co.in).

19. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2023:

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any; The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied; Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2023; Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;

The accounts have been prepared on a going concern basis; Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively; and Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

20. Corporate Governance:

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance. The Corporate Governance Report of the Bank is annexed to this Report.

21. Acknowledgment:

The Board of Directors places on record its gratitude to the its Shareholders, Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Indian Bank's Association, Customers, Depositors, Stock Exchanges Depositories, and the other Stakeholders for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its employees, customers and shareholders.

For and on behalf of
the Board of Directors

[M V Rao]

Managing Director and
Chief Executive Officer

Place : Mumbai
Date : May 24, 2023

Secretarial Audit Report

Form No.MR-3

For The Financial Year Ended 31st March 2023.

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014] For the Financial Year ended March 31, 2023

To
The Members
Central Bank of India

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Central Bank of India (hereinafter called the Bank).

Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2023 has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2023 according to the provisions of:

- I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- II. The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- III. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- IV. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable for the period under review)**

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. **(Not applicable for the period under review)**

We further state that there were no events/ actions in pursuance of the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
2. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
3. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
4. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;
5. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

We have also examined Compliance with the Applicable Clauses/Regulations of the following:

- Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (Not applicable).
- The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The following are other applicable laws to the Bank:

- a) The Banking Regulation Act, 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.

- b) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
- c) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
- d) The Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following observations:

- 1) The Composition of Board of Directors of Bank is not in compliance with Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as number of Independent Directors on the Board of Bank are less than 50% of its total strength.
- 2) There is no Independent Woman Director on the Board of Bank.
- 3) Composition of Nomination & Remuneration Committee is not in compliance with RBI circular dated 26.04.2021 and Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. Further, no meeting of Nomination & Remuneration Committee was conducted in financial year 2022-23 as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly appointed under Section 9 (3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertaking} Act, 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) and constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Director and Shareholder Director except as mentioned above. Bank has taken up the matter with Government of India for appointment of Directors against the vacant posts.

However, this may be noted that Central Bank of India is not a company incorporated under Companies Act but it is a body corporate constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank is a public sector bank and Government of India is the promoter thereof.

The Composition of the Board of Directors of Bank is guided under the above said Banking Companies Act. All Directors except one Shareholder Director, on the Board of the

Bank are appointed/ nominated by Government of India in terms of the Banking Companies Act. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The affairs of the Bank are managed/governed through the Board of Directors and its committees constituted as per the applicable laws and regulations made there under.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the Bank has complied with Standard Operating Process under SEBI (PIT) Regulations, 2015 for ensuring compliance with Structured Digital Database (SDD) compliance as applicable to the listed entities under Reg. 3(5) and 3(6) of SEBI (PIT) Regulations, 2015.

We further report that during the audit period the Bank had following major events or actions which might have bearing on the Bank's in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

Bank has redeemed / exercised call option on BASEL III compliant Tier II bonds of ₹ 500 crore on 07.05.2022

Bank has redeemed / exercised call option on Tier I perpetual bonds (under Basel II) of ₹ 139.10 crore on 28.09.2022

We further report that during the audit period, there were no instances of:

- i. Public / Right/ debentures /sweat equity.
- ii. Merger/ Amalgamation/ Reconstruction etc.
- iii. Foreign technical collaborations.

For SG & Associates
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Membership No: A12122
Place: Mumbai
Date: May 24, 2023

C. P. No: 5722
UDIN:A012122E000369116

ANNEXURE I

Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2023

To
The Members
Central Bank of India

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial record. The verification was done on test basis to ensure that the correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the practices and processes, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained Management representation about the compliance of laws, rules, regulations, norms and standards and happening of events.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, norms and standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **SG & Associates**
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Place: Mumbai
Date: May 24, 2023

Membership No: A12122
C. P. No: 5722
UDIN: A012122E000369116

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To

The Members of Central Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Central Bank of India having its Head office at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400021 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

S. No.	Name of the Director	Category	DIN	Date of Appointment
1	Shri M. V. Rao	MD&CEO-Executive Director	6930826	01-03-2021
2	Shri Alok Srivastava	Executive Director	5123610	23-01-2019*
3	Shri Vivek Wahi	Executive Director	7490023	10-03-2021
4	Shri Rajeev Puri	Executive Director	7330989	10-03-2021
5	Shri M. V. Murali Krishna	Executive Director	9021111	01-12-2022
6	Shri Bhushan Kumar Sinha	Non-Executive - Government of India Nominee Director	8135512	14-05-2018**
7	Shri Hardik Mukesh Sheth	Non-Executive - Government of India Nominee Director	Not Applicable	11-04-2022
8	Shri P. J. Thomas	Non-Executive – RBI Nominee Director	Not Applicable	28-09-2020
9	Shri Pradip Pranalal Khimani	Non- Executive Independent Director	Not Applicable	21-12-2021
10	Shri Dinesh Pangtey	Non- Executive Independent Director	7517137	01-07-2021

*Ceased to be Director of Bank on 30.11.2022

**Ceased to be Director of Bank on 11.04.2022

Note: The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **SG & Associates**
Practicing Company Secretaries

Suhas Ganpule
Proprietor

Membership No: A12122

C. P. No: 5722

UDIN: A012122E000369303

Place: Mumbai

Date: May 24, 2023

Management Discussion and Analysis

Global Economy

The global economy is in a recovery phase following the impacts of the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. While supply constraints have eased, inflation remains a concern due to volatile oil prices. Contact-intensive services, which were heavily affected during the pandemic, have witnessed demand and supported growth. However, manufacturing has faced challenges due to input cost pressures, supply chain disruptions, and the China lockdown affecting the availability of essential inputs and slowing global economic growth.

According to the World Economic Outlook report released by the International Monetary Fund (IMF) in April 2023, global growth is projected to reach 2.8 percent in 2023 and 3.0 percent in 2024. Global inflation is expected to moderate to 7.0 percent in 2023 from 8.7 percent in 2022, further declining to 4.9 percent in 2024. The report highlights India as a “bright spot” in the world economy, projecting growth of 5.9 percent for India in 2023. India accounted for a 7.3 percent share in global growth in 2022.

The global economic slowdown is primarily concentrated in advanced economies, with the United States experiencing a slowdown in GDP growth to 1.1 percent in the first quarter of 2023, following 2.6 percent growth in the fourth quarter of 2022. The US Federal Reserve has increased its policy rates to 5-5.25 percent in May 2023 to achieve the target of 2 percent inflation. US consumer inflation has dipped to an annual rate of 4.9 percent, lower than expected and the lowest since April 2021. The Federal Open Market Committee (FOMC) will closely monitor the transmission of monetary policy and its impact on economic activity, inflation, and financial developments.

In Europe, the European Central Bank (ECB) raised its benchmark borrowing costs to 3.25 percent. Annual inflation in the Euro Zone rose to 7 percent in April after five consecutive months of decline. The United Kingdom continues to experience inflation above 10 percent in March 2023, and further rate hikes are expected to control inflation. The UK, being a net importer of energy, is more affected by the rise in oil prices due to the Russia-Ukraine war. Euro area growth is expected to fall to 0.8 percent in 2023, with the UK economy projected to contract by 0.3 percent in the same year.

The IMF has lowered Japan's growth estimates for 2023 to 1.3 percent, reflecting weaker external demand and investment. However, Japan's economy grew at 1.6 percent in January-March 2023, indicating a rebound after a technical

recession last year. This growth momentum can be attributed to government-provided price relief measures and strong wage growth. Core consumer inflation in Japan reached 3.1 percent in March 2023, exceeding the target of 2 percent, while the Bank of Japan continues to maintain an ultra-loose monetary policy stance.

The share of Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) in world GDP is 58.3 percent, with China accounting for 18.5 percent. EMDEs are expected to experience a dip in growth at 3.9 percent in 2023 before rebounding to 4.2 percent in 2024, according to the IMF report.

India Economy

The annual GDP growth of India for the year 2022-23 as per the National Statistical Office (NSO) is 7.2 percent. The Reserve Bank of India (RBI) has increased policy rates by 250 basis points since May 2022. Inflation has cooled down and remained within the targeted range set by the RBI, at 4.7 percent in April 2023 and 5.6 percent in March. The steady demand and easing of supply constraints are expected to strengthen the Indian economy, with inflation projected to remain within the target range and no further rate hikes anticipated in the future.

The Index of Industrial Production (IIP), which measures industrial output, recorded a growth of 1.1 percent in March 2023. The IIP had been consistently growing since Diwali, indicating a sustained improvement in industrial activity. The Purchasing Managers' Index (PMI) for manufacturing in April suggests continued resilience in the manufacturing sector.

The Indian rupee experienced depreciation against the USD, reaching 82.6 per USD in mid-March 2023. Concerns have arisen due to global banking instability, resulting in sharp selling pressure on emerging market currencies. Throughout 2023, the rupee remained under pressure due to an imbalanced current account, significant capital outflows, and RBI's interest rate hikes. Strong import demand has also contributed to the current account deficit. Foreign Portfolio Investors (FPIs) were net sellers for most months in FY23. Total exports increased by 5.8 percent in FY 2023, compared to a significant increase of 45.1 percent in FY 2022. Total imports also experienced growth, rising by 16.3 percent, although at a lower pace compared to the previous fiscal year's increase of 56.1 percent

Banking

Despite confronting a challenging international financial landscape during the first half of FY 2022-23, the banking industry showed resilience, backed by satisfactory capital

buffers, and controlled non-performing loan levels. Banks witnessed an enhancement in profitability during this period, driven primarily by a rise in net interest income, as rising interest rates exerted limited initial impact on investment portfolios.

Bank credit growth surged, mirroring the recovery in economic activities. Non-food bank credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) surged to 16.7% (year-on-year) as of September 9, 2022, from 9.7% as of the end of March 2022. This robust growth persisted into the second half of 2022-23, buoyed by a rebounding economy, with non-food bank credit accelerating to 15.4% by the end of March 2023 from 9.7% a year earlier. As credit growth surpassed aggregate deposit growth, the incremental credit-deposit ratio exceeded 100%.

There was an improvement in bank credit across all major sectors in FY 2022-23. The agriculture sector witnessed a 13.4% credit growth in the first half of FY 2022-23, matching the growth of the prior year, stimulated by an above-average monsoon, and increased agricultural credit targets. Industry credit bounced back to 11.4% from 1.5% last year, spearheaded by large industries and consistent growth in the MSME segment. Retail loans continued to propel credit growth throughout FY 2022-23, with sustained high credit growth across major sub-sectors in the second half due to a resurgence in demand.

The aggregate deposits of SCBs grew faster during FY 2022-23, driven by substantial interest rate increases, slowing to 9.6% by March 24, 2023, compared to 8.9% growth the previous year (as of March 25, 2022). Deposit growth accelerated during the year due to banks raising rates on term deposits, although it lagged behind credit growth.

The SCBs' asset quality improved, with the overall non-performing assets (NPA) ratio decreasing to 5.6% in June 2022 from 7.5% a year earlier, falling further to 4.5% in December 2022 from 6.5% a year earlier, marking an improvement across all major sectors. As the policy repo rate increased from May 2022, banks' deposit and lending rates ascended during the first half of 2022-23. From May 2022 to February 2023, the Weighted Average Lending Rate (WALRs) increased across all sectors. Banks' efforts to secure retail deposits to fund credit growth led to a more rapid transmission to retail deposit rates in the second half. Amid moderating systemic liquidity, banks also elevated their term deposit rates during the first half of 2022-23.

The Weighted Average Domestic Term Deposit Rate (WADTDR) on new deposits, encompassing both retail and bulk, soared by 222 basis points from May 2022 to February 2023. Banks initially concentrated on securing bulk deposits during the first half. This trend shifted in the second half, with the increase in new retail deposit rates (122

basis points) surpassing that in new bulk deposit rates (77 basis points). The transmission to WADTDR on outstanding deposits steadily improved, reflecting the longer maturity of term deposits contracted at fixed rates. The increase in term deposit rates in the current tightening cycle exceeded that in lending rates, indicating a higher demand for sustainable funds from depositors.

Central Bank of India's Business

Central Bank of India Surpasses Business Growth Targets with Strong Financial Performance

PARTICULARS	MAR'22	MAR'23	₹ in Cr	
			Y-o-Y Growth %	
Total Business	532404	577075	8.39	
Total Deposits (Including Interbank Deposits)	342692	359296	4.85	
CASA Deposits	172480	180312	4.54	
CASA %	50.58	50.39	(19) bps	
Total Advances	189712	217779	14.79	
RAM	125000	144735	15.79	
Corporate	64712	73044	12.88	
CD Ratio	55.63	60.86	523 bps	

Business Growth Targets Surpassed

Central Bank of India (CBI) achieved exceptional results in FY2023, surpassing its business growth targets. Your Bank's total business increased from INR 532,404 crores to INR 577,075 crores, representing a year-on-year growth of 8.39%. It outperformed its guidance of 8% to 10% for business growth. Central Bank of India's remarkable performance, focus on asset quality, technological transformation, and customer-centric approach position your Bank for continued success. With comprehensive outlook across various aspects, your Bank strives to maintain growth, improve profitability, and provide exceptional service to its customers. CBI achieved its highest-ever recorded net profit in FY2023, amounting to INR 1,582 crores, surpassing the previous record set in 2010.

Advances and Credit-Deposit Ratio

CBI demonstrated robust growth in advances, with total advances surging from INR 189,712 crores to INR 217,779 crores, marking a remarkable growth rate of 14.79%. Within the advances segment, the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) category witnessed substantial growth, increasing from INR 125,000 crores to INR 144,735 crores, representing a growth rate of 15.79%. Corporate advances also experienced healthy growth, rising from INR 64,712

crores to INR 73,044 crores, indicating a growth rate of 12.88%. The credit-deposit ratio increased significantly from 55.63% to 60.86%, signifying CBI's expanding lending activities compared to its deposit growth.

Strong Overall Performance

Your Bank maintained a balanced credit book, with 66.46% in RAM and 33.64% in the corporate segment, slightly exceeding the target ratio. The net interest margin (NIM) stood at 3.64%, surpassing the target of more than 3%. The gross non-performing assets (NPA) remained slightly above the target of below 8% at 8.44%, but the net NPA remained well under control at 1.77%. Your Bank demonstrated a strong provision coverage ratio (PCR) of 92.48%, surpassing the target of more than 92%. The slippage ratio remained low at 1.62%, below the estimated range of 2% to 2.25%. The credit cost was also lower than expected at 0.83%, below the target range of 1% to 1.25%.

Your Bank maintains a strong focus on asset quality, aiming for credit costs below 1% and stressing the importance of maintaining strong corporate and MSME books. Your Bank recognizes the need for technological transformation to leverage its customer base and drive future growth. Ongoing efforts in technology enhancement are expected to yield results starting from the third quarter.

Your Bank registered a year-on-year growth of 25.40% in fee-based income, driven by factors such as PSLC sales, recoveries, and other miscellaneous income. Your Bank expects fee-based income and service charges to remain steady.

Your Bank maintains stability in its restructured book and has a strong grip on MSME collections. Your Bank expects the cost-to-income ratio to be around 53% to 55% in the current fiscal year, with a target of coming below 50% in the next fiscal year. It projects a reduction in gross NPA through planned initiatives. Leveraging its customer base and technology enhancements, CBI aims to strengthen its position.

Resource Mobilisation

In the period from March 2022 to March 2023, Central Bank of India witnessed growth in various deposit categories. CBI experienced a growth rate of 4.85% in total deposits, which rose from INR 342,692 crores to INR 359,296 crores. Specifically, CASA deposits increased from INR 172,480 crores to INR 180,312 crores, reflecting a growth rate of 4.54%. The current deposits increased from INR 16,515 crores to INR 17,781 crores, representing a year-on-year growth of 7.67%. Savings deposits also experienced growth, rising from INR 1,55,965 crores to INR 1,62,531 crores, reflecting a growth rate of 4.21%.

PARTICULARS	MAR'22	MAR'23	₹ in Cr
			Y-o-Y Growth %
Current	16515	17781	7.67
Savings	155965	162531	4.21
Total CASA Deposits	172480	180312	4.54
CASA %	50.58	50.39	(19) bps
Core Time Deposits	168481	177446	5.32
Total Core Deposits	340961	357758	4.93
Inter Bank Deposits	1656	1456	(12.08)
Total Deposits	342692	359296	4.85

The total CASA deposits, which include both current and savings deposits, increased from INR 1,72,480 crores to INR 1,80,312 crores, indicating a growth rate of 4.54%. However, the CASA percentage, which represents the proportion of CASA deposits to total deposits, slightly decreased from 50.58% to 50.39%, showing a decline of 19 basis points (bps).

Core time deposits, another category of deposits, rose from INR 1,68,481 crores to INR 1,77,446 crores, reflecting a growth rate of 5.32%. The total core deposits, including both core time deposits and CASA deposits, increased from INR 3,40,961 crores to INR 3,57,758 crores, marking a growth rate of 4.93%. On the other hand, interbank deposits decreased from INR 1,656 crores to INR 1,456 crores, representing a decline of 12.08%.

New Initiatives

These new initiatives align with CBI's focus on technological advancement, asset quality management, revenue diversification, operational efficiency, and risk mitigation. By implementing these strategies, your Bank aims to enhance its competitive position, drive sustainable growth, and provide exceptional service to its customers.

1. **Technological Transformation:** CBI recognizes the need for technological transformation to leverage its customer base and drive future growth. Ongoing efforts in technology enhancement are expected to yield results starting from the third quarter. This initiative aims to improve operational efficiency, enhance customer experience, and support digital banking services.
2. **Focus on Asset Quality:** CBI maintains a strong focus on asset quality, aiming for credit costs below 1%. By emphasizing the importance of maintaining strong corporate and MSME books, your Bank aims to mitigate risks and ensure a balanced credit portfolio.
3. **Fee-Based Income Growth:** In FY2023, CBI registered a year-on-year growth of 25.40% in fee-based income.

This growth was driven by factors such as PSLC sales, recoveries, and other miscellaneous income. Your Bank expects fee-based income and service charges to remain steady, indicating its focus on diversifying revenue streams.

4. **Restructured Book Management:** CBI maintains stability in its restructured book and has a strong grip on MSME collections. This initiative involves actively managing and monitoring the restructured assets to ensure timely repayments and minimize credit risks.
5. **Cost-to-Income Ratio Optimization:** CBI aims to improve operational efficiency by targeting a cost-to-income ratio of below 50% in the next fiscal year. This initiative involves streamlining processes, optimizing resource allocation, and implementing cost-saving measures to enhance profitability.
6. **Reduction in Gross NPA:** CBI projects a reduction in gross non-performing assets (NPA) through planned initiatives. By actively managing and resolving stressed assets, your Bank aims to strengthen its balance sheet and improve overall asset quality.

Emerging Business

Co-Lending

During the fiscal year 2021-22, Central Bank of India (CBI) strategically implemented several initiatives to enhance its lending capabilities and support the growth of Retail, Agriculture, and MSME (RAM) sectors. These initiatives aimed to maximize your Bank's reach, improve access to credit, and foster economic development in line with the RBI guidelines.

Establishment of Emerging Business Vertical: Central Bank of India (CBI) has introduced a dedicated vertical, called Emerging Business, to strengthen its focus on advancing loans in the Retail, Agriculture, and MSME sectors (RAM), to facilitate the growth of advances in these key sectors through multiple avenues, including co-lending, pool buyout, and trade receivables discounting of MSME units on the TReDS platform. By leveraging these mechanisms, CBI aims to bolster its presence in the RAM sectors and effectively address the diverse financing needs of its customers.

Co-Lending Partnerships: In line with RBI guidelines and to bolster lending activities in the Retail, MSME, and Agriculture segments under the Priority Sector, CBI forged strategic co-lending partnerships with seven leading Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs) in the country. These partnerships enable CBI to extend credit to a wider range of borrowers and leverage the expertise of these specialized entities. Through the co-lending model, your Bank aims to optimize resource utilization, enhance risk management, and ensure the availability of credit to deserving borrowers in priority

sectors. During the fiscal year 2022-23, Central Bank of India expanded its co-lending partnerships by collaborating with seven leading NBFCs/HFCs in the country. This brought the total count of partnerships to 14 as of March 31, 2023. These partnerships aim to increase lending in the Retail, MSME, and Agriculture sectors, both within the priority sector and non-priority sector, in accordance with the guidelines provided by the Reserve Bank of India (RBI). These co-lending partnerships have enabled Central Bank of India to further support the development and expansion of Retail, MSME, and Agriculture sectors, contributing to the overall economic growth and fulfilling the bank's commitment to meeting the diverse financing needs of its customers.

The impact of these co-lending initiatives on advances growth during the fiscal year is as follows:

(₹ in crore)

Segment	Sanctions during 2023	Outstanding as on 31.03.2023
	Amount sanctioned	Amt. O/S as on 31.03.2022
RETAIL	3694.32	4383.71
MSME	198.63	1916.22
Agriculture	4.72	3.75
Total	5619.27	6303.67

The growth in advances during the year due to Pool Buyout is as under:

(₹ in crore)

Segment	Sanctions during 2023	Outstanding as on 31.03.2023
	Amount sanctioned	Amt. O/S as on 31.03.2022
RETAIL	1500.00	3516.81
MSME	200	161.97
Total	1700	3678.78

These collaborative efforts have significantly contributed to the growth and diversification of CBI's loan book. By joining forces with established NBFCs and HFCs, your Bank has harnessed synergies, expanded its customer base, and improved access to credit for individuals and businesses operating in the RAM sectors.

Moving forward, CBI remains committed to further strengthening its collaboration with co-lending partners, exploring innovative lending models, and proactively supporting the financing needs of Retail, Agriculture, and MSME segments. These initiatives align with your Bank's strategic vision, regulatory obligations, and its continued dedication to fostering inclusive growth and financial empowerment.

Performance Highlights of TReDS Platform - As of March 31, 2023

The TReDS platform has demonstrated remarkable growth and achievements during the fiscal year 2022-23. The performance highlights are as follows:

- 1. Total Turnover:** The total turnover achieved for FY 2022-23 amounted to INR 6098.94 crore, showcasing a substantial increase compared to the turnover of INR1972.10 crore in FY 2021-22. This significant growth reflects the growing acceptance and adoption of the TReDS platform by corporates and public sector undertakings (PSUs).
- 2. Turnover by Category:** Out of the total turnover of INR 6098.94 crore, INR 3338.79 crore was generated through transactions in the corporate category, while INR 2760.15 crore was facilitated under the PSU category. These figures indicate the diverse participation and widespread utilization of the TReDS platform by both corporate entities and PSUs.
- 3. Total Outstanding:** As of March 31, 2022, the total outstanding amount on the TReDS platform stood at INR1205.03 crore. This reflects the ongoing business activity and the strength of the platform in facilitating trade receivables financing.

The performance of the TReDS platform underscores its effectiveness in enabling seamless transactions and providing much-needed liquidity to businesses. The substantial increase in turnover compared to the previous fiscal year demonstrates the growing confidence and reliance on this innovative platform for efficient management of trade receivables.

Credit Highlights

The total gross advances of the Bank increased to ₹ 217,779 crore as of March 31, 2023, representing a growth of 14.79% compared to the previous year. During the financial year, fresh corporate credit of ₹ 42,579.24 crore was sanctioned. The Bank updated its loan policy and master circulars to improve asset quality and manage credit risks, ensuring more effective systems and controls and faster decision-making. Interest rates were rationalized to enhance the Bank's competitiveness in the market. All borrowal accounts were brought under the regulatory limits of the Large Exposure Framework. The Bank also sanctioned the Corporate Credit Guarantee Enhancement Line (CGECL) to eligible corporate accounts and invoked the regulatory framework of the One Time Restructuring (OTR) for eligible corporate accounts. The introduction of the Green Channel provided centralized access for corporate customers at the Central Office, streamlining their relationship with the Bank. The Bank realigned its portfolio with an increased exposure to AAA-rated borrowers and implemented a standard operating procedure for downgrades in external credit ratings. The

EBLR linked ROI product was extended for tenors ranging from more than 2 years up to 15 years. Internet banking services were made available to all corporate customers and other CC/OD account holders. Guidelines and SOPs were established to provide financial assistance for the enhancement of ethanol distillation projects. Additionally, the Bank revised NBG guidelines and takeover norms to facilitate the ease of obtaining fresh loans.

A setting up of Energy Efficiency Financing Cell (EEFC). BEE is a statutory body under the Ministry of Power, Government of India, formed under the Energy Conservation Act, 2001 with an aim to inter-alia promotes financing in energy efficiency projects/activities ("EE Financing"). Accordingly, EEFC Cell started functioning w.e.f. 28.10.2022 at Corporate Credit Department, Central Office.

Credit Monitoring & Policy

Central Bank of India has established a dedicated vertical called Credit Monitoring & Policy, led by a General Manager, with the objective of improving the quality of its credit portfolio. The department is actively engaged in various activities to ensure effective credit monitoring and policy implementation. Some of the major activities undertaken by the department include:

- The credit monitoring activities of your Bank encompass several key practices and processes. This includes the establishment of Credit Monitoring Committees at controlling offices and large branches, conducting monthly meetings to discuss credit monitoring matters. Additionally, your Bank evaluates the exercise of delegated lending powers at different levels on a monthly basis. Root-cause analysis of Special Mention Accounts (SMA) is conducted to identify underlying issues and proactively address them. Your Bank also monitors the coverage and closure status under the Loan Review Mechanism. Ensuring the accuracy of inventory valuation and verification is done through the conduct of stock audits in borrowed CC/OD accounts ₹ 5 crore and above.
- Accounts are regularly reviewed and renewed to ensure timely updates and appropriate risk assessment. Periodic inspections of securities are conducted to validate their existence and market value. Your Bank verifies the completeness and enforceability of collateral documentation to ensure the perfection of securities. Early Warning Signals (EWS) of borrowal accounts are monitored through a dedicated portal to identify potential financial distress and facilitate early resolution. Upon observing EWS, accounts are red-flagged for further investigation, following RBI guidelines.
- Specialized Monitoring Agencies (ASM) are engaged to monitor the operations and transactions of large-value borrower accounts continuously. Credit Processing and

Approval Centres (CPAC) are established in regional offices to empower branches in credit decisions and facilitate streamlined verification of pre-disbursal activities. A War Room at the Central Office is operated to monitor and follow up on all SMA accounts with exposure up to ₹1.00 crore, where as accounts above ₹ 1 crore are being monitored by Credit monitoring department itself. A system for quarterly review of loan accounts, including listed companies, is implemented to monitor actual business performance.

- Timely submission of loan account details to Credit Information Companies and NeSL (Information Utility) is ensured, along with the submission of default reports and main reports of borrowal accounts to CRILC. Various regulatory returns and Management Information System (MIS) related to advances are also submitted on time. Your Bank actively monitors the registration of security interest with CERSAI. Lastly, credit-related policies are regularly updated in accordance with notifications from RBI and the Government of India. These practices collectively contribute to effective credit monitoring

within the bank.

These activities undertaken by the Credit Monitoring & Policy vertical play a crucial role in enhancing credit quality, mitigating risks, and ensuring compliance with regulatory requirements.

PRIORITY SECTOR


In accordance with RBI directives, Central Bank of India (CBI) is mandated to allocate 40% of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or an equivalent credit amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, to the Priority Sector. For FY2023, the Bank's Total Priority Sector Advances accounted for 54.48% of its ANBC, surpassing the regulatory norm of 40%. This highlights CBI's strong commitment to meeting the credit needs of priority sectors as identified by the RBI. By exceeding the mandated allocation, your Bank demonstrates its dedication to supporting economic growth, fostering financial inclusion, and addressing the specific needs of sectors such as agriculture, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), education, housing, and more.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2023 is as under:

S I. No.	Particulars	Mar-20	Mar-21	Mar-22	Mar-23	Growth (%)
1	Priority Sector Advance	79987.91	88222.47	93886.50	103513.76	10.25
	Percentage achievement of ANBC	45.07%	51.96%	44.08%	54.48	
2	Total Agriculture Advance	34419.4	36206.99	38635.40	42110.35	8.99
	Percentage achievement of ANBC	19.54%	21.32	19.79%	21.98	
3	MSME	29250.15	32356.43	34138.55	39898.83	16.87
4	Education Loan	2341.42	2724.77	2485.20	2242.55	-9.76
5	Housing Loan (upto ₹ 25 Lakh)	13939.37	16744.07	18503.23	19188.99	3.71
6	Other Priority Sector	17.51	24.77	13.14	6.64	-49.46
7	Renewal Energy	0	2.35	2.25	1.40	-37.77
8	Social Infrastructure	7.22	153.15	104.40	58.87	-43.61
9	Export Credit	12.84	9.93	4.33	6.13	41.57


During the financial year 2022-23, Central Bank of India witnessed an increase in credit deployment under the priority sector, reaching ₹ 103,513.76 Crore. This represents a significant increase of ₹ 9,627.26 Crore compared to the previous year. In order to capitalize on the excess lending over Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in the priority sector, your Bank engaged in sale transactions involving Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). Your Bank successfully sold PSLCs worth ₹ 4,650.00 Crore under the Priority Sector, with ₹ 1,000 Crore under General PS, ₹ 2,950 Crore under Small and Marginal Farmers, and ₹ 700 Crore under Micro Enterprises. Furthermore, your Bank holds an outstanding Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) amounting to ₹ 2,072.18 Crore under the Priority Sector, with ₹ 1,556.74 Crore specifically allocated to the Agriculture sector as of March 31, 2023. These initiatives and accomplishments reflect the bank's commitment to meeting priority sector lending targets and supporting crucial sectors of the economy.

(Amt in Rupee Crore)



Agriculture

In the fiscal year under consideration, the total Agriculture credit witnessed a significant increase of ₹ 3,474.95 crores, rising from ₹ 38,635.40 crores as of March 31, 2022, to ₹ 42,110.35 crores as of March 31, 2023. This growth demonstrates the bank's commitment to supporting the agricultural sector and meeting the financing needs of farmers. Moreover, the net percentage of agriculture credit to adjusted net bank credit (ANBC) stood at 21.98%, surpassing the stipulated target of 18% set by regulatory authorities. This achievement highlights the bank's dedication to fulfilling its priority sector lending obligations and contributing to the development of the agriculture industry.



Your Bank offers a range of schemes to cater to the diverse needs of the agricultural and allied sectors. These schemes include:

- **Cent Kisan Credit Card:** This scheme provides a single window credit facility for various agricultural expenses such as cultivation of crops, post-harvest expenses, marketing of produce, and working capital for farm asset maintenance.
- **Cent Agri Gold Loan:** Quick financing is provided for crop production and investment credit in agriculture and allied activities against the pledge of gold ornaments and gold coins issued by the bank.
- **Cent SHG Bank Linkage:** This scheme focuses on lending to Self-Help Groups (SHGs) through revolving cash credit and term loans.

- **DAY-NRLM:** Launched by the Ministry of Rural Development, this scheme aims to finance women SHGs under a mission mode approach.
 - **Cent AMI (Agriculture Marketing Infrastructure) Scheme:** Financial assistance is provided for the creation of marketing infrastructure with modern technology, grading facilities, quality certification, and scientific storage for managing the marketable surplus of the agricultural and allied sector.
 - **Cent Poly House, Green House, Shade-Net House:** This scheme offers financial assistance for undertaking protected farming of high-quality commercial horticulture crops.
 - **Cent Dairy:** Financial support is provided for the establishment of dairy units for milk production.
 - **Cent Agri Clinic / Agri Business:** The scheme provides financial assistance for setting up Agri Clinics and Agri Business Centers by candidates who possess the required qualifications and meet the scheme's criteria.
 - **Cent Farm Machinery:** Financing options are available for the purchase of tractors, trailers, and other agricultural implements.
 - **Cent Kisan Sathi:** This scheme assists indebted farmers in reducing their outstanding dues payable to money-lenders and brokers.
 - **Cent Scheduled Tribe:** Financial assistance is provided to weaker sections under the Scheduled Tribe category.
 - **Cent Poultry:** Finance is offered for the establishment and operation of poultry farm units.
 - **Cent Fishery:** Financial support is provided for traditional and commercial fishing activities.
 - **Cent Agri Infra:** This scheme provides medium to long-term debt finance for investment in projects related to post-harvest management.
 - **Cent Solar — PMKUSUM Scheme:** The scheme offers finance to farmers, Farmer Producer Organizations (FPOs), and cooperative of farmers for setting up decentralized solar or other renewable energy-based power plants.
 - **Cent Animal Husbandry Infra:** Financial assistance is provided for dairy processing and value addition infrastructure, meat processing and value addition infrastructure, and animal feed plants.
 - **Cent FPO:** This scheme provides finance to Farmer Producer Organizations (FPOs) and Farmer Producer Cooperatives (FPCs) up to ₹ 75.00 crores.
 - **Cent FIDF:** The scheme offers finance for the creation and modernization of capture and culture fisheries infrastructure to reduce post-harvest losses.
 - **Cent PMFME Scheme:** Financial support is provided for setting up and modernizing Micro Food Processing Enterprises.
 - **Cent Cold Storage:** The scheme meets the financial needs of cold storage and warehouse units, with a maximum limit of ₹ 50.00 crores.
- Initiatives taken to accelerate the flow of credit to the Agriculture sector included various special credit campaigns. All rural and semi-urban branches organized monthly mega credit camps to promote and sanction new agricultural loans. Additionally, special credit camps were organized for SHGs bank linkage, facilitating access to credit for self-help groups. Your Bank also ensured crop insurance coverage for eligible farmers under the "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" (PMFBY) by submitting the opt-in option for crop insurance coverage. Focus was given to investment credit and financing for self-help groups in the agricultural sector, with an emphasis on extending credit to small and marginal farmers. To enhance credit flow and increase coverage under social security schemes, village-level weekly camps were organized by all rural and semi-urban branches to create awareness among farmers. These efforts aimed to promote financial inclusion and support the growth of the agricultural sector.


Financial Inclusion (FI)

Central Bank of India is dedicated to promoting financial inclusion and empowering individuals from diverse backgrounds. Your Bank has implemented various initiatives to ensure equal access to financial services and support the overall well-being of its customers. The Cent Grah Laxmi Scheme specifically caters to women customers, allowing them to become property owners, thereby fostering economic independence and empowerment. In line with Sustainable Development Goals (SDGs), CBI has established Financial Literacy and Counselling Centres (FLCC) to provide comprehensive financial education and guidance to individuals, aiming to achieve greater financial inclusion. Additionally, your Bank recognizes the valuable contributions of retired personnel and has brought them on board as consultants, leveraging their experience and knowledge for the benefit of customers. CBI celebrates "Samman Divas" to honour senior citizens and retired bank employees, acknowledging their significant contributions to your Bank's growth. To cater to the needs of children, your Bank has introduced the Cent yuva product, which provides insurance coverage under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, with your Bank bearing the premium cost. CBI also prioritizes the well-being of its employees by offering regular health check-ups under the staff welfare scheme. Moreover, in alignment with the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) initiated by the Government of India, CBI has appointed more than 17% of its total


workforce as apprentices, fostering skill development and creating opportunities for young individuals to gain valuable work experience. Through these initiatives, CBI remains committed to promoting financial inclusivity, recognizing the contributions of various stakeholders, and nurturing the overall welfare of its customers and employees.

Central Bank of India has extended its banking services to 24,311 villages by deploying 13,142 Business Correspondent (BC) agents. This initiative aims to bring banking facilities to rural areas and promote financial inclusion. Additionally, your Bank has also opened 997 Urban Financial Inclusion centers, further expanding its reach to urban communities.

Your Bank has witnessed a substantial number of transactions during the reporting period, as follows:




Transactions in Financial Inclusion (FI) accounts opened through Business Correspondents (BCs) have shown a significant increase, from 563.35 lakh transactions in FY 2022-23 to 675.88 lakh transactions, representing a year-on-year growth of 19.97%. This growth reflects the rising utilization and adoption of FI accounts by customers, highlighting the effectiveness of the bank's efforts in expanding financial inclusion and providing accessible banking services to underserved communities.



The business conducted through Business Correspondents (BCs) witnessed a notable increase, with the value rising from ₹ 3285.77 Crores as of 31st March 2022 to ₹ 4001.86 Crores as of 31st March 2023. This represents a year-on-year growth

of 21.79%. The significant growth in business through BCs highlights the success of the bank's strategy in expanding its reach and delivering financial services to unbanked and underserved areas.



The number of accounts opened through Business Correspondents (BCs) experienced a growth of 9.54% year-on-year. The count of accounts increased from 150.09 Lacs on 31 March 2022 to 164.41 Lacs as of 31 March 2023. This increase reflects the bank's efforts in promoting financial inclusion and reaching out to the unbanked population through the BC model. By leveraging the services of BCs, Central Bank of India has been successful in expanding its customer base and providing access to banking services to a larger segment of the population.

Under the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (FI-PMJDY)** initiative during the fiscal year 2022-23, Central Bank of India achieved significant milestones. The major achievements are as follows:

1. Business through Business Correspondent (BC) outlets witnessed a substantial growth of 21.79%. The business volume increased from ₹ 3285.77 Crores to ₹ 4001.86 Crores. This growth reflects the effectiveness of the BC model in expanding the bank's reach and providing financial services to underserved areas and populations.
2. The total Financial Inclusion (FI) business recorded a growth of 18.62%. The business volume increased from ₹ 5641.06 Crores to ₹ 6691.59 Crores. This growth demonstrates the bank's commitment to promoting financial inclusion and catering to the diverse banking needs of individuals and communities.
3. The percentage of Aadhaar seeding in PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) accounts witnessed a positive trend. It increased to 88.59% from 86.24% in PMJDY accounts and improved to 94.96% from 93.15% in all operative PMJDY accounts. Aadhaar seeding plays a crucial role in enhancing the efficiency and effectiveness of financial inclusion by enabling seamless transactions and identification verification.

Total enrollment under Social Security Scheme as on 31.03.2023 with a growth achieved over 31.03.2022 is as under

Social Security Scheme	FY2021-22	FY 2022-23	Growth%
PMJJBY	19,23,653	21,21,789	10.29%
PMSBY	55,74,581	68,20,243	22.34%
APY	15,81,162	19,39,900	22.68%

Out of a total of 15,097 death claims under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Central Bank of India has settled and paid 14,245 claims. Similarly, out of 4,568 death claims under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), your Bank has settled and paid 3,302 claims.

Performance under Lead Bank

As the Lead Bank, Central Bank of India holds the responsibility in 53 districts across eight states, namely Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Chhattisgarh, and Sikkim. These districts account for approximately 25% of our branches. To ensure the effective implementation of the Lead Bank Scheme, our Lead District Managers' offices have been equipped with adequate staffing, infrastructure, and resources, including independent premises, vehicles, computers, printers, telephones, internet connections, and email IDs. In an effort to raise awareness about our bank's products among the public, particularly in rural areas, we have displayed information on products such as Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman, and Aadhaar on the vehicles provided to our Lead District Managers.

We actively engage in various developmental activities, including the full implementation of Financial Literacy and Financial Inclusion Programmes, training unemployed rural youth through RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes), and promoting the formation of Self Help Groups (SHGs) and farmers' groups. These initiatives demonstrate our commitment to driving development and financial inclusion in the regions where we hold the Lead Bank responsibility.

Financial Literacy and Credit Counselling Centre (FLCC)

Central Bank of India has established 48 Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) in seven states, including Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, and Chhattisgarh. Additionally, we have set up four FLCCs at the block level in Kerala and five CFLs at the block level in Darbhanga District, Bihar. These centres serve as platforms for mass campaigns

and individual counseling sessions, enabling us to reach and educate a wide range of individuals. To enhance our outreach efforts, we have equipped the FLCCs with vehicles fitted with Public Address Systems and LCD screens to display information about various banking products and schemes. This enables us to create awareness among the masses and provide them with opportunities to uplift their economic status and improve their standard of living. Furthermore, we provide literacy materials, kits, books, and other resources during counselling sessions and village visits, ensuring that individuals have access to the necessary information and support to make informed financial decisions.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

Central Bank of India has established 46 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in nine states across the country, including Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Chhattisgarh, Rajasthan, Orissa, and Assam. These RSETIs play a crucial role in providing skill development and entrepreneurial training to individuals from rural areas. During the fiscal year 2022-23, the RSETIs conducted a total of 960 training programs, successfully imparting training to 27,428 candidates. Out of these candidates, a significant number of 21,036 individuals, accounting for 77% of the trainees, were able to secure employment or establish their own ventures with the support of bank credit, wage settlement, or self-financing options. Moreover, the credit linkage for the settled candidates reached a commendable figure of 12,045, representing 57% of the individuals who received training. This achievement highlights the effectiveness of our efforts in promoting self-employment and fostering financial independence among individuals in rural communities. Through our RSETIs, we remain committed to empowering aspiring entrepreneurs with the necessary skills and resources to succeed in their chosen ventures, contributing to the overall socio-economic development of the regions we serve.

Central Bank of India has taken additional initiatives to support and streamline the operations of its Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) and Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs). To ensure effective management and oversight of these institutions, your Bank has established a dedicated society/trust called "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan" (CBI-SUAPS). This society/trust serves as the controlling body, responsible for supervising the functioning and activities of the RSETIs and FLCCs.

Furthermore, your Bank has set up a Governing Council at the apex level to provide overall guidance and supervision. The council comprises the Managing Director and CEO of your Bank as the Patron, the Executive Director as the President, and General Managers as members. This council

plays a vital role in ensuring the effective management and coordination of the RSETIs and FLCCs, fostering their growth and success.

MSME Department

Central Bank of India has shown remarkable performance in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector, underscoring your Bank's commitment to supporting the growth and development of these crucial businesses. The following highlights and initiatives demonstrate your Bank's proactive approach in addressing the financing needs of MSMEs and driving their success.

Performance Highlights: Your Bank's dedication to microcredit is evident in the impressive 58.68% share of Microcredit to MSE (Micro and Small Enterprises) without considering Priority Sector Lending Certificates (PSLC). This demonstrates your Bank's focus on serving the needs of microenterprises, which form a significant part of the MSME segment.

Central Bank of India has achieved a notable year-on-year growth rate of 28.75% under the Micro category, showcasing its commitment to supporting the growth and expansion of microenterprises. This growth signifies your Bank's effective lending strategies and initiatives tailored to the specific requirements of microenterprises.

Under the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), your Bank has achieved a commendable accomplishment of 73.39% of the target set by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. While the disbursement target was set at ₹6,350 crore, Central Bank of India achieved disbursements amounting to ₹4,660.24 crore as of March 2023. This achievement reflects your Bank's proactive efforts in providing accessible and affordable credit to micro and small businesses.

Initiatives: Central Bank of India has implemented various initiatives to further support the MSME sector and enhance their access to financial services. Your Bank extended the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), providing much-needed financial assistance to MSMEs during challenging times.

To facilitate seamless fiscal management for businesses, your Bank introduced the Cent GST scheme, which is based on GST return data. This initiative allows businesses to leverage their GST records to access tailored financial solutions, streamlining their financial operations and enhancing their growth prospects.

Central Bank of India has established partnerships with Corporate Direct Selling Agents (DSA) to generate new MSME business. These collaborations enable your Bank to

leverage corporate networks and reach a wider audience of potential MSME borrowers, fostering business growth and expansion.

Way Forward: Looking ahead, Central Bank of India has outlined a clear roadmap to further strengthen its support to the MSME sector. Your Bank aims to provide cluster-based finance through customized products, recognizing the unique needs and challenges faced by specific MSME clusters. This approach ensures targeted financial solutions that align with the requirements of different industries and geographic concentrations. To enhance lead generation and expand its reach, Central Bank of India plans to collaborate with Fintech companies. These partnerships will leverage technological advancements to identify potential MSME borrowers and streamline the loan application process, facilitating quicker access to credit for businesses.

Recognizing the significant potential in the Hotels and Tourism industry, your Bank is developing a new scheme specifically designed to cater to the financial requirements of this sector. This initiative aims to unlock the growth potential of businesses operating in the tourism ecosystem, contributing to the overall development of the sector. Central Bank of India is actively working towards launching a platform for Supply Chain Finance, which will provide an integrated and efficient solution for financing the supply chains of MSMEs. This platform will enhance operational efficiency and strengthen the financial ecosystem for MSMEs, enabling smoother and faster transactions.

Your Bank is committed to digitalization and automation of loan processing, streamlining the lending process for MSMEs. By leveraging technology, Central Bank of India aims to improve operational efficiency, reduce processing time, and provide a seamless experience for MSME borrowers. Through these initiatives and future plans, Central Bank of India remains dedicated to empowering and supporting the growth of MSMEs, facilitating their vital role in driving economic development and creating employment opportunities.

Active products of the MSME business-

- 1 General MSME
- 2 Cent Business
- 3 Cent MUDRA
- 4 Cent Mortgage Business
- 5 Cent CGECL
- 6 PMEGP
- 7 Cent GST
- 8 Cent WHR
- 9 Cent Textiles Scheme
- 10 Cent Arthias
- 11 Cent Shop

12 Cent Contractor	29 Cent Custom Hiring Centre (M.P)
13 Cent Pragati	30 Credit Enhancement Guarantee Scheme For Scheduled Castes
14 SRTO (Transport Operator)	31 Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana – Rajasthan
15 Cent Vehicle Business	32 Cent Open Term Loan
16 Cent Sanjeevani	33 Jagananna Thodu
17 Cent Ceramic	34 Cent Gold Jewellery Manufacturing Scheme
18 Cent Rental	35 Commercial Vehicle DDR MP
19 Stand Up India	36 Mukhya Mantri Gramin Path Vihreta Rin Yojana
20 NULM	
21 Cent Weaver Mudra	
22 PM Svanidhi	
23 Cent Equipment Financing scheme	
24 Cent Business Gold Loan Scheme	
25 Cent Kalyani	
26 Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana- M.P.	
27 Loan Guarantee Scheme For Covid Affected Sector	
28 Central Laghu Udhyaami Credit Card	

Discontinued products of the MSME business

1. Cent Trade
2. Cent Healthcare
3. Cent Jeevak
4. Mukhya Mantri Swarozgar Yojana (M.P Only)
5. Mukhya Mantri Yuva Udhyaami Yojna (M.P Only)
6. Mukhya Mantri Krishak Udhyaami Yojna (M.P Only)

MSME Performance

Particulars	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	Y-o-Y%	Y-o-Y%
	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC	growth without PSLC	Growth with PSLC
MICRO Enterprises	16980	16980	21162	21862	24.62%	28.75%
MSE	31379	31379	35358	36058	12.68%	14.91%
MSME (PS)	34433	34433	39199	39899	13.84%	15.87%
TOTAL MSME	34433	34433	39199	39899	13.84%	15.87%

Particulars	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	Y-o-Y%	Y-o-Y%
	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC	growth without PSLC	growth with PSLC
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	19.46%	19.46%	17.99%	18.32%	-1.47%	-1.14%
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)		31.03.2022 (Audited)		31.03.2023 (Audited)		TARGET MAR-23
No. of Accounts in Micro Ent.		867652		646806		954417
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises		-6.27%		-25.45%		10%

RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	TARGET
	(audited) Without PSLC	(audited) With PSLC	(audited) Without PSLC	(audited) With PSLC	Mar-23
MSE Portfolio (Amt.)	31379	31379	35358	36058	NA
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	4.72%	4.72%	12.68%	14.91%	NA
% of Micro Credit to MSE Credit	54.11%	54.11%	58.68%	60.63%	NA

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.22	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.22	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.23	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.23	ANBC As on 31.03.2022	ANBC As on 31.03.2023	STATUS TARGET as on MAR-22	STATUS TARGET as on MAR-23
Without PSLC	With PSLC	Without PSLC	With PSLC	01-03-2022 (in Crore)	01-03-2023 (in Crore)	without with PSLC (7.50% OF PSLC ANBC)	without with PSLC (7.50% OF PSLC ANBC)
16980	16980	21162	21862	167598	185261	10.13% 10.13%	11.42 % 11.80 %

Retail Credit

The retail sector has been a significant contributor to the growth of Central Bank of India, demonstrating robust performance in the analysed period. Your Bank aims to empower individuals and fulfil the aspirations of retail customers across various segments by offering a wide range of retail lending products and services. From March 2022 to March 2023, the retail sector witnessed a remarkable year-on-year growth rate of 20.10%, with the total retail advances increasing from ₹52,226 crore to ₹62,726 crore. This substantial growth highlights your Bank's success in capturing market opportunities and meeting the evolving needs of retail customers.

Central Bank of India continues to focus on the retail sector's growth, leveraging its strong market position, customer-centric approach, and technological advancements. By offering innovative products and services, strengthening customer relationships, and maintaining prudent credit risk management practices, your Bank aims to sustain its growth momentum in the retail sector while ensuring optimal asset quality and profitability.

In March 2022, your Bank sanctioned loans to 201,616 retail accounts, amounting to ₹11,579 crore. By March 2023, the number of sanctioned accounts increased to 224,769, with a total amount of ₹19,730 crore. This represents a significant year-on-year growth of 11.48% in the number of accounts and 70.39% in the sanctioned loan amount. Furthermore, the outstanding balance in the retail sector increased from ₹52,226 crore in March 2022 to ₹62,726 crore in March 2023, indicating a growth rate of 20.10% year-on-year.


Within the retail sector, housing loans constituted a major portion, amounting to ₹38,793 crore, highlighting your

Bank's active participation in providing financial support for home ownership. Auto loans, with a total value of ₹3,248 crore, demonstrate efforts to facilitate vehicle ownership, while personal loans, totalling ₹3,644 crore, play a crucial role in meeting individual financial needs. Education loans, amounting to ₹3,625 crore, underline your Bank's commitment to supporting the educational aspirations of students and their families. The retail segment also includes other retail loans, totalling ₹13,416 crore, catering to diverse needs such as consumer durables, lifestyle expenses, and small-ticket personal financing.

Central Bank of India has achieved notable accolades, including being recognized as the Best Performer for the PMAY(U)-CLSS scheme by HUDCO for two consecutive years. Your Bank's focus on cross-selling and upselling to existing customers has resulted in a significant increase in retail loans sanctioned and disbursed amounts. The retail portfolio experienced a year-on-year growth of 21.78%, surpassing education loan targets with a 100% achievement rate. Launching the "Pre-Approved Personal Loan" (PAPL) digital lending module has streamlined the process of providing personal loans to existing customers. Leveraging the Account Aggregator platform, your Bank successfully generated retail lending business. Strengthening intermediaries such as DSAs has played a vital role in generating leads for mortgage-based retail loans. The utilization of digital lending platforms and data mining techniques has further enhanced business generation. Through strategic tie-up arrangements with M/s TATA Motors and M/s Maruti Suzuki Ltd., your Bank facilitated financing for a significant number of four-wheelers. Special campaigns conducted on occasions resulted in substantial business growth and exclusive benefits for customers. Your Bank has also reviewed and improved various retail lending schemes, making them more appealing, competitive, and customer-friendly.

These initiatives highlight Central Bank of India's commitment to the retail sector's growth and its dedication to providing exceptional service and customer-centric solutions. By adapting to the changing ecosystem, leveraging technology, and maintaining a robust risk management framework, your Bank aims to ensure sustainable growth, profitability, and customer satisfaction in the retail lending segment.

Contribution of Retail Loans to Loan Book



Scheme wise Contribution to Retail Loans as on 31.03.2023 (Amt. in Crore):



WAY FORWARD:

Looking ahead, Central Bank of India has a positive outlook for the growth of retail advances in the current fiscal year, FY 2023-24. The department is committed to closely monitoring customer demand and reviewing products to align them with market trends and customer requirements. Embracing the digital lending space is a key focus to meet the expectations of the Nextgen customers. Several initiatives have already been initiated to ensure the bank's retail loan portfolio grows in line with anticipated market growth and peer banks.

- Existing retail loan products are continuously revisited to enhance their attractiveness and align them with potential borrowers' requirements. Your Bank aims to reduce costs and offer competitive rates of interest, matching the products offered by peer banks.

- The scope of the Pre-Approved Personal Loan, initially available only for ETB customers maintaining a salary account, will be expanded to cater to other customers as well.
- Your Bank will prioritize vehicle loans and further leverage tie-up arrangements with companies such as M/s TATA Motors and M/s Maruti Suzuki Ltd. It also intends to enter into partnerships with other companies such as Honda, Mercedes Benz, and Hyundai Motors.
- Building on the successful utilization of customer databases in FY 2022-23, your Bank will extensively leverage its existing data mining capabilities to generate business through analytical and behavioral models.
- Data analytics reports will be analyzed to identify opportunities for cross-selling and upselling, with leads communicated through platforms such as WhatsApp, SMS, and the call centre. Your Bank aims to promote various retail products to customers.
- Digital marketing strategies will be explored to leverage the extensive digital footprint of customers and enhance the visibility of the bank's retail products through digital portals.
- In FY 2023-24, your Bank plans to establish specific tie-up arrangements with reputed builders such as Godrej and Piramal to capture housing loans directly through the builder network. Integration with these builders for end-to-end lead generation will also be considered.
- Your Bank will actively participate in exhibitions and programs organized by builder associations and aim to organize dedicated bank exhibitions in Tier II, Tier III, and Tier IV cities to promote home loan business.
- Strategic partnerships with major four-wheeler car manufacturers will be pursued to facilitate lending in the four-wheeler segment. Your Bank has already entered an MOU with M/s Maruti Suzuki Ltd and is in advanced discussions with other leading car manufacturing companies.
- Your Bank will initiate end-to-end integration with fintech companies, a step towards lending in the retail asset segment through digital platforms. An MOU with a leading fintech company in the four-wheeler segment for end-user lending is currently in progress.
- Aggressive efforts will be made to establish tie-ups for customized retail asset products with various state governments, central government departments, institutions, , among others, specifically targeting lending to employees of these institutions.

Through these strategic initiatives, Central Bank of India aims to sustain its growth momentum, expand its retail loan portfolio, and provide tailored solutions to meet the diverse needs of its retail customers.

International Division

Foreign exchange business at Central Bank of India is conducted through 64 Authorized Dealer ('B' category) Branches nationwide, along with an Integrated Treasury Branch in Mumbai serving as an 'A' Category Branch. To ensure operational efficiency, your Bank maintains a centralized Dealing room in Mumbai for effective funds management and operational convenience. Additionally, a centralized SWIFT cell operates in the Integrated Treasury Branch, Mumbai, to ensure compliance.

Your Bank offers a comprehensive range of trade finance products and services to its exporter and importer customers. The International Division at the Integrated Treasury Branch facilitates foreign inward remittances to India, enabling direct credit of up to USD 10,000 to savings account holders. Various exporters' meets were conducted across India to enhance awareness about the bank's facilities and products among exporters. In FY 2022-23, special campaigns were arranged for NRIs, especially during festive occasions.

Central Bank of India also deploys foreign currency funds through interbank placements with the foreign branches of various scheduled commercial banks. As of March 31, 2023, your Bank has deployed foreign currency funds equivalent to ₹ 16,426 Crore through such placements.

The Export Credit portfolio of your Bank stood at ₹4,176 Crore as of March 31, 2023, compared to ₹4,389 Crore as of March 31, 2022, representing a decrease of 4.85% over the previous year. Merchant trade foreign exchange turnover during FY 2022-23 amounted to ₹52,661 Crore, reflecting a significant increase of 51.70% compared to ₹34,715 Crore in FY 2021-22.

As of March 31, 2023, NRE Deposits in your Bank amounted to ₹5,275 Crore, a decrease of 3.18% from ₹5,448 Crore as of March 31, 2022. FCNR Deposits as of March 31, 2023, stood at USD 226.02 million, with no major change compared to USD 226.24 million as of March 31, 2022.

Treasury, Funds and Investment

The composition of the investment portfolio of the Bank is as under:

(₹ in Crores)			
S. no	Composition	31.03.2023	31.03.2022
1	SLR	103203.62	105841.66
2	Non – SLR	39449.27	40917.60
TOTAL		142652.89	146759.26

To manage the impact of the rising interest rate scenario, Central Bank of India has maintained its investment portfolio

at ₹142,653 crore as of March 31, 2023, which includes Non-SLR and Non-Transferable Govt. of India Recapitalization bonds worth ₹19,580 crore. This reflects a slight decrease compared to ₹146,759 crore as of March 31, 2022.

The year saw a significant increase in CPI inflation, reaching 7.79% in April 2022, driven by higher food and commodity prices as well as disruptions in the global supply chain. Throughout the year, inflation remained above the Reserve Bank of India's (RBI) upper tolerance level of 6%.

In response to the inflationary pressures, the RBI implemented a series of key policy rate hikes, totaling 250 basis points since May 2022. The Introduction of the Standing Deposit Facility (SDF) at a rate 40 basis points higher than the fixed rate reverse repo resulting into effective rate hike of 290 basis points since April of the previous year.

As a result of these developments, government security (Gsec) yields increased across the curve, with the 10-year benchmark reaching a peak level of 7.69% in June 2022, compared to the closing level of 6.84% on March 31, 2022. These adjustments reflect the bank's efforts to manage its investment portfolio and navigate the challenging interest rate environment.

Snapshot of Treasury Income (₹ in Crores)

Particulars	FY2021 - 22	FY 2022 - 23
Profit on Sale of Investment	491	273
Profit on Exchange Transaction	199	303
Dividend Income	8	8
Profit/Loss on Revaluation on Investment	(277)	2
Treasury Income	421	586

Due to the hardening of yield, with the ten-year benchmark yield closing at 7.31% as of March 31, 2023, compared to 6.84% on March 31, 2022, the Treasury Profit of Central Bank of India decreased from ₹491 crores to ₹273 crores. However, Treasury Income increased from ₹421 crores to ₹586 crores. The yield on investment (excluding trading profit) remained relatively stable, with a marginal change from 6.27% in 2021-22 to 6.26% in 2022-23.

To minimize the impact of the yield hardening, your Bank successfully reduced the Modified Duration and PV01 (₹ in crores) of the Available-for-Sale (AFS) portfolio. As of March 2023, the Modified Duration and PV01 stood at 1.53 and 4.40 respectively, compared to 1.62 and 6.38 as of March 2022. This reduction was achieved by increasing investments in Fixed Rate Bonds (FRB), Treasury Bills (T-Bill),

and hedging of the AFS portfolio.

Furthermore, Bank shifted Central and State Government securities worth ₹15,037 crore from Held-to-Maturity (HTM) to AFS, and ₹14,913 crore from AFS to HTM during the fiscal year 2022-23. This strategic adjustment allowed for better portfolio management and alignment with regulatory requirements.

Risk Management

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. The Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assesses the risk models so as to remain in sync with the market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At The operational level, various Committees such as Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Bank has identified officers in the rank of Chief Manager/Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Regional/Zonal Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officer' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy.

Market Risk Management

The Mid Office plays a crucial role in the Central Bank of India by conducting regular reviews of the market position, funding patterns, and ensuring compliance with exposure limits, duration limits, counterparty limits, and other sensitive parameters. These reviews provide valuable insights and are presented to the top management at regular intervals.

To effectively manage risk, your Bank utilizes tools such as

Value-at-Risk (VaR) and Duration gap analysis. These tools are employed on an ongoing basis to measure and mitigate potential risks to the bank's profitability in the short term and equity value in the long term.

In line with Basel III guidelines for Market Risk, your Bank has developed a model to estimate the capital charge on the trading portfolio. This model is continuously implemented to comply with regulatory requirements and effectively manage market risk.

To ensure comprehensive risk management, your Bank has a board-approved Market Risk Management Policy in place. This policy serves as a framework to monitor and control market risk within the bank's portfolio. Counterparty limits for treasury operations are regularly reviewed and adjusted as necessary.

The Asset & Liability Committee, chaired by the MD & CEO, is responsible for overseeing the developments in market risk. This committee monitors and assesses the bank's exposure to market risk and takes necessary actions to mitigate potential risks.

Credit Risk Management

Bank has implemented a comprehensive Rating Model for assessing the creditworthiness of borrowers across various sectors such as large corporates, infrastructure, NBFCs, SMEs, and agriculture. These rating models play a crucial role in evaluating the credit risk associated with each borrower and ensuring prudent lending practices.

In addition to the rating models for corporate borrowers, your Bank has also developed Rating Models, known as scorecards, specifically designed for grading retail loans. These models enable your Bank to assess the creditworthiness of individual retail borrowers and determine appropriate risk ratings for their loans.

The Credit Risk Management Committee, led by the MD & CEO, oversees and monitors the developments in credit risk management within the bank. This committee plays a key role in setting policies, reviewing credit risk management practices, and making informed decisions to mitigate credit risk exposure.

Furthermore, your Bank has successfully implemented advanced approaches for capital computation using a SAS solution. This implementation enables your Bank to enhance its capital adequacy calculations and align with regulatory requirements, ensuring robust risk management practices.

Operational Risk Management

The Central Bank of India has implemented a robust Operational Risk Management framework guided by a Board-

approved Operational Risk Management Policy. This policy ensures that your Bank has a comprehensive system in place to manage and measure operational risks aligned with its risk profile and risk appetite.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the implementation of the Operational Risk Management framework and ensures its regular monitoring. The committee reviews and approves the methodologies and tools used for operational risk assessment, including risk identification, assessment, and reporting methods. It also analyzes frauds, near misses, non-compliance events, breaches, and systemic improvements, presenting suitable controls and mitigations for managing operational risks.

To mitigate risks associated with new products, processes, or activities, your Bank has established a New Product Approval Policy Framework. This framework provides guidelines for evaluating and managing the risks associated with introducing new products or activities, ensuring prudent risk management practices.

Your Bank has also developed a Business Continuity Plan to ensure the uninterrupted delivery of products and services in the event of disruptions. This plan outlines the operating procedures and predefined capacities to respond to and recover from disruptions, aligning with the bank's business continuity objectives.

In terms of data collection and reporting, your Bank has implemented an Incident Management Module (IMM) under the Integrated Risk Management Solution (IRMS) for the collection of loss event data and near miss events related to operational risk. This allows your Bank to track and analyze operational risk incidents for proactive risk management.

The Operational Risk Management Committee, led by the MD & CEO, plays a vital role in overseeing the developments in operational risk management. The committee ensures that the bank's operational risk management practices are effective, aligned with regulatory requirements, and support the bank's overall risk management objectives.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) policy in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management systems (ALM)

The Asset and Liability Management (ALM) function in the Central Bank of India plays a crucial role in measuring and

managing the liquidity and interest rate risk of the bank. The primary objective of ALM is to maximize profitability while ensuring effective risk management.

The Asset and Liability Committee (ALCO) meets regularly to review the bank's liquidity position and other market-related matters. During the fiscal year 2022-23, the ALCO convened 17 times to assess and monitor the bank's liquidity and interest rate risk profile.

In addition to regulatory reporting, the ALM function is responsible for determining interest rates on deposits, as well as fixing the base rate, Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR), Repo Rate Linked Rate (RBLR), and External Benchmark Linked Rate (EBLR). Throughout the year 2022-23, your Bank made revisions in deposit interest rates, base rate, RBLR, EBLR, and MCLR multiple times to align with market dynamics.

Your Bank adheres to the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines set by the Reserve Bank of India (RBI). The LCR, which measures the bank's ability to meet short-term liquidity requirements, remained above the threshold limit of 100% for the fiscal year 2022-23, with an average LCR of 302.34%. Similarly, the NSFR, which assesses the long-term stability of the bank's funding sources, also remained above the minimum requirement of 100%, with an NSFR of 161.50% as of March 31, 2023.

The Asset and Liability Committee, headed by the MD & CEO, is responsible for overseeing the developments in managing liquidity and interest rate risk. The committee ensures that your Bank maintains an optimal balance between profitability and risk management, while complying with regulatory guidelines and maintaining a strong liquidity position.

Implementation of Basel III guidelines

The Central Bank of India has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in July 2015. Your Bank has adopted Basel III norms and follows the Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk, and Standardized Duration method for Market Risk to determine its capital adequacy.

To ensure effective risk management, your Bank has established various policies such as the Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation Policy, Collateral Management Policy, Asset and Liability Management Policy, Model Risk Policy, Model Validation Policy, Credit Review Policy, Intragroup Transactions and Exposures Policy, Integrated Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) Policy, and Internal

Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). These policies have been duly approved by the board and provide a comprehensive framework for managing different types of risks.

FRAUD RISK MANAGEMENT CELL (FRMC)

Fraud Risk Management Cell (FRMC) functions with vision to obviate fraud risks in the face of acceleration of Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank from loss or damage resulting from suspected or confirmed incidents of fraud.

The cell has as robust environment of fraud prevention, detection and mitigation. It collects investigation reports in respect of all suspected cases (except digital/ATM frauds), analyses the frauds for root causes, compiles common characteristics observed and suggest preventive steps. It reports declared fraud cases by Bank to RBI and functions as touch point for fraud matters to RBI. For creating awareness amongst all employees against fraud incidents, the cell shares Modus operandi of recently reported frauds amongst our employees and also suggests necessary measures to avert such frauds in future.

Bank has implemented transaction monitoring solution i.e. Enterprise Wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) which is a fraud detection, monitoring and prevention solution that monitors suspicious pattern across transactions on a real time/ near real time basis that facilitates the Bank to respond with corrective action either to approve or block transactions.

Sam and Recovery

The Bank has implemented a well-defined Recovery Policy to effectively manage non-performing assets (NPAs). This policy encompasses various aspects, including monitoring NPAs, implementing follow-up measures, exploring compromise settlements, adhering to the SARFAESI Act, appointing enforcement agencies, allocating portfolios for recovery, facilitating the sale of assets to ARCs through the Swiss Challenge Method, and addressing cases of willful default.

During the financial year 2022-23, the Bank achieved notable success in NPA recovery and upgradation.

	31-03-2023	31-03-2022
Cash Recovery	4213	3617
Upgradation	658	1337
Gross NPA	18386	28156
Net NPA	3592	6675
Gross NPA%	8.44	14.84
Net NPA%	1.77	3.97

To further aid NPA resolution, the Bank implemented two One Time Settlement (OTS) Schemes. The Special OTS Scheme was applicable to NPAs/OD in SB & CD (DA3/Loss) with customer exposure up to ₹2.00 lakh as of March 31, 2022, and to all accounts classified as NPA as of the same date, including PWO/TWO accounts with customer exposure up to ₹10 crore. Additionally, an OTS Scheme under the Net Present Value (NPV) Approach was introduced for all NPA accounts, regardless of security. Under these schemes, proposals amounting to ₹2915 Crore were settled for ₹2129 Crore during FY 2022-23.

The Bank also successfully sold 4 NPA accounts to ARCs through the Swiss Challenge Method on a 100% cash basis, resulting in a cash recovery of ₹165 Crore and reducing the NPAs by ₹314 Crore. Moreover, 97 accounts were declared as willful defaulters, and under the SARFAESI Act, the Bank conducted auctions for 1373 properties, selling 191 properties and generating ₹367.22 Crores.

The Bank signed Inter-Creditor Agreements (ICA) in 21 accounts with a total outstanding amount of ₹6525.60 Crore as of March 31, 2023. The Bank has set aside a total provision of ₹4963.56 Crore for these accounts.

Furthermore, the Bank approved and implemented resolution plans in 10 accounts in compliance with the RBI circular dated 07.06.2019. These accounts had an outstanding amount of ₹1930.09 crore as of March 31, 2023. The Bank has made a total provision of ₹686.05 crore for these accounts.

To strengthen NPA resolution efforts, the Bank signed Inter-Creditor Agreements (ICA) for accounts with banking exposure of ₹1500 Crore and above, following RBI guidelines. Resolution Plans were duly approved and implemented in compliance with the RBI circular dated 07.06.2019. The Bank maintained close daily monitoring of NPAs and conducted regular reviews of legal actions and SARFAESI-based recovery initiatives. Video conferences were held with field functionaries to assess progress and provide guidance.

Additionally, the Bank's RO Recovery Team, in collaboration with branch staff, individually contacted NPA borrowers with an outstanding amount of ₹10 lakhs and above to facilitate their recovery.

Bancassurance

The Bancassurance Cell within your Bank is responsible for distributing life, non-life, and health insurance products and receives a commission for these services. Your Bank holds a corporate agency license from IRDAI, which is valid until March 31, 2025, allowing it to engage in insurance distribution activities.

Sr No.	Name of the Insurance Company	Category
1	Life Insurance Corporation of India	Life Insurance
2	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd	Life Insurance
3	The New India Assurance Co. Ltd	Non-Life Insurance
4	Bajaj Allianz General Insurance co Ltd.	Non-Life Insurance

In line with the new IRDAI regulations of 2015, known as “open architecture,” your Bank has formed partnerships with multiple insurance companies operating in the life, non-life, and health insurance segments.

Here are the performance highlights for the year ending on March 31, 2023:

- Your Bank successfully sold 66,509 life insurance policies, resulting in a commission of ₹78.86 crore.
- In the non-life insurance business, your Bank sold 248,089 policies, earning a commission of ₹12.27 crore.
- The total earnings from the bancassurance business amounted to ₹91.13 crore.
- Your Bank has a dedicated team of 2,578 specified persons who actively source bancassurance business for the bank.

Depository Services

The Bank is a Depository Participant with an arrangement with Central Depository Services Ltd (CDSL). All the operations are centralized, and the services are offered through our Nodal Branch, Capital Market Services Branch, located at Fort Mumbai. The branches in major centres facilitate the opening of the accounts, buying and selling, pledge of Shares and dematerialization of physical securities. The bank has 28899 Demat Account Holders.

Capital Market Services Branch was opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc., and is the video conferences are held with Field Functionaries on a monthly basis NPA Borrowers with an outstanding of ₹ 10 lakh & above are being contacted individually by RO Recovery Team along with branch staff for its recovery controlling branch for Demat and ASBA.

Online Demat account opening facility was started with arrangement with Central Depository Services Ltd (CDSL) software OLAO and bank has implemented 3 in 1 E-Trading facility(Trading+Demat+Saving) in tie-up with Motilal Oswal Financial Services Limited for our Demat clients.

Digital Payments & Transaction Banking

During the financial year 2022-23, your Bank witnessed significant digital transactions across various channels. The daily average count of UPI transactions stood at 55.47 lakhs, showcasing the popularity and widespread adoption of this payment method. Similarly, IMPS transactions had a daily average count of 3.94 lakhs, indicating the convenience and efficiency of instant money transfers. Internet Banking transactions had a daily average count of 0.45 lakhs, while Mobile Banking transactions had a daily average count of 0.42 lakhs, reflecting the growing preference for digital banking services.

POS/E-Com transactions recorded a daily count of 1.12 lakhs, highlighting the increasing usage of debit and credit cards for retail purchases. As of March 31, 2023, your Bank had a total of 98.54 lakh registered users for Internet Banking, 57.67 lakh for Mobile Banking, and 24.50 lakh for UPI, demonstrating the expanding digital customer base.

Your Bank had 2,154 POS terminals installed across various locations as of March 31, 2023, enabling customers to make card-based payments conveniently. Additionally, 1,000 Self-Service Passbook Printing Kiosks (SSPBPK) were deployed to facilitate customers' access to their account information.

Your Bank operated a total of 3,752 ATMs, with 54.55% of them located in rural and semi-urban branches, emphasizing the bank's commitment to providing banking services in remote areas. The average ATM uptime during the year was approximately 96.92%, ensuring reliable and uninterrupted cash withdrawal services. Your Bank had a debit card base of 2.83 crore as of March 31, 2023, enabling customers to access their funds conveniently.

In credit card operations, your Bank partnered with SBI Card to issue co-branded credit cards to its customers. By the end of the financial year, 2.40 lakh co-branded cards had been issued, offering customers additional payment options and benefits.

Looking ahead, your Bank has outlined several initiatives to enhance its digital banking services. These include the introduction of virtual cards for secure e-commerce transactions, Whatsapp Banking for non-financial transactions, improved bill payment functionality across mobile banking, UPI, and internet banking platforms, implementation of UPI Pay Now for fund transfers between India and Singapore, UPI123 feature implementation, UPI Lite for acquiring transactions, and live issuance of ICCW for cash withdrawals from the bank's ATMs using UPI.

Furthermore, your Bank plans to deploy additional Self-Service Passbook Printing Kiosks at branches, offer white label solutions for payment aggregator services to merchants

and institutions through an integrated web portal, and continuously improve functionalities across mobile banking, UPI app, and internet banking platforms, ensuring a seamless and enhanced digital banking experience for its customers.

Information Technology

IT Infrastructure:

Central Bank of India has prioritized the establishment of a state-of-the-art IT infrastructure to support its operations and provide efficient customer service. Your Bank's ISO-certified Data Centre and robust IT infrastructure ensure operational efficiency and prompt customer service delivery. Significant IT projects, such as Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution, and Loan Lifecycle Management Solution, have been implemented as essential business enablers.

To ensure business continuity with zero data loss, your Bank has established a comprehensive Disaster Recovery Centre and a Near-Site Set up. Regular Disaster Recovery (DR) drills are conducted in line with your Bank's internal policy and regulatory guidelines. Even during extreme situations such as natural calamities, your Bank's advanced networking setup and constant monitoring have minimized branch isolations and network outages.

The SWIFT System has been revamped and upgraded to the latest version, equipped with additional features. Your Bank has recently launched revamped Internet Banking services for both retail and corporate customers, offering enhanced features and security controls. The RTGS/NEFT setup has also been upgraded to ensure 24x7 availability, following regulatory instructions.

Central Bank of India has successfully implemented various projects to comply with customer and employee service requirements, as well as regulatory obligations. These include Anti-Money Laundering, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Integrated Risk Management System (IRMS), Fraud Risk Management System (FRMS), Centralized e-TDS Management Solution, and Document Management System (DMS). Your Bank has also implemented TIN 2.0 for Direct Tax Collection and introduced Customer Feedback through SMS.

Your Bank actively participates in the government's financial inclusion initiatives, adhering to statutory guidelines while capturing Aadhaar data. Additionally, as the sponsor bank for two Regional Rural Banks (RRBs), Central Bank of India ensures that the RRBs benefit from technological advancements and core banking functionalities.

For comprehensive fund management and payment monitoring, your Bank has implemented the Digi Funds Management Solution. Furthermore, the existing Data Warehouse Solution is being upgraded to a best-in-class solution that can handle data growth and meet your Bank's MIS/analytical requirements effectively.

Under its business strategy, Central Bank of India is undertaking a major initiative known as "Digital Transformation." This initiative aims to seamlessly transition traditional business models into digital ones through a Universal App that offers comprehensive products and services such as deposits, advances, payments, and wealth management. Your Bank is in the process of procuring a Digital Banking Platform, Digital Lending Platform, and revamping its customer care and insurance platforms to support these digital services. As an initial step, your Bank has introduced Customer on-boarding Journey through Video KYC, enhancing the onboarding experience for customers.

IT Governance

Central Bank of India recognizes the importance of effective IT governance and has established dedicated committees to ensure proper oversight and governance of IT activities. The Board has formed IT Strategy and Risk Management Committees, which play a crucial role in ensuring that robust IT governance practices are in place. These committees oversee the implementation of IT strategies, evaluate IT risks, and provide guidance on IT-related matters.

To support your Bank in making informed IT decisions, an IT Steering Committee has been constituted. This committee comprises top executives from various business verticals, bringing together diverse perspectives and expertise. The IT Steering Committee assists your Bank in identifying and implementing appropriate IT initiatives that align with your Bank's objectives and business requirements.

The IT organizational structure of Central Bank of India is designed to meet the demands of its size, scale, and business activities. It encompasses key functional areas such as Technology and Development, IT Operations, IT Assurance, and Supply and Resource Management. Each functional vertical within the IT department is headed by experienced and trained senior officials who provide leadership and guidance.

The IT department is led by a top executive in the rank of General Manager, supported by Deputy General Managers and Assistant General Managers. This leadership team ensures effective management and execution of IT strategies, policies, and projects. They oversee the day-to-day operations of the IT department and drive the implementation of IT initiatives across the organization.

Information Security

Your Bank has taken all the necessary steps to protect its Information Systems and customer data from cyber threats. Continuous compliance of Regulatory Guidelines and certification standards such as ISO 27001 and ISO 22301. Initiatives are being taken on regular basis to enhance the cyber awareness among Employees/ Customers.

Leveraging Technologies – New initiatives taken during FY 2022-23

- 1) SMS Based Customer Feedback Mechanism implemented for Deposit, Withdrawal and Transfer.
- 2) Cheque Book issuance and activation through Mobile Banking, Internet Banking and SMS.
- 3) Positive Pay System
- 4) Direct Tax Collection (TIN 2.0)
- 5) Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) has been implemented for Real Time Analysis and Blocking of suspicious transactions initiated through Alternate Channels such as ATM, Internet banking, Mobile Banking and UPI. It is implemented to prevent fraudulent transactions done through various delivery channels.
- 6) Implemented Centralised KYC Registry (CKYCR) for capturing and validating of KYC data of Customers in CBS System as per guidelines of CERSAI.
- 7) Initiated Digital Customer On-boarding through Video KYC (online channel) as part of hassle-free customer on-boarding without visiting Branches.
- 8) In Cent Mobile, following customer service initiatives are taken,
 - o Option to generate Form 16 and Interest Certificate (E-certificate).
 - o Incorporation of Date & Time in Fund Transfer Receipt.
 - o De-Register and Loyalty rewards option incorporated.
 - o Assamese, Bengali, and Punjabi languages added.
 - o Cent 555/ 999 Deposits included in Account opening dropdown.
 - o On login to Cent Mobile App, one pop up is displayed, showing the Debit Card offers.
- 9) Tokenization of Cards - As per RBI guidelines, Merchants are not allowed to store Card Numbers of customers. Instead of Card No., they will be storing tokens (generated by Card Networks). Necessary changes for handling token-based transactions have been incorporated in ATM Switch. This is developed for ensuring confidentiality of Card details of customers.

Tokenization have been completed for all the three Card Networks viz. RUPAY, VISA & MASTERCARD.

Digital Initiatives

Bank has initiated Digital Transformation Project (Cent NEO) and the ambitious plans covers following Digital Transformation Journey:

- **Universal App (Cent NEO)** - Various services shall be offered on Assets, Liabilities, Wealth Management, Market Place, Cards etc, through App and Web interfaces.
- **Digital Lending Platform (DLP)** - The DLP shall support lending in Straight Through Process (STP), Assisted and Semi-Assisted modes.
- **Integrated Customer Care** - Modern Customer Care for Customer Services, Grievance Handling, Marketing & Sales , among others, on variety of channels Call, Chat/Voice BoTs, IVR, WhatsApp , among others,
- **Integrations Platform** - Upgrading the middleware platform for seamless communication between internal and external systems. The components of this platform are Payment-hub, API Gateway, Middleware and Streaming.
- **Collections Management** - Unified collections management system with Technology, Call Centre, and Feet on Street (FOS) services.

Audit and Inspection

Central Bank of India places immense importance on risk management and has established robust internal audit mechanisms to assess and mitigate risks across its branches and offices. Your Bank employs a Risk-Based Internal Audit (RBIA) approach, where internal auditors evaluate each branch based on a composite risk matrix and assign a risk rating accordingly. During the fiscal year 2022-23, a total of 4,376 branches were subjected to RBIA the ratings revealed that 2,698 branches were classified as Medium Risk, 1,633 branches as Low Risk, 43 branches as High Risk, and 2 branches as Very High Risk.

Management audits were conducted on 35 Regional Offices, 12 Zonal Offices, 17 Central Office Departments, 2 RRBs, and 5 Subsidiaries/Training Colleges during the same fiscal year. These audits ensure effective management practices and adherence to established policies and procedures.

Concurrent audits play a crucial role in monitoring and ensuring the accuracy and compliance of branch operations. As of March 31, 2023, a total of 1,157 branches/offices were covered under concurrent audits by chartered accountants or bank officials. This includes General Branches, SSBs, CPACs, CO Departments, Currency Chests, AD Branches, Nodal Branches for government business, and High-Risk

rated branches. Concurrent audits cover approximately 58.63% of your Bank's total business and 70.47% of aggregate advances. Your Bank has engaged a diverse range of chartered accountant firms categorized by RBI as Category I, II, III, and IV to conduct these audits.

In addition to regular concurrent audits, your Bank appointed concurrent auditors at the Regional Office level to conduct transaction checks of internal/office accounts of branches not covered under regular concurrent audits for the fiscal year 2022-23. A total of 362 concurrent auditors were appointed, including chartered accountants and audit firms categorized by RBI.

To ensure the accuracy of income bookings, your Bank conducts an annual revenue checking exercise involving chartered accountants, internal auditors, and other officials. This exercise takes place from March 1st to March 10th every year.

Compliance audits are conducted to ensure adherence to regulatory and internal compliance requirements. During the fiscal year 2022-23, 755 branches underwent compliance audits, contributing to your Bank's strict compliance culture. Additionally, your Bank conducts periodic inspections and audits to assess compliance at branches, including KYC compliance audits.

Central Bank of India also complies with RBI directives by conducting periodic legal audits and re-verification of title deeds in eligible accounts. This ensures the integrity and legality of your Bank's operations.

Planning, Development & Operations

Branch Expansion :

The details of branches opened/merged/closed during FY 2022-23 is as under:

No	Category	Position as on 31.03.22	Position as on 31.03.23
1	Rural	1604	1600
2	Semi-Urban	1330	1330
3	Urban	783	769
4	Metro	811	794
TOTAL		4528	4493

Your Bank has implemented various initiatives to enhance customer convenience and improve service delivery. Here are the key initiatives:

Your Bank's call centre provides both inbound and outbound call facilities to customers. It has been upgraded to offer 16 services through interactive voice response (IVR) to callers. In addition to the existing toll-free number (1800 22 1911),

your Bank has introduced additional numbers (1800 202 1911 toll-free and 022 4190 3900 toll number) to provide alternative options in case of disruptions in telecom services.

An exclusive number (1800203 1911) is provided for pensioners and senior citizens. The call centre also offers services in 10 regional languages, apart from Hindi and English. Doorstep banking facilities are available to senior citizens, visually impaired individuals, and differently-abled customers through the call centre.

Customers can request debit freeze for their accounts or debit cards through the call centre on a 24/7 basis. Proactive outbound IVR blaster services are deployed in five languages to reach out to delinquent agriculture, retail, and MSME customers. BOT calling is used for reminder services for collection of payments from accounts with special mention accounts (SMA).

Your Bank provides services for fund transfers through IVR to own and other accounts within the bank, as well as loan accounts. Pensioners are reminded to submit their annual life certificates through the call center, and your Bank accepts life certificates through V-KYC.

Your Bank has revamped its complaint management solution through its web portal, allowing customers to lodge complaints anytime, anywhere. Home delivery of cheque books and ATM cards has been implemented for customer convenience. Cheque books can be activated through SMS, mobile banking, or internet banking. Positive Pay has been introduced to prevent fraud by cloning or alterations, allowing customers to furnish certain basic details of their issued cheques. Positive Pay information is available through net banking, mobile banking, and the branch network.

Under the DSBS (Doorstep Banking Services) initiative in collaboration with PSB Alliance Pvt Ltd, customers located at 100 centers can avail of services at a nominal charge. Digital life certificates for pensioners can be booked through various channels, and a doorstep banking agent will collect the online life certificate using the Jeevan Pramaan App.

Customers can make nominations for their accounts through mobile banking, internet banking, or SMS channels. PPF accounts can be opened at any branch of choice or through internet banking or mobile banking. The Senior Citizen Saving Scheme can be opened through mobile banking or any branch. Online subscriptions for Sovereign Gold Bonds can be made through net banking. Tax collection under TIN 2.0 is available at all branches and through internet banking.

Home branch change for small saving schemes is now possible through CBS (Core Banking Solution), similar to deposit accounts. Customer onboarding through video KYC

has been implemented, and re-KYC (Know Your Customer) can be done through mobile banking. Customers receive SMS notifications before and after their accounts become inoperative or dormant, and e-mandates are facilitated through Aadhaar-based authentication. Mandate registration for credit amounts in savings accounts from other banks is also available.

Rajbhasha

The Rajbhasha Department has achieved several notable accomplishments in the Financial Year 2022-23. These achievements include receiving Rajbhasha Awards from various offices such as Regional Implementation Offices, the Home Ministry of the Government of India, NGOs, and Town Official Implementation Committees. The awards recognize the efforts and accomplishments of our offices in promoting the use of the official language and ensuring compliance with Rajbhasha policies.

- Awards Received from **Regional Implementation Offices**, Home Ministry, Govt. of India.

Sl.	Name of the office	Award
1.	Zonal Office, Patna	First
2.	TOLIC (Bank) Bhopal (Working under our association)	First
3.	TOLIC (Bank) Panji (Working under our association)	First
4.	Regional Office, Sambalpur (For the FY 2021-22)	First
5.	Regional Office, Sambalpur (For the FY 2020-21)	Second
6.	Regional Office, Gwalior	Second

- Awards: received from non-governmental organizations**

Our bank received the prestigious Best Nationalized Bank Ashirwad Rajbhasha Award from the Honorable Governor of Maharashtra, Mr. Bhagat Singh Koshyari. This award recognized our bank's significant efforts in promoting the use of the official language Hindi. It was presented by the literary, cultural, and social organization Ashirwad.

Additionally, our bank was honored with the 'Dushyant Samman' for its excellent work in promoting Hindi as the official language. This recognition was bestowed by Paswan-e-Adab, a literary, cultural, and social organization based in Mumbai.

Furthermore, our General Manager (Rajbhasha), Mr. Smriti Ranjan Dash, received the prestigious Ashirwad Rajbhasha Gaurav Puraskar. This award was presented by Ashirwad in appreciation of Mr. Dash's valuable

cooperation and contribution in promoting Hindi within our office.

- Narakas Award

During the financial year 2022-23, our various offices received the esteemed Narakas Awards from their respective Town Official Implementation Committees. These awards recognized the outstanding efforts and achievements of our offices in promoting and implementing the official language in their respective locations.

Sl.	Name of the office	Award
1	Regional Office, Jodhpur	First
2	Regional Office, Deoria	First
3	Regional Office, Bareilly	First
4	Anand Branch - Gandhi Nagar Region	First
5	Regional Office, Gwalior	First
6	Zonal Office, Patna	First
7	Regional Office, Ayodhya	First
8	Regional Office, Dhanbad	First
9	Regional Office, Akola	First
10	Zonal Office, Delhi	First
11	Regional Office, Muzaffarpur	First
12	Zonal Office Delhi's e-magazine 'Central Vani'	Hindi Second
13	Regional Office Meerut's e-magazine 'Centmangal'	Hindi Second
14	Regional Office, Ranchi	Second
15	Regional Office, Thiruvananthapuram	Second
16	Regional Office, Kanpur	Second
17	Regional Office, Hyderabad	Second
18	Zonal Office, Chennai	Second
19	Zonal Office, Guwahati	Second
20	Badwani Branch	Second
21	Shalimar Branch	Second
22	Regional Office, Bhubaneswar	Third
23	Regional Office, Surat	Third
24	Shivpuri Branch (Bhopal Zone)	Third
25	Regional Office, Ludhiana	Third
26	Regional Office, Aurangabad	Third
27	Zonal Office, Pune	Third
28	Regional Office, Coimbatore	Third
29	Nagercoil Branch	Third
30	Regional Office, Hubli	Third
31	Regional Office, Jamshedpur	Third
32.	Regional Office, Kolkata	Consolation

Sl.	Name of the office	Award
33.	Regional Office, Jaipur	Consolation
34.	Khammam Branch (Warangal Zone)	Consolation
35.	Dewas Branch	Consolation
36.	Regional Office, Sambalpur	Consolation
37.	Burnpur Branch	U n n a y a k Award

During the financial year 2022-23, the Rajbhasha Department of our bank achieved several significant milestones and organized various events to promote the use of the official language. Here are the key highlights:

- **Rajbhasha Sammelan:** Our bank organized the 'Akhil Bhartiye Rajbhasha Sammelan' in Delhi, where distinguished guests such as Ms. Anshuli Arya, IAS, Secretary (OL), and Mr. B. L. Meena, Director (OL), graced the event. The conference included discussions on various subjects, along with a special lecture on "Kanthastha."
- **Rajbhasha Seminars:** A Rajbhasha Seminar was organized by the Regional Office Siliguri in the presence of Mr. Nirmal Kumar Dubey, Assistant Director, Regional Implementation Office (East Zone).
- **Rajbhasha Exhibitions:** Our bank hosted the All India Rajbhasha Exhibition in Delhi, where four pavilions representing linguistic regions A, B, and C were set up. Additionally, our various offices organized 312 exhibitions, showcasing various aspects of Hindi language and culture.
- **Publication of E-books:** Our bank published 12 E-books covering diverse banking topics, including customer complaints, NPA management, digital banking, and advertising. These E-books aim to provide valuable insights and knowledge to our stakeholders.
- **E-Learning Platform:** The 'Cent Saral' e-learning books, available on our bank's website, offer educational material in 10 major Indian languages, including Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu, and Odia.
- **All India Hindi Competitions:** To encourage the implementation of Rajbhasha, various Hindi competitions were organized at the national level, including essay competitions, centmail competitions, and Hindi geet gayan (singing) competitions.
- **Recognition for Excellent Performance:** Five zones and 12 Rajbhasha Officers across the country were awarded for their outstanding performance in the implementation of Rajbhasha.
- **Publication of Bilingual and Hindi In-house Magazines:** Our bank regularly publishes the bilingual house magazine 'Centralite' and the quarterly Hindi in-house magazine 'Central Manthan.' Additionally, our Zonal

Offices and Regional Offices publish e-magazines at regular intervals.

- **Special Events:** Several events were organized to promote Hindi and celebrate notable occasions. These events included a programme of Lata Mangeshkar's songs by the staff of Thiruvananthapuram region, an online Hindi competition related to Dr. Ambedkar's birth anniversary, World Hindi Day celebrations, and various competitions organized by our offices.
- **Hindi Posters:** Our various offices released 225 Hindi posters containing messages, sayings, quotations, and guidelines to promote the use of Hindi language.
- **Convenership of NARAKAS:** Our bank serves as the convener for 11 NARAKAS (Town Official Language Implementation Committees) located in cities such as Akola, Bhopal, Deoria, Golaghat, Gwalior, Lakhimpur, Madurai, Panaji, Raipur, Thane, and Udalgudi.

Marketing

The marketing department of our Bank has demonstrated exceptional performance and achieved remarkable milestones throughout the fiscal year. With a strategic focus on the Retail, MSME, and CASA segments, the department has successfully driven customer engagement and contributed to the Bank's growth and market presence. To enhance lead management and monitoring, a state-of-the-art Marketing Portal was developed, providing Marketing Officers, Branch Managers, and Admin offices with robust tools and capabilities. This user-friendly platform facilitated efficient tracking and optimization of leads, ensuring no opportunity was missed.

The efforts of our dedicated marketing team yielded impressive results, as they mobilized an impressive total of 11,690 leads, amounting to a substantial ₹ 6,193 crore during the fiscal year 2022-23. This exceptional achievement is a testament to their unwavering commitment and expertise in identifying and converting prospects into valuable business relationships. In fact, out of the total leads generated, an impressive 8,800 were successfully converted, resulting in a significant business value of ₹ 3,447 crore.

Furthermore, the introduction of the Missed Call Facility proved to be a valuable addition to our lead generation initiatives. Since its launch in July 2021, this service has garnered remarkable response, with 859 leads forwarded to branches. These promising leads amounted to ₹ 292 crore, and through meticulous follow-up and nurturing, 545 of them were successfully converted into tangible business, totaling ₹ 226 crore. Embracing the power of digital marketing, our marketing team launched impactful campaigns that resonated with our target audience. By leveraging various digital channels, they effectively reached and engaged prospective customers, further expanding our market reach and opening doors to new business opportunities.

Continuous learning and development were prioritized within the marketing department. Online training sessions were conducted to equip field functionaries, especially Marketing Officers, with the latest tools, techniques, and strategies. This investment in their professional growth not only enhanced their capabilities but also ensured they were well-equipped to meet the evolving needs of our customers and the market.

Acknowledging outstanding performance, your Bank celebrated the top 10 quarterly performers within the marketing team. Letters of Appreciation were issued to recognize their exceptional contributions, and monetary incentives were provided to reward their hard work and dedication. Accurate and timely performance monitoring played a crucial role in guiding the marketing team's efforts. Through informative slides and comprehensive data on missed calls, the team closely monitored daily performance and shared key metrics with Regional Offices and Marketing Officers. This real-time information facilitated prompt decision-making and enabled targeted actions to optimize performance.

Looking ahead, your Bank has set ambitious goals for the next fiscal year. A target of ₹ 4,500 crore has been established, building upon the remarkable achievements of the previous year. The marketing department is committed to surpassing this milestone and continuing to play a pivotal role in driving the Bank's success and market leadership.

Digital Marketing Department

In today's fast-paced and highly competitive business landscape, staying ahead of the competition is paramount. One key strategy that has proven to be a game-changer is digital marketing. With the ability to reach a vast audience and leverage the power of the internet, businesses can connect with customers such as never before. Unlike traditional advertising methods, digital marketing offers a cost-effective approach to reaching and engaging potential customers. The expenses associated with print ads, TV commercials, or billboards can be significantly higher compared to the more streamlined and targeted digital marketing campaigns. This cost efficiency allows businesses, regardless of their size, to allocate their marketing budget more effectively and achieve better ROI.

Digital marketing encompasses a range of strategies and tactics that are executed through electronic devices or the internet. It empowers businesses to connect with their target audience in many ways, including search engine optimization (SEO), social media marketing, email marketing, content marketing, and paid advertising, among others. By utilizing these digital channels, businesses can establish a strong online presence, engage with their customers, and drive conversions. One of the core advantages of digital marketing is its ability to track and measure the effectiveness

of campaigns in real-time. Through analytics and data-driven insights, businesses can gain valuable information about their target audience's preferences, behaviours, and engagement levels. This data-driven approach allows for continuous optimization and improvement, ensuring that marketing efforts are aligned with customer expectations and business goals.

There are various methods under the spectrum of digital marketing, which are as follows-

- Search Engine Optimization (SEO)
- Search Engine Marketing (SEM) & Pay-Per-Click (PPC)
- Social Media Marketing (SMM)
- Blogging
- Video Marketing
- Email Marketing
- Influencer Marketing , among others,

Digital Marketing and how it impacts the way businesses operate

- **Customer Connect** – Digital platforms has enabled easy and instant communication between the brand and the audience. It also helps to connect with the global audience.
- **Content Distribution** – Every day organization can share huge content with the audience via social media, emails, applications, newsletters and so on. This way organization can easily spread their message to a large audience.
- **Customer Information** – With the help of the technology, organization can track the data of the customers. The analysis of the data can help us to know customer likes and preferences. Based on which, we can make vital business decisions.
- **Encourage Innovations** – Digital marketing offers a platform to reach customers in an innovative way. When there is a stiff competition in the market, having an innovative approach helps brands to stand out.

Our Bank has established a strong foothold in social media the biggest form of Digital Marketing today with presence in all major platforms namely Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and YouTube. Moving forward, Bank aspires to give an impetus to its digital marketing efforts to develop a brand perception from what it is today in its endeavour to become the preferred choice of new age tech savvy millennials and Gen-Z customers. In the FY 2022-23 our Bank has successfully executed Digital Marketing campaigns on Retail schemes, MSME schemes, Missed Call Facility, Online Savings account on Social Media platforms & Google Search Engine.

STRATEGY
NOTICE
REPORTS
FINANCIALS

The following campaigns were executed digitally on various Social Media platforms and Google Search Engine:

- Housing Loan (Cent Home Loan, Cent Grih Laxmi)
- Education Loan (Cent Vidyarthi, Cent Vidyarthi Loans for IIMs & other reputed management institutions)
- Vehicle Loan
- Missed Call Facility for Loans on Facebook & Instagram
- MSME Campaigns (Cent Sanjeevani, Cent Vehicle Business Loan, Cent GST Loan, Cent Business Loan, Cent Textile Loan, Jewellery Manufacturer Loan)
- Online Savings Account

Total number of impressions generated in these campaigns were 9,13,67,733, total number of clicks were 6,78,856 with the total number of Leads generated were 2,47,721.

Social Media






Social Media has become the most prominent form of Digital Marketing today. Our Bank's social media platforms were started with an idea to make our presence in the world of digital media and to promote our products and services on these platforms. It has helped our Bank to create an awareness among the existing and potential customers. We have successfully made our presence on platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and YouTube. With the help of social media, we are in constant process of helping and solving queries and complaints of existing and potential customers with a tool called ORM (Online Reputational Management).

Below are the key highlights of Social Media Activities:

- Creatives are being made and posted daily by the department and on the ideas received from peer departments.
- The Department conducted various campaigns of DFS, NPCI, Finance Ministry, RBI, and other Govt Institutions.
- Various Brand conversation campaigns were executed to make the customer aware of the features of our products/schemes.
- Various campaigns were coordinated to promote our ADC (Alternate Delivery Channels).
- Information on various offers and schemes were disseminated through our social media platforms for creating brand awareness and to tap the potential customers.
- Posts on various activities under Azadi Ka Amrit Mahotsav, DFS and other Government Departments were created and shared on our social media platforms with AKAM hashtags.

- Participated in the Nationwide Intensive Awareness campaign & #RBIKehtaHai campaign of Reserve Bank of India.
- Participated in the Special Campaign 2.0 – a cleanliness drive by DFS.
- For customer service excellence and for immediate redressal of complaints a complaint redressal cell was set up in the month of May 2021.
- The comments/queries/complaints in our social handles are being moderated with the help of our Online Reputation Management (ORM) tool and appropriate replies are being posted in the social media.
- On an average we receive usually 200 to 250 complaints on day-to-day basis which are resolved on the same day.
- In the financial year 2022-23, we received 310 appreciations from our customers whose concerns were addressed.
- The complaints pertaining to individual departments are being taken up with them for an early resolution.

Followers/Likes on Social Media Platforms as on 31/03/2023:

-  – 2,02,406 Followers
-  – 162350 Followers
-  – 8652 Followers
-  – 12517 Followers
-  – 22000 Followers

The Corporate Communications Department is responsible for overseeing your Bank's initiatives in branding, product marketing, and corporate communications. The Department has made significant efforts to strengthen the branding process across the country and has established an effective framework for initiating branding activities.

In addition to traditional branding methods such as traffic barricades, no parking boards, police booths, wall paintings, buses, trains, local cable channels, and FM radio, the department has also ventured into digital marketing to promote various products and services through apps and websites.

The s team has conducted various major activities and sponsorship programs to promote the Bank's range of products and services, including home loans, vehicle loans, education loans, agriculture loans, MSME loans, and digital products. Different media channels such as print, electronic/digital/social media, outdoor media, and ATMs have been utilized for branding and promoting the Bank's offerings.

The department's focus is on constantly redefining and reinventing all branding efforts to ensure relevance and act as a catalyst for change, positioning your Bank as a dynamic

and trusted brand. Throughout the year, numerous publicity activities were carried out nationwide to maximize visibility and create awareness of the Bank's products and services.

By engaging in strategic branding and publicity initiatives, the s Department aims to strengthen the Bank's market position, enhance its brand image, and build trust among its customers.

The Bank's marketing efforts encompass a wide range of sponsorships, advertising, and promotional activities, including:

Sponsorships:

- Sponsorship of various musical programs and cultural events
- Sponsorship of college festivals and sports tournaments
- Sponsorship of trade fairs and conferences
- Platinum sponsorship of the Subroto Cup football tournament
- Sponsorship of cancer screening and global music festivals

Advertising and Media:

- Advertising on prominent television channels and radio stations
- Print advertisements in newspapers and magazines
- Digital marketing campaigns on social media platforms
- Advertising in specialized publications and statistical data reports
- Promotion through jingles and banners at key locations

Community Engagement:

- Social awareness campaigns through street plays and murals
- Support for social causes and initiatives
- Celebrations of momentous events and anniversaries

Public Relation The Public Relation Department played a crucial role in maintaining effective communication and managing the Bank's image and reputation. Through these initiatives, the Public Relation Department played a vital role in fostering transparent communication, strengthening stakeholder relationships, and upholding the Bank's reputation and credibility in the industry. The department executed the following key activities:

Press Releases and Media Engagement: The department regularly issued press releases, ensuring that important updates and announcements from various departments were effectively communicated to the media and the public. It facilitated press meets and analyst meets during noteworthy events, such as the announcement of quarterly financial

results, to provide insights and clarify queries.

Media Partnerships: To expand the reach of the Bank's messages, the Public Relation Department established partnerships and licensing agreements with news channels, news agencies, and other media platforms. This enabled your Bank to disseminate information to a broader audience and enhance its visibility in the media landscape.

Corporate Social Responsibility

At our bank, Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral part of our business philosophy. We believe in contributing to the economic development and improving the well-being of not only our workforce and their families but also the broader community and society. We are committed to making a positive impact through our CSR initiatives, focusing on various areas of social welfare.

Our CSR efforts primarily involve collaborating with trusted organizations and trusts dedicated to serving the underprivileged and marginalized sections of society. Through these partnerships, we channel our resources towards initiatives that promote education, healthcare, disaster relief, and overall social welfare.

We understand the importance of empowering individuals and communities to break the cycle of poverty and create a sustainable future. By supporting education programs, we aim to provide opportunities for underprivileged children to access quality education and build a brighter future. Additionally, we contribute to healthcare initiatives to improve the well-being and access to medical facilities for those in need.

In times of natural calamities, we extend our support to provide relief and assistance to affected communities, helping them recover and rebuild their lives. Furthermore, we are committed to addressing various social issues and contributing to the overall welfare of society through our CSR activities.

Through our CSR initiatives, we strive to make a meaningful difference, aligning our efforts with the needs and aspirations of the communities we serve. We remain dedicated to our responsibility of giving back to society and creating a positive impact on the lives of people in need.

Vigilance

During the Vigilance Awareness Week 2022, our bank diligently observed the directives received from the Central Vigilance Commission (CVC). The theme for this year's campaign was "Corruption-free India for a developed Nation." The week-long observance took place from October 31, 2022, to November 6, 2022.

The activities and initiatives undertaken during the Vigilance Awareness Week were focused on promoting integrity, transparency, and preventive measures. The following highlights summarize the various exercises and activities conducted nationwide:

- Workshops and Sensitization Programmes: A total of 244 workshops and sensitization programmes were organized for employees, relatives, and stakeholders. These sessions aimed to educate participants about organizational policies, procedures, and preventive measures.
- Competitions and Debates: Debates, elocution competitions, and essay competitions were held at 17 different centers for school and college students. Additionally, a Pan India-level quiz competition saw the participation of 863 staff members.
- Gram Sabhas: A remarkable 2,339 Gram Sabhas were conducted across the country in rural and semi-urban areas. These gatherings aimed to raise awareness among the general public about the perils of corruption and the importance of transparency and integrity in public governance.
- Engaging Activities: Various engaging activities were organized, including 50 walkathons, 2 cricket matches, a Nukkad Natak (street play), bike rally, exhibition, and human chain activity. These events were held at different locations associated with our bank.
- Video Competition for Children: A video competition for the children of staff members took place across all centers, attracting the participation of 379 enthusiastic children.
- Release of "CENT VIGIL" Magazine: During the event at the Central Office in Mumbai, an e-journal called "CENT VIGIL" was released by our MD & CEO, Shri M. V. Rao. This journal featured articles on Vigilance Awareness Week-related subjects, photos, and media clips of events held nationwide.
- Town Hall Meetings: Town Hall meetings were arranged at prominent locations, inviting customers, staff members, and special invitees from the RBI, CBI, Police Department, as well as senior IAS and IPS officers. These meetings provided a platform for addressing the audience on vigilance awareness.

Furthermore, several systemic improvements were implemented during the year. These included the automation of the Surprise Inspection Exercise through the online SIR (Surprise Inspection Report) portal, installation of CCTV surveillance in Branch Managers' cabins to enhance monitoring, updates to alerts in the Offsite Monitoring process, and the creation of awareness among field functionaries regarding the e-Procurement process.

Human Capital Management

As of the end of March 2023, the staff strength of the Bank increased to 30,770 compared to 30,289 in the previous year.

- Officers: The number of officers at the end of March 2023 was 16,521, showing a slight increase compared to the previous year's count of 16,248.
- Clerks: The number of clerks stood at 9,060, reflecting an increase from the previous year's count of 8,415.
- Sub-staff: The sub-staff category consisted of 5,189 employees, which decreased slightly compared to the previous year's count of 5,626.

Category	March-19	March-20	March-21	March-22	March- 23
Officers	16686	16563	16565	16248	16521
Clerks	11766	10356	9761	8415	9060
Sub-staff	7041	6562	6009	5626	5189
Grand Total	35675	33481	32335	30289	30770

Recruitment and Promotion

During the year 2022-23, the Bank conducted new recruitments to enhance its workforce. The following are the details of the new recruits:

- Specialist Officers:	The Bank hired 547 new Specialist Officers.
- Probationary Officers:	A total of 527 Probationary Officers were recruited.
- Appointment on Compassionate Grounds:	Additionally, the Bank appointed 85 Sub-staff and 137 Clerks on compassionate grounds, taking into consideration their personal circumstances.

In terms of promotions, the Bank conducted a comprehensive promotion process across all scales and disciplines during the year. This included inter-scale and inter-cadre promotions, enabling employees and officers to progress to higher cadres and scales. The promotion process resulted in 795 clerks being promoted to Scale-I officers and 2,779 officers being elevated to higher grades and scales. The Bank also considered transfer requests from 724 officers on a pan-India basis.

To meet the staffing requirements for the financial year 2022-23, the Bank initiated various recruitment processes. These include placing an indent for the recruitment of 2,100 Probationary Officers, 1,000 Clerical staff, and 358 Specialist Officers. In addition, the Bank began the lateral recruitment process for 50 Chief Managers and 200 Senior Managers in the Mainstream category. This initiative aims to bring in experienced professionals to fill key positions within

the organization.

Furthermore, the Bank initiated recruitment processes for 136 Specialist Officers and 11 Mainstream Officers on a regular basis for the CENT-NEO Project, which is an important project the Bank is undertaking.

To support skill development and comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Bank’s approved apprenticeship policy, the Bank initiated the engagement of 5,000 apprentices pan-India. This initiative aims to provide training and opportunities for young individuals to gain practical experience in the banking sector.

Employee Benefits

Under the category of Employee Benefits, the Bank has implemented various schemes to ensure the well-being and satisfaction of its staff. Here is a summary of the key initiatives:

- Your Bank has prioritized the well-being of its employees by providing comprehensive medical facilities and insurance coverage. Medical facilities, including salaries for doctors and the cost of medicines, are available at Zonal Headquarters. Your Bank has renewed the Group Medical Insurance coverage for employees, along with the option of a Super Top-up facility. To address major ailment expenses, your Bank has implemented the Corporate Buffer scheme under the medical insurance program. Additionally, the Retirees’ Group Health Insurance Policy has been renewed, ensuring continued coverage for retired employees.
- In terms of financial assistance and incentives, your Bank has taken various measures to support its employees. The relief amount for funeral expenses and ex gratia payments to the families of deceased employees has been enhanced. Canteen subsidy facilities for serving staff members have been increased, providing greater support for their daily needs. Financial assistance is available for employees who have children with special needs or disabilities. Your Bank also rewards employees whose children pass their 10th or 12th standard examinations with distinction. Furthermore, additional financial assistance is provided to pre-1986 retirees and their family pensioners. Incentives are also offered through performance-linked incentives (PLI) for all eligible employees, and bonus payments are made in accordance with the Payment of Bonus Act, 1965.
- Employee welfare and recreational activities are important aspects of the bank’s initiatives. The Holiday Homes and Transit Homes have been upgraded, ensuring improved quality of stay for employees. Your Bank has reintroduced the health check-up facility, allowing employees to undergo health check-ups at defined intervals. Funds have been allocated for

conducting sports, cultural, and recreational activities for employees, promoting a healthy work-life balance. As a gesture of goodwill and appreciation, your Bank distributes sweets or dry-fruit packets to employees on festive occasions.

- Transfer policies and discussions with unions play a crucial role in maintaining a harmonious work environment. Joint discussions with unions have taken place regarding career paths, promotion policies, and transfer norms for officers. Your Bank has introduced a rent reimbursement facility for clerical staff and enhanced rent ceilings for officers to alleviate the financial burdens of securing suitable accommodation. Meetings with unions have also been held to finalize revised transfer norms and promotion policies for award staff employees.
- In response to natural disasters, your Bank has provided support to its employees affected by floods in the north-eastern regions. Through the Flood Relief Loan program, employees whose houses and household belongings have been damaged by floods receive financial assistance amounting to one month’s gross salary, with a maximum limit of ₹1,00,000.

Overall, the bank’s commitment to employee welfare and engagement is evident through its provision of medical facilities, insurance coverage, financial assistance, incentives, recreational activities, and support during challenging times. These initiatives reflect the bank’s dedication to creating a conducive and supportive work environment for its employees.

Employee Development

The Bank has implemented various programs and initiatives to enhance performance management, learning and development, capacity building, and employee engagement. These comprehensive initiatives and programs reflect the bank’s commitment to performance management, continuous learning and development, capacity building, employee engagement, and fostering a culture of growth and excellence within the organization. Here is a summary of these initiatives:

- Your Bank has implemented a Performance Management System (PMS) called the Central RISE Project for officers and clerks. This project includes various components such as role allocation, scorecards, and review utility in the PMS tool. Additionally, target setting has been completed for business metrics based on market growth data, and a manpower planning tool has been developed for the fiscal year 2023-24. Furthermore, a job family survey has been conducted specifically for officers.
- In terms of learning and development, your Bank has conducted training programs through its Officers’ Training Colleges and CLDs (Centers for Learning and Development), covering a wide range of topics and job

families. E-learning modules have been provided, offering a diverse selection of courses for employees. Moreover, your Bank has introduced video-based learning, where recorded training classes are accessible through the Cent Swadhyay App. The capacity utilization of training colleges and CLDs has reached an impressive 114.43%. As for staff training, 100% of officers and 71.39% of award staff have undergone training.

- Special training initiatives have been undertaken by your Bank to enhance leadership skills and professional development. These initiatives include programs conducted by reputable organizations such as McKinsey & Company, FSIB, IBA, IIM-A, IIM Indore, XLRI, ASCI, IIBF, and JBIMS. There has also been a focus on digital transformation training for IT officers and leadership training for women SMs (Senior Managers) and managers. Additionally, external training programs have been conducted in collaboration with institutions such as IIM, ASCI, NIBM, CAB, FEDAI, IIBF, CORDEX, SHRM, and FIMMDA.
- To further strengthen capacity building, your Bank has provided a provision for employees to choose their certifications, allowing them to pursue up to five certifications worth up to ₹60,000 in a fiscal year. Regional heads have been identified for the Advanced Management Program for Senior Bankers, conducted by NIBM (National Institute of Bank Management) and Kent Business School, U.K. Furthermore, certification exams have been conducted for auditors and CPAC (Credit Policy and Audit Cell) officers. Your Bank has also disseminated information through leaflets called "Information on the Run," which serve as a ready reckoner for employees.
- To enhance leadership skills and professional growth, your Bank has initiated a one-on-one executive coaching programme for regional heads and zonal heads, with sessions planned over a period of 6-9 months.
- Employee engagement and HRD (Human Resource Development) audit surveys have been conducted to evaluate the impact of HCM (Human Capital Management) policies and practices. These surveys have covered parameters such as HRD culture, employee engagement, performance management, learning and development, career development, and employee satisfaction. The results of these surveys will help identify areas of improvement and leverage strengths within the organization.
- A mentorship programme has been implemented for Scale VII and VI officers to facilitate knowledge transfer and continuous growth. Through this program, experienced officers mentor their colleagues, supporting their goals and skill development through one-on-one conversations and other learning activities.

- Your Bank has also introduced an internship policy approved by the Board of Directors, providing practical knowledge and stipend opportunities to candidates. Interns gain an overview of the banking industry and acquire practical experience in specific departments aligned with their educational specialization and preference.

Industrial Relations

Throughout the year, the industrial relations within your Bank remained harmonious and cooperative, fostering a positive and productive work environment.

Crisis Management Plan and Committee Formation:

To ensure preparedness for crisis situations, a Crisis Management Plan (CMP) was adopted by the bank. This plan, formulated by a working group consisting of representatives from public and private sector banks, outlines strategies for effectively managing industry-wide strikes lasting more than three days. As part of the CMP implementation, a Crisis Management Monitoring Committee comprising four General Managers was established at the Central Office.

Nodal Officers and Guidelines: To assess the impact of strikes, implement the Crisis Management framework, issue operational guidelines, establish a robust public information system, and coordinate with local authorities and police, your Bank appointed Assistant General Managers (Operations) at Zonal offices and Chief Managers (Operation) at Regional Offices as Nodal Officers. These Nodal Officers work under the guidance of the Crisis Management Monitoring Committee at the Central Office. Their role is to analyze the situation in their respective Zones/Regions, ensure the effective execution of the Crisis Management Plan, and minimize the impact of strikes on banking services.

Appointment of Nodal Officers: In addition to the Nodal Officers at the Zonal and Regional levels, dedicated Nodal Officers were appointed to coordinate crisis management efforts. These officers play a crucial role in monitoring and reporting strike-related developments and ensuring the smooth functioning of alternate delivery channels during crises. The appointment of Nodal Officers at various levels strengthens the bank's crisis management capabilities and reinforces its commitment to providing uninterrupted banking services even during challenging situations.

Staff Administration

Armed Forces Flag Day Fund: In a display of solidarity and commitment to the nation, Centralites contributed ₹3.90 Lacs to the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF). This contribution aims to support the welfare of ex-servicemen and war widows, demonstrating our concern for their well-being.

Compassionate Appointment and Ex-gratia Payment: Your Bank made payments of ex-gratia in lieu of compassionate appointments, providing financial assistance to deserving individuals. A total of 12 cases were settled, with an amount of ₹70,30,041/- disbursed.

Compassionate Appointment on Compassionate Grounds: Your Bank also facilitated compassionate appointments on compassionate grounds, recognizing the need to support individuals during challenging circumstances. A total of 137 clerks and 85 sub-staff members were appointed through this compassionate appointment process, totaling 222 appointments in FY 2023.

Prevention of Sexual Harassment (POSH) of Women at Workplace: Your Bank strictly prohibits sexual harassment in the workplace and has implemented the guidelines outlined in "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013." To ensure a safe and respectful work environment, internal complaint committees have been established at all administrative offices.

Position of Complaints related to Sexual Harassment: As of March 31, 2023, your Bank received a total of 11 complaints under the Sexual Harassment of Women (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013. Out of these, 10 cases were successfully disposed of during the year, leaving one case pending at the end of the year. This pending case was subsequently resolved on April 20, 2023, ensuring appropriate action and resolution. Your Bank remains committed to addressing and redressing any instances of sexual harassment promptly and effectively.

Implementation of Reservation Policy

Your Bank diligently adheres to the Reservation Policy prescribed by the Government of India for SCs/STs/OBCs/EWSs/PWDs. The workforce of your Bank reflects the representation of SCs, STs, OBCs, and differently-abled individuals across all cadres. Your Bank has also implemented the reservation applicable to "Economically Weaker Sections" in direct recruitment since February 1, 2019, in line with the guidelines set by the government.

The SC/ST Cell within your Bank takes the responsibility to implement, monitor, and evaluate the reservation policy. This cell plans and executes measures to ensure the effective implementation of government policies and programs. The SC/ST Cell at the Central Office, under the Chief Liaison Officer, handles the grievances of SC/ST/OBC employees. Your Bank maintains reservation rosters as per government guidelines, which are also uploaded on the bank's website. Periodical meetings are conducted with welfare associations and federations.

To oversee the regional level issues of SC employees and monitor the implementation of the reservation policy, Dr.

Anju Bala, Hon'ble Member of the National Commission for Scheduled Castes, visited the regional offices at Chandigarh and Lucknow. A similar visit was made by Shri Vijay Sampla, Hon'ble Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, and other members, who discussed and monitored the implementation of the reservation policy at the bank's central office. The liaison officers of the Department of Financial Services (DFS) verified the reservation rosters for the years 2020 and 2021, which were then uploaded on the bank's website. An amount of 7 lakhs was allotted to the Welfare Association/Federation to celebrate the Birth Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar.

As of March 31, 2023, the representation of SC/ST/OBC employees in your Bank is as follows:

	SC	ST	OBC
Officers	3042	1482	4972
Clerical	1711	870	2404
Sub-Staff	1769	474	1399

It is important to note that the employees recruited on the basis of their own merit are also included in these numbers. Additionally, during the year, your Bank made new recruitments as follows:

	SC	ST	OBC
Officers	552	299	804

During the year, Pre-promotion training was also conducted for employees as follows:

	SC	ST	OBC
Officers	513	153	760

Implementation of IFRS Converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

In a press release issued by the Reserve Bank of India (RBI) on March 22, 2019 (RBI/2018-19/146 DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19), it was announced that the legislative amendments recommended by RBI were being considered by the Government of India. Consequently, RBI decided to defer the implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) in banks until further notice. However, in compliance with RBI's requirements, our bank continues to submit Proforma Ind AS Financials to RBI on a half-yearly basis. To facilitate the implementation of Ind AS in the future, your Bank has engaged the services of an Ind AS consultant and established a dedicated Core Ind AS Team. This team is currently involved in the analysis of the necessary changes to our existing IT systems to ensure a seamless transition to Ind AS. While the implementation of Ind AS in banks has been deferred, we remain committed to preparing for its eventual adoption and complying with the regulatory requirements

set by RBI. We will continue to monitor the updates and directives from RBI and the Government of India regarding the implementation of Ind AS in banks.

Subsidiaries and Joint Ventures

Cent Bank Home Finance Limited

Cent Bank Home Finance Limited has shown impressive performance in the financial year 2022-23. The company's Assets Under Management (AUM) stood at ₹ 1,415.50 Crores, reflecting a substantial growth of 22.07% compared to the previous year. This growth is a testament to the company's successful lending activities and increasing customer base.

In terms of profitability, Cent Bank Home Finance recorded significant improvements. The operating profit for FY23 increased to ₹ 41.88 Crores, indicating a growth of 16.98% compared to the previous year. The net profit after tax also saw a remarkable surge, reaching ₹ 26.76 Crores, a growth of 33.07%.

The company achieved noteworthy milestones in its lending operations. Sanctions witnessed a remarkable growth of 104%, amounting to ₹ 553.15 Crores, compared to ₹ 271.07

Crores in the previous year. Disbursements also experienced a significant surge, reaching ₹ 503.33 Crores, representing a growth of 103%. These figures highlight the successful implementation of the company's lending strategies and its ability to meet the financial needs of its customers.

Cent Bank Home Finance demonstrated a strong focus on asset quality. The gross non-performing assets (NPA) ratio stood at 3.56%, a notable improvement from 5.09% in the previous year. Moreover, the net NPA ratio improved to 2.53% from 2.63% in the previous year. These improvements signify the company's effective risk management practices and its commitment to maintaining a healthy loan portfolio.

The company's capital adequacy position remains robust, with a Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 20.84%, exceeding the regulatory requirement of 15%. This solid capital base ensures the company's ability to sustain its operations and support future growth initiatives.

Cent Bank Home Finance diversified its business by entering the non-life insurance sector through a partnership with Bajaj Allianz. This strategic move enabled the company to earn ₹ 8.43 Lakhs in commission income, adding an additional revenue stream to its operations.

Balance sheet of Cent Bank Home Finance Limited

as at 31st March 2023

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31 March, 2022 (₹ in lakhs)
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 shareholders' funds			
(a) Share capital	2	2,500.00	2,500.00
(b) Reserves and surplus	3	16,383.71	13,707.64
		18,883.71	16,207.64
2 Non-current liabilities			
(a) Long-term borrowings	4	72,559.34	57,880.22
(b) Deferred tax liabilities	3a	1,075.45	607.40
(c) Long-term provisions	5	2,244.39	3,656.34
		75,879.18	62,143.96
3 Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	6	41,453.93	31,100.86
(b) Trade payables			
(i) total outstanding dues of MSME	7	-	-
(ii) total outstanding dues of creditors other than MSME	7	239.47	107.04
(c) Current maturities of long term borrowing	8	12,995.22	11,052.33
(d) Other current liabilities	9	745.90	404.41
(e) Short-term provisions	10	218.12	199.24
		55,652.64	42,863.88
TOTAL		1,50,415.53	1,21,215.48
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant & Equipment and Intangible assets	11	37.69	30.60
(i) Property, Plant & Equipment	11b	209.27	-
(b) Non-current investments	12	4,837.13	3,173.77
(c) Long-term loans and advances	13	1,21,995.79	97,251.31
(d) Other Non-current assets	14	976.96	330.80
		1,28,056.84	1,00,786.48
2 Current assets			
(a) Cash and cash equivalents	15	2,222.55	1,325.75
(b) Short-term loans and advances	16	19,564.67	18,717.16
(c) Other current assets	17	571.47	386.09
		22,358.69	20,429.00
TOTAL		1,50,415.53	1,21,215.48

Significant Accounting Policies 1

Notes to accounts and disclosure as per NHB/RBI 24

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Profit and Loss of Cent Bank Home Finance Limited

for the year ended 31st March 2023

Particulars	Note	For the year ended 31 st March 2023 (₹ in lakhs)	For the year ended 31 st March 2022 (₹ in lakhs)
A INCOME			
1 Revenue from operations	18	14,092.92	12,300.01
2 Other income		-	-
3 Total Income (1+2)		14,092.92	12,300.01
B EXPENSES			
4 (a) Employee benefits expense	19	1,132.45	943.58
5 (b) Finance costs	20	7,625.33	6,892.50
6 (c) Depreciation and amortisation expense	11a	11.56	13.50
7 (d) Other expenses	21	1,135.35	870.67
8 (e) Provision for Standard Assets	22	11.11	491.78
9 (f) Provisions for Doubtful Debts		607.02	302.27
10 (g) Written off		10,522.82	9,514.30
11 Total expenses (4+5+6+7+8+9+10)		9514.30	10,813.66
C Profit before tax and extraordinary items (3-11)		3,570.10	2,785.71
D Extraordinary items			
Add: Extraordinary Item	24	-	-
Less: Prior period adjustments		(14.63)	(6.15)
E Profit / (Loss) before tax (C-D)		3,584.73	2,791.86
F Tax expense:			
(a) Current year tax expense		442.40	770.97
(b) Provision for tax of previous years		(1.78)	44.05
(c) Deferred tax Liabilities/ (Assets) of current year other than d above		398.75	(181.71)
(d) Deferred tax liability on special reserves of current Year		69.30	147.63
Tax expense		780.94	496.88
G Profit from continuing operations (E-F)		2,010.92	1,466.97
H Profit for the year		2,676.06	2,010.92
(Statement of Profit and Loss without stating EBITDA)		2,676.06	2,010.92
I Earnings per share (of ₹10/- each):			
(a) Basic		10.70	8.04
(b) Diluted		10.70	8.04
J Notes to accounts and disclosure as per NHB/RBI	24		

Centbank Financial Services Limited

Centbank Financial Services Limited primarily specializes in offering trusteeship services, including Debenture/Security Trusteeship, Executor & Trusteeship, and managing private/charitable trusts. The company is registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to engage in Debenture Trusteeship activities.

In terms of financial performance, Centbank Financial Services Limited achieved a net profit after tax of 1.62 crore for the fiscal year ending on March 31, 2023. This marks an increase compared to the net profit of 1.06 crore recorded in the previous fiscal year.

In FY 2022-23, the company experienced growth in its Executor Trusteeship services, earning fees of 49.91 lakhs compared to 35.22 lakhs in the previous fiscal year. However, there was a decrease in fees from its Debenture & Security Trusteeship services, totaling 62.98 lakhs in FY 2022-23 compared to 81.42 lakhs in the previous year. The company generated other income of 239.23 lakhs, representing an increase from 178.16 lakhs in the previous fiscal year. Additionally, fees from its Safe Custody of Documents services amounted to 0.34 lakhs in FY 2022-23, compared to 0.10 lakhs in the previous year. These figures showcase the company's performance across different segments, indicating both growth and fluctuations in its earnings.

Overall, the total earnings for the company during FY 2022-23 amounted to 352.46 lakhs, showing growth from 294.90 lakhs in the previous fiscal year.

The earnings per share (EPS) for FY 2022-23 is calculated at 324.50, indicating an increase from 212.62 in FY 2021-22. This metric reflects the company's profitability on a per-share basis and demonstrates its ability to generate earnings for its shareholders.

Centbank Financial Services Limited's financial update highlights its strong performance in the trusteeship services segment, with growth in earnings and improved profitability. These results signify the company's expertise and success in providing valuable trusteeship solutions to its clients.

Balance sheet of Centbank Financial Services Limited

as of 31 March, 2023

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31 March, 2022 (₹ in lakhs)
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 shareholders' funds			
(a) Share capital	1	500.00	500.00
(b) Reserves and surplus	2	3,050.43	3,038.18
2 Non-Current Liabilities			
(a) Other long term liabilities	3	70.76	72.50
(c) Long-term provisions	4	6.82	3.96
3 Current liabilities			
(a) Other current liabilities	5	1,107.01	603.73
(b) Short-term Provisions	6	0.68	1.09
TOTAL		4,735.70	4,219.44
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property plant and Equipment and intangible assets	7		
(i) Property plant and Equipment		3.99	2.39
(ii) Intangible Assets		0.30	0.40
(iii) Capital work-in-progress		-	-
(b) Non-current Investments	8	597.60	597.63
(c) Deferred tax assets (net)	9	3.02	1.45
(d) Other non-current assets	10	2,035.67	1,883.34
2 Current Assets			
(a) Current Investments	11	-	-
(b) Trade Receivables	12	3.62	8.81
(c) Cash and cash equivalents	13	2,005.61	1,610.20
(d) Short-term loans and advances	14	85.89	115.24
TOTAL		4,735.70	4,219.44

Profit and Loss of Centbank Financial Services Limited

for the year ended 31st March 2023

Particulars	Note	For the year ended 31 st March 2023 (₹ in lakhs)	For the year ended 31 st March 2022 (₹ in lakhs)
INCOME			
Revenue from operations	15	113.23	116.74
Other income	16	239.23	178.16
I. Total Income		352.46	294.90
EXPENSES:			
Employee Benefit Expenses	17	73.63	80.65
Depreciation and Amortisation Expenses	18	0.68	1.58
Other Expenses	19	76.64	69.68
II. Total Expense		150.95	151.91
III. Profit / (Loss) before tax	(I- II)	201.51	142.99
IV. Tax expense:			
(1) Current tax		41.00	36.57
(2) Deferred tax		-1.57	0.24
(3) Prior year tax expense		-0.17	-0.12
		39.26	36.69
V. Profit(Loss) for the period	(III-IV)	162.25	106.30
VI. Earnings per share			
Equity shares of par value of ₹ 1000/- each			
(a) Basic (in ₹)		324.5	212.62
(a) Diluted (in ₹)		324.5	212.62

Indo-Zambia Bank Ltd.

The Indo-Zambia Bank Ltd. in Zambia is a joint venture between the Government of the Republic of Zambia and the Government of India, represented by Bank of Baroda, Bank of India, and Central Bank of India. Each Indian bank holds a 20% equity stake, while the Industrial Development Corporation (IDC), a government-owned investment company, holds the remaining 40% on behalf of the Zambian government. Established in 1984, Bank operates on a calendar year basis. As of December 31, 2022, our bank holds a total of 8,32,00,000 shares valued at Kwacha 1 each. Bank has shown significant growth, with a 29.83% increase in deposits (totaling 9949.62 Million Kwacha) and a 42.25% increase in advances (totaling 4172.66 Million Kwacha) compared to the previous year. With its strong performance, Bank has become the sixth-largest bank in Zambia. For the calendar year 2023, Bank recorded a net profit of KW 508.95 Mio (equivalent to INR 230.71 crore). Furthermore, we have received a net dividend of INR 6.45 crore from Indo Zambia Bank for the year 2022.

REGIONAL RURAL BANKS

Unaudited as of 31.03.2023:

(Amount in ₹ crore)

Name of RRBs with its HO & state	No. of Dist. & Branches	Total Deposit	Total advances	Gross NPA	Net profit
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	17850.29	12175.96	2149.23	32.36
Uttarbanga Kshetriya GB., Cooch Behar (WB)	5/ 143	4172.73	3263.26	148.46	58.01

Corporate Governance Report

1) Bank's Philosophy of Corporate Governance

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and

Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) Board of Directors

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended, RBI guidelines and SEBI (LODR), Regulations, 2015.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2023 was as under

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2023	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2023		Directorship of other Companies as on 31.03.2023	Whether attended last AGM held on 10.08.2022
						Member	Chairman		
1.	Shri M V Rao	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 01.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, , CRIWD & NCB	MCB, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, CRIWD & NCB	1) United India Insurance Co. Ltd. 2) Export Import Bank of India	Yes
2.	Shri Vivek Wahi	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	Nil	1) Indo Zambia Bank Ltd	Yes
3.	Shri Rajeev Puri	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	1) Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2023	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2023		Directorship of other Companies as on 31.03.2023	Whether attended last AGM held on 10.08.2022
						Member	Chairman		
4.	Shri MV Murali Krishna	Executive Director (Whole Time Director)	From 01.12.2022	12025	Banking	MCB, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR MRC, CRC	NIL	1) Cent Bank Financial services Ltd	No
5.	Shri Hardik Mukesh Sheth	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 11.04.2022	NIL	Banking and Finance	HR, RMC, LVFC, ITS, VC, MRC, PE	NIL	NIL	Yes
6.	Shri P. J. Thomas	RBI Nominee Director (Non-Executive Director)	From 28.09.2020	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, VC	NIL	NIL	No
7.	Shri Dinesh Pangtey	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 01.07.2021	100	Finance	ACB, SRC, NRC, RMC, LVFC, CSC, ITS, MRC, PE, CRIWD & NCB,	ACB	NIL	Yes
8.	Shri Pradip Pranlal Khimani	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 21.12.2021	NIL	Finance	ACB, SRC, NRC, RMC, LVFC, CSC, ITS, MRC, PE, CRIWD & NCB	ITS, SRC, RMC, N&RC, PE	NIL	Yes

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are Whole Time Directors of the Bank.

ACB	-	Audit Committee of the Board
CAC	-	Credit Approval Committee
CRC	-	Capital Raising Committee
CSC	-	Customer Service Committee
HR	-	Human Resources Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
LVFC	-	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
MCB	-	Management Committee of the Board
MRC	-	Committee of the Board for Monitoring of Recovery
N&RC	-	Nomination and Remuneration Committee
PE	-	Performance Evaluation Committee
RMC	-	Risk Management Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CRIWD & NCB	-	Committee to the Board to Review the Identification of Willful Defaulter & Declaring of Non Co operative Borrowers

Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year FY 2022-23:

Shri Bhushan Kumar Sinha Ceased to be Director of the Board of the Bank w.e.f 11.04.2022 who was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f 14.05.2018

Shri Hardik Mukesh Sheth was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India w.e.f 11.04.2022 .

Shri Alok Srivastava, ceased to be an Executive Director of the Bank on account of superannuation from the services of the Bank on 30.11.2022.

Shri M.V Murali Krishna was appointed as Executive Director of the Bank by the Government of India w.e.f 01.12.2022.

Brief Profile of the present Directors of the Bank

1. Shri M V Rao, Managing Director and Chief Executive Officer (D.O.B. 03.07.1965)

Shri M.V. Rao assumed charge as Managing Director & CEO of Central Bank of India with effect from 1st March, 2021. Before his elevation to his current position, Shri Rao was Executive Director of Canara Bank for over three years.

A Post Graduate in Agriculture, Shri Rao began his career with erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, Retail Assets, Treasury Management, Human Resources, Credit Policy & Monitoring, Stressed Assets Management, Digital Banking, Risk Management, Business Process Transformation etc.

As Executive Director, Canara Bank, Shri Rao also oversaw the smooth amalgamation of Syndicate Bank with Canara Bank in the quickest possible time

Shri Rao is credited with bringing about a turnaround in the performance of Central Bank of India in the recent times and bringing the Bank back to profitability after incurring losses continuously for the last six years. The Bank is in the process of transformation with a number of futuristic initiatives being introduced to emerge as a leading player in the banking sector.

Besides being a Director of Export-Import Bank of India and United India Insurance Co. Ltd., Shri Rao is a Member on the Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection, Mumbai and Indian Institute of Bank Management, Guwahati. He is also a Member of different committees formed by Reserve Bank of India, IRDAI and Indian Banks' Association.

2. Shri Vivek Wahi, Executive Director (D.O.B.15.09.1965)

Shri Vivek Wahi has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India with effect from 10th March, 2021. Prior to joining Central Bank of India, He was Chief General Manager of Bank of India.

He joined Banking Industry (Bank of India) as Probationary Officer in 1990, after completing his B.Tech from NIT, Kurukshetra.

He possesses rich Banking experienced has worked in all important verticals of the bank like Branch Banking, Overseas Dealing Room, Heading Large Corporates Credit Branch, Zonal Manager, Treasury Head, Field GM etc. He was posted as Zonal Manager of Bank's, Mumbai South Zone, the Largest Zone on Business Mix parameters. He has also headed Bank of India's Treasury at Mumbai for more than 2 years. He has also worked as Field GM of Northern Territory of the Bank comprising 6 states having headquarter at New Delhi.

3. Shri Rajeev Puri, Executive Director (D.O.B. 14.06.1963)

Shri Rajeev Puri has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India with effect from 10th March, 2021 Prior to joining Central Bank of India as Executive Director, he was Chief General Manager of Punjab National Bank.

Shri Rajeev Puri is a Masters in Commerce and MBA (Finance). He also holds a Diploma in Rural Banking from IIB. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He is also an Alumni for IIM-B (BBB-LDB training 9 months). He is a seasoned banker with varied experience and has worked in various capacities in different geographical areas of the country. He has received many awards during his stint as Branch Head, Circle Head & Zonal Manager of Punjab National Bank. As Chief General Manager of Punjab National Bank, he headed Bank's important verticals like MSME & Mid Corporate, Agriculture, Retail Lending and Financial Inclusion Division.

4. Shri M V Murali Krishna, Executive Director (D.O.B. 01.08.1967)

Shri MV Murali Krishna has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India w.e.f 01st December, 2022. Prior to joining Central Bank of India as Executive Director, he was Chief General Manager of Bank of Baroda.

Shri M.V. Murali Krishna is a MBA in Banking and Finance. He began his career with Bank of Baroda as Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking,

including Corporate Credit, International Operations, Rural and Agriculture Banking, Financial Inclusion, NRI business etc.

During his long stint in the Banking Industry, he worked from branches to regional offices and from overseas territory to corporate office. He successfully handled the responsibilities such as Head of Large Corporate, Head of International Operations, Head of Rural & Agriculture Department and Head of Financial Inclusion Department. Shri M.V Murali Krishna also held position as a Director on the Board of BOB Capital Finance Ltd, Baroda Gujarat Gramin Bank and AFC Ltd (Agriculture Finance Corporation).

5. Shri Hardik Mukesh Sheth ,Government of India Nominee Director (D.O.B. 19.05.1980)

Shri Hardik Mukesh Sheth was nominated as Government Nominee Director of Central Bank of India on 11th April 2022 by Government of India. He is a Director with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

He is a MBA (Finance) and a US CPA. Prior to joining the ministry, he has almost 19 years of Banking experience wherein he has worked with few multinational as well as public sector bank (State Bank of India) across various functions, including Risk Management, Credit Management, Corporate Credit, Branch Operations, Administration amongst others. He has an experience of handling large team sizes and various branches under himself. He brings with him a holistic view of the banking industry.

6. Shri P J Thomas, RBI Nominee Director (D.O.B. 02.01.1959)

Shri P J Thomas was nominated as Director on the Board of Central Bank of India on September 28, 2020 by Government of India. He is a graduate in Science with B.Sc (Hons) and a Master in Business Administration in Banking and Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

He started his career as a bank officer with a public sector bank, before moving to Reserve Bank of India (RBI) as an officer and served in different capacities including as Regional Director, RBI, Bangalore. During his tenure of more than 36 years in RBI, he had long exposure to banking Regulation at Central Office and Banking Supervision at Regional Offices. He had attended overseas training in Regulation and Supervision at the Federal Reserve of New York and Florida besides at other international bodies at Kuala Lumpur, Manila,

Frankfurt and Basel. He was earlier on the Boards of a private sector bank and also a public sector bank.

7. Shri Dinesh Pangtey, Shareholder Director (D.O.B 27.02.1962)

Shri Dinesh Pangtey was elected as Shareholder Director in Central Bank of India with effect from 01.07.2021.

Dinesh Pangtey has a Bachelor Degree in Science.

He has experience in the field of Finance. He has held the post of Chief Executive Officer of LICHFL AMC Limited and LIC Mutual Fund Asset Management Limited. He is having more than 3 decades of experience in Life Insurance Business and related areas. He has worked in different positions at Life Insurance Corporation of India.

8. Shri Pradip Pranlal Khimani, Part Time Non-Official Director (D.O.B. 26.02.1959)

Shri Pradip Pranlal Khimani was nominated as Part Time Non-Official Director of Central Bank of India on 21st December 2021 by Government of India.

He is Masters in Commerce, Statistics, Costing, Industry, Modern Finance and Business Management form Saurashtra University. Presently, He is the Chairman, Saraswati School, Junagadh (Gujarat). He is also Member in Girnar Yatrardham Vikas Mandal, Junagadh and Financial advisor of Indian Maritime University, Chennai. Earlier, he served as the Director, Gujarat Tourism Corporation and the Chairman, Standing Committee, Municipal Corporation, Junagadh. He is the awardee of "Bharat Jyoti Award" by India International Friendship Society, "Global Indian of the Year Award" By National Development Forum and several other awards from several associations/institutions.

9. Shri Priavrat Sharma, Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category (D.O.B 25.11.1970)

Shri Priavrat Sharma was appointed as Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category on the Board of Directors of the Bank by Government of India for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

Shri Priavrat Sharma, is a Bachelor in Commerce, Fellow Chartered Accountant (FCA) by qualification. He is having experience of more than 27 years in area of Audit, Due Diligence, Taxation, Financial planning, Company Law matters, Information system Audit, FEMA, Management Consultancy etc., Shri Priavrat Sharma is Partner of Priavrat Sharma & CO, (CA Firm), Jaipur. He is also Director on Board of "Brahm Federation of Commerce and Industry.

B) CONDUCT OF BOARD MEETINGS

During the year, 10 Board Meetings were held on the following dates:

09.05.2022	30.09.2022	18.01.2023
27.06.2022	20.10.2022	17.03.2023
25.07.2022	03.12.2022	
05.09.2022	26.12.2022	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	10	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	6	6	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	10	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	10	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	3	4	01.12.2022-31.03.2023
Shri Hardik Mukesh Sheth	9	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri P J Thomas	10	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradeep Pranlal Khimani	10	10	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	10	10	01.04.2022-31.03.2023

C) DETAILS OF COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 15 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Committees are as under:-

- i) Management Committee of Board
- ii) Credit Approval Committee
- iii) Audit Committee of the Board
- iv) Risk Management Committee
- v) Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
- vi) Customer Service Committee
- vii) Information Technology Strategy Committee
- viii) Stakeholders Relationship Committee
- ix) Nomination and Remuneration Committee
- x) Vigilance Committee
- xi) Performance Evaluation Committee
- xii) Human Resource Committee
- xiii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery
- xiv) Capital Raising Committee
- xv) Committee to the Board to Review the Identification of Willful Defaulter & Declaring of Non Cooperative Borrowers

The Govt. of India vide notification dated 25th January, 2021, amended the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a special provision (Clause 14A) which states:

“Where a Nationalised Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.”

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

i) Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposal, compromise/write off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments etc.

As on 31.03.2023, it comprised of 5 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors and Reserve Bank of India Nominee Director.

The Management Committee of the Board met 15 times during the year on the following dates:

02.05.2022	28.06.2022	21.09.2022	09.12.2022	20.02.2023
23.05.2022	16.07.2022	19.10.2022	26.12.2022	18.03.2023
18.06.2022	12.08.2022	05.11.2022	17.01.2023	27.03.2023

Attendance record of the members was shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	15	15	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	9	9	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	15	15	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	15	15	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	6	6	01.12.2022-31.03.2023
Shri P J Thomas	15	15	01.04.2022-31.03.2023

ii) Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercised the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹ 100 crore upto ₹ 400.00 crore for individual borrower and for group companies/borrowers, credit proposals from above ₹ 200 Crore upto ₹ 800 crore, compromise/ write off proposals involving sacrifice above ₹ 10 crore and upto ₹ 50 crore etc. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors, CRO and General Managers in charge of Credit, Accounts/ Finance, Credit Monitoring & Policy and Vertical GM's of which proposal are being placed.

The Credit Approval Committee met 23 times during the year on the following dates:

08.04.2022	11.07.2022	14.09.2022	13.12.2022	21.02.2023
26.04. 2022	18.07.2022	12.10.2022	22.12.2022	27.03.2023
10.05. 2022	11.08.2022	27.10.2022	04.01.2023	31.03.2023
24.05. 2022	02.09.2022	15.11.2022	17.01.2023	
22.06.2022	09.09.2022	29.11.2022	01.02.2023	

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	23	23	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	15	15	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	23	23	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	23	23	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	8	8	01.12.2022-31.03.2023

iii) Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India/SEBI guidelines. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;

Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;

Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;

Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;

Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;

Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;

Qualifications in the Draft Audit Report;

To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;

Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;

Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

As per RBI circular dated 26.04.2021, the ACB shall constitute only non executive Directors. Quorum of ACB shall be three members. As on 31.03.2023, Composition of the Audit committee was as under:

1	Shri Dinesh Pangtey	Chairman
2	Shri P. J. Thomas	Member
3	Shri Pradip Pranlal Khimani	Member

During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

09.05.2022	27.06.2022	05.09.2022	20.10.2022	16.01.2023
23.05.2022	25.07.2022	30.09.2022	03.12.2022	18.01.2023
				16.03.2023

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri Dinesh Pangtey	11	11	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	7	7	01.04.2022-30.11.2022
Shri Hardik Mukesh Sheth*	10	11	01.04.2022-17.03.2023
Shri P. J. Thomas	11	11	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	11	11	01.04.2022-31.03.2023
Shri Vivek Wahi **	4	4	01.12.2022-17.03.2023

*Ceased to be member of Audit Committee due to reconstitution from 17.03.2023.

** Member from 01.12.2022 to 17.03.2023. Ceased to be member of Audit Committee due to its reconstitution from 17.03.2023.

iv) Risk Management Committee:

As per RBI circular dated 26.04.2021 on Corporate Governance in Banks, RMCB shall be constituted with majority of non-executive Directors. At least half of the members attending the meeting shall be independent Directors of which one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. Quorum of RMCB shall be of three members. Further, SEBI (LODR) Regulations, 2015 stipulates that RMCB shall consist of one independent Director. The meeting of RMCB shall be chaired by Independent Director

The objective of Risk Management Committee:-

- » The Committee will take both long term and short term view of the risks faced by the Bank
- » Keeping the long term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
- » From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/ guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.

- » The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank and providing guidelines. It would take an integrated view of risk the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
- » It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,
- » Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure,

funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.

- » Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for ending the functions of risk management and based supervision.
- » The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various exposures of the Bank including credit risk,

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

14.06.2022 20.08.2022 22.11.2022 16.03.2023

Composition of the Risk Management Committee as on 31.03.2023 was as under:

1.	Shri Pradip P Khimani	Chairman
2.	Shri M.V. Rao	Member
3.	Shri Hardik Mukesh Sheth	Member
4.	Shri Dinesh Pangtey	Member

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi*	4	4	01.04.2022-17.03.2023
Shri Rajeev Puri*	4	4	01.04.2022-17.03.2023
Shri M V Murali Krishna*	1	1	01.12.2022-17.03.2023
Shri Hardik Mukesh Sheth	3	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2022-31.03.2023

*Ceased to be member of Risk Management committee due to reconstitution from 17.03.2023.

v) **The Special Committee of the Board For Monitoring of Large Value Frauds:**

The Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds was constituted vide Reserve Bank of India circular RBI 2004.15 DBS.FGV No. 1004/23.04.01A/2003-04 dated January 14, 2004 for monitoring and follow up of cases of frauds involving amount of ₹ 1 crore and above exclusively, while Audit Committee may continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the committee is to monitor and review all the frauds of ₹ 1 crore and above so as to-

- (1) Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetuation of the fraud and put in place measures to plug the same,

- (2) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to Top Management of the Bank and RBI.
- (3) Monitor progress of CBI/Police Investigation, and recovery position and
- (4) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- (5) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of fraud such as strengthening of internal control
- (6) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee met 6 times during the year on the following dates:

07.04.2022 23.05.2022 12.07.2022 30.09.2022
22.11.2022 16.03.2023

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	6	6	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	6	6	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	6	6	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	1	1	01.12.2022-31.03.2023
Shri Hardik Mukesh Sheth	6	6	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	6	6	01.04.2022-31.03.2023

Remark – Shri Dinesh Pangtey has been inducted in the committee w.e.f 17.03.2023.

vi) Customer Service Committee of the Board:

Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services.

Role of the Committee:

- To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank
- Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks
- Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

14.06.2022 20.08.2022 22.11.2022 16.03.2023

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	1	1	01.12.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2022-31.03.2023

Shri L.V.R. Prasad, Internal Ombudsman attended the meeting of Customer Service Committee of the Board.

vii) IT Strategy Committee of the Board:

As part of IT Governance, RBI directed that the Banks need to formulate a Board approved IT Strategy/plan document and also ensure creation of an exclusive Board Strategy Committee with a minimum of two Directors as members, one whom should be an independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing guiding technology initiatives. The scope of the Committee was later on broad based by the Board of Directors.

Roles & objectives

- i) Approving IT strategy and policy documents.
 - ii) Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
 - iii) Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
 - iv) Ensuring that the organizational structure complements the business model and its direction.
 - v) Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
 - vii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
 - viii) Monitoring the method that management use to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
 - viii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
- ix) Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
 - x) Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
 - xi) Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
 - xii) Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks .
 - xiii) Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

14.06.2022	05.09.2022	17.11.2022	15.02.2023
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	3	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	1	1	01.12.2022-31.03.2023
Shri Hardik Mukesh Sheth	3	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Prof. N. Balakrishnan (Invitee)	4	4	01.04.2022-31.03.2023

viii) Stakeholders' Relationship Committee:

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Pradip Pranlal Khimani, Non-Executive Director is the Chairman of Stakeholders' Relationship Committee (SRC).

The Committee met 4 times during the year 2022-23 on the following dates:

14.06.2022	05.09.2022	17.11.2022	16.03.2023
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	3	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	1	1	01.12.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2022-31.03.2023

The details of Investor Grievances for the year 2022-23 (from 01.04.2022 to 31.03.2023) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non Receipt of Dividend Warrants	Nil
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	Nil
5	Non Receipt of Refund Order	Nil
6	Non Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	3
8	Total Grievances received	3
9	Total Grievances attended/resolved	3
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days.

ix) Nomination and Remuneration Committee:

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) communication no. F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 on PSB Governance Reforms on strengthening the Board committee system read with Reserve Bank of India letter No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, Bank on 30.09.2019 constituted a Nomination and Remuneration Committee by merging Nomination Committee and Remuneration Committee, consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970 and to consider performance linked incentive to whole time directors. As on 31.03.2023, Nomination and Remuneration Committee was consists of Shri Pradip Pranlal Khimani as chairman, Shri Dinesh Pangtey, as member and one position of member was vacant in the committee.

During the year, no meeting of Nomination and Remuneration Committee was held.

x) Vigilance Committee:

The Bank is having Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental queries to be met on a quarterly basis. The Committee consists of Managing Director & Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India as members of the committee.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

28.06.2022	05.09.2022	22.11.2022	17.03.2023
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Hardik Sheth	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri P J Thomas	4	4	01.04.2022-31.03.2023

Shri Sunil Arora, Chief Vigilance Officer attended the meeting of Vigilance Committee of the Board.

xi) Human Resource Committee of the Board:

HR Committee of the Board was constituted on 30.10.2013 vide Communication F.No.9/18/2009-IR dated March 2012 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to consider various HR related issues.

Scope of the Committee

Scope of the Committee will include the following areas:

- Five year Manpower Planning & its Annual Review
- Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning,
- Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified key critical positions
- Any other HR issue which is considered critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc.) thereby required to be referred to the Committee.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

14.06.2022	20.08.2022	17.11.2022	26.12.2022	15.02.2023
------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	5	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	5	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	4	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	2	2	01.12.2022-31.03.2023
Shri Hardik M Sheth	5	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri. S. Sengupta (Invitee)	2	2	03.12.2022-31.03.2023
Shri R. Krushnaswami (Invitee)	1	2	03.12.2022-31.03.2023

xii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery:

Committee of the board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts.

Roles & objectives

- To monitor the progress in Recovery on regular basis examine all possible options of Recovery and implement the same.
- To analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

23.05.2022	20.08.2022	22.11.2022	17.03.2023
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2022-30.11.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri M V Murali Krishna	1	1	01.12.2022-31.03.2023
Shri. Hardik M Sheth	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	4	4	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	4	4	01.04.2022-31.03.2023

xiii) Capital Raising Committee:

Bank is having Capital Raising Committee of the Board to decide and raise both Tier 1 and Tier 2 capital for the Bank and takes all operative steps in connection therewith. The committee consists of Whole Time Directors of the Bank. No meeting of the CRC committee was held during the year.

xiv) Review Committee for Declaring of Non Co-Operative Borrower:

In terms of the RBI Circular no RBI/2014-15/362 DBR NO.CID BC 54/ 20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014. Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two independent Directors Members.

The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Monitoring and Recovery as Members for classification of an account as Non-Cooperative Borrower or not as per RBI Guidelines. During the year, one meeting of the Committee was held on 17.11.2022

xv) Committee to Review the Order of Committee for Identification of Wilful Defaulters:

In terms of the RBI Notification RBI/2015-16/100 dated July 1, 2015, Review Committee for Identification of Wilful Defaulters was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two Independent Directors as Members. The Role of the Committees to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit, Credit Monitoring and Recovery as Members for identification of wilful Defaulters.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

07.04.2022	23.05.2022	10.08.2022	17.11.2022
17.03.2023			

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	5	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	5	5	01.04.2022-31.03.2023
Shri Pradip Pranlal Khimani	5	5	01.04.2022-31.03.2023

Board in its meeting held on 17.03.2023 approved merger of Committees mentioned in serial (xiv) and (xv) in one single committee – Committee of the Board to Review the Identification of Willful defaulter & Declaring of Non Co-operative Borrowers.

xvi) Performance Evaluation Committee of the Board:

Performance Evaluation Committee was constituted to undertake performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director & General Managers in-charge of Internal control functions. The committee comprised of Non official Director as Chairman of the committee, and Government of India Nominee Director and Shareholder Director as members of the committee.

In terms of communication F. No. 6/20/2019-BO.I dated 30th August, 2019 the Board of Directors to conduct performance evaluation of non-official directors upon completion of every period of one year.

Following are the criteria of performance evaluation of non-official directors:-

- i) Professional and ethical conduct
 - a. Acting in accordance with provisions of law, rules and regulations
 - b. Acting in the best interest of the Bank
 - c. Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement
 - d. Avoidance of direct or indirect conflicts of interest
 - e. Avoidance of undue gain or advantage either to self or relative, partners or associates
 - f. Maintaining confidentiality of information , including commercial secrets and unpublished market sensitive information.
- ii) Contributions to the Bank
 - a. Striving to attend all Board and committee meetings
 - b. Seeking Appropriate clarification or amplification of information where necessary
 - c. Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the Bank and external environment in meeting and comments.
 - d. Contribution in terms of constructive ideas, guidance and knowledge for better decision making and management of Bank's affairs
 - e. Timeline of feedback on decision being taken by the Bank

The Committee met 2 times during the year on the following dates:

27.06.2022 17.03.2023

iii) The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pradip Pranlal Khimani	2	2	01.04.2022-31.03.2023
Shri Hardik M Sheth	2	2	01.04.2022-31.03.2023
Shri Dinesh Pangtey	2	2	01.04.2022-31.03.2023

3) Remuneration of Directors

The Non Official (Independent) Directors / Non-Executive Directors were paid sitting fees of ₹ 40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of ₹ 10,000 and ₹ 5,000 respectively were paid.

During the year under review, the Bank has paid ₹ 12,00,000/- (Rupees Twelve Lakh only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 24,55,000/- (Rupees Twenty Four lakh fifty Five thousand only) towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

Details of sitting fee paid during the Year 2022-23 are as under:

Directors	Sitting Fees paid for FY 2022-23 (Amount in ₹)
Shri Dinesh Pangtey	12,55,000
Shri P. J. Thomas	10,20,000
Shri Pradip Pranlal Khimani	13,80,000

Besides this during the financial year, sitting fees of ₹40,000/- were paid to Shri S. Sengupta and ₹20,000/- to Shri. R. Krishnaswamy for attending the meetings of Human Resource Committee of the Board and sitting fees of ₹80,000/-to Prof. N. Balakrishnan for attending meetings of IT Strategy Committee of the Board.

During the financial year 2022-23, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr.	Name	Rupees in Lakh
1.	Shri M V Rao, Managing Director & CEO	41.23
2.	Shri Alok Srivastava, Executive Director (up to 30.11.2022)	25.27
3.	Shri Vivek Wahi, Executive Director	34.33
4.	Shri Rajeev Puri, Executive Director	36.81
5.	Shri M V Murali Krishna, Executive Director (From 01.12.2022)	10.05
Total		147.69

4) Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat, Assistant General Manager/ Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges.

5) Secretarial Audit

Bank has appointed M/s SG & Associates, Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2023. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

6) Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc during the financial year 2022-23

No fresh capital infusion was done in the financial year 2022-23.

7) Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi and Marathi newspapers, such as, Business Standard, Financial Express, Tarun Bharat, Jansatta, Loksatta etc. The results alongwith presentation to analysts, press release on financial performance and official news releases were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in. All periodical compliances /filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

8) Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. The code is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in

www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Code%20of%20conduct%20for%20Bank's%20BOD%20and%20Senior%20Management%202023-24.pdf. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prohibition of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations under following weblink- https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/PIT_Policy.pdf

9) Other Disclosures

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market.
- No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the last 3 years.

The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2022-23 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

- Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities,

which would be known to the General Manager – Human Capital Management. Directors and all Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.” No personnel has been denied access to the Audit Committee.

- The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
- Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required in the FY 2022-23 – Nil
- We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.
- None of the directors is having any relationship with any other existing directors of the bank.
- In opinion of the Board of Directors, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and are independent of the management.
- Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The funds are raised with the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy

ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose. However, Bank has not raised any capital during the FY 2022-23.

- Policy for determining ‘material’ subsidiaries is available on website of the Bank at <https://www.centralbankofindia.co.in> under the link “Investor Relations under following weblink <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES%202023-24.pdf>
- Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank at www.centralbankofindia.co.in under the link “Investor Relations under following weblink <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/RELATED%20PARTY%20TRANSACTION%20POLICY%202023-24.pdf>
- Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank’s website i.e under following web link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>
- During the Financial Year 2022-23 total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part, was ₹35.47 crore (excluding GST).
- Details of familiarization programs imparted to independent directors is uploaded on Bank’s website under tab of details of Familiarization Programmes imparted to Directors under the following web link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Directors-training-programmes-for-year-2022-23.pdf>
- Certificate from a company secretary in practice has been obtained that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

List of all credit ratings obtained by the Bank along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2022-23, for all debt instruments of Bank or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad :-

Rating Agency	IPDI	BASEL III COMPLIANT Tier II Bonds (As on 31.03.2023)
CRISIL	N.A.	CRISIL A+/Positive (Reaffirmed) (Outlook upgraded from stable to positive)
ICRA	N.A.	ICRA A+/ Positive (Reaffirmed) (Outlook upgraded from stable to positive)
INDIA RATINGS	N.A.	IND AA-/Stable (Reaffirmed)

Remarks-

- (1) Rating of Brickwork Ratings India Pvt Ltd. is not taken into consideration In view of SEBI order dated 06.10.2022 and RBI notification dated 09.01.2023.
- (2) Acuite Ratings has withdrawn the long term rating of Acuite AA-/Stable on request of the Bank since the same was unutilized.

The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Position for the year 2022-23

No. of complaints pending at the beginning of the year	6
No. of complaints received during the year	5
Total No. of cases	11
No. of complaints disposed of during the year	10
No. of cases pending at the end of the year (Pending 1 case has been disposed on 20.04.2023)	1

10) Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense and also allowed reimbursement of expenses in performance of his/her duties.	Yes, implemented. However post of Non –Executive Chairman is vacant since 23.05.2021.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year (besides quarterly results) ended 30.09.2022 and the financial year ended 31.03.2023 to Stock Exchanges & published in Newspapers. The financial results were also hosted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in Also Financial results for the Quarter/half year ended 30.09.2022 and Quarter/financial year ended 31.03.2023 was also emailed to all the shareholders of Bank whose mail ids are updated in database.
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is reporting to the Audit Committee of the Board.

11) General Shareholder Information

16th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 30th June, 2023 at 11:00 a.m. (IST) at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2022-23.

- Date of Book Closure: Saturday, 24th June, 2023 to Friday, 30th June, 2023. (Both days inclusive)
- No dividend was recommended for the financial year 2022-23.

12. Details of General Body Meetings held during the last three years are given here in below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
1.	Fifteenth Annual General Meeting	10 th August, 2022, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31 st March, 2022, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2022, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
2.	Fourteenth Annual General Meeting	10 th August, 2021, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31 st March, 2021, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2021 from share premium account – Special Resolution
3.	Extra-ordinary General Meeting	18 th May, 2021, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Issue of 280,53,76,972 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 17.11 aggregating ₹ 4800 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution
4.	Thirteenth Annual General Meeting	7 th August, 2020, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31 st March, 2020, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital through FPO/ Rights Issue/QIP etc- Special Resolution

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

No special resolution was passed in last year through postal ballot and no special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.

13) Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes/symbol are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2022-23 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2023

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crore)	ISIN	Rating
Basel III Compliant Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260	CRISIL A+
Basel III Compliant Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286	CRISIL A+
Basel III Compliant Sr IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023	CRISIL A+/ ICRA A+
Basel III Compliant Sr V	20.03.2020	500.00	INE483A08031	CRISIL A+/ IND AA-
Total		2500.00		

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2022-23 to the Exchange.

* Rating of Brickwork Ratings India Pvt Ltd is not taken into consideration In view of SEBI order dated 06.10.2022 and RBI notification dated 09.01.2023

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

Month	NSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2022	21.55	18.35	58821014	18114.65	16824.70
May 2022	19.25	16.50	53881471	17132.85	15735.75
June 2022	19.15	16.25	32574756	16793.85	15183.40
July 2022	19.15	16.25	43169016	17172.80	15511.05
August 2022	20.55	17.65	88046485	17992.20	17154.80
September 2022	23.40	19.00	185445219	18096.15	16747.70
October 2022	21.02	18.95	80730436	18022.80	16855.55
November 2022	27.02	20.10	482434379	18816.05	17959.20
December 2022	41.80	24.20	1580329790	18887.60	17774.25
January 2023	33.65	27.45	202910261	18251.95	17405.55
February 2023	30.60	24.80	109579912	18134.75	17255.20
March 2023	27.85	22.25	4879864	17799.95	16828.35

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

Month	BSE			SENSEX	
	High Price	Low Price	No. of Shares	High	Low
	(₹)	(₹)			
April 2022	21.55	18.35	12202069	60845.10	56009.07
May 2022	19.90	16.50	10452654	57184.21	52632.48
June 2022	19.10	16.10	6119947	56432.65	50921.22
July 2022	19.05	16.40	5475980	57619.27	52094.25
August 2022	20.55	17.65	11024511	60411.20	57367.47
September 2022	23.50	18.65	24769388	60676.12	56147.23
October 2022	21.20	19.00	9939970	60786.70	56683.40
November 2022	27.20	20.10	59091149	62701.40	60425.47
December 2022	41.80	24.20	170118497	63583.07	59754.10
January 2023	33.65	27.35	23571060	61343.96	58699.20
February 2023	30.60	24.80	10640128	61682.25	58795.97
March 2023	27.81	22.25	13966668	60498.48	57084.91

14) Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-4918 6270
Fax: 022-4918 6060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Transfer Agent for listed non-convertible Debt securities:

MCS Share Transfer Agent Ltd
Office No. 3B3, 3rd Floor, B Wing
Gundecha Onclave Premises Co-op Soc. Ltd.
Kherani Road, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai – 400 072
Tel: 022 – 2851 6021
Email Id: helpdesk@mcsregistrars.com

Debenture Trustee for listed non-convertible Debt securities:

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor, 17,
R. Khemani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001
Tel : 022-4080 7000
Fax :022-66311776
E-mail ID : itsl@idbitrustee.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: 022- 6638 7575/7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in;
investors@centralbank.co.in

15) DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2023 (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	338326	79.8572%	39552350	0.4556%
501-1000	36686	8.6592%	31079609	0.3580%
1001-2000	20317	4.7955%	31805765	0.3664%
2001-3000	8502	2.0068%	22413797	0.2582%
3001-4000	4145	0.9784%	14977832	0.1725%
4001-5000	4501	1.0624%	21702649	0.2500%
5001-10000	7501	1.7705%	54785064	0.6311%
10001 and above	3686	0.87%	8464622366	97.5082%
Total	423664	100.00%	8680939432	100.00%

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	227021558	2.6152

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Nil	Nil	Nil

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2023

Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government (President Of India)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
Public	302528437	34336	415014	86	302562773	3.4854
Life Insurance Corporation (Insurance Companies)	227021558	0	1	0	227021558	2.6152
Other Bodies Corporate	15935346	90	758	1	15935436	0.1836
Foreign Portfolio Investors	17226614	0	42	0	17226614	0.1984
Hindu Undivided Family	9878867	0	5566	0	9878867	0.1138
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
Non Resident Indians	2994407	121600	1174	1	3116007	0.0359
Clearing Members	350596	0	68	0	350596	0.004
Mutual Funds	15140783	0	12	0	15140783	0.1744
Non Resident (Non Repatriable)	1575707	0	868	0	1575707	0.0182
Body Corporate - Ltd Liability Partnership	797339	0	44	0	797339	0.0092
Trusts	136496	0	13	0	136496	0.0016
NBFCs registered with RBI	12464	0	3	0	12464	0.0001
Nationalised Banks	32876	0	2	0	32876	0.0004
Alternate Invst Funds-III	163125	0	1	0	163125	0.0019
Non Nationalised Banks	19417	0	2	0	19417	0.0002

Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Financial Institutions	300	0	1	0	300	0.00
Foreign Inst Investor	44812	0	1	0	44812	0.0005
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
TOTAL :	8680783406	156026	423576	88	8680939432	100

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1.	President Of India	2805376972	34.72
2.	Public	0	0
	Total	2805376972	34.72

vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2023 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	88	156026	0.0018%
NSDL	135531	401567954	4.6259%
CDSL	288045	8279215452	95.3723%
Total	423664	8680939432	100.00%

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:i) Hassle free transfer

- i) Hassle free transfer
- ii) No threat of loss of share certificate
- iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- iv) Nomination facility
- v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA

S.No	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at the earliest

- **Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.**
 - a) The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA
 - b) The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:
 - ✓ to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above
 - ✓ for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular
 - c) Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025
 - d) The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above.

Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

x) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in “Unclaimed Suspense Account” as on 31st March, 2023 as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Note – Voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares. Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank’s Code of Conduct for the financial year 2022-23.

Place : Mumbai
Date : May 24, 2023

Sd/-
[M V Rao]
Managing Director and Chief Executive Officer

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed Financial Statements of Central Bank of India for the Quarter and Year ended March 31, 2023 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the Quarter and Year ended March 31, 2023, which is fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of

such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

- d. We have indicated to the Auditors and the Audit committee:
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the Quarter and Year ended March 31, 2023.
 - II. There is no significant changes in accounting policies during the Quarter and Year ended March 31, 2023 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(MUKUL N. DANDIGE)
GENERAL MANAGER –
F&A & CFO

(M V RAO)
MANAGING DIRECTOR
& CEO

Place : Mumbai

Date : April 29, 2023

M/s **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg,
Andheri (East) Mumbai 400063

M/s **A S K A & CO**
(Formerly known as, AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR)
Chartered Accountants
501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir,
Off. Phadke Road Dombivali East, Mumbai 421201

M/s **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
C-7, Sector-E (New),
Aliganj, Lucknow-226024

M/s **A.R.& Co**
Chartered Accountants
A-403, Gayatri Apartments,
Airlines Group Housing Society,
Plot No 27, Sector 10,
Dwarka, New Delhi-110075

Independent Auditor's Certificate

On Compliance with Corporate Governance Requirements under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To the Members of
Central Bank of India

1. This Certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 2nd December 2022.
2. This certificate contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India ('the Bank'), for the year ended 31 March 2023, as stipulated in the regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D, E of schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") as amended.

Management's Responsibility

3. The Board of Directors and Management of the Bank is responsible for ensuring that the Bank complies with the conditions of Corporate Governance including preparation of Corporate Governance report as stipulated in the Listing Regulations. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal controls and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditors' Responsibility

4. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. Pursuant to the requirements of the Listing Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance whether the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations for the year ended 31 March, 2023.
6. We have conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes [Revised 2016] ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. Based on our examination as above and to the best of the information and explanations given to us and representations provided by the management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations during the year ended 31st March 2023 except that:
 - i. The Bank did not have at least one independent women director on the central board as required under Regulation 17 (1)(a) of Listing Regulations.

- ii. The Bank did not have at least half of the Board of Directors as Independent Director as required under Regulation 17(1)(b) of the Listing Regulations.
 - iii. The composition of nomination and remuneration committee (NRC) is not in compliance with RBI circular dated 26th April, 2021 and regulation 19 of listing regulations. Further no meeting of nomination and remuneration committee was conducted in financial year 2022-23 as required under regulation 19 of SEBI listing regulations.
9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the requirement of the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing..

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169
UDIN : 23136169BGWXKG7722

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373
UDIN : 23101373BGWJWM3532

For **M/s KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **M/s A.R. & Co**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176
UDIN : 23509176BGWZBD6951

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546
UDIN : 23017546BGWIME5458

Date : June 08, 2023

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 2022-23

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Entity	Central Bank of India
3. Year of Incorporation	1911
4. Registered office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
5. Corporate office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
6. E-mail id	investors@centralbank.co.in
7. Telephone	+91 22 6638 7777
8. Website	www.centralbankofindia.co.in
9. Financial year for which reporting is being done	2022-23
10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	Equity Shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11. Paid-up capital	₹ 8680.94 crore
12. Name and contact details of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Poppy Sharma General Manager Phone No. +91 22 6638 7880 E-mail id – gmhrd@centralbank.co.in
13. Reporting boundary	Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertains to Central Bank of India

II. Products/Services

14. Details of business activities

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover
1.	Financial and Insurance Service	Banking Activities by Central, Commercial Bank	100

15. Products/services sold by the entity

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1.	Financial Services – Monetary Intermediation of commercial banks, saving banks, postal saving banks and discount houses (Central Bank of India is engaged in providing a wide range of Banking and financial services including retail banking, corporate banking and treasury operations)	64191	100

III. Operations -

16. Number of locations where plants and/or operations/Offices of the entity are situated

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	18204	18204
International		Nil	Nil

*The entity is Bank and hence does not undertake any manufacturing activity.

**includes branches, ATMs, BC outlets (4493+3752+9959).

17. Markets served by the entity

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States and UTs)	Pan-India
International (No. of countries)	Nil

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not applicable

c. A brief on types of customers -

Bank offers various types of Banking products and services to its diverse group customers under Retail, Agriculture, MSME, Corporate and Wholesale Banking Segments. Our Bank deals with customers who are associated with Bank in any arrangement like Depositor, Borrower, Service provider, Government Service Provider, etc.,

IV. Employees

18. Details as the end of Financial Year 2022-23 -

a. Employees (including differently abled):-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	30770	23022	74.82	7748	25.18
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total employees (D + E)	30770	23022	74.82	7748	25.18

b. Differently abled Employees:-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	835	671	80.36	164	19.64
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total differently abled employees (D + E)	835	671	80.36	164	19.64

19. Participation/inclusion/representation of women –

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	8	Nil	Nil
Key Management Personnel	11	1	9.09%

20. Turnover rate for permanent employees –

	FY 2021			FY 2022			FY 2023		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	1.4%	2.1%	1.7%	2.4%	2.5%	2.5%	1.4%	0.68%	1.04%

V. Holding, subsidiary and associate companies (including joint ventures)

21. (a) As at March 31, 2023

S. No.	Name (A)	Subsidiary/ Associates	% of shares held	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the Bank? (Yes/No)
1.	Cent Bank Home Finance Limited	Subsidiary	64.40	No
2.	Centbank Financial Services Limited	Subsidiary	100.00	No
3.	Uttar Bihar Gramin Bank	Associates	35.00	No
4.	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	Associates	35.00	No
5.	Indo Zambia Bank Limited	Joint Venture	20.00	No

VI. CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : No
(ii) Turnover (Total Income) (in ₹) : 29625.60 crore
(iii) Net worth (in ₹) : 25449.41 crore
(iv) Total amount spent on CSR for FY23 - Nil

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC)

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanisms in Place (Yes/ No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Financial Year 2022-23			Financial Year 2021-22		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relations	-	-	-	-	-	-
Shareholders	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en/investor-relations	3	0	NA	3	0	NA
Employees	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en	241	196	NA	139	93	NA
Value Chain Partners	Yes https://www.centralbankofindia.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Others including customers (Bank Portal +ATM+CPGRAMS+INGRAMS+MSME+RETAIL)	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/pdf/CUSTOMER-GRIEVANCEREDRESSAL-POLICY31.01.2012.pdf	146352	2116	—	183566	923	—

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:-

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Tie-up with Fintech companies for delivering financial services.	Opportunity	Fintech is enabling and empowering the next generation of consumers who are highly tech-savvy and have greater financial literacy but had a paucity of time. These customers can avail the services on the go. With the enablers like the use of Artificial intelligence for credit decisions based on algorithms, APIs for e-documentation, and system integrations any bank can excel and deliver the desired services and can enhance its asset/liabilities portfolios.	Though the activity has inherent risks, however with appropriate risk mitigates in place, the risk can be reduced substantially.	The adoption of newer technology will help any bank to provide financial services across the ecosystem even without having a brick and mortar structure more swiftly and enhance its asset/liability portfolio.
2.	Sustainable Development Goals -“Green Fixed Deposits”	Opportunity	Green Deposits will help enhance Central Bank of India's participation in projects directly supporting United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) and empower our depositors to opt for financial products that have a positive impact on the environment, and the society at large.	Green deposit is offered at special rates which are above other fixed deposit rates.	Positive: Safeguarding our environment from climate change is the need of the hour. Hence there is immense scope to increase green deposits in the country.
3.	Green Financing	Opportunity	The government often employs SDGs as a framework to achieve a more sustainable future for all and companies are increasingly setting the corporate target to align with those SDGs. Encourage dealers to sell more electric vehicles by providing incentives to dealers and sales executives. Charging lower interest rates on electrical vehicle loans than fossil fuel vehicle loans to attract more customers.	Access to a diversified pool of green finance like water management, waste management, affordable green housing, green vehicle financing, etc.	Positive: Immense scope to build a larger green Portfolio.

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
c. Web Link of the Policies, if available	https://www.centralbankofindia.co.in/ Some policies may also include a combination of internal policies of the Bank which are accessible to all internal stakeholders and policies placed on the Bank's website.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)	Yes. The Bank has translated the policies as applicable and adapted the same into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Yes. The Bank's Code of Conduct largely adopts the above-mentioned principles and the Bank expects its stakeholders to adhere to the same in all their dealings.								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Not Applicable.								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No any specific target is being set under the aforesaid policies. However, compliance with these principle/s is our commitment and goal.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	Not Applicable.								

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Governance, leadership and oversight									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (<i>listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure</i>)	<p>The Bank aims to enhance financial inclusion in the country. The Bank's commitment to ESG standards is best reflected in its core principles, which are ingrained in all aspects of its operations. Kindness, fairness, efficacy, and efficiency are the foundation ideals of the Bank. Sound governance standards, according to the Bank, are a key instrument for creating long-term value for all of its stakeholders and promoting sustainability. One of the Bank's fundamental and core values is respect for human rights. Climate change is not only an environmental issue, but also a business risk, according to the Bank. In its lending policies, the Bank is boosting its due diligence on social and environmental impact.</p>								
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Rajeev Puri, Executive Director								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, All committees look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.								
10. Details of Review of NGRBCs by the Bank	Review of principles undertaken by and frequency								
Subject for Review	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Performance against above policies and follow up action	As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.								
Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	Assessment/ Evaluation of policies of Bank is carried out through Internal process and external advise is also obtained, wherever required. The Policies of Bank are reviewed by Compliance and Risk Management Department on regular basis. All Policies are reviewed and approved by Sub committees of Board and Board of Directors on annual basis.								

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated: **Not Applicable**

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:			
Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and the impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	3	All principles covered under the training.	87.50%
Key Managerial Personnel	5	Trainings/Conferences related to various functional areas as well as Leadership Development	100%
Employees other than BoD and KMPs	2109	Trainings related to various functional areas as well as Behavioral aspects	86.75%

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Preferred (Yes/No)
Penalty/Fine	Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank. Necessary disclosures in this regard is submitted to Stock exchanges and same are also hosted on Bank's website.				
Settlement					
Compounding fee					
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Brief of the Case	Has as appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Nil	
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/enforcement agencies/ judicial institutions
Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. There is a whistle blower policy and the same is available on Bank's internal portal.

The Policy provides a secure and confidential platform to report any act of malpractices, frauds, negligence, misappropriation, abuse of authority etc. Besides this Bank has Policy on code of ethics, business conduct and conflict of Interest.

Our Whistleblower Policy is an extension of Banks Code of Conduct formulated with an aim to promote good Corporate Governance, instill faith and make the employees feel empowered about their decision to blow the whistle in order to voice their concerns in case of unethical behaviour and/or actual or suspected fraud and/or misconduct and/or violation of Bank's Code of Conduct, without fair of reprisal.

The details regarding whistleblower policy can be accessed online via link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Vigil.pdf>

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The Code of Ethics, Business Conduct and Conflict of Interest Policy can be accessed online via link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX I CODE OF ETHICS BUSINESS CONDUCT CONFLICT OF INTEREST.pdf>

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	Financial Year 2022-23	Financial Year 2021-22
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	11*	32*
Workers	NIL	NIL

*** Total CBI cases received for prosecution permission (either sanctioned or declined from Bank level)**

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	Financial Year 2022-23		Financial Year 2021-22	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	-	Nil	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	-	Nil	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Nil

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
Nil	Nil	Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The policy can be accessed online via link

<https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX I CODE OF ETHICS BUSINESS CONDUCT CONFLICT OF INTEREST.pdf>

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

Not Applicable

Given the nature of business of the Bank, the relevance of the above is largely restricted to information technology (IT) capex. In FY22, Capex incurred towards IT hardware and software, which facilitated the enhanced digital initiatives of the Bank was 1.68% of total revenue. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper.

	Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NA	NA	NA
Capex	NA	NA	NA

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? **Yes**

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

All Purchases are made from registered /licensed vendors.

3. 3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste. – **Not Applicable**
4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.- **Not Applicable**

Leadership Indicators

1. 1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)?

No

If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/Service	% of total Turnvoer contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
----------	-------------------------	---------------------------------	--	---	--

Not Applicable

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same. – **Not Applicable**
3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry). - **Not Applicable**
4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format: **Not Applicable**
5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category - **Not Applicable**

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities
	Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)	
Permanent employees											
Male	23022	23022	100	23022	100	0	0	23022	100	00	00
Female	7748	7748	100	7748	100	7748	100	0	0	00	00
Total	30770	30770	100	30770	100	7748	100	23022	100	00	00

- b. Details of measures for the well-being of workers: **Not Applicable**

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Current Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	9782 (31.79%)	N.A.	Y	11461 (37.83%)	N.A.	Y
Gratuity	30774 (100%)	N.A.	N.A.	30289 (100%)	N.A.	N.A.
ESI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pension	9700 (31.52%)	N.A.	N.A.	11342 (37.44%)	N.A.	N.A.
NPS	20992 (68.21%)		Y	18832 (62.17%)		Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web link to the policy.

Yes, in keeping with the provisions of the Rights of Person with Disabilities Act 2016, our Bank has formulated an "Equal Opportunity Policy" which bestows special attention to the differently-abled persons and aims at creating employment opportunities for people with disabilities and also creating for them a conducive working environment free from any kind of discrimination.

The Equal Opportunity Policy of Central Bank of India is applicable to all the differently-abled employees of the Bank without any discrimination, on the grounds of age, colour, marital status, physical ability, nationality, race, religion, sex, sexual orientation, or any other relevant for the purpose.

The policy can be accessed online through the following link

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	99.37%		
Female	100%	99.69%	Not Applicable	
Total	100%	99.45%		

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	N.A.
Other than Permanent Workers	N.A.
Permanent Employees	Yes (Bank has a well-defined and structured Grievance Redressal Mechanism in place for all its Employees)
Other than Permanent Employees	N.A.

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity

Category	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Current Financial Year		
	Total Employees/workers in respective category (A)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (B)	% (B / A)	Total Employees/workers in respective category (C)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (D)	% (D / C)
Total Permanent Employees	30770	27662	89.89	30289	27446	90.61
- Male	23022	20655	89.71	22915	20613	89.95
- Female	7748	7007	90.43	7374	6833	92.66

8. Details of training given to employees and workers :

Category	Financial Year 2022-23					Financial Year 2021-22				
	Total (A)	On Health and safety measures		On skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)		No.(E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Male	23022	5030	21.84	25669	111	22915	4561	20	84065	366
Female	7748	2305	29.74	9695	125	7374	2278	31	18905	256
Total	30770	7335	23.83	35365	115	30289	6839	22.6		

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 2022-23* Current Financial Year			FY 2021-22* Current Financial Year		
	Total (A)*	No. (B)	% (B / A)	Total (C)*	No. (D)	% (D / C)
Male	12353	00	--	12322	10813	87.75
Female	4168	00	--	3926	3401	86.63
Total	16521	00	--	16248	14214	87.48

* Above data is in respect of Officers Employees Only as PMS is applicable to Officers Employees in the Bank. For FY 2022-23 PMS has been launched.

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

There are no occupational health and safety risks owing to the nature of the business. However, Bank has adopted certain safety measures with respect to fire incident. Bank conducts training program on fire safety incident such as evacuation drills, use of fire extinguishers/ fire fighting equipment's. Bank has appointed first aid marshals at offices and training have been imparted to them so that they can act in case of medical emergencies / incident. Marshals have been provided with safety kit and first aid medical kit.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Given the nature of business, this is not directly applicable.

- d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

All Employees of Bank are covered under Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to availability and its terms & conditions.

11. Details of safety related incidents, in the following format

Safety Incident/Number	Category	FY 2022-23	FY 2021-22
		Current Financial Year	Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequencies Rate (LTIFR) (per one million - person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

All Employees of Bank are covered under the Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. In case the limit is exhausted, there is also a facility of Corporate Buffer as defined under the provisions of the 10th Bipartite Settlement.

In case of injuries sustained while on duty, all other expenses not covered under Medical Insurance Scheme are borne by the bank. Special Leave is also provided to such employees during the period of hospitalization.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Financial Year 2022-23			Financial Year 2021-22		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Health & Safety	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

14. Assessments for the year:

No such incident of visits by any officials has been reported by any RO/ZO.

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Safety related to Fire drills, evacuation safety, branch security etc are carried out by training provided for the same.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of
- (A) Employees (Y/N) - Yes. The Bank offers an ex-gratia amount of ₹ 40000/- as funeral expenses to the family of the deceased immediately upon intimation of death. In addition, Bank may offer the compassionate appointment to the spouse/dependent of the deceased employee as per terms & conditions of the Banks Compassionate Appointment Policy. Terminal Benefits like provident fund, gratuity, PL encashment etc. are settled on a priority basis. The Bank assists the family in exercising such options.

(B) Workers (Y/N). – **Not Applicable**

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

Not Applicable

3. Provide the number of employees/workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment.

Data related to ill-health/ injury is not maintained since any expenses arising out of the same are being settled under Group Health Insurance Scheme.

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	Financial Year 2022-23	Financial Year 2021-22	Financial Year 2022-23	Financial Year 2021-22
Employees	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers	NA	NA	NA	NA

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? - **Yes, Pre-Retirement training program are arranged and conducted for all retiring employees for managing their post-employment life.**

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners. **Not Applicable**

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.
There is not any specific process for identifying such groups, however, those who are availing our banking product or services including employee and shareholders are considered as stakeholder.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	Email, SMS, Staff meetings/ conference, Intranet portal.	Frequent and need based	Employer Employee engagement, feedback of employees, Road map to achieve business goals, vision and mission of Bank, Performance appraisal, Resolving grievances
Shareholders	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	Frequent and need based	Dissemination of financial progress and other key developments of Bank to Shareholders.
Customers	No	Letter, Email, SMS, Meetings, Website, Outreach customer programme, Social Media	Frequent and need based	Maintaining Bank Customer relationship, Offering Better banking products and services to customers, Resolving grievances, if any.
Channel Partners and Key Partners	NA	NA	NA	NA
Reserve Bank of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted on Monthly/ Bi-monthly/ Quarterly basis or as and when required.	<ul style="list-style-type: none"> • Performance of the Bank. • Risk and Compliance issues and measures taken for its mitigation.
Government of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted as and when required.	<ul style="list-style-type: none"> • Performance of the Bank. • Compliance of Regulatory/ Statutory guidelines.
Communities and NGOs	NA	Letter, Email, Meetings, Advertisements, Website, Social Media	Frequent and need based	Supporting the society at large by making donations, providing financial aid to calamity affected people, training program for self-help Groups SHG.

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Consultation between Stakeholders and the Bank on various economic and other aspects is through various Board/ Sub committee meetings.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Inputs and suggestions of shareholders are being incorporated into the policies and activities wherever considered feasible.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

Bank being Scheduled Commercial Bank is regulated by guidelines of Reserved Bank of India and Government of India. Bank offers Banking products and services to its customers, marginal weaker section/ Vulnerable stakeholders groups in line with priority sector lending norms. Bank also conducts campaign for providing financial inclusion products and services to its customers

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Current Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	30770	3880	12.60%	30289	3637	12%
Other than permanent	0	0	0	0	0	0
Total Employees	30770	3880	12.60%	30289	3637	12%
Workers						
Permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total Workers	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Current Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	30770	30770	100%	30289	30289	100%
Male	23022	23022	100%	22915	22915	100%
Female	7748	7748	100%	7374	7374	100%
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Male	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Female	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD) (Excluding sitting fees of non-official and shareholder directors)	4	279519	Nil	Nil
Key Managerial Personnel	11	224362.22	Nil	Nil
Employees other than BoD and KMP	22855	77836.21	7590	73428.74

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? **No**
5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights Issues.

The Bank is committed to conducting business and dealing with all its stakeholders and staff with the highest ethical standards and in compliance with all applicable regulations. We ensure to maintain a healthy and safe environment for our workforce irrespective of their caste, Gender, Work, designation etc. Representations received on the platform of Human rights are dealt with fairly and transparently at the Regional and Zonal level. Bank has constituted a Board for review and assessment of all representation received on a quarterly basis. Bank has also policy on code of ethics, Business conduct, and conflict of Interest and has "Zero tolerance" for any deviation in the provision of the said policy.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2022-22 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	5	1	Peinding Compliant disposed on 20.04.2023	12	6	
Discrimination at workplace	0	0	0	0	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	0	0	0	0	0	0
Other human Rights related issues	0	0	0	12	6	0

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.
Committee has been constituted at all Regional offices and Zonal offices under the provisions of POSH Act, 2013.
8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? **Yes**
9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.
No complaints have been received under human rights grievances/complaints.
2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.
The Bank endeavours to maintain a safe environment alongwith providing equal opportunity to all the staff members. Issues related to discrimination based on sex, gender, nationality, religion, disability, language etc. are subject to free and neutral scrutiny based on the nature of the issue as per provisioning of the Bank's Policy and regulatory stipulations the same is being resolved as per applicable policy, laws, and regulations.
3. Is the premise/office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above. **Not Applicable**

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	Current Financial Year	Previous Financial Year
Total electricity consumption (A)	627.03 lakh kwh	597.03 lakh kwh
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumption (A+B+C)	627.03 lakh kwh	597.03 lakh kwh
Energy intensity per rupee of turnover (Total electricity consumption / turnover in rupees)	N/A	N/A

Note: - Bank is taking its best efforts to reduce the electricity consumption as a part of ESG Initiative. Further, Bank has also installed solar equipment of few of its Branches/Regions/Zonal offices to consume power generated by green channels and to reduce use of power generated by connected channels.

- Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any. **No**
- Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:
The Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. The Corporation ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.
- Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.
No
- Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format: **Not Applicable**
- Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format: **Not Applicable**
- Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details. **Not Applicable**
- Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2022-23 Current Financial Year	FY 2021-22 Previous Financial Year
Total Waste generated		
Plastic waste (A)	*	*
E-waste (B)(₹ In lakh)**	5.45	806.55
Bio-medical waste (C)	Not Applicable	Not Applicable
Construction and Demolition waste (D)		
Battery waste (E)		
Radioactive waste (F)		
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	5.45	806.55

*Wastes are disposed off through authorized re-sellers.

** Weight wise data not available.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Wastes are disposed off through authorized re-sellers as per guidelines. Equipment used are compliant to latest guidelines. No usage of hazardous and toxic chemicals in our products.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format: Not Applicable
11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year: **Not Applicable**
12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: **Yes**

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

Parameter	FY 2022-23 Current Financial Year	FY 2021-22 Previous Financial Year
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	Nil	Nil
Total fuel consumption (B)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (C)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	Nil	Nil
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	lakh kwh	597.03 lakh kwh
Total fuel consumption (E)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (F)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (D+E+F)	597.03 lakh kwh	597.03 lakh kwh

2. Provide the following details related to water discharged: Not Applicable

Parameter	FY 2022-23 Current Financial Year	FY 2021-22 Previous Financial Year
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Surface water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Third party water		
- No treatment	Not Applicable	Not Applicable
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Seawater / desalinated water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): **Not Applicable**

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format: **Not Applicable**

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. **Not Applicable**

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives: **Not Applicable**

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Yes, Our Bank has a Board approved BCP/ DR policy and it is circulated to all concerned for implementation. Each Department has identified its critical business functions and had a plan of action for resumption & recovery of critical Business processes in case of any eventuality/ disaster. The DR drills are being conducted by respective Departments for ensuring the robustness of the DR arrangements. Each branch has identified & linked to two nearby branches and are mapped by ROs to ensure the immediate start of all business activity of the Branch affected vide Circular no. 2986 dated 04.02.2022. The DR Drills are being carried out at periodic intervals for ensuring robust working of critical systems. The result of the DR drills is recorded & is being shared to respective verticals to take appropriate remedial /recovery measures.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

No Adverse impact on the environment.

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts. **Not Applicable**

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations. - 9
- b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Banks Association (IBA)	National
2	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
3	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
4	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
5	National Payment Corporation of India (NPCI)	National
6	International Chamber of Commerce (ICC)	National
7	Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	National
8	Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	National
9	Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Nil	

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1.	KYC-AML Policy	Bank's Internal Policy	YES	ANNUAL	https://www.centralbankofindia.co.in/en
2.	Government Business Policy		YES	ANNUAL	
3.	Cheque Collection Policy		YES	ANNUAL	
4.	Policy on Bank Deposits		YES	ANNUAL	
5.	Policy on Safe Deposit Locker		YES	ANNUAL	
6.	Record Maintenance Policy		YES	ANNUAL	

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
7.	Policy for settlement of claim of Deceased depositors and return of Articles in safe Deposit Lockers/ Safe Custody and Policy for Settlement of claims in respect of Missing Persons		YES	ANNUAL	
8.	Policy for Senior Citizens/ Disabled/ Incapacitated Account holders		YES	ANNUAL	
9.	Compensation Policy		YES	ANNUAL	
10.	Policy on Customer Grievances Redressal Mechanism		YES	ANNUAL	
11.	Customer Rights Policy		YES	ANNUAL	

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

- Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year. **Not Applicable**
- Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format: **Not Applicable**
- Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.
Grievance redressing mechanism is in place as per policy.
- Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:
No such data available.

Leadership Indicators

- Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above): **No negative social impact reported.**
- Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies: **Not applicable**
- Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? **Yes**
 - From which marginalized /vulnerable groups do you procure? **Micro & Small Enterprises**
 - What percentage of total procurement (by value) does it constitute? **No such data available**
- Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge: **Not Available**
- Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved. **Not Available**
- Details of beneficiaries of CSR Projects: **Not Available**

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

- Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Grievance Redressal Mechanism:

To meet the needs of the Bank, the Grievance Redressal Mechanism has been improved. At each level of the Grievance Redressal Mechanism, duties and responsibilities have been clearly recognised and defined. To speed up the grievance redressal process, mechanisms for resolving complaints and Standard Operating Procedures have been created at all levels.

Grievance Redressal Policy: -

This policy aims at minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanisms and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The review mechanism should help in identifying shortcomings in product features and service delivery.

Customer care details on the website:-

The Bank has updated call centers details, helpline numbers for internet banking, mobile banking, UPI and BHIM app, NEFT handling team, nodal officers for pension, Banking Ombudsman, Customer Service, and Grievance Redressal nodal officer at Regional Office and Zonal Office on its website. The web link for the same is https://www.centralbankofindia.co.in/en/customer_care.

Further complaints can be submitted through Central Bank of India customer login <https://centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin>.

- Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

- Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Data privacy	-	-	-	-	-	-
Advertising	-	-	-	-	-	-
Cyber-security	-	-	-	-	-	-
Delivery of Essential services	-	-	-	-	-	-
Restrictive Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Unfair Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Other	146352	2116	All resolved	183566	923	All resolved

- Details of instances of product recalls on account of safety issues: **Not Applicable**
- Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, Since this is an internal document and not available on website.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Corrective actions taken on issues relating to cyber security include:

- **2FA for digital transactions**
- **SMS to customers**
- **Alert Monitoring**

Leadership Indicators

1. Channels/platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

- a) **website <https://www.centralbankofindia.co.in/en>,**
- b) **Mobile Banking application in the name of “Cent Mobile” available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.CentralBank>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>),**
- c) **Mobile Passbook application in the name of “Cent m-Passbook” available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.cbiepassbook>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/cent-m-passbook/id950604171>)**
- d) **Mobile UPI application in the name of “BHIM Cent UPI” available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.centralbankupi>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/bhim-cent-upi/id1282995874>)**
- e) **Social media network over Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), Twitter (https://twitter.com/centralbank_in), Facebook (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) and Instagram (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial>)**
- f) **Toll-free number 1800 22 1911.**

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

We are taking the following necessary steps for educating customers about the safe and responsible usage of Banks products and services:

- a) **Customers are informed about security tips via social media platforms such as Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, and Twitter.**
- b) **Other platforms, such as Internet Banking and Mobile Banking, are used to raise awareness.**
- c) **Customers are receiving Security Awareness Messages through SMS from the Bank.**
- d) **Bank customers receive Cyber Security Awareness Tips through SMS when they receive transactional SMS/OTP SMS.**
- e) **For customer awareness, security awareness messages are displayed on ATM slips.**
- f) **Various Security Awareness Standees are prominently presented.**

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Customers are informed through SMS or mail about any disruption due to technical reasons.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? If yes, provide details in brief.

No

Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

Yes

5. Provide the following information relating to data breaches:

- a. **Number of instances of data breaches along-with impact** – No instance Reported yet
- b. **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers** – Not Applicable

Dividend Distribution Policy of Bank

Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website i.e
<https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy%202023-24.pdf>

CHHAJED & DOSHI

Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg,
Andheri (East), Mumbai - 400069

KISHORE & KISHORE

Chartered Accountants
C-7, Sector E (New), Aliganj,
Lucknow- 226024

A S K A & CO.

(Formerly Ambekar Shelar Karve & Ambardekar)
Chartered Accountants
501, Mirage Arcade, Opp. Ganesh Mandir,
Off. Phadke Road, Dombivli (East), Mumbai -421201

A.R. & Co

Chartered Accountants
A-403, Gayatri Apartments
Airlines Group Housing Society Plot No 27,
Sector -10, Dwarka, New Delhi – 110075

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

**The Members of
Central Bank of India**
Mumbai

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Central Bank Of India ('the Bank'), which comprise the Standalone Balance Sheet as at 31st March 2023, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 12 Zones and
 - i. 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us
 - ii. 20 branches audited by us
 - iii. 1507 branches audited by respective statutory branch auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement are the returns from 2966 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.65 per cent of advances, 44.21 per cent of deposits, 29.45 per cent of interest income and 42.05 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with

accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Standalone Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;
- b) the Standalone Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the Standalone Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements" section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to:

- a) Note no. 14 (h) of the Statement regarding amortization of additional liability on revision of family pension amounting to ₹ 821.95 crore. The

Bank has charged an amount of ₹ 164.40 crore to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023 and the balance unamortised expense of ₹ 113.03 crore has been carried forward pursuant to RBI circular no. RBI/2021-22/105 DORACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dt.4th October,2021.

- b) Note no. 15 (g) of the Statement regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹ 5798.91 crore is recognised as on 31st March 2023(₹ 6862.05 crore as on 31st March 2022).
- c) Note no. 15 (a) of the Statement regarding accounting of Performance Link Incentive to employees on accrual basis during the year which was being done on cash basis in earlier years

resulting in decrease of profit by ₹ 104.24 crore.

- d) Note No. 4 (h) of the Statement, which describes the uncertainties due to the COVID-19 pandemic and management's evaluation of impact on the Bank's financial performance which will depend on future developments, which are uncertain.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31st March 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters

described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters

Auditors' response

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 2 of Schedule 17 to the standalone financial statements)

Advances comprise substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.

Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the standalone financial statements of the Bank.

Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

In particular:

- We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:

- timely recognized the depletion in the value of available security.
- made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.

Key Audit Matters

Auditors' response

2. Investments

Investment portfolio of the Bank comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the standalone financial statements)

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.

As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.

Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

- We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular:

- We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.
- Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided.
- We assessed that the standalone financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Key Audit Matters

Auditors' response

3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process

The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.

The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.

The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.

Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the standalone financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:

- We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.
- We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.
- We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the standalone financial statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 13 of Schedule 17 and Note No. 15. i. of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting

policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the standalone financial statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the standalone financial statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements/ information of 1507 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2,07,308 crore as at 31st March 2023 and total revenue of ₹ 6,763 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 34.16 per cent of advances, 51.10 per cent of deposits and 19.30 per cent of non-performing assets as at 31st March 2023 and 40.23 per cent of revenue for the year ended on that date. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
9. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2966 branches certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total assets of ₹ 90,252 crore as at 31st March 2023 and total revenue of ₹ 5,393 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 24.65 per cent of advances, 44.21 per cent of deposits and 13.43 per cent of non-performing assets as on 31st March 2023 and 32.08 per cent of revenue for the year then ended.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The standalone Balance sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter No. DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter No. DOS. ARG. No. 6270/ 08.91.001/2019-

FOR CHHAJED & DOSHI
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M.No.136169
UDIN:23136169BGWXJL7351

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176
UDIN:23509176BGWZAV5876

Place : Mumbai
Date : April 29, 2023

- 20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements as at 31st March 2023.
12. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
 - the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

FOR A S K A & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.122063W

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M.No.101373
UDIN:23101373BGWJWE4209

FOR A.R. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M.No.017546
UDIN:23017546BGWILP9549

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

(Referred to in paragraph 11 (e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Central Bank of India (“the Bank”) as at March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit

evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

4. A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any

evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

6. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance

FOR CHHAJED & DOSHI
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M.No.136169
UDIN:23136169BGWXJL7351

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176
UDIN:23509176BGWZAV5876

Place : Mumbai
Date : April 29, 2023

Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

7. Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 106 (one hundred six) branches is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the reports, certain matters were noticed by us where scope of improvement is there to further strengthen the process including but not limited to testing of Risk Control Matrix (RCM) at various departments of Head Office.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

FOR A S K A & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.122063W

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M.No.101373
UDIN:2310137BGWJWE4209

FOR A.R. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M.No.017546
UDIN:23017546BGWILP9549

Balance sheet

as at March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-23 (₹)	As at 31-Mar-22 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	8,68,09,394
Reserves and Surplus	2	20,42,79,672	18,84,57,659
Deposits	3	3,59,29,64,686	3,42,69,19,375
Borrowings	4	8,11,87,478	7,47,43,610
Other Liabilities and Provisions	5	9,64,13,598	8,72,94,974
TOTAL		4,06,16,54,828	3,86,42,25,012
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	27,43,29,198	38,03,36,974
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	16,66,67,335	15,06,06,268
Investments	8	1,36,58,34,760	1,40,78,69,475
Advances	9	2,02,98,43,065	1,68,17,35,000
Fixed Assets	10	4,77,62,762	4,95,50,429
Other Assets	11	17,72,17,708	19,41,26,866
TOTAL		4,06,16,54,828	3,86,42,25,012
Contingent Liabilities	12	1,32,45,34,193	1,79,59,77,498
Bills for Collection	-	11,03,90,657	11,37,50,285
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year ended 31-Mar-23 (₹)	Year ended 31-Mar-22 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	25,54,18,923	22,80,16,476
Other Income	14	4,08,37,083	2,96,84,840
TOTAL		29,62,56,006	25,77,01,316
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,85,50,976	13,31,48,828
Operating Expenses	16	8,88,67,355	7,25,80,987
Provisions and Contingencies		5,30,15,663	4,15,23,220
TOTAL		28,04,33,994	24,72,53,035
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM			
		1,58,22,012	1,04,48,281
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit / (Loss) for the Year after Prior period item		1,58,22,012	1,04,48,281
Profit / (loss) brought forward		-	-
TOTAL		1,58,22,012	1,04,48,281
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		39,55,503	26,12,100
Investment Fluctuation Reserve		5,47,509	65,80,920
Capital Reserve		13,32,997	12,55,261
Investment Reserve		9,300	-
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	-
Revenue Reserve		-	-
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance carried over to Balance Sheet (B/F losses adjusted against Share Premium)		99,76,703	-
TOTAL		1,58,22,012	1,04,48,281
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)		1.82	1.27
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Schedules forming part of the Balance Sheet

as at March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		10,00,00,000
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each (previous year 1000,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares		8,68,09,394		8,68,09,394
8680939432 Equity Shares (previous year 8680939432 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		8,68,09,394		8,68,09,394
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,32,48,079		2,06,35,979
Additions during the year		39,55,503		26,12,100
		2,72,03,582		2,32,48,079
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		1,74,39,228		1,61,83,968
Additions during the year		13,32,997		12,55,260
		1,87,72,225		1,74,39,228
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		3,71,49,448		3,79,22,814
Additions - during the year		-		-
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves		6,53,596		5,41,238
Deductions during the year		-		2,32,128
		3,64,95,852		3,71,49,448
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet		7,46,66,328		24,19,62,271
Less: Transferred to the Balance in P & L A/c		-		18,72,42,173
Additions during the year		-		1,99,46,230
		7,46,66,328		7,46,66,328
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
		10,00,000		10,00,000
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		65,80,920		-
Add : Addition during the year		5,47,509		65,80,920
Additions/Adjustment during the year (Refer Note 2a of schedule 18)		-		-
Less: Deductions during the year		-		-
		71,28,429		65,80,920

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,13,846		1,13,846	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	9,300		-	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-			
		1,23,146		1,13,846
iii) Revenue Reserve		-		
Balance as per last Balance Sheet	2,82,59,810		2,77,18,572	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	6,53,596		5,41,238	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-			
		2,89,13,406		2,82,59,810
VI. Balance in Profit and Loss Account		99,76,703		-
TOTAL		20,42,79,672		18,84,57,659
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	98,44,694		1,03,37,153	
ii) From Others	17,78,05,030		16,51,49,281	
		18,76,49,724		17,54,86,434
II. Savings Bank Deposits				
III. Term Deposits				
i) From Banks	47,20,164		62,23,208	
ii) From Others	1,77,52,80,269		1,68,55,57,753	
		1,78,00,00,433		1,69,17,80,961
TOTAL		3,59,29,64,686		3,42,69,19,375
B. i) Deposits of Branches in India		3,59,29,64,686		3,42,69,19,375
ii) Deposits of Branches outside India				
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	-		839	
iii) Other Institutions & Agencies	3,85,47,478		2,57,11,771	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		-	
v) Upper Tier II bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	-		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	2,50,00,000		3,00,00,000	
		8,11,87,478		7,47,43,610
II. Borrowings outside India				
TOTAL		8,11,87,478		7,47,43,610
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		94,93,094		1,11,47,968
II. Inter Office Adjustments (Net)		19,468		1,90,081
III. Interest Accrued		88,83,232		77,44,537
IV. Deferred Tax Liability		-		-
V. Others (including provisions)		7,80,17,804		6,82,12,388
TOTAL		9,64,13,598		8,72,94,974
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,50,01,104		1,45,54,487
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	16,52,98,094		13,67,22,487	
In Other Accounts	9,40,30,000		22,90,60,000	
		25,93,28,094		36,57,82,487
TOTAL		27,43,29,198		38,03,36,974
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	4,01,113		2,57,604	
b) In Other Deposit Accounts	5,724		17,291	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		6,40,128	
		4,06,837		9,15,023
II. Outside India				
a) In Current Accounts	20,02,668		10,62,153	
b) In Other Deposit Accounts	16,42,57,830		14,86,29,092	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		16,62,60,498		14,96,91,245
TOTAL		16,66,67,335		15,06,06,268
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,03,00,04,109		1,05,50,89,160	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	74,05,595		88,33,691	
iv) Debentures and Bonds	31,89,82,562		33,77,84,388	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	67,00,687		25,79,832	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	22,66,922		31,07,519	
		1,36,53,59,875		1,40,73,94,590
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		4,74,885		4,74,885
TOTAL		1,36,58,34,760		1,40,78,69,475

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
* Investments in India				
Gross Value	1,42,60,54,028		1,46,71,17,739	
Less: Provision for Depreciation	6,06,94,153		5,97,23,149	
Net Value		1,36,53,59,875		1,40,73,94,590
** Investments outside India				
Gross Value	4,74,885		4,74,885	
Less: Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		4,74,885		4,74,885
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	3,09,41,503		2,40,31,721	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	79,22,28,112		70,22,91,110	
iii) Term Loans	1,20,66,73,450		95,54,12,169	
TOTAL		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,80,31,15,772		1,55,92,58,701	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	75,94,346		1,32,94,746	
iii) Unsecured	21,91,32,947		10,91,81,553	
TOTAL		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	96,55,61,814		86,05,76,958	
ii) Public Sector	2,40,71,293		4,14,01,906	
iii) Banks	2		53,224	
iv) Others	1,04,02,09,956		77,97,02,912	
TOTAL		2,02,98,43,065		1,68,17,35,000
(II) Advances outside India	-		-	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,88,11,918		4,91,01,269	
Additions during the year	17,394		25,445	
Total	4,88,29,312		4,91,26,714	
Deductions / Adjustments during the year	-		3,14,796	
Total	4,88,29,312		4,88,11,918	
Depreciation to date	99,17,382		91,65,015	
Total		3,89,11,930		3,96,46,903
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,65,50,165		3,53,05,979	
Additions / Adjustments during the year	31,75,811		23,46,422	
Total	3,97,25,976		3,76,52,401	
Deductions / Adjustments during the year	15,70,747		11,02,236	
Total	3,81,55,229		3,65,50,165	
Depreciation to Date	2,93,04,397		2,66,46,639	
Total		88,50,832		99,03,526
TOTAL (I & II)		4,77,62,762		4,95,50,429

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	2,00,03,448		2,17,76,858	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	4,26,12,315		3,96,32,629	
III. Stationery and Stamps	2,28,747		2,25,424	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims				
V. Deferred Tax Assets	5,79,89,094		6,86,20,500	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	-		-	
VII. Others	5,63,84,104		6,38,71,455	
TOTAL		17,72,17,708		19,41,26,866
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		12,48,708		14,20,497
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions (includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹ 51697716('000 omitted) as at 31 st March 2023, as against ₹ 39764221 ('000s omitted) as at 31 st March 2022.		5,72,68,896		6,05,02,246
II. Liability for partly paid Investments		1,26,58,798		26,89,347
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		1,10,82,31,495		1,59,08,50,230
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	9,19,06,778		8,83,87,515	
b) Outside India	52,11,840		58,26,051	
		9,71,18,618		9,42,13,566
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		2,21,49,908		2,43,01,093
VI. Other item for which the bank is contingently liable		2,58,57,770		2,20,00,519
TOTAL		1,32,45,34,193		1,79,59,77,498

Schedules forming part of the Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	14,92,15,975	11,50,06,591
II. Income on Investments	8,71,50,871	9,26,35,596
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	1,44,38,269	1,23,81,061
IV. Others	46,13,808	79,93,228
TOTAL	25,54,18,923	22,80,16,476
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,78,68,585	1,42,47,404
II. Profit on Sale of Investments (Net)	27,31,959	49,10,035
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	24,811	(27,68,771)
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(13,396)	91,365
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	30,34,878	19,92,437
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	79,454	80,103
VII. Miscellaneous Income	1,71,10,792	1,11,32,267
TOTAL	4,08,37,083	2,96,84,840
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	13,38,78,269	12,84,76,515
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	10,02,473	7,17,858
III. Others	36,70,234	39,54,455
TOTAL	13,85,50,976	13,31,48,828
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	5,60,39,653	4,47,19,052
II. Rent, Taxes and Lighting	52,70,766	48,17,519
III. Printing and Stationery	3,29,020	2,65,002
IV. Advertisement and Publicity	1,74,027	1,31,795
V. Depreciation on Bank's property	38,58,573	29,66,139
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	8,783	5,164
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	3,52,812	3,07,403
VIII. Law Charges	2,55,299	1,77,675
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,36,169	9,47,807
X. Repairs and Maintenance	14,73,110	16,21,188
XI. Insurance	44,14,464	42,80,618
XII. Other Expenditure	1,57,54,679	1,23,41,625
TOTAL	8,88,67,355	7,25,80,987

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared following the going concern concept and under historical cost convention except in respect of revaluation of premises and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the banking industry in India.

C. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

D. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

2.1 General

Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.

2.2 Income from investments

- a) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".
- b) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - (i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - (ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- c) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- d) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

- a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.
- c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

- a) Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.
- b) Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

3. Advances:

- 3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and

non-performing, as follows:

- a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
 - b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.
 - c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.
 - d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 3.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:
- a) Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
 - b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
 - c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- 3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

- i. A general provision of 15% on the total outstanding.
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).
- iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion:	
Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%

- Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

- 3.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.
- 3.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.
- 3.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 3.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.
- 3.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.
- 3.10 Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:
 - i. Principal Overdues / Irregularities
 - ii. Unrealised interest
 - iii. Partial Written Off principal
 - iv. Uncharged Interest
 - v. Unrealised charges

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:

- i. Ledger outstanding balance
- ii. Unrealised interest
- iii. Partial Written Off principal
- iv. Uncharged Interest
- v. Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loan (5/25), Change of Ownership

of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

5. Investments:

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

- Government Securities
- Other Approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions; and
- Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- Government Securities
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Other Investments

5.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

- Held to Maturity:** Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Held for Trading:** Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".

- Available for Sale:** Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- Transfer of Securities between categories:** An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.
- Investments in subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.

- Valuation of investments classified as Held to Maturity:** The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as expense.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures and associates are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).

- Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading:** Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz. (i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) others) is provided for and net appreciation is ignored.

- Valuation policy in event of inter category transfer of investments:**

- i) Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii) Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/ book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.

d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR):

- i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/ RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR.
- ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

- e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" (as amended) and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI

norms as applicable to investments.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.
- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.
- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- b) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- c) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX and NSE.
- b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked

and gains, if any, are ignored on net basis.

- d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.

7.4 Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

7.5 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7.6 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

8. Fixed assets and depreciation:

8.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

8.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

8.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- a) Premises At varying rates based on estimated life
b) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%

- c) Vehicles, Plant & Machinery 20%
d) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
e) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

8.4 Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.

8.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

8.6 Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.

8.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.

8.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

8.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.

8.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

8.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

9 Leases:

Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit and Loss account on a straight-line basis over the lease term in accordance with AS 19.

10 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be

generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

11. Employee Benefits:

11.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.

11.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

11.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.
- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are

determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

11.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

12. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

13. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

13.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

13.2 No provision is recognised for:

- a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by

the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

- b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
- it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

3.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

14 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169
UDIN:

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373
UDIN:

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176
UDIN:

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546
UDIN:

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

15 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

16 Earnings per Share:

- The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Regulatory Capital:

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	PARTICULARS	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1.	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	20,099.54	17,049.44
2.	Additional Tier 1 Capital	NIL	NIL
3.	Tier 1 Capital (i+ii)	20,099.54	17,049.44
4.	Tier 2 Capital	3,334.76	3,510.43
5.	Total Capital (Tier 1+ Tier 2)	23,434.30	20,559.87
6.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,65,934.44	1,48,506.29
7.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.11 %	11.48%
8.	Tier 1 Ratio (Tier 1 Capital as a percentage of RWAs)	12.11 %	11.48%
9.	Tier 2 Ratio (Tier 2 Capital as a percentage of RWAs)	2.01 %	2.36%
10.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.12 %	13.84%
11.	Leverage Ratio	4.73%	4.25%
12.	Percentage of the shareholding of Government of India (Note 1)	93.08 %	93.08%
13.	Amount of paid-up Equity Capital raised during the year	NIL	NIL
14.	Amount of non-equity Tier 1 Capital raised during the year:	NIL	NIL
15.	Amount of Tier 2 Capital raised during the year	NIL	NIL

Note: 1. Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2023 is ₹ 8,680.94 crore, the President of India (Government of India) has not infused any fresh capital during the financial year 2022-23. The shareholding of President of India (Government of India) in the Bank is 93.08 %.

b) Draw down from reserves

During the year, there has been no draw drawn from Reserve to Profit & Loss account.



2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March, 2023:

Period	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
	Deposits	Current Year 1,311.55 Previous Year 1,516.87	2,376.65 2,940.12	2,802.90 2,888.41	4,480.05 4,588.65	9,042.61 8,893.78	8,621.61 8,636.28	13,472.65 12,890.58	27,091.36 24,895.30	163,227.91 154,125.01	65,484.08 62,862.65	61,385.10 58,454.28
Advances	Current Year 2,529.18 Previous Year 1,310.10	1,374.65 408.20	1,576.61 544.90	5,997.23 2,570.13	2,425.41 3,543.48	6,461.41 3,195.04	7,031.48 5,233.16	17,481.67 10,404.10	92,283.09 90,440.66	16,828.40 16,139.71	48,995.17 34,384.02	202,984.31 168,173.50
Investments	Current Year 39,115.63 Previous Year 42,936.96	975.37 1,022.77	673.49 1,533.68	3,371.22 331.59	4,277.62 4,485.87	1,036.88 1,054.03	1,929.70 2,607.41	9,748.60 6,143.02	16,739.45 14,123.63	21,385.58 22,811.90	37,329.95 43,736.08	136,583.48 140,786.95
Borrowings #	Current Year 3.97 Previous Year 3.28	1,764.00 -	100.69 64.77	- -	100.69 64.77	261.91 67.81	410.40 245.33	974.49 534.28	1,984.36 3,349.06	17.12 5.96	1.12 -	5,618.75 4,335.26
Foreign Currency assets	Current Year 30.01 Previous Year 611.07	3,061.65 847.09	274.60 202.83	15,802.31 6,886.57	- -	5,122.99 7,844.80	13,615.23 23,491.25	8,170.13 47,715.46	176.34 79.51	0.16 0.61	- -	46,253.43 87,679.20
Foreign Currency Liabilities	Current Year 63.31 Previous Year 320.27	2,924.37 1,155.33	1,358.93 42.28	19,480.74 6,953.63	129.69 -	6,487.89 8,148.53	17,900.09 22,304.46	12,817.58 47,682.45	1,362.38 1,023.44	0.16 39.91	- -	62,525.15 87,670.29

Note: - # Excluding those considered under Tier II Capital.

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard represents an unencumbered High Quality Liquidity Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time and horizon under significantly severe liquidity stress scenario.

LCR has been defined as : Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflow over the next 30 calendar days

Liquidity Coverage ratio (LCR) – Quantitative Disclosure

(Amount in ₹ Crore)

	Quarter Ended 30.06.2022		Quarter Ended 30.09.2022		Quarter Ended 31.12.2022		Quarter Ended 31.03.2023		
	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		128,120	116,581	105,549		106,207		
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:								
(i)	Stable deposits	165,423	8,271	164,904	8,245	164,738	8,237	167,247	8,362
(ii)	Less stable deposits	143,077	14,308	144,828	14,483	146,013	14,601	148,598	14,860
3	Unsecured wholesale funding of which:								
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	31,290	13,311	30,126	12,776	29,082	12,327	30,823	12,951
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0	0	0	0	0	0	
5	Additional requirements, of which								
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	10,166	10,166	17,921	17,921	20,653	20,653	14,977	14,977
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,638	1,291	1,407	1,332	1,362	1,333	1,457	1,414
6	Other contractual funding obligations		3,575	3,575	4,640	4,640	4,202	4,202	3,326
7	Other contingent funding obligations		180,374	8,779	163,011	7,913	139,687	6,753	125,701
8	Total Cash Outflows		59,701	67,310	68,106	68,106	61,934	61,934	
Cash Inflows									
9	Secured lending		27,674	0	10,817	0	1,268	0	0
10	Inflows from fully performing exposures		2,802	2,802	866	866	2,117	2,117	2,854
11	Other cash inflows		21,523	20,051	26,806	25,966	31,273	29,540	22,891
12	Total Cash Inflows		51,999	22,853	38,489	26,832	34,658	31,657	25,745
		Total Adjusted Value							
13	TOTAL HQLA		128,120	116,581	105,549		106,207		
14	Total Net Cash Outflows		36,847	40,478	36,451		37,199		
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		347.71%	288.01%	289.57%		285.51%		

In accordance with RBI guidelines vide circular No.RBI/2014-15/529 DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31st March 2015, average weighted and unweighted amounts have been calculated taking simple daily average. The Bank has considered 90 data points for the quarter January 2023 to March 2023.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures

Line items significant to LCR	Explanatory Notes
A. The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	<p>The main drivers of LCR results are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR; the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF), FALLCR & excess SLR investments. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
B Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
C The composition of HQLA	<p>The HQLA comprises of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 16.00% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2022-23/25 DOR.LRG.REC.19/21.04.098/2022-23 dated 18/04/2022 and overnight balances held by banks with RBI under SDF as per RBI circular no RBI/2022-23/141DOR.LRG.REC.83/03.10.001/2022-23 dated 23/11/2022. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies and bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 3. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 4. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
D Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
E Derivative exposures and potential collateral calls	<p>Derivative exposure of the bank consists of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OTC Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Currency Futures b) Interest Rate Futures <p>Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties.</p> <p>At present, the Bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.</p> <p>For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market.</p> <p>All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards.</p> <p>The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same.</p>

Line items significant to Explanatory Notes
LCR

F	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
G	Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, ALM team & other functional units are seamless.
H	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
I	Other Information	Other contingent liabilities including undrawn credit and liquidity commitments are also suitably addressed.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2023 was at 285.51% as against 311.32% for the quarter ended March 31, 2022 and well above the regulatory prescribed minimum requirement of 100%. The average HQLA for the quarter ended March 31, 2023 was ₹ 106,207.00 crore as against ₹ 1,28,085.00 crore for the quarter ended March 31, 2022.

The average LCR for the year ended March 31, 2023 was at 302.34 % as against 360.81% for the year ended March 31, 2022.

c) Net Stable Funding ratio (NSFR): (This has not been audited by Statutory Central Auditor)

Reserve Bank of India vide its circular no. BR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 May 17, 2018 had issued guidelines on "Basel III Framework on Liquidity Standards – Net Stable Funding Ratio (NSFR)". The guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021.

The objective of NSFR is ensure reduction in funding risk over a longer time horizon extending to one year by requiring banks to fund their activities in relation to the composition of their assets and off balance sheet activities, with sufficiently stable sources of funding on an on-going basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in the regular sources of funding. NSFR limits over-reliance on short term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basel III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

The runoff factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline is 100% on an on-going basis.

The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board.

Central Bank of India on standalone basis maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 3,44,387.62 Crore against the RSF requirement of ₹ 2,13,238.27 Crore as on 31st March 2023. The NSFR for the quarter ended Mar 2023 is at 161.50%.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2023

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Investments in India				Investments Outside India			Total Investments (A+B)
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Subsidiaries and/or joint ventures	
Held to Maturity								
Gross	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	47.49	107,010.74
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	79,210.20	-	7.54	26,891.93	670.07	183.52	47.49	107,010.74
Available for Sale								
Gross	23,901.47	-	2,836.63	6,099.68	-	2,712.41	-	35,550.20
Less: Provision for depreciation and NPI	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	-	6,050.39
Net	23,698.26	-	752.05	5,006.33	-	43.18	-	29,499.81
Held to Trading								
Gross	91.96	-	-	-	-	-	-	91.96
Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	91.96	-	-	-	-	-	-	91.96
Total Investment								
Gross	103,203.62	-	2,844.17	32,991.61	670.07	2,895.93	47.49	142,652.89
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Provision for depreciation and NPI & Additional provision as per 07 June 2019 circular	203.21	-	2,084.58	1,093.35	-	2,669.24	-	6,069.42
Net	103,000.41	-	759.59	31,898.26	670.07	226.69	47.49	136,583.47

(Amount in ₹ Crore)

Note: Above Amount includes encumbered securities as at March 31st, 2023

	Face Value
Collateral/Margin with CCIL - TREPS	9,849.00
Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS	4,623.00
Securities with RBI for Repo	8,500.00
Total	22,972.00

Note: Above Amount includes securities to face Value of ₹ 9,849.00 crore as collateral with CCIL, securities of ₹ 4022.00 crore as margin & Default fund with CCIL, securities of ₹ 9,030.00 crore with RBI for REPO and RTGS, securities of ₹ 71.00 crore with NSE clearing respectively as on March 31st, 2023.



Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2022

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Investments in India					Investments Outside India			Total Investments (A+B)												
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and or joint ventures	others	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and or joint ventures		others	Total investments in india (B)										
Held to Maturity																					
Gross	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	-	47.49	-	47.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100804.08
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	-	47.49	-	47.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100804.08
Available for Sale																					
Gross	33042.53	-	2979.99	7044.88	-	2901.69	45969.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45969.10
Less: Provision for depreciation and NPI	332.60	-	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5972.17
Net	32709.94	-	875.83	6226.69	-	184.47	39996.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39996.93
Held to Trading																					
Gross	(13.91)	-	-	-	-	-	(13.91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.91)
Less: Provision for depreciation and NPI	0.14	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14
Net	(14.05)	-	-	-	-	-	(14.05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.05)
Total Investment																					
Gross	105841.66	-	2987.53	34596.63	257.98	3027.97	146711.77	-	47.49	-	47.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146759.26
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	105508.92	-	883.37	33778.44	257.98	310.75	140739.46	-	47.49	-	47.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140786.95

(Amount in ₹ Crore)

Note: Above Amount includes encumbered securities as at March 31st, 2022

	Face Value
Collateral/Margin with CCIL - TREPS	14,744.00
Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS	5,816.00
Securities with RBI for Repo	3,530.00
Total	24,090.00

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Sr. Items No.	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	5972.31	5237.63
b) Opening balance for Additional Provision for NPI as per 07 June 2019 RBI Circular*	47.90	-
c) Add: Provisions made during the year	1206.90	884.53
d) Less: Provision utilized during the year	341.11	0.00
e) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	816.58	149.85
f) Closing balance	6069.42	5972.31
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
Opening Balance	658.09	-
Add: Amount transferred during the year	54.75	658.09
Less: Drawdown	0.00	-
Closing Balance	712.84	658.09
iii) Closing Balance of Investment in AFS & HFT Category	35642.15	45955.19
iv) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investment in AFS and HFT/ Current Category	2%	1.43

Note: *Additional Provision for NPI as per 07 June 2019 RBI Circular has been used for netting from current Financial Year onwards.

c) Sale and transfer to / from HTM category

During the year ended March 31, 2023 the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India) had not exceeded 5% of the Book Value of the Investment held in HTM category at the beginning of the year.

d) Non-SLR investment portfolio
i. Non-Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2023	31.03.2022
a) Opening Balance	2653.79	1936.51
b) Additions during the year since 1st April	684.26	1004.00
c) Reductions during the above period	1071.22	286.72
d) Closing balance	2266.83	2653.79
e) Total provisions held	2261.67	2577.01

ii. Issuer-wise composition of Non-SLR Investments: 31st March 2023

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
a)	PSUs	4879.54	5251.00	351.00	400.00	-	-	21.80	22.00	1500.39	1676.00
b)	FIs	2134.36	1971.00	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Banks	174.35	283.00	56.00	55.00	-	-	69.35	69.00	69.00	69.00
d)	Private Corporates	4483.37	5577.00	3713.00	3540.00	735.25	872.00	-	57.00	709.90	801.00
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	717.56	305.00	718.00	305.00	-	-	718.00	305.00	718.00	305.00
f)	Others	27060.14	27530.00	-	2375.00	282.08	585.00	27095.76	26922.00	23134.02	23158.00
	TOTAL	39449.32	40917.00	4838.00	6675.00	1017.33	1457.00	27904.91	27375.00	26131.31	26009.00
g)	Provision held towards depreciation	5847.00	5639.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NET TOTAL	33602.32	35278.00	4838.00	6675.00	1017.33	1457.00	27904.91	27375.00	26131.31	26009.00

e. Repo Transactions (in face value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2023 are as follows:

Particulars	(Amount in ₹ crore)			
	Minimum o/s during the year	Maximum o/s during the year	Daily Average o/s during the year	Outstanding as on March 31, 2023
i) Securities sold under Repo				
a) Government Securities	1764.00	1957.00	1765.00	1764.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	5000.00	33064.00	17458.00	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2022 are as follows:

Particulars	(Amount in ₹ crore)			
	Minimum o/s during the year	Maximum o/s during the year	Daily Average o/s during the year	Outstanding as on March 31, 2022
i) Securities sold under Repo				
a) Government Securities	1764.00	1844.00	1765.00	1764.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	11985.00	36127.00	24190.00	22906.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

	Standard		Non-Performing				Total			
	Total Standard Advances 31.03.2023	31.03.2022	Sub-standard 31.03.2023	31.03.2022	Doubtful 31.03.2023	31.03.2022	Loss 31.03.2023	31.03.2022	Total 31.03.2023	31.03.2022
Gross Standard Advances and NPAs										
Opening balance	161556	147636	3098.30	5274.61	22185.95	20466.84	2871.97	3535.51	28156.22	189712.22
Add: Additions during the year									4075.72	4717.93
Less: Reduction during the year									13845.69	5838.67
Closing balance	199392	161556	2346.22	3098.30	10408.13	22185.95	5631.89	2871.97	18386.25	217778.21
Reductions in Gross NPAs due to:										
(i) Upgradation									658.14	1337.14
(ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)									2929.30	3266.03
(iii) Technical/ Prudential Write-offs									9856.46	0.00
(iv) Write-offs other than those under (ii) above									401.79	1235.50
Provisions (excluding Floating Provisions)										
Opening balance of provisions held	1624.94	1029.83	674.87	842.55	17258.39	15098.85	2532.6	3207.79	20465.86	19149.48
Add: Fresh provisions made during the year									3962.29	3723.97
Less: Excess provision reversed/Write-offs									10773.24	2407.59
Closing balance of provisions held	2086.50	1541.08	843.76	674.87	7960.5	17258.39	4850.65	2532.6	13654.91	20465.86
Net NPAs										
Opening Balance									6675.17	9036.45
Add: Fresh Additions during the year			2403.54	4373.68	4271.63	4662.77	0	0	3134.41	2932.09
Less: Reductions during the year									6217.86	5293.37
Closing Balance			1463.81	2403.54	2127.91	4271.63	0	0	3591.72	6675.17
Floating Provisions										
Opening Balance									0	100.56
Add: Additional provisions made during the year									0	0
Less: Amount drawn down during the year									0	100.56
Closing balance of floating provisions									0	0
Technical write-offs and the recoveries made thereon										
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts									21992.41	22478.36
Add: Technical write-offs during the year									9856.46	0
Sub Total (A)									31848.87	22478.36
Less: Recoveries made from previously technical written-off accounts during the year (B)									1227.24	0.16
Less: Upgradation									0.16	485.95
Less: conversion to Regular Write off									1219.35	
Closing balance as at March 31, 2023 (A-B)									29402.12	21992.41

Ratios (in percent)

Gross NPA to Gross Advances	31.03.2023	8.44	31.03.2022	14.84
Net NPA to Net Advances		1.77		3.97
The Provisioning Coverage Ratio with Technical Write Off		92.48		86.69
The Provisioning Coverage Ratio without Technical Write Off		80.47		76.29



b) Sector- wise Advances and Gross NPAs:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Sector*	31.03.2023			31.03.2022		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i) Priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	42,110.35	5,038.79	11.97	39,153.93	6,052.84	15.46
	Farm Credit	38,289.59	4,718.76	12.32			
b)	Industry	16,390.21	1,548.30	9.45	13,564.33	2,334.56	17.21
	Other Industries	4,886.78	445.50	9.12			
	Textiles	2,455.03	260.80	10.62			
	Basic Metal & Metal Products	2,136.41	193.47	9.06			
	Engineering	1,982.19	90.44	4.56			
c)	Services	23,581.66	2,662.35	11.29	20,576.70	3,071.52	14.93
	Trade	11,398.28	1,151.59	10.10			
	Other Services	11,065.87	1,402.63	12.68			
d)	Personal loans	21,431.54	859.76	4.01	22,210.89	1,226.73	5.52
	Housing Loan	19,188.98	505.30	2.63			
	Education Loan	2,242.55	354.46	15.81			
	Subtotal (i)	103,513.76	10,109.20	9.77	95,505.85	12,685.65	13.28
ii) Non-Priority Sector							
a)	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
b)	Industry	56,662.52	2145.38	3.79	53765.74	8062.99	15.00
	Other Industries	24,914.49	34.25	0.14			
	Infrastructure	22950.38	1178.59	5.14			
c)	Services	16,308.26	5460.31	33.48	10425.82	6411.57	61.50
	DFIs Viz. SIDBI and NABARD	6099.97	0.00	-			
d)	Personal loans	41,294.46	671.36	1.63	30014.79	996.01	3.32
	Housing Loan	19,604.02	238.82	1.22			
	Other Personal Loan	17,060.00	356.00	2.09			
	Sub-total (ii)	1,14,265.24	8,277.05	7.24	94206.35	15470.57	16.42
	Total (i + ii)	2,17,779.36	18386.25	8.44	189712.20	28156.22	14.84

Total outstanding amount of advances (FB+NFB) secured by book Debts as on 31.03.2023 is ₹ 26307.34 crores (as against ₹ 15847.89 crores as of 31.03.2022).

Sub Sector and industry wise exposure was not applicable for previous year.

c) Overseas assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

d. Particulars of Resolution Plan & Restructuring:

i. Restructuring of advances in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019

Asset Classification of advances subject to Resolution Plan & restructuring	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
	Number of Borrower	Amount outstanding	Number of Borrower	Amount outstanding
Standard	2	1334.33	3	1852.35
Sub Standard	-	-	-	-
Doubtful	8	3476.16	4	2496.33
Total	10	4810.49	7	4348.68

e. Divergence in asset classification and provisioning:

No disclosure on divergence in asset classification and provision for NPAs is required with respect to RBI's supervisory process for the year ended March 31, 2022, based on the conditions mentioned in RBI circular No. DOR.ACC.REC.No.74/21.04.018/2022-23 dated 11th October 2022.

f. Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR.REC.51/21.04.048/ 2021-22 dated 24th September 2021 (as amended)
g. Details of stressed loans (NPA) transferred during the year:

Particulars	To ARCs		To permitted transferees		To other transferees (please specify)	
	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
No: of accounts	4	1		NIL		NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	313.75	41.91	-	NIL	-	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	34 Months	-	NIL	-	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	0.00	-	NIL	-	NIL
Aggregate consideration	164.75	13.21	-	NIL	-	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	41.60	327.93	-	NIL	-	NIL

- The Bank has not transferred any Special Mention Account and loan not in default.
- There are no loans acquired (NPA) during the year during the current year as well as in previous year.
- There are no Standard Assets transferred during the current year as well as in previous year.

v. Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation:

i. Pool Buyout

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
No. of accounts Purchased during the year	150491.00	162184
Aggregate outstanding	1020.00	1315.95
Weighted average maturity	38.25	19.46
Weighted average holding period	6.74	3.86
Retention of beneficial economic interest	10%	10%
Coverage of tangible security coverage	95.29%	100%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

ii. Co-Lending

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
No. of accounts Purchased during the year	56846	13272
Aggregate outstanding	5106.02	1500.21
Weighted average maturity	175.00	204
Weighted average holding period	0.00	0
Retention of beneficial economic interest	20%	20%
Coverage of tangible security coverage	87%	100%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

vi. Recovery ratings assigned to Security Receipts held by bank as on 31.03.2023 Bank is holding an investment of ₹ 2335.13 crore in security receipts (SR) as on 31.03.2023. Rating wise distribution of the same is as under:

(Amount in ₹ crore)

Rating of SR	Book Value 31.03.2023	Book Value 31.03.2022
R1	3.08	31.38
R2	156.68	236.90
R3	60.69	18.34
R4	17.18	34.23
R5	31.56	2007.33
Rating Withdrawn	2065.93	155.52
Grand Total	2335.13	2483.70

g. Fraud Accounts

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Number of frauds reported	533	1243
Amount involved in fraud (₹ crore)	1108.57	773.36
Amount of provision made for such frauds* (₹ crore)	1108.57	773.36
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	0	0

*Amount consists of recovery/FITL balance etc. against which provision is not required.

h. Resolution of Covid-19 related Stress:
i. Disclosure regarding accounts restructured under resolution framework 1.0 & 2.0 as on 31.03.2023

(Amount in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of the previous half-year (A)**	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year***	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half-year
Personal Loans #	1835.54	58.47	NIL	18.20	1758.87
Corporate persons*	1160.92	77.32	NIL	87.61	995.99
Of which MSMEs	354.14	77.32	NIL	35.89	240.93
Others	2469.55	231.88	NIL	168.34	2069.33
Total	5466.01	367.67	NIL	274.15	4824.19

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

** Includes accounts where request received till September 30, 2021 and implemented subsequently. Customer-wise exposure has been taken in disclosure after adjustment of new addition and up gradation of accounts.

*** Includes net change in exposure during the period.

Personal loan represents retail advances.

The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

Amount in Cr

Disclosure of Restructured Accounts as on 31st March, 2023

NAME OF THE BANK:		CENTRAL BANK OF INDIA																(Amount in ₹ Crore)			
Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SVE Debt Restructuring Mechanism				Others				Total							
		Stand-ard	Sub-stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total					
1	Restructured No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	122.03	8	31521	6290	2957	977	41745	44457	1845	4274	123	50699	75978	8135	7238	1101	92452
2	Fresh No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	21.26	3.17	3.30	0.00	27.73	29.85	1.13	2.42	0.00	33.40	57.66	4.30	5.72	0.00	67.68
3	Upgr No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	463	407	47	9	0	427	392	34	-1	0	890	799	82	-10	-1
4	Adati No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Restructured No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6739	6130	128	481	6739	-2852	2426	373	53	2852	-9591	8556	501	534	9591
6	Write-offs No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	161.04	3	23482	7076	7797	2329	40684	39512	2516	4595	1070	47693	62994	9592	12395	3402	88383
7	Restructured No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	0.00	0.00	0.00	283.08	6	2447.79	580.23	524.37	225.11	3777.50	4318.04	139.44	1562.65	5927.67	11947.81	6765.83	719.68	2146.84	6435.86	16068.21
	Acco				0.00	0	20.00	4.68	6.62	0.00	31.30	23.15	1.01	1.73	0.00	25.88	49.70	5.69	8.34	0.00	63.73

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision.

Closing outstanding balance as on 31.03.2023 is after increase / recovery during the financial year. The figures also includes

ii. Disclosure on Restructured Accounts to MSME Borrowers:

In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2023 are as under:

No of Accounts Restructured	# Amount (₹ in Crore)
23298	2478.29

Standard Restructured accounts exposure. The Bank has maintained additional provision on standard restructured accounts at 5% & 10% whichever applicable.

i. Disclosure with respect to NCLT provisions:

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6316.13 crore as at 31 March 2023 (₹ 6406.10 crore for March 31, 2022) (including FITL of ₹ 127.90 crore) @ (100 % of total outstanding including Investment) as at March 31, 2023.

j. Resolution of Stressed Assets:

RBI vide their circular no. RBI/ 2018-19/ 203 DBR. No.BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Asset issued guidelines for implementation of Resolution Plan, also containing requirements of additional provision as per Para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as at March 31, 2023 is ₹ 1602.59 crore (₹ 1757.84 crore for March 31, 2022) and in compliance of the above RBI circular, the Bank has held additional provision of ₹ 251.26 crore (₹ 435.37 crore for March 31, 2022) as at March 31, 2023 and hold total provision of ₹ 1116.67 crore (₹ 1092.32 crore for March 31, 2022) as at March 31, 2023.

q) Disclosure in respect of ILFS and ILFS entities

In terms of RBI circular no RBI/2018-19/175 DBR.BP.BC.No.37/21.04.048/2018-19 dated 24.04.2019 Position as on 31.03.2023 is as under:

(Amount in ₹ crore)

Amount Outstanding	Of (1), total amount of exposures which are NPAs as per IRAC norms and not classified as NPA.	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held	Description
1	2	3	4	5
193.31	-	193.31	193.31	ILFS FIN CP
16.49	-	16.49	16.49	ILFS EQ
2.47	-	1.02	1.02	New TIRUPUR
212.27	-	210.82	210.82	TOTAL

l) Countercyclical Provisioning Buffer

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
A Opening balance in the Countercyclical Provisions account	0	47.34
B The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	0	-
C Amount of draw down made during the Accounting Year.	0	47.34
D Closing balance in the Countercyclical Provisions account	0	NIL

m. Provision on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2023	31.03.2022
Provisions towards Standard Assets held	2086.50	1624.94

n. Disclosure on Large Exposure framework:

Details of Accounts where bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) Framework in respect of any Individual and Group Account based on Tier-1 capital, are as below:-

Large Exposures to counterparties (Single as well as group of connected counterparties) bank's eligible capital base. (Tier I Capital as of 31.03.2023 ₹ 20099.54 Crore)

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Borrower/ Customer Name	Whether Single (S) or Group (G) of connected Counter parties	Exposure Amount	Exposure as % of Tier I Capital ₹ 20099.54 Crore
NIL				

o. Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9: NIL

5. Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Category	31.03.2023	31.03.2022
(A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	43911.97	29376.53
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	14518.35	13484.79
(ii) Commercial Real Estate -		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	2692.08	1696.14
(iii) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures-		
- Residential	0.00	0.00
- Commercial Real Estate	0.00	0.00
(B) Indirect Exposure		
(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	11680.01	2048.40
Total Exposure to Real Estate Sector	58284.06	33305.57

b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
i) Direct Investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	406.45	408.71
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	1.01	1.58
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances. Debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	120.53	28.73
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	484.39	292.35
vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	437.86	471.22
Total Exposure to Capital Market	1450.24	1202.59

c) Risk Category-wise Country Exposure :

Risk Category	Exposure (net) as at March 31st (2023)	Provision held as March 31st (2023)	Exposure (net) as at March 31st (2022)	Provision held as March 31st (2022)
Insignificant	224.30	NIL	15300.57	NIL
Low	242.12	NIL	351.35	NIL
Moderately Low	NIL	NIL	NIL	NIL
Moderate	62.44	NIL	3.76	NIL
Moderately High	NIL	NIL	NIL	NIL
High	1.42	NIL	22.38	NIL
Very High	3.30	NIL	56.08	NIL
Restricted	5.27	NIL	NIL	NIL
Off-Credit	0.33	NIL	NIL	NIL
Total	539.18	NIL	15734.15	NIL

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1 % of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

d) Unsecured Advances

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total unsecured advances of the bank	20737.90	14416.76
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

e) Factoring Exposures:

There is no factoring exposure as at 31.03.2023 or 31.03.2022.

f) Intra-Group Exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total amount of intra-group exposures	1316.91	1099.69
Total amount of top-20 intra-group exposures	1316.91	1099.69
Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.42%	0.40%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	NIL	NIL

g) Unhedged Foreign Currency exposure:

The Bank has put in place a Board approval policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum (Executive Brief) prepared at the time of origination and review of a credit facility covers the required details viz. Total Foreign Exchange exposure, of which hedged position & if un-hedged, how the borrower plans to cover.

Provision on the un-hedged portion of foreign portion of currency exposures of customers is made on quarterly basis.

As per the Board approval policy, all Advances involving foreign currency lending of USD 1 million or equivalent and above is mandatory to be hedged unless specially permitted by the competent authorities. However hedging need not be insisted in the following cases

- Where Forex loans are extended to finance exports, hedging need not be insisted. However it should be ensured that such customers have uncovered receivables to cover the loan amount.
- Where Forex loans are extended for meeting forex expenditure.
- In respect of advances involving foreign currency loans below USD 1 million or equivalent:
- In case of corporates who are rated "A" and above, Competent Authority may permit allowing advances involving foreign currency loans without insisting for hedging.
- Customers who do not satisfy the conditions stipulated above will be required to provide cash margin, if they prefer to keep exposure open, to the extent of the forward premium prevailing for the tenor of un-hedged exposure.

Movement of Provision is as under:-

Particulars	For the year ended March 2023	For the year ended March 2022
Opening Balance Provision account	4.18	3.53
The quantum of provisions made in the accounting year (including exchange difference)	3.43	0.65
Amount Reversed during the accounting year	0.00	0.00
Closing balance in the provisions account	7.61	4.18

In accordance with RBI guidelines, as at March 31, 2023, the amount of bank's credit exposure against un-hedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹. 4604.40 Crore. The additional RWA on this exposure is ₹ 87.04 Crore against this additional minimum capital requirement is ₹ 10 Crore.

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Un-hedged Foreign Currency in terms of RBI circular RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹. 7.61 Crore as on March 31 2023 (Previous Year ₹. 4.18 Crore)

CATEGORY	31.03.2023	31.03.2022
Unhedged Foreign Currency exposure	9,375.38	8118.03
Based on the available financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of Unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Provisions held for Unhedged Foreign Currency exposure	7.61	4.18

h) Single Borrower and Group Borrower exposure limits:

The Bank had taken single borrower exposure & Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

6. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

a) Concentration of deposits:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total deposits of the twenty largest depositors	14559.22	12342.17
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	4.05%	3.60%

b) Concentration of Advances*

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total Advances (Credit Exposure) to Top 20 largest borrowers	35269.83	32719.97
Total Advances (Credit Exposure)	298649.76	254575.14
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	11.81%	12.85%

*Represent Credit exposure as per RBI Norms

c) Concentration of Exposures**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	37574.72	34890.24
Total Exposure	316640.07	273978.20
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	11.87%	12.73%

** Represent credit and investment exposure

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Total Exposure to top twenty NPA accounts	13895.20	13962.04
Percentage of exposures to the top twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	29.08%	27.84%

7. Derivatives

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	Current Year	Previous Year
i) The Notional Principal of Swap agreements	5625.00	3530.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	63.71	2.90
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	63.71	2.90

Nature and Terms of Interest rate swap:

INSTRUMENT	NATURE	NOS	NOTIONAL PRINCIPAL	BENCHMARK	TERMS
IRS	HEDGING	97	1,760.00	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	109	1,585.00	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	147	2,280.00	MIBOR	FLOATING PAY VS FIXED RECEIVABLE

c) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	Current Year	Previous Year
i) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2022 (instrument wise)	NIL	NIL
iii) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv) Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

c) Disclosures on risk exposure in derivatives:

l) Qualitative Risk Exposure

- The Bank currently deals in over the counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate Futures and Exchange Traded Currency Derivatives. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps and foreign currency interest rate swaps. Currency derivatives dealt by the Bank are USD/INR currency swaps and cross currency swaps. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank also enters into derivatives contracts to cover off such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging balance sheet items.
- Derivative transactions carry market risk i.e., the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (Greeks limits, Loss Limits, cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship, limits and customer appropriateness and suitability of policy (CAS) etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honor obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counter party.

- iii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD) identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
- iv. Interest Rate Swaps are mainly used for hedging of the assets and liabilities.
- v. Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.
- vi. Derivative transactions comprise of swaps which are disclosed as contingent liabilities. The swaps are categorized as trading or hedging.
- vii. Derivative deals are entered with only those interbank participants for whom counterparty exposure limits are sanctioned. Similarly, derivative deals entered with only those corporates for whom credit exposure limit is sanctioned. Collateral requirements for derivative transactions are laid down as a part of credit sanctions terms on a case-by-case basis. Such collateral requirements are determined based on usual credit appraisal process. The Bank retains the right to terminate transactions as a risk mitigation measure in certain cases.

II. Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	22743.18	1760.00	21920.47	1200.00
b)	For trading	58657.64	3865.00	24901.37	2330.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	457.57	63.71	664.30	16.72
b)	Liability (-)	480.90	38.10	561.87	13.82
iii)	Credit Exposure	1628.02	54.80	936.44	353.00
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a)	On hedging derivatives	NA	0.71	NA	0.44
b)	On trading derivatives	NA	0.28	NA	0.02
v)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max-0.71 Min-0.47	-	Max-0.44 Min-0.01
b)	On trading	-	Max-0.28 Min-0.01	-	Max-0.02 Min-0.01

*Plain Vanilla Forward Contracts.

ii. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2022-23.

8) Disclosure Relating to securitization

Policy on Securitization of Standard Assets in line with RBI Guidelines has been approved by our Bank's Board. At present our Bank has no exposure under this segment.

9) Off-Balance Sheet SPVs sponsored

The Bank had not floated any off Balance Sheet SPV.

10) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
i) Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	1085.73	837.35
ii) Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	209.65	258.53
iii) Less: Amount reimbursement by DEA Fund towards claims	24.83	10.15
iv) Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	1270.55	1085.73

11) Disclosure of Complaints:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of ombudsman :

Sr. Particulars No.	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
Complaints received by the bank from its customers		
1 Number of complaints pending at beginning of the year	384	162
2 Number of complaints received during the year	28399	28413
3 Number of complaints disposed during the year	28289	28191
3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4 Number of complaints pending at the end of the year	494	384
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5 Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	4832	5911
5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	4610	5543
5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	222	367
5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	02	01
6 Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers:

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, Number of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2022-23					
ATM Transactions	539	117953	(-)23.97	1622	0
Internet/Mobile/E-banking	8	6602	300.12	16	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	22	6878	233.56	98	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	7	74	(-)95.16	2	0
Loans & Advances	6	1011	51.80	36	0
Others	341	13834	(-)38.50	342	0
Total	923	146352		2116	0
FY 2021-22					
ATM Transactions	4219	155153	(-) 18.40	539	0
Internet/Mobile/E-banking	3	1650	(-) 33.60	8	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	3	2062	(-) 3.87	22	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	2	1529	(-) 13.57	7	0
Loans & Advances	2	666	(+) 20.87	6	0
Others	152	22506	(+) 33.47	341	0
Total	4381	183566		923	0

c) Investors' Complaints:

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Pending at the beginning of the year	0	0
2	Received during the year	3	3
3	Redressed during the year	3	3
4	Pending at the end of the year	0	0

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India -

Reserve Bank India had imposed a penalty of ₹ 0.36 Crore on April 22, 2022 for non-compliance with the RBI directions on customer protection – Limited Liability of the Customers in unauthorized Electronic Banking Transactions. The same had been provided for as on March 31, 2022 and penalty paid to RBI on April 28, 2022.

13. Disclosure on Remuneration

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2023	31.03.2022
Mr. Matam Venkata Rao	Managing Director & CEO	0.41	0.32
Mr. Alok Srivastava (Up to 30.11.2022)	Executive Director	0.25	0.29
Mr. Vivek Wahi	Executive Director	0.34	0.27
Mr. Rajeev Puri	Executive Director	0.37	0.28
Mr. M V Murali krishna (w.e.f. 01.12.2022)	Executive Director	0.10	0.00
Total		1.47	1.16

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

14. Other Disclosures

a. Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2022	31.03.2021
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.07%	6.65 %
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.13%	0.87%
(iii)	Cost of Deposits	3.92%	3.86 %
(iv)	Net Interest Margin	3.64%	3.21 %
(v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.90%	1.67%
(vi)	Return on Assets	0.44%	0.30%
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ Crore)	18.45 crore	17.15 crore
(viii)	Profit per employee (in ₹ Crore)	0.05	0.03

b. Bancassurance Business:

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

Fees/brokerage received in respect of the Bancassurance Business undertaken is as under:

Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
	No. of policies	Amount (in ₹ crore)	No. of policies	Amount (in ₹ crore)
Life	66509	78.86	97299	63.75
Non-Life	248089	12.27	239907	10.61
Total	314598	91.13	337206	74.36

c) Marketing and distribution

There are no Marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by bank.

d) Disclosure regarding priority sector lending certificates

Our bank has sold PSLC during 2022-23 as given below:

Category	(Amount in ₹ crore)	
	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
PSLC Micro Enterprises	700.00	0.00
PSLC Agriculture	0.00	0.00
PSLC General	1000.00	10500.00
PSLC Small and Marginal Farmers	2950.00	5028.00
Total	4650.00	15528.00

The Bank has not purchased PSLC during FY 2021-22 and FY 2022-23.

e) Provisions and Contingencies: Refer note no 15 (i) of Disclosure made as per the Accounting Standard-29 hereinafter in this schedule.

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval by Management.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ crore)

Provisions debited to Profit and Loss Account	31.03.2023	31.03.2022
i) Payment of DICGC Insurance Premium	431.32	448.98
ii) Arrears in payment of DICGC premium	-	-

v. Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.: RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 821.95 crore. Bank has opted to amortize the same as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 544.52 crore out of ₹ 821.95 crore to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March, 2022. During the year ended March 31st, 2023, the Bank has charged ₹ 164.40 crore to the Profit and Loss account. The balance unamortized expense of ₹.113.03 crore has been carried forward to subsequent years. The consequential impact of unamortised pension liability on net profit for the current financial year is ₹ 73.53 crores (net of taxes).

i) Balancing of Books / Reconciliation:

a) The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at 31st March, 2023 is ₹ 1.95 Crore (net credit) and as at 31st March, 2022 is ₹ 19.01 crore (net credit).

b) The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- Balances related to ATM Department
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- Fixed Asset
- GST
- Other Assets
- Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

j) Additional disclosure related to other asset & other liabilities:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Schedule 5 Other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceeds 1% of total assets	Nil	Nil
Schedule 11 Other asset-VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	Nil	Nil
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹ 1282.59 crore which is 4.33 % of other total income.	Recovery received in accounts written off ₹ 331.53 crore which is 1.29 % of other total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	Nil	ATM interchange fee paid of ₹ 281.14 which is 1.09 % of other expenditure

15. Disclosure Requirements as per the Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

a) Accounting Standard – 5 “Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items, and Changes in Accounting Policies”

The financial statements for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022 except for accounting of Performance Linked Incentives (PLI). Until the financial year 2021-22, PLI was accounted for on cash basis and from financial year 2022-23 the PLI is accounted for on accrual basis. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹ 104.24 crore for year ended March 31, 2023.

b) Accounting Standard-15 “Employee Benefits”:

i. Defined Benefit Plans, Employee’s pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the parent bank:-

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)	FY(22-23)	FY(21-22)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1st April, 2022	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
Current Service Cost	85.97	82.63	107.84	100.62
Interest Cost	1177.21	1012.96	109.69	103.25
Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	821.95	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	909.56	301.95	(15.07)	100.23
Benefits Paid	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31st March, 2023	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1st April, 2022	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
Expected Return on Plan Assets	1133.25	1074.53	110.79	98.93
Contributions by Employer	1327.65	976.98	231.29	252.11
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	(103.69)	98.07	(54.23)	45.41
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31st March, 2023	16483.92	15807.88	1637.42	1630.51
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31st March, 2023	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
Fair Value of Plan Assets at 31st March, 2023	(16483.92)	(15807.88)	1637.42	(1630.51)
Unrecognized past service Cost	0.00	(277.43)	0.00	0.00
Deficit/(Surplus)	245.08	152.12	14.30	99.69
Net Liability/(Asset)	245.08	152.12	14.30	99.69
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)	FY(22-23)	FY(21-22)
Current Service Cost	85.97	82.63	107.83	100.62
Past Service Cost-Recognized	657.56	544.52	0.00	0.00
Interest Cost	1177.21	1012.96	109.69	103.25
Expected Return on Plan Assets	(1133.26)	(1074.53)	(110.79)	(98.93)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1013.25	203.88	39.17	54.82
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	1800.74	769.47	145.90	159.76
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1133.26	1074.53	110.79	98.93
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(103.69)	98.07	(54.24)	45.41
Actual Return on Plan Assets	1029.57	1172.60	56.55	144.34
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1st April, 2022	(228.01)	359.63	99.69	192.05
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	1800.74	769.47	145.90	159.76
Employer's Contribution	(1327.65)	(976.98)	231.29	252.11
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	245.08	152.12	14.30	99.69

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2023 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.31	1.01
State Govt. Securities	18.95	37.56
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	19.70	30.26
Mutual Funds	3.55	6.83
Insurer Managed Funds	57.47	24.27
Others	0.02	0.07
Total	100.00	100.00

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Particulars	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	7.40	7.25
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.40	7.25
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

Particulars	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	7.40	6.90
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.40	6.90
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

GRATUITY PLAN	YEAR ENDED					
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
Liability at the end of the year		1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72
Fair Value of Plan Assets at the end of the year		1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42
Difference		(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30
Amount Recognized in the Balance Sheet		(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED					
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
On Plan Liability (Gain)/ Loss		(29.08)	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)
On Plan Asset (Loss) / Gain		(42.56)	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

PENSION PLAN	YEAR ENDED					
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
Liability at the end of the year		14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year		14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92
Difference		(400.04)	482.18	359.63	429.55	245.08
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)		0.00	0.00	0.00	277.43	0.00
Amount Recognized in the Balance Sheet		(400.04)	482.18	359.63	152.12	245.08
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)		0.00	0.00	0.00	544.52	277.43

EXPERIENCE ADJUSTMENT AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	YEAR ENDED				
	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023
On Plan Liability (Gain)/ Loss	422.24	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87
On Plan Asset (Loss) / Gain	(72.66)	346.19	276.30	98.07	1,013.25

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 245.08 crore and ₹ 14.30 Crore respectively.

ii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2021-22, the bank has contributed ₹ 244.48 crore (Previous year ₹ 146.97 crore).

iii. Employees' Provident Fund:-

During the year bank has recognized expenses of ₹ 0.96 Crore and corresponding year ₹ 1.12 Crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

iv. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 78.70 crore (Previous Year ₹ 43.24 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) - Privilege Leave Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	1070,33,08,807	991,63,07,002
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1070,33,08,807	991,63,07,002

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate	7.45%	6.90%
Salary Growth Rates	5.00%	5.00%

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

A) Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

B) Other Long Term Employee Benefits

1. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	2,74,04,770	3,05,03,237
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	2,74,04,770	3,05,03,237

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate (p.a)	7.40 %	6.90 %
Inflation Rate (p.a)	0.00 %	0.00 %
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	1,21,30,154	1,18,22,548
Fair Value of Plan Assets	0	0
Net Liability (Asset)	1,21,30,154	1,18,22,548

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate (P.a)	7.40 %	6.90 %
Inflation Rate (p.a)	0.00 %	0.00 %
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

c) Accounting Standard 17 –

Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury –

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 7.50 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business –

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

Secondary (Geographical Segment)

- i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii) Foreign Operations – Bank has only one Joint Venture in Zambia.

(Amount in ₹ crore)

Business Segment	Business Segment (Solo)										Total
	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations				
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
Particulars											
Revenue	10,974.59	11,626.75	6,564.56	5,263.81	11,701.76	8,188.86	-	29,240.91	25,079.42		
Result	2,585.67	2,528.46	1,226.84	(2,288.70)	(1,208.26)	1,047.66	-	2,604.25	1,287.42		
Unallocated Expenses								41.09	429.54		
Operating Profit								2,645.34	1,716.96		
Income Taxes								1,063.14	672.13		
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Net Profit								1,582.20	1,044.83		
Other Information											
Segment Assets	184,294.75	197,643.37	77,326.33	66,602.32	130,251.75	107,018.70	-	391,872.83	371,264.39		
Unallocated Assets								14,292.65	15,158.11		
Total Assets								406,165.48	386,422.50		
Segment Liabilities	179,578.72	191,840.34	73,563.83	64,083.77	123,914.02	102,971.69	-	377,056.57	358,895.80		
Unallocated liabilities								-	-		
Total Liabilities								377,056.57	358,895.80		

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

The Bank has only one geographical segment i.e. Domestic Segment

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

List of Related Parties:

i. Key Managerial Personal –

Name	Designation
i) Mr. Matam Venkata Rao	Managing Director & CEO
ii) Mr. Alok Srivastava (Upto 30.11.2022)	Executive Director
iii) Mr. Vivek Wahi	Executive Director
iv) Mr. Rajeev Puri	Executive Director
v) Mr. M V Murali Krishna (w.e.f. 01.12.2022)	Executive Director



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आरम्भ किए "अटित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



II. Subsidiaries –

Name

- i) Cent Bank Home Finance Ltd.
- ii) Cent Bank Financial Services Ltd.

III. Associates –

- i) Regional Rural Banks –
 - a. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
 - b. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
- ii) Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

#In respect of related party disclosure regarding remuneration details are mentioned in Note no.13.

e) Accounting Standard – 19 “Leases”

- i. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers’ and approved by the Board of Directors and ₹ 881.96 crore increase in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- ii. In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 65.36 crore for March 2023 (previous year 2021-22 ₹ 54.12 crore) is transferred from ‘Revaluation Reserves’ and credited to “Revenue and Other Reserves”.
- iii. Land obtained on lease by bank includes market value as on 31.03.2021 is ₹ 8.99 crore (previous year ₹ 8.02 crore) with written down value as NIL (previous year ₹ NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and vacant land obtained on lease by the Bank includes market value as on as on 31.03.2021 is ₹ 13.72 crore with written down value as NIL, where the lease period is expired, perusing with authorities for lease renewals.
- iv. As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.
 - i) Liability for Premises taken on non-Cancellable operating lease are NIL as on 31.03.2023.
 - ii) Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating leases is ₹ 392.02 crore as on 31.03.2023 (Previous Year ₹ 357.07 crore).
- v. Additional Disclosure:
Premises obtained by the bank include own property of ₹ 37.13 crore for which registration formalities are still under progress.
The title of property amounting to ₹ 37.13 crore acquired on disposal of security are not in favor of bank as the matter is sub-judice.

f) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 have been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	1582.20	1044.83
Weighted Average number of Equity Share (No.)	868,09,39,432	823,51,53,502
Basic Earnings per Share (₹) *	1.82	1.27
Diluted Earnings per Share (₹) *	1.82	1.27
Nominal Value per Share (₹)	10	10

g) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

- i. Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹ 5726.89 crore (previous year ₹ 6050.22 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable

decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter as on March 31st, 2023 is ₹ 7.64 crore.

- ii. Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended March 31st, 2023.

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2023. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2023 are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Business Loss	2270.61	1655.92	-	-
Provision for Leave Encashment	374.02	346.52	-	-
Provision for Loans and Advances	3945.44	5728.37	-	-
Interest on Income Tax Refund	-	-	40.96	26.94
Interest accrued but not due on investments	-	-	699.00	760.96
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	-	-	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	-	-	16.26	45.90
TOTAL	6590.07	7730.81	791.16	868.74
Net Deferred Tax Asset/Liability	5798.91	6862.05	-	-

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2022-23 is ₹ 1063.14 crore (Previous year ₹ 683.63 crore) has been recognized in profit & loss account.

h) Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2023 requiring recognition in terms of the Standard.

i) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(Amount in ₹ crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2023	31.03.2022
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	214.59	646.74
Provision towards NPA	3534.31	2461.55
Provision towards Standard Asset	680.54	(222.47)
Provision made for Taxes	1063.14	672.13
Provision for Restructured Advances	(221.81)	595.94
Other Provisions	30.80	(1.57)
TOTAL	5301.57	4152.32

j) Additional Disclosures:-

- i. Details of Letter of Comfort issue by Banks and outstanding as on 31.03.2023 - There are no Letter of Comfort issued during the year as well as in previous year by Bank.
- ii. Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act,2006: There has been no reported cases of the delayed payments of the principal amount or interest due to Micro, Small & Medium Enterprises.
- iii. Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 17.03.2023.

k) Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank had complied with the PCA framework norms meticulously. Reserve Bank of India vide its communication CO.DOS.SED.No.S3988/14.01.040/2022-23 dated September 20, 2022 has removed our Bank from the Prompt Corrective Action (PCA) framework.

l) Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There has been no reported case of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

m) In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

n) Disclosure with respect to spreading of MTM losses in AFS and HFT:

This has reference to RBI circular RBI/2017-18/200 DBR No BPBC.113/21.04.048/2017-18 dated 15 June 2018 regarding the option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT on account of sharp increase in the yields on Government Securities: NIL

o) Previous year's figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform current year's classification.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Standalone Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2023

Sn	Particulars	31-03-2023	31-03-2022
			(₹ In Crore)
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	2,645.34	1,716.96
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	385.86	296.61
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	214.10	368.87
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,312.50	3,057.49
	Provision for Standard Assets	680.54	(222.47)
	Provision for Other items (Net)	31.29	276.30
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.34	(9.13)
	Dividend Received from Subsidiaries	(7.95)	(8.01)
	Sub total	7,263.02	5,476.62
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	16,604.53	12,718.99
	Increase / (Decrease) in Borrowings	644.39	2,005.72
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	231.32	1,742.89
	(Increase) / Decrease in Advances	(38,123.31)	(14,652.34)
	(Increase) / Decrease in Investments	3,989.37	7,426.61
	(Increase) / Decrease in Other Assets	894.46	(735.62)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc.)	(297.96)	285.45
	Sub total	(16,057.20)	8,791.70
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(8,794.18)	14,268.32
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.62	24.37
	Purchase of Fixed Assets	(212.07)	(157.67)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	7.95	8.01
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(200.50)	(125.29)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	-
	Share Application Money	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2023	31-03-2022
D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	(8,994.68)	14,143.03
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	38,033.70	32,187.84
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	15,060.63	6,763.46
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	53,094.33	38,951.30
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	27,432.92	38,033.70
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	16,666.73	15,060.63
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	44,099.65	53,094.33

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

CHHAJED & DOSHI

Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg,
Andheri (East), Mumbai - 400069

KISHORE & KISHORE

Chartered Accountants
C-7, Sector E (New), Aliganj,
Lucknow- 226024

A S K A & CO.

(Formerly Ambekar Shelar Karve & Ambardekar)
Chartered Accountants 501, Mirage Arcade, Opp.
Ganesh Mandir, Off. Phadke Road,
Dombivli (East), Mumbai -421201

A.R. & Co

Chartered Accountants
A-403, Gayatri Apartments Airlines Group Housing
Society Plot No 27, Sector -10, Dwarka
New Delhi – 110075

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of
Central Bank of India
Mumbai

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of Central Bank of India ('the Parent Bank') which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements") which includes:
 - audited standalone financial statements of the Parent Bank audited by us;
 - audited financial statements of one subsidiary – Centbank Financial Services Limited – audited by other auditor
 - unaudited financial statements of one subsidiary – Cent Bank Home Finance Limited
 - audited financial statements of two (2) associates – (i) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur; (ii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar -- audited by other auditors.
 - unaudited financial statements of one joint venture-- Indo-Zambia Bank Limited.

The above entities together with the Parent Bank are referred to as "the Group".

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of subsidiaries, the unaudited financial statements and other financial information of the associates as furnished by the

management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- the consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;
- the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to:
 - Note no. 5.11 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding amortization of additional liability on revision of family pension

amounting to ₹ 821.95 crore. The Parent Bank has charged an amount of ₹ 164.40 crore to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023 and the balance unamortised expense has been carried forward pursuant to RBI circular no. RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dt.4th October,2021.

- b) Note no. 4.8 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Parent Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹ 5798.91 crore is recognised as on 31st March 2023 (₹ 6862.05 crore as on 31st March 2022).
- c) Note no. 4.1 of the Statement regarding accounting of Performance Link Incentive to employees on accrual basis during the year which was being done on cash basis in earlier years resulting in decrease of profit by ₹ 104.24 crore.

- d) Note No. 5.15 of Schedule 18 to the consolidated financial statements, which describes the uncertainties due to the COVID-19 pandemic and management's evaluation of impact on the Group's financial performance which will depend on future developments, which are uncertain.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended 31st March 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters

Auditors' response

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 2 of Schedule 17 to the consolidated financial statements)

Advances comprise substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.

Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Group.

Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:

- » We have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- » We have analyzed and understood key IT systems/applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:
 - » timely recognized the depletion in the value of available security.
 - » made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.
 - » We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.

Key Audit Matters

Auditors' response

2. Investments

Investment portfolio of the Group comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the consolidated financial statements)

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.

As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.

Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process

The Group's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.

The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.

The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.

Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular:

- » We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.
- » Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines.
- » We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- » We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided.
- » We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:

- » We obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.
- » We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.

Key Audit Matters

Auditors' response

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 14 of Schedule 17 and Note No. 4.10 of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.

» We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/ or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/ litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information other than the consolidated financial statements and Auditors' report thereon

5. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those

charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of

users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group of which we are the independent auditors and whose financial information we have audited, to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision,

and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. Incorporated in these consolidated financial statements are the:

- (a) We did not audit the financial statements/information of 1507 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank whose financial statements / financial information

reflect total assets of ₹ 2,07,308 crore as at 31st March 2023 and total revenue of ₹ 6,763 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

- (b) In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2966 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank certified by the respective branch's management whose financial statements/information reflect total assets of ₹ 90,252 crore as at 31st March 2023 and total revenue of ₹ 5,393 crore for the year ended on that date.
- (c) We did not audit the financial statements / information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹ 47.36 crore as at 31st March 2023 and total revenues of ₹ 3.52 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the other auditors.
- (d) We did not audit the financial statements/information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹ 1504.11 crore as at 31st March 2023 and total revenues of ₹ 140.93 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / information are unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on such unaudited financial statements certified by the management.
- (e) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹ 31.63 crore for the year ended 31st March 2023 in respect of 2 associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements are audited by other auditors and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such audited financial statements certified by the other auditors. In our opinion and

according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

- (f) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹ 47.43 crore for the year ended 31st March 2023 in respect of one joint venture, whose financial statements/ financial information have not been audited by us. These financial statements are unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such unaudited financial statements certified by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The consolidated Balance sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

FOR CHHAJED & DOSHI
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M.No.136169
UDIN: 23136169BGWXJM2286

FOR KISHORE & KISHORE
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 000291N

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176
UDIN:23509176BGWZAW3371
UDIN:

Place: Mumbai
Date: April 29, 2023

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.
11. We further report that:
- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Parent Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; an
- d) In our opinion, the consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

FOR A S K A & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.122063W

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M.No.101373
UDIN: 23101373BGWJWF5899

FOR A.R. & Co
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.002744C

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M.No.017546
UDIN: 23017546BGWILS1797

Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-23 (₹)	As At 31-Mar-22 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	8,68,09,394
Reserves and Surplus	2	20,53,57,912	18,86,84,669
Minority Interest	2A	6,73,138	5,76,992
Deposits	3	3,59,77,51,185	3,43,16,45,666
Borrowings	4	8,33,39,157	7,66,33,015
Other Liabilities and Provisions	5	9,68,66,360	8,85,72,023
TOTAL		4,07,07,97,146	3,87,29,21,759
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	27,43,29,199	38,03,36,980
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	16,66,90,249	15,06,32,393
Investments	8	1,36,56,93,837	1,40,77,45,413
Advances	9	2,03,89,32,569	1,69,04,15,429
Fixed Assets	10	4,77,66,959	4,95,53,768
Other Assets	11	17,72,95,437	19,41,48,880
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		4,07,07,97,146	3,87,29,21,759
Contingent Liabilities	12	1,32,46,50,988	1,79,60,88,335
Bills for Collection		11,03,90,656	11,37,50,285

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Consolidated Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year ended 31-Mar-23 (₹)	Year ended 31-Mar-22 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	25,65,71,000	22,90,33,395
Other Income	14	4,08,44,939	2,96,74,897
TOTAL		29,74,15,939	25,87,08,292
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,90,51,019	13,36,08,786
Operating Expenses	16	8,90,99,979	7,27,70,729
Provisions and Contingencies		5,31,71,633	4,16,83,773
TOTAL		28,13,22,631	24,80,63,288
Share of earning/(loss) in Associates		7,90,621	1,84,501
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities Interest		1,68,83,929	1,08,29,505
Less: Minority Interest		96,145	71,589
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		1,67,87,784	1,07,57,916
Add: -Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		1,42,581	(18,74,09,075)
Add- Adjustment in Profit & Loss		(11,45,41)	18,72,42,173
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		39,55,503	26,12,100
Transfer to Other Reserve		18,89,806	78,36,181
a. Capital Reserve		13,32,997	12,55,261
b. Revenue Reserve		-	-
c. Investment Reserve		9,300	-
d. Fund in lieu of Insurance		-	-
e. Proposed Dividend- Equity Share Capital		-	-
f. Tax on Dividend		-	-
g. Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		-	-
h. Appropriation of Deferred Tax Liability on special Reserve as per NHB guidelines		-	-
i. Investment Fluctuation Reserve		5,47,509	65,80,920
Transfer to Government/Proposed Dividend		-	-
Balance Carried over to the Balance Sheet		1,09,70,515	1,42,581
TOTAL		1,68,15,824	1,05,90,862
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		1.93	1.24
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		1.93	1.24

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		10,00,00,000
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Capital :	8,68,09,394		8,68,09,394	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
8680939432 Equity Shares (previous year 8680939432 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		8,68,09,394		8,68,09,394
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,33,71,231		2,07,59,131	
Additions during the year	39,55,503		26,12,100	
		2,73,26,734		2,33,71,231
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1,74,39,226		1,61,83,965	
Additions during the year	13,32,997		12,55,261	
		1,87,72,223		1,74,39,226
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	3,71,49,449		3,79,22,815	
Additions - Adjustments during the year	-		-	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	6,53,596		2,32,128	
Deductions during the year	-		5,41,238	
		3,64,95,853		3,71,49,449
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	7,46,66,327		24,19,62,271	
Additions/Adjustments during the year	-		1,99,46,230	
Reduction during the year	-		18,72,42,174	
		7,46,66,327		7,46,66,327
V. Other Reserves				
a). Special Reserve U/S 36 (1)(viii)	13,61,546		13,61,546	
		13,61,546		13,61,546
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	65,80,920		-	
Add:- Addition during the year	5,47,509		65,80,920	
Less:- Deduction during the year	-		-	
		71,28,429		65,80,920



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,13,846		1,13,846	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	9,300		-	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-	1,23,146	-	1,13,846
iii) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,78,59,543		2,73,18,305	
Add: Transfer from Capital Reserves	6,53,596		5,41,238	
Addition during the year	-		-	
Add: Opening Balance Adjustments	-		-	
Add/Less: Adjustments during the year	-		-	
		2,85,13,139		2,78,59,543
VII. Balance in Profit and Loss Account		1,09,70,515		1,42,581
TOTAL		20,53,57,912		18,86,84,669
(*) The adjustment is on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.				
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	6,48,638		5,52,492	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		6,73,138		5,76,992
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	98,44,694		1,03,37,153	
ii) From Others	17,74,74,505		16,50,66,866	
		18,73,19,199		17,54,04,019
II. Savings Bank Deposits		1,62,53,14,529		1,55,96,51,980
III. Term Deposits				
i) From Banks	68,57,251		77,57,952	
ii) From Others	1,77,82,60,206		1,68,88,31,715	
		1,78,51,17,457		1,69,65,89,667
TOTAL (I,II and III)		3,59,77,51,185		3,43,16,45,666
B. i) Deposits of Branches in India		3,59,77,51,185		3,43,16,45,666
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	-		7,23,139	
iii) Other Institutions & Agencies	4,06,99,157		2,68,78,876	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		-	

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
v) Upper Tier II bonds	-	-	-	-
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	-	-	13,91,000	-
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	2,50,00,000	-	3,00,00,000	-
		8,33,39,157		7,66,33,015
II. Borrowings outside India		-		-
TOTAL		8,33,39,157		7,66,33,015
Secured borrowings included in I & II above		Nil		Nil
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	94,93,095	-	1,11,47,968	-
II. Inter Office Adjustments (Net)	19,468.00	-	1,90,081	-
III. Interest Accrued	89,15,697	-	77,45,822	-
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	-	-	-	-
V. Others(including provisions)	7,84,38,100	9,68,66,360	6,94,88,152	8,85,72,023
TOTAL		9,68,66,360		8,85,72,023
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,50,01,105		1,45,54,493
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	16,52,98,094	-	13,67,22,487	-
In Other Accounts	9,40,30,000	-	22,90,60,000	-
		25,93,28,094		36,57,82,487
TOTAL (I and II)		27,43,29,199		38,03,36,980
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	4,05,075	-	2,64,777	-
b) In Other Deposit Accounts	24,676	-	36,243	-
		4,29,751		3,01,020
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-	-	-	-
b) With Other Institutions	-	-	6,40,128	-
		-		6,40,128
TOTAL.... I		4,29,751		9,41,148
II. Outside India				
a) In Current Accounts	20,02,668	-	10,62,153	-
b) In Other Deposit Accounts	16,42,57,830	-	14,86,29,092	-
c) Money at Call & Short Notice	-	-	-	-
TOTAL.... II		16,62,60,498		14,96,91,245
TOTAL.... (I + II)		16,66,90,249		15,06,32,393
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,03,03,86,822	-	1,05,53,81,537	-
ii) Other approved Securities	-	-	-	-
iii) Shares	74,05,592	-	88,33,691	-
iv) Debentures and Bonds	31,90,42,322	-	33,78,44,148	-

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
v) Associates	41,79,213		6,39,854	
vi) Others				
a) UTI Shares & Commercial Papers				
Mutual Fund Units etc.	22,66,922		31,07,519	
Total I		1,36,32,80,871		1,40,58,06,749
II. Investments outside India in				
i) Government Securities	-		-	
ii) Associates	24,12,966		19,38,664	
iii) Other Investments	-		-	
Total II		24,12,966		19,38,664
TOTAL (I and II)		1,36,56,93,837		1,40,77,45,413
III. Investments in India :				
Gross Value of Investments	1,42,39,75,024		1,46,55,29,898	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	6,06,94,153		5,97,23,149	
Net Investments		1,36,32,80,871		1,40,58,06,749
IV Investments outside India :				
Gross Value of Investments	24,12,966		19,38,664	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		24,12,966		19,38,664
TOTAL		1,36,56,93,837		1,40,77,45,413
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	30,9,41,503		2,40,31,721	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	79,06,06,898		70,15,80,440	
iii) Term Loans	1,21,73,84,168	2,03,89,32,569	96,48,03,268	1,69,04,15,429
TOTAL (i,ii and iii)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets	1,81,72,28,464		1,57,07,97,055	
Including advances against Book Debts				
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	75,94,346		1,32,94,746	
iii) Unsecured	21,41,09,759	2,03,89,32,569	10,63,23,628	1,69,04,15,429
TOTAL (i,ii and iii)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	96,68,04,431		86,38,51,917	
ii) Public Sector	2,40,71,293		4,14,01,906	
iii) Banks	2		53,224	
iv) Others	1,04,80,56,843	2,03,89,32,569	78,51,08,382	1,69,04,15,429
TOTAL (i,ii, iii and iv)		2,03,89,32,569		1,69,04,15,429
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,88,11,918		4,91,01,269	
Additions during the year	17,394		25,445	

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-23		As at 31-Mar-22	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Total	4,88,29,312		4,91,26,714	
Deductions / Adjustments during the year	-		3,14,796	
Total	4,88,29,312		4,88,11,918	
Depreciation to date	99,17,382		91,65,015	
TOTAL.... I		3,89,11,930		3,96,46,903
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,65,83,009		3,53,41,109	
Additions / Adjustments during the year	31,77,913		23,47,271	
Total	3,97,60,922		3,76,88,380	
Deductions/Adjustments during the year	15,70,812		11,05,370	
Total	3,81,90,110		3,65,83,010	
Depreciation to Date	2,93,35,081		2,66,76,145	
TOTAL.... II		88,55,029		99,06,865
TOTAL (I & II)		4,77,66,959		4,95,53,768
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Inter office adjustments (Net).	-		-	
II. Interest accrued	2,00,13,999		2,17,85,964	
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	4,26,64,929		3,96,36,119	
IV. Stationery and Stamps	2,28,747		2,25,424	
V. Non-banking assets acquired in Satisfaction of claims	-		-	
VI. Deferred Tax Assets	5,78,81,749		6,85,59,904	
VII. Others	5,65,06,013		6,39,41,469	
		17,72,95,437		19,41,48,880
TOTAL		17,72,95,437		19,41,48,880
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		12,48,708		14,20,497
(b) Disputed tax demands under appeals, revision		5,72,68,896		6,05,04,173
(includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹ 51697716('000 omitted) as at 31st March 2023, as against ₹ 39764221 ('000s omitted) as at 31st March 2022.				
II. Liability for partly paid Investments		1,26,58,798		26,89,347
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		1,10,82,31,495		1,59,08,50,230
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	9,19,06,778		8,83,87,515	
b) Outside India	52,11,840		58,26,051	
		9,71,18,618		9,42,13,566
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		2,21,49,908		2,43,01,093
VI. Other items for which the bank is contingently liable		2,59,74,565		2,21,09,429
TOTAL		1,32,46,50,988		1,79,60,88,335

Schedules forming part of the Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2023

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	15,02,53,615	11,59,98,697
II. Income on Investments (Including Dividend)	8,71,84,229	9,26,60,400
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1,44,38,269	1,23,81,061
IV. Others	46,94,887	79,93,237
TOTAL	25,65,71,000	22,90,33,395
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,78,69,428	1,42,47,404
II. Profit on sale of land, buildings and Other Assets	1	91,365
Less: Loss on sale of land, buildings and Other Assets	13,396.00	361
III. Profit on Exchange transactions	30,34,878	19,92,437
Less: Loss on Exchange transactions	-	-
IV. Profit on sale of Investments (Net)	27,36,829	49,10,035
Less: Loss on sale of Investments	-	326
V. Profit on revaluation of Investments	24,811.00	-
Less: Loss on revaluation of Investments	-	27,68,771
VI. a) Lease finance income	-	-
b) Lease management fee	-	-
c) Overdue charges	-	-
d) Interest on lease rent receivables	-	-
VII. Miscellaneous Income		
a. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	64,454.00	65,103
b. Others	1,71,27,934	1,11,38,011
TOTAL	4,08,44,939	2,96,74,897
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	13,42,73,336	12,87,87,024
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	10,57,783	8,54,849
III. Others	37,19,900	39,66,913
TOTAL	13,90,51,019	13,36,08,786

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-23 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	5,61,56,968	4,48,21,474
II. Rent, Taxes and Lighting	52,85,758	48,32,319
III. Printing and Stationery	3,30,635	2,66,105
IV. Advertisement and Publicity	1,75,363	1,33,946
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	38,59,798	29,67,646
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	10,258	6,632
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	3,54,756	3,08,704
VIII. Law Charges	2,73,403	1,90,637
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,37,895	9,49,677
X. Repairs and Maintenance	14,74,942	16,20,903
XI. Insurance	44,14,494	42,80,664
XII. Amortisation of Goodwill, if any	-	-
XII. Other Expenditure	1,58,25,709	1,23,92,022
TOTAL	8,90,99,979	7,27,70,729

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the revaluation of premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, the Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

C. Basis of Consolidation

Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries, 2 Associates [including 2 RRBs]) and 1 JV have been prepared on the basis of:

- Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.
- Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

- The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit/ loss is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit/ loss is taken based on unaudited figures.
- The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- The amount of equity attributable to the minority as at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

D. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

I Parent Bank

2.1 General

Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.

2.2 Income from investments

- The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

- b) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - (i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - (ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- c) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- d) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

- a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.
- c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

- a) Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.
- b) Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

II Subsidiaries

- a) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- b) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.
- c) In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to

Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from debenture and security trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from debenture trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

3. Advances:

I Parent bank

3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

- a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
- b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.
- c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.
- d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- a) Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

- i. A general provision of 15% on the total outstanding.
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).

- iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion:

Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%

- Unsecured portion 100%

Loss Assets 100%

- 3.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.
- 3.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.
- 3.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 3.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.
- 3.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.
- 3.10 Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:
- Principal Overdues / Irregularities
 - Unrealised interest
 - Partial Written Off principal
 - Uncharged Interest
 - Unrealised charges
- In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:
- Ledger outstanding balance
 - Unrealised interest
 - Partial Written Off principal
 - Uncharged Interest
 - Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

II Subsidiaries

- In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.
- In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

5. Investments:

I Parent bank

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures and Bonds
- e) Subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions; and
- f) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- a) Government Securities
- b) Subsidiaries and Joint Ventures
- c) Other Investments

5.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

- a) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- b) Held for Trading: Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- c) Available for Sale: Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- d) Transfer of Securities between categories: An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.
- e) Investments in subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- a) Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- b) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- c) Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.
- a) Valuation of investments classified as Held to Maturity: The investments classified under this

category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as expense.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures and associates are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).

- b) Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading: Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz.(i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) others) is provided for and net appreciation is ignored.
- c) Valuation policy in event of inter category transfer of investments:
 - i) Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
 - ii) Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/ book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.
- d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts:
 - i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR.
 - ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" (as amended) and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.
- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.
- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

II Subsidiaries

In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the

value is of permanent nature.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- b) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- c) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX and NSE.
- b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked and gains, if any, are ignored on net basis.
- d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

- 7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.
- 7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- 7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.

7.4 Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

7.5 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7.6 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

8. Fixed assets and depreciation:

I Parent bank

8.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

8.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

8.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- a. Premises At varying rates based on estimated life
 - a) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%
 - b) Vehicles, Plant & Machinery 20%
 - c) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
 - d) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

8.4 Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.

8.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

8.6 Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.

8.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from

'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.

8.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

8.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.

8.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

8.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

II Subsidiaries

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.

b) Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

9 Leases:

Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit and Loss account on a straight-line basis over the lease term in accordance with AS 19.

10 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

11. Employee Benefits:

11.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.

11.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

11.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.
- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

11.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

12. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

13. Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries cannot be ascertained, such amounts have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

14. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a

result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for:

- a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

14.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

15 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

16 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

17 Earnings per Share:

- a) The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- b) Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

- 1.1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of profit / loss in three Associates consisting of two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below:

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2023	Ownership interest as at March 31, 2022
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (JV)	Zambia	20.00%	20.00%

- 1.2. The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of Parent Bank i.e. 31st March, 2023, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on unaudited figures for the financial year ended 31.03.2023. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.
- 1.3. The accumulated share of profit/ loss of the Parent Bank in the associates has been added to/ reduced from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated reserves of the Group.
- 1.4. Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received/ liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of assets and liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.
- 1.5. Financial Statements of one of the Subsidiaries are audited by an auditor other than auditor of parent bank and another subsidiary financials is unaudited and certified by the management. The financial statements of two associates are audited by an auditor other than the auditor of parent bank and one JV is unaudited and certified by the management.

2. In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of management of the Bank the same are not material.

3. PARENT BANK

3.1. CAPITAL:

- 3.1.1. Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2023 is ₹ 8,680.94 crore, the President of India (Government of India) has not infused any fresh capital during the Financial Year 2022-23. The shareholding of President of India (Government of India) in the Bank is 93.08%.

3.2. Balancing of Books / Reconciliation:

- 3.2.1. The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at 31st March, 2022 is ₹ 1.95 crore (net credit) and as at 31st March, 2021 is ₹ 19.01 crore (net credit).

- 3.2.2. The reconciliation of the following items is in progress.

- » Inter Branch Office Balance
- » Suspense Accounts
- » Clearing & other Adjustment Accounts
- » Certain balances in nominal account
- » Balances related to ATM Department
- » Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances

- » Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- » Fixed Asset

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3. Income Tax:

- 3.3.1. Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.3.2. Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹ 5726.89 crore (previous year ₹ 6050.22 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter as on March 31st, 2023 is ₹ 7.64 crore.
- 3.3.3. Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended 31st March, 2023.

3.4. Advances / Provisions:

Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5. Disclosure of Penalties imposed by RBI

Reserve Bank India has levied penalties of ₹ 0.36 crore (previous year ₹ NIL) in terms of clause (c) of sub-section (1) of section 47(A) read with clause (i) of sub-section (4) of section 46 and section (1) of section 51 of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance with the controversial of the failed to credit (Shadow reversal) the amount involved in the unauthorized electronic transaction to the customers' accounts.

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1 Accounting Standard – 5 “Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items, and Changes in Accounting Policies”

The financial statements for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022 except for accounting of Performance Linked Incentives (PLI). Until the financial year 2021-22, PLI was accounted for on cash basis and from financial year 2022-23 the PLI is accounted for on accrual basis. This change in accounting policy has resulted in decrease in profit before tax by ₹ 104.24 crore for year ended March 31, 2023.

4.2. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy no.9. However, the said income is not considered to be material.

4.3. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

4.3.3. Defined Benefit Plans

i. Defined Benefit Plans, Employee's pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the Parent bank:-

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)	FY(22-23)	FY(21-22)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1st April, 2022	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
Current Service Cost	85.97	82.63	107.84	100.62
Interest Cost	1177.21	1012.96	109.69	103.25
Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	821.95	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	909.56	301.95	(15.07)	100.23
Benefits Paid	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31st March, 2023	16729.00	16237.43	1651.72	1730.20
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1st April, 2022	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
Expected Return on Plan Assets	1133.25	1074.53	110.79	98.93
Contributions by Employer	1327.65	976.98	231.29	252.11
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1681.17)	(1539.75)	(280.94)	(300.56)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	(103.69)	98.07	(54.23)	45.41
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31st March, 2023	16483.92	15807.88	1637.42	1630.51
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31st March, 2023	16,729.00	16,237.43	1,651.72	1,730.20
Fair Value of Plan Assets at 31st March, 2023	(16,483.92)	(15,807.88)	1,637.42	(1,630.51)
Unrecognized past service Cost	0.00	(277.43)	0.00	0.00
Deficit/(Surplus)	245.08	152.12	14.30	99.69
Net Liability/(Asset)	245.08	152.12	14.30	99.69
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				
Current Service Cost	85.97	82.63	107.83	100.62
Past Service Cost-Recognized	657.56	544.52	0.00	0.00
Interest Cost	1,177.21	1,012.96	109.69	103.25
Expected Return on Plan Assets	(1,133.26)	(1,074.53)	(110.79)	(98.93)

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)	FY(22-23)	FY(21-22)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1,013.25	203.88	39.17	54.82
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	1,800.74	769.47	145.90	159.76
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,133.26	1,074.53	110.79	98.93
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(103.69)	98.07	(54.24)	45.41
Actual Return on Plan Assets	1,029.57	1,172.60	56.55	144.34
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1st April, 2022	(228.01)	359.63	99.69	192.05
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	1800.74	769.47	145.90	159.76
Employer's Contribution	(1327.65)	(976.98)	231.29	252.11
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	245.08	152.12	14.30	99.69

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2023 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.31	1.01
State Govt. Securities	18.95	37.56
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	19.70	30.26
Mutual Funds	3.55	6.83
Insurer Managed Funds	57.47	24.27
Others	0.02	0.07
Total	100.00	100.00

Principal Actuarial Assumptions

	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)
Discount Rate	7.40	7.25
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.40	7.25
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

Principal Actuarial Assumptions

	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(22-23)	FY(21-22)
Discount Rate	7.40	6.90
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.40	6.90
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

GRATUITY PLAN	YEAR ENDED				
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20	1,651.72
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51	1,637.42
Difference	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30
Amount Recognized in the Balance Sheet	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69	14.30

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
On Plan Liability (Gain)/ Loss	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94	(15.07)
On Plan Asset (Loss) / Gain	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41	(54.23)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

PENSION PLAN	YEAR ENDED				
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43	16,729.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88	16,483.92
Difference	(400.04)	482.18	359.63	429.55	245.08
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	277.43	0.00
Amount Recognized in the Balance Sheet	(400.04)	482.18	359.63	152.12	245.08
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	544.52	277.43

(Amount in ₹ crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
	AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
OnPlanLiability(Gain)/Loss	422.24	12.65	2,279.00	847.41	1,126.87
OnPlanAsset(Loss)/Gain	(72.66)	346.19	276.30	98.07	1,013.25

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 245.08 crore and ₹ 14.30 Crore respectively.

ii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2021-22, the bank has contributed ₹ 244.48 crore (Previous year ₹ 146.97 crore).

iii. Employees' Provident Fund:-

During the year bank has recognized expenses of ₹ 0.96 Crore and corresponding year ₹ 1.12 Crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

iv. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 78.70 crore (Previous Year ₹ 43.24 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

Actuarial valuation report as per AS 15 (revised 2005) / privilege benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	1070,33,08,807	991,63,07,002
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1070,33,08,807	991,63,07,002

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate	7.45%	6.90%
Salary Growth Rates	5.00%	5.00%

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

B) Other Long Term Employee Benefits

1. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	2,74,04,770	3,05,03,237
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	2,74,04,770	3,05,03,237

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate (P.a)	7.40 %	6.90 %
Inflation Rate (p.a)	0.00 %	0.00 %
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality)IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

2. Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits

Asset and Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Defined Benefit Obligation	1,21,30,154	1,18,22,548
Fair Value of Plan Assets	0	0
Net Liability (Asset)	1,21,30,154	1,18,22,548

Financial Assumptions

Particulars	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
Discount Rate (P.a)	7.40 %	6.90 %
Inflation Rate (p.a)	0.00 %	0.00 %
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum

Age Band	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
25 & Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM

Age (In Years)	Current Year	Previous Year
	FY (22-23)	FY (21-22)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

4.4. Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank:-

- » Treasury
- » Corporate / Wholesale Banking
- » Retail Banking
- » Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

- » Treasury – The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- » Corporate / Wholesale Banking – The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.
- » Retail Banking – The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 7.50 crore (including Fund Based and Non-Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.
- » Other Banking business – Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.
- » Secondary (Geographical Segment)
 - i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
 - ii) Foreign Operations – Bank has only one Joint Venture in Zambia.

(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	10974.59	11626.75	6564.56	5263.81	11815.46	8288.21	2.22	1.35	29356.83	25180.12
Result	2585.67	2528.46	1226.84	(2288.70)	(1172.81)	1075.23	1.24	0.28	2640.94	1315.27
Unallocated Expenses									41.09	429.54
Operating Profit									2682.03	1744.81
Income Taxes									1072.70	680.31
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	69.45	11.29
Net Profit									1678.78	1075.79
Other Information:										
Segment Assets	184294.75	197643.37	77326.32	66602.32	131141.05	107873.07	8.88	8.88	392771.00	372127.64
Unallocated Assets									14308.71	15164.54
Total Assets									407079.71	387292.18
Segment Liabilities	179578.72	191840.34	73563.83	64083.77	124708.58	103811.85	11.85	6.81	377862.98	359742.77
Unallocated Liabilities									0.00	0.00
Total Liabilities									377862.98	359742.77

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

The Group has only one geographical segment i.e. Domestic Segment

4.5. Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

4.5.1. List of Related Parties:

4.5.3.1. Key Managerial Personnel as on 31.03.2023

Sr. No.	Name	Designation
PARENT BANK		
i.	Shri M V Rao	Managing Director & CEO
ii.	Shri Alok Shrivastava (upto 30.11.2022)	Executive Director
iii.	Shri Vivek Wahi	Executive Director
iv.	Shri Rajeev Puri	Executive Director
v.	Shri M V Murali Krishna (w.e.f. 01.12.2022)	Executive Director
SUBSIDIARIES		
CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED		
i.	Shri S. Venkataraman (upto 16.06.2022)	Managing Director
ii.	Shri Sunil Kumar Naik (w.e.f. 19.07.2022)	Managing Director
iii.	Smt. Aarti Sharma	Company Secretary
CENT BANK HOME FINANCE LIMITED		
i.	Shri Kushal Pal	Managing Director
ii.	Shri Sachin Sudhakar	General Manager
iii.	Shri Ashish Shrivastava	Company Secretary
iv.	Shri S.C. Mehta	Chief Financial Officer
v.	Mr. S.C. Mehta	Chief Financial Officer

4.5.3.2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2023	31.03.2022
PARENT BANK			
Shri Matam Venkata Rao	Managing Director & CEO	0.41	0.32
Shri Alok Srivastava (upto 30.11.2022)	Executive Director	0.25	0.29
Shri Vivek Wahi	Executive Director	0.34	0.27
Shri Rajeev Puri	Executive Director	0.37	0.28
Shri M V Murali Krishna (w.e.f. 01.12.2022)	Executive Director	0.10	0.00
SUBSIDIARIES			
CFSL			
Shri S. Venkataraman (Resigned as MD on 16.6.2022)	Managing Director	0.05	0.23
Shri Sunil Kumar Naik (appointed as MD on 19.7.2022)	Managing Director	0.18	0.001
Shri H V Kamdar (Retired on 30.4.2021)	Company Secretary	-	0.02
Smt. Aarti Sharma (became KMP w.e.f. 1.5.2021)	Company Secretary	0.08	0.07
CBHFL			
Shri Kushal Pal	Managing Director	0.30	0.25
Shri Sachin Sudhakar	General Manager	0.30	0.20
Shri Suyogya Chandra Mehta	Chief Financial Officer	0.15	0.07
Shri Ashish Shrivastava	Company Secretary	0.12	0.05

Note: Keeping in line with para 9 of the AS - 18 - "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

4.6. Accounting Standard – 19 "Leases"

- i. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Directors and ₹ 881.96 crore increase in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- ii. In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 65.36 crore for March 2023 (previous year 2021-22 ₹ 54.12 crore) is transferred from 'Revaluation Reserves' and credited to "Revenue and Other Reserves".
- iii. Land obtained on lease by bank includes market value as on 31.03.2021 is ₹ 8.99 crore (previous year ₹ 8.02 crore) with written down value as NIL (previous year ₹ NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and vacant land obtained on lease by the Bank includes market value as on as on 31.03.2021 is ₹ 13.72 crore with written down value as NIL, where the lease period is expired, perusing with authorities for lease renewals.
- iv. As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.
 - i) Liability for Premises taken on non-Cancellable operating lease are NIL as on 31.03.2023.
 - ii) Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating leases is ₹ 392.02 crore as on 31.03.2023 (Previous Year ₹ 357.07 crore).

v. Additional Disclosure:

Premises obtained by the bank include own property of ₹ 37.13 crore for which registration formalities are still under progress.

The title of property amounting to ₹ 37.13 crore acquired on disposal of security are not in favor of bank as the matter is sub-judice.

4.7. Earnings per Share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (Amount in ₹ crore)	1678	1076
Weighted Average number of Equity Share (No.)	8,680,939,432	8,680,939,432
Basic Earnings per Share (₹)	1.93	1.24
Diluted Earnings per Share (₹)	1.93	1.24
Nominal Value per Share (₹)	10	10

4.8. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 5798.91 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2023.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2023 are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Parent Bank:-				
Business Loss	2270.61	1655.92		
Provision for Leave Encashment	374.02	346.52		
Provision for Loans and Advances	3945.44	5728.37		
Interest on Income Tax Refund			40.96	26.94
Interest accrued but not due on investments			699.00	760.96
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets			16.26	45.90
Subsidiary:-				
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	5.97	9.58	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.01	0.01	0.00	0.00
Others	0.23	0.10	1.63	1.12
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	15.33	14.64
Cent Bank Financial Services Ltd (Net)	0.12	0.06	0.00	0.00
TOTAL	6596.40	7740.56	808.12	884.50
Net Deferred Tax Asset/Liability	5788.28	6856.06	-	-

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2022-23 is ₹ 1067.78 crore (Previous year ₹ 683.27 crore) has been recognized in profit & loss account.

4.9. Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at 31st March, 2023 requiring recognition in terms of the Standard.

4.10. Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

4.10.1. Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2023	31.03.2022 *
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	214.59	646.74
Provision towards NPA	3534.31	2461.55
Provision towards Standard Asset	680.54	(222.47)
Provision made for Taxes	1063.14	672.13
Provision for Restructured Advances	(221.81)	595.94
Other Provisions	30.80	(1.57)
TOTAL	5301.57	4152.32

5. Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility

During the year Cent Bank Home Finance Limited the subsidiary has spent ₹ 0.58 crore (Previous year ₹ 0.51 crore towards corporate social responsibility under section 135 of companies Act 2013 and rules thereof.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

(Amount in ₹ crore)

Ratios (in percent)	31.03.2023	31.03.2022
Gross NPA to Gross Advances	8.44	14.84
Net NPA to Net Advances	1.77	3.97
The Provisioning Coverage Ratio with Technical Write Off	92.48	86.69
The Provisioning Coverage Ratio without Technical Write Off	80.47	76.29

5.3 Centbank Financial Services Limited, the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 Centbank Financial Services Limited, the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹ 2.06 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹ 1.79 crore as at 31.03.2022 and has increased to ₹ 2.06 crore as at 31.03.2023. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.18 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank since long.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Parent Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

5.6 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 17.03.2023.

5.7 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having

no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.8 Disclosure with respect to NCLT provisions:

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6316.13 crore (₹ 6406.10 crore for March 31, 2022) (including FITL of ₹ 127.90 crore) @ (100 % of total outstanding including Investment) as on March 31, 2023

5.9 In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2023 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount ₹ in crore
23298	2478.29

5.10 Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank had complied with the PCA framework norms meticulously. Reserve Bank of India vide its communication CO.DOS.SED.No.S3988/14.01.040/2022-23 dated September 20,2022 has removed our Bank from the Prompt Corrective Action(PCA) framework.

5.11 Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.: RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 821.95 crore. Bank has opted to amortize the same as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 544.52 crore out of ₹ 821.95 crore to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March, 2022. During the year ended March 31st, 2023, the Bank has charged ₹ 164.40 crore to the Profit and Loss account. The balance unamortized expense of ₹.113.03 crore has been carried forward to subsequent years. The balance unamortized expense of ₹.113.03 crore has been carried forward to subsequent years. The consequential impact of unamortised pension liability on net profit for the current financial year is ₹ 73.53 crores (net of taxes).

5.12 Additional disclosure related to other asset & other liabilities:

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Schedule 5 Other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceeds 1% of total assets	Nil	Nil
Schedule 11 Other asset –VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	Nil	Nil
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹ 1282.59 crore which is 4.33 % of other total income.	Recovery received in accounts written off ₹ 331.53 crore which is 1.29 % of other total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	Nil	ATM interchange fee paid of ₹ 281.14 which is 1.09 % of other expenditure

The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact

the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

5.13 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

Consolidated Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2023

Sn	Particulars	31-03-2023	31-03-2022
			(₹ In Crore)
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	2,761.10	1,763.26
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	385.98	296.76
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	214.10	368.87
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,540.38	3,101.21
	Provision for Standard Assets	680.65	(217.55)
	Provision for Other items (Net)	(190.67)	235.53
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.34	(9.10)
	Sub total	7,392.88	5,538.98
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	16,610.56	12,836.26
	Increase / (Decrease) in Borrowings	670.62	1,903.64
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	148.79	1,794.86
	(Increase) / Decrease in Advances	(38,392.11)	(14,753.67)
	(Increase) / Decrease in Investments	3,979.60	7,374.60
	(Increase) / Decrease in Other Assets	1,111.09	(695.82)
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc.)	(307.77)	277.70
	Sub total	(16,179.22)	8,737.57
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(8,786.34)	14,276.55
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.62	24.38
	Purchase of Fixed Assets	(212.28)	(157.76)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(208.66)	(133.38)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	-
	Share Application Money	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31-03-2023	31-03-2022
D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	(8,995.00)	14,143.17
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	38,033.70	32,188.10
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	15,063.24	6,765.67
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	53,096.94	38,953.77
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	27,432.92	38,033.70
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	16,669.02	15,063.24
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	44,101.94	53,096.94

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

HARDIK M. SHETH
Director

P. J. THOMAS
Director

DINESH PANGTEY
Director

PRADIP P. KHIMANI
Director

As per our report of even date

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

For **A.R. & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No. 002744C

(CA NITESH JAIN)
PARTNER
M. No. 136169

(CA SUHAS AMBEKAR)
PARTNER
M. No. 101373

(CA AKHILESH K. MATHUR)
PARTNER
M. No. 509176

(CA ANIL GAUR)
PARTNER
M. No. 017546

Place: Mumbai

Date: April 29, 2023

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES OF BANK AS ON 31.03.2023

The said disclosures are available on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in under the following link:

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Basel-Disclosure/Final_BASEL-III-Disclosures-as-on%2031.03.2023-final%20%281%29.pdf

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS



1. संस्थापक जन्म जयंती 2022
1. Founder's Birth Anniversary 2022

2. संस्थापक जन्म जयंती 2022
2. Founder's Birth Anniversary 2022

3. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023
3. Women's Day 2023

4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पुरस्कार 2022 प्राप्त करते हुए
4. Central Bank of India receiving Digital Awards 2022

5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया
5. Central Bank of India observing Vigilance Awareness Week 2022

6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई पुलिस के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 मनाया
6. Central Bank of India observing Road Safety Awareness Campaign with Mumbai Police 2022

BANKING



www.centralbankofindia.co.in

Central Office, Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



Like us on
<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>




Follow us on
https://twitter.com/centralbank_in



Find us on
https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ



Follow us on
<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>



Please Scan the QR Code to download
the Annual Report 2022-23